उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

---:o:---

खंड १३६

---:o:---

सोमवार, ३ मई, १९५४ से
शुक्रवार, ७ मई, १९५४ तक

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

१९५४

मूल्यः बिना महसूल ४ आने; महसूल सहित ५ आने।
वार्षिक चन्दाः बिना महसूल १० रुपये; महसूल सहित १२ रुपये।

विषय सूची

सोमवार, ३ मई, १९५४

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३१
श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के संबंध में सूचना ..	३१
पुस्तकालय समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति ..	३१
श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी ..	३२
सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना ..	३२
उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४ (पुरः स्थापित किया गया)	३३
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार जारी) ..	३३–७३
नत्थियां	७४–९५

मंगलवार, ४ मई, १९५४

उपस्थित सदस्यों की सूची	९७–१००
सदस्य का शपथ ग्रहण करना	१०१
प्रश्नोत्तर (जारी)	१०१–१२१
अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा "प्रश्न नहीं उठता" कहने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१२१–१२२
प्रश्नोत्तर	१२२–१२५
लाउड स्पीकर और पंखों की खराबी	१२५
श्री राजनारायण की कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी के सम्बंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१२५–१२७
कानपुर में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना ..	१२७
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विचार जारी)	१२७–१७१
कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	१७२
नत्थी	१७३

बुधवार, ५ मई, १९५४

उपस्थित सदस्यों की सूची	१७५–१७८
प्रश्नोत्तर	१७८–१९१

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना	१९१
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरःस्थापित किया गया)	१९१
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विचार जारी)	१९२–२३५
अगले दिन के कार्यक्रम की सूचना	२३५
नत्थियां	२३६–२६०

बृहस्पतिवार ६ मई, १९५४

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	२६१–२६४
प्रश्नोत्तर	२६५–२८७
वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाम निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना	२८७–२९४
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार (अगले दिन के लिये स्थगित)	२९४–२९८
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ ..	२९९
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन (विचारार्थ लेने के विषय में जिज्ञासा)	२९९
विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाध्याय की प्रार्थना (श्री अध्यक्ष का निर्णय अगले दिन के लिये स्थगित) ..	३००
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार जारी)	३००–३३४
नत्थियां	३३५–३५४

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	३५५–३५९
प्रश्नोत्तर	३५९–३८८
श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३८९–३९०
लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरःस्थापित किया गया)	३९०
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार (जारी) ..	३९०–४०४
स्थायी समितियों के निर्वाचन से नाम वापस लेने के समय में वृद्धि की सूचना	४०४–४०५
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को १२ मई, १९५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना ..	४०५
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार (प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सर्वसम्मति से पुनः निर्दिष्ट किया गया)	४०५–४२६
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विचार जारी)	४२६–४३६
नत्थियां	४३७–[illegible]

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी।

मंत्रि-परिषद्

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, सहकारिता और नियोजन मंत्री।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, वित्त तथा विद्युत मन्त्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा-सदस्य, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, उद्योग तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य, निर्माण-मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा-सदस्य, न्याय तथा मादक-कर मन्त्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), विधान सभा-सदस्य, स्वशासन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा-सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा-सदस्य, परिवहन मन्त्री।

उपमन्त्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सहकारिता उप-मन्त्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान-सभा सदस्य, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फ़र हसन, विधान सभा-सदस्य, कारावास उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, निर्माण उपमंत्री।

सभासचिव

स्वशासन मन्त्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा-सदस्य।

अन्न-मन्त्री के सभा-सचिव

१—श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान सभा-सदस्य।

२—श्री बनारसीदास, विधान सभा-सदस्य।

उद्योग मंत्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा-सदस्य ।

माल मन्त्री के सभा-सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा-सदस्य।

शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान सभा-सदस्य।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्यों का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	..	फ़तेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ़ खां, श्री	..	फ़तेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	..	फ़तेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फ़र्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ़ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसराहल हक़, श्री	..	फिरोजाबाद—फ़तेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२१—उदयभान सिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
२२—उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२३—उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण—पश्चिम)—रामनगर
२४—उमाशंकर मिश्र, श्री		नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़—रामसनेही घाट
२५—उम्मेदसिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर—पूर्व)
२६—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री		ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
२७—ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२८—ओंकार सिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२९—कन्हैयालाल, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
३०—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
३१—कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३२—कमला सिंह, श्री	..	सैदपुर
३३—कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहमदी (पूर्व)
३४—करण सिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३५—करनसिंह, श्री	..	निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
३६—कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री	..	इलाहबाद नगर (मध्य)-इलाहाबाद
३७—कल्याण राय, श्री	..	हजूर मिलक (उत्तर)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३८—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३९—कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
४०—काशीचरण टण्डन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
४१—काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री	..	कादीपुर
४२—किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४३—किशनस्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४४—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४५—कृपाशंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४६—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४७—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४८—कृष्णशरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४९—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
५०—केवल सिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
५१—केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५२—केशवगुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५३—केशव पाण्डेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५४—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५५—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५६—खयालीराम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५७—खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
५८—खूबसिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५९—गंगाधर, श्री	..	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
६०—गंगाधर जाटव, श्री	..	फ़िरोजाबाद—फतेहाबाद
६१—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
६२—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६३—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६४—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	बिधूना (पूर्व)
६५—गज्जूराम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
६६—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६७—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६८—गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६९—गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
७०—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
७१—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
७२—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७३—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७४—गुलज़ार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुलतानपुर (उत्तर)
७५—गेंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७६—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७७—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७८—गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री	..	बरेली नगरपालिका
७९—गौरीराम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८०—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)–हैदरगढ़–रामसनेही घाट
८१—घासीराम जाटव, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर)–इटावा (उत्तर)
८२—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई–जालौन (दक्षिण)
८३—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८४—चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री	..	तराबगंज (दक्षिण-पूर्व)–गोंडा (दक्षिण)
८५—चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८६—चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
८७—च द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८८—चरणसिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८९—चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
९०—चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
९१—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)–कन्नौज (दक्षिण)
९२—चुन्नीलाल सगर, श्री	..	बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
९३—छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)–हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९४—छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९५—जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९६—जगदीशप्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)–सम्भल (पश्चिम)
९७—जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९८—जगनप्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९९—जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
१००—जगन्नाथबख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
१०१—जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१०२—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर-पूर्व)–बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०३—जगपति सिंह, श्री	..	मऊ-करवी–बबेरू (पूर्व)
१०४—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०५—जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)–हसनगंज
१०६—जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)–सहारनपुर (उत्तर)
१०७—जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०८—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०९—जवाहरलाल, श्री	..	करछना (उत्तर)–चायल (दक्षिण)
११०—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१११—जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
११२—जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा–कुलपहाड़-चरखारी
११३—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (दक्षिण)
११४—झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११५—टीकाराम, श्री	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११६—डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११७—डालचन्द, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११८—तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११९—तुलसीराम, श्री	..	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
१२०—तुलाराम, श्री	..	औरैया–भरथना (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२१—तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२२—तेजप्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२३—तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२४—तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२५—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२६—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर-भोगिनीपुर (पूर्व)
१२७—दर्शन राम, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२८—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२९—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१३०—दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१३१—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३२—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३३—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३४—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
*१३५—दीवान सुन्दर दास, श्री	..	कैसरगंज (उत्तर)
१३६—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३७—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलंदशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१३८—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३९—देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१४०—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१४१—देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१४२—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४३—द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	..	मरियाहूं (उत्तर)
१४४—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४५—धनुषधारी पाण्डेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४६—धर्मसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण)
१४७—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४८—नत्थूसिंह, श्री	..	आंवला (पूर्व)-फरीदपुर
१४९—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१५०—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमी दून-(दक्षिण)-पूर्वीय दून
१५१—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
१५२—नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५३—नवलकिशोर, श्री	..	आंवला (पश्चिम)
१५४—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५५—नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
१५६—नारायण दत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५७—नारायणदास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५८—नारायणदीन वाल्मीकि, श्री	..	पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१५९—निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)-बीसलपुर (पश्चिम)
१६०—नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६१—नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)-कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१६२—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज

* ४ मई, १९५४ को निर्वाचित।

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६३—पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६४—परमानन्द सिन्हा, श्री	..	सोरावं (दक्षिण)
१६५—परमेश्वरीराम, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
१६६—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	..	महाराजगंज (उत्तर)
१६७—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६८—पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६९—पुत्तूलाल, श्री	..	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१७०—पुद्दनराम, श्री	..	बांसी (उत्तर)
१७१—पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री	..	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७२—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	हापुड़ (उत्तर)
१७३—प्रतिपाल सिंह, श्री	..	शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७४—प्रभाकर शुक्ल, श्री	..	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७५—प्रभुदयाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
१७६—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	..	पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७७—फजलुल हक़, श्री	..	रामपुर नगर
१७८—फतेह सिंह राणा, श्री	..	सरधना (पश्चिम)
१७९—फूलसिंह, श्री	..	देवबन्द
१८०—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	..	सलीमपुर (दक्षिण)
१८१—बनारसीदास, श्री	..	बुलन्दशहर (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह, श्री	..	बनारस (मध्य)
१८३—बलदेव सिंह आर्य, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८४—बलवीर सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८५—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
१८६—बलवन्त सिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८७—बशीर अहमद हकीम, श्री	..	सीतापुर (पूर्व)
१८८—बसन्तलाल, श्री	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८९—बसन्तलाल शर्मा, श्री	..	नानपारा (उत्तर)
१९०—बाबूनन्दन, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
१९१—बाबूराम गुप्त, श्री	..	कासगंज (पश्चिम)
१९२—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	रामसनेहीघाट
१९३—बाबूलाल मित्तल, श्री	..	आगरा नगर (उत्तर)
१९४—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	..	टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९५—बिशम्भर सिंह, श्री	..	सरधना (पूर्व)
१९६—बेचनराम, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९७—बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९८—बेनीसिंह, श्री	..	कानपुर तहसील
१९९—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	..	बांसडीह (मध्य)
२००—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर नगर (दक्षिण)
२०१—भगवतीदीन तिवारी, श्री	..	जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०२—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०३—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०४—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)
२०५—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
२०६—भगवान सहाय, श्री	..	तिलहर (दक्षिण)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२०७—भीमसेन, श्री .	खुरजा
२०८—भुवरजी, श्री .	फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०९—भूपाल सिंह खाती, श्री .	अल्मोड़ा (उत्तर)
२१०—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री .	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२११—भोला सिंह यादव, श्री .	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१२—मकसूद आलम खां, श्री .	पीलीभीत (पश्चिम)
२१३—मंगला प्रसाद, श्री .	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१४—मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री .	फर्रुखाबाद (पश्चिम)-छिबरामऊ
२१५—मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री .	बांसी (उत्तर)
२१६—मदनगोपाल वैद्य, श्री .	फैजाबाद (पूर्व)
२१७—मदनगोपाल उपाध्याय, श्री .	रानीखेत (उत्तर)
२१८—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री .	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१९—मलखान सिंह, श्री .	कोइल (मध्य)
२२०—महमूद अली खां, श्री .	सुमर-टांडा-बिलासपुर
२२१—महमूद अली खां, श्री .	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़ (उत्तर)
२२२—महाजन, श्री सी० वी० .	आगरा नगर (पश्चिम)
२२३—महादेव प्रसाद, श्री .	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२४—महाराज सिंह, श्री .	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२५—महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री .	हंडिया (दक्षिण)
२२६—महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री .	मोहनलालगंज
२२७—महाबीर सिंह, श्री ..	हाटा (उत्तर)
२२८—महीलाल, श्री ..	बिलारी
२२९—मान्धाता सिंह, श्री ..	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२३०—मिजाजी लाल, श्री ..	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
२३१—मिहरबान सिंह, श्री ..	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)।
२३२—मुजफ्फर हुसन, श्री ..	चायल (उत्तर)
२३३—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री ..	पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३४—मुन्नूलाल, श्री ..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३५—मुरलीधर कुरील, श्री ..	बिल्हौर-अकबरपुर
२३६—मुश्ताक अली खां, श्री ..	सहसवान (पश्चिम)
२३७—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री ..	डुमरियागंज (दक्षिण)।
२३८—मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री ..	बिजनौर (उत्तर)-नजीबाबाद (पश्चिम)
२३९—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री ..	बनारस नगर (उत्तर)
२४०—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज ..	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४१—मुहम्मद तकी हादी, श्री ..	अमरोहा (पश्चिम)
२४२—मुहम्मद नबी, श्री ..	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२४३—मुहम्मद नसीर, श्री ..	टांडा
२४४—मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री ..	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४५—मुहम्मद मंजूरुलनबी, श्री ..	सहारनपुर नगर
२४६—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री ..	मछलीशहर (दक्षिण)
२४७—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री ..	उतरौला (मध्य)
२४८—मुहम्मद सआवत अली खां, राजा	नानपारा (दक्षिण)
२४९—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री ..	डुमरिया गंज (उत्तर-पूर्व)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२५०—मोहन लाल, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५१—मोहन लाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५२—मोहन सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५३—मोहन सिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५४—यमुना प्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५५—यमुना सिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५६—यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५७—रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२५८—रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५९—रघुबीर सिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२६०—रणंजय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२६१—रतनलाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)
२६२—रमानाथ खैरा, श्री	..	महरौनी
२६३—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मरियाहूं (दक्षिण)
२६४—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६५—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६६—राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६७—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६८—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६९—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२७०—राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)-देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)
२७१—राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)-कोईल (पूर्व)
२७२—राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)-कुन्डा (उत्तर)
२७३—राजाराम मिश्र, श्री	..	फैजाबाद (पश्चिम)
२७४—राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७५—राजेन्द्र दत्त, श्री	..	मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७६—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७७—राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७८—राम अधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चि
२७९—रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२८०—रामअनन्त पांडेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२८१—राम अवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२८२—रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी (उत्तर-पश्चिम
२८३—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८४—रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८५—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८६—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८७—रामचरनलाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
२८८—रामजी लाल सहायक, श्री	..	मवाना
२८९—रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९०—रामदास आर्य, श्री	..	बुढाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२९१—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९२—राम दुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९३—रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२९४—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९५—रामप्रसाद, श्री	..	राय बरेली—डलमऊ (उत्तर)
२९६—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९७—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महराजगंज (दक्षिण)
२९९—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व)
३००—रामभजन, श्री	..	मोहमदी (पश्चिम)
३०१—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०२—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०३—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०४—रामलखन, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०५—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०६—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०७—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३०८—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३०९—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३१०—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरू (पश्चिम)
३११—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोठा मोठ (उत्तर)
३१२—रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१३—रामसुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१४—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१५—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१६—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३१७—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुंडा (दक्षिण)
३१९—रामस्वरूप मिश्र, "विशारद", श्री		महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३२१—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२२—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महराजगंज (पश्चिम)
३२३—रामेश्वर लाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२५—लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
३२६—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण पूर्व)
३२७—लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	..	मात-सादाबाद (पश्चिम)
३२८—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२९—लताफ़त हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३३०—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
३३१—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३३२—लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)
३३३—लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३४—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३५—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३६—वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३३७—वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३८—वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३३९—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४०—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४१—विजय शंकर प्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४२—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व) अलीगढ़ (पश्चिम) कासगंज-(दक्षिण)
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विश्राम राय, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३४५—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	..	जसराना
३४६—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	मवाना
३४७—वीरसेन, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३४८—वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री	..	बिलग्राम (पश्चिम)
३४९—वीरेंद्रपति यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३५०—वीरेंद्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३५१—वीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३५२—वीरेंद्रशाह, राजा	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
३५३—व्रजभूषण मिश्र, श्री	..	दूधी-राबर्टसगंज
३५४—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर-अकबरपुर
३५५—व्रजवासी लाल, श्री	..	बीकापुर (मध्य)
३५६—व्रजबिहारी मिश्र, श्री	..	फूलपुर (उत्तर)
३५७—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५८—शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५९—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३६०—शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६१—शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३६२—शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण)—धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६३—शिवदान सिंह, श्री	..	इगलास
३६४—शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६५—शिवनारायण, श्री		हरैया (पूर्व)-बस्ती-(पश्चिम)
३६६—शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६७—शिवप्रसाद, श्री		हाटा (मध्य)
३६८—शिवमंगल सिंह, श्री		बांसडीह (पश्चिम)
३६९—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)
३७०—शिवराजअली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)—फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७१—शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३७२—शिवराम पांडेय, श्री		डोरापुर (उत्तर)
३७३—शिवराम राय, श्री	..	सदर (आजमगढ़—उत्तर)
३७४—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री		करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
३७५—शिववचन राव, श्री		सलीमपुर (उत्तर)
३७६—शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री		बहराइच (पूर्व)
३७७—शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७८—शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महराजगंज (दक्षिण)
३७९—शुगन चन्द्र, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
३८०—श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३८१—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८२—श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री		नरैनी
३८३—श्रीचन्द, श्री	..	बुढाना (पश्चिम)
३८४—श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८५—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
३८६—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर)
३८७—श्रीनिवास पंडित, श्री	..	बदायूं (उत्तर)
३८८—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८९—सईद जहांमखफी शेरवानी, श्रीमती		कासगंज (पूर्व)–अलीगंज (उत्तर)
३९०—संग्राम सिंह	..	सोरों (उत्तर)–फूलपुर (पश्चिम)
३९१—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री		सलीमपुर (पूर्व)
३९२—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९३—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरैया-भरथना (दक्षिण)
३९४—सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९५—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती		बरेली (पूर्व)
३९६—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९७—सहदेव सिंह, श्री	..	जलेसर (एटा) (उत्तर)
३९८—सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९९—सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य)–कायमगंज (पूर्व)
४००—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
४०१—सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०२—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण-पश्चिम)
४०३—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
४०४—सुन्दरलाल, श्री	..	आओंला (पूर्व)–फरीदपुर
४०५—सुरजूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०६—सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०७—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवा-सिधौली (पूर्व)
४०८—सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४०९—सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४१०—सूर्य्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४११—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)–हसनगंज
४१२—हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
४१३—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१४—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
४१५—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)
४१६—हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१७—हरखयाल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४१८—हरगोविन्द पंत, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४१९—हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४२०—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४२१—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२२—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२३—हरिप्रसाद, श्री	..	बिसलपुर (मध्य)
४२४—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४२५—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२६—हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२७—हुकुम सिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४२८—हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री	..	करछना (उत्तर)—चैल (दक्षिण)
४२९—होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)
४३०—(रिक्त)	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
४३१—(रिक्त)	..	सिराथू-मंझनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल०, एस-सी०।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम, एल-एल० बी०।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०।

श्री भोलादत्त उपाध्याय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री

उपस्थित सदस्यों की सूची

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री

मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद , श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री

हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बनारस जिले के शिकमी काश्तकारों की बेदखली

*१—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बनारस के शिकमी काश्तकारों को बेदखल होने से बचाने तथा जबरन बेदखल किये गये लोगों को जमीन वापस दिलाने के लिये वह कोई विधेयक वर्तमान सेशन में प्रस्तुत करने जा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई विधेयक अगले सेशन में लाने का वे विचार कर रहे हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि जिले के विधान सभा के सदस्यों ने माननीय राजस्व मंत्री से वहां के शिकमी काश्तकारों की बेदखली के संबंध में कोई मांग की है कि ऐसा कानून बनाया जाय ?

श्री चरण सिंह—यह तो मुझको याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मांग की या नहीं की परन्तु गवर्नमेंट ने इस प्रश्न पर विचार किया है। लैंड रेवेन्यू सप्लीमेंटरी ऐक्ट, १३५९ फसली से लागू होने वाला था लेकिन अब १३६१ फसली है। यदि अब ऐक्ट को लागू करें तो अफसरों को दो साल के पहले के कब्जे के बारे में जिसके बारे में कोई तहरीरी सबूत नहीं है मालूम करने में दिक्कत है इसलिये लागू नहीं किया गया है। इसीलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है कि इसके संबंध में इन्दराज हो जाय और जब उसके मुताबिक इन्दराज हो जायगा तो लैन्ड रेवेन्यू सप्लीमेंटरी ऐक्ट लागू करना जरूरी नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि लैंड रेवेन्यू सप्लीमेंटरी ऐक्ट बनारस में लागू नहीं है ?

श्री चरण सिंह—बनारस स्टेट के किसी भी गांव में लागू नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि सरकार जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम या इसी से संलग्न इस संबंध में कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह—बनारस स्टेट के उस इलाके में जहां सरकार की जमींदारी थी वहां जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। वह कठिनाइयां अब दूर हो गई हैं और बहुत जल्द ही वह कानून लागू हो जायगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास सूचना है कि बनारस में जबरन कितनी बेदखली हुई है ?

श्री चरण सिंह—जबरन तो बहुत से काम दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन कोई बनारस में समस्या के तौर पर हुई है ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि ५९ फसली में जिन किसानों के नाम में कबजा दर्ज हो गया वह ६० से अब तक बेदखल किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—इसका मुझको कोई इल्म नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में वे अब जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू करने का विचार कर रहे हैं उसके लागू हो जाने के बाद यह जो बेदखलियां हो रही हैं वे रुक जायेंगी ?

श्री चरण सिंह—जो शिकमियों के सिलसिले में कानून में प्राविजन्स हैं वे वहां भी लागू हो जायेंगे।

भूमि सम्बन्धित समस्त नियमों तथा आदेशों के संहित प्रकाशन की आवश्यकता

*२—श्री गेंदा सिंह—क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, उसकी नियमावली तथा इससे संबंधित आदेशों को जो अब तक प्रचलित हुये हैं एक पुस्तक के रूप में करके सरकार प्रकाशित करने जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी नहीं। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को इसका पता है कि साधारण कानून जानने वालों को इस वजह से बड़ी कठिनाई हो रही है कि रेवेन्यू संबंधी कानून बहुत से हैं और वे ऐसे हो गये हैं जिन्हें वे एक साथ नहीं जान सकते ?

श्री चरण सिंह—जी, जिसे कानून कहना चाहिये वह तो केवल एक संशोधन जमींदारी अबालिशन का हुआ है। हां, नियमों में बहुत सी तरमीमें हुई हैं। जो नियमावली छपी हुई हैं उन सबका एक कंसालिडेटेड एडीशन छप रहा है वह बहुत जल्द शाया होने वाला है। इसके अलावा गांवों के लोगों से ताल्लुक रखने वाले और उनकी जानकारी के लिये जो नियम हैं वे सब गांव समाज मैनुअल में दिये हुये हैं और वह छप चुकी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि माननीय राजस्व मंत्री जी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० में दूसरा अमेंडिंग बिल ला रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां, इस पर विचार हो रहा है।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सच है कि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हो जाने के बाद उसमें ११ मरतबा संशोधन हो चुके हैं ?

श्री चरण सिंह—मुझे नम्बर तो याद नहीं है लेकिन अगर ११ मर्तबा तरमीम हुई भी हो तो भी कोई ज्यादा नहीं है।

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में गोमती की बाढ़ से क्षति

*१—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या यह सच है कि गत तारीख २४, २५ अगस्त सन् १९५३ को जौनपुर में गोमती नदी में बाढ़ आई थी और उसके कारण बहुत से व्यक्तियों को घर द्वार छोड़ना पड़ा ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रबन्ध किया ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, सरकार ने इस संबंध में जो कार्यवाही की वह इस प्रकार है---

(१) जिन लोगों के घरों में पानी आ गया था उन्हें सुरक्षित स्थान पर हटाया गया। इस कार्य के लिये ट्रकों तथा नावों का प्रबन्ध किया गया।

(२) जौनपुर नगर में ११ सहायता केन्द्र खोले गये, जहां गरीबों को मुफ्त भोजन दिया गया।

(३) देहाती क्षेत्र में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाने में मदद की गई तथा जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज आदि दिया गया।

(४) स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयां बांटी गईं जिससे बीमारी को रोका जा सका।

(५) पुलिस ने खाली मकानों की देख भाल की।

(६) पीड़ित क्षेत्र में २४ ए० [illegible] खोली गईं और सस्ते गल्ले का प्रबन्ध किया गया।

(७) पशुओं के चारे की कमी को दूर करने के लिये बाहर से भूसा मंगाया गया और क्रय मूल्य पर किसानों को दिया गया।

(८) रबी के बीजों के लिये तकावी बांटी गई।

(९) गिरे मकानों को पुनः बनाने के लिये तकावी तथा मुफ्त सहायता दी गई।

*२---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर नगरपालिका के अन्दर कितने मकानों को क्षति पहुंची और उसमें कितने सरकारी मकान थे?

श्री जगन प्रसाद रावत---जौनपुर नगरपालिका में कुल १४ मकानों को क्षति पहुंची, जिनमें ५ मकानों को अधिक क्षति पहुंची। सरकारी मकान इनमें केवल १ था। पुरातत्व विभाग की १ गुमटी जो गोमती पुल पर स्थित थी।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में बाढ़ की वजह से गोमती का पुल बड़ी खतरनाक हालत में पड़ा हुआ है, उसके लिये सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है?

श्री चरण सिंह---मैं इसका एकदम जवाब देने में असमर्थ हूं। नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में अभी तक कुछ लोगों को सरकारी सहायता नहीं मिली है?

श्री चरण सिंह---मुझे इसका पता नहीं है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो अनुदान हेतु सहायता तथा तकावी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सरकार द्वारा दी गई थी वह सब बांट दी गई है या अभी बाकी है?

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं कि वह बांटी जा चुकी होगी लेकिन अगर कहीं जरूरत नहीं होगी तो मुमकिन है कि कुछ रुपया बचा हुआ हो। आपकी इजाजत से मैं इतना और अर्ज कर देना चाहता हूं कि पहले भी माननीय मित्र ने इस तरह से प्रश्न किये थे और उनका तफसील में जवाब दिया गया था। एक तो बाढ़ के लिये ही उनको मेहनत करनी पड़ती है लेकिन जिस तरह से यह सवालात पूछे जाते हैं उसमें और भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि जितना अच्छा हल मौके पर जाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से हो सकता है

उतना यहां से सवाल पूछने पर नहीं हो सकता है। वैसे उनको हक है और वह सवाल पूछ सकते है लेकिन मेरी यह सिर्फ दरख्वास्त है, मै उनसे शिकायत नहीं कर रहा हूं।

तराई स्टेट फार्म के सम्बन्ध में पूछताछ

*३—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई स्टेट फार्म में कुल कितनी यांत्रिक मशीनें हैं और उनमें से कितनी कार्य कर रही है तथा कितनी बेकार हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म में कुल ८१ यांत्रिक मशीनें हैं, इसमें से ५८ काम कर रही हैं तथा २३ मरम्मत के लिये कारखाने गई हुई है। बेकार मशीन यहां कोई नहीं है।

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई स्टेट फार्म में कुल कितने कर्मचारी किस पद पर कार्य करते हैं और उन्हें क्या-क्या वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें दी जाती है?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म में कुल २१९ कर्मचारी कार्य करते हैं। इनके पद तथा वेतन-क्रम संलग्न सूची में दिये हैं। उन्हें सामान्य भत्ता तथा वेतन का २० प्रतिशत तराई भत्ते के रूप में दिया जाता है। रहने के लिये उन्हें बिना किराये के मकान भी दिये जाते हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४ पर)

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि स्टेट फार्म की पिछले ४ वर्षों में कुल कितनी आमदनी और कितना खर्चा रहा?

श्री जगन प्रसाद रावत—पिछले ४ वर्षों की आमदनी तथा खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आमदनी	खर्च	लाभ
१९४९–५०	२७,६९,२०४	२६,६२,०२८	१,०७,१७६
१९५०–५१	३८,१४,४९९	३०,२१,७८२	७,९२,७१७
१९५१–५२	४७,७६,०६२	४४,२६,१७८	३,४९,८८४
१९५२–५३	५०,३१,५८०	४७,३३,११२	२,९८,४६८
योग ..	१,६३,९१,३४५	१,४८,४३,१००	१५,४८,२४५

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ८१ यांत्रिक मशीनों में से कितने ट्रैक्टर्स हैं, कितने बुल डोजर्स हैं और कितने हारवेस्टर्स हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—यांत्रिक मशीनों में ८१ ट्रैक्टर्स हैं और यांत्रिक मशीनों का जो उत्तर दिया गया है उसका संबंध टैक्टर्स से है। उसके अलावा १८ कम्बाइन्स तथा २४ वेहिकिल्स हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यांत्रिक मशीनों में उन्होंने ट्रैक्टर ही केवल शामिल किये हैं तथा उसके अलावा आपके कितने हारवेस्टर्स बेकार हैं और कितने काम कर रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—बेकार कोई नहीं है। सब काम कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि तराई स्टेट फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों में से बहुत से कर्मचारी अभी तक अस्थायी हैं और उन्हें छुट्टियों की सहूलियतें ठीक से नहीं हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह सही है कि उनमें से बहुत से अस्थायी हैं। लेकिन यह सही नहीं है कि उन्हें छुट्टियों की सहूलियतें नहीं हैं। जो कर्मचारी अस्थायी होते हैं उन्हें जिन नियमों से छुट्टियां दी जाती हैं उन्हीं नियमों से उन्हें भी छुट्टियां जाती हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि तराई स्टेट फार्म का कुल कितना एकरेज है। क्या यह तमाम भूमि अन्डर कल्टीवेशन आ चुकी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म का कुल क्षेत्रफल लगभग १६,५०० एकड़ है इसमें से १० हजार के लगभग काश्त होती है और तीन हजार के लगभग ग्रास बेल्ट है जो जंगल से लगी हुई है और बाकी में कई बगीचे हैं और कुछ जमीन बिल्डिंग वगैरह में लगी हुई है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस फार्म में पानी की क्या सुविधा है, सिंचाई की क्या सुविधा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—दो प्रकार से इस क्षेत्र में पानी दिया जाता है, कुछ तो नहरें हैं, कुछ ट्यूबवेल्स हैं उनके द्वारा सिंचाई होती है।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो २३ मशीनें कारखाने में भेजी गई वे कब भेजी गईं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ये तारीखें तो मेरे पास नहीं हैं कि कब भेजी गईं। लेकिन जब खराब हो जाती हैं तो वे कारखाने में मरम्मत के लिये भेज दी जाती हैं। यह भी मैं माननीय सदस्यों को सूचना के तौर पर बता दूं कि उनमें से अधिकतर मशीनें ऐसी हैं जो इन पांच वर्ष के अन्दर जो उनका साधारण जीवन होता है उससे अधिक काम कर चुकी हैं और मरम्मत करके उनके कार्यकाल को हम बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कारण बतलायेगी कि पिछले तीन वर्षों में लगातार खर्चा क्यों बढ़ता चला जा रहा है और लाभ क्यों कम होता चला जा रहा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई स्टेट फार्म में खर्चा और लाभ दोनों अनुपात से ही करीब-करीब बढ़ रहे हैं। बीच में एक स्थान पर १९५०-५१ में जो यह बताया गया है कि ७,५२,७१७ का फायदा था और १९५१-५२ में एकदम से ३,४६,८८४ का रह गया, इसका एक कारण तो यह है कि १९५०-५१ में जो जमीन जोती गई उसका क्षेत्रफल लगभग १३ हजार एकड़ के था लेकिन वह जमीन जोतने के बाद जो वहां का कालोनाइजेशन डिपार्टमेन्ट है उसमें जो लोग बसाये गये हैं उनको करीब-करीब ६ हजार एकड़ जमीन दे दी गई है। इसलिये १९५१-५२ में जोत का रक़बा करीब ७ हजार एकड़ के रह गया जिसकी वजह से लाभ कम हुआ है। इसके अलावा माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि पिछले तीन चार वर्षों में तराई में पानी की काफी कमी रही, सूखा पड़ा और गन्ने का दाम भी जो १ रु० १२ आ० था वह १ रु० ५ आ० रह गया और चूहों से भी नुकसान हुआ जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने प्रश्न भी पूछे और बजट में भी उसकी चर्चा की। तो इन कारणों से लाभ में कमी हुई और खर्च जो था वह ज्यों का त्यों रहा।

मड़ियाहूं तहसील में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता

*६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील के अन्तर्गत रामपुर बाजार तथा मड़ियाहूं कस्बे के अन्दर पशु चिकित्सा लय खुलने वाला है? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरण सिंह—आर्थिक कठिनाइयों और पशु चिकित्सकों की कमी के कारण कुछ समय तक नये पशु चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

*७—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहू तहसील के नेवढ़िया बाजार सरसरा बड़ेटी में पशुओं के रोग दूर करने के लिये स्टाकमैन रक्खे जाने वाले हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरण सिंह—जी हां। इसक प्रबन्ध किया जा रहा है।

देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल में पानी भर जाने से खेती को हानि

*८—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भाटपार रानी N. E. R. स्टेशन (जिला देवरिया) के उत्तर बेलपार पंडित के ताल में पानी घिर जाने से कितने एकड़ खेती को क्षति हो रही है?

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल में गत वर्षा ऋतु में पानी भर जाने से लगभग १५० एकड़ खेती को हानि हुई।

*९—श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि अभी भी वहां मीलों लम्बा और करीब ६ फर्लांग चौड़ा पानी घिरा हुआ है?

श्री चरण सिंह—वहां लगभग ६ फर्लांग लम्बे और ४ फर्लांग चौड़े घेरे में पानी घिरा हुआ था।

*१०—श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या नाला बनवाकर इस पानी को निकालने की व्यवस्था सरकार कर रही है?

श्री चरण सिंह—जी हां, एक ऐसे नाले के बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे ताल का पानी निकाला जा सके।

भूदान यज्ञ में दी गयी भूमि

*११—श्री झारखंडे राय—क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश से जिलावार श्री विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में कुल कितनी कितनी जमीन दान में मिली है?

श्री जगन प्रसाद रावत—अल्मोड़ा गढ़वाल, और टेहरी-गढ़वाल जिलों को छोड़कर अन्य ४८ जिलों में कुल मिला कर २,५५,८६८.२४ एकड़ भूमि ३१ दिसम्बर, १९५३ ई० तक भूदान यज्ञ में दान की गई। जिलेवार सूचना एक सूची में दे दी गई है जो मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७५-७६ पर।)

*१२—श्री झारखंडे राय—क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि कितने परिवार वालों को जिलावार, उस जमीन का बटवारा हो चुका है?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसमें से ३१ दिसम्बर, १९५३ ई० तक कुल २३,९६९.९३ एकड़ भूमि का ६,४९७ परिवार वालों को बटवारा हुआ है। जिलेवार सूचना एक सूची में दे दी गई है, जो मेज पर रख दी गई है।

[देखिये नत्थी 'ख (१)' आगे पृष्ठ ७७-७८ पर]

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि उस दान में दी हुई बहुत सी जमीनें झगड़े की हैं और बहुत सी परती, बंजर या दूसरे सार्वजनिक उपयोग की जमीनें हैं? अगर हां, तो उसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है या करना चाहती है?

श्री चरण सिंह--यह ठीक है कि कुछ जमीन ऐसी हो सकती है कि जो सार्वजनिक उपभोग की हो और कुछ ऐसी भी हो सकती है जिस पर विवाद चल रहा हो। तो जिनके बारे में विवाद चल रहा है उनका अंतिम निर्णय कोर्ट से हो जायगा और उसके मुताबिक यह जमीन मिलेगी। जो सार्वजनिक उपभोग की जमीन है उसके लिये भू-दान यज्ञ ऐक्ट मे एक धारा दी हुई है कि उसका दान नाजायज़ माना जायगा।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो जमीन अभी बांटी नहीं गई है वह कब तक बांट दी जायगी?

श्री चरण सिंह--जमीन बांटने की कोई जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, इसलिये कोई इसकी बाबत जवाब भी नहीं दिया जा सकता। उसके लिये एक कमेटी बनी हुई है। यथा सुविधा वह उसको तक़सीम कर देगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आयी हैं कि भूदान ऐक्ट के अनुसार जो अधिकारियों को जमीन का प्रख्यापन करना चाहिये उसमें बहुत देरी हो रही है?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। अगर इस सप्लीमेंटरी को मैं शिकायत मान लूं तो इसके अलावा और कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूदान समिति से सरकार का कोई संबंध है?

श्री चरण सिंह--सरकार ने तथा इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो कानून बनाया है उसके मातहत वह समिति बनाई गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि कालोनाइजेशन और खाम क्षेत्र में जो काश्तकार जमीन दान में देना चाहते हैं उसमें नियम जो खाम क्षेत्र के बने हैं वहां पर भूदान ऐक्ट लागू नहीं हो पाता और न वह जमीन दे पायेंगे?

श्री अध्यक्ष--यह माननीय सदस्य को स्वयं मालूम होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह बात सही है कि खाम और कोलोनाजेइशन क्षेत्र में जो सरकारी नियम है उनके कारण भूदान में जमीन नहीं दी जा सकती?

श्री चरण सिंह--सरकार की जमीन तो दी नहीं जा सकती है और सरकार से जिन शर्तों पर जमीन ली है उसके विपरीत यदि कोई कार्यवाही की जाय तो वह नहीं की जा सकती है। बाकी जो प्रश्न है उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन भूदान समिति द्वारा बांटी जाती है वह किस हिसाब से बांटी जाती है?

श्री अध्यक्ष---जवाब दिया जा चुका है कि सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--यह जो दान में जमीन मिली है इसका इन्दराज सरकारी कागजात में हो चुका है?

श्री चरण सिंह---जो कानून बना है उसके मुताबिक इंदराज हो जाना चाहिये और यदि कहीं नहीं हुआ है और माननीय सदस्य यदि नोटिस में लायेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इंदराज हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार राजस्थान सरकार की तरह भूदान में जमीन देनेवाली है?

श्री चरण सिंह---जो आचार्य विनोबा जी का उसूल है उसके मुताबिक दफा ९८ के मातहत गांव सभाओं को अधिकार दे दिया है कि वह जमीन वितरण कर दें, जिनके पास जमीन है वह चाहें तो सारी जमीन भूदान में दे दें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत से स्थानों पर भूमिहीनों को जमीन न देकर दूसरों को दे दी हैं। यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री चरण सिंह---यदि नियम विरुद्ध जमीन दे दी है तो उसके अनुकूल कार्यवाही की जा सकती है और वह तकसीम नाजायज है। यदि कहीं ऐसा हुआ है तो वह नाजायज करार दे दी जायगी।

*१३-१५---श्री राम सुन्दर पांडेय---[२५ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१६-१७---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--- [३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को बदलने के लिए सुझाव

*१८---श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलाधीशों ने फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को एक दूसरे से बदलने के लिये कोई सुझाव भेजे हैं? यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां, सरकार के सामने फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को एक दूसरे से बदलने के निम्नलिखित सुझाव थे :---

(१) बन्दीपुर क्षेत्र को फैजाबाद से निकालकर आजमगढ़ में मिला दिया जाय।

(२) जमुआरी क्षेत्र को आजमगढ़ से निकाल कर फैजाबाद से मिला दिया जाय।

(३) फैजाबाद से ९ गांव निकाल कर आजमगढ़ में तथा २ गांव आजमगढ़ से निकाल कर फैजाबाद में मिला दिये जायं।

*१६—श्री राम नारायण त्रिपाठी—सरकार उन सुझावों में किन-किन को स्वीकार कर रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत—सरकार ने उक्त प्रस्तावों में से प्रथम दो को तो अस्वीकार कर दिया है और तीसरे को स्वीकार कर लिया है। इस विषय में एक विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७६ पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बंधीपुर क्षेत्र को फैजाबाद में मिला देने के सम्बन्ध में जिलाधीशों के पत्रों का सम्बन्धित उद्धरण पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—(माल मंत्री से) आप उसको कृपा करके संक्षेप में पढ़ें। अगर बहुत देर उसे ढूंढ़ने में होती हो तो रहने दें।

श्री चरण सिंह—जी नहीं। बहुत देर तो नहीं है। लेकिन इसकी चार फाइलें थीं। तीन तो मैंने अलग कर दी थीं। चौथे में उनका १६ नम्बर का खत है जो कि बहुत लम्बा है। उसमें इसके वजूहात दिये हैं कि किस वजह से बंधीपुर एरिया को आजमगढ़ में मिलाना वहां के लोगों की सुविधा के अनुकूल न होगा बल्कि उसके विपरीत पड़ेगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या जिलाधीशों ने यह भी लिखा है कि अगर किसी वजह से बंधीपुर क्षेत्र, आजमगढ़ में मिलाया जा सके तो जलालपुर-तिगड़ा रोड को ठीक कराना अनिवार्य है ताकि लोगों को मुनासिब सुविधा मिल सके?

श्री चरण सिंह—जी हां। जलालपुर से जो स्थान आपने बतलाया उसके लिये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन रामगढ़ तक जो सड़क है उसके लिये उन्होंने पोख्ता करने के लिये कहा है और माल विभाग की तरफ से पी० डब्ल्यू० डी० से दरख्वास्त की गई है कि यथासंभव शीघ्र वह उसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लें।

हरदोई जिले से भूमि व्यवस्था सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*२०—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि हरदोई जिले की विभिन्न तहसीलों से जिलाधीश या हाकिम तहसील के यहां उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ के अनुसार कितनी-कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—१५ मार्च, १९५४ तक	तहसील हरदोई से	..	४७
,,	तहसील शाहाबाद से	..	२१०
,,	तहसील संडीला से	..	६४
,,	तहसील बिलग्राम से	..	२४०

जौनपुर जिले में कलेक्शन विभाग के कर्मचारी

*२१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कलेक्शन विभाग में कुछ कितने कर्मचारी विभिन्न पदों में हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—जौनपुर जिले में सम्मिलित संग्रह योजना में कुल १७१ कर्मचारी है जिनमें से ७ नायब तहसीलदार, १० सहायक वासिल बाकी नवीस, ७४ अमीन, १ ट्रेजरी क्लर्क, ५ तहवीलदार और ७४ चपरासी हैं, किन्तु कुछ और पदो के मंजूर होने से अब कुल कर्मचारियों की संख्या २०८ हो जावेगी जिनमें से ९ नायब तहसीलदार, १३ सहायक वासिल बाकी नवीस, ९० अमीन, १ ट्रेजरी क्लर्क, ५ तहवीलदार तथा ९० चपरासी होंगे।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये जो कर्मचारी रखे गये है, उनमें से कितनी जगहें स्थायी हैं और कितनी अस्थायी?

श्री चरण सिंह—जगहे सब अस्थायी है। केवल फर्क इतना है कि ये जो रखे जा रहे हैं ये अब १२ महीने काम करेंगे। पहले जो थे वह ६-६ महीने काम करते थे, एक-एक फसल में।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो और जगहो के लिये आर्डर भेजा गया है उसके साथ-साथ यह भी ख्याल किया गया है कि हरिजनों और और पिछड़ी जाति की सुरक्षित सीटों को पूरा करने की कोशिश की जाय?

श्री चरण सिंह—आपकी इजाजत से मैं यह कह दूं कि इस सवाल का जवाब देना मै गैर जरूरी समझता हूं क्योंकि वह आर्डर सबके लिये पहले ही हो चुका है। बार-बार उसी बात का जिक्र करना उचित नहीं है।

गाजीपुर कलक्टरी मे विचाराधीन मुकदमे

*२२—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर कलेक्टरी में १ जनवरी, १९५३ को माल व फौजदारी के कितने मुकदमे विचाराधीन थे?

*२३—१ जनवरी, ५३ से ३१ दिसम्बर, ५३ तक कितने माल व फौजदारी के अलग-अलग नये मुकदमें दाखिल हुये?

*२४—१ जनवरी, ५४ को कितने मुकदमें माल व फौजदारी के विचाराधीन थे?

श्री जगन प्रसाद रावत—

		माल	फौजदारी
२२	..	७,११९	१,३६१
२३	..	१३,७५५	४,१५७
२४	..	४,२६७	१,२८९

श्री यमुना सिंह—क्या जो मुकदमे दाखिल होते हैं उनके फैसले की कोई निश्चित अवधि भी होती है?

श्री चरण सिंह—कोई रिजिड अवधि नहीं होती। यह मुकदमे के ऊपर होता है, मसलन अगर मुकदमा स्टे हो गया तो साल दो साल भी पुराने हो सकते हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ के पहले इस दौरान में कलेक्टरी कचहरी, गाजीपुर की अदालत में कितने मुकदमें दाखिल थे?

श्री चरण सिंह—यह तो सारे जिलों के आंकड़े दिये हैं। वहां आठ दस अदालतें होंगी। तो किस अदालत में कितने मुकदमें थे यह तो मैं नहीं बतला सकता।

*२५–२६—श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)— [३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

बनारस जिले के कसबार राजा परगने में ओले से क्षति

*२७—श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले के कसबार राजा परगने में कितने गांव ओले गिरने के कारण क्षति-ग्रस्त हुये हैं ?

श्री चरण सिंह—कसबार राजा परगने में कुल १०२ ग्रामों को ओले गिरने से हानि पहुंची, जिस में ८७ ग्राम ऐसे हैं जहां क्षति ८ आने या उससे अधिक हुई।

*२८—श्री देवमूर्ति राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षति ग्रस्त ग्रामों के किसानों के लिये कौन-कौन सी सहायतायें देने की सरकार ने व्यवस्था की है?

श्री चरण सिंह—क्षति ग्रस्त ग्रामों को निम्नलिखित सुविधाये दी गई:—

(१) क्षति ग्रस्त क्षेत्र में दो सड़कों पर टेस्ट वर्क खोले गये।

(२) ८ सस्ती गल्ले की दूकाने खोली गई।

(३) १,८०,००० रु० की तकावी बांटी गई जिसमें कुछ रुपया परगना कसवार सरकारी तथा देहात अमानत के भी कुछ ग्रामो में बांटा गया।

(४) असमर्थ तथा असहाय व्यक्तियों को मुफ्त गल्ला दिया गया।

(५) सरकारी नल कूपों से सिंचाई के लिये निःशुल्क जल देने की व्यवस्था की गई।

(६) पशुओं के चारे के लिये १ रु० मन के सस्ते भाव पर पुआल दिये जाने का प्रबन्ध किया गया।

(७) समस्त सरकारी मतालबों की वसूली स्थगित कर दी गयी।

(८) मालगुजारी में नियमानुसार छूट देने के संबंध मे उचित कार्यवाही की जा रही है।

(९) जन स्वास्थ्य एवं पशु रक्षा संबंधी सारे उपाय कार्यान्वित किये गये।

(१०) क्षति ग्रस्त क्षेत्रों में कार्यान्वित होने वाली सार्वजनक योजनाओं की गति में तेजी लाई गई जिससे श्रमिकों को कार्य मिल सके।

(११) कृषकों को गल्ले के बीज दिलाने की व्यवस्था की गई।

जिला नैनीताल की टनकपुर मंडी में प्लाटों का नीलाम

*२९—श्री खुशीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के टनकपुर मंडी में दो-तीन साल के अन्दर नयी बाजार बनाने के लिये लाल इमली पड़ाव के इर्द गिर्द कुछ प्लाटों का नीलाम दुकान वालों में लिये किया गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*३०—श्री खुशीराम—क्या यह सही है कि लालइमली पड़ाव में ३०–४० साल पूर्व से मोची, दर्जी, वगैरह जंगल कटान करके बसे थे जो अब उठाये जा रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—कुछ लोग इस पड़ाव में बसे हुये हैं पर यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि वे कब से हैं। उनके हटाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

*३१—श्री खुशीराम——क्या इस लाल इमली में बसने वाले मोची, दर्जी वगैरह दुकानदारों के लिये कोई जगह तजवीज की गई? यदि हां, तो कहां पर?

श्री जगन प्रसाद रावत--भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने यह अहकमात जारी कर दिये हैं कि जब तक लाल इमली में बसने वाले मोची, दर्जी, वगैरः दुकानदारों को दूसरी जगह बसाने का इन्तजाम न हो जाय उनको इस जगह से न हटाया जाय।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि व्यवस्था कमिश्नर ने जो आज्ञा निकाली है यह कबतक कार्यान्वित की जायगी?

श्री चरण सिंह—इसके कार्यान्वित होने की कोई अवधि नहीं है। जब वह उस वक्त तक हटाये ही नहीं जायेंगे जब तक दूसरी जमीन का इन्तजाम न हो जाय तो कार्यान्वित होने की अवधि का सवाल ही क्या पैदा होता है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन प्लाटों को नीलाम करने वाला अधिकारी या विभाग कौन है?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट स्टेट सुपरिनटेंडेंट के जरिये यह नीलाम हुआ है। या तो उन्होंने खुद किया या अपने किसी मातहत अधिकारी से नीलाम कराया। जिम्मेदारी उनकी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जो लाल इमली पड़ाव में मोची दर्जी बसे हैं उनको इन्हीं खास सुपरिनटेंडेंट ने जमीन अलाट की थी?

श्री चरण सिंह—कोई जमीन अलाट करने का सवाल ही नहीं

श्रमदान सप्ताह में लेखपालों को सड़कों की निशान देही करने की आज्ञा

*३२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान सप्ताह में लेखपालों को अपने अपने हल्के में रह कर डहरों और सड़कों की निशान देही करने की आज्ञा थी?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लेखपालों ने निशानदेही की है उसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगो लोगों को दी है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। यह मुझे को नहीं मालूम है कि रिपोर्ट दी है या नहीं दी है।

झांसी जिले में जंगली गायों व बैलों से फसल को हानि

*३३—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले में जंगली गायें व बैल फसल का बहुत नुकसान करते हैं जिसके कारण किसान लोग बहुत दुखी और परेशान हैं? यदि हां, तो उसने उनके पकड़वाने का क्या प्रबन्ध किया है?

श्री चरण सिंह—यह पता चला है कि झांसी तहसील के कुछ गांवों में जंगली गाय व बैल फसल का नुकसान करते हैं। उनके पकड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अन्न की पैदावार में वृद्धि

*३४--श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्द शहर)--क्या सरकार बतायेगी कि पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश के अन्न की पैदावार में कुल कितनी बढात्तरी हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सरकार के पास केवल मुख्य अन्नों अर्थात् गेहूं, जौ चना, ज्वार, बाजरा, मक्का चावल, सांवां, मटर, महुआ व कोदों के पैदावार के आंकड़े उपलब्ध हैं। उनके अनुसार १९४८-४९ की तुलना में १९५२-५३ वर्ष में अर्थात् ५ वर्ष के उपरान्त प्रदेश के उक्त मुख्य अन्नों की फसलों की कुल पैदावार में लगभग ११,४९,००० टन या १२ प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है।

श्री धर्म सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आंकड़े सरकार ने अन्न में १२ प्रतिशत बढोत्तरी के दिये है वे फार्म से संबंधित है या केवल निजी किसानों से ?

श्री जगन प्रसाद रावत--ये तो सारे सूबे के आंकड़े हैं।

श्री धर्म सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपया करेगी कि पिछले पांच वर्ष में जो अन्न में बढोत्तरी हुई है उसमें कितना खर्चा हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सरकार ने बहुत काफी रुपया व्यय किया है।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो अन्न में वृद्धि हुई है वह एवरेज में कितनी हुई है ?

श्री चरण सिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री झारखंडे राय--क्या यह सही है कि जो पैदावार में वृद्धि हुई है वह नई जमीन बढ़ने से हुई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह सही नहीं है कि जो पैदावार में वृद्धि हुई है वह केवल नई जमीन बढ़ने से ही हुई है।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकारी फार्म्स में किस अनुपात से वृद्धि हुई है ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे उत्पन्न नहीं होता। पूरे प्रान्त के लिये इसमें पूछा गया है।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकारी फार्म्स भी इन आंकड़ों में शामिल है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये जो आंकड़े है वे सारे सूबे के हैं सरकारी फार्म्स भी उनमें सम्मिलित हैं।

जिला मुजफ्फर नगर मे कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकावी

*३५--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला मुजफ्फ़रनगर में सरकार ने कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकावी दी ? यदि हां, तो किस-किसको और कितनी-कितनी ?

श्री चरण सिंह--जिला मुजफ्फ़रनगर में जितनी तकावी ट्रैक्टर के लिये सरकार ने दी है, उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८० पर)

जौनपुर जिले में 'घोड़ा रोशन घास' को नष्ट करने का प्रबन्ध

*३६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले के गड़वारा परगने में पूरा रामसहाय, कोटिला, भुंइधरा और भैंसहा रामपुर के एक बहुत बड़े भाग में 'घोड़ा रोशन' नाम की एक घास बहुत तेजी से फैलती जा रही है और उससे खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां, उक्त स्थानों में 'घोड़ारोशन घास' के फैलने की सूचना शासन को मिली है। इस घास का खेतों की उर्वरा शक्ति पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर अभी तक पूर्ण विवरण सुलभ नहीं हो सका है।

*३७—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार इस घास के संबंध में अनुसंधान करा कर इसके नष्ट करने का प्रबन्ध करेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत—इस घास के संबंध में आवश्यक अनुसंधान कराकर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान कार्य कब तक हो जायगा?

श्री जगन प्रसाद रावत—अनुसंधान कार्य के लिये कोई समय तो नहीं बांधा जा सकता लेकिन प्रयत्न किया जा सकता है कि वे जल्दी ही पता लगा सकें।

कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन का वितरण

*३८—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या यह सही है कि सन् १९५० में कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन के वितरण के लिये बोली बुलाई गई थी?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां।

*३९—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि बोली बोलने वाले कुछ लोगों से रुपया जमा कराया गया था? क्या सरकार उनकी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। एक सूची मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८२ पर)

*४०—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन लोगों को किन आधार पर भूमि एलाट की गयी है?

श्री जगन प्रसाद रावत—जिस भूमि को सन् १९५० में वितरण करने का इरादा और जो नीलाम की गयी है, उसे किसी को एलाट नहीं किया गया।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि सन् ५० से स्टेट के अन्दर कोई भी भूमि किसी को भी एलाट नहीं की गयी है?

श्री चरण सिंह—यह सही नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि जिन लोगों से यह रुपया लिया गया था उन्हें भूमि एलाट नहीं की गयी है, बल्कि और लोगों को की गई है?

श्री चरण सिंह--डिप्टी कमिश्नर न मुकामी सज्जनों की कमेटी बना दी थी और उसने जमीन का एलाटमेंट किया। उसने अपना गज और पैमाना रक्खा हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या खाम स्टेट में जमीनों के वितरण के लिये बोली बोलने की प्रथा अब भी जारी है ?

श्री चरण सिंह--यह आम प्रश्न आप ने पूछा, जो इससे सम्बन्ध नहीं रखता क्योंकि यह इसके नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--उत्तर में यह लिखा है कि बोली बुलाई गई थी।

श्री चरण सिंह--यह तो जमीन एक्वायर की गयी थी और एक्वायर करके नोटिफाइड एरिया में कमेटी बनी और उसने जमीन एलाट की। जो जमीन पहले एक्वायर की गई थी सन् ५० से पहले उसके लिये बोली बुलवाई गयी थी।

खाम स्टेट कोटद्वार तराई व भावर मे किसानों को हिस्सेदार बनाने का विचार

*४१--श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार खाम स्टेट कोटद्वार, तराई व भावर को खत्म करके वहां के किसानों को हिस्सेदार (proprietors) बनाने जा रही है ?

श्री चरण सिंह--सम्प्रति ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आर० टी० ओ० द्वारा रद्द किये जाने वाले मोटर लाइसेन्सों की आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें

*४२--श्री लक्ष्मण राव कदम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आर० टी० ओ० द्वारा रद्द किये जाने वाले मोटर लारियों आदि लाइसेन्सों की आज्ञाओं के विरुद्ध कितनी अपीलें सन् ५२ व कितनी सन् ५३ की स्टेट ट्रांस्पोर्ट अथारिटी के सामने पेश हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्रनारायन शर्मा)--सन् १९५२ में २४६ अपीलें दायर की गयीं जिसमें से ११० पर अन्तिम निर्णय दिये जा चुके हैं और १३६ अभी बाक़ी हैं।

सन् १९५३ में २१२ अपीलें दायर की गई हैं जिनमें से ९७ अपीलों पर अन्तिम निर्णय दिये जा चुके हैं, १६ स्वीकृत जांच के अन्तर्गत हैं और ९९ अभी बाक़ी हैं।

*४३--४५--श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)--[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६--४८--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--[२४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ और फैजाबाद डिवीजन के सुपरवाइजर कानूनगो

*४९--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ और फैजाबाद डिवीजन के जिलों में कुल कितने सुपरवाइजर कानूनगो काम कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह---लखनऊ और फैजाबाद डिवीजन के जिलों में निम्नलिखित संख्या में सुपरवाइजर कानूनगो काम कर रहे हैं।

लखनऊ डिवीजन		फैजाबाद डिवीजन	
लखनऊ	८	फैजाबाद	१९
उन्नाव	१४	गोंडा	२०
रायबरेली	१४	बहराइच	१६
सीतापुर	१८	सुल्तानपुर	१७
हरदोई	१७	प्रतापगढ़	१२
खीरी	१३	बाराबंकी	१६
योग ..	८४	योग ..	१००

*५०---श्री दल बहादुर सिंह (अनुपस्थित)---जो सुपरवाइजर कानूनगो डिवीजन के हर जिले में काम कर रहे हैं उनमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री चरण सिंह---दोनों डिवीजनों के स्थायी तथा अस्थायी सुपरवाइजरों की जिलेवार संख्या इस प्रकार हैः

लखनऊ डिवीजन

जिला			स्थायी	अस्थायी
लखनऊ	..	..	..	८
उन्नाव ..	..	..	२	१२
रायबरेली	..	..	३	११
सीतापुर	..	..	४	१४
हरदोई	..	..	२	१५
खीरी ..	..	..	४	९
	योग		१५	६९

फैजाबाद डिवीजन

जिला			स्थायी	अस्थायी
फैजाबाद	..	..	६	१३
गोंडा ..	..	..	५	१५
बहराइच	..	..	२	१४
सुल्तानपुर	..	..	६	११
प्रतापगढ़	..	..	३	९
बाराबंकी	..	..	५	११
	योग		२७	७३

*५१--श्री दलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने कोई आदेश जारी किया है कि १० साल से ज्यादा कोई कानूनगो एक जिले में न रहेगा? यदि हां, तो क्या इसका पालन रायबरेली जिले में हुआ है? यदि नहीं तो, क्यों?

श्री चरण सिंह--जी हां। इस आदेश का पालन रायबरेली जिले में भी हुआ है। केवल एक व्यक्ति जिसके लिये स्थानान्तरण का आदेश हो चुका है अभी तक नहीं जा सका, क्योंकि उनके स्थान पर आने वाले कानूनगो को जबरदस्ती अवकाश ग्रहण करना पड़ा। यह एक कानूनगो भी शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

*५२--श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--[१७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ कलक्टरी में हरिजन कलर्कों तथा चपरासियों की भर्ती

*५३--श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--लखनऊ कलेक्टरी में सन् ५२ से अब तक कितने क्लर्क तथा चपरासी भर्ती किये गये हैं? उनमे हरिजनों की संख्या कितनी है?

श्री जगन प्रसाद रावत--लखनऊ कलेक्टरी मे सन् १९५२ से अब तक क्लर्क और चपरासियों की भर्ती निम्न प्रकार से हुई:

	क्लर्क	चपरासी	हरिजन क्लर्क	हरिजन चपरासी
स्थायी ..	१	६	..	..
अस्थायी ..	१९	३००	..	१४

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो २० क्लर्क रखे गये हैं उनमे १८ फीसदी के हिसाब से ४ हरिजन होने चाहिये थे वह क्यों नहीं रखे गये?

श्री चरण सिंह--जो लोग पहले बन्दोबस्त में काम कर चुके थे और बटवारे का काम कर चुके थे वहां से जो लोग छटनी में आ गये थे या जो सेटिलमेंट का काम बन्द होने पर बेरोजगार हो गये थे तो पहले उनको रखा गया और बाहर से उन जगहों पर कोई नहीं लिया गया और ५६ तक बाहर से नहीं लिये जायंगे।

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १,३०० चपरासी जो रखे गये हैं उसमे केवल १४ हरिजन क्यों रखे गये हैं १८ फीसदी के हिसाब से ५४ होने चाहिये थे?

श्री अध्यक्ष--यह तो बहस का प्रश्न है। आप सीधा सवाल पूछिए।

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १,३०० मे केवल १४ हरिजन चपरासी क्यों रखे गये हैं इसका क्या कारण है?

श्री चरण सिंह--जी, कारण तो मैं दरियाफ्त कर के बतला सकता हूं। उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछने में कुछ समय लगेगा। मुझे नहीं मालूम है।

श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कारण को पूछने के लिये कम से कम कितना समय लगेगा?

श्री अध्यक्ष--यह तो मामूली बात है इसको आप स्वयं समझ सकते हैं।

टेस्ट वर्क पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें

*५४--श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में पिछले ६ महीनों के भीतर कहां कहां टेस्ट वर्क चलाये गये, उनमें कितने मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया और यदि कहीं बन्द हो गये तो उन के क्या कारण हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३ पर)

*५५--श्री गेंदा सिंह--क्या उत्तर प्रदेश में टेस्ट वर्करों पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न जिलों की भिन्न-भिन्न हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं। मैदानी क्षेत्र में टेस्ट वर्क पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें सब जिलों में एक समान हैं परन्तु पहाड़ी क्षेत्र में दरें मैदानी क्षेत्र से भिन्न हैं। दरें इस प्रकार हैं :--

मैदानी क्षेत्र	सबसे सस्ते अन्न की मात्रा
	छटांक
फावड़ा चलाने वाले	२४
मिट्टी ढोने वाले	२०
१४ वर्ष से बड़े बच्चे	१६
पहाड़ी क्षेत्र	
प्रत्येक वयस्क	१२ आना प्रतिदिन

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह दो प्रकार की मजदूरी रखने का क्या कारण है और दोनों में कितना अन्तर है ?

श्री चरण सिंह--कारण यह है कि वहां पहाड़ों में शायद रहन-सहन का खर्चा ज्यादा है। पुराने जमाने से जब से कि यह फेमिन कोड बना हुआ है तभी से यह फर्क रखा गया है। पैरा १७४ रिवाइज्ड फेमिन कोड के मातहत ४० फीसदी तक अन्तर हो सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही है कि पहाड़ों में १२ आना बड़े लोगों को मिलता है, ८ आना जो औरतें काम करने के लिये आती हैं उनको मिलता है। तो क्या यह ६ आना जो १२ वर्ष तक के बच्चे हैं उनको भी मिलता है ?

श्री अध्यक्ष--उसमें तो वयस्क लिखा हुआ है कि प्रत्येक वयस्क को मिलता है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्या मेहरबानी करके सरकार बतायेगी कि एक दिन में १५० क्यूबिक फिट मैदानी इलाके में खोदना पड़ता है। अगर वह उससे ज्यादा मिट्टी खोद कर ज्यादा काम करना चाहे और ८ आने के बजाय १ रुपया कमाना चाहे तो क्या इसकी मुमानियत है ?

श्री चरण सिंह--यह तो जमीन की किस्मों पर निर्भर करता है। उनको २०० क्यू० फु० खोदना चाहिये तब उनको पूरी मजदूरी मिलेगी लेकिन जहां पर कड़ी जमीन है वहां पर १५० केवल रखा गया है। लेकिन यह २०० तक है ऐसा मुझे मालूम है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--यदि कोई ८ आने से ज्यादा कमाना चाहे तो क्या अधिक मिट्टी खोदने की सरकार आज्ञा देगी, इजाजत देगी ?

श्री चरण सिंह--इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--पहाड़ी क्षेत्रों मे महिला वयस्कों को क्या मजदूरी दी जाती है, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--मैं माफ़ी चाहता हूं कि इस समय नहीं बता सकता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला देवरिया)--देवरिया जिले में कुल कितना रुपया टेस्ट वर्को पर खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष--इसमे रुपये का सवाल नहीं है, यह इससे नहीं निकलता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि देवरिया जिले में बहुत से स्थानों पर खेतिहर मजदूर टेस्ट वर्क चाहते थे और जिलाधीश ने उन्हे बन्द करा दिया ?

श्री चरण सिंह--जब हारवेस्टिंग का समय आया तो जिलाधीश ने मुझसे मशविरा करके बन्द किये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या देवरिया जिले में बहुत से स्थानों पर अभी भी टेस्ट वर्क की मांग है ?

श्री चरण सिंह--अभी २३, २४ तारीख को एक कान्फ्रेंस में हमने बहुत से फैसले किये हैं जिनमें यह भी है कि ३ जगहों पर टेस्ट वर्क जारी किये जावें और उसके आर्डर्स जारी हो चुके हैं। वे ३ जगह मुझे इस समय याद नहीं है, एक तो शायद तमकोही की तरफ सड़कें हैं एक तमकोही-सलैसगढ़ रोड और एक दूसरी गालिबन वहां है, जहां फ्लड से ज्यादा अफ़ैक्टेड हैं जहां से शायद राम जी सहाय जी आते हैं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--क्या यह सत्य है कि देवरिया जिले में सब से बड़े बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राकी-कछार में कोई टेस्ट वर्क नहीं किया गया है ?

श्री चरण सिंह--यह मै इस समय नहीं बता सकता।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन क्षेत्रों में स्त्रियां मर्दों से ज्यादा परिश्रम करती है ?

श्री अध्यक्ष--यह राय का सवाल है।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)--क्या सरकार मजदूरी के बारे में, अकाल के समय, विचार करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह--ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या देवरिया जिले में टेस्ट वर्क से वहां के निवासियों को विशेष सुविधा हुई है, क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे ?

श्री चरण सिंह--जी हां, इसी उद्देश्य से टेस्ट वर्क जारी किये जाते हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि देवरिया के जिलाधीश ने फेमिन कोड के विरुद्ध २०० फिट मिट्टी खोदने का आदेश दिया था और इससे मजदूरों को तकलीफ़ हुई ?

श्री चरण सिंह—गेंदा सिंह जी के ज्यादा मिट्टी खुदवाने की बात मेरे नोटिस में लाने पर मैंने इसे बन्द करवा दिया। लेकिन तकलीफ की बात मैं नहीं मानता क्योंकि माननीय रामनारायण जी ने पूछा कि अगर कोई २०० फीट से ज्यादा मिट्टी खोद कर ज्यादा कमाना चाहे तो क्या सरकार उसे ज्यादा मजदूरी देगी।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि जिस दिन जिलाधीश ने काम बन्द करने की सलाह दी और मन्त्री जी की सलाह से काम बन्द किया गया उस दिन वहां ४,००० आदमी काम कर रहे थे ?

श्री चरण सिंह —इसके लिये नोटिस चाहिये।

मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में ओलों से हानि

*५६—श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के कुछ ग्रामों मे ओला वृष्टि के कारण रबी की फसल को विशेष हानि हुयी है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कितने प्रतिशत हानि हुयी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी के ७५ ग्रामों मे ओलों से रबी की फसल को साधारण हानि पहुंची। यह हानि रुपए में आठ आने से कम थी।

श्री मही लाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना जो ७५ ग्रामों में हानि की मिली है क्या वह केवल लेखपालों की रिपोर्ट पर ही आधारित है ?

श्री चरण सिंह—जी, यह रेवेन्यू मैनुएल के मुताबिक रिपोर्ट लेखपालों से ली जाती है लेकिन कभी-कभी तहसीलदार भी जाते हैं और अगर कभी ज्यादा नुकसान होता है एस० डी० ओ० भी जाते हैं। इस विशेष जगह में किस कर्मचारी ने रिपोर्ट दी यह नहीं कहा जा सकता।

श्री मही लाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों पर हाकिम परगना या तहसीलदार में से कोई नहीं पहुंचा ?

श्री चरण सिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

*५७-५८--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—[३१ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गए।]

*५९--श्री राम सुभग वर्मा—[२४ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले में तरया सुजान के टेस्ट वर्क का बन्द होना

*६०—श्री राम सुभग वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में तरया सुजान का टेस्ट वर्क बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। टेस्ट वर्क उस समय बन्द किया गया था जब कि जिले में रबी की कटाई हो रही थी। फसल की तैयारी के समय श्रमिकों को कृषि कार्य से ही पर्याप्त काम मिल जाता है।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त टेस्ट वर्क बन्द किया गया उस वक्त हजारों की तादाद में मजदूर वहां काम करने के लिए आए थे ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फेमिन कोड के अनुसार कितने दिन तक टेस्ट वर्क चलाया जाता है जबकि रिलीफ वर्क शुरू होता है ?

श्री चरण सिंह--फेमिन कोड की जो परिभाषा है वह पूरे तौर से इस में लागू नहीं होती क्योंकि उस के मुताबिक केवल मालूम किया जाता है कि लोग इस तरह मजदूरी पर आ सकते हैं या नहीं और आया रिलीफ की वहां जरूरत है या नहीं, इस केस में जो मजदूरी वहां दी जाती है उस से हम ज्यादा दे रहे हैं इसलिए वह कोड उस की कसौटी नहीं हो सकता ।

श्री गेंदा सिंह--किस स्थान पर टेस्ट वर्क चलाने की जरूरत है इसके लिये मंत्री जी क्या आधार समझते हैं ?

श्री चरण सिंह--जैसा कि मैंने अर्ज किया कि फेमिन कोड के अनुसार मजदूरी बहुत थोड़ी है । वहां चारों तरफ से तकाजा हुआ कि मजदूरी बढ़ायी जाय और उस पर अगर सरकार ने बढ़ा दी तो उस का मतलब यह नहीं है कि वहां फेमिन है । ८ आने तो देवरिया के बहुत से हिस्सों में नार्मल वेज है ।

श्री गेंदा सिंह--जो मजदूरी देवरिया में दी जाती है वह आना पाई में क्या है ?

श्री चरण सिंह--२४ छटांक सस्ते से सस्ते गल्ले की जो कीमत नजदीक के बाजार में हो वह रखी जाती है और इसीलिए गोरखपुर और देवरिया में जहां टेस्ट वर्क चल रहे हैं वहां भाव के मुताबिक मुख्तलिफ वेजेज हो जाती हैं ।

*६१--**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--[३१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६२--**श्री देवमूर्ति राम**--[२४ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

*६३-**श्री राम प्रसाद** (जिला रायबरेली)--[३१ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

रायबरेली जिले में रोडवेज की बसों को चलाने का विचार

*६४--**श्री राम प्रसाद**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में किन-किन लाइनों में १९५४-५५ में सरकार अपनी बसें चलाने जा रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--सन् १९५४-५५ में जिला रायबरेली में निम्नलिखित मार्गों पर रोडवेज की बसें चलाने का विचार है :

१--रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़

२--रायबरेली, बछरावां-महराजगंज होकर

३--तिलोई, इनहोना, भाग रायबरेली, शंकरगंज तिलोई रूट का ।

बाराबंकी जिले के भूमिधर किसान

*६५--श्री घनश्याम दास (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने किसान भूमिधर बने हैं और इनमें से कितने किसान भूमिधरी का प्रमाण-पत्र पा चुके हैं और कितने को पाना शेष है ?

श्री चरण सिंह--बाराबंकी जिले में कुल ३५,८४४ भूमिधर बने हैं और ये सब भूमिधरी का प्रमाण-पत्र पा चुके हैं ।

*६६-६८--श्री धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)--[६ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ६२-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए ।]

*६९--श्री गणेश चन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--[१७ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में ओलों से हानि

*७०--श्री शिव स्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)--क्या माल मंत्री को विदित है कि तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद के अधिकांश भाग की रबी की फसल ओलों के पड़ जाने से बिल्कुल नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो उनकी सहायता के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--तहसील ठाकुरद्वारा में ११९ ग्रामों में ओला पड़ने से रबी की फसल को हानि पहुंची है । नियमानुसार मालगुजारी में छूट देने के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शिव स्वरूप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ११९ गांवों में से कितने गांवों में ८ आने से ज्यादा नुक्सान हुआ है ?

श्री चरण सिंह--८५ गांवों में ।

श्री शिव स्वरूप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ८५ गांवों में ओलों के कारण वहां के किसानों की हालत बहुत दयनीय है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं । दयनीय नहीं है । उन्हें दयनीय न बनाइये ।

श्री शिव स्वरूप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी इन ८५ गांवों में छूट के अलावा वहां तकावी बंटवाने का भी इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह--केवल इस कारण तकावी बांटने के लिए हमने वहां नहीं कहा है । जो नार्मल तकावी हर जिले में दी जाती है उसी तरीके से वहां के लिए भी है । वहां इस किस्म का कोई बड़ा नुक्सान नहीं हुआ है कि जिस बिना पर खासतौर से तकावी बांटी जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि इन ओले-पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी सख्ती के साथ वसूल की जा रही है ?

श्री चरण सिंह--यह बात सरासर गलत है ।

रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसीलों में ओले से हानि

*७१--श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी मास में ओलों की अधिक वर्षा के कारण रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसील का किन-किन ग्रामों में कृषि को भारी हानि हुयी और कितने-कितने प्रतिशत ?

श्री जगन प्रसाद रावत--तहसील शाहाबाद के केवल ६९ गांवों में ६ जनवरी, १९५४ को ओला पड़ा जिससे पहले रबी की फसल को अधिक हानि होने की संभावना थी, परन्तु बाद में वर्षा के कारण फसल की हालत सुधर गयी और फसल को केवल साधारण हानि हुयी। जिन गावों में ओला पड़ा उसकी सूची संलग्न है।

तहसील मिलक में ओलों से फसल को कोई नुक्सान नहीं हुआ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८४ पर)

*७२--श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त ग्रामों के कृषकों को सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधायें दी गयी ह अथवा दी जायेंगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--केवल एक तहसील मे साधारण हानि होने के कारण कोई सहायता देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या यह हानि ८ आने से कम की है ?

श्री चरण सिंह--बिलासपुर तहसील के ६९ गांवों मे ८ आने से ज्यादा हानि है।

श्री कृष्ण शरण आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब एक साधारण नियम ८ आने से ज्यादा नुकसान मे छूट देने का है तो इन गांवों के लिये क्यों नहीं छूट दी गयी ?

श्री चरण सिंह--जैसा कि मैने कहा कि अगर ८ आने से ज्यादा नुक्सान है तो जरूर छूट दी जायगी।

महालों का कम्पेन्सेशन रोल

*७३--श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि अब तक कुल कितने महालों का कम्पेन्सेशन रोल तैयार हो गया है और वह कुल महालों का कितना प्रतिशत है ?

श्री चरण सिंह--३१ मार्च १९५४ तक २,७६,३९६ महालों का कम्पेन्सेशन रोल तैयार हुआ जो कुल महालों का ९९.९ प्रतिशत है।

*७४--श्री सियाराम चौधरी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितना रुपया प्राविजनल कम्पेन्सेशन निर्धारित किया गया है और उसमें से कितने का बांड दिया जायेगा तथा कितना नकद ?

श्री चरण सिंह--कुल प्राविजनल कम्पेंसेशन ७० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है जिसमें से लगभग १३ करोड़ रुपया नक़द और लगभग ५७ करोड़ रुपया बांडों में दिया जायगा।

*७५--श्री सियाराम चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितना रुपया इंटेरिम कम्पेन्सेशन के रूप में तथा कितना इंटेरिम एन्यूटी के रूप में दिया जा चुका है ?

श्री चरण सिंह--३१ मार्च १९५४ तक ३,६३,४७,९६७ रुपया इंटेरिम कम्पेन्सेशन के रूप में और २०,७१,१४८ रुपया इंटेरिम एन्यूटी के रूप में दिया जा चुका है।

जौनपुर जिले में बाढ़ पीड़ित ग्रामों को गृह निर्माण के लिये सहायता

*७६--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में अब तक किन-किन बाढ़ पीड़ित गांवों को गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी सहायता दी गयी है और वह सहायता किस रूप में दी गयी है?

*७७--क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में पिछली बाढ़ से किन किन-गांवो में कितने कितने मकान गिरे थे?

श्री चरण सिंह--मांगी गयी सूचना संलग्न सूची में दी हुयी है।
(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८५--८६ पर)

लखनऊ जिले के बाढ़-पीड़ितों को लगान मे छूट

*७८--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिला के गत वर्ष के बाढ़-पीड़ितों के लगान की मुलतवी और छूट का एलान किया गया है? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह--जिलाधीश ने तहसील सदर और मलिहाबाद के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी और लगान की वसूलयाबी १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के नियम २९३ (४) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अनुसार केवल मुल्तवी कर दी है। इसका कारण यह है कि जिलाधीश के प्रस्तावों पर कुछ और जांच की जा रही है और उसके बाद मालगुजारी की छूट या मुल्तवी के आदेश नियमानुसार दिये जायेंगे।

*७९--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार लखनऊ जिला की उन गांवों की सूची देने की कृपा करेगी कि जहां पिछली बाढ़ के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गयी और किसानो को भारी क्षति पहुंची?

श्री चरण सिंह--अपेक्षित सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८७ पर)

बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कोष में गबन

*८०--श्रीबलालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कोष में जो गबन हुआ था और जिसमें कई कर्मचारियों पर मामला चल रहा था उसमें क्या हुआ?

श्री चरण सिंह--बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कोष में जो गबन हुआ था उसमें एक मुन्सरिम तथा एक तहसीलदार के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है जिसमें अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री टी० डी० सेठ तहसीलदार निलम्बित (under suspension) हैं। उनके तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है।

बस्ती जिले में अनेक गांवों को वर्षा से क्षति

*८१—श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष वर्षा काल में अति वृष्टि तथा कुआनों नदी के बाढ़ से जिला बस्ती के मुखलिसपुर, पड़री तथा सिगरामऊ के काफी मकान कट कर नदी में चले गए?

श्री चरण सिंह—ग्राम मुखलिसपुर पड़री तथा सिगरामऊ में कोई मकान कट कर नदी में नहीं गया परन्तु अधिक वर्षा से मकानों को कुछ क्षति अवश्य पहुंची।

*८२—श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मौजों में क्षति ग्रस्त लोगों को सहायता दी गयी? यदि हां, तो क्या?

श्री चरण सिंह—इन गांवों में लोगों को अनाज, नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई, सुरती, दूध तथा दवाइयां मुफ्त दी गयीं। ३० रुपए की नकद सहायता भी दी गयी। मालगुजारी की वसूली स्थगित कर दी गयी और नियमानुसार छूट देने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स

*८३—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर की जमींदारी खातमे के पहले कुल मालगुजारी और लगान क्या था और जमींदारी खातमे के बाद अब अलग-अलग इन जिलों की मालगुजारी और लगान क्या है?

श्री चरण सिंह—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८४—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५२ में जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ का कृषि टैक्स कितना कितना था और अब नये संशोधनों के बाद यह कितना रह गया है?

श्री चरण सिंह—२८, फरवरी १९५४ तक जिला सहारनपुर और मेरठ का १३५९ और १३६० फसली का कृषि आय कर निम्नलिखित है:—

जिला	कृषि आय कर	१३५९ फ०	१३६० फ०
सहारनपुर ..	.. ..	२,६१,५८३	३,४८,६०७
मुजफ्फ़रनगर ..	.. ..	१,८२,४२६	१,८७,५८२
मेरठ ..	.. ..	२,६६,७०१	४,५५,५७४

महोबा एवं चरखारी के तहसीलदारों द्वारा कागजात में सेहत

*८५—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३९ और भूमि सुधार अनुपूरक अधिनियम की धारा ४ के अधीन तहसीलदारान महोबा एवं चरखारी जिला हमीरपुर ने अपने जनवरी, सन् १९५४ के टूर में अलग-अलग कुल कितनी दुरुस्तियां सेहत कागजात की है?

श्री चरण सिंह--तहसीलदार महोबा ने लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३९ के अधीन १०८ और भूमि सुधार अनुपूरक अधिनियम १९५२ की धारा ४ के अधीन ६८ तथा तहसीलदार चरखारी ने लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३९ के अधीन ८२ सेहत कागजात की कार्यवाही तै की। तहसीलदार चरखारी के न्यायालय में भूमि सुधार अनुपूरक की धारा ४ के अधीन कोई वाद पेश नहीं हुआ।

*८६--श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि सेहत कागजात का अधिकार अदालत पंचायतों से छीन कर फिर तहसीलदारों के अधिकार में दे दिया गया है? यदि हां, तो कब?

श्री चरण सिंह--१६ जून, १९५३ को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५२ के अनुसार पंचायत राज अधिनियम में परिवर्तन हो गया है जिसके अधीन सेहत कागजात के मुकदमे तहसीलदार तथा कलेक्टरों के न्यायालय में होते हैं।

कानपुर रीजन में मोटर ट्रकों व प्राइवेट लारियों के परमिट

*८७--श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५१-५२ और ५३ के दिसम्बर तक कानपुर रीजन में कितने मोटर ट्रकों, प्राइवेट लारियों और कारों के परमिट दिये गये?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--१९५१-१९५२ व १९५३ में कानपुर रीजन में मोटर ट्रकों, लारियों व कारों के निम्नलिखित परमिट दिये गये:

१९५१

पब्लिक कैरियर	१३२
सवारी गाड़ी	३९७
टैक्सी कार	८
प्राइवेट कैरियर	८०

१९५२

पब्लिक कैरियर	३
सवारी गाड़ी	२९
टैक्सी कार	..
प्राइवेट कैरियर	२८

१९५३

पब्लिक कैरियर	११५
सवारी गाड़ी	२५
टैक्सी कार	१
प्राइवेट कैरियर	५५

मेरठ के सरकारी रोडवेज कारखाने द्वारा चालू की गयी बसें

*८८--श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)--क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में मेरठ के सरकारी रोडवेज कारखाने के द्वारा कितनी बसें चालू की गयीं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—सन् १९५२-५३ में २७६ गाड़ियां मरम्मत की गयीं। इनमें से १७८ तो रोडवेज की थीं व ९८ दूसरे विभागों की थीं।

बलिया जिले में हरिजन लेखपालों की संख्या

*८९—श्री राम रतन प्रसाद (जिला बलिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले की प्रत्येक तहसील मे कितने कितने लेखपाल लिये गये हैं और उनमे से प्रत्येक तहसील में हरिजन लेखपाल कितने कितने है ?

श्री चरण सिंह—बलिया जिले के प्रत्येक तहसील में लेखपालों की संख्या तथा प्रत्येक तहसील में हरिजन लेखपालों की संख्या निम्नलिखित है :

तहसील	कुल संख्या लेखपाल	हरिजन लेखपाल
बलिया	१२० ..	७
बांसडीह	१०९ ..	२
रसड़ा	१२८ ..	५
योग ..	३५७	१४

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास जिला मैजिस्ट्रेट कानपुर ने श्री राजनारायण सिंह की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना भेजी है, वह इस प्रकार है :—

"अपने २५ अप्रैल, १९५४ के पत्र-संख्या ५४१-बी/५४ के क्रम में, आपके सूचनार्थ मुझे यह निवेदन करना है कि विधान सभा के सदस्य श्री राज नारायण सिंह को पहली मई, १९५४ को जमानत पर छोड़ दिया गया, परन्तु दंड प्रक्रिया नियमावली के सेक्शन ११७ (३) के साथ पठित सेक्शन १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही जारी रहने के कारण एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट ने विधान सभा के सदस्य श्री राज नारायण सिंह से ३० अप्रैल, १९५४ को यह चाहा कि वे १,००० रुपये का व्यक्तिगत मुचलका दें तथा २ प्रतिभू, प्रत्येक उसी धनराशि का देवें ताकि जब तक दंड प्रक्रिया नियमावली के सेक्शन १०७ के अन्तर्गत मामला विचाराधीन रहे, वे शांति भंग न करें। चूंकि विधान सभा के सदस्य श्री राज नारायण सिंह ने वह मुचलका नहीं दिया तथा वे प्रतिभू भी नहीं दिये, जो उनसे मांगे गये थे, उनको कानपुर की डिस्ट्रिक्ट जेल में हिरासत में रखा गया है।"

पुस्तकालय समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति

श्री अध्यक्ष—पुस्तकालय समिति में ३ स्थान रिक्त हो गये थे क्योंकि कौंसिल के कुछ सदस्यों का विधान परिषद् का समय समाप्त हो गया था। उनमें से श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी फिर से चुन कर आ गये हैं इसलिये उन्हें मैं पुस्तकालय समिति के लिये नामजद करता हूं। अब दो सदस्यों का प्रश्न रह जाता है। एक श्रीमती महादेवी वर्मा, उनके संबंध में यदि निर्णय हुआ कि वे नियुक्त हो गयीं तो वे समिति में नियुक्त हो जायेंगी। तीसरे श्री मुकुट बिहारी लाल चुनाव में हार जाने के कारण नहीं चुने गये। उनका स्थान रिक्त है, जिसके विषय में फिर विधान परिषद् के किसी माननीय सदस्य की नियुक्ति होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गए विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुन: गिरफ्तारी

श्री अध्यक्ष--मैंने पिछले शुक्रवार को यह कहा था कि श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है उसके विचार के लिये कोई दिन नियत करूंगा। विचार विनिमय के बाद में यह निर्णय करता हूं कि गुरुवार, तारीख ६ को प्रश्नों के समाप्त होने के बाद १२ बजे से उसके ऊपर विचार होगा। उसके लिये दो घंटे का समय इस प्रकार से होगा--१२ बजे से सवा बजे तक, और सवा दो बजे से तीन बजे तक। ३ बजे उसके ऊपर विचार समाप्त होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष, क्या सरकार श्री राज नारायण जी की दुबारा गिरफ्तारी पर इस सदन में अपने वक्तव्य द्वारा और अधिक सूचना देना उचित समझती है?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--जो सूचना अध्यक्ष महोदय ने दी है उससे अधिक कोई और जानकारी सरकार के पास भी नहीं है। उससे अधिक जानने के लिये कोई बात ज्यादा जरूरी भी नहीं मालूम देती। जो कुछ है वह खेदजनक है, मगर है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपको इसकी सूचना है कि माननीय राज नारायण जी को जेल से रिहा नहीं किया गया और जेल में ही शांति भंग का नोटिस दे दिया गया?

श्री अध्यक्ष--मुझे एक यह सूचना मिली है कि जेल में ही नोटिस दिया गया था लेकिन उनको रिहा किया गया ऐसा एक तार माननीय राज नारायण जी का भी मेरे पास आया है कुछ ऐसा मुझे स्मरण है कि ऐसा कोई तार उनका भी मेरे पास आया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान् जी जो आप ने विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में तिथि नियुक्त की उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि मेरे दो पत्र तथा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के नोट में नहीं छपे हैं। इसलिये यदि उनके प्रकाशन की व्यवस्था माननीय उपाध्यक्ष महोदय कर दें तो उचित होगा ताकि सदन को विचार करने से पहले वस्तुस्थिति क्या है, यह मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष--इसके ऊपर विचार कर के निर्णय दूंगा लेकिन इसके विषय में उसी दिन प्रश्न उठाया जा सकता है आज नहीं।

सदन के आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि असेम्बली कब तक चलेगी?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--मुझे तो यह उम्मीद थी कि ७ तारीख तक काम खत्म हो जायगा और ७ के बाद सब लोग घर जा सकेंगे, मगर वह तो सदस्यों के हाथ में है, वह जब चाहें उस काम को पूरा कर दें और तब असेम्बली का इस वक्त का सेशन खत्म किया जाय। अब उसके बारे में उनके मन में क्या है वह मैं नहीं जानता। वे निश्चित कर दें कि फलां दिन तक यह हो जायगा, तो उसी के मुताबिक कार्यवाही हो जाय।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था विधेयक, १९५४, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'त्र' आगे पृष्ठ ८८—९५ पर)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड १३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन संशोधन पर बोलते हुये यह चाहता था और यह चाहता हूं कि जो एक्जीक्यूटिव ग्राम सभाओं की बने उसका नम्बर अभी से निर्धारित कर दिया जाय और वह काम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को न सौंपा जाय। अध्यक्ष महोदय, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जिम्मे बहुत से काम हो गये हैं और अगर यह मेम्बर की संख्या तय करने का भी काम दे दिया जाय तो इसमें बड़ी दिक्कत पड़ जायगी। मैं चाहता हूं कि कम से कम ग्राम सभाओं पर यह छोड़ दिया जाय कि वह ११ मेम्बरों को अपनी एक्जीक्यूटिव में रखना चाहती है या उससे ज्यादा। इसके अलावा गांव सभाओं के अधिकार में टैक्सेशन का भी प्राविजन रखा गया है। मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद गांव वालों की होगी, तो जब कभी टैक्सेशन का प्रपोजल होगा उस समय जितने ही ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा उनकी सहमति प्राप्त हो जायगी। यह तो मैंने अपनी बात कह दी लेकिन, अगर माननीय मंत्री जी इसको साफ़ कर दें कि वे क्यों इसे गांव सभाओं पर न छोड़ कर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर छोड़ना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं और जो कुछ अर्ज करना होगा अर्ज करूंगा।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, १२ के दूसरे उपखंड में जो है वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नहीं है। "The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed. जितने भी तय हों। ११ से ४१ हों या इससे आगे के संशोधन में १५ से ३५ हो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी कुछ दिक्कत यह है कि अभी इस प्रकार की चीज के रखने से दुश्वारी होगी, क्योंकि अभी अन्तिम स्वरूप मेरे सामने नहीं है। हमारी कोशिश यह भी है कि एक यूनिट गांव समाज और गांव सभा की हो जाय और सारा झंझट दूर हो जाय। जब गांव सभा और गांव-समाज की शक्ल नजर आयेगी उस वक्त यह तय होगा कि कितनी संख्या हो। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या हो इसके बारे में रूल्स में होगा। रूल्स हाउस के सामने आयेंगे उस वक्त आप अपनी राय दे दें। मुझे मुनासिब बात के मानने में कभी कभी कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ३२, ३३ और ३३ (अ) को इस समय न पेश कर के और उन पर इस वक्त जोर न दे कर वे रूल्स के वक्त इस पर गौर कर लें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि रूल्स के वक्त विचार कर लेंगे और फिजूल सदन का समय नष्ट न हो, इसलिये मैं इसको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†३० अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—श्री गेंदा सिंह, आप अब अपना संशोधन नहीं पेश करेंगे ?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—जी नहीं।

श्री अध्य —श्री जोरावर वर्मा, आप भी नहीं पेश करेंगे ?

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—जी हां, अगर नियमों के वक्त इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी हां, वह तो उन्हों ने कह ही दिया है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (२) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "and the Up-Pradhan" तथा पंक्ति ४ मे शब्द "and Up-Pradhan" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि उपधारा २ की वर्डिंग जो है 'The number of members of a Goan Panchayat shall be such as may be prescribed" और इन्ही मेम्बर्स के बारे में फिर कहा गया है कि जिनको प्रधान और उपप्रधान चुना जाय, उसके अलावा जितने मेम्बर्स होंगे उनका टर्म ५ साल का होगा। श्रीमन्, आप देखेंगे कि उप-प्रधान ११ बी में जो कर दिया गया है उसमें गांव पंचायत पहले ही सदस्यों मे से एक सदस्य को उप-प्रधान की हैसियत से चुन लेगी। तो ऐसी सूरत में उप-प्रधान का यहां पर रख देना मुनासिब नहीं मालूम होता है क्योंकि उप-प्रधान के लिये ११ बी में दिया ही हुआ है कि उप-प्रधान का चुनाव हर साल होगा, इसलिये उसके आगे यह फिर कह देना कि उसकी अवधि ५ साल नहीं होगी, उससे शुभा सा पैदा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे मंजूर फरमायेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, 12 (2) में दो चीजें शामिल कर दी गई हैं। एक तो गांव पंचायतों का नम्बर और दूसरे प्रधान और उप प्रधान का एक्स आफिशियो गांव पंचायत का प्रधान और उप प्रधान होना। यह कंसीडेशन कैसा है, यह तो सवाल दूसरा है। एक आइडिया इसका यह है कि "The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed"

और दूसरा आइडिया यह है कि "President and Vice-President of the Gaon Sabha shall be ex-Officio President and Vice-President of the Gaon Panchayat"

श्री अध्यक्ष—उप प्रधान के चुने जाने का क्या तरीका है ?

श्री मोहन लाल गौतम—उप प्रधान का चुनाव ११ बी में दिया हुआ है: "The Vice-President shall be elected annually by the Gaon Panchayat from amongst its members in such manner as may be prescribed......

और प्रधान के चुनाव का तरीका ऊपर 11—A में दिया हुआ है: "The President shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed........"

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो उसमें अगर सफाई हो जाय तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होने की संभावना कम से कम उन लोगों को है जो कि कानून को इन्टरप्रेट नहीं करते हैं। इसलिये अगर कोई इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो उसका साफ हो जाना ही मुनासिब है। गांव सभा ने प्रेसीडेंट चुन दिया तो वह गांव सभा का ही प्रेसीडेंट होगा, यह इम्पलाइड मान लिया गया है। लेकिन वाइस प्रेसीडेंट को चुना है गांव पंचायत ने और वह वाइस प्रेसीडेंट होगा गांव सभा का, मेरे ख्याल से यह दिक्कत अब्दुल मुईज साहब

को मालूम होती है, क्योंकि ऊपर साफ नहीं है। वाइस प्रेसीडेंट चुना जायगा और वह गांव सभा का प्रेसीडेंट होगा, ऐसा गांव सभा के कांस्टीट्यूशन में है। यहां पर इसलिये प्रेसीडेंट ऊपर जो दिया गया गांव सभा का उसी को वाइस प्रेसीडेंट पंचायत का चुना जायगा यह अर्थ है। लेकिन वाइस प्रेसीडेंट जब गांव पंचायत का चुना तो वह गांव सभा का वाइस प्रेसीडेंट हुआ। इसके समझने में कुछ दिक्कत होती है। मुझे साफ़ नजर आती है। लेकिन अगर आप की आज्ञा हो तो १२ को रीड्राफ्ट करा दूं। इसमें दिक्कत जरूर है और उसमें अगर भाषा साफ भी हो तो वह थोडा सा साफ हो जायगा। तो इसमें कोई आपित्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं 11—B में आप को करना चाहिये था: He shall be Up-Pradhan of the Gaon Sabha as well......
जिस पंचायत ने चुना उसका तो उप-प्रधान हुआ ही। उसमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन गांव सभा का भी वह है। यह बात आपने मेंन्शन नहीं की। मैं इस समय पीछे तो नहीं जा सकता क्योंकि यह पास हो चुका है। यह हो सकता है कि खंड के अलावा एक उपखंड आप इसमें लगा दें।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, अगर आप की आज्ञा हो तो उसको रीड्राफ्ट करा दूं। क्योंकि अगर यह हो जाय कि The Vice-President of Gaon Sabha shall be elected annually by tehG aon Panchayat तो वह ज्यादा साफ हो सकता है। अगर आप आज्ञा दें तो यह हो जाय "and the UP-Pradhan of the Gaon Sabha elected under 11 (*b*) मैं इसको ड्राफ्ट करवा कर मंगा लूं तो कुछ आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसको छोड़े देता हूं और आगे बढ़ा जाता हूं, इसे फिर लें लूंगा।

श्री अब्दुल मुईज खां—श्रीमन्, मेरे संशोधन का एक मतलब यह भी था कि धारा १२ की उपधारा (२) में जो शब्द "एक्सआफ़िशियो" आया है, तो चूंकि उप-प्रधान तो स्वयं ही उस पंचायत का मेम्बर होगा, लेकिन प्रधान पंचायत का मेम्बर नहीं होगा.....

श्री अध्यक्ष—तो उसका नतीजा तो यही होगा कि अगर ऊपर आप चेंज करते हैं तो आप का अमेंडमेंट यहां स्वीकार किया जायगा। तो इसलिये अगर दोनों को आप अकोमोडेंट कर दें कि उप-प्रधान गांव सभा तथा गांव पंचायत दोनों का है, यह पहले अगर आ जायगा तो ठीक होगा। तो मैं खंड १३ के और आगे के प्रस्ताव ले लेता हूं। बाद में फिर उसके ऊपर वापस आ जाऊंगा। श्री अब्दुल मुईज खां, आपका दूसरा संशोधन ......

श्री अब्दुल मुईज खां—श्रीमन्, यह भी उसी से संबंधित है और चूंकि ११-बी में यह स्पष्ट रूपसे नहीं दिया हुआ है कि उप प्रधान गांव सभा का होगा या गांव पंचायत का होगा। लेकिन चूंकि गांव पंचायत ही उसे चुनेगी इसलिये नेचुरली यह अन्दाजा होता है कि गांव पंचायत का होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय अब्दुल मुईज खां माननीय स्वशासन मंत्री से इस बात पर राय ले लें क्योंकि ११–बी को न बदल कर यह भी एक तरीक़ा हो सकता है जो श्री अब्दुल मुईज खां ने जो अभी बात कही उसे मान लिया जाय। इसको भी माननीय मंत्री विचार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम—इसको थोड़ी देर के लिए मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—हां। यह भी तरीका हो सकता है कि खंड १२ पर न जा कर जो तरीक़ा अब्दुल मुईज खां जो ने बतलाया है कि उनके दोनों संशोधनो स्वीकार कर लिये जायं उससे आप की दिक्क़त का हल हो जाता है।

श्री अब्दुल मुईज़ खां—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (३) की पंक्ति दो में शब्द "Pradhan or" निकाल दिये जायं। इसके निकालने के बाद वह इस प्रकार से हो जायगी :—

"The term of office of a member of Gaon Panchayat other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be 5 years"

इसका मतलब यह होगा कि प्रधान और उपप्रधान निकल गये। उपप्रधान तो इसलिये निकल गया कि चाहे वह उपप्रधान हो या न हो उसकी गांव पंचायत की मेम्बरशिप तो पांच साल के लिये है ही चाहे वह उप-प्रधान रहे या न रहे। रह गया प्रधान के बारे में, तो उसके लिये तो पहले ही पांच साल दिया हुआ है। अगर इसमें से यह नहीं निकाला जाता है तो कुछ कन्फ्यूजन होता है क्योंकि उसके माने यह होंगे कि उप-प्रधान गांव पंचायत का मेम्बर नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—प्रधान शब्द भी निकाल दिया जाय क्योंकि प्रधान भी पांच साल रहेगा और मेम्बर आफ दि एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी होगा।

श्री अब्दुल मुईज़ खां—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (३) की पंक्ति २ में शब्द "Pradhan or Up-Pradhan or a" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन में ३ खंड हैं उसमें से एक को पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कौन सा पेश करना चाहते हैं।

श्री वीरसेन—मैं बीच का पेश करना चाहता हूं। मैं आपकी आज्ञा से उपखंड (६) की दूसरी पंक्ति में..............

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को माननीय सदस्य पेश करना चाहते हैं वह उपखंड ६ है। मैं उपखंड ४ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि मेरा कोई संशोधन नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पेश कर दूं। मेरा संशोधन यह है कि उपखंड ४ में शब्द "aforesaid or when the period has beed extended befere the expiry of such extended period," निकाल दिये जायं क्योंकि यह व्यर्थ है।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं। असल में शाह साहब का जो आब्जेक्शन है उस पर विचार करने की जरूरत है। अगर दोनों चीजों को एक साथ पढ़ा जाय तो अच्छा हो। इसके पहले के तीसरे प्राविज़ो में है कि : "Provided that the State Government may, by notification in the official gazette, extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time." डिलीट हो गया। यह पहले ड्राफ्ट हुआ था जबकि at a time. यानी एक साल से ज्यादा न हो और कितने दिनों के लिए है इसकी कोई लिमिट नहीं थी। अब "at a time" निकालने के बाद क्या क्लैरीफिकेशन है या नहीं। यह सवाल है जो महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने उठाया है, उस पर विचार कर लिया जाय कि : "extend the term from time to time for a period not exceeding one year at a time." क्या वह एक ही साल के लिये होगा या ज्यादा के लिये यह अगर यहां साफ हो जाय तो दो चीजें साफ होनी चाहिएं कि ज्यादा से ज्यादा कितने दिन के लिए हो सकता है और अगर

एक साल के लिए रखा जाता है तो वह क्या एक ही बार हो सकता है या कई बार हो सकता है? यह साफ हो जाना चाहिए, पहले ऊपर हमने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है और आगे यह अमेंडमेंट शायद कृपाशंकर जी के नाम से आ रहा है। टोटल पीरियड आफ वन योयर होना चाहिए। उसका मतलब यह होगा कि एक साल से ज्यादा का एक्सटेंशन तो नहीं होगा लेकिन ऐट ए टाइम कम भी हो सकता है। तीन-तीन महीने के चार एक्सटेंशन भी हो सकते हैं, चार चार महीने के तीन भी हो सकते हैं। तो यह जाहिर करता है कि एक्सटेंशन चाहे जितने दिन का मिला हो लेकिन टोटल पीरियड आफ एक्सटेंशन शुड नाट एक्सीड वन यीयर। यह है इसका अर्थ।

श्री अध्यक्ष—इसके पहले भी शायद यह हो चुका है कि गाँव पंचायत का टर्म ५ साल का रहेगा और उसमें १ साल से ज्यादा टोटल पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा। उसमें फ्राम टाइम टु टाइम हटा दिया गया है। तो यह किस तरह से होगा कि पंचायतों का टर्म तो न बढ़ायें और मेम्बर का टर्म बढ़ा दे यह तो नहीं हो सकता है। अगर पंचायत का टर्म बढ़ा दिया गया तो वह तो एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर मेम्बर का क्या तीन महीने के लिए बढ़ाया जायगा, ऐसा कुछ विचार किया जा रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं। यह चीज तो असंगत हो जायगी, चलेगी नहीं। पंचायत का टर्म बढ़ाने पर मेम्बरों का भी आटोमेटिकली बढ़ेगा ही।

श्री अध्यक्ष—तो इसके लिए ये लफ्ज फ्राम टाइम टु टाइम जो उसमें हटा दिये गये हैं, वैसे ही इसमें से भी हटा दिये जायं।

श्री मोहन लाल गौतम—जी हाँ। हटा दिये जायं और जो टोटल लफ्ज है वह बढ़ा दिया जाय। "Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend the term for a total period not exceeding one year". जो वहाँ है वही यहाँ रीप्रोड्यूस हो जाय तो फिर गलती नहीं होगी।

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—अगर वह टोटल पीरिएड एक साल का है और उसमे दो बार या तीन बार मे एक्सटेंड करने का ख्याल हो तो फ्राम टाइम टु टाइम रहने दिया जाय तो अच्छा होगा। यह अगर निकाल दिया जायगा तो फार दी टोटल पीरियड आफ वन यीयर का मतलब यह होगा कि एक ही साल का एक्सटेंसन हो। अगर सदन की यह मंशा हो कि दो बार या तीन बार में एक्सटेंशन किया जाय तो उसे भी रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—पहले जो हुआ है वैसा ही यह भी हो तो उचित है। अगर पंचायत का टर्म एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया हो तो मेम्बर का टर्म बीच में थोड़े ही दिनों के लिए बढ़ाने का कोई औचित्य मालूम नहीं होता।

श्री मोहन लाल गौतम—दोनों चीजें एक ही तरह से हों, यही अच्छा होगा। जो प्राविजन वहाँ है वही यहाँ भी रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो मैं यह संशोधन आपका लिए लेता हूं कि यह "total" शब्द बढ़ा दिया जाय और " from time to time " निकाल दिया जाय। " Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, extend the term for a total period not exceeding one year".

श्री अब्दुल मुईज खां—"for a total period of one year " का भी वही अर्थ होगा जो "from time to time" का होगा। "for a period of one year" अगर होता तब तो यह अर्थ हो सकता था कि एक ही साल का एक दफा बढ़ाया जा सकता था। लेकिन इसका तो माने यही होगा कि कई दफा बढ़ाने पर भी सबका टोटल एक ही साल आये। तो टोटल पीरियड मे भी वह चीज नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष—हां टोटल का मतलब यही हो सकता है। "for a period not exceeding one year" हो और "from time to time" हटा दिया जाय तो यह चीज हो सकती है। माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जो मुईज साहब का कहना है कि फार ए टोटल पीरियड नाट एक्सीडिंग वन इयर इसमें ऐट एक टाइम इन्क्लूड तो नहीं हो जाता, और अगर हो जाता है तो यह देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो श्री बालेन्दुशाह जी का संशोधन स्थगित रहेगा।

श्री वीर सेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में धारा १२ के उपखंड (६) की दूसरी पंक्ति से शब्द "on joint electorate system" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जब से हमारा कांस्टीट्यूशन लागू हुआ है तबसे सेपेरेट एलेक्टोरेट सिस्टम खत्म किया जा चुका है और जितने भी एलेक्शन उसके बाद हुए है जनरल एलेक्शंस और म्युनिसिपल एलेक्शंस सब ज्वाइंट एलेक्टोरेट सिस्टम से हुए है। तो यह शब्द आन ज्वाइंट एलेक्टोरेट सिस्टम बिलकुल रिडेंडें है। इन शब्दों को कायम रखने से ऐसा मालूम होगा कि जैसी किसी मरी हुयी चीज की याद दिलाने के लिए एक यादगार बनायी जा रही हो। किसी जमाने में सेपेरेट एलेक्टोरेट सिस्टम था लेकिन अब वह चीज नहीं है। मैंने रिप्रेजेंटेशन आफ प्युपुल्स ऐक्ट में देखा। उसमें भी किसी तरह का रेफरेंस नहीं है। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल ३२५ में सिर्फ यह प्राविजन है कि जनरल एलेक्टोरल रोल होगा और उसमें रिलीजन कास्ट और क्रीड के ऊपर किसी को डिबार नहीं किया जायगा एनलिस्ट होने के लिये। तो मेरा ख्याल है कि ज्वाइंट एलेक्टोरेट सिस्टम रखना बिलकुल बेकार है। बिना इसके रखे हुए ही यह स्पष्ट हो जाता है। और अब इस तरह का कोई क्लेम भी नहीं है कि हमारा एलेक्शन सेपेरेट होना चाहिए। न तो मुसलमानों की तरफ से यह मांग है और न शिड्यूल्ड कास्ट्स की तरफ से है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ३२५ अनुच्छेद में भाषा है वह यह है,

"There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, racer, caste, sex on any of them"

इसमें ज्वाइंट एलेक्टोरेट को ज्यादा एक्स्प्लेन कर दिया है कि इस बेसिस पर न किसी को रोल में शामिल होने से और न किसी कांस्टीट्एंसी के लिये क्लेम करने से रोका जा सकता है। उस भाषा की यहां जरूरत नहीं मालूम होती। ऐसा नहीं है कि सेपेरेट एलेक्टोरेट की कोई मांग नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय सदस्य को यह याद होगा कि अलीगढ़ कानफ्रेंस में मुसलिम जमायत ने एक अपनी यह मांग रखी थी कि सेपेरेट एलेक्टोरेट और रिजर्वेशन होना चाहिए। इसलिए वह इस विषय को जितना मरा हुआ जानते है, उतना मरा हुआ नहीं है। ऐसी हालत में इन शब्दों का रखना आवश्यक है।

श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन माननीय मंत्री महोदय जैसा बतला रहे हैं कि लोग डिमांड भी करते हैं तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कृपा शंकर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ (३) के अन्त से दूसरी पंक्ति में शब्द "from time to time" कोष्ठक में रख लिया जावे तथा "for" व "period" के बीच "total" लिख कर रेखांकित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय स्वशासन मंत्री इस पर अभी विचार कर रहे हैं इसलिये यह अभी पेंडिंग रक्खा जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (३) के अन्त का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह संशोधन आपका अवैध है। यों अवैध है कि आपने पंचायत का टर्म एक साल के लिये बढ़ाने का प्रश्न पहले पास कर दिया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अपना विरोध प्रकट करने के लिये पेश करना चाहता था क्योंकि एक दफा पहले कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--वह इस मर्तबा भी नहीं किया जा सकता।

श्री कृपा शंकर जी का संशोधन जो २७-ख पर है वह बालेन्दु शाह जी का जो संशोधन है उसी में वह भी आ जायगा।

श्री कृपा शंकर--लेकिन तीसरा ऐसा है। जिस में कई शब्द छूट गये हैं, वह कहीं नहीं आता।

श्री अध्यक्ष--तो बाक़ी छोड़ कर तीसरा पढ़ दीजिये।

श्री कृपा शंकर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपखंड (८) के रेखांकित शब्द "Where a" और शब्द "prescribed under Sub-section" के बीच में शब्द "a Gaon-Sabha has failed to elect the full number of members" रख दिया जावे।

श्री अध्यक्ष--उपधारा ८ यह आप बाद में पेश करें क्योंकि अभी इससे पहले बहुत से संशोधन बाक़ी हैं। उपधारा (४) (७) (८) पर आप का नाम छपा हुआ है और वह आप के ही नाम पर है तो उनको मैं बाद में ले लूंगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (५) निम्न प्रकार से रखी जायः

"The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into single member constituencies."

इससे यह होगा कि जितने भी हम गांव पंचायत के मेम्बर बनायेंगे मान लीजिये कि अगर १४ हजार की आबादी हुयी और उसमें ४० ग्राम पंचायत का बनाना हुआ तो सारी ग्राम सभायें ४० हिस्सों में बट जायंगी और वह सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएन्सीं हो जायगी। ताकि उसमें एक इलाके से एक आदमी चुनकर आ सके। यह हमारा इरादा है और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम--यह तो ठीक है कि कांस्टीट्यूएन्सी बनेगी लेकिन उसमें सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएन्सी बनाना फायदेमन्द नहीं होगा बल्कि उससे बड़ी दिक्क़त पैदा होगी।

[श्री मोहनलाल गौतम]

अगर ३०, ४० लाख मेम्बर हुये तो उनके लिये उतनी कांस्टीट्यूएन्सी बनाना काफी मुश्किल हो जायगा। कई बार देखने में आया है जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कांस्टीटयूएन्सी बनी तो कभी [illegible] लाइन खिंचती नहीं है। इसलिये कांस्टीट्यूएन्सी बनावें यह तो ठीक है लेकिन सिंगिल मेम्बर हों इससे दिक्कत पैदा होगी। तो इससे कोई लाभ नहीं होगा बल्कि कठिनाई बढ़ेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर मेम्बर साहब इसको वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं: खंड कि १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (५) की पंक्ति २ में शब्द "authority" और शब्द "into" के बीच में शब्द "in consultation with a represantative of the Gaon Panchayat" रख दिये जायं।

मैं समझता हूं कि इससे कठिनाई पैदा नहीं होगी बल्कि इससे सहूलियत बढ़ेगी। अगर वह गांव पंचायत के प्रतिनिधि से बात करने पर इस काम को करेगा तो उससे सहूलियत होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा कि और जगहों पर भी जब एलेक्शन होते हैं तो यह सलाह ले ली जाती है और इस कन्वेन्शन को बढ़ा रहे हैं। हम कन्वेन्शन के तौर पर इसको करना चाहते हैं लेकिन यहां पर इसका रखना अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि उनसे सलाह ली जाय मगर यहां पर रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे बजाय आसानी के प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को कठिनाई पैदा हो जायगी। मैं इसको स्प्रिट में तो मान सकता हूं लेकिन इसका यहां पर रखना ठीक नहीं है।

श्री मलखान सिंह—अगर इस ऐक्ट के अन्दर कहीं पर वह मुझे दिखला दें तो मैं इसको वापस ले लूंगा। और अगर कहीं पर नहीं तो वह यह शब्द लिख दें तब भी मेरा काम चल सकता है।

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब यह है कि वह इसको रूल्स में ले आना चाहते हैं यहां पर इस ऐक्ट में रखना नहीं चाहते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं यह चाहता हूं कि उनका बेसिस गांव पंचायत की सलाह हो जैसा कि लोकल बाडीज का है। लेकिन यहां इसके हाथ बांधने में मैं दिक्कत देख रहा हूं और जितना मैं कहता हूं उतना मैं चाहता हूं कि पूरा हो जाय। इसलिये उनकी सलाह से कंस्टीट्यूऐंसीज शुरू में बनें, ऐसा कनवेंशन डेवलप हो, यह मैं नहीं चाहता। रूल्स के बारे में अभी मैं नहीं कह सकता।

श्री मलखान सिंह—मैं वापस नहीं लेता। इस पर वोट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (५) की पंक्ति २ में शब्द "authority" और शब्द "into" के बीच में शब्द "in consultation with a representative of the Gaon Panchayat" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (६) की पंक्ति ३ और ४ में से निम्नलिखित वाक्यांश निकाल दिया जाय:--

"the payment of fees and"

अध्यक्ष महोदय जिस उपधारा में यह संशोधन चाहा गया है वह इस प्रकार है :

"The election of the members of a Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such manner as may be prescribed and the rules may provide for the payment of fees and the furnishing of security deposit"

और मेरे संशोधन से वह इस प्रकार हो जायगी--

"The election of the members of a Gaon Panchayat shall be held on joint electorate system in such manner as may be prescribed and the rules may provide for the furnishing of security deposit"

यह आपकी भी जानकारी है और सदन के सभी सदस्यों की जानकारी है कि लोकसभा, विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया इत्यादि के जितने भी चुनाव हैं उनमें उम्मीदवारों से केवल जमानत का इन्तजाम किया जाता है कि ख्वाहमख्वाह लोग न खड़े हो जायें जिन्हें जनमत प्राप्त नहीं हो। सीक्योरिटी तो एक सर्वमान्य चीज बन गई है और केवल वही यहां रखनी चाहिये। फ़ीस का कोई सवाल नहीं होना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रधानों के लिये पहले फ़ीस ८ रुपये से १२ रु० कर दिये गये हैं, उपप्रधानों के लिये ५ से ८ रुपये और मेम्बरों के लिये ४ से ५ रुपये कर दिये गये हैं। इस तरह से यह बड़ी धनराशि हमारी सरकार जमा कर लेती है, और अध्यक्ष महोदय देहातों में बहुत गरीब लोग खासकर हरिजन और पिछड़े लोग हैं जो यह रुपया नहीं दे सकते और इस प्रकार वे अपने गाँव की सेवा से वंचित रहेंगे। फ़ीस से तो केवल धनी लोग ही आ सकेंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो धनियों से अच्छी सेवा कर सकते है, उनसे अधिक योग्य होते है लेकिन गरीब होते हैं, और वे बेचारे इस काम के लिये रुपया जमा नहीं कर सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गलत व्यवस्था फ़ीस की की जा रही है। केवल सीक्योरिटी होनी चाहिये। अच्छे लेकिन गरीब लोगों को महरूम नहीं करना चाहिये। फ़ीस भी लगाने से अच्छे व्यक्ति चुनाव में भाग न ले सकेंगे और इस सदन के कई विषयों पर बहस करते हुए क्वालिफिकेशन्स और ३० साल की उम्र के सवाल पर बड़े जोरदार शब्दों में राय जाहिर की गयी कि पिछड़ी हुई जातियों को इसमें ज्यादा हिस्सा लेने दिया जाय। इसलिये इसमें कोई प्रतिबन्ध ऐसा नहीं लगाना चाहिये कि जिससे उनके आने में दिक्कत हो तथा लोगों को प्रैक्टीकली कठिनाई हो। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि चुनाव के लिये यह फीस की व्यवस्था निकाल दी जाय जैसा कि और चुनावों में है।

महाराजकुमार बलेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम नारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझ नहीं पाया कि इसमें दो प्रकार की व्यवस्था किस कारण से की गयी है। जहां तक दूसरे चुनावों की बात है उनमें केवल डिपाजिट ही लिया जाता है चाहे वह शख्स हार ही क्यों न जाय। लेकिन अगर वह काफी संख्या में वोट ले आता है तो उसका डिपाजिट भी लौटा दिया जाता है। यहां डेमोक्रेसी है, उसके लिये इलेक्शन्स होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो न तो इलेक्शन्स को समझते हैं और न डेमोक्रेसी को। जो योग्य व्यक्ति हैं वे ही ठीक तरह से उसको समझ पाते है और चुनाव में सफलता प्राप्त करते हैं। जो जो सज्जन चुनाव में सफल हो जाते हैं या काफी वोट पा जाते हैं उनको यह डिपाजिट वापिस हो जाता है। लेकिन इसमें जिस फीस की व्यवस्था की जा रही है वह अगर एक दफा दे दी गयी तो फिर किसी सूरत में वापस न आयेगी, मैं समझता हूं कि इससे लोगों का अहित होगा। इसका एक दुष्परिणाम यह भी होगा कि अच्छे लोग चुनाव में न आ

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]

पायेंगे। मेरे ख्याल में यह एक ऐसा हैंडीकैप होगा जो चुनावों के लिये बुरा साबित होगा। यह तो मानी हुई बात है कि गांवों में योग्य व्यक्तियों की कमी है। अगर १-२ भी इस कारण से चुनाव में भाग न ले पाये तो यह एक बुरी बात होगी। इसमें कोई सिद्धांत का भी प्रश्न नहीं है दूसरे माननीय मंत्री जी शायद यह भी नहीं कहेंगे कि यह आमदनी का जरिया है। लेकिन अगर यह आमदनी का जरिया हो भी तो डैमोक्रेसी को चलाने के लिये सरकार को ऐसा खर्च स्वयं बरदाश्त करना चाहिये। इससे जो थोड़ी सी रकम वसूल होगी उसका लालच करने की मैं समझता हूं न तो माननीय मंत्री जी की इच्छा है, और न उससे विशेष लाभ होगा। इसलिये मैं राम नारायण जी का समर्थन करता हूं और सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस बीच के हिस्से को निकाल दे और केवल डिपाजिट को ही रहने दे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो फीस की रकम रक्खी गयी है उससे मैं समझता हूं कि पंचायतों में उनके कारण सही आदमी न चुन पायेंगे। पहले का तजुर्बा यह है कि पहले जो ४-५-१० रुपया जो फीस रखी गयी थी उस फीस के कारण बहुत से ऐसे आदमी जिनको लोग चाहते थे, वे नहीं पहुंच पाये। वे ऐसे आदमी थे जिनके पंचायतों में आने के बाद गांव की समस्यायें अच्छी तरह से सुलझ सकती थीं लेकिन वे लोग फीस के कारण नहीं आ पाये क्योंकि वे फीस इकट्ठी नहीं कर पाये और न दे पाये। जिनको पब्लिक नहीं चाहती थी वह पंचायतों में पैसा देकर पहुंच गये। और लोग जिनको भेजना चाहते थे उनके लिये पैसा भी इकट्ठा किया और उनके चुने जाने के बाद पंचायत उन्हीं की बन गयी तथा जिन लोगों को जनता चाहती थी वे लोग नहीं आ पाये। तो फीस रखने से बहुत बड़ी गड़बड़ी यह होगी कि जो अच्छे लोग गांव में रहते हैं वे फीस न देने की वजह से नहीं आ पायेंगे। इसलिये यह फीस नहीं रखनी चाहिये। हां, यह बात मैं मान सकता हूं कि उनके लिये आप कुछ जमानत रख दीजिये कि वे जमानत अदा करें। अगर वे न जीतें तब तो उनकी जमानत जब्त कर लें और अगर जीत जायं तो उनकी जमानत वापस कर दें। लेकिन फीस लगाने से यह होगा कि जो ईमानदार और सही आदमी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं और चाहते हैं कि हम ईमानदारी से अपने देश और गांव की सेवा करें वे नहीं आ पायेंगे। बल्कि जो लोग तीन पांच करने वाले हैं, और इधर-उधर करने वाले हैं वे चाहेंगे कि पंचायतों में उन्हीं की मेजारिटी हो जाय ताकि जिस तरह से पहले लोगों को अपने काबू में रखते थे उसी तरह से अब भी लोगों को अपने काबू में रख सकें। जब फीस रखने की बात आयेगी तो बहुत से सही लोग जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे, पंचायतों में नहीं आ पायेंगे तो जिन लोगों के पास पैसे हैं उनको मौका मिल जायगा कि वे अपने हेली-मेली के लिये भी पैसा दाखिल कर दें। फिर इस तरह से जितने लोग चुनकर आ जायेंगे उनकी वजह से पंचायतों में बड़ी गड़बड़ी होगी और पंचायतों का काम अच्छी तरह से नहीं चल सकेगा। जो मंशा माननीय मंत्री जी का है कि पंचायतें अच्छी तरह से तरक्की कर सकें और जो वे गांवों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं वे स्वर्ग न बन कर नर्क बन जायेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि फीस रखने की बात को हटा दें और जैसा कि मैंने कहा वही जमानत वाली चीज रखी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि संशोधन में है कि फीस तो हटा दी जाय और डिपोजिट को रखा जाय। डिपोजिट रखने से कितनी दिक्कत पैदा होगी यह जरा सोचने की बात है। अगर २० लाख आदमियों को चुनना है तो फिर २० लाख आदमियों का डिपोजिट जमा होगा, और फिर यह इन्तजाम करना कि १/८ वोट न मिले तब जब्त होगा, और हर कोई का रिकार्ड रखना और तब फिर उसकी जमानत जब्त करना और बाकी का वापस करना, इस संशोधन से जैसा कि जाहिर होता है जमानत रखने से बड़ी दिक्कत पड़ेगी।

अगर आप जमानत को खत्म करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है। जैसा कि ४१-ख में है "ऐंड दि फर्निशिंग आफ सेक्युरिटी डिपोजिट" अगर श्री राम नारायण जी अपना अमेंडमेंट ऐसा कर दें कि वे फीस के बजाय सेक्युरिटी डिपोजिट खत्म करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है। हमारा विचार है कि सेक्युरिटी रखने से काफी दिक्कत होगी और इसके साथ यह भी देखना है कि इसमें कितना खर्च पड़ेगा। फीस जो ली जाती है, इस एलेक्शन का खर्चा लोकलबाडीज के जिम्मे भी थोड़ा पड़ता है। अगर फीस न रखें और जमानत रखें तो मैं समझता हूं कि उससे दिक्कत पड़ेगी और खर्च भी नहीं निकलेगा। इसलिये मुझे अफसोस है कि फीस हटाने की बात मैं इस समय स्वीकार नहीं कर सकता।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी दोनों को हटा दें तो क्या आपत्ति होगी?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं सेक्युरिटी डिपोजिट हटाने के हक में हूं लेकिन फीस हटाने के हक में नहीं हूं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने सेक्युरिटी लफ्ज को हटाने की बात कही है। ऐसी उनकी इच्छा मालूम होती है कि वे इस चीज को मान लेंगे लेकिन फीस न लगाने की बात को स्वीकार नहीं कर सकते। माननीय रामनारायण त्रिपाठी का प्रस्ताव है कि जो फीस का लफ्ज है उसे हटा दिया जाय। अगर फीस का लफ्ज हटा दिया गया तो गांव वालों को फीस का रुपया नहीं देना पड़ेगा. माननीय रामसुभग वर्मा जी ने जो कहा है, मैं चाहता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी का ध्यान उधर जाना चाहिये। यह बात निर्विवाद है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको पंचायतों से कुछ लाभ की कोई आशा नहीं है, मैं निजी लाभ की बात नहीं कह रहा हूं, वैसे सामूहिक लाभ की आशा तो हर व्यक्ति कर सकता है और फिर एक बार तीन रुपया, पांच रुपया या दस रुपया निकाल कर पंचायत का मेम्बर बनने के लिये या अदालती पंचायत का मेम्बर बनने के लिये वह देगा तो उसके सामने एक दिक्कत का सवाल खड़ा हो जायेगा। श्री रामसुभग वर्मा जी ने अ ने अनुभव की बात बतलायी कि इससे पंचायतों के काम में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। अब रही बात यह कि चुनाव में जो खर्चा पड़ता है वह कहां से आवे। उस चुनाव के खर्च के लिये कुछ गुंजाइश की जाय इसकी चिन्ता है मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि यह पंचायतें बुनियाद हैं स्टेट और समाज के लिये। पंचायतें जितनी भी अधिक मजबूत हों उतना ही अच्छा है और यही सरकार की इच्छा होनी चाहिये। पैसे की कठिनाई भी लोगों के सामने रहती है और ३ रुपया और ५ रुपया न दे सकने वालों की तादाद भी गांवों में काफी रहती है और इसलिये उनको इससे बरी रहने में कोई उज्र नहीं होना चाहिये। अतः निष्पक्ष लोगों को लाने के लिये यह जरूरी है कि हम फीस को हटावें। चुनाव के खर्च के लिये मैं कहूंगा कि पंचायतों पर अगर कुछ रुपया खर्च हो जाय तो उसके लिये सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिये। हमारे संविधान में भी गुंजाइश की गई है कि शासन की इकाई गांव पंचायतें ही होंगी उत्पादन और ला एन्ड आर्डर के लिये और सब चीजों के लिये हम को उन्हीं पर भरोसा करना चाहिये। अगर हमें यह करना है और प्रजातंत्र की रक्षा करना है तो हमें इस इकाई पर निर्भर रहना चाहिये और जिस इकाई पर हमें सारे देश के प्रजातंत्र की दीवार खड़ी करना है उसे हमें सुदृढ़ बनाना चाहिये और उसको जहां तक हो सके हमें अधिक से अधिक स्वतंत्र और दूसरे प्रभावों से बरी रखना चाहिये। अगर हमें इस काम में ५-१०-५० लाख या एक करोड़ रुपया भी खर्च करना पड़े, तो जिस पर हम अपने राष्ट्र की बुनियाद बनाना चाहते हैं, राष्ट्र की दीवार खड़ी करना चाहते हैं तो कर देना चाहिये। इस तरह से हम फीस ले कर उस रुपये की पूर्ति नहीं कर सकते।

आगे जो संशोधन आने वाले हैं उन में कहा गया है कि पंचायतों के लिये सरकार रुपये का बन्दोबस्त करे और अगर मंत्री जी उनको स्वीकार करेंगे तो उन को इस तरह की दिक्कत न होगी कि जमानत के रुपये से ही पंचायतों का चुनाव करावें। अगर मंत्री जी इस बात को

[श्री गेंदासिंह]

मान लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले संशोधनों में हम को इस बात की गुंजाइश निकालने के लिये मजबूर होना पड़ेगा और हम मजबूर होंगे कि हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये किन्हीं दूसरे उपायों की शरण लें। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं भी यह नहीं चाहते होंगे कि पंचायतों के मुताल्लिक ऐसी दिक्कतें बनी रहें। इतना कहने के बाद मैं दरख्वास्त करूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेने की कृपा करेंगे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उन विचारों की सराहना करता हूं जिन के अनुसार उन्होंने जमानत को समाप्त करने का आश्वासन दिया है। इससे हम बहुत सी दिक्कतों से बच सकते हैं। जो लोग रुपया इकटठा कर के मुश्किल में जमा करते हैं [illegible]

[illegible] जो दिक्कत उठाना पड़ता था वह सब अब नहीं रहेंगी। इस आश्वासन के लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे सामने यह भी एक गम्भीर प्रश्न है कि यह फीस रखी जाय या नहीं। आज हम अपने गांवों का निर्माण करना चाहते हैं और हम गांव की गरीबी की हालत भी जानते हैं कि वहां अधिकतर लोगों को मजदूरी भी नहीं मिलती। रोजगार की भी परेशानी है तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो उनका विचार है कि एलेक्शन में खर्च पड़ता है उसको पूरा करने के लिये कुछ थोड़ा सा लगा दिया जाय तो अव्वल तो मेरा हृदय इसके लिये गवाही नहीं दे रहा है फिर भी हमारी प्रार्थना है कि जो उम्मीदवार सुरक्षित सीट से खड़े हों कम से कम उनके लिये कोई फीस न ली जाय और उनको आनरेरी तरीके से सेवा करने का मौका दिया जाय। जो सुरक्षित सीट से खड़े होने वाले हैं वे यों भी समय नहीं दे पाते अपने बाल बच्चों के पेट भरने के साधन में यों भी जुटे रहने के कारण, फिर वह फीस दे कर खड़े हों यह तो अजीब सी बात है। उनको खड़े होना पड़ता है इसलिये कि सीट सुरक्षित है लेकिन उनसे फीस लगा देना ठीक नहीं है। इसलिये मैं नम्र निवेदन करता हूं कि उनसे जो कम से कम शिड्यूल्ड कास्ट की सुरक्षित सीटों पर खड़े हों उनसे कोई फीस न ली जाय।

†श्री मदनमोहन उपाध्याय--जो संशोधन माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने पुराने तजुर्बे से कहता हूं कि इससे यदि फीस ली जाती है तो जो गांवों में सम्पत्ति वाले हैं उनका प्रभाव पूर्ण रूप से हो जायेगा या जैसा कि रामसुभग वर्मा जी ने कहा कि कुछ लोग उनके लिये रुपया जमा कर देंगे और उनको ग्राम पंचायतों का मेम्बर बना देंगे और बाद में उन्हीं के हाथों से उनके ही अधिकारों का दुरुपयोग करायेंगे। माननीय मंत्री जी को स्वयं इतने सालों के तजुर्बे के बाद फीस की बात को हटा लेना चाहिये था लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, एक अफवाह यह भी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चुनाव चेयरमैन का होने वाला है वह गांव पंचायतों के मेम्बर के जरिये से होंगे। अब अगर फीस लेकर गांव पंचायतों के मेम्बर बनेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त गरीब लोग यों ही ग्राम पंचायतों में दिलचस्पी नहीं ले पाते और जब यह फीस लेकर ग्राम पंचायतों के मेम्बर हो सकेंगे तो उनको और भी दिलचस्पी लेने से महरूम कर दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, अगर एक आदमी रुपया जमा करना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है तो वह किसी से पैसा लेकर जमा करेगा। और इसका असर सबसे ज्यादा हरिजनों पर पड़ेगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन और दूसरे लोग रुपया जमा करके ऐसी सीटों पर खड़े हो सकते हैं जो देश के हित के लिये ठीक नहीं होगा और जो काम करने वाले हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त डिमोक्रेसी के और बड़े बड़े भाग हैं उनमें पैसा नहीं जमा करना पड़ता। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्युनिसिपल बोर्ड के, असेम्बली के, पार्लियामेंट के किसी के चुनाव में पैसा नहीं देना पड़ता फिर इस छोटी सी

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिमोक्रेसी की जगह पर जहां लोग गांवों की सर्विस करना चाहते हैं यह क्यों किया जाता है कि वह पैसा दें तब सर्विस करें। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और माननीय मंत्री जी को माननीय राम नारायण जी का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--(श्री मोहनलाल गौतम से) अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखें। मैं यह पूछता हूं कि वह संशोधन आपने क्या तैयार कर लिया ?

श्री मोहनलाल गौतम--हां, तैयार है अभी मैं आपके आफिस में भेज देता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो वह बाद में आजायेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इससे पहले बोलने वाले कुछ मेरे लायक दोस्तों ने उसूल की बात कही। वह उसूल यह था कि गांव के गरीब लोगों को गांव पंचायतों के चुनाव में खड़े होने के रास्ते में कोई माली बाधायें कानून द्वारा न डाली जायं ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब तबके के लोग खड़े हो सकें और चुने जा सकें जिससे उनको इज्जत मिले। यह बिल्कुल दुरुस्त बात है और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो संशोधन इस वक्त सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें कहा गया है कि गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हों उनसे फीस न ली जाय। लेकिन सेक्योरिटी डिपाजिट ली जाय। अब उक्त उसूल के मातहत इस प्रश्न पर विचार करने के लिये दो कसौटियां बन जाती हैं। एक तो यह कि कौन सी चीज, फीस और सेक्योरिटी डिपाजिट इन दोनों में से बड़ी असुविधा वाली है और दूसरे कौन सी गैर जरूरी मालूम होती है। मोटे तरीके से हम जानते हैं कि फीस की रकम हमेशा सेक्योरिटी डिपाजिट की रकम से छोटी होती है इसलिये यह स्वयं-सिद्ध हो जाता है कि सेक्योरिटी डिपाजिट की रकम मुहइया करने में अधिक असुविधा होगी। दूसरी बात यह है कि फीस जमा करने के बाद उसकी वापसी का कोई सवाल नहीं उठता। इसलिये वह असुविधा जो वापस करने में गांव वालों को होगी अगर फीस ली जाय तो नहीं होगी। गांव वालों को कम फुर्सत, कम जानकारी और कम टाइम होने की वजह से सेक्योरिटी डिपाजिट वापस करने में बड़ी मुश्किल होगी। इसलिये हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि गांव वालों को सेक्योरिटी डिपाजिट की वजह से बड़ी असुविधा होगी।

दूसरी कसौटी जो मैंने इस सवाल को तय करने में लगाई थी वह यह कि कौन सी गैरजरूरी है। हर चुनाव में रुपया खर्च होता है। इस चुनाव में भी सरकार को कुछ न कुछ खर्च करना पड़ेगा। कुछ लायक दोस्तों ने कहा था कि म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह के जो चुनाव होते हैं उनमें फीस नहीं है। लेकिन वह भूल गये कि उनके लिये सरकार बजट में चुनाव कराने के लिये प्राविजन करती है। अब हमारे सामने यह सवाल है कि या तो इन पंचायतों के चुनाव के लिये बजट में प्राविजन किया जाय या यह कि जो लोग खड़े हों चुनाव में वह थोड़ी सी रकम दे दें जिससे चुनाव हो जाय। पब्लिक स्प्रिटेड जो होंगे वे थोड़ी सी फीस भी दे दें तो अनुचित नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन इस प्रकार से मान लिया जाय कि सेक्योरिटी डिपोजिट न ली जाय और फीस ली जाय।

श्री मोहन लाल गौतम--आपने अपना अमेंडमेंट मूव कर दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव पंचायतों के उम्मीदवारों से फीस का लिया जाना और डिपोजिट का लिया जाना यही सदन के सामने विचार के लिये है, अभी माननीय सदस्य ने तर्क दिया कि डिपोजिट ज्यादा होगी इसलिये डिपोजिट खत्म कर दी जाय और फीस बहुत थोड़ी होगी इसलिये उसे रख दिया जाय और माननीय मंत्री का भी यही विश्वास है। जहां तक इस तर्क को मैं देखता हूं, यह कोई तर्क नहीं है, डिपोजिट माननीय मंत्री इसलिये छोड़ने को तैयार हैं क्योंकि उसमें उनको कुछ दिक्कत है। शासकीय दृष्टि से डिपोजिट जमा करने और उनको वापस करने और उनका एकाउण्ट रखने में कठिनाई है; उनका यह प्रस्ताव ठीक ही है। लेकिन यह कहना कि डिपाजिट अधिक होता है और फीस कम होती है। इसलिये फीस रखी जाय और डिपोजिट खत्म कर दी जाय, उचित नहीं है। देखना यह है कि किसका भार सदस्यों पर क्या पड़ता है। डिपाजिट अधिक होती है लेकिन वापस मिल जाती है। किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होती। अगर कोई माननीय सदस्य ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत का सदस्य डिपाजिट जमा करता है तो इस उम्मीद पर कि उसको वापस मिल जायगी। लेकिन जहां तक फीस का प्रश्न है वह तो वापिस नहीं मिलेगी। इसलिये चाहे वह मद में छोटी हो लेकिन भार उसका अधिक पड़ेगा।

इसलिये मैं यह समझता हूं हमें अगर पंचायत राज को कामयाब करना है, पंचायत राज को चलाना है और लोगों को पंचायत तथा न्याय की सुविधायें देनी है और पंचायतों में योग्य व्यक्ति आयें तो हमें कोई हैण्डीकैप नहीं रखना चाहिये जिससे योग्य व्यक्ति पंचायत में न आ सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि ग्राम पंचायतों का चुनाव होगा उसी प्रकार न्याय पंचायत के सदस्यों का भी होगा। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे मंत्री जी उसका कुछ नाम रखें इन्हीं में से न्याय पंचों को चुनेंगे। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आपने नाम तो न्याय पंचायत रखा लेकिन इसमें एक अड़चन यह पड़ जायगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गांव पंचायत के चुनाव से न्याय पंचायत के लिये खड़े नहीं होंगे। इसके कारण हैं। एक कारण यह है कि चुनाव जो होगा, जो व्यक्ति न्याय पंचायत के लिये खड़ा होगा उसको प्रथम तो निर्वाचन में सफल होने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरे यह कि अगर सफल हो जायगा तो गारन्टी नहीं है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उन्हीं व्यक्तियों को जिनको कि ग्राम सभा न्याय पंचायत का सदस्य बनाना चाहती है उनको न्याय पंचायत का सदस्य चुने। तो इस तरह से जो न्याय पंचायत में आना चाहता हो वह कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसको डबल ट्राइल पास करना पड़ेगा। और अगर फीस रखते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति जो समय दे सकते हैं तथा मेहनत कर सकते हैं लेकिन पैसा नहीं दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति, आपकी ग्राम पंचायत अथवा न्याय पंचायत कहिये, उसमें नहीं आ सकते हैं और आपकी पंचायत जो होगी वह अच्छी नहीं होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि पंचायतों में अच्छे-अच्छे व्यक्ति आयें और इस पैसे वाला प्रतिबन्ध को न रख करके सब को खुली सुविधायें प्रदान कर दीजिए ताकि अच्छे व्यक्ति जो आना चाहें उनको दिक्कत महसूस न हो। जैसा कि मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि पैसा रखने से यह अड़चनें पैदा हो जायंगी। जैसा माननीय रामसुभग वर्मा ने कहा था फीस रखने से यह अड़चन पैदा हो जायगी कि बहुत से व्यक्ति जो योग्य हैं वे पैसों के कारण नहीं आ सकते हैं और उनके एवज में ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, जो पंचायत में अपना बहुमत चाहते हैं वे डिपाजिट देकर, फीस देकर न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में अपना बहुमत प्राप्त कर लेंगे जिसके कारण आपका पंचायत राज कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिये इसमें खर्च का लिहाज न करके फीस की व्यवस्था को तुरन्त खत्म कर दिया जाय।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने है मैं समझता हूं कि जहां तक फीस का मसला है अगर हम जो लोग चुनावों में भाग लेंगे उनसे नहीं लेते हैं तो इसके माने यह हो जाते हैं कि हमारी प्रदेशीय सरकार का करोड़ो रुपया जो चुनाव में खर्च होता है और जिसे दूसरे उन्नति के कार्य में लगाया जा सकता है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। यह कहना कि गांव में रुपये, दो रुपये या ऐसी कोई छोटी रकम कोई दे नहीं सकता है तो मेरी समझ में ऐसी परिस्थिति किसी गांव की नहीं है जिसमें इतनी छोटी रक़म लोग न दे सकते हों। हम लोकल बाडीज के चुनावों को यदि देखें तो हमारी यह प्रथा चली आयी है कि उसमें चुनाव का जितना खर्च होता है उसके लिये वे खुद प्रबन्ध करती हैं। अगर हमारी गांव सभायें खर्च का प्रबन्ध नहीं कर सकतीं, तो मेरी समझ में और कोई भी तरीक़ा नहीं निकल सकता कि जिससे हम इस खर्चे की पूर्ति कर सकें। ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि कोई न कोई फीस हम मुक़र्रर करें जिसको जो लोग गांव सभाओं के चुनाव में खड़े होना चाहते हैं आसानी से दे सकें। जो न्याय पंचायत की बात अभी हमारे माननीय सदस्य ने कही, उसकी तो इसमें कोई चर्चा भी नहीं है कि न्याय पंचायत के लिये जो लोग चुने जायंगे उनसे भी फीस ली जायगी। इसमें तो जो गांव पंचायत के लिये चुने जायंगे उन्हीं के लिये है। इसलिये न्याय पंचायत की बात इसमें शामिल करना उचित नहीं है। मैं तो यही उचित समझता हूं कि फीस कुछ न कुछ जरूर ली जाय। सिक्योरिटी डिपाजिट की रक़म जरूर कुछ न कुछ अधिक होती है और अगर सिक्योरिटी डिपाजिट उनसे माँगी गई तब तो जरूर कुछ अड़चन आ जाती है। इसलिये सिक्योरिटी डिपाजिट तो नहीं रखनी चाहिये लेकिन फीस जरूर लेनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया गया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी दल के कई माननीय सदस्यों ने मेरे इस संशोधन पर भाषण किया, लेकिन उन्होंने यह बात जताने की कोशिश की कि मैं सिक्योरिटी डिपाजिट को रखना चाहता हूं और फीस को हटा देना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी डिपाजिट और फीस दोनों सरकार रखना चाहती है। मेरा संशोधन तो केवल इतना था कि मैं फीस को निकाल देना चाहता हूं। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा कि वह सिक्योरिटी हटा सकते हैं, अगर वह इसको हटा दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों को दिक्कत हो और कानूनी परेशानी हो।

खासतौर से सरकारी दल की तरफ से जो दलीलें दी गयीं उसमें यह बतलाया गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव में काफी रुपया लगता है, यदि फीस नहीं ली जायगी तो यह रुपया कहां से आयगा। वैसे तो रुपया हर चीज में खर्च होता है। मिनिस्टरों की जगह के लिये रुपया लगता है, हम लोगों के चुनाव में रुपया लगता है। अगर रुपया लगता है तो फिर चुनाव ही न किये जायं और सब काम ही खत्म हो जायं लेकिन यह जरूर है कि यह विचार करने की बात है कि कितना रुपया लगता है।

यदि हम यह मान लें कि हमारे सूबे में ३५ हजार गांव सभायें हैं और उनमें ३० से लेकर ५१ तक पंचायत हैं। मैं इसलिये औसतन प्रति गांव पंचायत ४० मान लेता

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हूं। अगर एक रुपया फीस ले ली जाय तो १४ लाख रुपया होता है और फीस १२ से लेकर ५ रुपये रखी जा रही है। मैं इसको औसत ८ लिये लेता हूं। इस तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक करोड़ १२ लाख रुपया सरकार वसूल करती है और मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना रुपया किसी भी चुनाव में खर्च नहीं हुआ। सरकार इसको रुपया कमाने का साधन बनाना चाहती है। एक करोड़ १२ लाख रुपये वसूल किये जायं और मैंने पिछले बजट में देखा कि करीब ६५ लाख रुपये इखराजात में थे और सेक्रेटरीज का वेतन भी है। मैं समझता हूं कि इतना रुपया बचाया जाता है और सरकार मुफ्त में वाह वाही ले लेती है कि सरकार सेक्रेटरीज को तनख्वाह दे रही है और यह रहस्य जनता की निगाह में नहीं आता है कि यह फीस भी ली जा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना रुपया नहीं लग सकता है। सरकार जरूर आमदनी करती है।

अब रह गया पिछले चुनाव के बारे में बतलाया गया है। उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में किसी भी कानूनगो को भत्ता नहीं मिला क्योंकि उनको अपने हल्के में मिलता नहीं है। कहीं-कहीं नायब तहसीलदार गये। उनको भत्ता मिला होगा। अगर माननीय मंत्री जी उनके आंकड़े पेश करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह रकम एक नगण्य रकम होगी। मेरे सामने मध्य भारत, बंगाल और पंजाब वगैरा के ऐक्ट्स मौजूद हैं। वहां कहीं भी इस तरह से फीस नहीं ली जाती है। बारों सूबों में कहीं भी इस बात का प्रावीजन नहीं है। हमारे यहां यह नई व्यवस्था की जा रही है। मैं समझता हूं कि इसमें दलील की कोई बात नहीं है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि मैं गरीब आदमियों को पंचायतों में लाना चाहता हूं। आज एक समस्या हमारे सामने है कि अच्छे लोग पंचायतों में नहीं आते हैं और यही कारण है कि गांव पंचायतें निषक्रिय सी रहती हैं। अगर कुछ कार्यशीलता दिखाई पड़ती है तो न्याय पंचायतों में। गांव पंचायतों में लोग सेवा कार्य से वैसे ही दूर रहना चाहते हैं और इस पर भी आप फीस की शक्ल में यह जुर्माना रखना चाहते हैं। तो वह फिर इसके नजदीक भी नहीं आयेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि हमारी पंचायतों का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पायगा, जो अनुचित है। इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि यह तो है ही कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं आदरणीय सदन से अपील करूंगा कि वह इसको स्वीकार करने की कृपा करे।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी को जो आंकड़े उनके किसी मित्र ने दिये हैं उसमें अर्थमेटिक की गलती हो गई है। उनका कहना है कि जितनी रकम आती है उससे हम उसको थोड़ा सा घटा कर पंचायतों के कामों पर सरकार खर्च कर देती है और सरकार वैसे ही वाहवाही ले लेती है। उनको यह पता नहीं है कि यह रकम चार पांच साल बाद एक मर्तबा ही आती है और पंचायतों को ऊपर तो हर साल रकम खर्च होती है। इसलिये यदि माननीय त्रिपाठी जी के आंकड़ों को ही मान लें तब भी यह रकम कई गुना बढ़ जाती है और फिर ऐसी सूरत में वाहवाही की बात ठीक ही होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कुछ चीजें तो अवश्य ऐसी रखी जानी चाहिये जिससे बेकार के लोग खड़े न हों। जो सीरिअस नहीं हैं, जो चाहते नहीं हैं, इस तरह की एक चीज कई तरफ से कही गई। अब अगर यह बात है तो इसमें देखना यह होगा कि कौन सी चीज सुविधाजनक है—फीस या सेक्योरिटी। इस संशोधन के पेश करने वाले माननीय सदस्य ने भी सेक्योरिटी को रखा है और सेक्योरिटी को खत्म करने का कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा संशोधन नहीं दिया। दूसरे लोगों ने सेक्योरिटी के बजाय फीस को रखा है। तो आम तौर से अगर इस सब का निचोड़ रखा जाय तो कोई माननीय सदस्य चाहते हैं कि सेक्योरिटी रखी जाय और कोई चाहते हैं कि फीस रखी जाय। अब दोनों में से कौन आसान है यह देखना है। इस बात को रोकने के लिए कि गलत लोग न आयें एक प्रकार की सेक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया २०, २५ लाख आदमियों का चुनाव होगा। २०, २५ लाख आदमियों की सेक्योरिटी जमा करना गांव-गांव में और फिर उसका हिसाब रखना, जिसकी सेक्योरिटी जब्त हो जाय उसकी जब्त करके बाकी को वापस करना, यह सब एक बहुत कठिन चीज हो जायगी और एक बहुत लम्बा चौड़ा हिसाब किताब हो जायगा। अब इसमें यह है कि फीस रख दी जाय, एक एक या दो दो रुपये का फार्म है, लेकर और दस्तखत करके नामिनेशन पेपर फाइल कर दिया जाय तो इसमें वह फीस जमा हो जायगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है।

तो सदन यह देखेगा कि कोई न कोई चीज रखने की तो जरूरत है और मैं समझता हूं कि इसमें सुविधाजनक फीस मालूम होती है। दिक्कत यह बतलाई गई कि गरीब आदमी नहीं आयेंगे। कुछ गरीब अगर ऐसे भी हैं, जो कि ५ साल में एक या दो रुपया पंचायत की मेम्बरी के लिए नहीं खर्च कर सकते यह मैं मान भी लूं। लेकिन, एक बात की तरफ मैं तवज्जह दिलाऊंगा कि सिर्फ तीन-चार रुपये खर्च करके कोई ईमानदार आदमी अगर इसलिये नहीं आयेगा कि उसे वहां कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं समझता हूं कि इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जायगा, पार्लियामेंट और असेम्बली के लिए किसी का आना क्योंकि जो २०० रुपये एलाउंस के मिलते हैं, अगर ५ साल के लिए भी उनको जोड़ा जाय तो भी वह इतना नहीं होगा, जितना कि एक मर्तबा एलेक्शन में खर्च हो जाता है। उसमें पार्टियां भी देती हैं और इंडिविजुअल भी खर्च करते हैं, लेकिन जो खड़ा होता है वह केवल यह नहीं देखता कि १० हजार खर्च करके १२ हजार पावेगा या नहीं। तो हर एक मेम्बर जो खड़ा होता है और जिसको पूरा खर्च जितना वह करता है नहीं मिलता है वह बेईमान ही हो, यह ठीक नहीं है। इस सदन के बहुत से सदस्य हैं जिनको उनका पूरा खर्च नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं गेंदा सिंह जी यह नहीं कहेंगे कि वह किसी दूसरे मकसद से आये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि दो चार रुपये खर्च है और ५ साल की बात है। इतना देने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को माननीय रामनारायण जी वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (6) की पंक्ति ३ और ४ में से निम्नलिखित वाक्यांश निकाल दिया जाय---

"The payment of fees and"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज सिंह यादव---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (6) की पंक्ति ४ के शब्द "and the furnishing of security deposite" निकाल दिये जायं।

पिछले संशोधन पर विचार करते समय माननीय मंत्री महोदय और सदस्यगण इसको स्वीकार कर लिया है, इसलिये इस पर दुबारा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। मैं समझता हूं कि इस क्लाज को निकाल देना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (6) की पंक्ति ४ में शब्द "and the furnishing of security deposit" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १३ की उपधारा (७) की दूसरी व चौथी पंक्ति में "Gaon Panchayat" शब्दों के बाद "and Nyaya Panchayat" जोड़ दिये जायं तथा आठवीं पंक्ति के शब्द "and from" के बाद "the twenty 6th day of January, 1960" वाक्य को हटा कर वाक्य "according to the constitution of India" रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पंचायत राज के जो चुनाव हुये थे गांव सभाओं और पंचायती अदालतों दोनों के चुनाव जनता द्वारा हुये थे। लेकिन अब की इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उनमें जो न्याय अदालतें होंगी उनमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा चुनाव होना है। अगर इसमें इस तरह का प्राविजन नहीं होता है तो हम नहीं कह सकते कि उसमें कोई भी हरिजन पहुंच सकेगा। यह मानी हुई बात है कि इस संबंध में पूज्य बापू ने समानता देने के लिये बहुत से प्रयत्न किये और यदि न्याय पंचायतों में और इस तरह के स्थानों में उनको समानता नहीं दी जाती तो वह जो समानता की भावना है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता।

दूसरे जहां तक रिजर्वेशन होने या न होने की बात है वहां कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में और सेक्शन २८, आई० पी० सी० में भी दिया हुआ है कि किसी भी आफिस में रिजरवेशन हो सकता है। और पंचायत अदालतों में जो होंगे वह गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाये जायेंगे। और गवर्नमेंट सरविस के किसी भी आफिस में रिजरवेशन हो सकता है इस सिलसिले में पंचायती अदालतों में रिजरवेशन होना आवश्यक है। अगर प्रेस्काइब्ड अथारिटी न होती तो जिस तरह से पिछले चुनावों में बहुत काफी लोग पहुंच गये थे इसी तरह से इसमें भी उम्मीद थी। इसलिये अगर इसमें यह प्राविजन रखा जाय तो अच्छा होगा।

साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि १९६० में जो रिजरवेशन समाप्त कर देने की बात है उसमें जैसा कि संविधान में दिया हुआ है उसके मुताबिक रक्खा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वह अगर पहले समाप्त हो तो इसे भी पहले समाप्त कर दिया जाय और अगर वह बाद में समाप्त हो तो इसे भी बाद में समाप्त किया जाय। उसमें और इसमें फर्क नहीं मालूम होता है कि जब कि उसमें इस तरह का प्राविजन दिया हुआ है। तो मेरी राय में उसके लिये तारीख नियत कर देना अच्छा नहीं मालूम होता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अनुचित चीज होगी कि हम न्याय पंचायत में भी जाति-पांति की बात लाकर रखें। न्याय पंचायतों में यह बात पैदा करना कि एक अछूत प्रतिनिधि हो। दूसरे और जातियों के हों यह चीज बहुत ही हानिकारक, न्याय के लिये होगी। जहां पर हम को मुकदमों को फैसल करना है, जहां पर हमको हर एक चीज पर निस्पक्ष भाव से गौर करना है वहां पर कोई अछूत जाति का प्रतिनिधि हो, यह बहुत ही गैरमुनासिब और अनुचित होगा। मैं समझता हूं कि यह चीज ठीक नहीं है। यह एक किस्म का जहर फैलाना होगा और इस चीज को न्याय पंचायत में कभी भी गवारा नहीं करना चाहिये, तो इस लिहाज से मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन के इस अंग का कि शेड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी रक्खा जाय, मैं विरोध करता हूं।

दूसरी चीज आती है कि आया जो तारीख हमने इसमें रक्खी है वह इसमें रक्खी जाय या न रक्खी जाय। मैं समझता हूं कि हमारा पंचायत राज ऐक्ट इस सूबे में जारी है। शेड्यूल्ड-कास्ट के लोगों को हम जो मौका दे रहे हैं गांव पंचायतों में वह चीज तो चल ही रही है और

जाने चाहिये और इस काबिल हो जाना चाहिये [illegible] में उसको मुजबजब रखना और कोई तारीख निश्चित न करना अनुचित होगा। जो तारीख रक्खी गई है बहुत ही मुनासिब है। उस तारीख तक वे अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जायेंगे और उनको इस बात की जरूरत न पड़ेगी कि उनको रिजर्वेशन दिया जाय। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

†श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुरलीधर कुरील जी के इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे जो बात हमारे कुंवर कृष्ण वर्मा जी ने कही कि यह अच्छा नहीं जंचता कि न्याय पंचायतों में हरिजनों का रिजर्वेशन हो, वास्तव में मैं भी इसका कायल हूं कि इस तरह की चीज पैदा करना उचित नहीं है। लेकिन अगर न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो वह भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि न्याय पंचायतों में हरिजनों का रिजर्वेशन न होना वास्तव में बहुत अन्याय होगा। आप देखेंगे कि जहां रिजर्वेशन का सवाल न हो वहां हजार केसेज में अगर प्रतिनिधित्व का सवाल आता है तो एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां हरिजनों को प्रतिनिधित्व मिला हो या उसकी ओर विशेष ध्यान जाता हो। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब गवर्नमेंट द्वारा पंचायत राज अमेंडमेंट ऐक्ट कमेटी बनी थी, तो उसमें हरिजनों का एक भी सदस्य नहीं था। तो समझ में नहीं आता कि जब विधान सभा और गवर्नमेंट में हरिजनों के प्रतिनिधित्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो हरिजनों का यह कोशिश करना कि रिजर्वेशन वाली धारा हर जगह लागू हो जाय, मैं समझता हूं कि यह अनुचित नहीं है और अगर सरकार या हमारे अन्य साथी यह चाहते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न इस हाउस में न लाया जाय तो मेरी राय में वे इस बात की कोशिश करें कि जहां कायदे से हरिजनों का एक प्रतिनिधि होता हो वहां दो कर दें और फिर देखें कि इस पर भी हरिजन मांग जारी रखते हैं या नहीं।

अभी हाल ही में, उपाध्यक्ष महोदय आपने देखा होगा कि कौंसिल के इलेक्शन में ८ आदमी चुने गये और कायदे से एक से ज्यादा हरिजनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिये थे लेकिन एक भी नहीं हुआ। अगर हम हरिजन एम० एल० एज० अपने ही वोट्स से चुनते तो मैं समझता हूं कि कम से कम एक आदमी अवश्य चुन सकते थे। तो इस प्रकार आये दिन ये बातें हुआ करती हैं कि जहां पर रिजर्वेशन वाली बात आयद नहीं होती वहां हरिजनों को कम्प्लीटली इगनोर कर दिया जाता है। इसी तरह से सर्विसेज में भी माननीय सदस्यों को नागवार मालूम होता है कि जब देखो हरिजनों के बारे में ही प्रश्न हुआ करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा सिर्फ एक मतलब है और वह यह है कि हम हाउस के सामने सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि जो नीति १८ फीसदी की है वह वास्तव में दिखावटी है और इसके अन्दर कोई सार नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग प्रश्नों के उत्तर में यह न सुनते कि ३०० चपरासियों में सिर्फ १४ चपरासी रखे गये जब कि उनको ५४ रखना चाहिये था। तो यह प्रश्न एक बड़ा गहरा प्रश्न है जब आप चपरासी जैसी जगह के लिये पूरा रिप्रजेन्टेशन नहीं दे सकते हैं जहां पर योग्यता और अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर बड़ी जगह के लिये हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जायगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जब तक संविधान में हरिजनों के लिये रिप्रिजेन्टेशन का प्रश्न है और जिस प्रकार की चीजें हरिजनों के लिये रखी गयी हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात से तो उसी आधार पर न्याय पंचायत में भी उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री जोरावर वर्मा]

जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है कि इसको ६० तक रखा जाय और तब उसके बाद यह खत्म हो जायगा, तो इस प्राविजन के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन तो अपने आप ही इस ऐक्ट में हो जाता है। मान लीजिये कि ऐक्ट में खत्म नहीं होता है जो अभी म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट पास हुआ है उसमें भी इस प्रकार का प्राविजन नहीं है कि ६० तक या १० साल तक हरिजनों का प्रतिनिधि रखा जाय। वह तो उस संविधान के अनुसार जैसा भी होगा चलेगा या नहीं चलेगा। उसके अनुसार ही होगा। इसलिये मैं अपने माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वह अपने हृदय पर हाथ रखकर ईमानदारी से सोचें कि आज हरिजन जो यह अपनी बात रोजाना कहते हैं वह क्यों कहते हैं। अभी रामनारायण त्रिपाठी जी ने फीस के लिये संशोधन रखा था। उसको हम भी रख सकते थे लेकिन अगर इस बात को कोई दूसरा ही रख दे जिसको हम चाहते हों तो फिर हमको उस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये अगर जो उस बात को, जो हमारी हो, आप ही कर दिया करें तो फिर हमारे लिये कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और हाउस का समय बरबाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं तो असल में इसका विरोधी हूं कि यह १९६० क्यों रखा गया है। जब एक जगह आप रख रहे हैं फिर उसको क्यों बैन करते है ? हमारा संविधान जो है वह हमारे लिये मान्य है और उसके लायल हैं। इसलिये हम यह समझते हैं कि वह उचित नहीं है। यह जो संशोधन आया है इसको मैं मानने के लिये तैयार हूं लेकिन आप बीच में इस तरह की बात क्यों रख देते हैं कि यह रिजर्वेशन ६० तक ही रखी जाय ? इसके अन्दर रिजर्वेशन रखा गया है जो कि इंडियन संविधान के मुताबिक है तो फिर बीच में आप यह दूसरी बात कैसे ले आते हैं कि इसको फलां समय तक रखा जाय और इसको बैन कर देते हैं ? आज भी मैंने देखा कि एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहा कि १४ चपरासी रखे गये जब कि ज्यादा होने चाहिये थे। तो चपरासी के लिये किस योग्यता की आवश्यकता है जिसकी वजह से आप यह पूरी जगह नहीं देना चाहते हैं ? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह डेमोक्रेसी सफलीभूत नहीं हो सकती है अगर हम अपने संविधान के मुताबिक कार्य नहीं करते हैं। जो और बात संशोधन में कही गई है वह बड़ी सुन्दर है और माननीय मंत्री महोदय को उसको मान लेना चाहिये क्योंकि यह संशोधन बहुत सुन्दर है।

*श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—आज जो इस पंचायत राज के विधेयक में संशोधन हो रहे हैं और उसमें जो यह रिजर्वेशन के लिये संशोधन हुआ है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक ऐसा संविधान हमारे देश में मौजूद है कि हरिजनों के लिये रिजर्वेशन जब तक वह उचित समझेंगे रहेगा तो फिर मेरी समझ में एक बात नहीं आयी कि इस संशोधन में यह कहां से आ गया कि सन् १९६० तक यह रहेगा। यह चीज कहां से अपनायी गयी, किस तरीके से अपनायी गयी ? यह देखकर कहना पड़ता है कि किसी भी ऐक्ट में ऐसा नहीं आया कि उस सीमा तक रहेगा सिवाय विधान के जिसमें कि ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ऐक्ट में मीयाद को निकाल दें क्योंकि जब तक यह समस्या है उस समय तक रिजर्वेशन रहेगा। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है, हमारी उन्नति न हो जाय तब तक रिजर्वेशन होना चाहिये। यह समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो रिजर्वेशन की दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ म्याद कायम की जाती है। यह बड़े खेद की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे श्री मुरलीधर कुरील के संशोधन को मान लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो श्री मुरलीधर कुरील ने उपस्थित किया है, मैं उसकी मुआफिकत में कुछ कहने को खड़ा हुआ हूं। जहां तक संविधान का संबंध है उसमें बिलकुल साफ है कि पार्लियामेंट और असेम्बली के लिये हरिजनों को कोटा या सुरक्षित स्थान रखे गये हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या ग्राम पंचायतों में जो स्थान सुरक्षित रक्खे जाते हैं वे धारा के मातहत नहीं रक्खे जाते बल्कि वह आर्टिकिल १५(४) और १६(१) (४) के मातहत रक्खे जाते हैं। चूंकि वह बहुत पिछड़े हुये हैं, वह दूसरे लोगों के मुकाबिले में नहीं आसकते जब तक कि उनको सुरक्षित स्थान न दिये जायं, इसलिये यह रक्खा जा रहा है। जहां तक संविधान का ताल्लुक है वह बिलकुल साफ है, उसमें तो पार्लियामेंट और असेम्बली के लिये सुरक्षित स्थान रक्खे गये हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया और ग्राम पंचायत के लिये उसमें कोई जिक्र नहीं आया है लेकिन उनकी गिरी हुई हालत को देखते हुये इन संशोधनों में सुरक्षित स्थान रक्खे गये हैं। फिर यह कह देना कि चूंकि संविधान में सन् ६० तक या १० साल के लिये रक्खा गया है, उसके बाद वह खत्म कर दिया जायगा इसलिये इसमें भी वही कर दिया जाय, इसके बारे में मेरा यह कहना है कि चाहे १० साल के बाद में असेम्बली और पार्लियामेंट में हरिजनों के सुरक्षित स्थान न रहें लेकिन अगर उस समय भी यह हाउस यह उचित समझे कि टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों में उनके स्थान सुरक्षित रक्खे जायं तो वही रहेगा जो हाउस मंजूर करेगा। ऐसी हालत में यह तय कर देना कि फलां तारीख तक स्थान सुरक्षित करते हैं, उचित नहीं है या संविधान का सहारा लेकर हम कहें कि जब तक असेम्बली और पार्लियामेंट में स्थान सुरक्षित रहेंगे तभी तक इसमें भी सुरक्षित रक्खे जायं, यह उचित प्रतीत नहीं होता।

एक बात यह भी कही गयी कि ये न्याय की एजेंसी है इसलिये उसमें रिजर्वेशन होना उचित नहीं है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि उनके लिये मुंसिफी और जुडिशियरी में भी स्थान सुरक्षित रक्खे जाते हैं इसलिये यह सोचना कि न्याय पंचायतों में हरिजनों के स्थान सुरक्षित न रक्खे जायं, अनुचित है। इसके अतिरिक्त अब तक जो चुनाव होते थे वे गांव सभा के द्वारा होते थे उसमें बहुत कुछ गुंजाइश थी कि लोग वहां चुन कर आ जायं। लेकिन ऐसी अवस्था में हम कैसे उम्मीद करें कि वहां पर उनकी नामजदगी हो जायगी जब कि नामजदगी का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कि प्रेसाईडिंग अथारिटी होगा, को होगा? ऐसी चीजों को देखते हुये जब कि नाना प्रकार की नौकरियां चाहे जिस तरीके से भर ली जाती हैं और उसमें नामजदगियां होती हैं, उनमें हरिजनों को नहीं लिया जाता, तो मैं नहीं समझता कि यह कैसे कहा जा सकता है कि अब ऐसी अवस्था आगई है कि वे हमारे साथ न्याय करेंगे। रोजमर्रा के कार्यों को देखा जाय तो पता लगता है कि उतना ऊंचा स्तर हमारे समाज का नहीं हो पाया है कि वे हरिजनों को समान अधिकार देने के लिये हो जावें। यहीं तक नहीं, अफसरों में भी कहीं पार्टीबन्दी के आधार को लेकर, कहीं किसी प्रकार के आधार को लेकर, वह उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में, मैं समझता हूं कि इस तरीके से न्याय अदालतों में उनका रिजर्वेशन न करना और उनको यह कहना कि इन दूसरे तरीकों से, या नामजदगी से, उसमें आसकेंगे, यह नामुमकिन बात है। मान लो कि हरिजन कोई वैसे भी चुनकर आगया तो उसे उस अवस्था में छोड़ना होगा या यों कहिये कि एक सीट बढ़ जायगी और हरिजन उससे वंचित रह जायगा। तो इस तरीके से वह इलेक्शन ही ऐसा होगा जिसमें हरिजनों को उनकी आबादी के अनुपात से, जैसा कि इस ऐक्ट में सेक्शन है, उसको पूरा नहीं किया जायगा और फिर यह सोचा जायगा कि उस सीट को बाद में पूरा किया जाय चाहे नामजदगी से पूरा करें या कैसे भी किया जाय। इस तरह से या तो नामजदगी करनी होगी या दूसरा चुनाव होगा ऐसी हालत में मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि क्यों न न्याय पंचायतों में भी उनका रिजर्वेशन स्वीकार किया जाय और उस आधार पर उनकी नामजदगी या एप्वाइंटमेंट किया जाय। किसी हद तक न्याय अदालत का पंच गवर्नमेंट सर्वेंट माना गया है, ऐसा तसलीम किया गया है,

[श्री जयपाल सिंह]
कि उसे सरकारी नौकरी के तमाम अधिकार प्राप्त हैं, यह आप देख सकते हैं जो डेफनीशन धारा २१ के अनुसार गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बतलाई गई है। गांव सभा का मेम्बर या पंचायती अदालत का मेम्बर गवर्नमेंट सर्वेंट की परिभाषा में आता है और इस तरह की पाबन्दी उन पर लगाई जाने की बात है। तो ऐसी हालत में यह कहना कि उनके लिये स्थान सुरक्षित न रखे जावें, यह न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

यों तो यह भी कहा गया है और कहा जाता है हमेशा कि हर जगह हरिजनों को पूरे स्थान दिये जावेंगे मगर होता ऐसा कहीं भी नहीं है। मुंसफी में, जुडिशियरी में या डिप्टी कलेक्टरी में जितने भी सरकारी स्थान हैं उनमें उनको कोटा नहीं मिल पाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस पर फिर से विचार करें कि उनके स्थानों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाय। मैं यह साफ साफ कहूंगा कि अब तो कहीं-कहीं पर पंचायती अदालतों में सरपंच हो भी गये हैं लेकिन इसके बाद मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि सरपंच हो सकेंगे। तो ऐसी अवस्था में इस बात को देखते हुये उनका स्थान सुरक्षित रखना निहायत जरूरी है और इसी तरीके से अदालती पंचायतों में भी उनको सुरक्षित स्थान देना चाहिये। कोई अवधि मुकर्रर करना या यह कहना कि संविधान के आर्टिकल के अनुसार जब असेम्बली या पार्लियामेंट में सुरक्षित स्थान का प्राविजन खतम हो जायगा उस वक्त तक ग्राम पंचायतों में स्थान सुरक्षित रहेगा, यह तो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है कि जब इस हाउस को पूरा अधिकार है कि वह कभी भी अपने कानून में कोई अमेंडमेंट ला सकता है और उस अमेंडमेंट के जरिये उसे खत्म कर सकता है। क्या यहां पहले मुसलमानों के लिये सेपरेट एलेक्टोरेट नहीं था? क्या इसी हाउस ने उसको खत्म नहीं किया? क्या इसी हाउस ने सेपरेट एलेक्टोरेट की जगह ज्वाइंट एलेक्टोरेट का सिस्टम नहीं कायम किया? जब उस हाउस को पूरा अधिकार है तो यह कहना कि इस हाउस को कोई अधिकार नहीं कि वह कोई अमेंडमेंट ला सके। मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। इसका माने तो यह है कि इस हाउस के ऊपर शायद सरकार को भरोसा ही नहीं है इसी से तारीख निश्चित करके उनके लिये सुरक्षित रखा जा रहा है। यह मुनासिब नहीं है यह हाउस हर समय अपना कानून बनाने के लिये स्वतंत्र है और इस प्रकार कोई कानून अमेंडमेंट के जरिये या कोई मुकम्मल कानून बनाने का उसे पूरा अधिकार है। तो मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन दोनों चीजों पर विचार कर लें और विचार करके देखें कि यह कहां तक पूरा हो सकता है। इसलिये मैं यह बात नहीं कहता हूं कि यह हरिजनों की बात है बल्कि मैं समझता हूं कि इसके लिये अभी उचित अवसर नहीं है।

मेरा यकीन है कि ६-७ साल के बाद समाज में कोई तब्दीली नहीं आ जायगी। अगर ऐसी कोई तब्दीली समाज के अन्दर आ जाय और हिन्दुस्तान से छूआछूत दूर हो जाय, वर्ण व्यवस्था व ऊंच नीच की कोई भावना न रहे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जब ६-७ साल की आजादी के बाद हमारे अन्दर कोई तब्दीली खास नहीं आयी है तो अगले दो चार साल में वैसी तब्दीली आ जायगी। ऐसी सूरत में मैं माननीय मंत्री जी से फिर यह दरख्वास्त करता हूं कि वे ठंढे दिल से विचार करें और विचार करके उस पर अमल करने की कोशिश करें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब इस संशोधन पर वाद-विवाद खत्म किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य का ध्यान उनके संशोधन की भाषा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले वाक्य की बाबत तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन दूसरे वाक्य की

बावत कहना है कि वे यह चाहते है कि आठवीं पंक्ति के शब्द " and from " के बाद "the twenty sixth day of January, 1950" वाक्य को हटा कर वाक्य "according to the constitution of India" रख दिया जावे, मै समझता हूं कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यह अनुचित वाक्य है। मैं तो समझता हूं कि वे उचित समझे तो " and from " को हटाने के लिये कोई संशोधन पर संशोधन पेश कर दे। उसके बाद जो उनके संशोधन का मंशा है वह पूरा हो जायगा। वे स्वयं इसके ऊपर विचार कर लें।

श्री मुरलीधर कुरील—अभी तो शायद माननीय मंत्री जी की तरफ से इसका जवाब होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर काफी बहस मुबाहिसा हो चुका है और जिस तरफ ध्यान आकर्षित करना था वह भी हो गया है। इसलिये मै माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको वापस ले ले।

श्री मरलीधर कुरील—जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस के पक्ष विपक्ष में भाग लिया उनका मै आभारी हूं और माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

†श्री मदनमोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मै प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (7) के दोनों प्रतिबन्ध हटा दिए जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों प्राविज़न्स के हटाने से जो मन्शा श्री शिवनारायण जी का है या दूसरे सदस्यों का है वह भी पूरा हो जायगा। मुझे अफ़सोस है कि अभी जो संशोधन पेश था वह बहस मुबाहिसे के बाद वापस हो गया। मेरा संशोधन अगर पेश हो तो माननीय सदस्य वोट दे सकते है। जो रिज़र्वेशन मिला है वह तो चालू ही रहेगा चाहे वह संविधान से मिले या सदन चाहेगा तो वह बढ़ भी सकता है और अगर हटाने की बात होगी तो उसे हमे आगे बढ़ाने में रोकटोक न होगी। जब विधान में खत्म हो जायगा या हमे उसे बढ़ाने का मौक़ा न मिलेगा तो इतने से भी हमारा काम चल जाता है, यही काफी है। इसलिये आगे इन प्राविज़न्स के रखने से परपज सर्व नहीं होता। अब तक जो कानून बने है उनमें कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है, कहीं रिज़र्वेशन दस साल का है कहीं कितने का है। इससे कन्फ्यूज़न पड़ जायगा और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि इन प्राविज़न्स को हटा दिया जाय। उनका रिज़र्वेशन बराबर जारी रहे। जैसे जैसे प्रगति चल रही है उनको रिज़र्वेशन दिया जा रहा है। ऐसा करना उनके ही हक़ में ठीक नहीं है। हो सकता है कि जो कांस्टीटच्यूशन में समय है उसमें उनकी हालत न सुधरे और कभी मौक़ा हो सकता है कि उसको आगे बढ़ाया जाय, इसलिए इसमे हाथ पैर बांध देना ठीक न होगा। इसलिए अगर मंत्री जी इसको मान ले तो माननीय शिवनारायण जी की भी इच्छा पूरी हो जायगी और काफी लाभ होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टीटच्यूशन में लिखा है कि रिज़र्वेशन दस साल तक रहेगा। इसके दोनों प्राविज़न्स का अर्थ है कि वह दस साल तक

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

तो रहेगा ही और दूसरे प्राविजन में यह है कि अगर उस वक्त गांव सभायें बनी हुई हैं तो यह गांव सभायें जारी रहेंगी जब तक कि ५ साल उनके पूरे हो जायंगे। मान लीजिये कि अब नवम्बर दिसम्बर में चुनाव हुआ और उसके बाद दिसम्बर या नवम्बर '५६ में चुनाव हो गया, तो वह चुनाव ५ साल तक कायम रहेगा और वह लोग सदस्य बने रहेंगे आगे ५ साल तक यानी दिसम्बर सन् '६४ तक। तो इन दोनों प्राविजन के माने यह है कि आज से १० साल तक कायम रह सकता है। एक बात बिल्कुल साफ इसके बनाने वालों के दिमाग में है कि जब तक कांस्टीटचूशन में रिजर्वेशन है तब तक तो रहेगा ही तब तक के लिये तो यह गारन्टी करता है लेकिन जब कांस्टीटचूशन में नहीं होगा उस समय रिजरवेंशन रहे या न रहे इस पर यह सदन विचार कर सकता है; और उस समय जरूरत हो तो तय कर सकता है। इसलिये यह जो प्राविजन जैसा है वैसा ही रहने दिया जाय और मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्याय जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी की दलील समझ में नहीं आयी। वह यह कहते हैं कि शिड्यूल कास्ट्स के लिये जितना कांस्टीटचूशन में प्रोवाइडेड है उससे भी वे आगे बढ़ रहे हैं और ६० के आगे भी देना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने यह नहीं कहा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अगर आपने यह नहीं कहा तो क्या कहा समझा दीजिये। मैं समझता हूं कि जितना कांस्टीटचूशन में है उसके बाद जो शिडयूल्ड कास्ट के लोग हैं वे स्वयं अपनी शान के खिलाफ समझेंगे रिजर्वेशन्स का लेना। ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं, जैसा कि मैंने उन्हें समझा, वे तो कहते हैं कि मैंने नहीं कहा लेकिन जैसा मैं समझा कि उनका यह कहना है कि वे ६० के आगे भी इस रिजर्वेशन को बढ़ाते हैं। तभी मेरा यह अमेंडमेंट और जरूरी हो जाता है कि यह कंफचूजन क्रियेट करता है। मेरा आर्ग्यूमेंट उनकी बात से तो और भी ज्यादा वजनी हो जाता है और रीजनेबिल हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे आर्ग्यूमेंट को स्वीकार करके मेरे अमेंडमेंट को मानेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—जो मैंने कहा था वह यही था कि अब तक कांस्टीटचूशन में है तब तक के लिये तो गारंटीड है ही। लेकिन वह तो २६ जनवरी, १९६० तक है। इसका दूसरा प्राविजन जो है वह यह है कि उस डेट को जो पंचायतें चुनी हुई होंगी उनका वह रिजर्वेशन कायम रहेगा जब तक उनकी मियाद है। वह कई साल बाद तक जा सकता है। कांस्टीटचूशन में जो अवधि है उसके लिये गारंटीड है। उसके बाद इस सदन को अधिकार होगा कि कांस्टीटचूशन की अवधि को रखें या न रखें। अगर कांस्टीटचूशन में बढ़ जाता है तो उसमें भी बढ़ जायगा लेकिन अगर कांस्टीटचूशन में न रहे तो भी सदन को अधिकार रहेगा कि उसको रखें या न रखें।

श्री जयपाल सिंह—मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। पार्लियामेंट और असेम्बलियों के लिये तो सुरक्षित स्थान है कांस्टीटचूशन में लेकिन उसके अलावा तो नहीं है। उससे यह किस तरह से सम्बन्धित है?

श्री मोहनलाल गौतम—इसमें कांस्टीटचूशन में सीट्स का रिजर्वेशन असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये है लेकिन उसी के भाव को लेकर यह गांव सभाओं के लिये

रिजर्वेशन कर दिया गया है और कह दिया गया है कि जब तक कांस्टीट्यूशन में है तब तक तो रिजर्वेशन रहे और उसके बाद सदन को अधिकार हो।

श्री जयपाल सिंह—कान्स्टीट्यूशन से पहले से था ?

श्री मोहनलाल गौतम—कांस्टीट्यूशन से पहले से गांव सभा में ही क्यों इस मुल्क में रिजर्वेशन था शेडयूल्ड कास्ट और माइनारिटीज का इसलिये जो वसूल है यह तो हिस्टारिकल चला आता है उसकी बहस नहीं है। सवाल यह है कि कांस्टीट्यूशन में इस वक्त जब तक है तब तक नहीं हट रहा है। उसके बाद आपको खुद अख्तियार होगा कि आप बढ़ाये या न बढ़ाये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (7) के दोनों प्रतिबन्ध हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—श्री रतनलाल जी का जो संशोधन है ४२-ग है वही पहले कृपाशंकर जी का था जो कि उस वक्त पोस्टपोन कर दिया गया था, पेज ८ पर ३७-ख। और वह इसलिये पोस्टपोन कर दिया गया था कि उसका आठवें हिस्से से ताल्लुक था इसलिये जब तक कि ५ और ६ न लिये जायं तब तक वह पोस्टपोन कर दिया गया था। इस वक्त रतनलाल जी नहीं है इसलिये कृपाशंकर जी को ३७-ख पेश करने की इजाजत दे दी जाय।

श्री कृपाशंकर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपखंड (8) के रेखांकित शब्द "Where" और शब्द "prescribed under Sub-Section" के बीच में "a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members" रख दिये जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, "where" के आगे जो 'a' लिखा हुआ है वह निकाल दिया जाय क्योंकि फिर दो मर्तबे "a-a" हो जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ स्पष्ट नहीं मालूम होता है क्योंकि अंग्रेजी की प्रतियों में यह जुड़ता नहीं है, उसमें तो यही मौजूद है। इसलिये इसका अन्तिम रूप जो हो वह पढ़ दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—अब यह इस तरह से होगा "Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed····"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (8) के आरम्भ में शब्द "a" व "prescribed" के बीच में शब्द "Gaon Sabha has failed to elect the full number of members" रख दिये जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १३ की प्रस्तावित नई धारा 12 (8) के रेखांकित अंश की अंतिम चार पंक्तियां निकाल दी जायं और उनके स्थान पर निम्न-लिखित शब्द समूह रख दिया जाय :—

"so elected members to fill in the seats so remaining vacant by co-option from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so co-opted shall be deemed to have been duly elected"

[श्री विष्णुदयाल वर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, जो इस विधेयक की प्रस्तावित धारा है वह इस प्रकार है :-

"Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2), it shall be called upon to elect the remainingnumber of members, but if it again fails to elect the full number of remaining members it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed to have been duly elected"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन मान लिया जाता है तो इसका जो रूप बनेगा वह इस प्रकार होगा।

"Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2), it shall be called upon to elect the re'mainin-number of members. But if it again fails to elect the full number of refmainging members it shall be lawful for the so elected members to fill in the seats So remaining vacant of Gaon Sabha and any member so Co-opted shall-be deemeds to have been duly elected"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रस्ताव है वह बिल्कुल प्रजातन्त्र की भावना के अनुकूल है। जो यहां पर प्रस्तावित धारा विधेयक में दी हुई है वह प्रजातन्त्र की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। उसमें यह बतलाया गया है कि अगर कोई गांव सभा अपने पूरे मेम्बरों को चुनने में फेल होती है जो कि सब-सेक्शन (२) में प्रेस्काइब्ड है और सीट खाली रह जाती है तो उन सीटों को नियत अधिकारी या सरकार पूरा करदेगी। तो श्रीमान् जी यह भावना ठीक नहीं है। पंचायतें जो कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुकूल बनी हैं कि ग्राम निवासी अपनी भावना के अनुसार जिसे चाहें चुनें, वहां पर सरकार की तरफ से या नियत अधिकारी की तरफ से उनके ऊपर अथारिटी इम्पोज करना यह प्रजातन्त्र के प्रतिकूल है। श्रीमान् जी, जहां तक कोआप्शन का सम्बन्ध है वहां तक जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ऐक्ट था उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी और कुछ सदस्य कोआप्शन द्वारा लिये जाते थे। तो इस तरह का अधिनियम में प्रोवीजन किया जा रहा है यह किसी तरह से प्रजातंत्र की भावना का समर्थक ही है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय पंचायतों और न्याय पंचायतों से करप्शन हटाना चाहते हैं और ईमानदार सदस्यों को पंचायत में रखना चाहते हैं। लेकिन जो तरीका वे अपनाने जा रहे हैं वह मैं समझता हूं कि किसी तरह से प्रजातन्त्र की भावना के अनुकूल नहीं है। वरन् प्रजातन्त्र प्रणाली के प्रतिकूल है। वह एक तानाशाही तरीका है और मैं उसका विरोध करूंगा। श्रीमान् जी, जो संशोधन रखा गया है उसके माने यह होंगे कि मान लीजिये किसी ग्राम सभा के लिये ३५ सदस्य चुनने हैं और उनमें से किन्हीं कारणों से २५ ही चुने गये और १० सीटें खाली रह गयीं तो ये १० सीटें माननीय मंत्री जी के अनुसार गवर्नमेंट द्वारा पूरी की जायंगी, लेकिन संशोधन में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि वे पहले जो २५ मेम्बर चुन लिये गये हैं वे ही कोआप्शन के द्वारा पूरी कर लेंगे। यह संशोधन मेरी समझ में बहुत ही अच्छा है और प्रजातन्त्र की भावना के अनुकूल है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसे मान लें। इससे देश का कल्याण ही होगा और पंचायतों में जो करप्शन का उनको डर है वह भी किसी तरह से नहीं आने पायेगा वरन् वह दूर ही होगा।

श्री कृपा शंकर—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका मतलब केवल इतना ही है कि अगर गांव सभा पूरे मेम्बरों को न चुन सके और कुछ जगहें खाली रह जायं तो बजाय इसके कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी उन्हें नामिनेट करे जो मेम्बर चुन कर आये हैं उन्हीं को कोआप्ट करने का

अधिकार दिया जाय। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि कोआप्शन का लफ्ज ऐसी जगह इस्तेमाल होता ० जहां पर कमेटी की कोई तादाद फिक्स नहीं होती है और प्राविजनल तौर पर बनाली जाती है और लोगों को अख्तियार दिया जाता है कि अगर वे चाहें तो २,४, १०, ५ मेम्बर कोआप्ट कर सकते हैं। आम तौर से जो इस तरह की कमेटियां बनती हैं उनके लिये कोआप्शन का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो तादाद मुकर्रर थी उसको नहीं चुना गया। उसके बाद उनसे फिर कहा गया कि वे बाकी जगहों के लिये चुनें। फिर भी उन्होंने नहीं चुना। इसके बाद फिर वे लोग जो चुनकर आये वे ही कोआप्ट करें यह कुछ बहुत अच्छा नहीं मालूम होता है। इसमें यह प्राविजन तो मौजूद ही है कि अगर पहली बार पूरे मेम्बर नहीं चुने जायंगे तो उनसे दोबारा कहा जायगा और दोबारा अगर वे फेल हो जायंगे तब यह मौका प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को आयेगा कि वह जिसको चाहे नामिनेट कर दे। इसलिये कोआप्शन की कोई बात उठती नहीं। मौका तो उनको दिया ही जाता है। शायद ही कोई ऐसा मौका होगा कि जहां दोबारा 'काल अपान' करने के बाद भी पूरी सीटें न भरी जा सकें। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जिन माननीय सदस्य ने इसको पेश किया है शायद इन दिक्कतों को देखकर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री विष्णुदयाल वर्मा ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और आशा है कि बावजूद माननीय कृपा शंकर के भाषण के और जो विचार उन्होंने प्रकट किये हैं उनके यह सदन और माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। प्रश्न कोई बहुत गूढ़ या संगीन नहीं है। प्रस्तुत धारा के अनुसार जो विधि बनायी गयी है यह है कि यदि पहली बार गांव सभा पूरी संख्या में मेम्बर न चुन पाये तो उसको एक बार फिर चुनने का आदेश मिलेगा और यदि दूसरी बार भी वह पूरी संख्या में गांव पंचायत को नहीं चुन पाती है तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार होगा कि वह उतने सदस्यों को नामजद कर दे। माननीय विष्णु दयाल के संशोधन का भाव यह है कि बजाय प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार देने के जो मेम्बर चुन लिये गये हैं उनको यह अधिकार हो कि जितने सदस्यों की कमी है उनको छांट लें। प्रश्न बहुत सरल है। माननीय कृपा शंकर जी ने कोआप्शन के ऊपर कुछ कहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि अक्सर उन व्यक्तियों के लिये होता है जो संख्या जितनी निश्चित होती है उससे अधिक व्यक्ति लिये जाते हैं तो उनके लिये वह प्रयोग में लाया जाता है। किन्तु जो सुझाव श्री विष्णुदयाल जी वर्मा ने दिया है उसके सिद्धान्त के ऊपर माननीय कृपा शंकर जी ने कुछ कहा जिसको मैं समझ नहीं पाया हूं। शायद उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कहा था लेकिन अंत में जो उन्होंने कहा वह स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि यदि किसी कारण से गांव सभा के पूरे प्रतिनिधि नहीं छांट पाये जितने कि गांव पंचायत में प्रतिनिधि भेजने हैं। यह स्पष्ट है कि उन्हीं सदस्यों को यदि अधिकार दे दिये जायं जो कि चुनकर आये हैं कि जितने सदस्यों की कमी है उनको वह छांट लें तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन में एक शाब्दिक संशोधन पेश करना चाहता हूं और वह संशोधन यह है कि जहां शुरू में लिखा गया है कि "so elected member" के स्थान पर शब्द "the member so elected" रख दिये जायं। इससे भाषा शुद्ध हो जाती है। जहां देखो वहां पर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को घुसेड़ा जा रहा है। यहां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार देना बेकार है। चुनाव में अगर पूरी पंचायत नहीं चुन पाती है तो कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती कि जिनको लोगों ने चुन लिया है, उनको ही अधिकार दे दें कि वह जितनी कमी हुई है, उनको चुन ले।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

मैं मान सकता हूं कि यह आपत्ति उठाई जाय कि वहां पर पक्षपात हो सकता है और जो चुन लिये गये हैं वह लोग चुनने में फेवरटिज्म करेंगे। अगर यह आरोप इनके ऊपर लगाया जा सकता है तो इसके साथ ही साथ प्रेस्काइब्ड अथ रिटी पर भी लगाया जा सकता है और यह बहस कहीं भी खत्म नहीं होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विष्णुदयाल जी ने संशोधन पेश किया है और साथ ही साथ माननीय बालेन्दु शाह जी का जो उसमें संशोधन है मैं उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज सेवा में संशोधन पेश किया गया है उसका मंशा यह है कि जो पंचायत चुनी जायगी और जो मेम्बर उसमें चुने जायंगे उसमें यदि कमी पड़ेगी तो उनको पूरा करने के लिये सरकार की तरफ से नियत अधिकारी होगा वह उस कमी को पूरी करेगा। लेकिन उन्होंने संशोधन रखा है कि इस कमी को पूरी करने के लिये जो लोग चुनकर आयेंगे वह कोआप्शन कर लेंगे। मैं आपके सामने यह रखूं कि पंचायत किस तरह से चुनी जाती है तो यह सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं वह फीस नहीं दे पाते, इसमें कमी पड़ जायगी, इसलिये कि वह चुने नहीं जायंगे। अगर सही सही पंचायतों का चुनाव माननीय मंत्री जी कराना चाहते हैं तो इसको फ्री कर दें और किसी प्रकार की फीस और प्रतिबन्ध न हो तो पंचायतों के चुनाव में कमी का सवाल नहीं होता। जहाँ पंचायतों का चुनाव होता है तो वहां के बसने वाले ईमानदार लोगों को चुन लें और पूरा पूरा चुनाव हो जाय। इसलिये यह सवाल पैदा होता है कि इसमें पैसा दाखिल करने का सवाल है। जितने लोग दाखिल कर देंगे वही चुने जायंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वह चुने नहीं जायंगे। जब वह चुने नहीं जायंगे तो कमी पड़ जायगी। बहुत से ऐसे आदमी हैं जो सोचते हैं कि चार रुपया मजदूरी करके इकट्ठा करके फीस दे दें। और फीस देने के बाद हम पंच हो जायं तो इससे हमको कोई फायदा नहीं है और न हमको वह पैसा वापस मिलेगा। तो जब ऐसी चीज उनके सामने है तो वह सोचते हैं कि हम चार रुपये क्यों दें? वह इस वजह से पंचायतों में पंचों के आने में कुछ कमी पड़ जायगी। जो उन्होंने संशोधन रखा है उसके अनुसार जो लोग चुने जायंगे वह उस गांव के प्रतिनिधि होंगे और प्रतिनिधि स्वरूप होने के नाते उस गांव का सुधार करने के लिए अपने माफिक अच्छे लोगों का चुनाव कर लेंगे। चुनाव करने के बाद इस तरह से एक अच्छी पंचायत बन जायगी और वह उस काम को अच्छी तरह कर सकती है। तो माननीय मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि उन लोगों को वह अवश्य यह अधिकार दें कि जो चुनकर आयें वह बाकी लोगों का चुनाव करें। यही सब से अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय विष्णुदयाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन मेरे माननीय साथियों ने इस तरमीम को पेश किया उन्होंने एक बात को मद्देनजर नहीं रखा और वह यह है कि यह आपत्ति किन सूरतों में आ सकती है। गांव सभा के मेम्बरान को यह हक दिया गया है कि वह पंचायत के मेम्बरान का चुनाव करें। लेकिन अगर वह किसी वजह से पूरी तादाद जो कानून के मुताबिक रखी गयी है उतने लोगों का चुनाव न करें, चुनाव न करना चाहें तो ऐसी सूरत हो सकती है कि उनसे यह कह सकें कि तुम बाकी लोगों का चुनाव करो। अगर कोई आपत्ति है तो वह दूर हो जानी चाहिए, कोई गलती है तो वह दूर हो जानी चाहिए और उन्हें

पंचायत के मेम्बरान का चुनाव कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वह इस पर भी चुनाव नहीं करते तो इसके माने यह है कि उनके रास्ते में कोई आपत्ति नहीं, बल्कि जानबूझकर वे कायदे का पालन नहीं करना चाहते और कवायद की पूर्ति नहीं करना चाहते। उनमें किसी किस्म की सी पार्टीबाजी, या दलबन्दी जैसी कोई चीज मौजूद है जिसकी वजह से वह कानून को रोकना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं और पूरी तादाद मे पंचायतों का चुनाव करना नहीं चाहते। ऐसी सूरत मे फिर उनके साथियों को, उसी जमात को यह हक दे देना कि वह मेम्बर्स को चुने इसके तो माने यह है कि उनको एक ऐसा प्रीमियम दे दिया जाय, एक ऐसा मौका दे दिया जाय कि पहले तो चुनेंगे नहीं, कहने पर भी नहीं चुनेंगे और चुने जाने के बाद उनको यह उम्मीद रहे कि जिनको चुना है वही बाकी को भी कोआप्ट कर लेंगे। तो, इस किस्म से एक खास किस्म के आदमी उसम पहुंच जायंगे। इसलिये किसी निस्पक्ष पार्टी को, किसी निष्पक्ष ताकत को यह हक देना चाहिए कि वह उस जगह नामजदगी कर सके और ऐसी सूरत में जब कि ग्राम सभा अपना काम न करे, अपना काम करने से कासिर रहे, बार बार कहने पर भी चुनाव न करे तो फिर उनके चुने हुए मेम्बरों को यह हक देना कि वह आपस में कोआप्ट करके अपनी मर्जी के मुताबिक मेम्बरों को बढावें यह मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को यह हक अपने पास रखना चाहिये कि मुनासिब लोगों को देखकर कि कौन इसके अहल हैं उनको नामजद करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री विष्णुदयाल वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें जो प्राविजन है वह यह है कि दो बार एलेक्शन हो जाने पर भी अगर गांव पंचायतों के सदस्य न पूरे हो सके तो उन सदस्यों को प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी नामजद करेगी। उनका संशोधन है कि कोआप्शन के द्वारा हो मैं समझता हूं कि कोआप्शन और नामिनेशन में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जहां तक ग्राम पब्लिक का प्रश्न है गवर्नमेंट या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो है उसको अधिक अच्छी तरह से समझ सकती है बनिस्बत लोकल आदमियों के क्योंकि जब कानून ने पंचायत को एक बार मौका दिया और फिर दोबारा मौका दिया कि जिन सदस्यों की कमी है उनको एलेक्ट करो, लेकिन उसके बाद भी अगर इस संस्था को वह पूरी नहीं कर सकते तो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी नामजद करे। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में कोई अड़चन नहीं पड़ती है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसको स्वीकार न किया जाय और जो इसमें लिखा हुआ है वही माना जाय।

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विष्णुदयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। मेरा विरोध इसमें निहित सिद्धांत से उतना नहीं है जितना एक विशेष कानूनी दिक्कत पैदा होने से। यदि गौर करके इसको पढ़ा जाय तो इसमें यह लिखा है—

"so elected members to fill in the seats so remaining vacant by co-option from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so co-opted shall be deemed to have been duly elected."

यदि इस संशोधन को मान लिया, यद्यपि यह कोई जरूरी नहीं है लेकिन कानून में हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये प्राविजन होना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोई भी मेम्बर न चुना जाय, कोई भी नामिनेशन न हो और सब लोग किसी तरह से इलेक्शन को बाईकाट कर दें तो ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये इस संशोधन में कोई

[श्री केशभान राय]
प्राविजन नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा यह ख्याल है कि माननीय श्री विष्णुदयाल वर्मा अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—अध्यक्ष महोदय, मैं विष्णुशरण वर्मा जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं। इसमें दो दलीलें दी गयी हैं। एक तो यह है कि प्रश्न इसमें सिर्फ यह है कि जो ग्राम सभाएं पंचायत के पूरे मेम्बरों को निर्वाचित न करें तो उस काम को कैसे पूरा किया जाय। इसमें यह प्राविजन रखा गया है कि एक बार और उनको मौका दिया जायगा और अगर उस बार भी नहीं चुनते हैं तो सरकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये से उन सदस्यों को नामजद करवा सकती है। जहां तक नामिनेशन और कोआप्शन का संबंध है उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है लेकिन उन्होंने जो संशोधन रखा है उसका अर्थ यह है कि जो काम पूरा किया जायगा वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये नहीं होगा बल्कि एलेक्टेड मेम्बर्स से पूरा किया जायगा।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

दोनों कोआप्शन से और नामिनेशन से भी, जिन मेम्बर्स की कमी चुनाव में न आने की वजह से रह गई है उनकी कमी इस तरह से पूरी की जायगी? प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करेगी लेकिन अगर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा कमी पूरी होती तो वह संतोष की बात होगी। उसमें कुछ अन्तर मालूम नहीं होता। अन्तर केवल इतना है कि जो अतिरिक्त मेम्बर्स चुने जाने चाहिये थे, जो नहीं चुने गये हैं उनको बजाय प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करे, इस संशोधन का अर्थ यह है कि गांव सभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वे ही यह अधिकार पायें कि उनको चुन लें। यह सैद्धान्तिक रूप से सही भी है क्योंकि सरकारी सदस्यों में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के विषय में जो एतराज किया है उसमें शायद उनको भय है, जैसे जोरावर सिंह जी ने विरोध किया, उनको शायद यह खतरा महसूस होता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रक्खी जाय तो मुमकिन है कि उसमें हरिजन लोगों को ज्यादा नामजद करेगी। लेकिन यह प्रश्न ही नहीं है। जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भी हरिजनों को चुन सकते हैं। प्रश्न तो सिर्फ इतना है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को आप उचित समझते हैं या निर्वाचित सदस्यों को, जो कि ग्राम सभा के चुने हुए सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि इससे वो दिक्कतें हल हो सकती हैं। एक तो फीस की कमी की जो बात है जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि किसी के पास फीस न हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता और दूसरे यह भी हो सकता है कि कुछ सदस्यों को वक्त से इत्तिला न मिल सके या नियत समय से पहले फार्म्स न भर सकें। यह कारण हो सकते हैं जिनसे पूरे मेम्बर्स न आ सकें। लिहाजा फीस न देने की वजह से जो कमी हो सकती है वह दूर हो जाती है और वह व्यक्ति निर्वाचित सदस्य बन कर आ सकता है।

दूसरी बात नामिनेशन की है। आपने दो ब्लाक्स रक्खे हैं नामिनेटेड और इलेक्टेड। दोनों ब्लाक्स में मतभेद होने की गुंजाइश रहती है। आम तौर से यह होता है कि जो नामिनेटेड ब्लाक के सदस्य होते हैं वे सब एक हो जाते हैं और इलेक्टेड ब्लाक के सदस्य सब एक हो जाते हैं। टाउन एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड्स में नामिनेटेड सदस्य रक्खे जाते हैं वहां तो यह अर्थ हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का साथ नामिनेटेड सदस्य दे सकें लेकिन यहां पंचायतों का चुनाव तो कांग्रेस पार्टी के बेसिस पर होना नहीं है तो नामिनेशन का सेक्शन रखने से वह उद्देश्य हल नहीं हो पाता। तो ऐसी नामिनेटेड और एलेक्टेड ब्लाक में आपस में मतभेद होगा और पंचायतों में गड़बड़ होगी इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन मुनासिब है और मंजूर किया जाय।

श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अपने विरोधी-दल के सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने पहला सेंटेंस पढ़ा होता "व्हेअर ए गांव सभा हैज फेल्ड टु इलेक्ट दी फुल नम्बर आफ मेम्बर्स"। जब गांव सभा फेल हो जाय तभी इस बात की जरूरत होगी। हमने गांव सभा को फुल अथारिटी दे रक्खी है। डेमोक्रेसी की असली जड़ वहां बो रक्खी है। उनको चुनने का पूरा अधिकार दिया है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय शिव नारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एक बार फिर उसको पढ़ लें।

श्री शिवनारायण--मैंने उसको पढ़ा है और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसमें यह लिखा है कि "where a Gaon sabha has failed to elect the full number of members" जब गांव सभा फेल हो जाय अपने यहां के सारे मेम्बरों का चुनाव करने में, तब यह दशा आयेगी कि उसको इस प्रकार के नामजद करने की जरूरत पड़े। यहां पर डेमोक्रेसी की गर्दन नापने की कोशिश नहीं की गयी है। इस बिल के अन्दर यह साफ दिया हुआ है कि अगर किसी गांव में ऐसी परिस्थिति पैदा होजाय किसी वजह से कि लोग वोट न करें और वह पंचायत न बन सके तो ऐसी सूरत में सरकार क्या करेगी। उस समय सरकार को यह करना पड़ेगा कि नामिनेट करके उसको पूरा करेगी और बनायेगी। अगर वहां पर मेम्बर एलेक्ट नहीं हुए है तो उसके लिये इन्तजाम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी हालत में जो भी अथारिटी प्रेस्क्राइब्ड या और जो भी होगी वह उसको नामिनेशन के जरिये से पूरा करेगी और वह फारमल गांव सभा कहलायेगी तो हमारे भाई ने जो यह संशोधन दिया है वह तो इसी प्रकार का है जैसे बैसाख के महीने में बवन्डर आने से पत्ते उड़ जाते हैं तो यह भी हवा में बात करना चाहते हैं। इसलिये जो यह संशोधन आया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--मैं चाहता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता--माननीय गेंदासिंह को अक्सर अवसर देने के बाद यह प्रश्न ले लिया जायगा।

श्री गेंदासिंह--मैं माननीय विष्णुदयाल जी वर्मा के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने माननीय समस्यों से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अब तो वह अपने विचार प्रकट कर चुके है लेकिन माननीय रामसुभग वर्मा जी का जो संशय था उसका उत्तर उन्होंने देने की कृपा नहीं की उस पर फिर विचार कर लें। मैं बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनता रहा जब श्री रामसुभग वर्मा जी ने यह कहा था कि रुपये की कमी के कारण जो लोग चुनने से बाकी रह जायेंगे उनको फिर नामिनेट करने का काम प्रेस्काइब्ड अथारिटी के हाथ में दे देना उचित नहीं होगा। यदि उनके पास रुपया होता तो संभव था कि वह खड़े होकर यदि जनता का उनको विश्वास प्राप्त था, जनता के वह विश्वासभाजन थे, तो वे चुने जा सकते थे। परन्तु रुपये के कमी के कारण वह उस समय खड़े न हो सके। ऐसा हो सकता है कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी जनता की उस भावना की कदर न करें। जनता की भावना की कदर करने की संभावना हम गांव पंचायत से कर सकते हैं क्योंकि गांव पंचायत तो उसी जनता की चुनी हुई है और वह गांव पंचायत उसी जनता में रोज की रहने वाली है। इसलिये उससे यह आशा की जा सकती है कि जनता की उस पुरानी भावना की उस वक्त भी वह कदर करेगी। लेकिन परेशानी तब होती है जब हम प्रेस्क्र इब्ड अथारिटी को समझ नहीं पाते हैं कि यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी। प्रेस्काइब्ड अथारिटी इस विधेयक में इतनी मर्तबा आयी है कि उसको यह कह देना कि एक ही प्रेस्काइब्ड अथारिटी समूचे विधेयक के लिये होगी, कठिन है। मैं नहीं कह सकता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री ने इस मामले में अपने मांइंड को मेक-अप कर लिया या नहीं। प्रेस्काइब्ड अथारिटी नामजद करने के लिये जो होगी वही प्रेस्क्राइब्डअथारिटी नहीं कही जा सकती कि वही खाली जगहों को भरेगी भी। या गांव पंचायत

[श्री गेंदा सिंह]

की बैठक अगर न हो और वह टैक्स न लगाये तो फिर टैक्स लगाने के लिये भी वही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी या गांव सभा का काम करने के लिये भी वही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी यह इसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के लिये कोई राय कायम करना बहुत कठिन है इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की सूरत शक्ल सामने होती तो इस पर कुछ विचार हो सकता था परन्तु वह नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की सूरत शकल सामने हो भी तो वह पंचायत का स्थान नहीं ले सकती है। जोरावर वर्मा जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आज पहली मर्तबा जोरावर वर्मा जी के भाषण से ऐसा लगा कि जिस समय वह बोलने के लिये आये वह तैयार होकर नहीं आये और वह क्षमा करेंगे मुझे यह कहने के लिये कि कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद इसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं क्योंकि अगर पढ़े होते तो वह माननीय विष्णुदयाल जी के संशोधन का विरोध नहीं करते। वह विष्णुदयाल जी के उद्देश्यों को बिलकुल भूल गये। विष्णुदयाल जी का स्पष्ट यह कहना है कि गांव पंचायत कोआप्ट करलें लेकिन जोरावर सिंह जी कहते हैं कि वह उनसे इंसाफ की उम्मीद न करें, वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से मेरा भरोसा करते हैं, जिसे हम हवा में समझते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर सिंह जी यह महसूस करेंगे कि उन्होंने उचित नहीं कहा। माननीय केशभानराय जी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिये गुंजाइश अवश्य रहनी चाहिये। मैंने माननीय मंत्रियों को यहां कहते हुए सुना है कि सारी बीमारियों का इलाज एकदम मत करो, आखिर सरकार यहां मौजूद है। वह समय समय पर इलाज करती रहेगी। माननीय स्वशासन मंत्री जी के इस विधेयक से हमें मालूम होता है कि वह न केवल अपनी ही बल्कि अपने वारिसों की भी सारी बीमारी दूर करना चाहते हैं। तो वह अपनी आने वाली पीढ़ियों पर भी कुछ भरोसा करें। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करेगी और उससे एक दूसरी भावना जैसा कि माननीय जयेन्द्र सिंह जी ने कहा, इन पंचों और सदस्यों के मन में हो सकती है और वह हमेशा अपना उत्तरदायित्व प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की ओर समझेंगे। वे उस गांव पंचायत और गांव सभा के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं समझेंगे।

आज माननीय केशभान जी कहते है कि ऐसी स्थिति गांव में आयेगी कि लोग अपने पंचों को न चुनें। यह मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा वह कैसे सोचते हैं। माननीय शिवनारायण जी यह कह रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी वालों ने कह दिया कि तुम वोट ही मत दो या कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने कह दिया कि डुमरियागंज की तरफ कि तुम अपना वोट ही मत दो और इस पर गांव वालों ने कह दिया दिया कि हम अपनी गांव पंचायत नहीं चुनेंगे। यह संभव नहीं है कि काल्पनिक बात पर कानून बनाना बहुत अच्छी बात नहीं। कानून तो जनता की मांग और आन्दोलन के अनुसार बनता है और वह ठीक काम करता है लेकिन कल्पना शक्ति से कल्पना जगत में कोई कानून बना दें तो उससे जनता को उचित लाभ होगा उसमें अन्देशा रहता है मैं माननीय केशभान राय जी से कहना चाहता हूं कि वह माननीय स्वशासन मंत्री जी की क्षमता पर विश्वास करें। क्योंकि उनके स्वशासन मंत्रित्व के हाथ में रहते हुए इस प्रकार के गांव के गांव और इलाके के इलाके कहने लगे कि वोट ही न करेंगे और ग्राम पंचायत ही न बनायेंगे, ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। चाहे वह हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी हो या हम लोग हों, इस समय सभी लोग बैलेट की प्रथा को मान रहे हैं और इसी प्रथा के अनुसार चल कर कुछ भी करना चाहते हैं। ऐसी हालत में इस बात में अंदेशा नहीं हो सकता कि लोग वोट करने ही न जायं। दूसरी बात यह हो सकती है कि किसी गांव में कोई दूसरा कारण हो और एक दो जगहें खाली रह जायं। उनके खाली रह जाने के बाद माननीय स्वशासन मंत्री जी कहेंगे कि यह दो आदमी रह गये हैं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनको नामजद कर दे। लेकिन हम नहीं समझ सकते कि अथारिटी कौन लोगों को जानती है, किन लोगों पर उसका भरोसा है, वे लोग जिसे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करेंगे क्या जनता के विश्वासपात्र ही हैं, इसमें हमें संदेह होता है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी

कोई भी हो लेकिन वह गांव पंचायत का मुकबला नहीं कर सकती। गांव पंचायत को अपने लोगों का ज्यादा ज्ञान होता है। जो भला और ईमानदार आदमी है, जो किसी कारणवश नहीं चुना जा सकता है उसको पंचायतें कोआप्ट कर लेगी।

माननीय विष्णुदयाल जी के संशोधन को मानने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है तथा प्रेस्काइब्ड अथारिटी भी अनावश्यक तौर से बदनाम होने से बच जायगी। इसके अतिरिक्त पंचायतों को अपने चुनने वालों का ज्यादा ध्यान रहेगा। इसलिये अगर उनको अधिकार दे दिया जायग कि जो जगहें खाली हों उनको गांव पंचायत भर ले तो वह अपनी आवश्यकतानुसार वैसा कर लेगी तथा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जायगी और गांव पंचायत अपने निर्वाचकों के प्रति ज्यादा उत्तरदायित्व के साथ काम कर पायेगी। मै प्रार्थना रकरता हूं और आशा करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी तथा वे माननीय सदस्य जिन्होंने इस पर संदेह प्रकट किया है, फिर इस पर विचार करेंगे तथा विचार करने के बाद इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामलखन मिश्र--अधिष्ठाता महोदय, अब विवाद समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अब वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विष्णु दयाल वर्मा--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेदासिंह जी के समर्थन करने के बाद कुछ और कहना नहीं रह जाता है लेकिन फिर भी जो एक माननीय सदस्यो ने जो प्रकाश डाला है उसका उत्तर देना म आवश्यक समझता हूं। सबसे पहले माननीय जोरावर जी ने यह बतलाया था कि कोआप्शन और नामीनेशन मे कोई अन्तर नहीं है लेकिन यह बात नहीं है। कोआप्शन और नमीनेशन मे बहुत अन्तर है। नौमीनेशन के यह मानी है कि वह आदमी जो चापलूस है, दलाल है, उसका नामिनेशन प्रेस्काइब्ड अथारिटी से होगा। लेकिन कोआप्शन के मानी यह है कि विश्वास पात्र आदमी यह जानने है कि अमुक आदमी समझदार और ईमानदार है पर किसी कारण से, जैसे कि फीस न दे सकने की वजह से न आ सके। लेकिन नामिनेशन मे वही आदमी आयेगा जो कि टाउट का काम करता है। वैसे तो माननीय मंत्री जी मे मुझे पूरा विश्वास है, मै समझता हूं कि उनमे यह भावना है कि पंचायतों मे ऐसे आदमी न आ जायं जो कि उसको बदनाम करे और प्रजा का अहित करें। लेकिन मै समझता हूं कि यहां नामिनेशन के माने यही है कि सरकार अपने ऐसे आदमियों को लाना चाहती है जो उसकी जी हुजूरी करे और आगामी आने वाले चुनाव में उनकी मदद करे और उनकी पार्टी के लिये प्रोपेगेंडा करे। अगर इस तरह का उनका कोई मंशा हो तब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है लेकिन एक सही किस्म के आदमी को लेने के लिये कोआप्शन के प्रश्न पर ही गौर करना होगा। श्री केशभान राय की राय यह थी कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि किसी गांव सभा में एक भी मेम्बर न चुना जाय। वैसे तो यह पासिबल नहीं है कि कहीं एक भी आदमी न चुना जाय लेकिन फिर भी मै यह बतला देना चाहता हूं कि जहां पर ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत नहीं बनाना चाहते है और पंचायत बना कर अपनी इस तरह की व्यवस्था नहीं रखना चाहते है तो फिर सरकार को क्या परवाह कि वहां पर ग्राम पंचायत बनायी ही जाय। मै तो इस विचार धारा का हूं कि जहां के लोग इसको

[श्री विष्णुदयाल वर्मा]
मुनासिब नहीं समझते हैं वहां नहीं बनाना चाहिये। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाय तो उसके लिए जैसे जमींदारी एबालिशन अधिनियम या दूसरे अधिनियमों के लिए संशोधन हुए हैं उसी तरह से इसमें भी संशोधन हो सकता है। तो इन बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस संशोधन को मान लें। इस तरह के संशोधन से कल्याण ही होगा। इससे अहित होने की कोई सम्भावना नहीं है।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय चेयरमैन साहब, सब से अन्तिम वाक्य इस संशोधन के पेश करने वाले माननीय सदस्य का यह है कि जिस तरह से दूसरे अधिनियमों में जल्दी-जल्दी अमेंडमेंट आते हैं वैसे ही इसमें भी आ सकते हैं अगर यही चीज है तो मैं इसको अवश्य स्वीकार कर सकता हूं, जो संशोधन कि यहां पेश किया गया है लेकिन अगर इस चीज को अच्छा न समझ कर बार-बार संशोधन लाना हमारी कमजोरी समझी जाय तो मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। अब तक कोई भी ऐसा प्रोवीजन कानून में नहीं था कि अगर गांव सभा चुनाव न करे तो भी कोई नामजदगी कर दी जाय क्योंकि अब जो गांव सभाओं के लिए खयाल था वह यह कि जो म्युनिसिपल फंक्शंस हैं, जैसे सफाई, लालटेनें लगाना, कुछ टैक्स लगाना तथा श्रमदान के जरिये वे अपने गांव का इन्तजाम कर सकती हैं। लेकिन परिस्थिति अब बदली हुई है और कुछ हद तक बदली गयी है। जमींदारी एबालिशन के बाद जो प्रापर्टी थी गांव सभा को वह वेस्ट कर रही है गांव समाज में। तो जब तक कोई कारपोरेट बाडी नहीं होगी तब तक इन प्रापर्टीज का इन्तजाम कौन करेगा। इस समय खास तौर से सवाल आता है प्रापर्टी के इन्तजाम करने का। पहले प्रापर्टी के इन्तजाम करने का कोई सवाल नहीं था इसीलिये नामिनेशन का कोई प्राविजन नहीं था। अभी भी तीन चार गांव ऐसे हैं जहां गांव सभायें नहीं हैं और हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहां गांव सभायें नहीं हैं। लेकिन हम अब उस परिस्थिति को नहीं रखने देना चाहते हैं। आखिर इन तीन चार गांव सभाओं में जो प्रापर्टी वेस्ट करेगी वह कहां जायगी। इसलिये जरूरी है कि हर गांव में सभा बनायी जाय जो वहां के सब कामों का इन्तजाम करे। अब सवाल यह है कि कैसे हो। इसलिये चेयरमैन साहब, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सरकार नामजदगी करे। इसलिये कि गांव सभाओं का चुनाव होगा और अगर वे चुनाव न करें तो दोबारा मौका दिया जायगा कि वे चुनाव कर लें। अगर वे दोबारा भी चुनाव नहीं कर पाये तब फिर नामजदगी का सवाल आता है। मैंने बहुत इन्तजार किया था मगर सब से महत्वपूर्ण प्रश्न जो श्री केशभान राय का था उसका कोई जवाब नहीं दे पाया और वह यह कि अगर किसी गांव सभा का एक भी मेम्बर गांव समाज न चुने और वहां नामिनेशन न हो तो फिर वहां गांव पंचायतों में जो प्रापर्टी वेस्ट हो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा। तो इस परिस्थिति के लिए कि कभी इमर्जेंसी आ सकती है, यह क्लाज रखा गया है। माननीय गेंदा सिंह जी जो खास तौर से इस चीज को समझते हैं मुझे अफसोस है कि फिर भी इस कंटिजेंसी का कोई इलाज वे नहीं बतला रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिवा इसके और कोई नहीं है। मैं निवेदन कर दूं कि हमारा इरादा कोई नामिनेशन करने के अधिकार को लेने का नहीं है लेकिन जैसा कि संशोधन में चाहा गया है उससे तो और फेवरेटिज्म और बिटरनेस बढ़ती है और इसी को सोच समझ कर हमने म्युनिसिपैलिटीज से और टाउन एरियाज से हमने नामिनेशन के सिस्टम को हटा दिया है हालांकि स्त्रियों की ओर से और बहुत से लोगों की तरफ से बहुत सी मांग इसकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई थी। इस पर भी इसमें एक बार नहीं दोबारा मौका दिया गया है और अगर दोबारा भी न चुने जायं तब कहीं हमने यह रखा है कि उनको नामिनेट कर दिया जाय। अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रेस्काइब्ड अथारिटी उन जगहों को भरेगी और वह लाफुल होगा। रहा अच्छे आदमियों के या बुरे आदमियों के आने की बात वह तो दोनों तरीकों से अच्छे और बुरे दोनों तरह के आदमी आ सकते हैं। कोआप्शन द्वारा भी गलत आदमी आ सकते हैं। इसलिये खराब या अच्छे का सवाल नहीं है। जिन्होंने पैसा नहीं दिया हो उनका ही सवाल नहीं है अगर मुख्तलिफ पार्टियां आवेंगी तो वह किन्हीं भी सही या गलत आदमियों को ला सकती हैं, चाहे वह पैसा देने वाले हों या न हों। इसलिये मैं समझता हूं कि कोआप्शन के द्वारा बाकी सीट्स को भरना मुनासिब न होगा और यह प्रथा अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक तरह से गांव समाज की प्रापर्टी की देखभाल हो और उसका नुकसान किसी प्रकार से न हो। इसलिये मुनासिब होगा कि हम इस संशोधन को स्वीकार न करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—यह जो दिया हुआ है "It shall be lawful" इसमें यह है कि आवश्यक नहीं है। यह सूरत हो सकती है कि नामिनेशन न करे, इसमें कहीं प्राविजन नहीं है, अगर पूरा बाड़ी तैयार नहीं है तो उसका कार्य लाफुल बनाने के लिए कोई क्लाज है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—वह तो रूल्स मे दिया जायगा कि गांव पंचायत के कितने आदमी चुने जायं तब वह फंक्शन कर सकती है। नामिनेशन की बात तो उस वक्त होगी जब काम नहीं चलेगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित नई धारा 12 (8) के रेखांकित अंश की अन्तिम चार पंक्तियां निकाल दी जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द समूह रख दिया जाय :—

"so elected members to fill in the seats so remaining vacant by co-option from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so co-opted shall be deemed to have been duly elected"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—(श्री गेंदासिंह से) आप इसको रखना चाहते है या नहीं ?

श्री गेंदासिंह—अगर उस संशोधन पर कुछ सुलह जैसी बातें हो गई होतीं और वह स्वीकार हो गया होता तो इस संशोधन को पेश करने की जरूरत न पड़ती। मैं समझता था कि माननीय मंत्री जी उस संशोधन को स्वीकार करने जा रहे है लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया उससे हमको बड़ी निराशा हुई और अब अगर आपकी इजाजत हो तो इस संशोधन को पेश करूं।

अधिष्ठाता—अच्छा, पेश कीजिये।

श्री गेंदासिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (8) निकाल दी जाय।

जैसा कि अधिष्ठाता महोदय मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर माननीय विष्णुदयाल जी का संशोधन स्वीकार हो गया होता तो इसकी आवश्यकता नहीं होती और इसीलिये मैंने उसी पर अपने को कंसेंट्रेट किया था। यह तो ऐसी चीज है जिसके लिये कहा जा सकता है कि कभी अगर आवश्यकता पड़े तो फिर कैसे काम लें। माननीय केशभान राय जी ने कहा था कि ऐसी हालत में सरकार के हाथ में ताकत रहनी चाहिये कि अगर कोई स्थान खाली रह जाय तो उनको

[श्री गेंदासिंह]
भरने के लिये कोई उपाय करे। माननीय मंत्री जी ने वर्मा जी का संशोधन अस्वीकार कर दिया तो अब मैं यह उचित समझता हूं कि इसको कानून में से निकाल देना ही उचित होगा।

अधिष्ठाता--मैं गेंदासिंह जी आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कंटिजेंसी एराइज हो सकती है कि कोई गांव सभा न चुने तो फिर क्या होगा। क्योंकि जब आप कानून बनाने बैठते हैं तब हरएक एक्स्ट्रीम को सोच लेना चाहिये। मंत्री जी ने उस एक्स्ट्रीम तक को सोच लिया है कि किसी के बहकावे में आकर या यों ही न चुने तो उस सूरत में क्या होगा?

श्री गेंदासिंह--मैं वही बात बिलकुल कहने जा रहा हूं। अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी यह आशा करते हैं कि कोई गांव बिल्कुल ऐसा हो जायगा जहां पर गांव पंचायत बनेगी नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम--इस सूबे में तीन चार ऐसे हैं।

श्री गेंदासिंह--मुझे बड़ी खुशी हुई कि ३६ हजार गांव सभाओं में से तीन चार गांव सभाओं को माननीय स्वशासन मंत्री जी ने ऐसी बतलाया जहां पर पंचायतें नहीं बनी। ऐसी हालत में दरख्वास्त करूंगा कि उनके पास तो बड़ी भारी ताकत है। जैसे ऐडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल बोर्ड में रखती है और ताकत अपने हाथ में ले लिया करती है या नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया को अपने हाथ में लेकर किसी अधिकारी को उसका अधिकार देती है। इसी तरह से सरकार को अधिकार बना रहेगा कि जब कोई गांव के लोग खड़े होकर कहें कि हम गांव पंचायतें बनायेंगे नहीं तो सरकार के अधिकारी जो आज हैं वे रहेंगे ही। मैं मंत्री जी का ध्यान जमींदारी विनाश अधिनियम की तरफ ले जाऊंगा, मुझे वह धारा ठीक याद नहीं पड़ती सम्भवत: १२७वीं धारा है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर गांव पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति अपने कर्तव्य पालन से पीछे रह जाय तो उस हालत में सरकार को यह अधिकार है कि वह उसके स्थान पर किसी दूसरे अधिकारी को नियुक्त करके अपना काम ले सकती है। आज जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस जमींदारी विनाश के बाद इन गांव समाजों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गयी है इसे निबाहना चाहिये और मैं उनको इस चिन्ता में शामिल होना चाहता हूं कि कोई न कोई अथारिटी होनी चाहिये। तो उस अथारिटी के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो गांव पंचायत जिसे सारी जनता मिल करके बनाये और अगर वह नहीं बनाना चाहती है तो सरकार के हाथ खुले हुए हैं कि सरकार जिस तरह से चाहे उस गांव का शासन कर सकती है लेकिन उसको गांव पंचायत का नाम नहीं दिया जाय। हमको बड़ी आशा हुई और बड़ा उत्साह बढ़ा जब कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने यह कहा कि ३६ हजार पंचायतों में केवल ३-४ गांव सभायें ऐसी निकलीं जिन्होंने अपनी पंचायत नहीं चुनी क्योंकि मैं तो यह आशा करता हूं कि अगले वर्ष यह तीन चार भी ऐसी नहीं निकलेंगी, वह भी अपनी पंचायतें बना लेंगी। तो कहीं भी ऐसी जरूरत नहीं मालूम होती है जिसके लिये इस कानून के बनाने की जरूरत हो।

दूसरी तरफ इस कानून के बनाने में जो भ्रम उत्पन्न होता है और अहित होगा, उसकी तरफ भी मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि कुछ ऐसे लोग मिल जायं और मिल करके यह चाहें कि हम गांव सभा बनने ही न दें तो वैसी हालत में प्रेस्काइब्ड अथारिटी को यह अधिकार होगा कि वह उसे बना सकें तो ऐसी हालत में एक इनकरेजमेंट मिल रहा है। इसलिये मुझे डर लगता

है कि अभी तक तो सिर्फ ४-५ गांव सभायें नहीं बन पाई थीं लेकिन कहीं उनकी संख्या और न बढ़ जाय और बढ़ कर हजार दो हजार के करीब हो जाय, तो अधिष्ठाता महोदय, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। वैसे तो रामनारायण त्रिपाठी जी का जो संशोधन आयेगा उसे अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी मान लें कि २५ प्रतिशत मालगुजारी का गांव सभाओं को मिले तो मैं समझता हूं कि भला कौन ऐसी गांव सभा होगी जो अपने गांव में पंचायत नहीं बनायेगी। उनका संशोधन अगर न भी मानें तो मेरे संशोधन को ही मान ले तो भी कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो अपने यहां पंचायत की स्थापना में बाधा डाले क्योंकि उसके अनुसार भी गांव सभाओं के पास कुछ धन मिलने की आशा है। उससे तो उनकी तरक्की होगी इसलिये कौन नहीं चाहेगा कि उसके गांव की तरक्की हो। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे कि इस भाग को विधेयक से निकाल दिया जाय।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े ध्यान से अपने दोस्त गेंदा सिंह जी की बातों को सुना और आज अधिष्ठाता महोदय, पहली बार सदन का मेरा यह अनुभव है कि माननीय गेंदा सिंह जी ने किसी ऐसी बात को कहा है जिसकी मजबूती पर उन्हें खुद भी यकीन और विश्वास नहीं है पूरे तौर पर। इस मेरे अनुभव में उनके बोलने का तरीका और वह जिस तरीके पर इसको आरगू कर रहे थे उससे ऐसा मालूम हुआ जैसे आपकी बहस की पहली चीज लेला जाय तो अधिष्ठाता महोदय, वह मानते हैं कि ऐसी बाधा हो सकती है जिसकी वजह से गांव सभाओं का चुनाव न हो और फिर उसी के लिये रास्ता बताते हैं कि पहले तो कभी ऐसी बात होगी ही नहीं और अगर होती है तो उसके लिये आपका रास्ता यह है कि जमींदारी उन्मूलन में धारा १२७ ऐसी है कि अगर गांव सभा फेल कर जाय तो सरकार अपने नियत अधिकारी के द्वारा उस काम को करावे। अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और वह बात यह है कि कानून जो है वह कानून के ही रास्ते पर हमेशा चला करता है। कानून कभी इस बात को नहीं देखता। तो जहां तक जमींदारी उन्मूलन की उस धारा का ताल्लुक है उसमें साफ तौर पर यह है कि यदि गांव सभा और गांव समाज उस कर्तव्य में फेल हो तो सरकार उसको अपने अधिकारों के द्वारा उस कार्य को करायेगी। लेकिन यहां तो गांव सभा और गांव समाज के चुनने का प्रश्न है। तो माननीय गेंदा सिंह जी के कहने के अनुसार अगर कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि किसी गांव में गांव सभा न स्थापित हुई और सरकार ने जमींदारी उन्मूलन की उस धारा के अनुसार अधिकार करने की कोशिश की तो कानून अपनी जगह पर साफ है कि चूंकि उस गांव में गांव सभा और गांव समाज नहीं है इसलिये उसके फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वह प्रश्न ही नहीं है कि फेल हुई। अतएव उस अधिकार को सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती है और न उसको कर सकती है। इसलिये आपके द्वारा मैं माननीय गेंदा सिंह जी से यह प्रार्थना करूंगा कि कानून जरा बड़ा बीहड़ होता है। वह भावना की दुनिया में नहीं चला करता है। उसका जो वर्क होता है वह सीधे रास्ते पर चला करता है और इसलिये कानून बनाने वालों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसी तमाम परिस्थिति और स्थिति पर विचार करें कि कानून उनकी मदद के लिये आ जाय और इस प्रकार की बहस की इस वर्ष तीन हैं और अगर अगले वर्ष ईश्वर चाहेगा तो एक भी नहीं होगी और अगर होगी तो देखा जायगा। ऐसी कोई बहस कानून बनाने वालों के लिए कोई मतलब नहीं रखती है। खास तौर पर यह बहस इस तरीके से हो सकती है कि मान लीजिये कि किसी प्रान्त का प्रबन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]
इतना अच्छा हो जाय कि साल भर में कुल तीन क़त्ल हों तब फिर माननीय गेंदा सिंह जी यह बहस करेंगे कि माननीय मंत्री जी अब तो केवल तीन क़त्ल हुए हैं और भगवान चाहेगा तो कोई क़त्ल नहीं होगा। लिहाजा यह धारा हटा दी जाय तो जैसा कि यहां कहा गया है कि शुरू में कानून इमरजेंसी के लिये बनाया जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब वह इस स्थिति के लिए विचार करते हैं कि ऐसी बात आ सकती है तो फिर क्या संकोच है। जब इस बात के लिये व तैयार हैं मान लीजिये धारा १२७ जमींदारी उन्मूलन कानून का इन्टरप्रिटेशन सही है और उसके अनुसार सरकार नामजद कर सकती है, काम को अपने हाथ में ले सकती है तो फिर हिचक क्या है। उसका स्पष्टीकरण अगर पंचायत राज के संशोधन में आया है तो हिचकिचाहट किस बात की है। और यह स्थिति न हो तो हमें मौका मिल जाय अपने को नामजद करने का, यह कसौटी पर नहीं उतरता और इसलिये नहीं उतरता कि अड़ंगा लगाने वाले निगेटिव काम में सफल नहीं होते।

यह निगेटिव तरीका है कि वोट देने कोई मत जाओ, या चुनाव में भाग न लो, गांव सभा का चुनाव न हो सके और अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस बात के लिये प्रयत्न करता है तो थोड़े से आदमियों का चाहे अल्पमत क्यों न हो, कामयाब होने की गुंजायश होती है। इसलिये जो बहस रखी गई है उसमें मेरी समझ में तो कम से कम कोई चीज आती नहीं और जब मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को देखता हूं तो मैं तो यह समझता हूं कि यह कितने कदम पीछे चले जा रहे हैं। एक प्रगतिशील व्यक्ति इस बात के लिये इशारा करे अपने संशोधन में कि अगर गांव सभाओं का चुनाव फेल हो जाय तो सरकार इस बात को भी निकाल दे कि गांव सभाओं को तुम चुनो। आपका संशोधन अगर पूरे तौर पर मान लिया जाय जैसा आपने रखा है तो उससे यह फल होगा कि अगर गांव सभाओं का चुनाव न हो तो सरकार का कर्तव्य नहीं होगा कि फिर अपने आदमियों को चुने। यह प्रतिक्रियावादी कदम हो सकता है और किसी प्रगतिशील व्यक्ति के लिए यह कहना कि अगर नहीं चुनी जाती तो छोड़ दिया जाय भगवान के भरोसे। तो मैं अधिष्ठाता महोदय आपके द्वारा माननीय गेंदासिंह से प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन कुछ ऐसा संशोधन है जिस पर वे स्वयं विश्वास नहीं करते। ऐसा मुझे जान पड़ता है कि ऐसी चीज के लिए फिर वे जोर न दें और इसे वापस ले लें क्योंकि जहां तक मैंने देखा है यह संशोधन अपनी जगह पर परफेक्ट नहीं है। कानून की नजर से कानून के अन्दर कोई गुंजायश नहीं छोड़ देनी चाहिये कि आगे पीढ़ी जो आयेगी वह सुधार करेगी। कानून बनाने वाले जिस वक्त कानून बनाने बैठते हैं वे यह नहीं सोचते हैं कि आगे आने वाले उसमें संशोधन करेंगे। जहां तक मैंने पढ़ा है, कानून वही अच्छा माना जाता है जिसमें संशोधन करने की गुंजाइश कम हो और अगर हो तो बहुत कम हो और अगर कम संशोधन करने की बात हो तो बहुत दिनों के बाद संशोधन करने की बात आये फिर वारिसों के लिये यह उम्मीद करना कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें कुछ उनके लिये छोड़ दें यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये इस संशोधन का मैं बड़े जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे इस संशोधन को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस वक्त में पहला संशोधन जो माननीय वर्मा जी ने प्रस्तुत किया था जिस पर अभी वोट लिया गया है और जिस पर माननीय मंत्री महोदय का भाषण हुआ और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी जिसका समर्थन किया उसके बाद माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया उसको देख कर मेरा आश्चर्य और बढ़ गया। मैं माननीय गेंदासिंह जी को जानता

हूं, प्रवर समिति में भी वह हमारे साथ बैठे थे और इस विषय पर वहां भी बातें हुई थीं। माननीय मंत्री महोदय का भाषण सुन लेने के बाद उसका संशोधन उपस्थित करना और भी आश्चर्यजनक है। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस बात पर और आश्चर्यचकित हूं। जो विधेयक में क्लाज रखा गया है वह उस परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिये रखा गया है कि जिस वक्त में एक मर्तबा गांव सभा चुनाव नहीं करती है और दूसरी मर्तबा उसको फिर आदेश दिया जाता है पंचों को चुनने के लिए तब भी वह चुनाव नहीं करती है उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जायगा। अगर यह नही किया जाता है तो फिर उसका इलाज क्या रह जाता है। वहां तक तो बात समझी जा सकती थी जो माननीय वर्मा जी का संशोधन था कि गांव सभा ऐसे शेष सदस्यों को कोआप्ट करले, जिनका चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन अब माननीय गेंदा सिंह जी के इस संशोधन के प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि अगर दोबारा आदेश देने पर भी गांव सभा चुनाव नहीं करती है तो उसके लिये कोई प्राविजन न रखा जाय। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह होगा, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, 'प्लेसिंग कार्ट बिफोर दि हार्स'। यानी कोई कार्य ही नहीं हो सकेगा। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने इसको समझा नही है, जैसा कि माननीय रामनरेश जी ने कहा कि वह जानबूझ कर ऐसा प्रस्ताव लाये हैं, ऐसा तो मेरा विश्वास कदापि नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी में माननीय गेंदा सिंह जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस पर मैं ज्यादा समय माननीय सदन का नही लेना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं और माननीय गेंदा सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे तुरन्त अपने संशोधन को वापस ले लें ताकि हम और आगे बढ़ सकें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी के इस संशोधन को प्रस्तुत करने में कुछ आश्चर्य प्रकट किया गया है विशेषकर इसलिये कि जबकि माननीय विष्णु दयाल वर्मा जी के संशोधन को इस सदन ने स्वीकार नहीं किया तो फिर यह पूछा जाता है कि माननीय गेंदा सिंह जी इस संशोधन को कैसे पेश करते हैं। जब कि मैं कहूंगा कि मैं भी इस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो अवश्यमेव मेरे ऊपर भी आश्चर्य प्रकट किया जायगा। किन्तु मैं समझ नहीं पाया कि आश्चर्यजनक की बात आखिर है क्या। माननीय विष्णु दयाल वर्मा ने एक अनपैलेटएबिल और आब्जेक्शनएबिल चीज को एक संशोधित रूप में प्रस्तुत किया था। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि यदि यह आब्जेक्शनएबिल चीज इस रूप में रखी जाती है तो संभवतः मैं उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हो जाऊंगा। मैं इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं हूं किन्तु सदन और माननीय मंत्री महोदय इस क्लाज को इस रूप में रखेंगे तो शायद मैं इसको मान लूंगा। जबकि मंत्री महोदय ने और इस सदन ने उस धारा को संशोधित रूप में स्वीकार नहीं किया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि वह अपने पुराने और पहले स्टैन्ड पर वापस आ गये जबकि आपने उस आब्जेक्शनएबिल धारा को परिवर्तित रूप में नहीं माना तो फिर मैं अपना स्टैंड लेता हूं कि आप इस पूरी आब्जेक्शनएबिल चीज को ही दूर कर दें। इसलिये जो आपत्ति और आश्चर्य माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन उपस्थित करने में दिखाया गया है वह मैं समझता हूं कि एक गलत बात है। माननीय राम नरेश जी शुक्ल ने लेजिस्लेशन के सवाल में बहुत कुछ कहा और कहा कि जहां तक हो सके लेजिस्लेशन बनाते समय हमें बहुत दूर की बातों को देखना चाहिये और जितने अमेंडमेंट्स की आगे आवश्यकता पड़ सकती है उनको जहां तक हो सके फोरसी करके एक ही बिल में रख दिया जाय तो अच्छा है। इसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यह अवश्य उचित बात है कि किसी बिल में, जहां तक हो सके अमेंडमेंट कम से कम हों, किन्तु यह कहना और दावे के साथ कहना कि इस संशोधन और संशोधित विधेयक के बाद कभी पंचायत राज विधेयक में कोई भी संशोधन पेश नहीं किया जायगा,

[महाराजकुमार बालेन्दु शाह]
मैं समझता हूं कि न तो मंत्री महोदय का और न रामनरेश जी का यह कहने का इरादा था।

जहाँ तक पूरी धारा के हटाने का प्रश्न है मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं हालांकि उन्होंने कुछ कारण बतलाये हैं और मैं उनका साथ देता हूं एक सबसे अधिक आपत्ति जो मुझे है इस धारा में वह यह है कि इस धारा के द्वारा, स्वशासन मंत्री द्वारा यदि सदन स्वीकार करता है तो इस सदन द्वारा पंचायत राज के मूल सिद्धांत की अवहेलना की जा रही है। जनता के बीच और जनता मे पारस्परिक भरोसा और विश्वास पैदा करना ही पंचायत राज का मूल सिद्धांत है। मं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जनता भविष्य में किसी पार्टी या दलबन्दी के कारण अपनी भलाई की चीज को ठुकरा जायगी। उधर से, एक दल की ओर से कुछ बाते की जाती हं। उधर से भी सिद्धांत के अनुसार कुछ बाते की जाती हं। मंने इधर का हूं न उधर का हूं और हालांकि मे अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि मै परतंत्र भी नहीं हूं इसलिये मे यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जनता ४-५ साल के अनुभव के बाद अपने हित की बात को ठुकरा देगी। हां जनता ने अपनी अच्छी और बुरी बाते देख ली है उसको अगर अवसर दिया जाय कि मिल जुल कर राय मशविरा करने के बाद अपनी भलाई के लिये गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत बनाये तो जनता उनको नही बना पायेगी, तो मै समझता हूं यह एक गलत बात होगी। इस संबंध मे यह भी कहा गया कि यदि भविष्य के लिये यह स्वीकार किया जाय कि जनता ऐसा नहीं करेगी लेकिन यदि वह कर लेगी तो हमारा उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर विधेयक मे दिया हुआ है। जो कुछ मंत्री महोदय ने फोरसी कर रक्खा है। ऐसा होने पर जब कि गांव पंचायत या न्याय पंचायत को सस्पेंड करने या डिजाल्व करने की आवश्यकता हो जायगी तो जो उपाय उन्होंने सोच रक्खा होगा वह उस पर क्यों लागू नहीं हो सकता है। यह तो अधिकार रक्खा हुआ है कि प्रेस्काइ-ड अथारिटी जब वह उचित समझे उसको सस्पेंड कर दे या डिजाल्व कर दे और डिजाल्व होने के बाद रिइलेक्शन होने की आवश्यकता है लेकिन सस्पेंशन के बाद रिइलेक्शन नहीं होगा। रिजोल्यूशन और रिइलेक्शन के बीच में जो विधि उन्होंने सोच रक्खी होगी वह उस समय ऐसी परिस्थिति मे क्यों काम में नहीं लाई जा सकती। मै यह नहीं समझ पाया कि इतने छोटे विषय पर इतनी बड़ी बहस क्यों की जा रही है प्रश्न बहुत सरल और छोटा सा है कि आया मंत्री महोदय इस प्रेस्काइब्ड अथारिटी को अधिकार देना चाहते हैं और यदि वे देना चाहते हैं तो अवश्य उसको अधिकार दिये जायं, मुझे इसमे कोई आपत्ति नहीं है। जब कि उनको इतने बड़े बड़े अधिकार दिये गये है तो इस छोटे से अधिकार को देने मे मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं उनसे यह कहूंगा कि यदि वह अधिकार देना चाहते है तो वह खुल्लमखुल्ला कहे फिर उनको अधिकार दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उनमें सबसे प्रमुख बात यही होगी और उसी को मै केवल दोहराना चाहूंगा कि यदि प्रेस्काइ-ड अथारिटी द्वारा नामजद किया जाता है तो यह स्वाभाविक है और यह एक अवश्यम्भावी बात होगी कि जिन व्यक्तियों को वह प्रेस्काइब्ड अथारिटी नामजद करेगी उनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति न होगा बल्कि उस प्रेस्काइ-ड अथारटी के प्रति होगा क्योंकि उस प्रेस्काइब्ड अथारिटी ने उनको नामजद किया है। वह कभी भी, चाहे माननीय मंत्री जी जितना भी उस पर विश्वास और भरोसा रखें, चाहे वह प्रेस्काइ-ड अथारिटी कितना ही भरोसा रखे, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यह कहना कि क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का या माननीय मंत्री महोदय की प्रेस्काइब्ड अथारिटी का भरोसा उन पर है इसलिये स्वतः जनता का भी भरोसा उन पर होगा, मै समझता हूं कि सही नहीं है। जब कि इन व्यक्तियों की नियुक्ति प्रेस्काइब्ड अथारिटी द्वारा की जा रही है यह एक गलत बात होगी और इसका यही परिणाम होगा कि वह बजाय जनता को अपने साथ रखने के, बजाय जनता की पुकार सुनने के, प्रेस्काइब्ड अथारिटी के संकेत देखेंगे और उनके इशारों के अनुसार, उचित या अनुचित, इस पर मैं अभी नहीं जाता, चलेंगे।

यह एक बड़ी ही गलत बात है और एक ऐसी गलत बात है जो कि पंचायत राज के मूल सिद्धांत पर चोट लगाती है क्योंकि एक ऐसे साधारण स्थान पर जब कि जनता पर अविश्वास प्रगट किया जा रहा है तो फिर भविष्य में यह आशा करना कि इस अविश्वास के बावजूद जनता अपने काम चलाने के कार्य को सीरिअसली लेगी, यह कैसे उम्मीद की जा सकती है जब कि इस धारा के द्वारा माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता के ऊपर उसका कोई भरोसा नहीं। अधिष्ठाता महोदय अधिक न कहकर मैं फिर यही आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जैसे गेंदासिंह जी ने बताया कि पहले इस प्रकार की कोई धारा न थी और मैंने जो प्रश्न उठाया कि सस्पेंशन के समय जो कार्यवाही की जायगी या जिस प्रकार काम चलाया जायगा, मैं समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि मैं गलत नहीं समझता कि उस प्रकार से भी ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार काम चलाया जा सकता है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि यदि जनता इस पंचायत राज का महत्व न समझे तो उसको इस महत्व को समझाने की कोशिश बारम्बार करे। मैं मानता हूं कि पहले दफा अगर न चुने जायं तो उनको एक बार फिर अवसर दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि अगर एक दफा अवसर देने पर भी नहीं चुन पाते तो उनको साफ साफ यह बता दिया जाय कि यह एक ऐसी शक्ति हमने जनता के हाथ में दी थी जिसका उन्होंने प्रयोग करना उचित और आवश्यक न समझा इसलिये एक विशेष जनता को अभी इस पंचायत राज के एक्सपेरिमेंट के अयोग्य वह समझती है और इसलिये उसके हाथ में यह अधिकार अभी वह नहीं देगी। यह करना बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपने नियुक्त किये हुए व्यक्तियों द्वारा वहां पर इस प्रजातंत्र राज्य के भीतर पंचायत राज का एक फाल्स स्वरूप रखा जाय।

श्री रामलखन मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन पर वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदासिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय रामनरेश जी की इस बात को मान लूंगा जो उन्होंने यह कहा कि बहुत ध्यान से इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा। लेकिन मैं यह भी उनसे कहूंगा कि जो दोष मैंने किया है उससे वह भी खाली नहीं हैं कुछ और सम्मानित सदस्यों ने भी जिनकी बुजुर्गी और बुद्धि पर हम भी भरोसा करते हैं, उन्होंने भी शायद इस धारा को, जिस को निकाल देने को कहते हैं, पढ़ा नहीं।

अधिष्ठाता महोदय, इसमें लिखा हुआ है:—

"Where as prescribed under sub-section (2) it shall be called upon to elect the remaining number of members, but if it again fails to elect the full number of remaining members it shall be law ful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any member so nominated shall be deemed to have been duly elected"

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
मई, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर।)

क्रम-संख्या	पद	वेतन-क्रम	पद संख्या
१	डिप्टी डायरेक्टर, तराई स्टेटफार्म	रु० ८००–१००–१,०००–५०–१,१०० १००–१,६००–५०–१,८००	१
२	सहायक कृषि इंजीनियर	रु० २५०–२५–४००–प्र० अ०–३०–७००–५०–८५०	१
३	एकाउन्ट्स आफिसर	" "	१
४	एग्रीकल्चरल आफिसर	रु० २५०–२५–४००–प्र०अ०–३०–७००–५०–८५०	३
५	सीनियर एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर	रु० २१०–१५–३५०	६
६	एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर	रु० १२०–६–२१०–१०–२५०	१४
७	सहायक एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर	रु० ७५–५–१२०	४३
८	एकाउन्टेंट	रु० १५०–१०–३५०	३
९	कैशियर	रु० ८०–६–१४०	३
१०	मोटर ड्राफ्टर	रु० ८०–५–१००–६–१३०	२
११	क्लर्क	रु० ६०–३–९०–४–११०	९
१२	चौकीदार	रु० २०–१/२–२५	८
१३	प्यून	" "	११
१४	ड्राइवर	रु० ४५–२–६५–३–८०	१०
१५	क्लीनर	रु० २०–१/२–२५	९
१६	स्टोर कीपर	रु० ४५–२–६५–३–८०	२
१७	सईस	रु० २०–१/२–२५	६
१८	डाक रनर	"	२
१९	ब्लैक स्मिथ	रु० ३०–२–४०–प्र० अ०–२–५०	१
२०	कार्पेंटर	"	१
		योग ..	१३६

ट्रैक्टर स्टाफ

क्रम-संख्या	पद	वेतन-क्रम	पद संख्या
२१	ट्रैक्टर मैकेनिक	रु० १२०–६–२१०–१०–२५०	५
२२	ट्रैक्टर आपरेटर	रु० ८०–५–१२०	४५
२३	क्लर्क	रु० ६०–३–९०–४–११०	१
२४	ट्रैक्टर क्लीनर	रु० ४५–३–६०	३०
२५	फोरमैन मैकेनिक	रु० २००–१५–३५०	२
		योग ..	८३
		कुल योग	२१९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर।)

श्री मार्कण्डेराय जी द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र (१९५४) के ९वें सोमवार के लिए पूछे गये तारांकित प्रश्न ११ के उत्तर में प्रसंगित सूची ३१ दिसम्बर, १९५३ तक भूदान यज्ञ में दान की गई भूमि का जिलेवार विवरण

क्रम-संख्या	जिला	५ मार्च, १९५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	६ मार्च, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	दान की गयी भूमि का कुल योग (एकड़ों में)
१	२	३	४	५
१	बलिया	५९१.१३	..	५९१.१३
२	हरदोई	१४२९.२९	१७२ ४३	१६०१.७२
३	आजमगढ़	७३२.०९	२ ७८	७३४.८७
४	मैनपुरी	४७४.२५	२४५ ७८	७२०.०३
५	बुलन्दशहर	१५०५.००	६८४३.०	८३४८.००
६	शाहजहांपुर	७४९.६७	..	७४९.६७
७	इटावा	९१७.६३	९० २८	१००७.९१
८	बांदा	४०,०००.००	३,०००.००	४३,०००.००
९	देहरादून	७०१.८२	,,	७०१.८२
१०	बरेली	१४९.२२	३४९.८१	४९९.०३
११	बहराइच	३०८६.१९	२७३.०९	३३५९ २८
१२	फतेहपुर	९४५२.९५	१६९४.४०	१११४७.३५
१३	जालौन	११४५२.११	..	११४५२.११
१४	अलीगढ़	१९१५.४६	३९२.१८	२३०७.६४
१५	मेरठ	२६९.३७	१७१ ९१	४४१.२८
१६	फर्रुखाबाद	९४.७७	१०३.०	१९७.७७
१७	हमीरपुर	१७६९९.३०	..	१७६९९.३०
१८	सुल्तानपुर	..	८७.१७	८७.१७
१९	बनारस	७५८१.७९	३४.३४	७६१६.१३
२०	जौनपुर	१७५३.१२	५०६२.८८	६८१६.०
२१	आगरा	४५१.८६	१६०.३७	६११.९६
२२	गाजीपुर	७६.०	९२.३७	१६८.३७
२३	मुजफ्फरनगर	२४०.८५	..	२४०.८५

क्रम-संख्या	जिला	५ मार्च, १९५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्र फल (एकड़ों में)	६ मार्च, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक दान की गयी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	दान की गयी भूमि का कुल योग (एकड़ों मे)
१	२	३	४	५
२४	मथुरा	७८.२२	२१.२४	९९.४६
		१५३६.४१	१०५.५३	१६४१.७६
२५	झांसी	१४९०.७०	..	१४९०.७०
२६	लखनऊ	..	..	..
२७	इलाहाबाद	२६२०९.०६	१६.३८	२६२२५.४४
२८	गोंडा	६५२१.६८	३०६.६६	६८२८.३४
२९	नैनीताल	..	..	..
३०	मिर्जापुर	१२८५५.०	५५५६.०	१८४११.०
३१	सीतापुर	१२९१.९८	१४०.००	१४३१.९८
३२	रायबरेली	२३०२४.५१	८२७.९४	२३८५२.४५
३३	खेरी	१७५५.११	२६६.३५	२०२१.४६
३४	प्रतापगढ़	७१६५.८२	..	७१६५.८२
३५	गोरखपुर	५३.१६	..	५३.१६
३६	बस्ती	४१७.२८	१.३०	४१८.५८
३७	कानपुर	१२४००.००	५५.००	१२४५५.००
३८	बाराबंकी	१६२६.००	२१०.३१	१८३६.९८
३९	बदायूं	२०३.६२	..	२०३.६२
४०	मुरादाबाद	५४८.५१	४९५६.५२	५५०५.०३
४१	सहारनपुर	२६७८.१०	२५.३५	२७०३.४५
४२	एटा	३१७१.५७	३१८.३९	३४८९.९६
४३	बिजनौर	२८४६.००	१४.००	२८६०.००
४४	पीलीभीत	९९२८.३१	..	९९२८.३१
४५	देवरिया	२००.५२	२.४२	२०२.९४
४६	उन्नाव	३५९०.०	९६४.०	४५५४.०
४७	फैजाबाद	२७७५.७०	१९.००	२७९४.७०
४८	रामपुर	१०१.९८	..	१०१.९८
४९	अल्मोड़ा			
५०	गढ़वाल	सूचना उपलब्ध नहीं है।		
५१	टेहरी-गढ़वाल			

नत्थी 'ख (१)'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर।)

श्री झारखंडेराय जी द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र (१९५४) के ९वें सोमवार के लिए पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर में प्रसंगित सूची

३१ दिसम्बर, १९५३ तक भूदान यज्ञ में वितरित की गयी भूमि का जिलेवार विवरण

क्रम-संख्या	जिला	उस भूमि का क्षेत्र-फल (एकड़ों में) जो ५ मार्च, १९५३ तक दान में प्राप्त हुई थी और जिसका वितरण भी हो चुका है	उस भूमि का क्षेत्र-फल (एकड़ों मे) जो ५ मार्च, १९५३ के बाद और ३१ दिसम्बर, १९५३ तक दान मे प्राप्त हुई थी और जिसका वितरण भी हो चुका है	वितरित भूमि का कुल योग (एकड़ों में)	उन परिवारों की संख्या जिनको भूमि वितरित हुई
१	२	३	४	५	६
१	बलिया	..	..	..	..
२	हरदोई	..	..	..	..
३	आजमगढ़	१८९.१८	..	१८९.१८	२२४
४	मैनपुरी	..	..	..	..
५	बुलन्दशहर	..	..	..	..
६	शाहजहांपुर	..	..	..	..
७	इटावा	१०.४६	..	१०.४६	१३
८	बांदा	५६७.००	७.००	५७४.००	४०६
९	देहरादून	..	..	..	..
१०	बरेली	..	..	..	..
११	बहराइच	३२८.१३	..	३२८.१३	२०६
१२	फतेहपुर	..	१६००.०	१६००.०	१,०००
१३	जालौन	२४४१.३४	..	२४४१.३४	४१४
१४	अलीगढ़	४६४.७४	१४.०३	४७८.७७	२५८
१५	मेरठ	..	१६.६५	१६.६५	२०
१६	फर्रुखाबाद	..	..	..	..
१७	हमीरपुर	६९७७.४१	..	६९७७.४१	१७०२
१८	सुल्तानपुर	..	८७.१७	८७.१७	६१
१९	बनारस	४८८.९१५	१०.१२	३७९	३७९
२०	जौनपुर	२४३.०	..	२४३.०	२४०
२१	आगरा	११३.०	१२९.९२	२४२.९२	११२
२२	गाजीपुर	५२.०	१६.६	६८.६	३२१

क्रम-संख्या	जिला	उस भूमि का क्षेत्र-फल (एकड़ों में) जो ५ मार्च, १९५३ तक दान में प्राप्त हुई थी और जिसका वितरण भी हो चुका है	उस भूमि का क्षेत्र-फल (एकड़ों में) जो ५ मार्च, १९५३ के बाद और ३१ दिसम्बर, १९५३ तक दान में प्राप्त हुई थी और जिसका वितरण भी हो चुका है	वितरित भूमि का कुल योग (एकड़ों में)	उन परिवारों की संख्या जिनको भूमि वितरित हुई
१	२	३	४	५	६
२३	मुजफ्फरनगर	..	..	..	..
२४	मथुरा	६०.५२	..	६०.५२	५५
२५	झांसी	..	..	..	
२६	लखनऊ	..	..	..	
२७	इलाहाबाद	६१५.४२	..	६१५.४२	३०९
२८	गोंडा	..	..	..	
२९	नैनीताल	..	..	..	
३०	मिर्जापुर	१९८९.०	४७.०	२०३६.०	५७२
३१	सीतापुर	..	..	..	१४१२
३२	रायबरेली	४४०१.१२५	..	४४०१.१२५	२०३
३३	खेरी	२२७.०	..	२२७.०	
३४	प्रतापगढ़	..	..	..	
३५	गोरखपुर	..	..	..	४६६
३६	बस्ती	२०२.६७	१.३०	२०३.९७	६७८
३७	कानपुर	२१७६.५०	५.०	२१८१.५०	
३८	बाराबंकी	..	..	..	
३९	बदायूं	१२.४७	.	१२.४७	४
४०	मुरादाबाद	..	..	..	
४१	सहारनपुर	४४.९७	४१.८४	८६.८१	८३
४२	एटा	११.०	..	११.०	६
४३	बिजनौर	..	..	..	
४४	पीलीभीत	..	..	..	
४५	देवरिया	४२.१८	२.४२	४४.६०	२०
४६	उन्नाव	६७	५४	१२१	१६१
४७	फैजाबाद	२२२	..	२२२	१७२
४८	रामपुर	..	..	..	
४९	अल्मोड़ा	सूचना उपलब्ध नहीं है।			
५०	गढ़वाल				
५१	टेहरी-गढ़वाल				

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर ।)

उत्तर प्रदेश सरकार

माल (ख) विभाग

सं० ५३४०/–१सी––६३०–सी-५३

लखनऊ, २३ फरवरी, १९५४ ई०

विज्ञप्ति

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१) की धारा ११ की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित गांवों के फैजाबाद जिले से आजमगढ़ के जिले को और आजमगढ़ जिले से फैजाबाद के जिले को संक्रामण (transfer) का आदेश देते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इसमें उल्लिखित किसी बात से किन्हीं ऐसी अधिक कार्यवाहियों (legal proceedings) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस विज्ञप्ति के दिनांक पर किसी ऐसे माल के न्यायालय में विचाराधीन हों जो अब तक इन गांवों के सम्बन्ध में अधिक्षेत्र का प्रयोग करता रहा हो ।

क्रम-संख्या	गांव का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	तहसील (जिससे संक्रमित किया गया)	जिला (जिससे संक्रमित किया गया)	कमिश्नरी (जिससे संक्रमित किया गया)	तहसील (जिसको संक्रामित किया गया)	जिला (जिसको संक्रामित किया गया)	कमिश्नरी (जिसको संक्रामित किया गया)
१	ओरिल	१,८७१	अकबरपुर	फैजाबाद	फैजाबाद	फूलपुर	आजमगढ़	गोरखपुर
२	रम्मोपुर	७०६	"	"	"	"	"	"
३	चक लहसुआ	२६	"	"	"	"	"	"
४	चक चकिया	११६	"	"	"	"	"	"
५	चक दुलहा	३	"	"	"	"	"	"
६	चक दुलहिन	१	"	"	"	"	"	"
७	देवदिह	४१८	"	"	"	"	"	"
८	चक किरता	२२	"	"	"	"	"	"
९	मुहीउद्दीनपुर	१०९	"	"	"	"	"	"
१०	रुधौली अदाई	११२	फूलपुर	आजमगढ़	गोरखपुर	अकबरपुर	फैजाबाद	फैजाबाद
११	रुधौली माफी	१७५	"	"	"	"	"	"

आज्ञा से,

जहूरुल हसन,

सचिव ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर।)

जिला मुजफ्फरनगर में जिसको जितनी तकावी ट्रैक्टर के खरीदने के लिये अब तक दी गई है उसकी सूची :—

१९४८–४९			रु०
१—श्री दीवान इकबाल नाथ	..	..	२४,०००
१९४९–५०			
२—श्री भजन सिंह	..	..	१०,०००
३—श्री इन्द्र प्रकाश	..	..	१०,०००
४—श्री महेश बाल	..	..	१०,०००
५—श्री हरद्वारी सिंह	..	..	१०,०००
६—श्री इनायत अली खां	..	..	१०,०००
७—श्री कुंवर असगर अली खां	..	..	१०,०००
८—श्री हरि रतन स्वरूप	..	..	१०,०००
९—श्री चन्द्र प्रकाश	..	..	१०,०००
१०—श्री जहूर हैदर	..	..	७,०००
११—श्री एम० रहमान	.	..	५,०००
१९५०–५१			
१२—श्री सैयद मुरतजा	..	..	१०,०००
१३—श्री प्रेम सिंह	..	..	१०,०००
१४—श्री अब्दुल कासिम	..	..	८,०००
१५—श्री रतनलाल	..	..	१०,०००
१६—श्री करम पाल सिंह	..	..	७,०००
१७—श्री मुख्तार सिंह	..	..	७,०००
१८—श्री चुन्नी सिंह	..	..	१०,०००
१९—श्री डेरावाल कलेक्टिव फार्म	..	..	१०,०००
२०—श्री विश्वम्भर दास	..	..	१०,०००
१९५१–५२			
२१—श्री बलवन्त सिंह	..	..	१०,०००
२२—श्री तुंगल सिंह	..	..	५,०००
२३—श्री श्यामलाल	..	..	१०,०००
२४—श्री जगजीत सिंह	..	..	१०,०००
२५—श्री माधो प्रसाद	..	..	८,०००
२६—श्री अतर सिंह	..	..	८,०००
२७—श्री सिसोना कोआपरेटिव फार्म	..	..	१०,०००
२८—श्री बलजीत सिंह	..	..	८,०००
२९—श्री बृजभूषण प्रकाश	..	..	१०,०००
३०—श्री धर्मवीर सिंह	..	..	८,०००
३१—श्री अमर सिंह	..	..	८,०००
१९५२–५३			
३२—श्री पन्नालाल	..	..	१,००,०००
१९५३–५४			
३३—श्री उदिवाली कोआपरेटिव फार्म	..	..	५,०००
३४—श्री गुलाम मुस्तफा	..	..	५,०००
३५—श्री हसन मेंहदी	..	..	५,०००
३६—श्री लक्ष्मी सरन	..	..	५,०००

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर।)

जिन लोगों से सन् १९५० में कोटद्वारा हाउसिंग स्कीम के सम्बन्ध में रुपया जमा कराया गया था उनकी सूची :—

		रु०
१—कैप्टेन गबर सिंह, सोल्जर्स बोर्ड, लैंसडाउन	..	१००
२—श्री धन सिंह, कन्ट्रैक्टर, फारेस्ट डिवीजन	..	५००
३—श्री कीरत सिंह सूबेदार, शिबूनगर ..	..	१००
४—श्री चन्द्र सिंह रावत, वकील, पौड़ी ..	..	३१
५—सूबेदार मेजर श्री सुदामा सिंह, मेरुवा सिला	..	१,०५०
६—श्री दौलतराम, फौरेस्ट कन्ट्रैक्टर, सकाली सिला	..	२००
७—श्री रामप्रसाद काला, रुद्रप्रयाग ..	..	३१०
८—श्री लाला श्यामलाल, कोटद्वारा ..	..	२००
९—गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन, कोटद्वारा	..	७०
१०—कैप्टेन इन्द्र सिंह, सतीचौर ..	..	७५
११—श्री वुद्धि बल्लभ भदोला, लैंन्सडाउन..	..	१८०
१२—श्री सोवन सिंह, कोटद्वारा ..	..	२३०
१३—श्री कुन्दन सिंह गुसाईं, वकील, लैन्स डाउन	..	१५०
१४—शिवराजपुर सोसाइटी ..	..	१२०
१५—श्री मनोहर सिंह, ग्राम पदमपुर ..	..	२००
१६—श्री वानसिंह विष्ट, शिबूनगर ..	..	१३०
१७—श्री कीमत सिंह, ग्राम नीबूचौर मोटाढांक	..	१२५
१८—श्री त्रिलोकसिंह, ग्राम शिवराजपुर मोटा ढांक	..	१५०
१९—कर्नल लक्ष्मण सिंह मार्फत कैप्टेन गबर सिंह, लैंन्सडाउन	..	१०५
२०—श्री मुरलीधर कुकरेती	..	१५०
२१—श्री नन्दन प्रसाद ..	..	३५५
२२—श्री बद्रीदत्त, नन्दपुर मोटाडढंक ..	..	१३०
२३—श्री अमरदत्त पोखरिया, कोटद्वारा ..	..	५३
२४—देवरामपुर सोसाइटी कोटद्वारा द्वारा त्रिलोक सिंह	..	२०
२५—श्री विशन सिंह रावत, कोटद्वारा ..	..	१०
२६—श्री ठगराम, कोटद्वारा ..	..	५०
२७—श्री जैदेव प्रसाद दुकानदार, कोटद्वारा	..	८०
२८—कैप्टेन मान सिंह, ग्राम नगरासू ..	..	६५
२९—रामारि सोसाइटी ..	..	३५

		रु०
३०—श्री लक्ष्मणसिंह सोरप्रोह लालपानी सनेह	..	४७
३१—श्री जैदेव ग्राम शिवराजपुर मोटाढांक	..	५५
३२—श्री योगेश्वर प्रसाद बहुखंडी ..	..	२०
३३—श्री कुंवरसिंह रावत, विशनपुर ..	..	४०
३४—श्री रामप्रसाद नौटियाल, ग्राम कांडा खाटली	..	१०
३५—श्री राधेलाल दुकानदार कोटद्वारा ..	..	२००
३६—श्री भवानी सिंह रावत, ग्राम पदमपुर मोटाढांक	..	५१
३७—श्री मोहनसिंह रावत, ग्राम पदमपुर मोटा ढांक	..	५२
३८—श्रीमती कुंवारी देवी, ग्राम नन्दपुर	..	२०
३९—श्री कृपाराम मुख्तार, ग्राम पदमपुर सुखरौ	..	४५
४०—श्री इन्द्रमणि, लोकमनीपुर हल्दूखाता	..	५०
४१—श्री खुशल सिंह, ग्राम पदमपुर सुखरौ	..	१५
४२—श्री बन्सीराम, लैंसडाउन ..	..	१६५
४३—श्री ला० महाबीर प्रसाद, कोटद्वारा	..	८०
४४—श्री उमराव सिंह चौधरी, रामपुर	..	५०
४५—श्री हरदेव सिंह, दुकानदार कोटद्वारा	..	१५०
४६—श्री घासीराम कोटद्वारा ..	..	२६०
योग	..	६,२७४

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

प्रश्न संख्या ५४ से संबंधित सूची

क्रम-संख्या	टेस्ट वर्क का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कुल मजदूरों की संख्या	कार्य समाप्ति का का कारण
१	पटेहरवा-जरमऊ रोड	६–७–५३	१४–७–५३	..	मजदूरों का अभाव
२	तमकोही-सिसवा नहर रोड	५–७–५३	१२–१२–५३	८१,५६५	मिट्टी भराई का काम पूरा हो गया
३	पिपरा घाट-साहबगंज रोड	२६–८–५३	११–१२–५३	४३,१२१	,, ,,
४	रुद्रपुर-बरहज रोड	१–६–५३	६–१०–५३	..	मजदूरों के अभाव से
५	तमकोही-सलेमगढ़-तरया सुजान रोड	१६–११–५३	११–३–५४	८२,१७२	रबी की फसल की कटाई का समय श्रमिकों के लिये कृषि कार्य में जीविकोपार्जन करने का पर्याप्त अवसर था।
६	बेबपुर-साहबगंज-तमकोही रोड	७–१–५४	११–३–५४	६२,७७८	,, ,,
७	सिरसिया पुल से नौतनवांबजार रोड	६–२–५४	११–३–५४	१२,८२३	,, ,,

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर।)
प्रश्न संख्या ७१ से सम्बन्धित सूची

सूची गांव तहसील शाहाबाद जिनमें ओला पड़ा

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
१	शेखूपुरा	३६	गदमर पट्टी टीका सिंह
२	मोतीपुरा	३७	रवानी पट्टी जवाहर
३	सुहाना,	३८	भगवतीपुर
४	टाडा	३९	गहखुलापुर
५	मिलक तुरखेड़ा	४०	परौता
६	तुरखेड़ा	४१	पचतौर
७	महूनागर	४२	किरा
८	चन्दूपुर सालिस	४३	रेवड़ी कलां
९	गजरौला	४४	रेवड़ी खुर्द
१०	वीरपुर	४५	उदयपुर
११	रमपुर	४६	मनसूबपुर
१२	मुहलिया	४७	पीपल वाला
१३	खनूपुरा	४८	असालतपुर
१४	भगवन्तपुर	४९	मड़यान बुधपुर
१५	तालबाबाद	५०	ढीलसर
१६	ढुकरिया	५१	मीरामपुर
१७	परबतपुर नगरिया	५२	गुलड़िया खुर्द
१८	मिलक काजी	५३	भौपतपुर
१९	ककरोवा	५४	गंगापुर गरबी
२०	बन्दार	५५	अहमदनगर
२१	रसूलपुर	५६	मोहम्मदपुर उर्फ नया गांव
२२	चतरपुर	५७	ढकिया
२३	नन्दगांव	५८	नसुरतनगर
२४	ऊंचा गांव	५९	नादरगंज
२५	चकरपुर भूड़ा	६०	खंजीपुरा
२६	भौपतपुर रायपुर	६१	नवाब नगर
२७	जगेसर	६२	रुस्तमनगर
२८	नबी गांव	६३	यूसुफनगर
२९	याकूबगंज	६४	मदकर
३०	ईशा खेड़ा	६५	गैनी
३१	कूप	६६	ठिरिया
३२	शहबरा	६७	खवेली
३३	पैगम्बरपुरा	६८	लोदीपुर
३४	गदमर पट्टी मोतीसिंह	६९	धंकाशी
३५	रहबानी पट्टी उदा		

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ व ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर।)

जौनपुर जिले के बाढ़-पीड़ित गांवों की सूची, जिनमें गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	गिरे हुये मकानों की संख्या	धन जो तकावी के रूप में दिया गया			धन जो दान के रूप में दिया गया		
१	२	३	४			५		
			रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
	तहसील—जौनपुर							
१	रामदयालगंज ..	२	३०	०	०	१००	०	०
२	जौनपुर ..	७	१५०	०	०			
३	हरीरामपुर	२०		..		३७५	०	०
४	गढ़हा सेनी ..	४५		..		११९०	०	०
५	ककोहिया ..	१७		..		१२५	०	०
६	बिशुनपुर ..	१३		..		३००	०	०
७	खमपुर ..	२३		..		५३५	०	०
८	घोरहा	७		..		१७५	०	०
९	लेधवा ..	३		..		७५	०	०
१०	पोखरियापुर	४		..		१००	०	०
११	मसीदा	२		..		५०	०	०
१२	अहमदपुर	७		..		१७५	०	०
१३	सेखवारा	६		..		१२५	०	०
१४	आसमान पट्टी	३०		..		४२५	०	०
१५	मल्हनी	..		..		२५	०	०
	योग ..		१८०	०	०	३,७७५	०	०
	तहसील—मछलीशहर							
१६	अचकरी	२९	२७०	०	०		..	
१७	बेकापुर	१३	१७०	०	०		..	
१८	केवटली ..	१३१	२७०	०	०		..	
१९	चांदपुर ..	१२१	५९०	०	०		..	
२०	सकरा ..	६८	२००	०	०		..	
	योग ..		१,५००	०	०		..	

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	गिरे हुए मकानों की संख्या	धन जो तकावी के रूप में दिया गया			धन जो दान के रूप में दिया गया		
१	२	३	४					
	तहसील—शाहगंज		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
२१	सम्मनपुर ..	१०	३०	०	०	..		
२२	यहियापुर ..	१३	६९०	०	०	..		
२३	मादी ..	१	४०	०	०	..		
२४	लखमापुर	१	५०	०	०	..		
२५	गोरीला ..	१	२५	०	०	..		
२६	अदनाथपुर ..	१	४०	०	०	..		
२७	कौरिया (कस्बा शाहगंज)	१	२५	०	०	..		
२८	गोपालापुर	७	४००	०	०	..		
२९	ताखा मशरिक	२	२००	०	०	..		
	योग	.	२,५००	०	०	..		
	तहसील—केराकत							
३०	बिझवर सागर	११५	७२५	०	०	..		
	..		७२५	०	०	..		
	कुल योग..		४,९०५	०	०	३,७७५	०	०

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर।)

प्रश्न संख्या ७६ से संबंधित सूची

लखनऊ तहसील के ग्रामों की सूची

१—घैला
२—अलूनगर दिगोरिया
३—दाऊदनगर
४—अलीनगर
५—सरसवां
६—दुग्गौर
७—कुलुवा गांडा
८—मखदूमपुर
९—उजरियाव
१०—मलेसेमऊ
११—अहमनमऊ
१२—सरोरा
१३—अरदोनामऊ
१४—बाघामऊ
१५—चंदियामऊ
१६—गाजीपुर बलराम
१७—छपपेर खदरा
१८—लौहिरामऊ
१९—जेहटा
२०—सैथा
२१—बरावन कलां
२२—बरावन खुर्द
२३—गजराहार
२४—बरीकलां
२५—आराजी महताबबाग
२६—जियामऊ

मलिहाबाद तहसील के ग्रामों की सूची

१—सुल्तानपुर
२—अकड़रिया कलां
३—बुघरा
४—जमखनवां

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

औद्योगिक श्रमिकों के निवास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा गृह बनाये गये हैं और इसके पश्चात् भी बनाये जायेंगे ;

और यह आवश्यक है कि ऐसे गृहों के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए प्राधिकारियों की व्यवस्था की जाय और उसे संस्थापित किया जाय,

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

अध्याय १

संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उन क्षेत्रों में और उस दिनांक से प्रचलित होगा जिन्हें राज्य सरकार सरकारी गजट मे इस सम्बन्ध मे विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापित करे।

परिभाषाएं

२--विषय या प्रसंग मे कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में--

(क) "परामर्श समिति" का तात्पर्य धारा १८ के अधीन संगठित परामर्श समिति से है ;

(ख) "प्रवेशना" (allotment) का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी गृह के उपभोग और अध्यासन (occupation) के अधिकार प्रदान से है किन्तु इसके अन्तर्गत पट्टे (lease) द्वारा प्रदान नहीं है ;

(ग) "गृह" का तात्पर्य धारा ३ की उपधारा (१) में अभिदिष्ट गृह से है और इसके अन्तर्गत उसका कोई भाग और निम्नलिखित भी है :

(१) कोई बाग भूमि अथवा बाहरी घर (out houses) जो इस गृह से संलग्न हों,

(२) राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा गृह आयुक्त द्वारा गृह में प्रयोग के लिए दिया हुआ उपस्कर (furniture) ;

(३) ऐसे गृह में लगी हुई कोई फिटिंग जो उसके अधिक लाभप्रद उपभोग के लिये हो ;

(घ) "गृह-आयुक्त" (Housing Commissioner), "गृह-उपायुक्त" (Deputy Housing Commissioner), "सहायक गृह आयुक्त" (Assistant Housing Commissioner) का

तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उक्त अधिकारियों से है ;

(ङ) "औद्योगिक श्रमिक" का तात्पर्य फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ में परिभाषित शब्द worker से है ;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(छ) "किराये" का तात्पर्य गृह के उपभोग अ ध्यासन के लिए प्रदेशना गृहीता (allottee) अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा देय धनराशि से है, और

(ज) "राज्य सरकार" (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

३—(१) यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार से राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना (Industrial Housing Scheme) [जिसे यहां पर आगे चल कर राजसहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना (Subsidised Industrial Housing Scheme) कहा गया है ।] अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की अन्य किसी योजना के अधीन जो गजट में इस प्रयोजन से विज्ञापित की जाय, औद्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के निमित्त राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्मित गृहों पर प्रवृत होगा।

(२) राज्य सरकार समय-समय पर सरकारी गजट में प्रख्यापन प्रकाशित करके उन नगरों के नाम सहित जहां वह गृह स्थित हों, उन गृहों को निर्दिष्ट करेगी और ऐसा प्रख्यापन इस बात का निर्णायक साक्ष्य (Conclusive evidence) होगा कि ऐसे गृह राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी दशा हो औद्योगिक श्रमिकों के अध्यासन के हेतु राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना के अधीन बनाये गये थे ।

४—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके गृह आयुक्त की नियुक्ति करेगी। गृह आयुक्त

(२) गृह आयुक्त (Housing Commissioner) एकल निगम (Corporation Sole) होगा जो गृह आयुक्त, उत्तर प्रदेश कहलायेगा, उसका सतत अनुक्रम (perpetual Succession) होगा, उसकी अधिकारिक मुद्रा (Official Seal) होगी; वह अपने निगमित नाम (Corporate name) से वाद प्रस्तुत कर सकेगा , और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत हो सकेगा।

५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्य के प्रशासन, पर्यवेक्षण और सम्पादन के हेतु एक या एक से अधिक उप-गृह-आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त तथा अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी , जैसा वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है।

(२) उपगृह-आयुक्त तथा सहायक गृह-आयुक्त राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण में तथा गृह-आयुक्त के आदेशों के अधीन गृह-आयुक्त के किसी भी कर्तव्य को कर सकेंगे तथा अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और ऐसे कर्तव्य करते समय अथवा अधिकार प्रयोग करते समय उन्हें वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उन्हीं दायित्वों से आबद्ध होगा जो गृह आयुक्त के हैं ।

इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अधीन गृह आयुक्त तथा अन्य अधिकारी पब्लिक सर्वेन्ट (जनसेवक) होंगे।

६—गृह आयुक्त तथा धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी अथवा सेवक इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (जनसेवक) समझे जायेंगे।

गृह-आयुक्त के कर्तव्य।

७—राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, गृह-आयुक्त गृहों के प्रदेशना उनके किराये की वसूली, ऐसे गृहों में अध्यासीन व्यक्तियों की बेदखली तथा इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य मामलों के लिये उत्तरदायी होगा।

परामर्श समिति।

८—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बद्ध उन मामलों में परामर्श के हेतु, जिन्हें राज्य सरकार अथवा गृह आयुक्त उसके परामर्श के लिये अभिदिष्ट करे, परामर्श समिति संगठित कर सकती है।

(२) परामर्श समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। सभापति सहित उनकी संख्या ७ से अधिक न होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परामर्श समिति में कम से कम एक सदस्य औद्योगिक श्रमिकों का तथा एक उनके नियोजकों (Employers) का प्रतिनिधि अवश्य होगा।

(३) परामर्श समिति के सभापति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

अनधिकृत अध्यासन में समझे गये व्यक्ति।

९—इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, जब तक इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी गृह के अपने अनधिकृत अध्यासन में समझा जायगा—

(क) यदि उसने गृह पर कब्जा उस स्थिति में किया हो, जो गृह आयुक्त द्वारा की गयी प्रदेशना के अन्तर्गत अथवा अनुसार न हो;

(ख) यदि प्रदेशना गृहीता (allottee) होते हुए धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन प्रदेशना निरस्त हो जाने के कारण वह गृह के अध्यासन का अधिकारी न रहा हो;

(ग) यदि वह अधिनियम में परिभाषित औद्योगिक श्रमिक न रहे।

स्पष्टीकरण—केवल किराया दे देने के आधार पर किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि उसने गृह पर प्रदेशना गृहीता की हैसियत से कब्जा किया है।

प्रदेशना के लिये प्रार्थना-पत्र

१०—गृहों की प्रदेशना के लिये प्रार्थना-पत्र ऐसे आकार (form) में दिया जायगा जो नियत किया जाय।

गृहों की देशना

११—गृह-आयुक्त उस रीति से गृहों की प्रदेशना करेगा जो नियत की जाय।

१२—(१) किसी व्यक्ति द्वारा गृह का अध्यासन उस व्यक्ति द्वारा सर्वदा उन शर्तों के पालन के अधीन होगा जो ऐसे गृह के अध्यासन के सम्बन्ध में नियत की जाय अथवा जिन्हें गृह आयुक्त समय-समय पर सूचित करे। अध्यासन की शर्तें।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, गृह-आयुक्त अध्यासी को नोटिस दे कर और उसके स्पष्टीकरण पर यदि कोई हो, विचार करके तथा कारण अभिलिखित करके उस प्रदेशना को निरस्त (Cancel) कर सकता है जिसके अधीन गृह किसी व्यक्ति के पास या अध्यासन में हों। प्रदेशना के निरसन की आज्ञा की एक प्रतिलिपि उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी।

१३—इस अधिनियम द्वारा अथवा अधीन अधिकारों के प्रयोग में राज्य सरकार अथवा गृह आयुक्त द्वारा दी गयी किसी आज्ञा पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी (shall not be called in question) तथा इस अधिनियम द्वारा दिये गये किसी भी अधिकार के अनुसार किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी कोई निषेधाज्ञा (injunction) जारी नहीं कर सकेगा। न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र का बाधित होना।

१४—प्रत्येक गृह का अध्यासी ऐसे आकार में अनुबन्ध-पत्र (agreement) निष्पादित करेगा जो नियत किया जाय। अनुबन्ध-पत्र का निष्पादन।

१५—प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जिसे प्रदेशना प्राप्त हो, किराया तथा अन्य परिव्यय (harges) उन दरों से तथा उन दिनांकों पर देय होंगे जिन्हें गृह-आयुक्त निश्चित करे। किराये की दरें और अदायगी के दिनांक।

१६—सब किराया तथा अन्य परिव्यय नकदी में वसूल किये जायेंगे और प्रत्येक अनुगामी मास (frllowing month) की दसवीं तारीख तक देय होंगे। किराया तथा अन्य परिव्यय देने का ढंग।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गृह-आयुक्त उन आदेशों के अधीन जिन्हें राज्य सरकार प्रचारित करे, समय-समय पर किराया तथा अन्य परिव्ययों के देने का दिनांक बढ़ा सकता है।

१७—देय दिनांक पर अथवा गृह-आयुक्त द्वारा बढ़ाई गई अवधि में न दिया गया किराया, तथा अन्य परिव्यय बकाया समझा जायगा। किराया तथा अन्य परिव्ययों को बकाया।

१८—गृह-आयुक्त, उप गृह आयुक्त, सहायक गृह-आयुक्त अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रशासित और कार्यान्वित करने के प्रयोजन से किसी भी ऐसे गृह में, जिसमें दाखिल होना वह आवश्यक समझे, यथोचित सहायकों के साथ सभी उचित वेलाओं में दाखिल हो सकता है। गृह में दाखिले का अधिकार।

१९—यदि किराये पर अन्य परिव्ययों की वह बक़ाया जिसके लिये मांग की नोटिस तामील हो चुकी हो, गृह-आयुक्त के पास अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के पास तामील के ३० दिन अथवा ऐसी बढ़ायी हुई अवधि के भीतर, जिसकी वह अनुज्ञा दे, नहीं दी जाती है तो ऐसी बक़ाया, वसूली के व्यय सहित, मालगुजारी की बक़ाया की भांति वसूल की जा सकेगी और उनको अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति सम्बद्ध गृह का अनधिकृत अध्यासी समझा जायगा। किराया इत्यादि के बक़ाया की वसूली।

वेतन में किराया की कटौती ।

२०—(१) किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों को बाधित न करते हुए, कोई व्यक्ति गृह-आयुक्त के साथ ऐसा अनुबन्ध-पत्र निष्पन्न कर सकता है जिसके अनुसार नियोजक, जिसके अधीन वह नियुक्त हो, उसको देय वेतन अथवा मजदूरी में से ऐसी धनराशि जो अनुबन्ध-पत्र मे निर्दिष्ट हो, काट सके और इस प्रकार कटौती की हुयी धनराशि प्रदिष्ट गृहादि (Premises) के किराये तथा अन्य परिव्ययों की भरपाई के रूप मे गृह-आयुक्त को दे सके ।

ऐसे अनुबन्ध-पत्र के निष्पादन होने पर पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ में किसी बात के होते हुए भी, गृह-आयुक्त द्वारा मांग-पत्र मे निर्दिष्ट धनराशि की कटौती के लिए लिख कर कहे जाने पर नियोजक श्रमिक के वेतन अथवा मजदूरी में से वह धनराशि काट लेगा और इस प्रकार कटौती की हुयी धनराशि को गृह-आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अदा करेगा, और इस मांग-पत्र के विपरीत अदा की हुयी किसी धनराशि के लिये नियोजक उत्तरदायी (liable) होगा ।

(२) यदि इस सम्बन्ध में नोटिस की तामीली ३० के दिन के भीतर नियोजक गृह-आयुक्त को उपधारा (१) के अधीन कटौती की हुयी धनराशि न दे अथवा श्रमिक को उक्त उपधारा के अधीन मांग-पत्र के विपरीत कोई भी धनराशि दे तो, वह कटौती की हुयी या इस प्रकार श्रमिक को दी हुई धनराशि वसूली के सब व्यय सहित उससे मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी ।

गृहादि से बेदखली ।

२१—(१) यदि गृह-आयुक्त इस निर्णय पर पहुंचे कि—

(क) किसी गृह के अध्यासन के लिए अधिकारी व्यक्ति ने:—

(१) ऐसे गृह के सम्बन्ध में विधितः देय किराया तथा अन्य परिव्यय दो मास तक बकाया में रखा है, यदि धारा १६ के अधीन गृह-आयुक्त द्वारा किराये के देने की अवधि बढ़ा न दी गयी है।; अथवा

(२) पूर्णतः अथवा अंशतः गृह को शिकमी पर उठाया है, अथवा

(३) अन्य किसी रीति से किसी भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट शर्त का उल्लंघन किया है जिसके अधीन वह गृहादि के अध्यासन का अधिकारी है, अथवा

(४) वह इस अधिनियम में पारिभाषित औद्योगिक श्रमिक नहीं रह गया है, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो गृहादि के अनधिकृत अध्यासन में हो, तो गृह-आयुक्त उस समय प्रचलित किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी,

(१) डाक द्वारा; अथवा

(२) उस गृह के सदर दरवाजे अथवा अन्य किसी प्रमुख स्थान पर एक प्रति चिपकवा कर; अथवा

(३) अन्य ऐसी रीति से जो नियत की जाय, नोटिस की तामील करके ऐसे व्यक्ति को तथा उस व्यक्ति को जो सम्पूर्ण गृह अथवा उसके किसी भाग के अध्यासन में हो, नोटिस की तामीली से एक मास के भीतर खाली करने की आज्ञा दे सकता है ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दी हुयी आज्ञा का पालन करने में कोई व्यक्ति असफल रहे अथवा पालन करने से इनकार करे तो गृह-आयुक्त उस गृह से उसकी बेदख़ली की आज्ञा दे सकता है और उस गृह पर क़ब्ज़ा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए उतने बल प्रयोग का अधिकार दे सकता है जो आवश्यक हो। आज्ञा की एक प्रतिलिपि उक्त व्यक्ति पर तामील की जायगी।

(३) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (१) के खंड (क) के उपखंड (१) अथवा (३) के अधीन गृह खाली करने की आज्ञा दी गई हो, नोटिस की तामीली के दिनांक से एक मास के भीतर अथवा उस बढ़ी हुयी अवधि के भीतर जिसकी गृह-आयुक्त अनुज्ञा दे गृह-आयुक्त को बक़ाया किराया अथवा अन्य परिव्यय दे दे अथवा अपने द्वारा उल्लंघन की हुयी शर्तों का पालन और अनुपालन गृह-आयुक्त के संतोष के अनुसार करे, तो गृह-आयुक्त ऐसे व्यक्ति को बेदख़ल करने के बजाय उपधारा (१) के अधीन दी गयी अपनी आज्ञा को निरस्त कर सकता है और तत्पचात् वह व्यक्ति उस गृह पर उन्हीं शर्तों के अनुसार अध्यासीन रहेगा जिनके अन्तर्गत वह नोटिस की तामीली से ठीक पूर्व अध्यासीन था।

२२—(१) धारा १२ अथवा धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन गृह आयुक्त की आज्ञा से विक्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त धाराओं के अधीन आज्ञा की तामील से १५ दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है: अपील का अधिकार।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उक्त १५ दिन की अवधि के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकती है यदि उसे संतोष हो कि प्रार्थी पर्याप्त कारणवश निश्चित समय में अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता था।

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर राज्य सरकार गृह-आयुक्त से आख्या प्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसी आज्ञा दे सकती है जिसे वह उचित समझे और राज्य सरकार की यह आज्ञा अन्तिम होगी।

(३) यदि उपधारा (१) के अधीन अपील प्रस्तुत की गयी हो, तो राज्य सरकार उस आज्ञा का निष्पादन (enforcement), जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, उस अवधि के लिये और उन शर्तों पर रोक सकती है जिन्हें वह उचित समझे।

२३—(१) जब कोई व्यक्ति किसी गृह के अनधिकृत अध्यासन में हो तो गृह-आयुक्त ऐसे गृह के उपभोग और अध्यासन के लिये ऐसे हर्जा (demages) नियत रीति से अवधारित कर सकता है जिसे वह उचित और उपयुक्त समझे और उस व्यक्ति पर डाक द्वारा अथवा अन्य रीति से नोटिस तामील करके आज्ञा दे सकता है कि वह व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हर्जा अदा करे। हर्जे की वसूली के अधिकार।

(२) यदि कोई व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हर्जा देने से इनकार करे अथवा देने में असमर्थ रहे तो हर्जा मालगुजारी की बक़ाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।

(३) उपधारा (१) या (२) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को, जिसको हर्जा देने की आज्ञा दी गई हो, अपने दायित्व के प्रतिवाद में (to contest his liability) क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) न्यायालय में वाद (suit) प्रस्तुत करने से रोक सके:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (२) के अधीन धनराशि वसूल नहीं की जा चुकी हो तो ऐसा वाद प्रस्तुत करने से पहले उक्त व्यक्ति उपधारा (१)

के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि गृह-आयुक्त के पास जमा कर देगा और जमा की हुई धनराशि न्यायालय की आज्ञा के अधीन जमा रहेगी।

अधिनियम के अधीन देय धन-राशियों की वसूली।

२४—(१) इस अधिनियम के अधीन देय सभी धनराशियों की वसूली मालगुजारी की बक़ाया की भांति की जा सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी सभी धनराशियां राज्य सरकार के नाम सरकारी ख़जाने में अथवा इम्पीरियल बैंक में, जैसा भी नियत किया जाय, जमा की जायंगी।

अपराधों की अवेक्षा।

२५—जब तक कि अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था न की गयी हो कोई न्यायालय गृह-आयुक्त के अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी कर्मचारी (official) के अभियोग-पत्र (Complaint) अथवा उनसे प्राप्त की सूचना के बिना इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध की अवेक्षा (Cognizance) नहीं करेगा।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों की रक्षा।

२६—इस अधिनियम की अधीन सद्भावना से किये गये किसी कार्य के या किसी ऐसे कार्य के लिये जिसे उक्त प्रकार से करने का उद्देश्य हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or legal proceeding) नहीं की जा सकेगी।

दण्ड

२७—(१) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध और अथवा तदन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करेगा उसे दोषी सिद्ध हो जाने पर कारावास का दंड जो ६ मास तक हो सकता है अथवा अर्थ दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों दिये जा सकते हैं।

(२) किसी भी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी विधिक अधिकार के प्रयोग में बाधा डालता है, दोषी सिद्ध हो जाने पर कारावास का दंड जो छः मास तक हो सकता है, अथवा अर्थ दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों, दिये जा सकते हैं।

नियम बनाने का अधिकार।

२८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पूर्व प्रकाशन के प्रतिबन्ध के अधीन नियम बना सकते हैं।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकती हैं:—

(१) गृह आयुक्त के कर्तव्य और कृत्य;
(२) धारा ८ के अधीन परामर्श समिति का संगठन और सदस्यता;
(३) प्रार्थना-पत्र का आकार तथा आवास की प्रदेशना की रीति और उसके अध्यासन की शर्तें;
(४) आकार और रीति जिसमें धारा २२ के अधीन अपील प्रस्तुत की जायगी;
(५) धारा २२ के अधीन अपीलों में देय शुल्क, यदि कोई हो;
(६) धारा १४ और २० में अभिदिष्ट अनुबंध-पत्र का आकार;
(७) धारा १२ या धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन आज्ञा की तामील की रीति;
(८) किराया तथा अन्य परिव्यय दिये जाने का ढंग;
(९) धारा २३ में अभिदिष्ट हर्जे का अवधारण;
(१०) गृहों की देख-रेख और मरम्मत;
(११) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं या नियत किये जायं।

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार की राज सहायता प्राप्त इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अधीन राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिये गृहों के निर्माण में प्रगति हो रही है। बहुत से गृह बन भी चुके हैं और इस संबंध में समुचित व्यवस्था होने तक उनके प्रशासन, प्रवेशना, नियंत्रण इत्यादि के लिये अन्तर्कालीन प्रबंध कर दिया गया है। किन्तु उनके प्रशासन, नियंत्रण, प्रवेशना, मरम्मत, किराया वसूली और अन्य सम्बद्ध मामलों के लिये अधिनियम बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस विधेयक द्वारा इन्हीं विषयों की व्यवस्था की गयी है।

सम्पूर्णानन्द,
श्रम मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी–३६ एल० ए–१९५४–८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडे, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास, श्री
दर्शनराम भगत, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री

राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

दीवान सुन्दर दास ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधान भवन को एयर कण्डीशण्ड कराने की आवश्यकता

**१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह विधान भवन को एयर कन्डीशन्ड कराने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी नही।

**२—श्री झारखंडे राय—अगर हां, तो इसमें सरकार का कितना खर्च होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सवाल नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या वित्त मंत्री बतलायेंगे कि एयर कंडीशण्ड करने में सरकार के सामने क्या दिक्कतें हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—दिक्कतों का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने तो जवाब दिया है कि यह बात विचाराधीन नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय वित्त मंत्री जी के पास कुछ इस तरह के सुझाव भी आये हैं कि इस सदन को एयर कंडीशन्ड करा दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कम से कम मंत्री के पास तो नहीं आये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को यह खबर है कि इस हमारे हिन्दोस्तान के और प्रांतों की जो विधान सभायें हैं वे सब करीब-करीब एयर कंडीशन्ड हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—है भी, नहीं भी है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रांत होने के नाते क्या यह आवश्यकीय नहीं है कि यहां का जो सदन है उसे एयर कंडीशन्ड करा दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जरूर है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय झारखंडे राय जी के स्वास्थ्य को दृष्टि में रख कर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपने नाम ले कर व्यक्तिगत प्रश्न पूछा है।

सैदपुर में जनाने अस्पताल की आवश्यकता

**३—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि स्वास्थ्य मंत्री ने सैदपुर में १९५४ तक एक जनाना अस्पताल बनाने तथा वर्तमान मर्दाना अस्पताल का प्रांतीयकरण करने का वादा किया है?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—वादा तो नहीं किया था परन्तु इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वचन दिया था। विचार हो रहा है।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३-५—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[२५ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*६-७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२५ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*८-१०—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*११-१२—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[२५ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*१३-१५—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

जूरी प्रथा के सम्बन्ध में भारत सरकार का आदेश

*१६—श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि न्याय मंत्री ने उत्तर प्रदेशीय जूरी लोगों के एसोसियेशन के एक डेपुटेशन से गत अक्तूबर मास में यह बात कही थी कि यू० पी० गवर्नमेंट इस बात पर गौर कर रही है कि निकट भविष्य में राज्य भर में फिर से जूरी सिस्टम चालू कर दिया जाय? यदि ऐसा है, तो कब से यह सिस्टम चालू हो जायगा?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी नहीं, गत अक्तूबर मास में उत्तर प्रदेशीय जूरी लोगों के डेपुटेशन से न्याय मंत्री ने केवल यह कहा था कि जनमत जूरी प्रथा के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश के केवल छः जिलों में जूरी प्रथा रखना ठीक नहीं है जबकि और जिलों में जूरी द्वारा मुकदमें नहीं सुने जाते।

*१७—श्री मलखान सिंह (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जूरी प्रथा के सिलसिले में जो बिल पेश करने वाली है उसे स्थगित कर दिया जाय क्योंकि भारत सरकार स्वयं फौजदारी कानून के संशोधन करने के लिए बिल पेश कर रही है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में नलकूपों का निर्माण

*१८—श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्दर कौन-कौन से सिंचाई के नये साधन निर्माण किये जाने को हैं?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)—संशोधित पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में १२८ नलकूप ६०० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत और १८ नलकूप २०० अतिरिक्त नलकूपों की योजना (ट्यूब वेल सर्किल पश्चिम में) के अन्तर्गत बनने थे। यह सभी नलकूप बन गये हैं और इनसे सिंचाई होने लगी है। उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त अपर गंगा नहर की क्षमता बढ़ाने की योजना से भी जिस पर कार्य प्रगति पर है, बुलन्दशहर जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना लागू होने के पहले बुलन्दशहर में कितने ट्यूबवेल बने थे?

श्री राममूर्ति—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये १२८ तथा १८ ट्यूबवेल्स कब से बनने शुरू हुए और कब बनकर समाप्त हुए?

श्री राममूर्ति—यह सन् १९४६ ई० में बनने शुरू हुये और इस साल मार्च तक करीब करीब सब बन चुके हैं, जिसमें १५७ चालू हो गये हैं और बाकी पर अभी बिजली नहीं लग पायी है। इसलिए वह काम में नहीं आये हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूबवेल्स सन् १९४६ ई० में लगे थे उनमें अब पानी बहुत कम निकलता है और अब वह बेकार होते चले जाते हैं।

श्री राममूर्ति—इसकी सूचना कोई हमारे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो वह लिखकर दें, उसकी जांच करायी जा सकती है। उनके लिए एक निर्धारित कोटा पानी का रहता है। अगर वह उससे कम पानी देते हैं तो उनकी रिबोरिंग करायी जायगी।

श्री धर्मसिंह—क्या यह सही नहीं है कि जो कुएं सन् १९४६ ई० के पहले बने थे वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं?

श्री राममूर्ति—पंचवर्षीय योजना ५ साल की है अगर वह इससे पहले के हैं तो उसमें नहीं आते होंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय सूचना मंत्री को विदित है कि बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद तहसील के पश्चिमी हिस्से के लिये लोगों ने अनेक बार दरख्वास्त दी कि सरकार वहां पर सर्वे कराये मगर वहां पर आज तक एक भी ट्यूबवेल नहीं बना है?

श्री राममूर्ति—आज तक नहीं बने हैं तो आगे बनेंगे।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कब से ट्यूबवेल बनने शुरू हुये?

श्री राममूर्ति—मैं आपका आशय समझा नहीं।

श्री बलवन्त सिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि बुलन्दशहर जिले में जो ट्यूबवेल बनने शुरू हुए हैं वह पंचवर्षीय योजना के किस साल से बनने शुरू हुये हैं ?

श्री राममूर्ति—सन् १९४९ ई० में बनने शुरू हुए यानी पंचवर्षीय योजना के ३ साल पहले शुरू हुए थे।

श्री दीन दयालु शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ के सालों में कितने ट्यूबवेल बने ?

श्री राममूर्ति—यह दो योजनाएं थीं, एक ६०० ट्यूबवेल की योजना थी जिसमें १६२ बन चुके हैं। दूसरी में १८ बने हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय सूचना मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि सिकन्दराबाद तहसील के पच्छिमी भाग में कुएं बनाने के लिए योजना है तो क्या वहां पर कुएं बनाने पर विचार सरकार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—अभी हमारे यहां ७५ ट्यूबवेल बनाने की योजना और आयी है, उसके अन्तर्गत ऐसा ख्याल किया जाता है कि बुलन्दशहर जिले में १५ ट्यूबवेल और बनेंगे। उनका स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है। सम्भव है कि वह सिकन्दराबाद तहसील में ही हो।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या सूचना मन्त्री बतलायेंगे कि ५१–५२ के बारे में आप का जवाब साफ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—आप बहुत देर से पहुंचे। उन्होंने बहुत साफ उत्तर दिया था।

श्री दीन दयालु शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५३–५४ में कितने ट्यूबवेल बुलन्दशहर जिले में बने ?

श्री राममूर्ति—यह तो एक कान्टीनुअस प्रोग्राम है और बराबर ट्यूबवेल बनते रहते हैं। उनकी तो सूचना नहीं है, कि ५३–५४ में कितने ट्यूबवेल बने।

सुल्तानपुर जिले में सहकारी नलकूप

*१९—श्री काशी प्रसाद पांडे (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में सिंचाई के लिए कितने कोआपरेटिव ट्यूबवेल बनाये जा रहे हैं और वे कब तक तैयार हो जायेंगे ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इस जिले में दो सौ राजकीय नलकूप बनने वाले हैं इसलिए सहकारी नलकूप उनके स्थान नियुक्त हो जाने के बाद बनाये जायेंगे।

सुल्तानपुर जिले में नहर की खुदाई के लिये अधिकृत भूमि

*२०—श्री गुरु प्रसाद (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर विस्तार योजना के अन्तर्गत सुल्तानपुर जिले में गत वर्ष कितनी कृषि भूमि नयी नहर की खुदवाई के लिए अधिकृत (aqcuire) की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुल्तानपुर जिले में जौनपुर ब्रांच के निर्माण हेतु लगभग ८०० एकड़ भूमि अधिकृत की गयी है।

*२१--श्री गुरु प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिन किसानों की भूमि ली गयी उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला और उन्हे लगान भी देना पड़ रहा है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--इस भूमि को अधिकृत करने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है जिस कारण मुआविजा देने में विलम्ब हो रहा है। भूमि को अधिकृत करने की कार्यवाही में तत्परता की जा रही है। जिलाधीश को लिखा गया है कि वे किसानों से उस भूमि का लगान जिस पर जौनपुर बांच के निर्माण के लिए अधिकार कर लिया गया है वसूल न करें, और जो लगान उन्होंने ऐसी भूमि का वसूल कर लिया है, उसे तुरन्त ही ग्रामीणों को वापस कर दें।

बस्ती जिले में बांधों की मरम्मत की आवश्यकता

*२२--श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुआनों नदी के बाढ़ को रोकने के लिये जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद में मौजा मइली से भटपुरा तक और परसहर से डुटिट्या घाट तक और डुटिट्या घाट से वरपरवा तक तथा पड़री से मझौरा तक इन क्षेत्रों के निवासियों ने बांध बनाया था ?

श्री राममूर्ति--यह बांध पुराने थे और सम्भवतः ग्रामवासियों ने बनाये थे।

*२३--श्री राम सुन्दर राम--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस वर्ष बाढ़ से उपर्युक्त चारों बांध टूट गये, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को काफी नुकसान भोगना पड़ा है ?

श्री राममूर्ति--इस क्षेत्र में हर वर्ष कुआनों नदी में बाढ़ आने के कारण मइली भटपुरा व पड़री को छोड़कर अन्य सभी बांध पहले ही टूट चुके थे। पिछले वर्ष मैली भटपुरा व पड़री बांध भी टूट गये, जिससे कुछ ऐसे क्षेत्र में, जो अभी तक बचा था, नुकसान हुआ।

*२४--श्री राम सुन्दर राम--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त बांधों की मरम्मत कराने के लिए किसी विधान सभा के सदस्य ने जिलाधीश बस्ती के पास टेस्टवर्क में मरम्मत कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था और जिलाधीश ने हाथों हाथ उस पत्र को नहर विभाग के इन्जीनियर को जांच के लिये दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति--जी हां। श्री धनुषधारी पांडेय जी ने पिछले वर्ष इन बांधों की टेस्टवर्क के अन्तर्गत मरम्मत कराने के लिए जिलाधीश को लिखा था, जिलाधीश ने नियमानुसार नहर विभाग से राय मांगी। नहर विभाग के मतानुसार केवल सभी मइली भटपुरा व पड़री बांधों की मरम्मत श्रमदान द्वारा की जा सकती थी और शेष दो बांध के पुनः निर्माण से अधिक हानि की आशंका थी। चूंकि जिले में अभाव की स्थिति समाप्त हो जाने के फलस्वरूप टेस्टवर्क बन्द हो गये थे, इसलिए नहर विभाग ने मरम्मत के कार्य को श्रमदान द्वारा करने की राय दी थी।

श्री राम सुन्दर राम--क्या सरकार को ज्ञात है कि मइली और भटपुरा के बांध टूट जाने से सैकड़ों गांवों की फसल नष्ट हो गयी ?

श्री राममूर्ति--बांध टूट गया होगा, तो जरूर नष्ट हुई होगी।

श्री राम सुन्दर राम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश ने किस तारीख को सम्बन्धित बांधों की रिपोर्ट नहर विभाग के इन्जीनियरों से मांगी थी और वह कितने दिनों बाद दी गयी ?

श्री राममूर्ति--एक्जीक्यूटिव इंजीनियर गोंडा की राय देने की तारीख तो मेरे पास है जो २४ फरवरी, सन् ५४ है।

श्री रामसुन्दर राम--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस बाढ़-क्षेत्र मे श्रमदान सम्भव है?

श्री राममूर्ति--जी हां, ज्ञात है।

श्री शिवनारायण--सरकार श्रमदान मे कितने रुपये की सहायता देने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति--सरकार ने तो टेक्निकल राय उस पर दे दी है, बाकी काम श्रमदान से होगा।

जिला टेहरी-गढ़वाल की नदियों की घाटियों मे सिंचाई के साधनों का अभाव

*२५--**श्री सत्यसिंह राणा** (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार को विदित है कि जिला टेहरी-गढ़वाल के अन्तर्गत गंगा, भिल्लंगना, अलकनन्दा नदियों की घाटियों मे विस्तृत समतल जमीन बिना सिंचाई की है?

श्री राममूर्ति--उक्त नदियों की घाटियों मे विस्तृत समतल भूमि है, जो सिंचाई साधन से रहित है।

*२६--**श्री सत्यसिंह राणा**--क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने का विचार कर रही है या करेगी, जिसके अनुसार इन नदियों से ऐसी जमीनो को सींचने की व्यवस्था की जा सके?

श्री राममूर्ति--इस भूमि की सिंचाई के सम्बन्ध मे कौन सा उपयुक्त उपाय हो सकता है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। उपर्युक्त नदियों से पंप द्वारा जल उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है, पर जब तक सस्ती बिजली न मिले तब तक वह उपाय काम मे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह लाभकर न होगा।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस भूमि का रकबा कितना है?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार को विदित है कि टेहरी जिले मे अन्न का अभाव है?

श्री राममूर्ति--यह बात सही है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या यह सही है कि गढ़वाल सर्वे डिवीजन ने तमाम घाटियों की सर्वे करके एक निश्चित योजना सिंचाई के लिए प्रस्तुत की थी?

श्री राममूर्ति--सर्वे की रिपोर्ट तो है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा पड़ती है कि उससे कुछ लाभ नहीं होगा।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार को विदित है कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहाड़ी प्रदेशों में छोटे छोटे बिजली घरों को बनाने की योजना है। यदि हां, तो क्या विद्युत मन्त्री से परामर्श करके उनको शीघ्र कार्यान्वित किया जायगा।

श्री राममूर्ति--सर्वे तो वक्तन फवक्तन होता रहता है, लेकिन कोई डेफिनिट प्रपोजल हो, ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार के सामने कोई ऐसा सुझाव आया है कि इन नदियों के पानी को बरसात में इकट्ठा करके वहां से नहर निकाली जाय?

श्री राममूर्ति--यदि कोई आया भी हो, तो मेरे नोटिस में नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार के सामने एक स्कीम भेजी गयी कि पहाड़ों पर हाइड्रोलिक रैन्मस के द्वारा पानी ऊपर उठाया जा सकता है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति--हमारे सामने ऐसी तजवीज आयी है और उस पर अल्मोड़ा में कार्यवाही की जा रही है, बाकी और जगहों से जब मालूमात आ जायेगी, तब वहां काम चालू किया जायगा।

तहसील सलोन, जिला रायबरेली में नहर के विस्तार की आवश्यकता

*२७--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार रायबरेली जिले की सलोन तहसील के अन्तर्गत नहर का विस्तार कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां, और कितने मील ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तहसील सलोन, जिला रायबरेली में नहरों के विस्तार की स समय कोई योजना नहीं है।

*२८--श्री दलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)--क्या इस विस्तार योजना में कन्दरावां ग्राम भी शामिल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता।

बखिरा (बस्ती) झील से नहर निकालने का कार्य

*२९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बखिरा (बस्ती) झील से जो नहर निकलने वाली है, उस पर खुदाई का काम कब से शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--इस योजना पर कार्य, १९५३-५४ की रबी फसल कट जाने पर प्रारम्भ किया जायगा।

*३०--श्री राजाराम शर्मा--इस झील से जो नहर निकलेगी, उससे कितने एकड़ को सिंचाई अनुमानतः होगी ?

श्री राममूर्ति--जो नहर बखिरा झील से निकलेगी, उससे निम्नांकित सिंचाई होगी :-

			एकड़
शासित क्षेत्र (culturable commanded area)	..		२७,६००
वार्षिक सिंचाई	..	..	११,३००

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस नहर की खुदायी मई की कौन सी तारीख से शुरू हो जायगी ?

श्री राममूर्ति--मैंने बताया कि फसल कट जाने के बाद काम शुरू हो जायगा और अब फसल कट चुकी है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कृपा करेंगे कि यह नहर कहां कहां से होकर जायगी और इस पर कितना खर्चा होगा ?

श्री राममूर्ति--यहाँ से दो नहरें निकलेंगी। बस्ती जिले में ६ मील लम्बी और गोरखपुर जिले में १० मील लम्बी। इन दोनों का खर्चा केवल १२ लाख के लगभग होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--इन नयी झीलों के लिए कितनी और जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी?

श्री राममूर्ति--झील के लिए जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस जमीन में से नहर निकलेगी, उसको जरूर एक्वायर करने की आवश्यकता होगी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--चालू वित्तीय वर्ष मे इन नहरों में कितना रुपया लग जाने की सम्भावना है?

श्री राममूर्ति--इसका ठीक तखमीना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन नहरों के चालू वर्ष में बन जाने का अनुमान है।

श्री राजाराम शर्मा--क्या दोनों नहरें एक जगह से निकलेंगी या अलग-अलग स्थानों से?

श्री राममूर्ति--झील तो एक ही है, लेकिन नहरे अलग-अलग निकलेंगी।

*३१--श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--[२१ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३२-३३--श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--[६ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ६८-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३४--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर डेक बनाने का विचार

*३५--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला गोंडा में राप्ती नदी पर बलरामपुर और तुलसीपुर के बीच एक पुल बनाने का वह विचार कर रही है।

निर्माण उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर स्थित रेल के पुल पर सड़क के यातायात के लिए डेक बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि डेक बनाने में सरकार को कितना पे करना पड़ेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--३ लाख ८४ हजार।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि एक स्वतंत्र पुल निर्माण कराने में कितना व्यय होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिए तो सूचना की जरूरत पड़ेगी लेकिन इस से बहुत ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है।

*३६–३७––श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)––[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३८–४०––श्री अक्षयवर सिंह (जिला गोरखपुर)––[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*४१–४२––श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)––[५ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ५९–६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आबकारी से आय

*४३––श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९५१–५२ व १९५२–५३ मे एक्साइज विभाग से क्या-क्या आय हुई और उसमें अंग्रेजी व देशी शराब की आय का अलग-अलग विवरण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर––१९५१–५२ और १९५२–५३ के वर्ष मे राज्य की आबकारी से कुल आय (gross income) तथा अंग्रेजी और देशी शराब की आय का विवरण निम्नलिखित हैः––

वर्ष		देशी शराब की आय	अंग्रेजी शराब की आय	कुल आय
		रु० में	रु० मे	रु० में
१९५१–५२	..	३,७३,०२,०१४	५०,९५,१८९	६,६६,१५,९५८
१९५२–५३	..	३,१६,५७,४८६	४७,६३,९८६	६,०४,१२,७८१

श्री महीलाल––[illegible]
की अपेक्षा सन् ५२–५३ में आय की कमी के कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर––इसके कारण तो बहुत से है, लेकिन खुला हुआ कारण यह है कि हमारी तरफ से यह कोशिश हो रही है कि जहां तक हो सके मद्यनिषेध हो, लोग कम इस्तेमाल करें। इसकी वजह से आय तो कम हो ही जानी चाहिये।

श्री शिव नारायण––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विदेशी शराब देश में कब तक आती रहेगी और इसको बन्द करने का विचार सरकार का है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर––यह मामला तो मेरे ख्याल में केन्द्रीय सरकार के मुताल्लिक है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९५१–५२ व ५२–५३ में दूकानों में भी कमी हुई या दूकानें उतनी ही रहीं ?

श्री सैयद अली जहीर––दूकानों में भी थोड़ी कमी हुई, ज्यादा नहीं।

श्री रामदास आर्य––क्या यह सही है कि आमदनी में कमी का कारण एक यह भी है कि हमारे प्रदेश में गैरकानूनी तरीक़े से अधिक शराब निकाली जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर––मुमकिन है, किसी हद तक यह भी हो।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इल्लीगल शराब को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये बहुत से प्रयत्न किये गये हैं। जैसे जो और बहुत से मुख्तलिफ किस्म के जरायम हैं उनको रोकने के लिये कोशिश की जाती है उसी तरह से यह भी एक जुर्म है और इसको रोकने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

बांदा जिले में नरैनी-कालिंजर सड़क पर पुल निर्माण योजना

*४४—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की नरैनी तहसील के कालिंजर तक जाने वाली सड़क के ऊपर वाली नदी पर पुल बनाने का काम आरम्भ होने जा रहा है?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—नरैनी-कालिंजर सड़क पर वरयन नदी पर पुल निर्माण योजना पर सरकार विचार कर रही है।

*४५—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (अनुपस्थित)—यदि हां, तो कब से?

श्री गिरधारी लाल—यह अभी नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य कब से आरम्भ किया जायगा।

*४६—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (अनुपस्थित)—[५ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला बोर्ड बस्ती को पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा वापस की हुई सड़कें

*४७—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० ने कौन-कौन सी सड़कें जिला बोर्ड बस्ती को वापस कर दी हैं और उसके साथ-साथ कितना रुपया दिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बोर्ड बस्ती को जो सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० ने १ अगस्त, १९५२ ई० से वापिस कर दी हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। जिला बोर्ड बस्ती को इन सड़कों के रख-रखाव तथा उन्नति के लिये सरकार ने निम्नलिखित अनुदान प्रदान किया :—

	रु०
१९५२-५३	१९,०००
१९५३-५४	१९,४००

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७३ पर)

श्री शिव नारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि बस्ती जिले तथा नैपाल राज्य को मिलाने वाली बरनी रोड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गयी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मालूम नहीं है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ होगा।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी इन सड़कों में से महत्वपूर्ण कों को ले कर उनका सुधार करने का विचार रखते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दूसरी पंचवर्षीय योजना बनने के समय पर जो सड़कें किसी महत्व की होंगी उनके बारे में विचार किया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें पी० डब्ल्यू० डी०.से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयी हैं, उनकी दशा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ढिलाई के कारण अत्यन्त शोचनीय हो गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम हो और अगर वह लिखें तो जांच करायी जायगी।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह सड़कें क्यों वापस कीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है कि केबिनेट ने यह तय किया था कि जो सड़कें बनने के क़ाबिल थीं उनको ठीक कर दिया जाय और फिर उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया जाय क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा स्थानीय मरम्मत अच्छी तरह से हो सकती है और उनको स्थानीय सहायता मिल सकती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फेंकाफेंकी या अदलबदल पी० डब्ल्यू० डी० और जिला बोर्ड के बीच कब तक जारी रहेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह कोई फेंकाफेंकी नहीं है, निश्चित बात है। पी० डब्ल्यू० डी० जरूरी सड़कें ले लेती है और जब मुनासिब समझा जाता है उनको वापस भी कर दिया जाता है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं।

*४८-४९—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—[१ जून, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५०-५१—श्री व्रजभूषण मिश्र—[१३ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३०-३१ अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में नल-कूपों का निर्माण

*५२—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार ने जिला मुजफ्फरनगर में जो और १५ नलकूप सहकारिता के आधार पर बन रहे हैं उनको भी कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ही बनवाने का आदेश भेजा है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। संबंधित सहकारी समिति को अधिकार है कि वह अपना नलकूप कृषि इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा बनवाये अथवा निजी तौर पर बनवाये।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो ट्यूबवेल्स सहकारी समितियां बना रही हैं वे कितने रुपयों में तैयार हो जायेंगे और सरकार उनमें कितनी सहायता देगी ?

श्री राममूर्ति—यह उम्मीद की जाती है कि १५ हजार रुपये में ट्यूबवेल लग सकता है और उसमें ५ हजार सरकारी समितियां इकट्ठा करती हैं और १० हजार रुपया सरकार देती है। इनमें से कुआं बनने के बाद ५ हजार रुपया ग्रांट के तौर पर, ५ हजार रुपया लोन के तौर पर और शेष तकावी के रूप में दिया जाता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो किसान लोग अपनी सहकारी समितियों के जरिये से ट्यूबवेल बनायेंगे उसमें सरकार के इंजीनियरिंग विभाग की ऐडवाइस प्राप्त रहेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां। एडवाइस मिल सकती है।

श्री रामदास आर्य—यह जो १५ ट्यूबवेल्स मुजफ्फ़रनगर में बनाये जा रहे हैं वे किन-किन स्थानों पर बनाये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—१५ नहीं, १८ ट्यूबवेल्स बन रहे हैं। जिन माननीय सदस्य ने सवाल किया है उनके पास पूरी सूची है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार बतलायेगी कि मुजफ्फ़रनगर का कोई हिस्सा अभी ऐसा बाक़ी है जहां कोई सिंचाई का प्रबन्ध अभी नहीं है ?

श्री राममूर्ति—मुझे ठीक तो नहीं मालूम है। मगर हर जिले में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पानी की जरूरत है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में किसी इंजीनियर से सम्मति ली गयी है कि १५ हजार रुपये से कम में कुंआ बन सके ?

श्री राममूर्ति—जी हां। बग़ैर-सोचे समझे और बग़ैर इंजीनियर की राय के तो कोई मामला नहीं हो सकता। वह बाकायदा सोच समझ कर एक स्टैंडर्ड ट्यूबवेल की क़ीमत समझी गयी इसलिये ऐसा बनाया गया।

*५३-५४—श्री कमला सिंह (अनुपस्थित)—[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५—श्री कमला सिंह (अनुपस्थित)—[१ जून, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

शारदा नहर, पुरवा ब्रांच, जिला रायबरेली में खांदी के कारण किसानों को हानि

*५६—श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३० मार्च, १९५० को शारदा नहर पुरवा ब्रांच ६६ मील ४ फरलांग पर जो खांदी हुई थी उससे नहर के निकट लगा हुआ खलिहान बह गया था ? यदि हां, तो कितने किसानों ने नुक़सान के मुआवजे के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुरवा ब्रांच के मील ६६ फर्लांग ४ पर ३०-३-५० को कोई खांदी (breach) नहीं हुई। किन्तु २३-३-५० को पुरवा ब्रांच की दाहिनी पटरी में मील ६६-३-३०० पर एक खांदी हुई थी। खांदी से हुए नुक्सान के लिए केवल एक प्रार्थना-पत्र ग्राम सुठा, डाकखाना गौरा, जिला रायबरेली के काश्तकारों की ओर से प्राप्त हुआ किन्तु इस पर न तो किसी के हस्ताक्षर ही थे और न अंगूठे के निशान ही।

अतः खांदी के कारण जो खेत जलमग्न हो गये थे उनकी एक सूची विभाग द्वारा बनाई गई जिसके अनुसार १८ रुपये का मुआविजा केवल ३ व्यक्तियों को वितरित किया गया, क्योंकि और किसी काश्तकार की फसल को कोई क्षति नहीं पहुंची।

*५७-५८—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[५ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

५९-६१--श्री इसरारुलहक (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

विधायक निवासों के फर्राशों तथा लिफ्टमैनों में हरिजनों को न लेना

*६२--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवासों में सन् १९५२ और १९५३ में कुल कितने फर्राश और लिफ्टमैन किस योग्यता के रक्खे गए और उनमें परिगणित जातियों (Scheduled Cast-) की क्या संख्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सन् ५२-५३ में रक्खे गए फर्राशों तथा लिफ्टमैनों का व्यौरा यों है:--

	१९५२	१९५३	परिगणित जातियां
फर्राश ..	२१	४	कोई नहीं
लिफ्टमैन	४	२	

शारीरिक परिश्रम करने के योग्य व्यक्तियों को फर्राश तथा लिफ्ट चलाने का काम जानने वालों को लिफ्टमैन रक्खा गया।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ के पहले विधायक निवासों में कितने फर्राश और कितने लिफ्टमैन थे?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपने ५२-५३ का प्रश्न पूछा है इसलिये उसके पहले का जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५२-५३ में कई हरिजनों ने फर्राशी में भर्ती होने के लिये दरख्वास्त दी लेकिन उनको क्यों नहीं लिया गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वजा तो यह है कि वह जो काम है उस काम के करने के लिये जिसको मौजूं समझा जाय उसको दिया जाय लेकिन इस सवाल के आने के बाद मैंने हिदायत कर दी है कि उनमें से आदमी जरूर लिये जाया करे।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि हरिजन शारीरिक परिश्रम में किसी से कम नहीं होते है, इसके बावजूद भी उनको फर्राशों में भर्ती क्यों नहीं किया गया है?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि आइन्दा अब यह किया जायगा। इससे आपको समझ लेना चाहिये कि वह गलती को महसूस करते हैं।

साहित्य की प्रतियों के अंग्रेजी में प्रकाशन पर आपत्ति

*६३--श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की जो साहित्य की प्रतियां हिन्दी में छाप कर बांटी जाती हैं उनकी प्रतियां अंग्रेजी में छापकर क्यों बांटी जाती है जब कि इसमें दोहरा खर्च होता है?

श्री राममूर्ति--साहित्य के प्रकाशन की नीति तो प्रदेश के कार्य की जानकारी अधिक से अधिक क्षेत्रों में कराने की होती है। यह साहित्य अन्य प्रदेशीय राज्यों एवं विदेशी सरकारों

और संस्थाओं आदि को भी जाता है जहां अंग्रेजी का प्रयोग है। इस कारण इसका अंग्रेजी भाषा में भी छपवाना आवश्यक होता है। अंग्रेजी साहित्य की संख्या हिन्दी की संख्या से बहुत कम, लगभग एक चौथाई होती है।

श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष अंग्रेजी साहित्य तथा हिन्दी साहित्य की छपाई में सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—इसकी इन्फार्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी अंग्रेजी साहित्य की छपाई के व्यय को घटाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अर्ज किया कि केवल एक चौथाई छपाया जाता है जो कि अनिवार्य है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय सूचना मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी है तब फिर अन्य प्रदेशों में हिन्दी में साहित्य भेजने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री राममूर्ति—लोकप्रिय सरकार का यह फर्ज है कि वह अपने देश के अलावा और भी सब जगह अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बतलाती रहे। इसलिये इस क़िस्म का यह प्रचार अंग्रेजी में भी किया जाता है।

श्री बृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—हिन्दोस्तान की राष्ट्र-भाषा हिन्दी मानी गयी है तो हम अन्य प्रदेशों में हिन्दी की प्रतियां भेजने में कोई आपत्ति समझते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राममूर्ति—चूंकि पढ़ने वाले अंग्रेजी के हैं इसलिये हमें उस जबान में भी भेजना पड़ता है।

शारदा नहर के हेडवर्क्स का हेड क्वार्टर बरेली में रखने का कारण

*६४—श्री हरि प्रसाद (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर के हेडवर्क्स का हेडक्वार्टर किन सुविधाओं के कारण बरेली में रखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हेडवर्क्स डिवीजन की सीमायें नैनीताल, पीलीभीत, खेरी, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में फैली हुयी है और बरेली सब के मध्य में स्थित है। इस कारण इस डिवीजन का हेडक्वार्टर बरेली में रखा गया है।

*६५—श्री हरि प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि केवल उक्त हेड क्वार्टर में पीलीभीत को प्रतिदिन डाक लेजाने के लिए और वहां से लाने के लिए ही दो व्यक्ति रखे गए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। दो हरकारे जो बरेली और बनबसा के मध्य काम करते हैं एक सर्किल आफिस, ४ डिवीजन आफिस लगभग १५ दूसरे गजटेड अफसर तथा भिन्न-भिन्न डिवीजनों के ५० अन्य अफसरों की डाक वितरित करते हैं। इस कारण यह व्यवस्था डाकखाने के द्वारा डाक भेजने से कम व्ययकारक है।

*६६—श्री हरि प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि हेडक्वार्टर के पीलीभीत जिले से दूर होने के कारण वहां के किसानों को उनके मुकदमों की सूचना ठीक समय पर नहीं मिल पाती और बहुत से मुकदमे किसानों के वहां पहुंचने के पहले ही समाप्त हो जाते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, हेडवर्क्स डिवीजन नहर के मुकदमे कतई नहीं करते हैं और न किसानों के नहर के मुकदमों के बारे में कोई सूचना या सम्मन भेजते हैं। यह कार्य डिप्टी रेवेन्यू अफसर करते हैं जो दौरे पर मुकदमे तै करते हैं।

जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर पुल की आवश्यकता

*६७—श्री गज्जू राम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर वह पुल बनाने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं। इस पुल के निर्माण के विषय में अगली पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायगा।

*६८—श्री बाबू नन्दन—[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

निर्मद्य क्षेत्रों में ताड़ी और नीरा बेचने की सुविधा

*६९—श्री पाती राम (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार Dry districts में ताड़ के पेड़ों में से ताड़ी और नीरा निकालने और बेचने की कोई व्यवस्था आरम्भ करने वाली है? यदि हां, तो क्यों? क्या ऐसे जिलों में शराब की दुकानें, जहां शराब परमिट से मिल सकेगी, खोलने की कोई व्यवस्था हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सैयद अली जहीर—ताड़ी निकालने और बेचने की तो नहीं पर नीरा निकालने और बेचने की सुविधा देने के लिए सरकार ने Dry districts तथा १४ अन्य ऐसे जिले में जहां ताड़ी का प्रयोग नहीं होता, उत्तर प्रदेशीय नीरा (मीठी ताड़ी) नियम, १९५१ लागू कर दिये गये हैं।

ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन जिलों मे खड़े हुए खजूर तथा ताड़ के पेड़ों का रस एक स्वास्थ्य बर्द्धक खाद्य सामग्री के रूप में जनता द्वारा प्रयोग किया जा सके। Dry District में शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*७०-७१—श्री शिव स्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)—[१ जून, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*७२-७३—श्री राम लाल (जिला बस्ती)—[१९ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ३६-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७४-७५—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)—[२५ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

जालौन और इगलास में रजिस्ट्री के दफ्तर खोलने का हुक्म

*७६—श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिला झांसी और इगलास जिला अलीगढ़ में वह रजिस्ट्री दफ्तर फिर से खोलने का विचार रखती है?

श्री सैयद अली जहीर--जालौन और इगलास में रजिस्ट्री के दफ्तर १ मई १९५४ ई० से दोबारा खोल देने के लिये हुक्म जारी कर दिया गया है।

*७७-७९--श्री राम लखन (जिला बनारस)--[१ जून, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*८०-श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*८१--श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--[११ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

तहसील जसराना, जिला मैनपुरी में सिंचाई का प्रबन्ध

*८२-श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील जसराना जिला मैनपुरी में कितनी भूमि पर खेती होती है और उसमें से कितनी की सिंचाई होती है तथा कितनी की नहीं ?

श्री राममूर्ति--जसराना तहसील में १,२५,३८४ एकड़ भूमि कृषि योग्य है जिसमें से ४५,७९९ एकड़ भूमि नहर के अधिक्षेत्र में स्थित है और लगभग ७९,५८५ एकड़ भूमि नहर के अधिक्षेत्र के बाहर है।

*८३-श्री विष्णु दयाल वर्मा--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे तहसील जसराना में उस भूमि की सिंचाई के लिए जहाँ पानी के अभाव में सिंचाई नहीं होती सिंचाई का कुछ प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--उक्त भूमि की सिंचाई के लिये राजकीय नलकूप बनाये जा रहे हैं जिससे ३३,४०९ एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

श्री विष्णु दयाल वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो भूमि नहरी क्षेत्र से बाहर है उसमें कैसे सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति--जो भूमि नहरी क्षेत्र के बाहर है उसमें लोग अपने निजी तरीके से आबपाशी करते हैं।

श्री विष्णु दयाल वर्मा--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप बनाये जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और कब तक तैयार हो जायेंगे।

श्री राममूर्ति--उनकी संख्या ९८ है और अभी काम शुरू हुआ है। यह जरा कहना मुश्किल है कि कब तक तैयार होंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बनें।

श्री विष्णु दयाल वर्मा--क्या यह सच है कि जो नलकूप बनाये जा रहे हैं वे उसी क्षेत्र में बनाये जा रहे हैं जहाँ का वाटर लेवल ऊंचा है और जहाँ नीचा है वहाँ नहीं बनाए जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--इसकी कोई इनफार्मेशन मेरे पास नहीं है।

बस्ती जिले में राप्ती के किनारे बने हुये बांध पर व्यय

*८४--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में राप्ती के किनारे जो बांध बना है उसमें कुल कितना रुपया अब तक लगा है और आगे लगने का तखमीना है ?

श्री राममूर्ति--सिंचाई विभाग द्वारा ऐसा कोई बाँध बस्ती जिले में नहीं बनाया गया। अतः यह बाँध कैसे बना तथा इस पर क्या व्यय हुआ यह सूचना जिलाधीश बस्ती से मांगी गयी है और प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जायगी।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय के पास कोई ऐसी शिकायत आयी है या सूचना मिली है कि यह बाँध नदी के किनारे होने के नाते, बलुई मिट्टी के कारण कमजोर है और बरसात में मजबूत कर देना चाहिये?

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सूचना मंगायी है आने पर पेश की जायगी।

जौनपुर जिले में रामपुर बाजार-परिचत बाजार सड़क में ली गयी भूमि का मुआवजा

*८५--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले में रामपुर बाजार से परिचत बाजार तक की सड़क बनाने में क्या उस क्षेत्र के किसानों की जमीन भी ली गयी थी?

श्री गिरधारी लाल--जी हां।

*८६--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या किसानों के खेत का मुआवजा दिया गया था?

श्री गिरधारी लाल--जी हां।

*८७--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने का कृपा करेगी कि जिन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है उन्हें कब तक दिया जायगा?

श्री गिरधारी लाल--जो लोग अपना मुआविजा लेने जिलाधीश के पास गये उनको मुआवजा दे दिया गया। जो लोग अपना मुआवजा लेने अब तक नहीं आये हैं वे जब उसको लेने जिलाधीश के पास जायेंगे तब इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

जिला मथुरा की तहसील छाता में गर्की का नाला निकालने का कार्य

*८८--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला तहसील छाता में जो गर्की का नाला निकालने की स्कीम थी उस पर कब से कार्य शुरू होगा?

श्री राममूर्ति--जिला मथुरा तहसील छाता में हलवाना, बथन, धर्म सिंहा नालों के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम हेतसिंह--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस नाले को निकालने की मांग वहां के लोगों की १० साल से बराबर चली आ रही है?

श्री राममूर्ति--यह बात सही है और सन् १९५२-५३ में ३,९०,६०० का तखमीना हुआ था कि नाला बनाया जाय लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रिन्जेसी होने की वजह से काम नहीं चालू किया गया। इसलिए इस बात के जानने की कोशिश की गयी कि वहां के लोग श्रमदान के लिए तैयार हैं। उस वक्त इस बात का पता नहीं लगा। दुबारा पता लगा कि तैयार हैं और इस काम को पूरा किया जाय।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जहां यह नाला निकालने की योजना है वहाँ विकास योजना के अन्तर्गत एक ब्लाक इस वर्ष स्वीकार हो गया है उससे इस स्कीम को चलाने में आपको मदद मिलेगी ?

श्री राममूर्ति--इस इन्फार्मेशन के लिये मैं माननीय सदस्य का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

आगरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई के लिये हिन्डन नदी पर बांध की आवश्यकता

*८९--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हिन्डन नदी पर गाजियाबाद के निकट कोई डैम आगरा तथा मथुरा जिलो की सिंचाई के हेतु बनाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आगरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई की दृष्टि से, आगरा नहर के जल की मात्रा बढ़ाने के लिए, गाजियाबाद के निकट हिन्डन नदी पर बाँध बनाकर जल एकत्रित करने का प्रस्ताव है। इस विषय में जाँच हो रही है।

तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में नल-कूपों का कार्य

*९०--श्री दाताराम (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर में १९५२ ई० में जो ट्यूबवेल्स लगने वाले थे वह अभी तक क्यों चालू नहीं हुए हैं ?

श्री कमला पतित्रिपाठी--तहसील नकुड़ (जिला सहारनपुर) में बनने वाले ३६ नलकूपों का ठेका मेसर्स ऐसोशियेटेड ट्यूब वेल्स लिमिटेड को दिया गया था। उक्त कम्पनी को प्रदेश के अन्य जिलों में भी नलकूप बनाने थे। क्योंकि सहारनपुर जिले में भूः स्तर कड़ा था, कम्पनी वहाँ नलकूपों के बोरिंग का कार्य जून १९५३ के पहले प्रारम्भ न कर सकी। मार्च १९५४ के अन्त तक नकुड़ में ४ नलकूप बनाकर चालू कर दिये गए है।

*९१--श्री दाताराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि वह ट्यूबवेल्स कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आशा है कि जून १९५४ तक अधिकतर नलकूप तैयार होकर चालू कर दिये जायेंगे।

बहादुरीपुर और सहिजनी के कृषकों द्वारा शेखा माइनर खोदने के लिये प्रार्थना

*९२--श्री राज कुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बहादुरीपुर और सहिजनी के कृषकों ने गरई नहर के शेखा माइनर से श्रमदान द्वारा एक छोटी माइनर खोदने के लिए सरकार से एक प्रार्थना-पत्र द्वारा उसकी पैमाइश और दागबेल करने के लिए प्रार्थना की है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री राममूर्ति--उक्त ग्रामों के किसानों ने शेखा माइनर खोदने के लिए प्रार्थना की थी। परन्तु इस सम्बन्ध में जाँच से पता चला कि वहाँ के किसानों के लिये अन्य कोई माइनर निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ग्राम चकिया रजबहे के कुलाबा संख्या १३ के अधिकार क्षेत्र के अन्दर है।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर मुझे दिया गया है यह चकिया रजवहा बनारस से सम्बन्ध रखता है और मेरा प्रश्न मिर्जापुर की गिरई नहर से सम्बन्धित है ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास तो जो इन्फार्मेशन है, अध्यक्ष महोदय, वह मैंने पढ़ दी।

श्री अध्यक्ष--श्री राजकुमार शर्मा जी, आप जरा इसको स्पष्ट करें कि क्या बात है।

श्री राजकुमार शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न गिरई नहर मिर्जापुर जिले से सम्बन्ध रखता है, और यह उत्तर मुझे मिला है चकिया रजबहा, जिला बनारस से सम्बन्ध रखता है जो इन गांवों से दस मील की दूरी पर है।

श्री अध्यक्ष--जो इत्तला उनके पास थी, वह उन्होंने दे दी। गांव तो वही है, या गांव भी दूसरे जिले के हैं ?

श्री राजकुमार शर्मा--जी हां, गांव तो वही हैं।

श्री अध्यक्ष --तो आपको पहले ही जिला लिख देना चाहिए था। इसमें तो दोष आपका ही मालूम होता है।

मेरठ में विदेशी शराब बेचने के स्थान

*९३--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेरठ में विदेशी शराब बेचने के लिए ६ थोक और ७ फुटकर दुकानों तथा २ होटल और एक रेस्ट्रां को लाइसेंस दिये गये थे और पिछले साल कुछ और भी लाइसेंस दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरठ शहर में पिछले साल के शुरू में विदेशी शराब बेचने के लिए ६ थोक, ८ फुटकर, २ होटल तथा १ रेस्ट्रां के लाइसेंस थे। पिछले साल एक रेस्ट्रां लाइसेंस क्वीन्स रेस्ट्रां के मालिक श्री सत्यबीर लुम्बा को दिया गया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जब सरकार की नीति शराब बन्द करने की है, तो ऐसी हालत में नये लाइसेंस क्यों दिये जा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--बजाय इसके कि कोई एक दूकान की मानोपली हो और अकेले वही बेचे, यह बेहतर समझा जाता है कि दो दूकानें हों, ताकि जनता को एक दूकान होने की वजह से जो तकलीफें हो जाती हैं, वे न होने पायें।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)--क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके फरमायेंगे कि जो दुकानें ज्यादा खोली जा रही हैं, या ज्यादा लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं उसके मुताल्लिक गवर्नमेंट के पास कोई शिकायतें आयी हैं कि उसकी वजह से शराबखोरी बढ़ रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, ऐसी शिकायत नहीं आयी है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए और रजिस्टर्ड दुकानदारों तथा होटल वालों की भी दरख्वास्तें सरकार के सामने आयी थीं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, सरकार के सामने दरख्वास्तें नहीं आयी थीं। होता यह है कि एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। उसके सामने दरख्वास्तें पेश होती हैं, जब वह

सिफारिश करती है, तो वह जिलाधीश के पास जाती हैं, और जब वह मंजूर करते हैं, तो एक्साइज कमिश्नर के पास आती है। इसके बाद सरकार के पास दरख्वास्त आती है। जब वह मुत्तफिक नहीं होते हैं कि कोई लाइसेंस दिया जाय या नहीं, उस वक्त फैसला किया जाता है। अगर सब मुत्तफिक होते हैं, तो कोई बात नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके फरमायेंगे कि जिनको लाइसेंस दिया गया है, उनकी दरख्वास्तों पर कायदे के मुताबिक जैसा कि उन्होंने बतलाया, सिफारिश हुई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इसके बगैर कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नये लाइसेंस देने के बाद शराब की बिक्री मेरठ में कम हुई है या बढ़ी है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल में तो जो पहले थी वही है। बजाय इसके कि अब एक के दो दूकानदार बांटते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार होटल मे बैठकर शराब पीने के लिए लाइसेस देने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो पालिसी का मामला है।
यह सवाल इससे उठता नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि 'सवाल उठता नहीं है' क्या गवर्नमेंट को यह जवाब देने का हक है जब कि आपने उनको जवाब देने के लिए बुला लिया है तो यह सवाल उठता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—अगर यह माना जाय कि जवाब मुझे है तब तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन अगर उनके जवाब का एक हिस्सा वह भाग हो कि इस प्रश्न से प्रश्न नहीं उठता तो उसमें कोई बात नहीं है। यह जवाब का हिस्सा माना जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या आनरेबुल मिनिस्टर साहब बतलायेंगे कि जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनकी दरख्वास्त पर किसी पोलिटिकल पार्टी ने या उसके मेम्बरों में उसकी सपोर्ट में दस्तखत किये थे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो इससे उठता नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पहाड़ पर ठंडक ज्यादा होने की वजह से वहां पर नये लाइसेंस देने के प्रश्न पर वह विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दूकानें हटायी जाती हैं, वह गरीबों के मुहल्ले में भेज दी जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह भी इस से नहीं उठता। मैं समझता हूं कि इस शराब के मामले में बहुत मुख्तलिफ किस्म की दिलचस्पी दिखलायी पड़ती है। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा।

चौराहा कासगंज सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*९४—श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चौराहा कासगंज सड़क पंचवर्षीय योजना में पक्की होने के हेतु शामिल है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पंचवर्षीय योजना मे अधिकतर प्रथम चरण के अपूर्ण कार्यों को शामिल किया गया है। चौराहा कासगंज सड़क प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं थी, और इस कारण इसको पक्का करने का कोई आयोजन पंचवर्षीय योजना मे शामिल नहीं है।

श्री नेत्रपाल सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस सड़क पर पिछले वर्ष मे मिट्टी डलवायी थी और इस सड़क को जिला बोर्ड से अपने हाथों में लिया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—और सड़कों के साथ इसको भी लिया गया होगा और बाद मे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दिया गया होगा।

श्री नेत्रपाल सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क की आवश्यकता को देखते हुए सरकार इस सड़क को कब अपने हाथ मे लेकर बनवायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क को बनाने का अभी विचार नहीं है, क्योंकि यह कोई खास महत्व की सड़क नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या माननीय मिनिस्टर को यह मालूम है कि जिस वक्त उन्होंने यानी गवर्नमेंट ने इस सड़क को अपने हाथ में लिया था, उस वक्त से आज तक उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। खराब नहीं हुई।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—यह सड़क जिस वक्त जिला बोर्ड को दी गयी थी, तो जिला बोर्ड की इच्छा से दी गयी थी, या जबरदस्ती दी गयी थी कि वह उसको बनवायें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इच्छा से तो कोई बात नहीं की गयी थी। न तो इच्छा से ली गयी थी और न इच्छा से दी गयी। वह तो एक पालिसी के मुताबिक सब किया गया।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी महत्वपूर्ण सड़कों की कोई सूची रखते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

(प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।)

अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा 'प्रश्न नहीं उठता' कहने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि अध्यक्ष महोदय किसी प्रश्न को स्वीकार कर लेते है, और माननीय मन्त्री जी यह कहते है कि वह जवाब दें तो क्या माननीय मन्त्री जी यह कह सकते हैं कि यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता ?

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसका तो जवाब वह दे देते हैं। पूरक प्रश्नों मे कुछ अगर सिर्फ इतना ही कहें, कि 'प्रश्न नहीं उठता' और बैठ जायं, तो मैं उसको आक्षेप समझता हूं। वह उन्हें नहीं कहना चाहिए। वैसे भी अपने जवाब के साथ ऐसा मत जोड़ना नहीं चाहिए। साधारण नियम यही है। लेकिन उसके साथ अगर पहले कुछ उन्होंने शब्द कहे और थोड़ा सा आधा जवाब दिया और बाद में अगर कह दिया कि उठता भी नहीं है, तो उससे मेरे निर्णय पर आक्षेप नहीं होता।

[श्री अध्यक्ष]

इसलिए मैंने इसको आक्षेप नहीं समझा, क्योंकि कुछ जवाब दिया और जब वह जवाब का ही हिस्सा था, तो यह कह दिया कि 'प्रश्न नहीं उठता'। अगर वह खाली यह कह देते कि प्रश्न उठता नहीं तो मुझे कहना पड़ता कि मैं ठीक समझता हूं कि उठता है। और आपके लिए यह कहना उचित नहीं है। आइन्दा के लिए मैं मन्त्री महोदयों से कह देना चाहता हूं कि आखिर में भी यह शब्द न जोड़ें, तो अधिक उचित होगा। जिसमें मेरे निर्णय पर टीका होने की सदस्यों को शंका होती है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

हाथरस तहसील में बनने वाले शेष नल-कूप

*९५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील हाथरस में कितने ट्यूब वेल और बनने बाकी हैं, और वे कब तक चालू हो सकेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हाथरस तहसील में बनने वाले ३८ नलकूपों में से २४ नल-कूप अभी बनने बाकी हैं।

आशा की जाती है कि यह नलकूप मार्च, १९५५ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

*९६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार सासनी क्षेत्र के १२ नलकूप को चालू करने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पानी देने की स्थिति में हो जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सासनी ग्रुप नलकूप संख्या १२ का बोरिंग पूरा हो चुका है। अब इसका परीक्षण किया जायगा और यदि पानी का निकास (discharge) सन्तोषप्रद हुआ तो इसको पूरा करके जुलाई, १९५४ तक चालू कर दिया जायगा।

जिला हमीरपुर में निर्माण की गई पक्की सड़कें

*९७—श्री मन्नी लाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में जिला हमीरपुर में कुल कितने मील पक्की सड़क बनवायी गयी ?

श्री गिरधारी लाल—सन् १९५१-५२ में २३ मील ५ फर्लांग नयी तथा ११ मील पुनः निर्माण, कुल ३४ मील ५ फर्लांग पक्की सड़क बनायी गयी।

सन् १९५२-५३ में ११ मील ४ फर्लांग, नवीन तथा ६ मील ४ फर्लांग पुनः निर्माण, कुल १८ मील पक्की सड़क बनायी गयी।

*९८—श्री मन्नी लाल गुरुदेव—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुल जिला भर में कोलतार की कितनी सड़क है ?

श्री गिरधारी लाल—मार्च, १९५४ के अन्त तक हमीरपुर जिले में तारकोल की कुल सड़कों की लम्बाई ११ मील है।

रिखणी खाल-बनजीया देवी सड़क पर लट्ठों के पुल का निर्माण

*९९—श्री राम प्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० सड़क रिखणीखाल व कोटडी के बीच का पुल बन कर तैयार हो गया है, जिस से उस पर जानवर चल सकें ? यदि नहीं, तो उसको अधूरा छोड़ने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—अनुमान किया जाता है कि सदस्य महोदय का अभिप्राय रिखणी-लाल बनजीया देवी सड़क पर स्थित लट्ठों के पुल से है। बायें ऐप्रोच रोड छोड़कर यह पुल पूर्ण हो गया है। आशा की जाती है कि यह ऐप्रोच रोड चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायगी। पुल की वर्तमान स्थिति में आवागमन में कोई रुकावट नहीं है।

जिला हमीरपुर में कम्हरिया सागर बांध की मरम्मत

*१००—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कम्हरिया सागर बांध (तहसील मौदहा) जिला हमीरपुर की मरम्मत कब से नहीं हुई है? क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि उक्त बांध की मरम्मत तीन वर्षों से नहीं हुई और उसमें तीन चार जगह तो इतने बड़े कटाव हो गये है कि उसके टूट जाने का भय है? इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कम्हरिया सागर बांध की मरम्मत १९५१–५२, १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में की गयी है और उक्त वर्षो में इस कार्य पर क्रमशः ७१८ रु०, ६०० रु०, तथा १,९७३ रु० व्यय हुए। इस बांध की मरम्मत के विषय मे कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी है। गत तीन वर्षों में यह बांध अपनी पूर्ण क्षमता तक भरा गया था, परन्तु उसमें कोई खांदी (कटाव) नहीं हुई।

प्रतापगढ़-सागीपुर सड़क पर व्यय

*१०१—श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ से गड़वारा व पूरबगांव होती हुई, सागीपुर तक जाने वाली सड़क पर जब कि यह सड़क P. W. D. के पास कुछ समय के लिए थी सरकार ने कितना व्यय किया था?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क का केवल गड़वारा से सागीपुर तक का भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया था तथा जब तक वह इस विभाग के अन्तर्गत रहा तब तक उस पर २६,७२५ रु० व्यय किया गया।

*१०२—श्री राम अधार तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उपर्युक्त सड़क को फिर से अपने हाथ में लेकर पक्का करने का विचार कर रही है?

श्री गिरधारी लाल—उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने तथा पक्का करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले नलकूप

*१०३—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में कितने Tubewells बनने जा रहे हैं और वे कब तक बन जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में १९ नलकूप बनने जा रहे हैं और आशा की जाती है कि यह नलकूप सितम्बर, १९५४ के अन्त तक बनकर तैयार हो जायेंगे।

बहराइच जिले में सरयू नदी से नहर निकालने की योजना

*१०४—श्री बसन्त लाल शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बहराइच जिले के अन्तर्गत नानपारा एवं बहराइच तहसीलों में बहने वाली कोई नहर को सरयू नदी से निकालने की योजना स्वीकृत हो चुकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरयू नदी से नहर निकालने की योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है।

*१०५--श्री बसन्त लाल शर्मा--यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उक्त योजना के निमित्त कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी और अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

*१०६--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उक्त योजना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है और उसके कब तक सफल हो जाने की आशा है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--ये प्रश्न नहीं उठते। क्योंकि ऐसी कोई योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है। गत महीनों में इन इलाकों में सिंचाई की सुविधा के लिये उपायों की खोज करने की दृष्टि से जो परीक्षण हुए हैं, उनके आधार पर सरयू से नहर निकालने की स्कीम बनायी गयी है, जिसे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

आजमगढ़ जिले में मऊ-कासिमाबाद सड़क का निर्माण

*१०७--श्री श्रीनाथराम (जिला आजमगढ़)--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में मऊ कासिमाबाद सड़क के लिए १९५२-५३ में कितना रुपया स्वीकृत हुआ था ?

श्री गिरधारी लाल--१९५२-५३ में ५०,००० रु० का अनुदान (ग्रान्ट इन एड) जिला बोर्ड, आजमगढ़ को इस सड़क पर अकाल पीड़ित सहायतार्थ निर्माण के लिये दिया गया था।

*१०८--श्री श्री नाथ राम--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सड़क को बनाने में अब तक कितना रुपया व्यय हुआ और कितना शेष है ?

श्री गिरधारी लाल--मार्च, १९५४ तक ३०,९३२ रु० व्यय हो चुकें है और १९,०७८ रु० शेष है।

*१०९--श्री श्रीनाथराम--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क का निर्माण का कार्य बिलकुल बन्द है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल--कुछ काम छठवें मील में भूमि उपलब्ध न होने के कारण बन्द है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

आजमगढ़ तथा गाजीपुर जिलों के लिये नलकूपों का वितरण

*११०--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर और बलिया में २०० नलकूपों की योजना में से आजमगढ़ तथा गाजीपुर में जो ७० तथा ४० नलकूप बनने वाले हैं, वे कहां-कहां बनेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--२०० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ तथा गाजीपुर जिलों में नलकूपों का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :--

आजमगढ़ जिले में :

घोसी तहसील में	..	२५
मुहम्मदाबाद जोहना	..	२३
सगड़ी जोहना	..	७
आजमगढ़ जोहना	..	५
		६०

इनके अतिरिक्त इस जिले में जो १० नलकूप और बनेंगे, उनकी स्थिति सर्वे हो जाने पर निश्चित की जायगी।

गाजीपुर जिले में--

गाजीपुर तहसील में	..	१३
सैदपुर तहसील में	..	१२
	योग	२५

इस जिले में बाकी १५ नलकूपों की स्थिति सर्वे हो जाने पर निश्चित की जायेगी।

जिला मुरादाबाद में देशी व विलायती शराब की दुकानें

*१११--श्री महीलाल--क्या मादक कर मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कुल कितनी दूकान देशी व विलायती शराब की है?

श्री सैयद अली जहीर--मुरादाबाद जिले में देशी शराब की ३८ और विलायती शराब की ५ दूकानें हैं।

*११२--श्री महीलाल--क्या यह सत्य है कि ग्राम अकरौली के निवासियों ने अनेक बार यह प्रार्थना सरकार से की है कि उनके यहां शराब की दूकान न रखी जाय? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, सरकार के पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री हरि प्रसाद--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]।

२-३--श्री मोहन सिंह शाक्य (जिला एटा)--[१९ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ५-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

४--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--[१८ मई, १९५४ के लिये स्थागित किया गया]।

५--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--[११ मई, १९५४ के लिए स्थागित किया गया।]

लाउडस्पीकर और पंखों की खराबी

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि पीछे सुनाई नहीं देता और पंखों की हवा भी नहीं लगती।

श्री अध्यक्ष--पंखों की हवा तो मैं समझता हूं कि लगती होगी। लाउडस्पीकर के के लिये मैं कार्यवाही करूंगा, जो हो सकेगी।

श्री राजनारायण की कथित ग़ैरकानूनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है--

"श्री राजनारायण, नेता विरोधी दल को, जाब्ता फौजदारी की धारा १०७ और ११७ के मातहत, गैरकानूनी गिरफ्तारी पर, जिससे कि उनको विधान सभा की सेवा से वंचित रखा

[श्री अध्यक्ष]

जा रहा है, से उत्पन्न परिस्थिति पर वाद-विवाद के लिये विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है।"

एक तो इसमें यह शब्द आये हैं कि उनको विधान सभा की सेवा से वंचित रखा जा रहा है। कामरोको प्रस्ताव के संबंध में जो नियम ७० है उसके चौथे अंश में यह है--

"the motion shall not raise a question of privilege"

काम रोको प्रस्ताव में कोई प्रिविलेज का सवाल उठाया नहीं जा सकता।

तो इसमें एक अंश तो यह है कि जो विधान सभा की सेवा से वंचित रखने का सवाल है इसलिये प्रिविलेज का होता है, वह काम रोको प्रस्ताव में नहीं आ सकता। यह अंश शामिल होने से प्रस्ताव अवैध है।

दूसरे जो वह यह कहते हैं कि १०७ और ११७ धाराओं के मातहत जो गिरफ्तारी हुई वह गैरकानूनी है, यह प्रश्न भी रोज के इन्तजाम से सम्बन्धित है। इस विषय पर कई विधान सभाओं की रूलिंग्स हैं। केन्द्रीय विधान सभा के दो एक निर्णय मैं माननीय सदस्यों को सुनाये देता हूं।

एक ऐडजर्नमेंट मोशन तो १९४१ में केन्द्रीय असेम्बली में आया था।

"Action taken by authority in due administration of law : cannot be subject of :"

उसका यह हेडिंग है :

"On the 22nd February, 1941, a member sought to move the adjournment of the Assembly to discuss the arrest of a candidate for the Central Assembly. The Home Member said he had no information about the matter but it appeard that the action had been taken by the Provincial Government under its own powers. The President disallowing the motion remarked :—

"This Assembly is not a tribunal for trying these cases, it is the matistrates and the judges who have got to try such cases, and it has been repeatedly laid down in this House and in the Parliament that with regard to any act done by any authority in the due course of the amdinistration of law whatever the law is —the matter cannot be discussed on an adjournment motion. Therefore, the motion is disallowed."

यानी साधारण इन्तजाम का मसला, जो अधिकारी अपने अधिकार के साथ कार्यवाही कर देता है, उसके बारे में चाराजोई यहां पर नहीं हो सकती, बल्कि अदालत में होनी चाहिये, मैजिस्ट्रेटों के सामने होनी चाहिये।

और भी है, सन् १९५० केंद्रीय सभा में अध्यक्ष द्वारा यह फैसला हुआ है कि—

"Arrest of a Member under the ordinary law of the land does not tantamount to breach of privilege nor can be the subject matter of an Adjournment Motion."

यह २८ फरवरी, १९५० को स्पीकर ने फैसला किया था। यह निर्णय अभी हाल का ही है।

ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी का कार्य कि यह वैध था या अवैध था, इस प्रश्न का सदन फैसला नहीं कर सकता। मैंने कल सदन को इस संबंध में मैजिस्ट्रेट के पत्र की इत्तला दे दी थी और इस इत्तला के बाद यह काम रोको प्रस्ताव यहां पर पेश हुआ। मैंने इसका जिक्र इसलिये यहां पर विशेषतौर पर कर दिया कि विरोधी दल के नेता से संबंधित प्रश्न होने के कारण यह महत्वपूर्ण है और इस विषय के ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों की भावनाएं भी उत्तेजित होंगी। तो यह तो नियम के संबंध में बात हुई इस कारण काम रोको प्रस्ताव की हैसियत से मैं इसकी अनुमति

नहीं देता हूं कि वह पेश हो और इसको अवैध करार देता हूं। लेकिन साथ ही साथ यह सूचना देना उचित समझता हूं कि मुझसे श्री राम नारायण जी ने मेरे कमरे मे यह भी कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी से उनकी बातचीत हुई थी और वह कुछ इस घटना पर प्रकाश डालना चाहते हैं इस विषय पर कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है। अगर ऐसी कोई बात हो तो मैं अपने नेता माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं, इस कार्य के ऊपर जो हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—यह मामला तो इस वक्त अदालत में पहुंच चुका है और इस हैसियत से उसके ऊपर कोई बहस और गुफ्तगू तो यहां नहीं हो सकती है हाउस में अब। बाकी यह कि किन हालत में गिरफ्तारी हुई, वह खुद ऐसी चीजें हैं, जो अदालत के सामने होंगी। तो मैं तो अब अर्ज करूंगा कि इस वक्त इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो आप इसके ऊपर ज़रा भी कोई प्रकाश डालने की जरूरत नहीं समझते?

कानपुर में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आप के सामने उठाना चाहता हूं। माननीय राज नारायण सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं उनको कानपुर की अथारिटीज ने इल्लीगली मालेस्ट कर के इस विधान सभा के कार्य से वंचित कर के इस आदरणीय सदन का भी अपमान किया है और उसके विशेषाधिकार की भी अवहेलना की है। मैं उसके लिये फ़र्स्ट अपार्चुनिटी ले रहा हूं और लिख कर के यह कम्प्लेंट आप के सामने पेश कर दूंगा।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड १३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल निवेदन कर रहा था कि मेरे ऊपर रामनरेश जी ने यह दोष लगाया था कि मैंने इस विधेयक को पूरी तरह से पढ़े बिना ही इस संशोधन को रखा है मैंने उनसे यह दरख्वास्त की थी अगर मेरे ऊपर यह दोष लगाया जा सकता हो तो शायद मेरी ही श्रेणी में माननीय राम नरेश जी भी आयेंगे। मैंने यह भी निवेदन किया था कि मैं उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यहां जो मेरा संशोधन है वह इस धारा को उठा देने के लिये है इसमे यह लिखा हुआ है "यदि पंचायतों के चुनाव में कुछ जगहें ऐसी रह जाय जिन पर चुनाव न हो सके तो उन जगहों को पूरा करने का अधिकार गांव पचायतों को न होना चाहिये बल्कि जो प्रेस्काइब्ड अथारिटी स्टेट की तरफ से बनेगी उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह उन जगहों को भर दे। कहीं यह प्रश्न तो था ही नहीं कि सारी की सारी गांव पंचायत न बन सकें तो ऐसी हालत में सरकार क्या करे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर सारा का सारा गांव पचायतें नहीं बनाना चाहता है तो यह बदक़िस्मती सरकार

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
†३० अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री गेंदा सिंह]

की नहीं है बल्कि बदक़िस्मती उस गांव की भी है और सरकार को उसके लिये बन्दोबस्त करना चाहिये कि गांव के लोगों को समझाया जा सके ताकि गांव में पंचायत बनाने के लिये कोरम पूरा हो सके और ऐसी हालत में मै समझता हूं कि गांव पंचायतें बन जांयगी। कोरम के लिये भी अभी कुछ दिन पहले जब इस सदन मे विचार हुआ था तो माननीय राम नारायण जी का संशोधन सरकार ने इसलिये अस्वीकार कर दिया था कि कोरम बहुत बड़ा न होना चाहिये और ऐसा कोरम होना चाहिये जो कोरम कि आसानी से इकट्ठा हो सके। इसलिये इसमें कोरम का भी कोई झंझट नहीं रहता। अगर एक भाग के ही लोग ग्राम पंचायतें बनाने के लिये राजी हो जायं तो फिर सरकार को कोई परेशानी नहीं रहेगी कि सरकार पूरे के पूरे गांव पर अपनी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा कोई गांव पंचायत लादे। तो यह चिन्ता तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिये। मै उन माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा, जिन्होंने गांव की पूरी पंचायत न बनाने की जिम्मेदारी इस उपधारा पर डाल दी है, कि इस उपधारा पर वह जिम्मेदारी नहीं है।

अब दूसरी बात यह है कि अगर कुछ जगहें खाली रह जाती है तो उनके लिये क्यों न अधिकार दे दिया जाय उसी गांव पंचायत को जो पहले से बन चुकी है। उसी को अधिकार दिया जाय कि जो जगहें खाली है वह उनको भी भर ले। मेरी जानकारी है कि किसी भी कमेटी मे या किसी भी पंचायत मे इस तरह का, अधिकार देना कोई असाधारण बात नहीं है, साधारण तौर पर इस तरह के अधिकार दिये जाते है। एक बड़ी कमेटी बनेगी और उस कमेटी के बन जाने के बाद अगर उसमें कुछ स्थान खाली है तो बड़ी कमेटी वाले अपनी रुचि के मुताबिक़ आदमी चुन सकते हं जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति छूट गया हो जिसके आने से पंचायत के कार्य में क्षमता बढ़ सकती हो या किसी कम्युनिटी का कोई ऐसा आदमी छूट गया हो जिसके छूटने से पंचायत की बदनामी होती हो या पंचायत के काम में दिक्क़त होती हो उस कमेटी को ही इन बातों का ज्यादा एहसास हो सकता है बनिस्बत प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जिसकी कोई रूप रेखा हमारे पास नहीं है। कितनी जगहों पर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का जिक्र हुआ है और इस विधेयक मे यह कह देना कि एक ही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हर जगह काम करेगी बहुत कठिन है तो फिर वैसी हालत में ऐसी जगहों को भरने के लिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी यह नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मै प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के संबंध में कुछ अधिक तो नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनके बारे में हमारे विचार कुछ बदलते जाते हैं और अगर दुर्भाग्यवश कानपुर जैसे ही अधिकारी सूबे भर में निकल जांय तो फिर उन अधिकारियों के लिये एक बड़ी दुर्भावना फैलेगी। मैं उस बात के लिये बहुत जोर देना चाहता हूं और उतना मैं ध्यान माननीय मंत्री जी का और सदन का जरूर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे विरोधी दल के नेता जैसी हैसियत के व्यक्ति को कानपुर अथारिटीज ने रोक रखा है वह कोई शोभनीय बात नहीं है और इस डेमोक्रेसी के लिये यह बड़ी भारी खतरनाक बात है। यह बात ठीक है कि हम ऐसे कानून में अदालत में ही चाराजोई जा कर कर सकते है लेकिन.....

श्री अध्यक्ष—यह विषय इस से संबंधित नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस बात को कहता हूं कि वह इस बहस की चीज नहीं है लेकिन मै अपनी भावना को जो अथारिटी के संबंध में हो सकता है उसके बारे में संकेत करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के अधिकारी है तो उनके बारे में क्या भावना रखूं और हम उनके ऊपर कैसे विश्वास करें और हम उनके साथ में अपनी गर्दन को कैसे दे दें। हमारी मजबूरी है कि हम माननीय मंत्री जी के इस सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ है जिसमें वह यह कहते हैं कि जितनी भी जगहें खाली हों उनके लिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार दे दें कि वह जिसको चाहें उसको कर दें। हमारा जो अनुभव है वह हमको बतलाता है कि ऐसी बात हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात के लिये जोर न दें और न

पिछले कानून में ऐसी बात रही है और न इस कानून में रखने की उसको कोई जरूरत मालूम होती है। मैंने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि जो पंचायत अगर नहीं बनी तो उनके लिये क्या किया जाय। मैं फिर इस बात के लिये कहना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश अधिनियम में इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से प्रबन्ध किया गया है कि जहां पर पंचायत कामयाब नहीं हुयी, जहां पर पंचायत अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से वहन नहीं करती हैं तो ऐसी हालत होने पर उन पंचायतों के स्थानों पर दूसरी मशीनरी सरकार बना सकती है। इस विधेयक में भी अनेक स्थानों पर इस बात का जिकर किया गया है कि जहां पर पंचायत अपने कामों को अंजाम नहीं दे सकें वहां पर सरकार को अधिकार है कि सरकार उनके स्थानों पर दूसरी मशीनरी बना दे बल्कि यह है कि कोई कारण भी नहीं दिया गया है, कि सरकार यदि उचित समझे, सरकार यदि अपनी इच्छा से उचित समझे तो वह पंचायत को हटा सकती है और उसको पूरा अधिकार है कि वह उस पंचायत को हटा दे। तो फिर ऐसी हालत में अगर ऐसी सूरत पैदा होती है तो उसमें सरकार को इतने प्रकार का अधिकार मिला हुआ है तो फिर मैं नहीं समझता कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को खाली हुये स्थानों की पूर्ति करने के लिये ऐसा अधिकार क्यों दिया जाय।

मैं फिर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर पंचायतों को इतना अधिकार नहीं देते हैं कि जो जगह खाली हों, जितने आदमी चुनाव होकर जाना हो, अगर वह नहीं जाते हैं तो उसको पूरा करने का अधिकार आप पंचायत को नहीं देते हैं तो फिर हम उन पंचायतों की सफलता की आशा किस प्रकार से कर सकते हैं। पंचायतों को इस प्रकार का अधिकार मिलने पर ही वह अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार से निबाह सकती हैं और उनको सफलता प्राप्त होगी। मैं यह भी जानता हूं कि इनके लिये टैक्स लगाने का प्राविजन भी पास होगा और उनको टैक्स लगाने का भी अधिकार होगा। तो एक तरफ तो स्वशासन मंत्री हमसे यह कहते हैं कि यह टैक्स स्वयं गांव वाले अपने ऊपर लगाते हैं और उसके वसूल करने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही होगी और उसकी नेकनामी या बदनामी सरकार अपने ऊपर नहीं ले सकती। तो फिर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये से पंचायतों को अगर बनाया जाता है तो उस टैक्स लगाने का अधिकार भी उसी अथारिटी को होगा। टैक्स लगाने का अधिकारी कौन होगा? वह तो यही प्रेस्काइब्ड अथारिटी टैक्स लगायेंगी और उसका परिणाम यह होगा कि उसके असेसमेंट में ज्यादती होगी और फिर गांव की उन्नति के लिये जो कार्य होंगे उन उन्नति के कार्य करने में गांव वालों की रुचि नहीं होगी। माननीय स्वशासन मंत्री जी के कहने के मुताबिक मैं समझता हूं कि ५ करोड़ या इससे ज्यादा रुपयों का श्रमदान का काम हुआ है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पंचायत तो लाद सकती है गांव के ऊपर, लेकिन प्रेसक्राइब्ड अथारिटी डेवलपमेंट के काम में जनता में उत्साह पैदा नहीं कर सकती है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में भले ही लोग ऊंचे किस्म के हों परन्तु वे गांव वालों को प्रेरणा नहीं दे सकते मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी बात स्वीकार कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे कोई बड़ा भारी परिवर्तन हो जाय।

*स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मुझे दुख है कि असली प्वाइन्ट का किसी ने जवाब नहीं दिया जिसे माननीय केशभानराय जी ने उठाया था। मैंने पहली बहस में भी निवेदन किया था पहले फंक्शन्स म्युनिसिपल थे पचायतों के। अब जबकि गांव समाज और गांव सभा को इकट्ठा करने का सवाल है तो गांव समाज में जो प्रापर्टी वेस्ट की उसकी देखभाल के लिये कोई कारपोरेट बाडी होनी चाहिये। इसकी देखभाल कौन करेगा, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। सिर्फ म्युनिसिपल फंक्शन्स में या जैसा पहले था, सिर्फ ३,४ जगह गांव सभा न बने तो कोई ज्यादा नुकसान शायद न हुआ हो। गांव सभा और गांव समाज एक हो इस विचार से हम चल रहे हैं तो सवाल यह है कि उस प्रापरटी की देखभाल कौन करेगा। मुझे अफसोस है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

कि इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया जिससे कि मैं इस संशोधन को समझ सकता। मैंने कल भी माननीय गेंदा सिंह जी से कहा था कि भाई, इसका क्या जवाब है और मैं समझता था कि मेरी बात वह समझ गये हैं लेकिन कम से कम वह मुझे समझा नहीं पाये हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कारपोरेट बाडी चाहिये। कम से कम मैं उन लोगों में से हूं जो यह कहते हैं कि यह पंचायतें स्वयं चुनी हुई होनी चाहिये और सरकार उनमें दखल न दे। अगर कोई एक दफा में न चुन पावे तो दूसरी दफा चुनें और अगर कोई दूसरी दफा भी न चुन पायें तो क्या हो, यह प्रश्न है केवल। यहां एक प्रोसीज्योर दिया है कि इस तरह से बना दी जाय। गेंदा सिंह जी कहते हैं कि इसे हटाओ लेकिन इसके बाद क्या हो उन गांव सभाओं का, यह जवाब नहीं देते। इसलिये गेंदा सिंह जी एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिसका इलाज वह सोच तो रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इसके कारण जो दिक्कतें होंगी उनको हल करने का कोई उपाय नहीं बतला रहे हैं।

एक बात तो गेंदा सिंह जी और बालेन्दुशाह जी ने भी कही कि इसमें बहुत बहुत अधिकार हैं। आप ससपेंड या डिसाल्व कर दीजिये। यह एक प्वाइन्ट बालेन्दुशाह जी ने कहा। मेरा खयाल है कि ससपेंसन या डिसोल्यूशन उसी बाड़ी का होता है जो एग्जिस्ट करे। लेकिन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती वह ससपेंड या डिसाल्व कैसे हो सकती है? जब इलेक्शन नहीं हुआ तो ससपेंशन या डिसाल्व करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब सवाल है गांव पंचायतों का। जब बनी ही नहीं तो उनका सस्पेंशन या डिजोल्यूशन कैसे हो जायगा। गेंदा सिंह जी ने कहा कि ऐडमिनिस्टेटर बना दीजिये। अब सवाल यह है कि आया वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाय अथवा वहीं के किसी आदमी को मुकर्रर करके गांव समाज को चलाया जाय। वहीं का आदमी क्योंकि वहां काम अच्छी तरह से चला सकता है इसलिये उसका मुकर्रर किया जाना ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिये गांव सभा बनानी चाहिये। अगर गांव सभा नहीं बनेगी तो दिक्कत होगी और उसके बनाने का तरीका यह है इसलिये इसको यहां से हटाने म नुकसान होगा जिसको फेस करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं अतः माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (८) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो रिड्राफ्टिंग के लिये छोड़ दिया गया उस खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित को रख दिये जाने के लिये पेश करता हूं। वह इस प्रकार है:-

खण्ड १२ (पुनरागत)

श्री अध्यक्ष—नीचे खंड १२ का संशोधन आया है। पहले उसको ले लिया जाय ही उसको बाद में लाने में दिक्कत होगी—

श्री मोहनलाल गौतम—कल जो परिस्थिति पैदा हो गयी थी यानी खंड १३ में कुछ कंफ्यूजन मालूम होता था। उसको ठीक करने की आपने आज्ञा दी थी। इसके साथ साथ ११-ए जो नीचे दी गयी है उसकी वजह से कुछ कांट्रेडिक्शन हो जाता था; इसलिये दोनों को रीड्राफ्ट करके रखने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्या इस सदन की अनुमति है कि खंड १२ को पुनर्विचार करके संशोधित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-A के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"11-AA. There shall be a Pradhan and a Up-Pradhan of the Gaon Sabha.

11-A. (1) The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed.

(2) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of the Pradhan shall be 5 years., or, if the State Government so declares by notification in the official gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix.

(3) The declaration under sub-section (2) may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or, where the term has been enlarged, before the expiry of such enlarged term."

अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तीन चीजें थीं जिसके ड्राफ्टिंग में माननीय सदस्यों को आपत्ति थी और कुछ कन्फ्यूजन मालूम होता था इसलिये उसको रीड्राफ्ट कर दिया गया। बालेन्दुशाह जी ने पेज ७ पर (४) पर आपत्ति की थी – –

श्री अध्यक्ष--जरा इसको देखिये। यह छपाई में गलती हो गयी है या इसी प्रकार से रक्खा गया है ? इस 11-AA में और 11-A में कुछ गलती मालूम होती है।

श्री मोहन लाल गौतम--पहले 11-A आयगा और फिर 11-AA ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रधान गांव सभा द्वारा चुना जायगा, उसके बाद उप प्रधान आता है कि उसका चुनाव कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष--यहां पर 11-A तो पहला हिस्सा है और 11-AA दूसरा हिस्सा है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, 11-A. के तीन हिस्से हैं (१), (२), (३)। पहले 11-A A आया है।

श्री अध्यक्ष--पहले तो 11-A आना चाहिये उसके बाद ही प्रधान के चुनने की बात आती है। तो इस नम्बर को परिवर्तित कर दिया जाय।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। चूंकि कल थोड़े से क्लेरिफिकेशन की जरूरत थी वह यह कि एक तो प्रधान का चुनाव गांव सभा द्वारा होगा और उप प्रधान का चुनाव गांव पंचायतें करेंगी। तो उप प्रधान गांव सभा का कैसे होगा, इसके ऊपर कल काफी बहस हुई थी। उसको साफ करने के लिये मैं कह देना चाहता हूं कि गांव सभा द्वारा प्रधान चुना जायगा और उपप्रधान उस तरीके से चुना जायगा जैसा कि मैंने बतलाया। दूसरी बात यह देखी गयी है कि जो लैंग्वेज है उस पर कल डिस्कशन कर रहे थे जो पेज ६ के लास्ट लाइन में है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक वक्त में एक साल की मियाद बढ़ायी जाय या यह कि इसका टोटल पीरियड एक साल हो। इसको साफ करने के लिये मैं कहता हूं कि जो ५ साल की मियाद है उसको बढ़ा कर ६ साल करने की बात है। इसमें वास्तव में कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है। इसलिये कि ५ साल की मियाद है और उसको बढ़ा कर ६ साल तक किया जा सकता है। अब आप एक-एक महीना करके बारह महीने में उसको बढ़ा सकते हैं या एक बार ही एक साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन जो होगा वह ५ साल के बाद होगा। जितनी मियाद बढ़ेगी वह ५ साल खतम होने के बाद ही बढ़ेगी। इससे यह बात बिलकुल साफ हो जाती है इसलिये मुझे उम्मीद है कि सदन इसको स्वीकार कर लेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जहां 11-A A (2) में आया है "such longer term not exceeding 6 years as it may fix." वहां "in all 6 years" कर दिया जाय। अगर माननीय मंत्री महोदय इसको उचित समझते हैं कि यह गलत नहीं है तो इसको ऐसा कर दें तो अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं समझता हूं कि इस पर काफी बहस हो चुकी है और हमारे ला डिपार्टमेंट ने भी इसका दूसरा माने नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष—यह बिलकुल साफ है। इसमें कहीं नहीं आता कि ६ साल जोड़ दिया जायगा। तो अब मैं इसको पेश कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-A के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"11-A There shall be a Pradhan and a Up-Pradhan of the Gaon Sabha.

11-AA (1) The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed.

(2) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of the Pradhan shall be 5 years, or, if the State Government so declares by notification in the official gazette, such longe term not exceeding 6 years iast may fix.

(3) The declaration under sub-section (2) may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or, where the term has been enlarged, before the expiry of such enlarged term."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-B की उपधारा (१) में शब्द "Vice President" के स्थान पर शब्द "Up-Pradhan of the Gaon Sabha" रख दिये जायं, तथा शब्द "and he shall be called Up-Pradhan." निकाल दिये जायं।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो अभी उपस्थित किया गया है उसमें जब यह संशोधन स्वीकार हो जायगा तो यह इस तरह से पढा जायगा:—

"The Pradhan of the Gaon Sabha shall be elected annually by the Gaon Panchayat from amongst its members in such manner as may be prescribed." मैं समझता हूं कि "Up-Pradhan of the Gaon Sabha" यह पढ़ने में अच्छा नहीं मालूम होता है और इसकी भाषा इतनी सुन्दर नहीं है जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य श्री अब्दुल मुईज खां ने ३३ आ आ में उपस्थित किया था कि—

"The Up-Pradhan elected by the Gaon Panchayat under section 11-B shall also be the Up-Pradhan of the Gaon Sabha."

और उन्होंने उससे पहले संशोधन में जहां उपप्रधान आया है उसको निकाल देने के लिये भी रखा है। जैसा कि मंत्री जी चाहते हैं अगर केवल वही रख देते है तो उस के बाद जैसे कि उन्होंने खंड १३ में जो रखा है कि गांव पंचायत जो उपप्रधान चुनेगी वही गांव सभा का भी उपप्रधान होगा। इसलिये इसको देख दिया जाय। यह कुछ पढ़ने में सुन्दर नहीं मालम होती है।

श्री अध्यक्ष—तो आप संशोधन का विरोध कर रहे हैं?

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--जी हां।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस में जो स्कीम्स आफ थिन्गज में फर्क है और इसीलिये यह मतभेद है जो माननीय सदस्य ने जाहिर किया है। काम तो दोनों तरह से चल सकता है। यह तो जाहिर है कि एक प्रधान होगा और एक उपप्रधान होगा। प्रधान इस तरह से चुना जायगा और उपप्रधान इस तरह से चुना जायगा, यह इस मे है। जो उपप्रधान चुना जायगा वही आगे चलकर गांव पंचायत का भी उपप्रधान होगा। यह चुनाव गांव सभा के उपप्रधान का है और गांव पंचायत का नहीं है। श्री अब्दुल मुईज खां के संशोधन को मानने से तो और कंफ्यूजन आगे चल कर हो जायगा। सिर्फ उनके स्कीम आफ थिन्ग्ज में फर्क है। इसलिये जो मैंने पेश किया है उसी को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसी अड़चन को दूर करने के लिये उस वक्त यह रखा था कि छोटी बाडी के उपप्रधान का चुनाव छोटी बाडी यानी गांव पंचायत करे और उस के बाद आप यह कहें कि जिसे छोटी बाडी ने उपप्रधान चुना है वही बड़ी बाडी का उपप्रधान कहलायेगा। इसके बजाय उल्टा इसमें आ गया है कि गांव पंचायतें ही बड़ी बाडी के लिये उपप्रधान चुनेंगी "एंड ही शल बि काल्ड उपप्रधान आफ दि गांव सभा" "हि मे बी काल्ड" कालिंग दूसरी चीज है और चुनने का अधिकार गांव सभा को गांव पंचायत को दे देना यह दूसरी बात है यह आपने उल्टा कर दिया ऐसा प्रतीत होता है कि यह जरा साधारण रवैये में परिवर्तन हो रहा है। मैंने यह सुझाव दे दिया, वैसे जो आप करना चाहें कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—मेरी जो स्कीम आफ थिंग्ज है वह यह है कि गांव सभा का एक प्रधान और उपप्रधान होगा और फिर यह कहा कि प्रधान इस तरह से चुना जाय और उपप्रधान इस तरह से चुना जाय। यह सही है कि एलेक्टोरल छोटा है लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि छोटी बाडीज चुनते हैं लेकिन काफी बड़ी पावर्स बड़ी बाडी की हो सकती हैं। मेरी दिक्कत यह है कि अगर एकाध जगह इस तरह से कर दिया जाय तो उसका कांसीक्वेंस जितने और होते हैं उसमें कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिये उसमें कहीं कहीं कंट्राडिक्शन है। लेकिन यह अमेंडमेंट ठीक है और वह दिक्कत हल हो जाती है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—मैं अपना विरोध वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-B की उपधारा (1) में शब्द "Vice-President" के स्थान पर शब्द "Up-Pradhan of the Gaon sabha" रख दिये जायं, तथा शब्द "and he shall be called Up-pradhan" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि पुनर्संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३ (क्रमागत)

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (2) के स्थानपर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the Pradhan shall be *ex-officio* member thereof. The Pradhan and the Up-Pradhan shall also be *ex-officio* Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Panchayat."

[श्री मोहन लाल गौतम]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कल कंफ्यूजन था उसमें कई चीजें कल आयी थीं। प्रधान और उपप्रधान का तो पांच साल का टर्म रहेगा ही च हे वह गांव पंचायत का मेम्बर रहे या न रहे लेकिन उसको छोड़कर बाकी मेम्बरों का पांच साल का टर्म होगा इसमें थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मेम्बरों का टर्म भी पांच साल का ही है। तो उसमें आपत्ति यह उठाई गयी थी कि यह जो प्रधान है वह पंचायत का मेम्बर है या नहीं। तो इसको भी जरा साफ कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि प्रधान और उपप्रधान जो हैं वह एक्स आफिशिओ पंचायत के प्रधान और उपप्रधान होंगे। इसकी रिड्राफ्टिंग भी हो गई है इसलिये मुझे आशा है कि यह मेम्बरों को स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the Pradhan shall be *ex-officio* member thereof. The Pradhan and the Up-Pradhan shall also be *ex-officio* Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Panchayat."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी का पास हो चुका है उसको देखते हुये मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(3) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of a member of a Gaon Panchayat shall be 5 years, or, if the State Government so declares by notification in the official Gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix."

यह वही है जो हम पास कर चुके हैं और उसकी भाषा भी उसी तरह से रख दी गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of a member of a Gaon Panchayat shall be 5 years, or, if the State Government so declares by notification in the official Gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर)—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(4) The declaration under sub-section 3 may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or, where the term has been enlarged before the expiry of such enlarged term."

कल बालेन्दुशाह जी ने क्लैरिफिकेशन की जो कुछ बात कही थी वह इसमें हो जाती है कि बढ़ी हुई मियाद या ६ साल से पहले ही प्रेसीडेंट का डिक्लेरेशन हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—(महाराजकुमार बालेन्दुशाह के खड़े होने पर) माननीय बालेन्दुशाह आपको कुछ कहना है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (४) में जो एनलार्ज्ड का प्रयोग किया गया है वह बहुत अजीब सा लफ्ज है। एक्सटेन्डेड इससे बेहतर है। उसमें स्पष्ट हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि अभी जो आपने संशोधन स्वीकार किया उसमें एनलार्ज शब्द स्वीकार किया है।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह—एनलार्ज्ड में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसको कर दें। शुरू में मेरा संशोधन इस बहस पर था कि एक्सटेंशन कुल एक साल का होगा अगर गुंजाइश है तो एक महीने २ महीने का एक्सटेंशन हो सकता है तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये ऐक्सटेंशन के बजाय एक्सटेंडेड रखा जाय बजाय एनलार्ज के।

श्री मोहन लाल गौतम—मुझे एक्सटेन्डेड लफ्ज से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन भ्रम होने का अन्देशा है कि अगर ५ साल का एक्सटेंशन ६ साल हुआ तो फिर ११ साल कोई माने न लगा ले। इसलिये यह फिट इन करता है मुझको यह बतलाया गया कि यह लफ्ज ठीक है और मैं आशा करूंगा कि श्री बालेन्दुशाह इस पर गौर करेंगे।

श्री अध्यक्ष—आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(4) the declaration under sub-section 3 may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or , where the term has been enlarged before the expiry of such enlarged term."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री बालेन्दुशाह का संशोधन वापस लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

१४—मूल अधिनियम की धारा १२ के बाद निम्नलिखित नई धाराएं 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 12-E, 12-F, 12-G, 12-H, 12-I, 12-J, और 12-K के रूप में बढ़ा दी जायं—

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारा 12-A से 12-K तक बढ़ाया जाना।

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

Number of persons to be elected or Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat.

12-B. (2) In addition to the members prescribed under section 12 the State Government may, by a general or special order, direct that one or more members of Prantiya Rakshak Dal having such qualifications as may be prescribed shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Gaon Panchayat or any committeee thereof as may be specified. Such persons shall not, however, by virtue of this sub-section be entitled to vote in the meetings of the Gaon Panchayat or the committees.

Additional members.

12-C. (1) The election of a person as Pradhan of a Gaon Sabha or as member of a Gaon Panchayat including the election of a person who may be appointed as a Panch of a Nyaya Panchayat under section 43 shall not be called in question except by an application presented to such authority within such time and in such manner as may be prescribed on the ground that—

Appliaction for questioning the elections.

(a) the election has not been a free election by reason that the corrupt practice of bribery or undue influence has extensively prevailed at the election, or

(b) that the result of the election has been materially affected—

(i) by the improper acceptance or rejection of any nomination ; or

(ii) by gross failure to comply with the provisions of this Act or the the rules framed thereunder.

(2) The following shall be deemed to be corrupt practices of bribery or undue influence for the purposes of this Act :—

(A) (1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing—

(a) a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate at an election ; or

(b) an elector to vote or refrain from voting at an election ; or as a reward to—

(i) a person from having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidatures ; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting.

(B) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a candidate or of any other person with the connivance of the candidate with the free exercise of any electoral right :

Provided that without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who—

(i) threatens any candidate, or any elector, or any person in whom a candidate or any elector is interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community ; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested will become or will

be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause.

(3) The application under sub-section (1) may be presented by any candidate at the election or any elector and shall contain such particulars as may be prescribed.

Explanation—Any person who filed a nomination paper at the election whether such nomination paper was accepted or rejected shall be deemed to be a candidate at the election.

(4) The authority to whom the application under sub-section (1) is made shall, in the matter of—

(i) hearing of the application and the procedure to be followed at such hearing,

(ii) setting aside the election or declaring the election to be void or declaring the applicant to be duly elected or any other relief that may be granted to the petitioner,

have such powers and authority as may be prescribed.

(5) Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (4) the rules may provide for the summary hearing and disposal of an application under sub-section (1).

(6) The order passed by the prescribed authority upon an application under sub-section (1) shall be final and conclusive, and shall not be questioned in any Civil Court.

Disputes pertaining to the election of Up-Pradhan Sarpanch or Sahayak Sarpanch.

12-D. Any dispute relating to the election of Up-Pradhan of a Gaon Sabha or of Sarpanch or Sahayak Sarpanch of a Nyaya Panchayat shall be referred in the manner prescribed to the prescribed authority whose decision thereon shall be final and conclusive and shall not be questioned in any Civil Court.

Oath of office.

12-E. (1) Every member of a Gaon Sabha shall, before entering upon any office referred to in sections 11-A, 11-B, 12-A, 43 or 44, make and subscribe before such authority as may be prescribed an oath or affirmation in the form to be prescribed.

(2) Any member who declines or otherwise refuses to make and subscribe an oath or affirmation as aforesaid shall be deemed to have vacated the office forthwith.

Resignation.

12-F. A Pradhan, Up-Pradhan or a member of a Gaon Panchayat may, by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed, resign his office and his office shall thereupon become vacant.

General Elections.

12-G. Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B, sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Pradhans of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including Panches of Nyaya Panchayats in the whole State or in any specified area thereof.

Casual vacancies.

12-H. If a vacancy in the office of a member of a Gaon Pahchayat arises by reason of his death, removal or resignation it shall, subject to the provisions of section 12, be filled for the unexpired part of his term in the manner provided therein and if the member vacating the office was also a [President] Pradhan or Up-Pradhan then that office shall also be filled as far as may be in the manner laid down in and under section 11-A or section 11-B as the case may be.

12-I. No civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or any decision given by an officer or authority appointed under this Act, in connection with conduct of elections thereunder.

Jurisdiction of Civil Courts in election matter barred.

12-J. The Up-Pradhan shall exercise such powers of the [President] Pradhan as may be prescribed.

Power of Up-Pradhan.

12-K. Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 11-A or of 11-B the Pradhan and the Up-Pradhan shall continue in office until their respective successors are elected [or appointed.]

Tenure of office of Pradhan and Up-Pradhan.

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं :--

खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12-A के रेखांकित अंश की पंक्ति ७ में शब्द 'after' के बाद तथा पंक्ति ८ में शब्द 'five' के पूर्व का शब्द समूह "the prescribed authority has selected" के स्थान पर शब्द समूह "the elected members have elected" रख दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोआप्टेड शब्द छपा है, मैं चाहता हूं कि कोआप्टेड के बजाय शब्द 'एलेक्टेड' रख दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जो इस विधेयक मे प्रस्तावित धारा है वह इस प्रकार है :--

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

मेरा संशोधन रखने के पश्चात् यह इस प्रकार हो जायगी--

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any caseas shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of Section 12 but only such of them as remain after the elected members have elected five persons or as such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

श्रीमान् जी, इसमें जो प्रस्तावित धारा है उसका मतलब यह है कि जितने भी न्याय पंचायत के लिये सदस्य नियत किये जायं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनमें से चुन ले और उसके बाद जो बचेंगे वे ग्राम पंचायत के मेम्बर होंगे। इस तरह का मैंने कल एक संशोधन पेश किया था। उसमें मैंने बतलाया था कि जो नामिनेशन का तरीका है वह पंचायत राज के मूल सिद्धान्त का विरोध करता है क्योंकि पंचायतें प्रजातंत्र प्रणाली पर बनायी गयी है और उनमें प्रजा अपने नुमायन्दों को खुद चुने चाहे वह न्याय पंचायत हो चाहे और कोई एक्जीक्यूटिव बाडी हो। जो मैंने संशोधन रखा है उसमें नामिनेशन और सेलेक्शन जो कि नियत अधिकारी द्वारा होगा उसमें यह रखा गया है कि जो उसके चुने हुये मेम्बर हैं खुद न्याय पंचायत के लिये जितने सदस्यों की जरूरत हो उतनों को चुन लें और इसके पश्चात् जो बचें वह ग्राम पंचायत के मेम्बर

माने जायं। श्रीमान्, नियत अधिकारी द्वारा जो न्याय पंचायत के लिये सदस्य चुने जायंगे वह सही तरीके से नहीं चुने जायंगे क्योंकि अंग्रेजी राज्य में भी इसी तरह की न्याय पंचायतें बनाई गई थीं, उनमें भी जो पंच चुने जाते थे वह नामीनेटेड किये जाते थे। लेकिन वह करप्शन से खाली नहीं थी और उनमें से दोष थे। उनको हमारी सरकार ने खत्म कर दिया। अब उसी प्रणाली को हमारी सरकार पुनः अपनाने जा रही है, मैं नहीं समझता हूं कि यह कहां तक सही है कि जो चीज पहले खराब साबित हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति की जाय।

दूसरी बात यह है कि जो नियत अधिकारी चुनेगा उसको ग्राम के रहने वालों का सही ज्ञान नहीं होगा। उनके पास तो जो सूचना प्रापर चैनेल से जायगी उसी पर वह नामीनेट करेंगे। तो इस तरह से जो नुमायन्दे जायंगे चुनकर नियत अधिकारी द्वारा वह सही नहीं होंगे क्योंकि वही आदमी जा सकते हैं जो लोग मिलते जुलते रहते हों, और दलाल टाइप हों। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से चुने हुये मेम्बरों के द्वारा यदि न्याय पंचायत के मेम्बर चुने जाते हैं तो दोनों चीजों का पालन हो जाता है। एक तो यह कि सही पंच पहुंचेंगे और दूसरे यह कि जो इसका मूल सिद्धान्त है वह भी इससे पूरा होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लें।

श्री कृपाशंकर——अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है यह एक प्रकार स गैरकानूनी है। यहां यह प्रश्न है कि गांव पंचायत में इतने मेम्बर चुने जायंगे जो संख्या है उससे ५ अधिक या कम जो प्रेस्काइब किये जायं और इसके बाद प्रेस्क्राइब्ड अथौरिटी न्याय पंचायत के लिये ५ आदमी चुन लेगी, बकीया ग्राम पंचायत के मेम्बर हो जायंगे। आपका संशोधन है कि प्रेस्क्राइब्ड अथौरिटी के बाद यह कर दिया जाय कि "the elected member have co-opted" जो मेम्बर चुन लिये गये हैं उनको कोआप्ट करने का क्या सवाल है। जब किसी कमेटी में और मेम्बर लेने होते हैं तब कोआप्शन का सवाल आता है। लेकिन जब एक कमेटी दूसरे को इलेक्ट करेगी तो यहां शब्द "इलेक्शन" तो हो सकता था लेकिन कोआप्शन का सवाल नहीं है। बहुत सी पंचायतों के लिये मेम्बर चुनने हैं इसलिये बजाय कोआप्शन के लिये अगर इलेक्शन कहा जाता तब तो कुछ सही था....।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि आप इसे अवैध कह रहे हैं। कहीं आपने तय कर दिया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथौरिटी ५ आदमियों को चुनेगी।

श्री कृपाशंकर——जी नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि आपने लफ्ज कोआप्शन रखा था यहां पर गांव सभा करेगी और न्याय पंचायत के लिये करेगी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोआप्शन तो किसी कमेटी के लिये आदमी बढ़ाने के लिये होता है लेकिन यहां पर दूसरी बात है। यहां पर शब्द ठीक नहीं बैठता है। अगर आप यह कहें कि मेम्बर चुन लेंगे तब तो ठीक बैठता है। एक तो यह लफ्ज सही नहीं है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा ५ आदमी चुनने के लिये रखे गये हैं। इसका मतलब यह है कि जो न्याय पंचायत का इलेक्शन हुआ पिछले वक्त में उसमें कुछ ऐसे लोग आ गये जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और जबर्दस्ती वोट ले लिया। तो इस बात को मिटाने के लिए कि कोई आदमी जबर्दस्ती वोट लेकर, दूसरों को डरा धमका कर न आ जाय यह रखा गया कि जो मेम्बर्स गांव पंचायत के लिए चुने जायं उनमें ५ और चुन लिये जायं और उनमें से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न्याय पंचायत के लिए ५ आदमियों को नामिनेट कर देगी। इस तरह से ज्यादा अच्छे आदमी आ सकेंगे। पहले तो यही

[श्री कृपाशंकर]

था कि वही गांव सभा के मेम्बर लोग ही चुन दिया करते थे। लेकिन पिछले तीन चार साल के तजुर्बे में जो खराबियां दिखलायी पड़ीं उनको दूर करने के लिये ही यह रखा गया है ताकि आइन्दा काम ठीक हो सके। इसलिये यह जो इसमें संशोधन पेश किया गया है वह उचित नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि शायद विष्णुदयाल जी ने अपने इस संशोधन को संशोधित कर दिया था और उन्होंने कोअाप्ट के बजाय एलेक्टेड शब्द रख दिया था। मैं तो इस समय एक दूसरी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि विष्णु दयाल जी ने प्रजातांत्रिक प्रणाली की बात कही है और यह कहा कि प्रेसक्राइब्ड एथारिटी द्वारा नामिनेट किये जाने के बाद जो विलेज रिपब्लिक आप बना रहे हैं उसका आधार ही नहीं रह जायगा। अगरचे आप नामिनेशन की बात यहां पर लाते हैं। मेरा यह ख्याल है कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में जहां तक एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का सवाल है यह तो ठीक है कि चुने हुए नुमाइन्दे जनता के होते हैं, वह कानून बनाते हैं और एक्जीक्यूटिव उनको कार्य रूप में परिणित करती है लेकिन जहां तक कि न्याय प्रणाली की बात है मैं नहीं जानता कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में कहां पर न्याय प्रणाली चुनी हुई होती है? इसके अलावा मेरा ख्याल है कि कुछ साल पहले जो सरकार ने एक जुडीशल रिफार्म्स कमेटी बैठाई थी उसने कुछ सिफारिशें की थीं जिनका कि इस सदन में अकसर जिक्र हुआ है। उस ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा है :—

"The Committee is of opinion that these defects are mainly due to the elective principle which has been introduced in the composition of these village courts. The Committee, however feels that the decentralisation of courts which was brought about by the Panchayat Raj Act, should not be scrapped altogether but should be given some trial. At the same time the Committee is definitely of the opinion that the elective system for constituting these Panchayati Adalats should go at once It is suggested that in place of the elective system the Panchayati Adalats should consist of panches nominated by the District Magistrate from within the Panchayati Adalat circle after such local enquiry through a gazetted officer as is considered necessary."

श्री अध्यक्ष—इसका थोड़ा सा खुलासा मुख्तसर में आप हिन्दी में भी कह दीजिए।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना—वांचू कमेटी जिसने कि इस प्रश्न पर विचार किया था कहा है कि यह तो सही है कि जहां तक कि अदालतों के विकेन्द्रीकरण का सवाल है पंचायती अदालतें बनायी जानी चाहिएं। मगर उसके अन्दर जो खामियां हैं, कमियां हैं वह इस वजह से हैं कि वह चुनी हुई पंचायतें हैं। अगर उस चुनाव को हटा कर कोई नामिनेशन का सिस्टम रख दिया जाय और उन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सुझाव दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन पंचायतों को मनोनीत करे। मगर यहां जो संशोधन लाया गया है उसमें यह कहा गया है कि गांव सभायें गांव पंचायतों को चुनेंगी और उसके अन्दर जितने सदस्य न्याय पंचायत के लिये चुने जाने वाले हैं, पांच या इससे कम या ज्यादा, उनको भी वह चुनेंगी। उसके बाद प्रेस्काइब्ड एथारिटी उनमें से उतने आदमी नामिनेट कर देगी न्याय पंचायत के लिये और बाकी गांव पंचायत के मेम्बर हो जायंगे। तो इस तरह से माननीय सदस्य यह देखेंगे कि यहां पर

चुनाव की पद्धति को अलग नहीं किया गया है यानी गांव सभा से चुने हुए मेम्बर गांव पंचायत में जायंगे और उन्हीं के चुने हुए मेम्बरों में से प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी को अधिकार होगा कि न्याय पंचायत के लिए मेम्बरों को नामिनेट कर दे यानी चुने हुए सदस्य एक पेनल फार्म करेंगे और प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी का अधिकार सीमित कर दिया गया है, कि वह उन्हीं में से नामिनेट करे। उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी को भी गांव सभा में से चुन ले। गांव सभा के चुने हुए सदस्यों में से ही उसको अधिकार है कि कुछ सदस्यों को न्याय पंचायत के लिए मनोनीत कर दे। इस तरह से यह जो नया क्लाज इस धारा के द्वारा लाया गया है उसके अन्दर चुनाव की प्रणाली भी रखी गई है और उसके साथ साथ जो खामियां या कमियां बतायी गई थीं, जिनकी तरफ वांछू कमेटी ने बहुत जोरों के साथ असहमति प्रगट की है, उनको भी अलग कर दिया गया है। इस तरह से दोनों के मिलाने से जो कि एक आदर्श रूप बन सकता था वह बनाया गया है। मैं समझता हूं कि जिस रूप में यह धारा है उसका संशोधन करने से उसका वह मतलब समाप्त हो जाता है। अक्सर विरोधी दल के सदस्य वांछू कमेटी की दुहाई दिया करते हैं और यह बहुत सही है, इसलिये जो संशोधन बिल में धारा है वही ठीक है और जो संशोधन माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हरिश्चंद्र जी ने एक चीज सामने रखी। उन्होंने कोटेशन दिया और बतलाया कि न्याय पंचायतों में जो दोष है वह इसलिये है कि उनके सदस्य चुने हुये हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय सदस्य एक तरफ चुने हुए सदस्यों का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है उसके द्वारा चुने हुए सदस्यों में से फिर सेलेक्शन करवाते हैं। यह एक अजीब सी चीज बन जाती है कि दोनों चीजों में से कौन सी चीज सही है। मैं समझता हूं कि जो दोष और करप्शन का कारण बतलाया गया है वह चुनाव नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सेलेक्ट करेगी तो वह भी उन्हीं सदस्यों में से करेगी जो कि चुने हुए हैं। तो मैं यह नहीं समझता कि यदि वह सदस्य उन्हीं चुने हुए मेम्बरों द्वारा जो कि उनको अच्छी तरह से जानते हैं और साथ के रहने वाले हैं उनकी अच्छाइयों और बुराइयों से भली भांति परिचित हैं तो उनमें क्या बात हो जाती है। उन्हीं सदस्यों को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा ग्राम सभा के रहने वालों पर थोप दिया जाता है तो क्या बात होती है? मैं समझता हूं कि सिर्फ इसमें भावना का अन्तर है। जो भावना मेरे संशोधन में है वह अधिक बेहतर है बनिस्बत इसके कि ऊपर से सेलेक्ट करके गांव सभाओं पर थोप दिया जाय। इसलिये मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और इसे मानने की कृपा करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे खेद है कि मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12—A के रेखांकित अंश की पंक्ति ७ में शब्द "after" के बाद तथा पंक्ति ८ में शब्द "five" के पूर्व का शब्द समूह 'the prescribed authority has selected" के स्थान पर शब्द समूह 'the elected members have elected" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ मे प्रस्तावित धारा 12-A मे शब्द "Prescribed Authority" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

"a committee consisting of the (a) District Judge who shall be the Chairman of the Committee, (b) District Panchayat Raj Officer as Secretary, (c) all the Pradhans of the Gaon Sabhas of the area of the Nyaya Panchayat, as members."

यह अगर स्वीकृत हो गया उपाध्यक्ष महोदय, तो वह इस तरह से होगा--

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such member as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the.."

"After the" के बाद इस तरह बदल जायगा

'a committee consisting of the (a) District Judge......

उसके बाद वही है "has selected five persons or such lseser number as aforesaid under section 43 for membership of the nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो इसमें लिखा है सेलेक्ट कमेटी मे जाने से पहले जब पहले इस सदन के सामने यह बिल पेश किया गया था, तो उस समय यहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की चर्चा की गयी थी कि जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। सेलेक्ट कमेटी ने उसको हटा दिया। मै चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यहां पर डिफाइन कर दिया जाय कि वह क्या होगी। और मेरी उसमे मंशा यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की खुद एक कमेटी हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज हों, वह चेयरमैन हों और वहां के पंचायत राज अफसर हों वह सेक्रेट्री हों। उस न्याय पंचायत के क्षेत्र के अन्दर जितनी ग्राम सभायें होंगी उन सबके जो सभापति, यानी प्रधान होंगे वह उस कमेटी के मेम्बर होंगे इसका फैसला करने के लिये कि कौन से लोग न्याय पंचायत के मेम्बर बनाये जायं। अगर यह ५ आदमी छंटे चुने रखे जाते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह नामजदगी का सवाल आ रहा है; उनकी स्थिति वैसी ही होगी जैसे कि पहले जिलों के अन्दर आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किये जाते थे अब गांव पंचायत के अन्दर ५-५ आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किये जायेंगे जो अदालतों का फैसला करने वाले होंगे, उनमें और आनरेरी मैजिस्ट्रेटों में कोई फर्क नहीं होगा। केवल यही होगा कि यह भी उन्हीं ग्राम सभाओं द्वारा छंटे हुये लोग होंगे, जिनको कहा गया है कि एलेक्टेड होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सेलेक्ट कमेटी ने खुद इस बात का फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वहां से हटा दिया है उसका नाम तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अन्दर नहीं है लेकिन अन्देशा यह है कि इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के नाम पर कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेकर कहीं उनके हाथों से नामिनेशन न करा दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। प्रजातंत्र का अगर कोई दुश्मन है तो वह हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही हैं जो इसको चलने नहीं देना चाहते। ये छोटे हिटलर हैं। जिस तरह से हिटलर ने हिटलरशाही चलाई थी उसी तरह से ये लोग भी जिलों में हिटलरशाही चलाते हैं। कानपुर का ही केस ले लीजिये। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या हिटलरशाही नहीं चलाई है?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं तो डेमोक्रेसी के दुश्मन का नाम बतला रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो तजुरबा हो रहा है उसकी व्याख्या कर रहा था। नमूना

मामने ही है कि इस प्रदेश के विरोधी दल के नेता जब कि आज सदन में पंचायत राज्य पर बहस हो रही है वह हमारे बीच में नहीं है। उनसे कहा जाता है कि तुम से ब्रीच आफ पीस का खतरा है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का इशारा ही काफी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इशारा ही कर रहा हूं। हमारा विश्वास इन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर से हटता जा रहा है? इनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट जज को रख दिया जाय। कहा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट जज भी तो हमारे ही अफसर हैं, उनको क्यों रक्खा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं रक्खा जाता? उनके जो नमूने हैं इसलिये उन पर से विश्वास हटता जा रहा है। अगर पंचायत राज्य की तरक्की करना है, उसको आगे बढाना है तो इलेक्शन का जो सबसे अच्छा तरीका था, न्याय पंचायतें जो हमारी हैं उनके पंचों को भी गांव सभा वाले ही इलेक्ट कर देते। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पहले भी कहा था बिल पेश करते वक्त का तजुरबा कहता है कि न्याय पंचायत के लोगों को उसमें से छांटा जाय जिनको गांव सभा वाले छांटे। तो थोड़ा सा डिस्क्रीशन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को भी मिलना चाहिये जो उनको नामिनेट करेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो एक कमेटी हो उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज आफिसर उसका सेक्रेटरी हो और सब गांव सभा के प्रधान उसके सदस्य हों। इसके मानी यह हुये कि डिस्ट्रिक्ट जज और पंचायत राज आफिसर परमानेंट मेम्बर्स होंगे और जिस क्षेत्र में न्याय पंचायत बनेगी उस क्षेत्र की ग्राम सभाओं के जितने सभापति होंगे अलग अलग एरियाज में वे कमेटी के मेम्बर्स होंगे। पांच एक्स्ट्रा जो छांटे जायेंगे वे मिला कर ३० होंगे और उन ३० में से ५ आदमी न्याय पंचायत के लिये मुकर्रर कर दिये जायं और उपाध्यक्ष महोदय इसका फैसला भी वही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की सफाई यहां पर हो जाय और साफ साफ रख दिया जाय कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी स्वयं ही नहीं रखना चाहते। इसीलिये उनका नाम हटा दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देना चाहते। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास काम भी बहुत है और अधिकार भी उनके पास पहले से बहुत ज्यादा है और हम लोगों को दरबारदारी भी उनकी बहुत करनी पड़ती है। लिहाजा यह काम तो डिस्ट्रिक्ट जज के लिये छोड़ देना चाहिये। जुडीशियल माइंड के होने से वह अदालतों में ऐसे ही आदमियों को रक्खेगा जो जुडीशियल माइंड के हों और यह कहा जा सकेगा कि जो एक्जिक्युटिव है वह किसी तरह से इंटरफ़ियर नहीं कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को इनमें नहीं रक्खा जायगा और आगे भी यह कोशिश होगी कि वे दखल न दे सकें। इन शब्दों के साथ मैं इसे पेश करता हूं और माननीय मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् अगर कुछ और कहना होगा तो कहूंगा।

*श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय उपाध्यक्ष जी को इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के शब्द से कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सदा से यह मायने होते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स। वह रूल्स हमारे इस सदन के सामने आयेंगे और संभव है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को परामर्श दात्री समिति से राय करना होगा और किसी अन्य से भी राय करना होगा। तो उस समय आपके स्वयं उस पर विचार करने का अवसर मिलेगा और यह आपके सामने आयेगा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के किस प्रकार से काम होंगे। यह आपने जो सुझाव दिया है यह बहुत ही विलम्बकारी और व्ययशील होगा। इसमें कोई तथ्य नहीं है। उसमें डिस्ट्रिक्ट जज का नाम लिया गया कि उसकी राय से उसने काम किया जायगा। मैं इस सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज सिवाय जुडिशियरी काम को छोड़कर जिले की और क्या जानकारी उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन मिश्र]

रहनी है। वह तो हमेशा मुकदमों को ही निर्दिष्ट पथ पर बैलेंस कर सकता है और इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान उसको नहीं होता है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरी कठिनाई यह है कि प्रत्येक पंचायती अदालत में अगर यह समिति बनायी जाय तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज को अपना समय देना पड़ेगा और उसमें बहुत व्यय होगा और दूसरे जिस दृष्टिकोण का उपाध्याय जी संकेत करते हैं क्या उस दृष्टिकोण से यह काम होगा। इसमें बहुत सी अड़चनें आयेंगी। इसी कारण से यह अनुमान करता हूं कि 'प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी' शब्द से उनको भ्रम उत्पन्न हो गया है और इसी कारण से वह यह संशोधन लाये हैं और इसी कारण से "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" पर वह बहुत जोर देते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी इसको स्पष्ट कर देंगे कि 'प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी' के मायने होते हैं कि "प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स" और वह रूल्स हमारे इस सदन के सामने आयेंगे और उस समय उपाध्याय जी "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" शब्द पर काफी चर्चा कर सकते हैं। यदि वह इस पर विचार करके देखेंगे तो इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" को किन कठिनाइयों में अपना निर्णय देना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो पद्धति सरकार की ओर से जारी की जाने वाली है कि न्याय पंचायत की नामजदगी नियत अधिकारी द्वारा की जाय यह मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के बिलकुल विपरीत है। अभी तक जो अदालती पंचायतें रही हैं उनकी तारीफ सदन में माननीय स्वशासन मंत्री के द्वारा बीसों बार हो चुकी है और तब जो पद्धति चुनाव की पहले थी उसको परिवर्तित करने के लिये कारण यही हो सकता है कि अदालतों का इन्तजाम या प्रबन्ध या फैसला जनता की निगाह में और माननीय स्वशासन मंत्री की निगाह में खराब साबित हुआ। मैं समझता हूं कि अदालती पंचायत एक ऐसी पंचायत रही है जहां कि पंच लोगों को सक्रिय रूप से अदालती केसेज का निर्णय करने में सफलता हुयी है। ग्राम पंचायतों का काम निष्क्रिय रहा है। जो पंचायत जनता की निगाह में या सरकार की निगाह में कामयाबी हासिल करे उसके संबंध में इस प्रकार का संशोधन लाना साजिश करना होगा। जनता के प्रति जो पंच वफादार और निष्पक्ष साबित हुये हैं और किसी प्रकार की शिकायत उनकी जनता के बीच में नहीं हुई है उन्हीं स्थानों की पूर्ति सरकार नियत अधिकारी के द्वारा कराये तो इसके मायने हो जाते हैं कि अभी तक चुनाव पद्धति बहुत खराब रही है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय रामलखन जी से अपील करना चाहता हूं कि यह जनता की भावना की उपेक्षा होगी और उनका समादर नहीं होगा कि जो आदमी इन्सपेक्टर या जो कलेक्टर की चापलूसी करेगा वही वहां पर आयेगा। मेरा विश्वास है कि जो आज नौकरशाही है वह ऐसे लोगों को ही बढ़ावा देगी। ईमानदार तथा निष्पक्ष व्यक्ति न्याय पंचायत में नहीं जा सकेंगे। २,४ साल का मेरा कटु अनुभव यह साबित करता है कि सरकार के अधिकारी उन्हीं लोगों की नामजदगी करेंगे, जो जनता की उपेक्षा करते हैं। इस सिलसिले में उधर के बैठे माननीय सदस्यों ने भी बीसों बार ऐसे प्रश्न किये हैं जिनसे यह साबित हुआ है कि नियत अधिकारी या इंसपेक्टर या पंचायत अफसर ने सदा उन बातों की उपेक्षा की है जो अदालती पंचायतों के पंच या सरपंच या ग्राम सभा के सभापति कहते थे। ऐसी अवस्था में उन्हीं अधिकारियों को यह अधिकार देना कि वे नामजदगी करें। इसके मानी होंगे कि अदालती पंचायत उन्हीं लोगों के हाथ की कठपुतली होगी जो कि इन अधिकारियों के चाहे हुये होंगे। यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि अदालती पंचायतों में भी, उतना तो नहीं लेकिन कुछ भ्रष्टाचार अवश्य है और भ्रष्टाचार छिपाने का एक ही तरीका है कि अधिकारियों की चापलूसी करे, दरबारदारी करे और जो ऐसा करता रहेगा उसकी कुर्सी रहेगी, ऐसा प्रतीत होता है। इस धारा के मायने ही यह होते हैं कि सरकार के हुकुम की पाबन्दी, हुकुम चाहे गलत हो या सही हो, जिला पंचायत अफसर के हुकुम की पाबन्दी चाहे हुकुम गलत हो या सही मानना

होगा। अगर वह नहीं मानता है तो वह हटाया जा सकता है और फिर उसकी जगह पर नियत अधिकारी अपने मनोनुकूल आदमी को नामजद करेगा। मैं समझता हूं कि इससे भ्रष्टाचार फैलने की विशेष आशंका है और सही मानों में पंचायती अदालतें जो निर्णय करना चाहती हैं उसमें रुकावट होगी।

जिलाधीशों या नियत अधिकारियों के रवैये पर माननीय राम लखन जी या कुछ और माननीय सदस्य भले ही संतुष्ट हों लेकिन अधिकतर आपसी बातचीत में मालूम होता है कि उधर बैठे हुए सदस्य भी काफी नाराजगी जाहिर करते हैं उन अधिकारियों पर जिन्हें सरकार जनप्रिय होने का जामा पहनाती है। नामजदगी की धारा हटाने से यह बिल जनता की निगाहों में ऊंचा आदर्श स्थापित करेगी। नहीं तो जनता जिस निगाह से श्रमदान में शरीक होती है, जिस दृष्टि-कोण से अदालती पंचायतों के फैसले को मानती है और कहती है कि पंचों का फैसला ईश्वर का फैसला है, मैं समझता हूं कि उसकी इस निगाह में अन्तर आवेगा और श्रमदान और निर्माण के कार्य में कमी आवेगी। भ्रष्टाचार और चापलूसी का बोल बाला होगा।

इन पुरजोर शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे नौकरशाही के हाथों में जनता को पीसने का मौका न दें। इस प्रदेश की जनता जो अधिकतर मूक है, उसके साथ खिलवाड़ न करें। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज के जिलाधीश इस प्रदेश में क्या कर रहे हैं।

कानपुर की घटना की मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को पूरी तरह जानकारी होगी। हमारे यहां दफा १०७ और ११७ में गिरफ्तारियां बहुत होती हैं लेकिन गांवों में रहने वालों की ज्यादातर गिरफ्तारियां होती हैं जो कि दो दलों में बंटे होते हैं, जिनकी ओर से अंदेशा होता है कि वहां झगड़ा हो जायगा। माननीय राजनारायण सिंह जी जो जेल में बन्द हैं और कानपुर के निवासी नहीं हैं, पंचायत राज संशोधन ऐसे बिल पर असेम्बली में हिस्सा लेना जरूरी है, उनको जेलखाने के द्वार पर ही १०७ का नोटिस दे दिया गया। अगर ऐसे अधिकारियों के हाथ में जिलों का प्रबन्ध और न्याय पंचायतों का प्रबन्ध दे दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र पर कुठाराघात होगा और सही मानों में जनता की राय की उपेक्षा होगी। मैं आपके द्वारा उधर बैठे हुये माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इसमें हमारा हाथ बटायें और माननीय उपाध्याय जी के संशोधन को स्वीकार कर लें। कहीं ऐसा न हो कि चन्द दिनों और महीनों के बाद उधर के लोग वही कहने लगें जो आज हम कह रहे हैं। इसलिये मैं आपसे और आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा के संबंध में जो हमारे साथी का संशोधन है उसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो पंडित रामसुन्दर जी पांडेय का भाषण हुआ तथा मदन मोहन जी उपाध्याय का भाषण हुआ, उनको मैंने सुना। यदि उनके संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा तो मैं समझता हूं कि कानून बनाने का काम बहुत बेढंगा हो जायगा और इसको मंजूर कर लेने से कानून की गाड़ी नहीं चल सकेगी। कानून का हमारे सामने एक ढांचा होता है और उसको बनाते समय यह देखा जाता है कि उसको कार्यान्वित किया जा सकेगा या नहीं। जो संशोधन इस समय रखा गया है वह इतना जबरदस्त संशोधन है कि उसके गांव पंचायत का रूप ही बदल जायगा और वह ऐसी चीज हो जायगी जिसकी उनको स्वयं भी इच्छा न होगी तथा उनको वह किसी प्रकार सहायता भी नहीं पहुंचा सकेगा।

इसमें संदेह नहीं कि इसमें एक दिक्कत पड़ रही है। वह दिक्कत यह है कि कहीं भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की डेफीनीशन नहीं की गयी है। यदि माननीय मंत्री जी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को डिफाइन कर दें तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा या रूल्स में जब वे बनाये जायं उनकी विषद व्याख्या कर दी जाय तो अच्छा होगा। अगर ऐसा कर दिया जायगा तो जो शक उधर के लोगों को हो रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में

[श्री पद्मनाथ सिंह]

इतनी पावर्स दे दी जायंगी तो उनका अब्यूज होगा, यह उनका भय किसी हद तक कम हो जायगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को इसी ऐक्ट मे अथवा रूल्स में डिफाइन कर दिया जाय तथा यह निर्णय उसके अधिकार का ध्यान रखते हुये किया जाय।

मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि चाहे कोई चेयरमैन और कोई सेक्रेट्री हो उसमे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। चेयरमैन चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है जैसा कि भय श्री रामसुन्दर जी और माननीय उपाध्याय जी ने जाहिर किया, क्योंकि जनरल सेक्रेट्री जो कुछ करता है अधिकतर चेयरमैन उसको डिटो करता है। इसलिये चेयरमैन चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उससे कोई अन्तर न पड़ेगा। जो कमेटी बनेगी मुमकिन है कोई रिलीफ दे दे लेकिन उससे बजाय दिक्कत कम होने के और भी बढ़ने की संभावना है। इससे कानून बड़ा कम्बरसम हो जायगा और जैसा कि सिम्पलीफाइंग और कमाइज उसे होना चाहिये वह न बन सकेगा। मैं निवेदन करूंगा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को डिफाइन कर दिया जाय या जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको ऐसा कर दिया जाय 'एज प्रेस्क्राइब्ड बाई दी रूल्स'। इस ऐक्ट के संबंध में बार-बार डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाती है और यह प्लांड मालूम होता है कि श्री राजनारायण जी का नाम इस संबंध मे जहां भी लिया जा सके ले लिया जाय। मेरे ख्याल मे इस हाउस का कोरम बड़ी सावधानी के साथ यूटीलाइज करना चाहिये। श्री राजनारायण सिंह की गिरफ्तारी का संबंध न तो डेमोक्रेसी की किसी व्याख्या से है और न वह इस ऐक्ट की किसी धारा के अन्तर्गत आता है। श्री राजनारायण जी की गिरफ्तारी की चर्चा इस सदन में पहले आ चुकी है। डेमोक्रेसी बनायी जाती है और उसके बनाने मे श्री राजनारायण जी तथा दूसरे माननीय सदस्य जो दूसरी तरफ बैठे हुये है उनका बड़ा भारी हाथ है और होना चाहिये और डेमोक्रेसी के बनाने में यदि कोई सदस्य जरा भी अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो आरम्भ में डेमोक्रेसी का पहला स्टेज कई जगह डिक्टेटिरयल रखा गया है और उसको डिक्टेटरशिप की तरफ से ट्रीट करते हैं और उसमें गिरफ्तारी क्या बड़ी-बड़ी बाते हो जाया करती है। तो मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी की रूपरेखा के संबंध में हमारे दिमाग मे एक कन्फ्यूजन सा है और वह कन्फ्यूजन भी ऐसा है तभी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूप मे तो डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी का पहला स्टेज है और उस डेमोक्रेसी के पहले स्टेज मे यदि कोई खलल पैदा करता है तो वह एनिहिलेट कर दिया जाता है। तो यदि इन विचारों के अन्तर्गत आप विचार करे और इस परिभाषा के अन्तर्गत इस बात को देखे तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले अपने कार्य से डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ा रहे है बल्कि उसको पीछे ले जा रहे है। अपने ऐक्शन मे वे जस्टिफाई नहीं करते हैं। इस प्वाइन्ट से मैं प्रोटेस्ट के तौर पर इस बात को कहता हूं कि यह संशोधन जो पेश किया गया है इसको डेमोक्रेसी की शान के अनुरूप होना चाहिये।

मै तो काउन्टर प्रोटेस्ट के रूप में कहना चाहता हूं कि यहां न तो श्री राजनारायण जी की गिरफ्तारी से कोई संबंध है और न डेमोक्रेसी के किसी डेफिनिशन की कोई बात है। लेकिन फिर भी मै यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से जो भय दिलाया गया है उसको ध्यान में रखते हुये उसको इस समय या जिस समय रूल बने डिफाइन कर दिया जाय तो बहुत अच्छा है। ताकि किसी भी सेक्शन आफ पापुलेशन को यह भय न रहे कि जो पावर हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे रहे हैं उसका एब्यूज होगा या इससे हमारा कल्याण नहीं होगा या पंचायत राज का उद्देश्य प्रतिपादित नहीं होगा। मेरा नम्र निवेदन यह है कि उस भय को ध्यान में रखते हुये इस ऐक्ट को बनाना चाहिये और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर्स जितने मिनिमाइज हो सकते हैं उतने मिनिमाइज होने चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में एक कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका' हमारे लायक दोस्त उपाध्याय जी ने बड़ी धूमधाम के साथ,

बड़ जोरों के साथ विरोध करते हुये अपना जो अमेंडमेंट पेश किया है। उसके जरिये उन्होंने मैजिस्ट्रेट से हटा कर जज और कुछ पंचायत अफसरों को खींच कर वहां खड़ा कर दिया जहां कि पहले सरकार थी। सरकार ने पहले रखा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामिनेट करे लेकिन सेलेक्ट कमेटी में जाकर गवर्नमेंट ने एक लीगल वे में बड़े सुन्दर ढंग से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को रखा। मैं अपने लायक दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जिस समय रूल बनाया जाय उस समय वे अपनी बुद्धि को अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा होगा। डेमोक्रेसी की बड़ी दुहाई दी गयी है लेकिन जो डेमोक्रेसी के हामी हैं उनके कारनामे हमारे सामने इसी मेज पर मौजूद हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनमें से दो चार लाइनें पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष—उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनारायण—मान्यवर, मैं कह रहा था कि पडरौना म्युनिसिपैलिटी में जो लोग कार्य कर रहे हैं, वहां की हालत आप देखें कि वहां क्या हो रहा है। वहां की हालत बड़ी बुरी है, पानी छिड़कने का न कोई इन्तजाम है, न सफाई का कोई इन्तजाम है। जहां पर कि डेमोक्रेसी के हामी हमारे सोशलिस्ट भाई ही मौजूद हैं, लेकिन वहां की बातें किसी को दिखलाई नहीं देतीं। तो मैं आपसे कहता हूं कि 'कहता सब मिले, गहता मिले न कोय' कहने के लिये तो सभी कहते हैं और कल माननीय नारायणदत्त जी व श्री मदनमोहन जी ने हिन्दुस्तान के तमाम सूबे का कोटेशन दिया लेकिन ट्रावनकोर का नाम किसी ने नहीं लिया कि वहां की हुकूमत कैसा काम कर रही है। ट्रावेनकोर में हुकूमत कैसा काम कर रही है और कैसा एडमिनिस्ट्रेशन वहां चल रहा है? हम यहां पर जो पंचायत राज बिल लाये हैं उस के द्वारा हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और हमारी सरकार ने इस दिशा में देश भर में पहला कदम उठाया है और हम जनता को पावर देना चाहते हैं और राम-राज के उगते हुये पौधे को हम फलीभूत करना चाहते हैं और सुख उससे उत्पन्न करना चाहते हैं। हमें आशा है कि हमारे इस कार्य को दूसरे प्रदेश भी कापी करेंगे। यह कानून निहायत सुन्दर ढंग से लाया गया है, यह नहीं कि चाहे जो रख दिया हो जैसा कि उपाध्याय जी ने कह दिया कि जज को कमेटी बना कर चेयरमैन बना दिया जाय और पंचायत अफसर को उसका सेक्रेट्री बना दिया जाय। हमारी गवर्नमेंट ने साफ लिख दिया है कि—

"Prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under secton 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

उसमें साफ लिखा है कि आगे चलकर हम नहीं जानते कि किसको बनावेंगे। वहां के लोगों को भी बना सकते हैं, वहां के जो मुख्य-मुख्य लोग हों या जो अच्छे सिविलियन हों उनमें से छांट कर हम आदमी रख सकते हैं बजाय इसके कि हम बाहर के किसी जज को या कलेक्टर को रखें। गांव के जो योग्य आदमी हों, बुड्ढे हों या कैरेक्टर के आदमी हों, जिनका मारल करेक्टर ऊंचा हो उनको भी हम रख सकते हैं। इसलिये इस तरीके से जज वगैरा यहां रख कर हाथ बांधना ठीक न होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलता रहूंगा क्योंकि राजा साहब ने प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया है, वह सवाल पूछना चाहते हैं। इस समय वह सवाल नहीं पूछ सकते जब तक मैं बोल रहा हूं। यह कोई इस वक्त क्वेश्चन आवर नहीं चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हमने अपने संविधान में भी जजों को सबसे ऊंचा स्थान दिया है और बहुत अधिक पावर दिया है इसलिये हम जजों को इस पालिटिक्स में घसीटना नहीं चाहते। उनका काम तो न्याय विभाग को देखना है; यह तो एक्जिक्यूटिव के कार्य हैं। हाईकोर्ट के और सुपरीम कोर्ट के जज तो हमारे कानून पर भी अपना फैसला दे सकते हैं इसलिये उनको घसीट कर

[श्री शिवनारायण]

कीचड़ वाली नाली में न लाना चाहिये। हम चाहते हैं कि सुन्दर कानून बने उसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ही रखा जाय और जिसको चाहे मौका देकर रख दिया जाय। डेमोक्रेसी की बात भी

अपोजीशन को भी अपनी पोजीशन को मेनटेन करना चाहिये, महज गाल बजाने से ही काम नहीं चलता है। एक्चुअली काम करने की भी जरूरत होती है। हमारी सरकार ने जो कानून बनाया है वह बहुत सुन्दर है और यह संशोधन ठीक वैसा ही है कि जब हम जिलाधीश को पावर देना चाहते थे तो कह दिया कि जज को यह पावर दी जाय और पंचायत अफसर को उसका सेक्रेटरी बनाया जाय और जब हमने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रख दिया तो जजों की बात करने लगे। इस तरह से बेकार की बकवास से काम नहीं चलता है और मैं चाहता हूं कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि दूसरे सदस्य जो भाषण दें उसको क्या कोई माननीय सदस्य इस सदन में बकवास कह सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मुझे इस समय इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में कोई प्रश्न भी नहीं उठाया गया था।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय शिवनारायण जी ने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि बकवास से काम नहीं चलता, यह उनको नहीं कहना चाहिये।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, उनको इसे वापस लेना चाहिये, यह शब्द अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जहां तक हो सके ऐसे शब्दों को एवायड करना चाहिये।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मदन मोहन उपाध्याय जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो न्याय पंचायतों के चुनाव करने का अधिकार मैजिस्ट्रेटों को दिया जा रहा है वह एक तरह से स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है। आज जिस तरीके से इस पुस्तक में रखा गया है कि न्याय पंचायतें कैसे बनेंगी उनके या जो पहले की अदालती पंचायतें थीं उनके कामों के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि ये जो पचायतें बनाई जायेंगी उनसे आजकल की दुनिया में न्याय हो सकेगा यह हमको असम्भव मालूम हो रहा है। क्योंकि जो पंचायतें गांव-गांव में वोटों द्वारा चुनकर अदालती पंचायतें बनीं उनके सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं उन सबको अनुभव है कि उनका काम कैसा रहा है और ये न्याय पंचायतें कैसी थीं। बहुत से स्थानों पर तो उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि प्रतिज्ञा लेते हुये पंचायत के मेम्बरों ने प्रतिज्ञा की कि हम अन्याय करेंगे, उन्होंने न्याय के स्थान पर पढ़ा कि हम अन्याय करेंगे और ठीक है उसी तरह से शिकायतें भी रही हैं और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि देहातों में लोग आज न्याय पंचायतों से ऊब से गये हैं। गांव पंचायतें इसलिये बनाई गई थीं कि गांव में ही झगड़ों का निपटारा होगा और लोगों की अदालतों तक जाने में कमी पड़ेगी और लोगों की परेशानी कम होगी लेकिन आज उसके विपरीत हुआ। गांवों में परेशानी इतनी बढ़ गई है कि लोग उन पंचायतों से ऊब गये। उन पंचायतों में इस तरह से किया गया कि जो मुकदमे दाखिल होते हैं उनमें अच्छी तरह से न्याय नहीं पा रहे हैं। उन मुकदमों का फैसला जिस तरह से अदालतों में होता है कि दो चार आदमी आये और

झूठी बातों की गवाही दी, वह बात सही हो गई और उसी के मुताबिक फैसला हो गया। ठीक वही बात अदालती पंचायतों में होती है।

बहुत सी जगहों में तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बतलाऊं यह सुनने में आया और ऐसी शिकायतें रही हैं कि वहां के पंचायतों में जो न्याय होता था उसको बदल दिया जाता था। यह तो गांव के चुने हुये पंचायतों की हालत है। अब ये पंचायतें जो मैजिस्ट्रेटों द्वारा चुनी जायगी वह कैसे कार्य करेंगी और क्या करेंगी इसका अन्दाजा माननीय सदस्य लगा सकते हैं। जो गांवों के चुने प्रतिनिधि थे वे जानते थे कि वे जनता से चुन कर बैठे हुये हैं लेकिन पचायतों में बैठ कर अन्याय करते थे अब यह जो अधिकारी जनता के चुने हुये न होकर अधिकारियों द्वारा चुने हुये होंगे वे किस तरह से न्याय करेंगे। इन सारी चीजों को देखते हुये मैं तो कहता हूं कि गांवों में एक-एक बात पर थोड़ा सा झगड़ा होने के बाद बैर साधने के लिये बहुत से १०७ के मुकदमे दाखिल हो जाते हैं। जहां से थोड़ी सी रिपोर्ट हुई वहीं से देखिये पचास आदमी, सौ आदमी अदालतों में परेशान हो रहे हैं। तो यह हालत हमारे गांवों की और गांव पचायतों की है। अभी-अभी सदन के सामने हमारे जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कानपुर का जिक्र किया। उस जिक्र के सिलसिले में मैं आपके सामने बतला देना चाहता हूं कि १०७ का मुकदमा उस वक्त चलाया जाता है जब कि दो फरीकों में झगड़ा होने का अन्देशा हो। उस वक्त १०७ के मुकदमे की नोटिस दी जाय और उस नोटिस के बाद जब आदमी फिर किसी प्रकार अमनोअमान में दखल करे तो उसका मुचलका लिया जाता है। अगर वह मुचलका नहीं दाखिल करता है तब वह बन्द किया जाता है। लेकिन राजनारायण जी जेलखाने में बन्द थे......।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उस मामले का यहां पर हवाला देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा--मैं उसका हवाला नहीं दे रहा था। मैं बतला रहा था कि कलेक्टर द्वारा जो आदमी चुने जायगे वह कैसे काम करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन गांवों के चुने हुये पंच जो अब एक नियत अधिकारी द्वारा चुने जायंगे वह कैसे न्याय करेंगे। वह तो सोचेंगे कि हम तो सरकार द्वारा चुने हुये पंच हैं, जैसे भी हो हमको न्याय करना है और जिस तरह से भी हो गांव के लोगो को फांसना है। उपाध्याय जी ने यह रक्खा है कि हर गांव के जो सभापति हों उनकी एक कमेटी बनायी जाय और पंचायत राज आफिसर उसका सेक्रेटरी बनाया जाय। और डिस्ट्रिक्ट जज उस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाय। तब उस कमेटी के द्वारा न्याय पंचायत बनाई जाय। ऐसी हालत में गांव के जो सभापति होंगे वह गांव के प्रत्येक व्यक्तियों के विचारों से परिचित होंगे और यह भी जानते होंगे कि कौन-कौन लोग ईमानदार हैं। ऐसी एक नियत अधिकारी कमेटी बन जायगी इस तरह से ईमानदारी से फैसला करने वाले आदमियों को चुनेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं उपाध्याय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गौर से उपाध्याय जी के भाषण को सुना। उनके भाषण के भीतर मुझे ऐसी भावना दिखाई पड़ी जिससे मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि इसके अन्दर कुछ रोष और खफगी है जिसकी वजह से यह संशोधन आया है अन्यथा ऐसा अव्यावहारिक संशोधन कभी नहीं आता। आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को छोटा हिटलर बना दिया। कुछ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे हो सकते हैं जिनके विषय में व्यक्तिगत रूप से कुछ बुरी भावना हो सकती है लेकिन यह कह देना, उपाध्याय जी ऐसे जिम्मेदार आदमी की तरफ से कि सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जितने हैं; जिनकी संख्या हमारे जिले में कम से

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]
कम ४? तो ह ही: सबके सब छोटे हिटलर ह और बड़े गैर जिम्मेदार ह और सभी बड़ा गलत काम कर रहे ह, उनको नष्ट कर दिया जाय. म समझता हू कि यह अत्यन्त गैर जिम्मेदारी की बात ह।

दूसरी बात यह कि यहां बारम्वार माननीय नेता विरोधी दल के मामले को इस मामले मे घसीटने की कोशिश की गई और कानपुर के काड का हवाला दिया गया। म कहना चाहता हू अत्यन्त नम्रता के साथ और बड़े अदब के साथ कि यह घटना जो कानपुर मे हुई है.........।

श्री उपाध्यक्ष—म माननीय सदस्य से कह देना चाहता कि उस घटना का यहा पर जिक्र न किया जाय।

श्री ब्रजभूषण मिश्र— मैं यह कह रहा था कि जो कानपुर मे घटना हुई ह वह ११ अप्रैल को पहले ही मिर्जापुर मेंहो गई होती। जब कि माननीय चरण सिंह वहा गये थे उनके साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो सलूक किया, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता ह कि यह घटना वही हो गई होती। जो उन्होंने वहा आचरण किया था मं उसके बारे मे नहीं जाना चाहता। जिस प्रकार उन्होंने एक दूर शान्त बगीचे मेंबैठी हुई सभा पर एक भीड़ लेकर आक्रमण किया, माइक्रोफोन छीनने की कोशिश की और सभा के सर पर २० गज के फासले पर अपना माइक्रोफोन लगाकर बाधा उत्पन्न की। बराबर शान्ति भंग की अवस्था उत्पन्न की, यह काम ऐसा था कि वहां कोई घटना हो सकती थी, किन्तु चौधरी साहब की सहनशीलता से वह टल गयी।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से यह कह देना चाहता हूं कि इस घटना का इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री बृज भूषण मिश्र— क्योंकि यहां पर कानपुर का उल्लेख किया गया इसलिये कहना चाहता हू । आपकी आज्ञा से नहीं कहूंगा । तो मं कह रहा था कि मिर्जापुर का जो कांड हुआ उससे मं समझता हूं कि श्री राजनारायण सिंह जी ने नसीहत कोई नही ली उसका नतीजा यह हुआ कि कानपुर मे एक दुःखद स्थिति उनको भोगनी पड़ी। इसके बाद मं संशोधन के विषय मे कहता हूं। आपने कहा है कि वहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बजाय जज साहब उसके चेयरमैन हों और बड़े कमेटी बनावे। हर गांव सभा मे, जहां पंचों का चुनाव करना हो वहां के सब सभापति लिये जावें और वे लोग बैठ करके अपने हल्के के पंचो को चुना करे। इस प्रकार बराबर सिलसिला जारी रहे। सोचने की बात है कि हमारे सूबे मे ३६,००० ग्राम सभाये ह और अदालती पचायते करीब ८ हजार, ९ हजार के हैं तो इतनी ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिये इतनी सब कमेटीज बने और रोज-रोज उनका संगठन हो और रोज-रोज चुनाव करे, यह कितना विलम्बकारी, अव्यावहारिक और खर्चीला कोर्स है। यह बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिस पर अमल नहीं हो सकता। तो यह ऐसे क्यों थे और अव्यावहारिक सुझाव दिये हैं कि ये कदापि मानने लायक नहीं है। यह कहना कि जज साहब, जिनको आप कहते है, अच्छा ही अच्छा करेंगे ठीक नहीं उनमें भी ऐसे आदमी हो सकते ह जो खराबी कर सकते ह। तो यह कोई गारन्टी नहीं है कि जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हं सब खराब हैं और जज साहब आ जायेंगे तो अच्छा होगा और अच्छा चुनाव करेंगे यह बात ठीक नहीं है। हर काम उसूल से होना चाहिये। इसलिये मं कहूंगा कि आपका जो संशोधन है अव्यावहारिक है और मानने लायक नहीं है। कोई कानून व्यक्तियों पर आधारित नहीं होना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय सदस्यों के भाषण हो चुके हैं। मैं चन्द बातें जो कि सुझाव के रूप में हैं इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गांवों की वस्तुस्थिति माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है और कानून की व्यवस्था जो इस सदन में बनायी जा रही है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बनायी जा रही है। हमें यह देखना है कि हमारे गांवों के विकास का स्तर कहां है और इस प्रकार स्तर को देखते हुए जो गांवों की आज नई व्यवस्था हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे ग्रामीण भाई कहां तक सहायक होंगे और किस हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन बातों को हम नजरअन्दाज कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि जिस कानून की व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं शायद वह हमारे गांवों के जीवन को व्यवस्थित रूप से विकास के पद पर आगे बढ़ाने में उतना सफल नहीं हो सकता जितना कि उसको होना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो यह मौजूदा प्राविजन है उसके अन्दर प्रेस्काइब्ड अथारिटी का जिक्र अवश्य किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रेस्काइब्ड अथारिटी को केवल एक वैकुअम में हमें नहीं छोड़ना है, हमें रियलिटी के साथ ग्रेपिल करना है, अगर कोई मुश्किल बात इसमें है तो उसको अवश्य इस सदन में टेकिल किया जाना चाहिये और इस प्रेस्काइब्ड अथारिटी को अवश्य डिफाइन कर देना चाहिये। अगर प्रेस्काइब्ड अथारिटी की सही और सच्ची तस्वीर इस सदन में पहले रख दी गई होती तो आज इतने लम्बे-लम्बे वक्तव्यों की जरूरत कतई नहीं होती और मैं यह समझता हूं कि अगर इस मसले को ठीक से सही कर दिया गया तो जितनी अड़चनें आज हमें नजर आ रही हैं उतनी अवश्य हमें दिखाई नहीं देंगी।

इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय और इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी सरकारी अहलकारान हैं, जिनका सम्पर्क गांवों की जनता से है उनको गांव पंचायतों के संगठन से कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग इसमें शक करते हैं और समझते हैं कि सरकार का इसमें बड़ा भारी इंटरेस्ट है और चाहते हैं कि गांवों की संस्थाओं का सफल संचालन हो, मैं उनसे एकमत नहीं रखता। इसलिये गांवों की संस्थाओं के उत्थान का और उनके विकास का उन लोगों के हवाले कर देना जिनकी सहानुभूति गांवों की जनता में नहीं है बल्कि जो गांवों की संस्थाओं को अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये और अपने इल गाटेन गेन्स के लिये एक अभिशाप समझते हैं, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। जहां तक कि सरकारी अहलकारान का प्रश्न है मैं समझता हूं कि हम जो कोई भी मशीनरी गांवों की संस्थाओं को दृढ़ बनाने के लिये इस कानून के जरिये बनाना चाहते हैं उसमें नान-आफ़िशल्स का अधिक हाथ होना चाहिये और सरकारी नौकरों का बहुत कम हाथ उसमें होना चाहिये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो कोई भी प्रेस्काइब्ड अथारिटी हो वह कोई सरकारी अहलकार जो कि जिले का हो, चाहे वह डिप्टी कमिश्नर साहब हों या उनके मातहत वाले कोई अफसर हों उनको नहीं होना चाहिये क्योंकि वे लोग ब्रिटिश कोर्ट आफ जस्टिस के सिस्टम से परिचित हैं जो कि एक एक्सप्लायटेशन का सिस्टम था और आज भी अगर हम उस सिस्टम को इस मुल्क में चालू रखते हैं या फिर से हम अपने गांवों में उस सिस्टम को लागू करते हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह सिस्टम हमारे गांवों के उत्थान के लिये या उनके विकास के लिये एक अभिशाप साबित होगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उस जमाने में खड़ी हुई थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों के बड़े-बड़े नेता जो पार्लियामेंट के मेम्बर थे उन्होंने इस बात की दलीलें दी हैं और तकरीरें की हैं कि ब्रिटिश सिस्टम आफ जस्टिस भारतवर्ष को तबाह किये डाल रहा है और वहां की जनता उससे त्राहि-त्राहि कर रही है। वे चाहते थे कि इस सिस्टम को इस मुल्क से हटा दिया जाय। जब कि उस जमाने में इस बात को महसूस किया जाता था तो मैं समझता

[चन्द्र सिंह रावत]

हूं कि आज वह समय आ गया है जब कि हमें उस कमी को दूर करना है। इसलिये गांवों के लिये जो कानून हम आज बनाने जा रहे हैं उसकी व्यवस्था इतनी सिम्पिल होनी चाहिये कि गांव के लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकें और उसके ऊपर अमल कर सकें। अगर इसकी दफायें इतनी काम्पलीकेटेड और इतनी टेढ़ी हैं कि उनका पढ़े लिखे लोग भी कई किस्म का इंटरप्रेटेशन लगायें तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे गांव की जनता का कोई फायदा नहीं हो सकता।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों की ओर से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा और मुझे कतई उसमें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती क्योंकि मैं अपनी उस भावना से प्रेरित होकर कह रहा हूं जिससे गांवों का भला हो सकता है कि जहां तक हो सके गांवों के अन्दर इलेक्शन के जरिये ही इन संस्थाओं को रखने में गांवों की जिन्दगी का सुधार किया जा सकता है और जितने भी नामीनेटेड मेम्बर्स होंगे वह करप्शन का एक जरिया होंगे और जहां तक गांव के लोग आज तक इस करप्शन, बेईमानी और इस बीमारी से बचे हुये हैं वह भविष्य में इन सब बीमारियों के शिकार होने लगेंगे और गांव की जिन्दगी और ज्यादा करप्ट हो जायगी। जब गांव के पंचों को पता चलेगा कि उनका नामीनेशन पांच साल के लिये हुआ है और उन्हें कोई निकाल नहीं सकता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें विश्वास है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट्स को जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने बनाया था उसी प्रकार की प्रणाली से गांव का संगठन छिन्न-भिन्न हो जायगा और सरकार के प्रति जो रही-सही श्रद्धा गांवों में है वह मिट जायगी और इसके साथ ही साथ घूसखोरी का राज्य फैलने लगेगा।

मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय जिससे बेईमानों को प्रोत्साहन न मिल सके और उनके अन्दर यह विश्वास न हो कि बावजूद लोगों की नाराजगी के ५ साल तक वह जरूर रहेंगे और उनको कोई हटा नहीं सकता है। जहां वह घूसखोरी करना चाहते हैं वहां वह सरकारी अहलकारान को घी के कनस्तर घूस में देकर अपने को ५ साल तक कायम रखने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें सुधार हो जायगा अगर उनको यह विश्वास हो जायगा कि उनको लोगों के नाराज होने पर हटाया जा सकता है। जहां आज सैकड़ों शिकायतें माननीय मंत्री जी तक पहुंचती हैं कि घूसखोरी हो रही है वह सब दूर हो जायंगी। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें अवश्य इन सब झगड़ों को दूर रखते हुये, पार्टी पोलिटिक्स के नुक्तेनजर को अलग रखते हुये, केवल गांवों की विकास की भावना से प्रेरित होकर और गांवों के फायदे को दृष्टिकोण में रख कर, इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चालू रखने के लिये इस प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था करनी चाहिये जो बहुत ही सीधीसादी हो और गांव के लोग उसको आसानी से समझ सकें और उसको अमल में भी ला सकें और उससे कोई करप्शन करने में प्रोत्साहन न मिले और करप्शन की कोई गुंजायश न हो और उनके अन्दर विश्वास न हो कि वह बुरे तरीके से भी अपनी जगह पर कायम रह सकते हैं बावजूद गांव के लोग मैजारिटी में उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं, अभी बहुत कम बहस हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--बहस तो काफी हो चुकी है। प्रश्न यह है कि........

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--प्वाइंट आफ आर्डर सर, कोई क्लोजर का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया है। श्रीमन्, ...

श्री उपाध्यक्ष--प्रस्ताव तो उपस्थित किया गया है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--५७

विपक्ष में--१३।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आर्ग्यूमेंट्स उधर से पेश किये गये हैं मेरे संशोधन के खिलाफ, मैं समझता हूं कि उनका जवाब देना मेरे लिये बहुत आवश्यक हो गया है। माननीय रामलखन जी ने सबसे पहले यह कहा कि साहब, डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट की पालिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, वह डिस्ट्रिक्ट की पालिटिक्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। इसीलिये तो हम चाहते थे कि पालिटिक्स वाले को नहीं होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो ऐसी पालिटिक्स जानता है कि चाहे जिसको लड़वा दे, चाहे जो करा दे।

श्री रामलखन मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पालिटिक्स का नाम नहीं लिया था डिस्ट्रिक्ट की जानकारी की बात कही थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--ठीक है, लेकिन जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है। जिस न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्दर वह नामजदगी करेगा वहां के लोगों की जानकारी वहां के ग्राम सभा के सभापति को होगी, वह बतायेगा, सरपंच बतायेगा, पंचायत राज इंस्पेक्टर्स बतायेंगे। जज तो यह देखेगा कि यह आदमी ठीक है या नहीं, न्याय कर सकता है या नहीं, अदालती काम कुछ चला सकता है या नहीं, इस बात का फैसला डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। तो यह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि वह डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जानता नहीं इसलिये वह न रखा जाय। मैं यह भी कहता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रखा जाता है तो वह भी इलाके की खबर नहीं जानता, वह भी दूसरों से जानने की कोशिश करेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह तो कोई दलील इस बात की नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस्क्राइब्ड उप-अथारिटी के जरिये से ये जो नामिनेटेड पंच मुकर्रर किये जायंगे, हमारा पुराना तजुर्बा है, पिछली मर्तबा चुनाव हो रहा था, इसी हाउस का एलेक्शन था, उपाध्यक्ष महोदय, इन सरपंचों से लोगों ने जा जाकर यह कहा कि तुम तो सरकारी अफसर हो, तुम तो सरपंच हो, सरकार के अफसर हो, तुम्हें तो कांग्रेस को वोट देना ही पड़ेगा। तो यह तो तब कहा जब कि एलेक्टेड थे वह और अब जब कि एलेक्टेड निकाल कर नामिनेटेड होंगे, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये से पंचों की नामजदगी होगी तब तो फिर पंचायत राज इंसपेक्टर्स की पूरी बादशाहत हो गई। वह जाकर उनसे कहेंगे कि साहब, देखिये फलां अफसर ने आपको मुकर्रर किया है, अब तो आप बिल्कुल सरकारी आदमी हो। अगर वोट का प्रश्न आयेगा तो वह उनसे कहेंगे कि तुम फलां आदमी को वोट दो। हमारा तो यह ऐसा तजुर्बा कहता है कि

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

जो पंचायत राज इंसपेक्टर्स है वह और जिले के अन्दर सत्यानाश करते हैं इन पंचायतों का। यह कभी ग्राम सभाओं में नहीं जाते है, और जगह जाते होंगे, मुझे दूसरी जगहों का तजुर्बा नहीं है, पर मेरे जिले के अन्दर जो पंचायत राज इंस्पेक्टर्स है उनका काम यह है कि अदालती पंचायत जब बैठती है तो उसके पास बैठे रहते है। ग्राम सभाओं में वह नहीं जाते है। ग्राम के विकास में इन्हें ज्यादा इन्टरेस्ट नहीं है। इनका तो इसी मे इन्टरेस्ट होता है कि गांव पंचायत मे कोई मुकदमा हुआ तो किसे सजा कराये और किसे छुड़ाये। यह भी हमारा तजुर्बा है कि पंचायत राज इंस्पेक्टरों को एक मौका और मिल जायगा अगर इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या और किसी अधिकारी को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मुकर्रर किया जायगा जो जनता के लिए कहा जाता है कि अब उसको स्वराज्य मिल गया है, यह तो तुरन्त राज्य हो गया है, यह राज्य उसका न रह कर प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी का राज्य हो जायगा।

माननीय पद्मनाथ सिह जी ने जो मेरा मकसद था उसको ज्यादा साफ किया कि अगर प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी की डेफीनीशन हो जाती तो पता चल जाता कि प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी कौन होगा। हमे शक है इस बात का कि यहां पर जो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी लिखा गया है, हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही हो। हमारे इस सदन में कांग्रेस का बहुमत है। तो कहीं ऐसा ही न हो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही लाकर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रख दिया जाय। हमे इस बात का शक है।

जहां तक माननीय शिवनारायण जी का सवाल है मुझे यह कहने में बड़ा दुःख होता है कि उन्होंने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जज का नाम सुना और जज पर ही कहते रहे। कहने लगे कि बकवास हो रही है। जैसे वह बकवास करते है वैसे दूसरों के लिये समझते है कि बकवास करते है। लेकिन मै उनके रास्ते में रोड़ा नहीं डालना चाहता। वह किसी उम्मीद में है। उनकी वह उम्मीद कायम रहे और उनको मिलेगी । इन्तजार का फायदा मिलता ही है। इसलिये मै उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह देना चाहता हूं। माननीय मिश्र जी ने बेबुनियाद और न मालूम कितने इसी प्रकार के शब्द कह डाले इस संशोधन पर, वे शब्द मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कह डाली जिसकी तलाश में ही मैं था। हम सोच रहे थे कि राजनारायण जी को तंग करने का क्या कारण है। क्यों राजनारायण जी को जेल में बिना किसी अपराध के बन्द किया जा रहा है? अब पता चला जब कि माननीय मिश्र जी ने कहा कि मिर्जापुर में माननीय राजनारायण जी की और माननीय चरणसिंह जी की लड़ाई हो गयी थी। वहां पर माननीय चरण सिंह जी की नहीं चली। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इसका जिक्र उन्होंने कर दिया इसलिए मै कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैने तो उनको भी मना कर दिया था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—पाप तो खुल ही जाता है। अब पता लगा कि माननीय राजनारायण जी को क्यों तंग किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि माननीय चरणसिंह...

श्री उपाध्यक्ष—यह बात नामुनासिब होगी। इस पर माननीय सदस्य कुछ न कहें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जो कुछ और बातें माननीय व्रजभूषण जी ने कहीं मेरी समझ में नहीं आयी कि कैसे इस पर नहीं लागू हो सकता। उन्होंने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया। यह तो कह दिया यह तो लगता ही नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कोई व्यक्ति होगा। जब डेफिनीशन होगी जब रूल्स बनेंगे तो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी किसी को बनाया ही जायगा। मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि रूल्स में यह बात रखी जाय, कि प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी क्या चीज है कम से कम जहां तक गांव पंचायतों में मेम्बरों को नामिनेट करने का सवाल है उस मौके पर प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी को हटा दिया जाय। मैं तो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी की डेफिनीशन भी नहीं चाहता। मैं तो इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को हटाना ही चाहता हूं। इसकी जगह में चाहता हूं कि एक कमेटी रखी जाय जिसके चेयरमैन जज हों, जिसका सेक्रेटरी पंचायत राज इंस्पेक्टर हो और जिसके मेम्बर गांव सभाओं के सभापति हों।

माननीय शिवनारायण जी का भाषण डेमोक्रेसी पर भी सुन लिया। मैं कहता हूं कि यही डेमोक्रेसी है। असली यही जड़ है जहां से डेमोक्रेसी पनपने वाली है। जो हर वोट देने वाले हैं, जिनकी हम यहां पर सेवा करने आये हैं जिस जनता ने हमें यहां भेजा है कि हम कानून बनायें, उसी जनता को हम उसके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। यही डेमोक्रेसी है? हम ऐसे अधिकार नहीं देना चाहते कि जिन्होंने हमको यहां छांटकर भेज दिया उस जनता के अधिकारों पर हम आक्षेप करें। एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी वाला

और मैं तो चाहता हूं कि यह हट जाना चाहिये और अगर नहीं हटता तो वहां ऐसे लोग होने चाहिये जिन पर किसी राजनीति का असर न हो, पोलिटिक्स पर जिनका कोई असर न हो। वे ही ..ग उनको मुकर्रर कर सकते हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी, जिनको मैंने अभी तक सुना नहीं, इनको सुनने के बा. जो उचित बात होगी वह कहेंगे और जो उचित होगा वह स्वीकार करेंगे।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जितनी बहस हुई, उसमें बहुत सा तो इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। मैं इस समय यह मुनासिब नहीं समझता कि जबकि एक संशोधन पर विचार हो रहा हो, किसी एक ऐसे प्रश्न को लाया जाय और उसको तय करना कि वह सही हो रहा है या गलत, जबकि उस पर बहस नहीं है और जबकि न कोई उसका नोटिस है और न उसके हक में या उसके खिलाफ कोई अवसर है। ऐसी जगह या नाम लेकर कुछ कहना मुझे ग़लत मालूम होता है और इसलिये मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। उसका सही अवसर होगा, जब वह मामला आये, जब उस पर विचार हो और जो उसके हक में या खिलाफ फैसला हो। इसलिये राजनारायण जी का या कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का नाम लेना मैं बिल्कुल गलत समझता हूं और न मैं इसके सम्बन्ध में कोई राय देना चाहता हूं या जिक्र करना चाहता हूं, या यह समझता हूं कि इसमें जो राजनारायण जी का या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का नाम लिया गया....

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मिर्जापुर के बारे में क्या खयाल है?

श्री मोहनलाल गौतम—मिर्जापुर का तो एक खास वाक़या था, उसके सम्बन्ध में जो कहा गया और उसी के कांटिनुएशन में जो ग़लती चली जा रही है, जो इससे सम्बन्ध नहीं रखती, उन बातों पर मैं अपने विचार इस समय प्रकट करना नहीं चाहता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

अब बहुत से डेमोक्रेसी के और दूसरे सिद्धान्त कहे गये। इस वक्त जबकि परिवर्तन का संशोधन माननीय विष्णुदयाल जी का था, उसमे एक सिद्धान्त की बात थी कि न्याय पंचायत के पंच नामजद हों या चुने जायं। चुने जायं तो प्रतिनिधियों द्वारा चुने जायं। वह एक सिद्धान्त की बात हो सकती थी। लेकिन अब सिद्धान्त की बात कोई नहीं। सवाल यह है कि नामजद भी किये जायं. अप्वाइंट किये जायं, सेलेक्ट किये जायं, लेकिन कौन करे, यह बहस है। इसलिये जितनी सिद्धान्त वगैरा, या डेमोक्रेसी की बाते कही गई वह भी इस समय बेकार है और उनका उत्तर देने की भी मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अब प्रश्न यह है कि जो मदनमोहन जी ने एक प्रेस्काइब्ड को डिफाइन करने की कोशिश की है वह क्या है :

"The committee consisting of the (a) District Judge who shall be the Chairman of the Committee, (b) District Panchayat Raj Officer as Secretary (c) all the Pradhans of the Gaon Sabhas of the area of the Nyaya Panchayat, as members."

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगो ने सरकारी अफसरों की बुराई की, उन्होंने खुद ही अपने आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अफसर को सेक्रेटरी बना कर उसका जवाब दे दिया और उन पर विश्वास प्रकट करके कह दिया कि जितनी उन्होंने दलीले दी थीं वह सब बेकार थीं। इंसपेक्टरों की बुराई की गयी। हो सकता था कि किसी खास क्षेत्र की जलवायु ऐसी हो कि वहां के रहने वालों पर कोई खास असर पड़ता हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पंचायत राज अफसर सिर्फ न्याय पंचायतों पर बैठ कर ही अपना काम नहीं करते। उनको और बहुत से काम करने पड़ते हैं, उनकी रिपोर्टें आती हैं, और जब सेक्रेटरी होगा तो वह इंस्पेक्टरों की बात मानेगा ही। तो जितनी बाते इंस्पेक्टरों वगैरह की कही गयीं उनका जवाब स्वयं दे दिया गया और उसके अलावा जो बाते कही गयीं वह वहम के तौर पर कह रहे हैं।

तो इसमे ये चीजें जो इधर-उधर की हैं। असल सवाल यह है कि जो कमेटी माननीय उपाध्याय जी ने इसमें बनायी है उसका क्या रूप है। उसका रूप यह है कि अगर ८,४०० न्याय पंचायतें हैं तो उसके अनुसार ८,४०० कमेटियां अलग-अलग हुईं और हर गांव सभा का सभापति उसका मेम्बर होगा। अगर ६५, ७० या ७५ हजार गांव सभाये हों तो ६५ हजार गांव सभाओं के सभापति इन ८,४०० प्रेस्काइब्ड अथारिटीज की सिलेक्शन कमेटी के मेम्बर होंगे। अब अन्दाजा कीजिये कि जब जब वेकेन्सी होगी तब तब यह प्रेस्काइब्ड अथारिटी बैठेगी और ये ६५,००० आदमियों की ८,४०० कमेटीज जो होंगी वे समय समय पर बैठा करेगी। इसका हिसाब लगाइये कि इसमे क्या खर्च बैठेगा। एक न्याय पंचायत के लिये एक कमेटी हुई जिसमे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत आफिसर सेक्रेटरी हैं और जितने सभापति हैं, वे मेम्बर हैं। जब उन्होंने न्याय पंचायतों को चुन लिया तो वह कमेटी खत्म हो गई और दूसरी कमेटी शुरू हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज्य आफिसर सेक्रेटरी हैं और सब सभापति मेम्बर्स हैं। अगर न्याय पंचायतों मे १५ से २५ तक मेम्बर रक्खे जायं तो जब कभी कोई वेकेन्सी होगी तो सब सभापति आया करेंगे और उन सबको भत्ता मिला करेगा। हम अन्दाजा नहीं कर सकते कि जितना बजट पंचायत राज्य को मिलेगा वह सब प्रेस्काइब्ड अथारिटी के भत्ते में ही समाप्त हो जायगा या कुछ बाकी भी रहेगा। इतने गलत तरीके का यह सुझाव है जिसको मैं नहीं समझ सकता। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय उपाध्याय जी इसको वापस ले लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैंने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की कोई परिभाषा नहीं है की हूं। जहां तक पंचों के मुकर्रर करने का सवाल है उसी क्या से मैंने इस संशोधन को रक्खा है। माननीय मंत्री जी यह गलत समझे कि मैंने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को कोई परिभाषा की है। ५ पंचों को मुकर्रर करने के लिये यह कमेटी बनेगी, फिर वह खत्म हो जायगी।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं नहीं समझता कि मैंने समझने में कोई गलती की है। ये लोग चुन लिये जायंगे यह ठीक है लेकिन जब कोई वेकेन्सी होगी तो ८,४०० न्याय-पंचायतों में जो २०-२० या २५-२५ आदमी होंगे जो दो लाख से ज्यादा होंगे, जो सदस्य होंगे न्याय पंचायतों के, उनकी मीटिंग्स हुआ करेंगी और उसमें डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन होगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज्य आफिसर सेक्रेटरी और उस क्षेत्र की ग्राम सभाओं के सभापति उसके सदस्य होंगे। ये सब बैठ कर उस वेकेन्सी के लिये फिर मेम्बर चुनेंगे। लिहाजा मैं गलत नहीं समझा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12-A में शब्द "Prescribed authority" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं

"a committee consisting of the (a) District Judge who shall be the Chairman of the Committee, (b) District Panchayat Raj Officer as Secretary, (c) all the Pradhans of the Gaon Sabhas of the area of the Nyaya Panchayat, as members."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

* महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन को इस संशोधित रूप में पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ के अन्तर्गत 12-A के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after those persons elected by the Gaon Sabha have from amongst themselves elected five persons or such lesser number as aforeasid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat.

*श्री मोहनलाल गौतम—यह संशोधन इतना लम्बा है कि मेरी समझ में अभी नहीं आया है, इसलिये मेरे लिये उस पर राय देना कठिन होगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं उसकी कापी आपके पास भेज देता हूं। जहां तक इस संशोधन का तात्पर्य है उसमें और जो माननीय मंत्री महोदय ने इस धारा में प्राविजन कर रखा है उसमें दो विशेष अन्तर है। माननीय मंत्री महोदय की इच्छा यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा न्याय पंच की नियुक्ति हो। उसमें मैंने आपत्ति उठायी है और मैंने यह सुझाव पेश किया है कि बजाय प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा इनकी नियुक्ति करने से यह उचित होगा कि जिन सदस्यों को गांव सभा में न्याय पंचायत के लिये छूट हो वह स्वयं आपस में बैठकर पंचों का चुनाव करें यानी जैसा कि मंत्री महोदय के विचार के अनुसार एलेक्शन हो रहा है तो मेरा सुझाव यह है कि उस एलेक्शन से इन्डाइरेक्ट एलेक्शन किया जाय।

दूसरा अन्तर यह है कि वह एक कंप्रोमाइज की शक्ल माननीय मंत्री महोदय के सामने रखी है क्योंकि मंत्री महोदय अभी तक पंचायत राज के सम्बन्ध में उतना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिये कि माननीय मंत्री महोदय बराबर यह कहते हैं कि अभी तक आम जनता इस योग्य नहीं है कि उनके हाथ में उनके चुनाव को छोड़ दिया जाय। मेरी राय में अगर उनके चुनाव को उनके हाथ में छोड़ दिया जाय तो सम्भवतः वह पूरे मेम्बर चुने जा सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और इस क्रम में जो दलील होगी वह बेकार होगी।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—यदि माननीय मंत्री महोदय ने इसको नहीं कहा है तो मैं उसको वापस लेता हूं। किन्तु इस विधेयक को पढ़ कर यह स्पष्ट होता है कि माननीय मंत्री महोदय को आम जनता पर भरोसा नहीं है। यहां पर मैंने यह कम्प्रोमाइज का फार्मूला पेश किया है और मेरी यह मंशा है कि यदि किसी कारण मंत्री महोदय या उनका विभाग ......

श्री शिवनारायण—प्वाइन्ट आफ आर्डर, नम्बर ४६ पर श्री विष्णुदयाल जी का जो संशोधन है वह बिल्कुल ऐसा ही है।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो मंजूर नहीं हुआ है।

श्री शिवनारायण—वह तो वैसा ही है और अभी पेश भी नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं यह सब्स्टीटयूशन के लिये प्रस्ताव है।

श्री शिवनारायण—दोबारा किस तरह पेश हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—इतना ही नहीं है। दूसरी चीज भी रखने के लिये यह है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—माननीय शिवनारायण जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है उसका सूक्ष्म उत्तर देने की मैं आवश्यकता समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जैसा मैं कह रहा था मेरे सुझाव में एक कम्प्रोमाईज फार्मूला पेश किया गया है जो कि श्री तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन में नहीं है वह यह कि जिन पंचों का चुनाव गांव सभा से नियुक्त गांव पंचायत करे उसको माननीय मंत्री महोदय की प्रेस्क्राइब्ड अथोरिटी कनफर्म और एप्रूव करे तब चुनाव माना जाय। इसलिये मैं माननीय शिवनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आराम से बैठें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि प्रश्न केवल एक ही है और वह है सिद्धान्त का और वह यह कि उनकी नियुक्ति हो या चुनाव द्वारा पंच बनाये जायं। मैं यह मानता हूं कि जो संशोधन माननीय उपाध्याय जी ने पेश किया है वह एक जरिया है कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी किस तरह की बने। इतना उसमें भी है कि नियुक्ति की प्रथा अपनायी जायगी। मैं समझता हूं कि उससे अधिक अन्तर नहीं आता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त करे या डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त करे या पंचायत आफिसर नियुक्त कराये या चाहे माननीय मंत्री जी ही स्वयं 'नियुक्त क्यों न करें, मैं समझता हूं सब एक ही श्रेणी के हैं। प्रश्न यह है कि सिद्धान्त रूप में से पंचों की नियुक्ति होना उचित है या अनुचित या सिद्धान्त रूप से चुनाव होना उचित है

या अनुचित। मेरा जहां तक मत है मै इस दृढ़ विश्वास का हूं कि यदि पंचायत राज सफल बनाने की वास्तविक कोशिश है और यदि यह इच्छा है कि जनता में पंचायत राज जैसा एक इस्टीट्यूशन बने तो उसके बीच मे कोई ऐसी चीज न होनी चाहिये जो सरकार द्वारा थोपी जाय। मै तो यह मानता हूं कि जनता को पूर्ण रूप से अधिकार देने चाहिये और अगर यह संभव न हो सके तो जितना भी हो सके कम रिजर्वेशन के साथ उसको वे अधिकार दिये जाने चाहिये। जहां तक पंचायत राज का सम्बन्ध है माननीय मंत्री जी को जहां तक हो सके अधिक से अधिक अधिकार जनता को देने चाहिये ताकि जनता उसमे भाग ले सके और जनता का यह इंस्टीट्यूशन सफल हो।

पंचों के चुनाव के सम्बन्ध में एक बात मुख्य रूप से और हमेशा कही जाती है और हमेशा एक ही दलील दी जाती है कि कहीं भी यह प्रथा नहीं पायी जाती है कि पंच अथवा जुडिशियरी इलेक्टेड हो। बहुत कुछ हद तक यह बात सही है। मन्त्री महोदय को मालूम है कि हाईकोर्ट आफ पार्लियामेंट है, हालांकि उसकी बैठक कभी कभी होती है, वह इलेक्टेड बाडी है। लेकिन वह इलेक्टेड बाडी होने के बावजूद भी जुडिशयरी का हाइएस्ट अंग माना जाता है मगर इसके होते हुए भी मै यह मानने के लिये तैयार हूं कि जहां तक हो सके जुडीशियरी इलेक्टेड नहीं होनी चाहिये। इस बात का जिक्र करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मै अपने ही विरुद्ध बात कह रहा हूं। किन्तु मै समझता हू कि यह बात नहीं है और जुडीशियरी के ऐक्ट न होने का एक ही मुख्य कारण है और वह यह है कि जो व्यक्ति कल एक लिटिगेट की हैसियत से उस जुडिशियरी के सामने जायेगा उस व्यक्ति का चुना हुआ वह पंच न हो। यानी जहां तक हो सके सम्भावना को बचाया जाय कि कल उसी पंच के सामने वही व्यक्ति एक लिटिगेट की सूरत मे आवे। जो सुझाव मैंने माननीय मंत्री महोदय के सामने रखा है उससे यह सम्भावना बहुत हद तक दूर हो जाती है। मेरे सुझाव के अनुसार केवल मात्र ३० या ३५ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके द्वारा पंचों का चुनाव होगा। हो सकता है कि इनका मामला इन पंचों के सामने आवे और ऐसी अवस्था में जो कहा जाता है कि उसके खिलाफ वे जायं, किन्तु मै समझता हूं कि अगर ३० या ३५ व्यक्तियों के मामले के आने की सम्भावना के कारण आदि हम इस नियुक्ति के सिद्धांत को अपनाये तो वह एक बहुत ही गलत बात है। जहां तक मै देख सकता हूं इन डाइरेक्ट एलेक्शन के द्वारा पंचों का चुनाव करने में न केवल जनता का उन पंचों के ऊपर विश्वास होगा बल्कि साथ ही साथ वह दुष्टपरिणाम भी दूर हो जायगा जो कि एक नामिनेटेड व्यक्ति और इस जनतांत्रिक राज्य द्वारा छांटे हुए लोगों के बीच मे काम कराने की चेष्टा की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमारा यह भी कहना आवश्यक है कि यदि मंत्री महोदय मेरे इस कम्प्रोमाइज फार्मूले को नहीं मानेंगे क्योंकि इसको मानने न मानने को तो उनको अधिकार है, हमे केवल सुझाव देने का ही अधिकार है। तो मै यह कहता हूं कि यदि मंत्री महोदय इस फार्मूले को स्वीकार करते हैं तो जहां तक मै देख सकता हूं उससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि मंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध मे नियुक्ति करने के लिए कोई विशेष कारण है। एक कारण जो मैंने कहा कि एलेक्शन के खिलाफ बारम्बार कहा जाता है और केवल यही कारण है कि यह संशोधन आया और एलेक्शन की बुराई बतलायी गयी। जुडिशिअरी का एलेक्ट होना ठीक नहीं है इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया है। एक और कारण बतलाया गया है कि यदि उनको यह अधिकार दे दिया जाय तो सम्भव है कि अनुचित व्यक्ति पंच बन जाय। तो जो मैने मंत्री महोदय की सेवा में कम्प्रोमाइज संशोधन प्रस्तुत किया है उससे ये दोनों आपत्तियां दूर होती हैं। जुडिशिअरी का एलेक्ट होना तो मैं मानता हूं कि अनुचित है किन्तु जिस रूप में अब पंच गण एलेक्ट होंगे उस रूप मे जुडिशियरी के एलेक्ट होने की बुरायी दूर हो जाय और जहां तक सम्भव है बुरे लोग पंचों में से छुट जायं। यह अधिकार प्रेस्काइब्ड अथारिटी के हाथ में देने से जो पंचों के चुनाव में माननीय मंत्री महोदय को प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है वह इस कम्प्रोमाइज फार्मूले से काफी हद तक हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

[[illegible]]

माननीय [illegible] जी के संशोधन का विरोध करते हुए किसी व्यक्ति ने अपने भाषण में [illegible] होना चाहिए कि जहां तक हो सके जजेज को पोलिटिक्स से दूर रखा [illegible] कि वह किस आधार पर उन्होंने कहा। क्या इससे मैं यह समझूं कि [illegible] का एक षडयंत्र बनाया जा रहा है? मैं तो समझता था कि पंचायत राज [illegible] इन दोनों का कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है। किन्तु एक सदस्य का [illegible] ऐसा कहना कि जजों को पंचायत राज की पालिटिक्स से दूर [illegible] है कि इसमें भी पालिटिक्स की बात है। यदि इस समय नहीं तो [illegible] षडयंत्र बनाने का जरिया रखा गया है। हालांकि मैं ऐसा [illegible] हूं कि मंत्री महोदय ने जब से इस विभाग को अपने हाथ में लिया [illegible] उनका यह मुख्य कर्तव्य और सिद्धांत है कि जहां तक हो सके पंचायत राज को [illegible] जनप्रिय संस्था और इन्सटीट्यूशन बनाया जाय। इसको जनप्रिय बनाने के सम्बन्ध में कई [illegible] हो सकती हैं। मैं एक भावना से ही प्रेरित होकर कुछ कह रहा हूं और [illegible] हूं कि मंत्री जी मेरे विचार से सहमत न हों किन्तु यह कहना कि जनतंत्र राज्य में [illegible] कि वह मंत्री को नियुक्त करके उन पर विश्वास करेगी, मैं समझता हूं कि यह भूल की बात होगी।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ उस बात की भी चर्चा करूंगा कि हम इन न्याय पंचायतों से क्या [illegible] हैं। यहां मैं दुर्भाग्य से मंत्री महोदय के सामने एक तुच्छ व्यक्ति हूं परन्तु [illegible] इस सम्बन्ध में [illegible] विचार रखता हूं। मंत्री जी के विधेयक को पढ़ते समय यह [illegible] होता है कि जहां तक न्याय पंचायतों का सम्बन्ध है मंत्री महोदय उनको न्याय की [illegible] का एक अंग समझते हैं यानी जैसे एक सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाईकोर्ट है और [illegible] सीढ़ी बनी कोर्ट आफ जूडीकेचर होता है उसी तरह से मंत्री महोदय ने इन पंचायतों को ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का अंग माना है। हो सकता है कि उनका विचार सही हो और यह भी सही हो कि मंत्री महोदय अपने पिछले तीन या चार साल के अनुभव के अनुसार यह विधेयक लाये हों और मेरा अनुभव पूर्ण प्रदेश के सम्बन्ध में कम हो

(इस समय ४ बजे माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

परन्तु जो कुछ भी मेरा अनुभव है उसका भी इस सदन में जिक्र कर देना उचित [illegible] हूं किन्तु इस विषय में मैं यदि घमंड से नहीं तो गौरव से कहता हूं कि सूबे के पंचायत राज [illegible] शासन की जो प्रणाली चलायी गयी उससे पहले ही टेहरी गढ़वाल में पंचायत राज चलाया गया था और हालांकि जैसा कि होता ही है उस समय के वातावरण में और इस समय के वातावरण में बहुत अन्तर है फिर भी मैं इतना जिक्र तो कर देना चाहता हूं कि वहां की न्याय पंचायतों की जो भावना थी और जो [illegible] का आदर्श था उसमें इस विधेयक की जो भावना है वह बिलकुल विभिन्न है इतना तो कहा ही जा सकता है। मेरा विश्वास है कि यह पंचायत राज की न्याय पंचायतें कोई कोर्ट नहीं हैं कचहरी नहीं हैं। वह तो ऐसी संस्थायें हैं जहां पर दो व्यक्ति चाहे भाई-भाई क्यों न हों, अगर उनमें झगड़ा हो जाय तो वह जा कर फैसला नहीं मांगते। वह चाहते हैं कि वहां समझौता, राजीनामा या कम्प्रोमाइज हो जाय, चाहे वह क़ानून के अनुसार गलत ही क्यों न हो। वह एक रेडी [illegible] रफ फैसला चाहते हैं चाहे वह कैसा भी हो लेकिन दोनों को सन्तुष्ट करने वाला हो। जो रीति मंत्री महोदय ने इसमें अपनायी है जिसके अनुसार फार्मेलिटीज आफ कोर्ट पोमोज्योर अपनाया गया है, जिसके अनुसार राइट आफ अपील दी गयी है उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कुछ दिनों पश्चात्, कल नहीं, साल भर पश्चात् नहीं, १० साल पश्चात् यह न्याय पंचायतें मंत्री महोदय के हाथ से निकल कर माननीय न्याय मंत्री के हाथ में दे दी जायेंगी और मैं समझता हूं यदि ऐसा होगा तो यह पंचायत राज्य के हित

के लिये बहुत बुरी बात होगी। मेरा तो यह विश्वास है कि न्याय पंचायत पंचायत राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है और न्याय पंचायतों से यह आशा करना कि जिस रफ्तार से हम यहां कानून बनाते जाते हैं और उन कानूनों का वहां वे इंटरप्रिटेशन करें या उन कानूनों के ग्मीज्योर में फंसकर ऐकेडेमिक और लिटरेरी जजमेंट दे यह हमारी तरफ से मूर्खता होगी। बारम्बार मेरी यही सिफारिश होगी कि हमारा यह कहना और यह सोचना अनुचित होगा कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह पंच बनने के योग्य नहीं है। पढ़ना और जनता का विश्वास प्राप्त होना यह दोनों बातें ऐसी नहीं हैं जो साथ-साथ नहीं पायी जा सकतीं। यह कुछ हद तक पाया जाता है कि व्यक्ति पढ़ा न हो फिर भी जनता पूर्ण रूप से अन्धविश्वास तक करने के लिये तैयार हो। ऐसा व्यक्ति मैं पूछता हूं कि जिस रूप से न्याय पंचायत की प्रणाली बनी है अनपढ़ा हो किन्तु जनप्रिय, जनता का विश्वास प्राप्त व्यक्ति न्याय पंचायत से वंचित रखा जाय, जानबूझकर नहीं किन्तु एक ऐसी रीति अपनाकर जिसकी वजह से उसका वहां आना असम्भव हो जाय मैं समझता हूं गलत है।

मैं अब अधिक न कह कर यह आशा करता हूं कि मैंने जो कम्प्रोमाइज का सजेशन दिया है उसको स्वीकार करेंगे लेकिन मुझे शुबहा है कि मंत्री महोदय के कुछ विशेष कारण हैं जिनसे वह चाहेंगे कि वह स्वीकार न किया जाय। मैं नहीं जानता कि ये कारण क्या हैं। हो सकता है कि उनको बात वजनी हो तो भी मैं कहूंगा कि वे कारण इतने वजनी कभी नहीं हो सकते जितना भार मंत्री महोदय ने लिया है कि पंचायत राज को जनता का एक इंस्टीट्यूशन बनाये न कि सरकार द्वारा जनता के बीच एक इंस्टीट्यूशन रखा गया हो जिसको जनता चाहे माने या न माने जनता को मानना ही पड़ेगा।

***श्री सुरेश प्रकाश सिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भवन के सामने उपस्थित संशोधन के समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त था कि सरकार द्वारा बैठायी गयी कमेटी जिसमें रिपोर्ट इस अमेंडिंग बिल पर दी थी उसमें मैं हूं और करीब साल भर से नैनीताल से मैं इस सेलेक्शन और एलेक्शन के चक्कर में था और मुझे कोई सल्यूशन न मिल रहा था। पंचायत राज के आलोचक जितने थे उनका यह कहना था कि जुडीशियरी एलेक्टेड नहीं होनी चाहिए और अगर कोई चीज पंचायत राज्य में एलेक्टेट न हो और हर चीज एप्वाइंटेड हो तो वह पंचायत राज्य की जान निकाल देता था, पंचायतराज कुछ रह नहीं जाता था और इसी चक्कर में हम लोग पड़े हुए थे और साल्यूशन निकालना चाहते थे। सरकार ने उन आलोचकों के प्वाइन्ट्स को कुछ मीट करना चाहा और एक प्रकार का कम्प्रोमाइज सामने रक्खा गया कि यह सेलेक्शन और एलेक्शन दोनों इसमें हो जाय और यह किया गया कि ३५ आदमी या ४० आदमी जितनों की गांव पंचायत में आवश्यकता हो उनसे ५ आदमी अधिक चुने जायं और उसके प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनका एप्वाइन्टमेंट करे। मुझे खेद है श्रीमन्, कि उस समय जबकि यह लिखा हुआ था कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगी और वह ३५ आदमियों में से ५ को एप्वाइन्ट करेगा, उस वक्त हमारे सामने एक स्पष्ट चीज थी। हो सकता था कि भवन इसको पसन्द न करता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार क्यों दिया गया परन्तु एक स्पष्ट चीज हमारे सामने थी। अब श्रीमन् दूसरे रूप में यह विधेयक हमारे सामने आया है जिसमें एक स्पष्ट चीज को निकाल कर एक अस्पष्ट चीज को सामने लाया गया है कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी उनको एप्वाइन्ट करेगी।

श्रीमन्, मुझे आपत्ति यह है कि मैं यह नहीं समझ सका कि आखिर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आखिर कौन होगी, कहां से आयेगी और वह कौन सी चिड़िया है और वह किस आसमान से आयेगी। या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी या एस०डी०ओ० हो,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

तहसीलदार हो और ईश्वर न करे कि कहीं थानेदार साहब हो जायं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कोई भी इनमें से प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी हो उसको इस बात की कैसे जानकारी हो सकती है कि इस गांव के सुरेश प्रकाश सिंह किस तरह के आदमी हैं। यह बात उनको कैसे मालूम हो सकती है ? इसके लिये अनिवार्य हो जाता है श्रीमन्, कि किसी से वह सलाह-मशविरा करें। अगर किसी एम० एल० ए० से सलाह-मशविरा करते हैं तो यह उचित नहीं मालूम होता है, अगर अपने दोस्तों से सलाह-मशविरा करते है तो वह भी उचित नहीं मालूम होता इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि एस०डी०ओ० साहब तहसीलदार साहब से रिपोर्ट मांगें और फिर तहसीलदार साहब थानेदार साहब से रिपोर्ट मांगें कि इन ३५ आदमियों में कौन से ५ आदमी भले हैं।

अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी बात और भी अनुचित हो सकती है। वह यह है कि हम लोग परेशान किये जाते हैं कि साहब चलिये आप सिफारिश कर दीजिये चलकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब से वर्ना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब क्या जानेंगे कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। उनको क्या मालूम कि कहां की कैसी परिस्थितियां हैं। इसलिये श्रीमन्, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं रक्खा जाता है तो फिर प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी कौन होगा ?

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि अच्छा यह होगा कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी वही हो जो कि उस गांव का हो, जो उसी क्षेत्र का हो और जो तजुर्बेकार हो। जैसे अगर कोई बुड्ढा हो जाय तो वह तजुर्बेकार होगा और वह जानता होगा कि यहां ३५ आदमियों में कौन किस तरह का व्यक्ति है। परन्तु श्रीमन्, यह सुझाव भी उतना ही अनवर्केबिल है जैसा कि अभी एक संशोधन के लिये कहा गया। क्योंकि फिर उसमें कैसे छांटा जाता कि कौन सा बुड्ढा जानकार है। फिर उसमें उम्र की भी क्वालीफिकेशन रक्खी जाती कि ७० वर्ष का हो या ६० वर्ष का हो या ४५ वर्ष का हो मुमकिन था कि कहीं उस उम्र का बुड्ढा न मिलता यह भी उसमें एक दिक्कत पड़ती इसलिए श्रीमन्, यह भी उतना ही अनवर्केबिल है जितने कि यहां पर और भी कई संशोधन आ चुके हैं।

मुझे खुशी है श्रीमन्, और मैं समझता हूं कि इस भवन को कृतज्ञ होना चाहिये श्री बालेन्दुशाह जी का कि उन्होंने एक ऐसा साल्यूशन निकाला है जोकि उन आलोचकों के प्वाइन्ट्स को भी मीट करता है और सरकार के प्वाइंट को भी मीट करता है। यह एक किस्म से कम्प्रोमाइजिंग फारमूला रक्खा गया है जिसमें सेलेक्शन भी है, एलेक्शन भी है। यानी डाइरेक्ट एलेक्शन हो करके इनडाइरेक्ट एलेक्शन है और उसके बाद फिर प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी के द्वारा सेलेक्शन भी हो जाता है। उन्होंने यह कहा कि गांव सभा द्वारा चुने हुए गांव पंचायत के लोग अपने में से न्याय पंचायत के लिए ५ आदमियों को चुन लेंगे और उनका कन्फरमेशन प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी करेगी। तो जब ५ आदमी चुन लिये जायेंगे वह कन्फरमेशन के लिए प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी के पास जायेंगे उस वक्त प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी के लिए आसान हो जायगा कि वह पता लगा लें कि यह ५ आदमी जो चुने हुए हैं ३५ आदमियों में से वह किस तरह के हैं। वैसे ३५ आदमियों में से ५ आदमियों को चुनने से सारी जिम्मेदारी सरकार पर आ जायगी और अगर कहीं काम खराब हुआ तो जनता कहेगी कि हम क्या करें, इनको सरकार ने हमारे ऊपर लादा था। सरकार द्वारा यह जो लादे गये पंच हैं हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। तो क्यों न ऐसा किया जाय कि इन लोगों को चुनने का भार गांव वालों पर छोड़ दें कि जिसको वे पसन्द कर चुन लें। ५,७ साल हो गये पिछले चुनाव को लोग देख चुके हैं कि उन्होंने जो गलतियां की कितनी तकलीफ हुयी। लोग जान चुके हैं कि अगर उन्हीं गलत आदमियों को चुना गया तो नुकसान होगा और फिर ऐसा करें तो कम से कम और हम सरकार के साथी जो हैं वह यह कहेंगे कि एक अमल का मौका मिला तुमने गलत आदमी को चुना। फिर मौका दे दिया फिर गलत आदमी को चुना तो सरकार क्या करे। तो श्रीमन्, अगर प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी ५ आदमियों को चुनती

है और मुझे आशंका है कि अवश्य यह बात होगी कि पांच आदमी अनुचित ले लिये जायेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए ३५ आदमियो के ब्लाक मे से हर एक की जानकारी रखना कठिन है। तो बड़ी भारी रेस्पासिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की है और फिर गांव वाले कहने लग जायेंगे कि सरकार ने हमारे ऊपर ५ आदमियों को लाद दिया है जो अन्याय करते हैं अत्याचार करते हैं। तो श्रीमन्, जो सुझाव इस समय इस संशोधन द्वारा लाया गया है उसमें तो यह है कि ३५ का चुनाव गांव वाले करेंगे। फिर यह ३५ बैठकर ५ आदमियों को चुन लेंगे और इन ५ का कनफरमेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट.....

श्री अध्यक्ष—यह ३५ मे से ५ तो नहीं होंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—इन्हीं मे से होंगे।

श्री अध्यक्ष—गांव सभा चुनेगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—गांव सभा चुनेगी ३० या ३५ को और वही अपने में से ५ को चुन ले।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं है। मेरे पास जो संशोधन है उसमे यह है कि—

"the members prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after those persons elected by the Gaon Sabha from amongst themselves"

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, यदि आज्ञा हो तो स्पष्ट कर दूं। जो संशोधन दिया था उसको थोड़े में परिवर्तित करके पेश किया था।

श्री अध्यक्ष—उसका करेक्ट फार्म मेरे पास भेज दीजिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—तो श्रीमन्, इस संशोधन का सुझाव यह है कि ३०,३५ सदस्य चुने जायेंगे गांव सभा द्वारा और वे अपने मे से ५ को चुन लें ग्राम पंचायत के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के सर से हटी। जिम्मेदारी फिर गांव वालों पर है। ठीक इसी प्रकार धमकी से या नाजायज दबाव से इन ५ में कोई अनुचित व्यक्ति तो नहीं आया है इसकी छटनी इस संशोधन में रखी गयी है। श्रीमन्, मै आपके द्वारा निवेदन करूंगा सरकार से.....

श्री अध्यक्ष—मै यह जानना चाहूंगा कि उसमें और श्री विष्णुदयाल वर्मा के संशोधन में क्या फर्क रहा। उसमें भी तो यह था कि 'elected members have elected' और 'co-opted' वर्ड नहीं था। इलेक्टेड मेम्बर्स ने ५ को चुना क्या यही उसमें था ?

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उसमें कोआप्शन था।

श्री अध्यक्ष—कोआप्शन उसमे नही था।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उनके अमेंडमेंट मे जो ५ हैं वही हो जाते पंचायत के मेम्बर और इसमे जब तक कि कनफर्मेशन बाई प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न हो तब तक वे पांच भी नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष—यह भी है इसमे ? ठीक है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—तो इसलिये श्रीमन्, मै निवेदन कर रहा था आपके द्वारा सरकार के सर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठ जाती है। जिम्मेदारी फिर उन्हीं गांव वालों पर पड़ती है जो कि असलियत में पड़नी चाहिये थी और हमारे पास चेक भी है कि कोई अनुचित व्यक्ति न आ जाय और वह यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा यह ५ व्यक्ति कनफर्म

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

किये जायं। इसलिए श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सरकार को यह एक बहुत अच्छा साल्यूशन मिला है जो काम्प्रोमाइज भी चाहता है और जितनी उलझनें और जितने झंझट इस प्रश्न पर उनके सामने थे उनको देखते हुए मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को मान लेगी जोकि माननीय बालेन्दुशाह जी ने पेश किया है।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय बालेन्दुशाह जी के संशोधन को देखा और मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि यह संशोधन उन लम्बे प्रयत्नों की एक सीढ़ी है जो जिस मंशा से पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है, उसको सैबोटाज करना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाहते हैं। दरअसल में अध्यक्ष महोदय, जहां तक न्याय अदालत का सम्बन्ध है आज प्रातः काल से इन दो सिद्धांतों में टक्कर हो रही है। कुछ लोग यह कहा करते हैं कि पंचायत अदालतों को एक चुनाव का अखाड़ा बना करके, उनको मखौल बना करके अन्ततोगत्वा खत्म कर देने की बात है। कुछ लोगों का यह ख्याल है, और वह सौभाग्य से जो इधर बैठते हैं उनका है कि जहां तक न्याय का सम्बन्ध है उसे जहां तक सम्भव हो सके चुनाव के अखाड़े से दूर रखा जाय और माननीय बालेन्दु शाह जी के इस संशोधन से तो चुनाव का एक दूसरा अखाड़ा भी खुलता है कि जो गांव सभा के चुने हुए सदस्य हों वे फिर आपस में बैठ कर सदस्यों का चुनाव करें। यानी एक चुनाव तो यह हो कि गांव सभा के सदस्य चुने जायं और उनके साथ-साथ उसमें कुछ संख्या न्याय पंचायती अदालत के सदस्यों की भी हो और दूसरा अखाड़ा यह हो कि वे बैठ कर जो संख्या न्याय पंचायत अदालत की हो उसको चुनें।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि एक दूसरा अखाड़ा पहले ही उप-प्रधान के चुनाव में बनाया जा चुका है?

श्री रामनरेश शुक्ल--अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले भी कुछ कह सकता कि मैं पहले अखाड़े को भी पसन्द नहीं करता, लेकिन यह कि दूसरा अखाड़ा भी खोल दिया जाय पहले अखाड़े के कारण यह कहां तक उचित होगा यह प्रश्न इस समय विचारणीय है और इसलिये विचारणीय है कि अगर जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक मर्तबा अपनी राय दी थी कि जहां तक न्याय का सम्बन्ध है उसमें चुनाव का होना बहुत ठीक नहीं होता, तो मौजूदा सरकार ने अपनी हाइयस्ट जुडिशियरी की राय को और जनता की भावनाओं का, दोनों का समन्वय किया है। और फिर अध्यक्ष महोदय, अगर सिद्धांत के प्रश्न को अलग रख दिया जाय तो माननीय सुरेश प्रकाश जी का यह तर्क मेरी समझ में कम से कम नहीं आता है कि यदि न्याय अदालतों में कोई बुराई होगी तो हम गांव में जाकर यह कह सकेंगे कि इसमें हमारा क्या दोष है, यह तो तुमने ही चुना है और तुम्हीं इसके जिम्मेदार हो। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आज यह सामने नहीं है और न किसी कानून बनाने वाली संस्था के सामने होना चाहिये कि जिम्मेदारी किसके कंधों पर डाली जाय, बल्कि प्रश्न यह होना चाहिये कि क़ानून ऐसा बने कि जिससे समाज के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को लाभ हो और ज्यादा से ज्यादा आदमियों को संतोष हो। तो यह तर्क जो माननीय सुरेश प्रकाश जी ने दिया है यह सम्भव है कि उन्हें अपने क्षेत्र की बात याद आती होगी कि हर एक को प्रसन्न करने की कोशिश की जाय चाहे वह सही हो या ग़लत हो और अपने को यह साबित करने का प्रयत्न किया जाय कि मैंने तो ठीक ही किया, जो कुछ गलत किया वह सरकार ने किया और अगर सरकार पर भी वह दोष नहीं साबित कर सके तो फिर यह कहा जाय कि भगवान ने किया। तो यह तर्क कम से कम कानून बनाने वाले सज्जनों को नहीं करना चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

एक हमारे लिये रास्ता खुल जायगा और न्याय अदालतों में गड़बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि तुम्हीं ने तो उनको चुना है। अब फिर से उनको चुनों। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि तजुर्बे से यह ज्ञात हुआ, अनुभव से यह पता चला कि जहां पर चुनाव हुये पंचायती अदालतों के वहां पर उस हद्द तक लाभ नहीं हो पाया जिस हद्द तक कि सरकार की मंशा थी। इस अनुभव के आधार पर और जो अपनी जुडीशियरी के बड़े-बड़े विद्वान् हैं उनकी राय जानकर यह निश्चय किया गया कि किसी तरह से चुनाव और न्याय दोनों का समन्वय किया जाय तो अच्छा हो।

अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में विरोधी दल के उस तरफ बैठने वालों ने इस मनोभावना को पहचानने की कोशिश नहीं की है और कहीं इशारा यह होता है कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी का पता कैसे चलेगा, कैसे नामजदगी की जायगी, कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है और यहां तक कि यह अंदाजा लगाना और सब से ज्यादा जो फोबिया या भूत सवार है वह यह है कि एम० एल० ए० महोदय से राय ली जायगी। अगर वह सही राय देते हैं तो इसमें क्या बुराई है और वह भी राय उसी जगह पर देंगे जहां देना उचित होगा। एम० एल० एज०, जहां तक इस तरफ के बैठने वाले हैं वह अपनी आदत को जानते हैं। दूसरी तरफ के एम० एल० एज० यदि राय नहीं दे पाते है तो शिकायतन राय जरूर दे देते हैं। राय देने और शिकायतन राय देने में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। किसी चीज को करने के लिये शिकायतन या प्रदर्शन करके करवाना, यह भी राय देने का एक रास्ता है, जहां तक मैंने समझा है। यही बात उस तरफ लगाई जाती है जिसका कोई सबूत और प्रमाण विरोधी दल नहीं दे सका है सिवाय इसके कि यहां या बाहर कह दिया। लेकिन इस बात का सबूत उनके कार्यों और भाषणों से सदैव मिलता है कि उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की है शिकायत के आधार पर।

मैं, श्री सुरेश प्रकाश जी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि उन्हें सरकार की तारीफ करना चाहिये और इस सरकार को चलाने वाली पार्टी की तारीफ करनी चाहिये, जिसमे हिम्मत है कि वह जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहती है। नामजदगी हम करना चाहते हैं, इसलिये नहीं कि आप सोचें कि कोई मतलब निकालना चाहते है। जैसा कि कहा गया है कि नामजदगी इसलिये करना चाहते हैं कि इन न्याय पंचायतों में जिनमें चुने हुये लोग आये हैं, उनसे उस हद्द तक लाभ नहीं हो सका है जिस हद्द तक कि होना चाहिये था। यह सही है कि इन पंचायती अदालतों में चुनाव के कारण दलबन्दी हुई और उसके कारण हारी हुई पार्टी की जीती हुई पार्टी ने न्याय नहीं दिया। ऐसी सूचना सरकार के पास आयी है। इसलिये जरूरी था कि कोई न कोई बंधन डाला जाय, कोई न कोई रुकावट डाली जाय। यह रुकावट सरकार ने डाली है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यदि यह संशोधन जो माननीय बालेन्दु शाह जी का है, मान लिया जाय या और भी संशोधन जो हो चुके हैं या आगे आयेंगे, उनको मान लिया जाय तो जिस मंशा से संशोधन किया जा रहा है उसका प्रमाण ही निकल जायगा। यह हवा फैलाना और इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, काल्पनिक चीजों का चित्रण करना कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी कौन होगी और होगी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगी। अभी इसका कोई भी रूप नहीं दिया गया है लेकिन एक कल्पित लक्ष्य बना कर ऐसी बातें कही गई है जिनका कोई संबंध नहीं है सिवाय इसके कि मै इतना ही कहूंगा कि हमारे विरोधी दल के कुछ सदस्यों को फोबिया हो गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम से और वह सही है अध्यक्ष महोदय, उनका फोबिया जो है उसकी वजह से वह हर जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की शिकायत करते हैं, वह उनके हित में जाता है क्योंकि आज शासन की जो सब से छोटी इकाई है प्रान्त की, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आरम्भ होती है और जो शासन को हिलाना या गिराना चाहते हैं, उन्हें जरूरत इस बात की होती है छोटी सी छोटी इकाई से ले कर बड़ी से बड़ी इकाई पर हमला करें। लेकिन जो इस शासन को चलाना चाहते हैं, समाज की सहायता करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस चीज को जानते हुये भी, समझते हुये भी....

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मै आप की इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि भाषण में जिस चीज का जिक्र भी न किया गया हो उस चीज को अपने से समझ कर उसका जवाब देना क्या ठीक है किसी माननीय सदस्य के लिये?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहुत गोल बात कह रहे हैं। मैं इसमें क्या व्यवस्था दूं? जरा साफ़ कीजिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये न तो मैंने और न बालेन्दु शाह जी ने कुछ कहा है। तो उसको मान करके कि कहा होगा या कहा है या उसको ऐसा समझ कर, यह जो कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फोबिया या और क्या-क्या माननीय सदस्य ने कहा, यह क्या उचित है?

श्री अध्यक्ष—नहीं-नहीं। इसका तो आप ने जिक्र किया है कि पहले यह बात तय हुई थी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही प्रेसस्क्राइब्ड अथारिटी होगा। कई दफा आप के भाषण में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जिक्र आया था।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने बड़ी कृपा कर के यह व्यवस्था दी और मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि माननीय सुरेश प्रकाश जी तो इस हद तक गये हैं कि जो अमेंडमेंट हो गये हैं उन भाषणों का भी जिक्र किया है। अगर वह चाहेंगे तो उन्हीं के भाषण को ले कर मैं दिखा दूंगा।

तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना कर रहा था कि यह कम्प्लीकेशन पैदा करना है और जटिलता लाना है। जहां तक पंचायतों की व्यवस्था का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा समझा है कि उसमें बड़ी सरलता और सिधाई होनी चाहिये। जटिलता उसमें नहीं आनी चाहिये, गुत्थियां नहीं डालनी चाहिये। माननीय बालेन्दुशाह जी का जो संशोधन है वह एक गुत्थी और एक गांठ और डालता है कि एक चुनाव हो, दो चुनाव हों और फिर उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चल कर उस पर अपनी मोहर लगावे। जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को मोहर लगाना ही है और जब उसमें कोई बन्धन नहीं लगाया जा रहा है कि कितने आदमियों को वह निकाल सकता है तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे तो सब को निकाल सकती है। उनके संशोधन से जहां तक मैं समझता हूं अगर वह मान भी लिया जाय तो उससे क्या फायदा होगा। इस बात को अगर मान लिया जाय कि किसी एक ढंग से शासन चलाने का कोई प्रयत्न करेगा तो जो कोई भी चुना हुआ होगा, पांच के पांचों जो चुने हुये होंगे उनको वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी निकाल सकती है। तो फिर यह समय क्यों बर्बाद किया जाय। इतना समय नष्ट किया जाय और फिर साथ-साथ वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी भी अपनी जगह पर रहे, अपनी पूरी ताक़त के साथ, इससे क्या फायदा होगा। इस तर्क को तो मैं मान सकता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को हटा दिया जाय और चुनाव रक्खा जाय, यह बात तो समझ में आती है लेकिन यह क्या बीच में कि ऐसा न हो तो ऐसा किया जाय, दस-बीस चीजों को मिला कर के एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बने, यह एक हाव-पाच की सी चीज है और कुछ समझ में नहीं आती। शायद उस आर्गुमेंट से कुछ मतलब समझ में आता है जो कभी-कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नहीं रहनी चाहिये। ठीक है, उनका एक तर्क है, उनका एक निशाना है, एक रास्ता है, जो चीज वह चाहते हैं वह समझ में आती है। यह दूसरी बात है कि वह ग़लत है या सही लेकिन वह अपनी चीज रखते हैं और वह समझ में आती है परन्तु यह क्या है, यह कौन सा मुरब्बा बन रहा है, क्या चीज है, जैसे सब दलों को मिला कर एक संयुक्त दल बन गया, २५ रास्तों को ले कर एक रास्ता बन गया है....

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि पार्टियों के संबंध में बार-बार जिक्र लाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। मैंने टोका नहीं कई मर्तबा इशारतन आप ने दूसरों पर मोटिव भी एस्क्राइब किया है कि यह नियत होगी। अब उनकी तरफ से नियत तो स्पष्ट मालूम नहीं होती है और आप नियत को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं, यह उचित नहीं है क्योंकि इससे भाषण में गर्मी पैदा हो जायगी।

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ इशारा किया गया था इसलिये मैंने भी थोड़ा सा इशारा किया है, ज्यादा नहीं। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं और केवल इतना कहूंगा कि इस संशोधन से कोई लाभ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है और यह एक कम्प्लीकेशन पैदा करता है। एक प्रयत्न जो इस तरफ से हो रहा है कि न्याय को ज्यादातर जितना सम्भव हो सके चुनाव से अलग रखा जाय क्योंकि हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह न्याय पा सके, उस प्रयत्न में यह एक उलझन पैदा करता है। यदि चुनाव के कारण गड़बड़ी हो जाती है तो उसको अलग करना चाहिये। जहां तक नामजदगी का प्रश्न है अगर नामजदगी अच्छी चीज नहीं है लिहाजा उसको हटा देना चाहिये और चुनाव किसी हद तक आना चाहिये। मैं आप के द्वारा, अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तर्क का विस्तार ज्यादा दूर तक और पूरे तौर पर किया जाय तो कभी यह भी कहा जा सकता है कि मुंसिफ का सेलेक्शन नहीं होना चाहिये, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिये और जुडीशियरी का प्रत्येक व्यक्ति चुना हुआ होना चाहिए क्योंकि कोई न कोई पार्टी सरकार में रहेगी और कुछ न कुछ हाथ उन लोगों की नियुक्ति में सरकार का रहता ह है। तो अगर यह तर्क सिद्धांततः मान लिया जाय कि नामजदगी बिलकुल ग़लत चीज है, चुनाव ही एक चीज है, जो लिया जाय न्याय के सम्बन्ध में, तो यह तर्क भी, विस्तार करने पर आ जायगा। इससे बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं आप के द्वारा अन्त में यह प्रार्थना करूंगा कि न्याय को एक दम चुनाव से अलग रखा जाय। और मैं तो माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा यह कहूंगा कि अगर बीच में यह भी मालूम हो कि यह जो अखाड़ा एक चुनाव का हो गया उसमें भी गड़बड़ी हो रही है तो उसमें भी संशोधन लाया जाय और उसको भी समाप्त कर दिया जाय क्योंकि न्याय मिले इस समाज को, यह समाज की मांग है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के द्वारा समाज को न्याय मिलने वाला नहीं है।

श्री अब्दुल मुईज खां--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

कई सदस्य--अभी इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--और लोग भी बोलना चाहते हैं तो दो एक भाषणों के बाद यह प्रश्न लिया जायेगा।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बालेन्दुशाह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं, और मजबूरी मेरी यह है कि यदि हम समर्थन न करें तो माननीय राम नरेश जी ने जो पहले से इसके लिये नक्शा बना रखा है जिसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के ऊपर कोई भेद नहीं है यह बहुत खराब बात है। क्योंकि अगर माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी के संशोधन को माननीय राम नरेश शुक्ल जी ने स्वीकार करने की मेहरबानी की होती या माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी के संशोधन को स्वीकार करने की माननीय राम नरेश जी ने मेहरबानी की होती तो मैं समझता हूं कि माननीय बालेन्दुशाह जी को इस संशोधन को पेश करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन चूंकि उन दोनों संशोधनों को स्वीकार करने की उन्होंने कृपा नहीं की इसलिये माननीय बालेन्दु शाह जी के संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी। मैं समझता हूं कि माननीय विष्णुदयाल जी का संशोधन और माननीय मदनमोहन जी का संशोधन जब आया तो उस समय चाहे माननीय राम नरेश जी खामोश रहे हों लेकिन यह उनकी इच्छा थी कि वह दोनों संशोधन खराब हैं। वह दोनों संशोधन उनके उद्देश्य से विपरीत जाते हैं। इसलिये दोनो अस्वीकार कर दिये जायं। और जब वह अस्वीकृत हो गये तो यह जो हल्के दरजे का चेक लगता है प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर उसको वह बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ कह रहे हैं कि जो संशोधन हम लोग रखते हैं कि चुनाव द्वारा ही न्याय पंचायतों का निर्माण हो उसे तो वह कहते हैं कि वह बात कुछ समझ में आने वाली है। लेकिन माननीय बालेन्दुशाह जी की बात समझ में आने वाली नहीं है। माननीय राम नरेश जी ने यह भी कहा कि हमारी बात सही है या ग़लत उस पर वह राय नहीं देना चाहते। तो सीधी

[श्री गेंदा सिंह]

बात यह है कि न्याय पंचायतों का चुनाव किया जाय इसको तो वह गलत कहेंगे ही लेकिन उसमें हल्के दरजे की बात जो माननीय बालेन्दुशाह जी ने पेश की है उसको भी कह दिया कि यह भी गलत है। इसलिये अब मैं माननीय बालेन्दुशाह जी के इस संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कोई चेक नहीं चाहते माननीय राम नरेश जी इस न्याय पंचायत के बनाने वालों के ऊपर, उनको बड़ा मोह है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों पर। उनके बारे में मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं मालूम होती है लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में कुछ चर्चा उनकी हो गयी है और अभी तक उस तरह से इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में जिलाधीश महोदयों का क्या स्थान होगा? वह होंगे या नहीं? अब ऐसा मैं समझता हूं कि मौन हो जाना भी

ना साफ बात कह दी [illegible]

उस छोटी इकाई, जिलाधीश महोदय हैं जिन पर, उन्होंने भरोसा नहीं किया तो वह शासन उलट जायगा। इसलिये माननीय राम नरेश जी का जो अनुभव है ५-६ वर्ष का, उस में उन्होंने यह समझा है कि अब से बढ़िया इलाज यह है कि इस न्याय के ऊपर हमला करो।

जो हमारा संविधान है, वह कह रहा है कि न्याय को ज्यादा से ज्यादा एग्जिक्यूटिव से अलग करो, बल्कि सोलहों आना अलग कर देने को उसमें कहा गया है हम देख रहे हैं कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें उल्टा चलने की बात माननीय रामनरेश जी सोच रहे हैं कि बजाय इसके कि न्याय विभाग को शासन से अलग किया जाय वह यह फैसला करना चाहते हैं कि न्याय के ऊपर पूरा क़ब्जा कर लेना चाहिये। वह कहते हैं कि चुनी हुई न्याय की शाखाएं हों यह बड़ी खराब बात है। मैं उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि कौन सी न्याय की शाखा ऐसी है कि जो चुनी हुई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है? माननी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? कोई आसमान से नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय को मालूम होता है हम नहीं चुनते, कोई खुदा मियां उनका चुनाव करते हैं या अदृश्य शक्ति करती है। तो हम जब करते हैं तो हम भी चुने हुए हैं और हमारे द्वारा नियुक्तियां जो उनकी होती हैं तो उनके द्वारा जो नियुक्तियां हुई जजों की, तो मैं समझता हूं कि वह भी अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि मैंने निवेदन किया चुने हुये लोगों ने ही की और इसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजों की और दूसरे जजों की नियुक्तियां भी चुने हुये लोगों के द्वारा होती हैं। जिसको माननीय राम नरेश जी इकाई कह रहे हैं जिला की, तो मैं कहता हूं कि गांव की सबसे पहली सीढ़ी पंचायत होती है। अगर वह भी चुनी हुई हो तो और भी अच्छा है। अगर चुनी हुई न हो, तो क्या हो। अगर न्याय विभाग का कोई अधिकारी उस न्याय पंचायत के चुनने में हाथ डाले तो जिस तरह से कुछ लोग लाल कपड़ा देख कर भड़कते हैं उसी तरह से माननीय राम-नरेश जी भड़कते हैं, कि नहीं, कभी नहीं, न्याय विभाग वालों को इस न्याय पंचायत से छुआछूत नहीं होनी चाहिये। अगर नहीं होनी चाहिये तो मैं साफ तौर से इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि जो उनकी न्याय पंचायतों में एक आना, दो आना इंडिपेंडेंस बाक़ी रह गयी है वह भी न रह जाय। मैं जानता हूं कि सरकार को उसमें कुछ लुत्फ़ भी आता ही है। वह तो मजा लेना चाहती है इसमें। सरकार कभी इसको नहीं चाहती कि शासन और न्याय में पृथक्करण हो। मद्रास में न्याय को शासन से अलग करने का फैसला मद्रास सरकार ने ले लिया उस जमाने में जिस जमाने में मद्रास में आग लगी हुई थी।

श्री अध्यक्ष--आप कुछ असंगत से हो रहे हैं। जरा संशोधन पर आ जाइये।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिल्कुल संशोधन पर ही अपनी बातें कहना चाहता हूं और आपकी आज्ञा पालन करूंगा लेकिन माननीय राम नरेश जी की खिदमत में जरा यह बात अर्ज कर देना चाहता था.....

श्री अध्यक्ष--आप ने विषयान्तर यह कर दिया कि न्याय से शासन को अलग करने के लिये आप ने मद्रास का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया तो यह बहुत बड़ी दास्तान हो जायगी। न्याय से जो कुछ संबंधित बातें हों वह आप कहें लेकिन मद्रास का जो आप किस्सा सुना रहे हैं वह जरा विषयान्तर हो रहा है।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं मद्रास का जिक्र नहीं करूंगा लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि जिस वक्त न्याय पंचायतों के प्रश्न पर विचार किया जाय कि उनका क्या ढांचा हो हमारी सरकार को जरा उस पर गौर करना चाहिये। मैं फिर यही कहूंगा कि इस न्याय को हम पहली सीढ़ी बना रहे हैं। इसमें जितनी भी स्वतंत्रता हो सके न्याय करने की उसके लिये हमें विधेयक में गुंजायश रखनी चाहिये। हम देखते हैं कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनेगी उस संबंध में अब तक माननीय स्वशासन मंत्री या किसी माननीय सदस्य की ओर से यह बात नहीं कही गई कि इसमें न्याय विभाग वालों का भी हाथ होगा। अगर न्याय विभाग वालों का हाथ नहीं होता है तो इसके स्पष्ट अर्थ यह होंगे शासन के चंगुल में पूरे तौर से न्याय पंचायतों को दे देना। शासन की जो मुसीबत है, उस मुसीबत को कहने की बात बहुत मर्तबा आती है और जिस तरह से हम आपको परेशान करते हैं अपनी तकलीफें सुना कर वह केवल शासन की वजह से आप को सुनाने की जरूरत पड़ती है। तो फिर उस शासन के हाथ में पूरे तौर से साढ़े आठ हजार जो न्याय पंचायतें बनेंगी उनको दे देना यह कभी बर्दाश्त करने की बात नहीं है। सरकार ताकत में है। सरकार जिस तरह से अपने को महफूज समझेगी या अपने दिल की बात सोच कर महफूज करना सोचेगी करेगी और उसके लिये जिस तरह से नक्शा बनायेगी वह ठीक है और उसके लिये गांव सभाओं को वह जिस तरह से अपने साथ ले जाने की कोशिश करे वह मुनासिब हो सकता है और उसके लिये वह कोशिश कर सकती है लेकिन न्याय के नाम पर और संविधान के नाम पर और अपने पुराने प्रस्तावों के नाम पर अगर इन न्याय पंचायतों को शासन के चंगुल में न दिया जाय तो यही उचित है।

यह माननीय बालेन्दुशाह जी का जो प्रस्ताव है वह पूरे तौर से शासन के चंगुल से न्याय पंचायतों को नहीं छुड़ाता, थोड़ा सा चेक करता है और उस थोड़े से चेक को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मजबूरी होगी इस संशोधन को स्वीकार कर देने के बाद यह आप के सामने कहना पड़ेगा कि यह पूरी धारा ही निकाल दी जाय। क्योंकि इस धारा के रखने से मैं समझता हूं कि पंचायतों की प्रतिष्ठा में कमी होगी। मैं इस बात को मानता हूं कि पंचायतों में प्रतिष्ठा के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी रहा है और उसके सुधारने की जरूरत है लेकिन यह जो तरीका अपनाया जा रहा है यह उन पंचायतों को बजाय सुधारने के और भ्रष्ट करेगा। मैं इस सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि यह हमारे लिये नहीं बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि संविधान के नाम पर, न्याय के नाम पर और समाज के नाम पर आगे के लिये लोग ऐसा सबक न सीखें कि अगर हम यहां पर बैठ जायं और यहां पर जिस मर्यादा का ध्यान हमको रखना चाहिये उसको भूल जायं तो वही कठिनाई हो जायेगी। इन सब चीजों पर ध्यान रख कर आप माननीय बालेन्दुशाह के संशोधन को स्वीकार कर लें। अगर आप ने विष्णुदयाल जी के संशोधन को अस्वीकार किया होता तो मुझे बालेन्दुशाह जी के संशोधन का समर्थन करने की जरूरत नहीं पड़ती और वह संशोधन यहां पर आता भी नहीं, लेकिन जब पेट भर खाने को अच्छा नहीं मिलता है तो हम सत्तू ही खाने के लिये तैयार हैं। माननीय बालेन्दुशाह जी का जो संशोधन है वह हमारे सत्तू के समान है लेकिन फिर भी मजबूर हैं कि उसको ही खाकर कुछ शान्ति प्राप्त कर लें।

श्री अब्दुल मुईज खां--श्रीमान् जी, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। हमारे साथी माननीय बालेन्दुशाह ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है उसके बारे में मुझे यह बात समझ में नहीं आयी कि इससे पहले जो संशोधन यह सदन अस्वीकार कर चुका है यानी यह कि एलेक्टेड मेम्बर के जरिये से न्याय पंचायत के वे ५ सदस्य चुने जायं। इस बात का सदन जब अस्वीकार कर चुका है तो उसके बचने के लिये आप का संशोधन आउट आफ आर्डर न हो जाय

[श्री अब्दुल मुईज खां]
उसके बाद इस शब्दावली से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में कन्फर्म करने की बात कही गयी। यह एक बात कही गयी जिसकी वजह से वह आउट आफ आर्डर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इस संशोधन का समर्थन किया उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे यह मालूम हो सके कि वह इस पोर्शन के लिये जस्टिफिकेशन हो सकता है। मैं उनकी बातों को समझने में असमर्थ रहा। मेरा ख्याल है कि जो बात इस संशोधन मे रखी जा रही है बजाय इसके कि इस कानून मे कोई आसानी हो इससे और ज्यादा अड़चन पैदा हो जायगी और वह यह है कि जब कोई पंचायत का सदस्य चुन कर आयेगा उसके साथ कुछ और सदस्य भी चुने जायंगे। वह आपस मे बैठ कर ५,४ या जितने भी सदस्य न्याय पंचायत के लिये चुने होंगे, चुनेंगे। इस चुनाव को अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने मंजूर नहीं किया तो उस वक्त क्या तरीक़ा अख्तियार किया जायगा। इसके लिये कोई बात इस संशोधन मे नहीं रखी जा रही है। इससे जाहिर है कि ऐसी बहुत सी सूरते पैदा हो सकती हैं। यह जो पंचायत राज का तरीका है और उसमें जो यह न्याय पंचायत के जरिये सुधार की बात रखी जा रही है उसके सुधार होने की गुंजाइश कम हो जायगी। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*महाराजकुमार बालेन्दु शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन शब्दों से और जिस जोश के साथ आज माननीय रामनरेश जी ने इस सदन मे भाषण दिया उससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यदि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ से पंचों की नियुक्ति हटा दी जाय तो उससे सरकार को कोई विशेष आपत्ति पहुंचेगी। मैंने तो अपने भाषण में शुरू मे यह कह दिया था कि हमको और जो आम जनता को, आपत्ति पचों के चुनाव के संबंध मे बतायी गयी उसका एक हल, और उस समस्या को हल करने के लिये एक तरीका मैंने सामने रखा था। जहां तक रामनरेश जी ने मेरे कम्प्रोमाइज के फार्मूले को क्रिटिसाइज किया है और उनके विचारों के अनुसार एक कम्प्रोमाइज को पेश करना एक ग़लत बात है उनके वहां पर और मेरे यहां पर होने का ही यह कारण है। बहुमत के अहंकार मे मस्त होकर बहुमत के जरिये से अपनी इच्छा के अनुसार और मनमानी करने का अभ्यासी होने के बाद यह चेष्टा कि वे सही रूप मे समस्या को हल करने का उपाय पेश करे, चाहे कोई कम्प्रोमाइज ही पेश क्यों न करे। मै यह मानता हूं कि श्री रामनरेश जी के लिये यह एक कठिन समस्या है और वह उसको सुलझा नहीं पायेंगे। जो खास प्रश्न था उसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ अधिक नहीं कहा। उन्होंने न्याय-न्याय की बहुत अधिक दुहाई दी मैं माननीय राम नरेश जी से पूछूंगा कि वह न्याय क्या है जिसकी इस सदन मे उन्होंने इतने जोरदार शब्दों मे चर्चा की है। मेरी हमेशा यह कोशिश होती है कि किसी के खिलाफ अधिक न कहा जाय लेकिन यह पूछना ही पड़ता है कि क्या रामनरेश जी न्याय का अर्थ यही समझते है जैसी कि जिलों में घटनाएं हो रही है। क्या कानपुर की घटना उनके विचार से न्याय संगत हो सकती है? कानपुर ही क्यों टेहरी-गढ़वाल या और कोई जिला ही ले लीजिये वहां भी यही होता है। मैं पूछता हूं कि क्या आप हरएक पंचायत मे इसी प्रकार का न्याय प्रचलित करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि हम न्याय पंचायतों का चुनाव कराते है तो फिर यह भी मांग आयेगी कि हाईकोर्ट के जजों का भी चुनाव हो। समझ में नहीं आया कि उन्होंने यह तत्व कहां से पाया। मुझे दुःख हुआ हालांकि उनका भाषण बहुत अच्छा था लेकिन वह तत्वविहीन था शुरू से अन्त तक और किसी तत्व को पेश करने का भी प्रयत्न किया तो उन्होंने काल्पनिक रूप से ही किया। ट्रेजरी बेंचेज की ओर बैठकर और उसके एक प्रमुख होने के नाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ये बातें उन्हें शोभा नहीं देतीं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न है कि जुडीशियरी इलेक्टेड हो या न हो उसके संबंध में मैं शुरू में ही बहुत कुछ कह चुका हूं लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह और कहना चाहूंगा कि जब एक तरफ यह प्रश्न है कि जुडीशियरी इलेक्टेड न हो उसके साथ ही साथ दूसरा प्रश्न यह भी है कि जुडिशियरी ऐक्जीक्यूटिव से जहां तक हो सके अलग हो। इस सम्बन्ध में मैं यहां तक कहूंगा कि हाईकोर्ट के जजेज की नियुक्ति ऐक्जीक्यूटिव के द्वारा होती है तो मैं पूछूंगा कि क्या राम नरेश जी को यह मालूम है कि हाई कोर्ट के जजेज भी ऐक्जीक्यूटिव के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। और जो हाईकोर्ट के जजेज प्रभावित हो सकते हैं.....

श्री मोहन लाल गौतम---मेरे ख्याल में माननीय हाईकोर्ट को इस प्रकार से क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप हाईकोर्ट के जजेज का नाम न लें क्योंकि एज ए होल हाईकोर्ट पर रिफ्लेक्शन पड़ता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, ठीक है । अध्यक्ष महोदय मैं यह कह रहा था कि हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि न्यायालयों के जजेज ऐक्जीक्यूटिव से प्रभावित होते हैं चाहे वह किसी भी श्रेणी का न्यायालय क्यों न हो और जबकि उच्च श्रेणी के न्यायालयों पर प्रभाव पड़ सकता है तो मैं पूछूंगा कि एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा नियुक्त किये गये साधारण, गरीब और देहात में रहने वाले पंचों के ऊपर किस प्रकार से ऐक्जीक्यूटिव का प्रभाव न पड़ेगा । अब प्रश्न यह उठता है कि यह शुबहा ही क्यों रक्खा जाय कि आखिर प्रभाव पड़ ही जायगा । यह हमारा अनुभव है और हालांकि श्री राम नरेश जी यहां इस सदन में कुछ कह दें लेकिन मेरा विश्वास है कि उनका भी यही अनुभव है कि आजकल के न्यायालय उतने उच्च नहीं हैं, उतने निष्पक्ष नहीं है जितनी कि उनसे आशा की जाती है और जबकि ये न्यायालय इतने निष्पक्ष नहीं पाये जाते हालांकि उनके जजेज की नियुक्ति के समय एक्जीक्यूटिव बहुत विचार करती है और योग्य व्यक्तियों को ही केवल नियुक्त करती है फिर भी उनकी निष्पक्षता में शुबहा जाहिर किया जा सकता है। फिर मैं पूछता हूं कि इन पंचों की नियुक्ति के पश्चात् यह कैसे आशा की जायगी कि वे इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के प्रभाव से ऊपर उठ पायेंगे और वे पंच किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या किसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट पंचायत-राज आफिसर के संकेत से दूर रह सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपके द्वारा यह भी प्रकट करना चाहता हूं हालांकि इसका जिक्र पहले होना चाहिये था फिर भी 'बेटर लेट दैन नेवर' इस विधेयक को इस रूप में पेश करके माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन का अपमान किया है। इस सदन में मैं स्पष्ट रूप से दिखलायी देता है कि आपका बहुमत है और उसके जोर पर इस सदन से यह आशा करना कि वह इस संशोधन विधेयक को पारित करे जब कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सरीखे शब्द की, इंस्टीट्यूशन की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है, परिभाषा अध्यक्ष महोदय तभी हो सकती थी जबकि कम से कम इस चीज का रुख माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में क्रिस्टलाइज हो जाय। मुझे दुख है कि इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी यह हमें नहीं बतलाया गया है और न हमको किसी प्रकार का संकेत ही दिया गया है कि अगर यह चीज नहीं होगी तो यह होगी । यानी जहां तक कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट कर दिया जाय, किसी प्रकार का विचार प्रकट नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष---अभी आप कुछ देर तक अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---जी हां, अभी मैं कुछ देर बोलूंगा

श्री अध्यक्ष---तो मैं समझता हूं कि कल आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष——मुझे सदन को कुछ सूचना देनी है।

स्थायी समितियों के लिए नामजदगी करीब-करीब सब की आ चुकी है लेकिन पांच के विषय में मुझे मालूम हुआ है कि उनकी नामजदगी पूरी नहीं हुयी है या शायद बिलकुल ही नहीं हुयी है। वे ये है——यातायात कमेटी, आबकारी कमेटी, शरणार्थी कमेटी और खाद वितरण कमेटी तथा जेल, तो इसलिए कि चूंकि इनकी कतई न.मजदगी नहीं हुयी है, मैं दूसरी तारीख उनके लिये मुकर्रर करता हूं। ७ मई, ३ बजे तक नामजदगी की तारीख होगी और ८ मई को १ बजे तक उनकी सूक्ष्म परीक्षा होगी। ११ मई नाम वापस लेने की तिथि होगी। कुछ नाम वापसी पर भी अगर चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो १५ तारीख को चुनाव होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
४ मई, १६५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर ।)

सूची

१	लाल गंज डंडवा	कच्ची सड़क	४ मील
२	घनघटा विश्वनाथपुर	,,	५ ,,
३	दुधारा उस्ती	,,	४ ,,
४	तालपुरवा नासी	,,	८ ,,
५	बिसकोहर पटना	,,	९ ,,
६	हरैया सेमरा	,,	६ ,,
७	डुबोलिया कप्टेन गंज	,,	८ ,,
८	घनघटा सिरसी	ग्राम सड़क	६ ,,
९	बसखोड करही	,,	७ ,,
१०	रुदौली मानपुर	,,	८ ,,
११	उसका लोहांस	,,	६ ,,
१२	विर्धीपुर तिवड़ा	,,	६ ,,
१३	चांदापुर अहरौलिया	,,	६ ,,
१४	डुमरिया गंज महवार	,,	७ ,,
१५	नलिहापुर रजवापुर	,,	७ ,,
			९७ मील

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—४१ एल० ए०—१९५४—८५० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन मे अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१५)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री

चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचंद, श्री
तुलसीराम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री

भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन मिश्र, श्री
राम लाल, श्री
राम वचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविवासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री

लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर दास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेई, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

कनखल की कृष्णनगर कालोनी में जल-व्यवस्था

*१—श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सही है कि सरकार तीन वर्ष पूर्व कनखल की कृष्णनगर कालोनी में जल देने का वायदा किया था ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जी नहीं

*२--श्री दीन दयालु शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि इस जल व्यवस्था मे कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान था ?

श्री मोहन लाल गौतम--इस कालोनी की कोई पृथक् योजना नही है बल्कि कनखल की जल योजना ही मे यह सम्मिलित है। १९५२ मे इस योजना का अनुमानित व्यय ४ लाख रुपया था।

*३--श्री दीन दयालु शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि यह जल योजना कब तक अमल मे आजायेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम--१९५६-५७ तक इस योजना के पूर्ण होने की आशा है।

श्री दीन दयालु शास्त्री--क्या यह सही है कि स्वयं मुख्य मंत्री जी ने सन् ५१ मे इसका वादा किया था ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसकी सूचना चाहिए।

श्री दीन दयालु शास्त्री--क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता के पास मुख्य मंत्री जी ने यह बात लिख कर भेजी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम--प्रश्नकर्ता इस बात के बारे मे ज्यादा जान सकते है मेरी फाइल पर इसकी नकल नहीं है।

श्री दीन दयालु शास्त्री--क्या मंत्री जी को पता है कि इस मई के महीने मे ही वहां नल लगने जा रहा है ? मै आज ही हरिद्वार से आया हूं और वहां नल लग रहा है। क्या उन को मालूम है कि यह जल-योजना वहां आजकल होने जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम--एक हैंडपम्प वहां लगाया जा रहा है और उसकी सफलता पर आगे विचार होगा कि यह अस्थायी प्रबन्ध ठीक है या नहीं।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--कृष्णनगर कालोनी की क्या जनसंख्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम--सूचना चाहिये।

प्रदेश व्यापी मेहतर हड़ताल

*४--श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५३ में जो उत्तर प्रदेश व्यापी मेहतर हड़ताल हुयी थी उसे सरकारी नोटीफिकेशन नं० ६०६६ (एल)-(३)/१८-३६५(एल)/४५ तिथि १० दिसम्बर, १९४७ के अन्तर्गत गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं, ऐसी कोई प्रदेशव्यापी घोषणा नहीं की गयी।

*५--श्री राजा राम शर्मा (जिला बस्ती)--[१८ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राज्य की पंचायतों के लेखों की आडिट-व्यवस्था

*६--श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों के धन को आडिट करने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं। पंचायतों के धन को आडिट करने का कोई प्रबन्ध नहीं है, परन्तु पंचायतों के लेखों के आडिट की व्यवस्था इस वर्ष की जा रही है।

*७--श्री धर्मसिंह--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रीजन में कितने वर्षों में पंचायत का धन आडिट नहीं हुआ है ?

श्री मोहन लाल गौतम--प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री धर्म सिंह--क्या यह सत्य है कि पुराने पंचायत राज ऐक्ट में पंचायतों को आडिट करने की व्यवस्था थी ?

श्री मोहन लाल गौतम--कानून में इसका प्राविजन है।

श्री धर्मसिंह--यदि कानून में व्यवस्था थी तो उनको आडिट करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री मोहन लाल गौतम--उस मेशीनरी को कायम करने में कुछ आर्थिक दिक्कतें थीं और बजट का प्राविजन नहीं था, इसीलिए नहीं हो सका।

श्री बलवन्त सिंह--सरकार जो पंचायतों के आडिट की व्यवस्था कर रही है उसका खर्च कौन बरदाश्त करेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसका जिक्र बजट पेपर्स में है, माननीय सदस्य उसे पढ़ लें।

श्री धर्म सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि नये ऐक्ट के अनुसार जबकि सूबे में बहुत सी पंचायतें हैं तो किस प्रकार आडिट करने का प्रबंध करेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम--जिस व्यवस्था पर विचार हो रहा है उसमें इसका भी ध्यान रखा जायगा।

बलिया में पंचायत-मंत्रियों को वेतन मिलने में विलम्ब

*८--श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले की कुछ पंचायतों के मंत्रियों को लगातार कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम--बलिया जिले में केवल दो पंचायत मंत्रियों के अतिरिक्त सबका वेतन फरवरी, १९५४ तक समयानुसार दे दिया गया है।

देवरिया जिले में दुदेही अदालत पंचायत के सरपंच की मुअत्तली

*९--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया की दुदेही अदालत पंचायत के सरपंच मुअत्तल किये गये थे ? अगर हां, तो किस केस में ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां। सरकार बनाम श्री एस० एन० श्रीवास्तव पंचायत निरीक्षक के मुकदमें में।

*१०--श्री राम सुभग वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरपंच मुकदमे से निर्दोष बरी हो गये ? यदि हां, तो क्या उनको सरपंची का चार्ज मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम—मुकदमें में सरपंच को अवश्य बरी कर दिया गया है, किन्तु उन्हें पदारूढ़ नहीं किया जा सका है, क्योंकि उनके विरुद्ध विभागिक कार्यवाही चल रही है।

*११—श्री राम सुभग वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि इस आशय का प्रार्थना-पत्र विभागीय दफ्तर तथा सरकार के पास भी आया है?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां।

फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में वाटर-वर्क्स योजना तथा पृथक्-पृथक् म्युनिसिपैलिटियां बनाने की मांग

*१२—श्री पाती राम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की मिलीजुली म्युनिसिपैलिटी को अलग अलग करने के वास्ते वहां की जनता की तरफ से कोई मांग सरकार से की गयी है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

*१३—श्री पाती राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ म्युनिसिपैलिटी में वाटर वर्क्स योजना कब तक आरम्भ हो सकेगी?

श्री मोहन लाल गौतम—योजना का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है परन्तु जलवितरण की निश्चित तिथि अभी निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री पाती राम—क्या सरकार प्रारंभिक योजना का स्पष्टीकरण करेगी?

श्री मोहन लाल गौतम—सन् १९५२-५३ में ५० हजार रुपया लोन दिया जा चुका है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि म्युनिसिपलिटी ने उसमें कितना हिस्सा दिया है?

श्री मोहन लाल गौतम—आम तौर पर वाटर-वर्क्स पर बहुत थोड़ी-सी म्युनिसिपलिटियां हैं, जो अपना हिस्सा दिया करती हैं, लोन गवर्नमेंट का ही होता है।

*१४—श्री पाती राम—[१९ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१५-१७—श्री किशन स्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)—[१९ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में टी० बी० के टीके

*१८—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में १९५३ में कितने टी० बी० के टीके लगाये गए?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—जौनपुर जिले में २३,३७० व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये टीके केवल कस्बों में लगाये गए हैं या गांवों में भी?

श्री बनारसी दास—यह कस्बों और गांवों दोनों ही में लगाये गये हैं।

मड़ियाहूं के अन्तर्गत सीतापुर ग्राम में महिला चिकित्सालय की मांग

*१९—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मड़ियाहूं के अन्तर्गत सीतापुर ग्राम की जनता ने महिला चिकित्सालय के लिए मांग की है और उसके लिये इमारत देने के लिए तैयार है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री बनारसी दास—जी हां। प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक यह प्रश्न विचाराधीन रखा जायगा?

श्री बनारसी दास—इसी वर्ष के अन्दर इस पर निर्णय हो जायगा।

होमियोपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री

*२०—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि होम्योपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री की जाने वाली है? यदि हां, तो कब से?

श्री बनारसी दास—जी हां। होमियोपैथिक डाक्टरों की रजिस्ट्री का काम शीघ्र ही आरंभ होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं कि प्रदेश में क्वालिफाइड होमियोपैथिक डाक्टर्स कितने हैं?

श्री बनारसी दास—इस वक्त तो कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बस्ती जिले में बी० सी० जी० के टीके

*२१—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० सी० जी० का टीका बस्ती जिले में लग रहा है? यदि हां, तो कब से?

श्री बनारसी दास—बी० सी० जी० की एक टोली ने बस्ती जिले में १५ जुलाई से २९ नवम्बर, १९५२ तक कार्य किया।

*२२—श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बस्ती जिले के किन-किन तहसीलों में बी० सी० जी० का टीका लगाया गया है?

श्री बनारसी दास—बी० सी० जी० का कार्य जिले की पांचों तहसीलों में किया गया और जितने आदमियों की जांच की गई तथा टीके लगाये गये उनकी संख्या नीचे दी जाती है:

क्र० सं०	तहसील का नाम		जांच किये गये	टीके लगाये गये
१	सदर तहसील	..	२५,७५०	८,४१४
२	बांसी	..	११,८०१	३,२४१
३	हरैया	..	४,७४९	१,५२३
४	खलीलाबाद	..	१०,५७४	३,०००
५	डुमरियागंज	..	४,८७१	१,६९९

*२३—श्री रामसुन्दर राम—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टीका लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या उपर्युक्त जिले में कुल कितनी है ?

श्री बनारसी दास—कुल ५७,७५४ व्यक्तियों की जांच की गई, उसमें से १७,८७७ व्यक्तियों को, जिनको बी० सी० जी० के टीके की आवश्यकता थी, टीके लगाये गये।

श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बी० सी० जी० का टीका किस आधार पर बस्ती जिले में लगाया जा रहा था और किन कारणों से बन्द कर दिया गया ?

श्री बनारसी दास—इसका कारण यही था कि समस्त प्रदेश में ही इसकी आवश्यकता महसूस की गयी कि टी० बी० की बीमारी बढ़ती चली जाती है इसलिए उसकी रोक-थाम करने के लिये वहां जांच की जाय और टीके लगाये जायं। इसी लिये वहां पर टीके लगाने का कार्य आरम्भ किया गया, लेकिन सूबे में बी० सी० जी० की जो यूनिट्स है वह तो चलती-फिरती ही सभी जगह काम करती हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जिले की इस यूनिट पर सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि बी० सी० जी० के टीकों का परीक्षण टी० बी० रोकने में सफल रहा है या असफल ?

श्री बनारसी दास—सफल रहा है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ऐसी भी रिपोर्टें आयी हैं कि जो टीके लगे वह फूल गये और उससे लोगों को बड़ी पीड़ा हुई और सेप्टिक हो गया ?

श्री बनारसी दास—सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किन किन जिलों में बी० सी० जी० के टीकों की यूनिट्स प्रोवाइडेड हैं ?

श्री बनारसी दास—इसकी यूनिट्स कहीं भी निश्चित रूप से नहीं हैं बल्कि जितनी यूनिट्स हैं वह सभी जिलों में बारी बारी से भेजी गयी

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलावेंगे कि बस्ती जिले की विभिन्न पांचों तहसीलों में जो टीके लगाने की संख्या दी गई है उसमें क्यों अन्तर है ?

श्री बनारसी दास—इसका कारण यह है कि जब टीके लगाने के लिये वहां पर जाते हैं तो वह जनता के सहयोग पर निर्भर रहते हैं। जितने ज्यादा आदमी जांच करने के लिये मिल सकते हैं उतने ज्यादा टीके लगाये जा सकते हैं। इसके अलावा तहसीलों के अन्दर यह भी देखना पड़ता है कि जांच के फलस्वरूप उसमें निगेटिव कितने हैं और पाजिटिव कितने हैं और टीका कितने आदमियों के लगना है। इसलिये अन्तर है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बी० सी० जी० के टीकों का कार्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में पंच-वर्षीय योजना के साथ ही सम्पन्न हो जायगा ?

श्री बनारसी दास--लगभग सभी जिलों के अन्दर बी० सी० जी० के टीके लगेंगे इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि तमाम जिलों में इतनी बड़ी तादाद मे बी० सी० जी० की यूनिट्स बढ़ा दी जायंगी कि सभी जगह एक ही साथ कार्य हो जाय।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फ़रनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को बी० सी० जी० के टीके लग चुके है उनको फिर इस टीके की आवश्यकता नहीं होगी, अगर होगी तो कितने दिनों बाद ?

श्री बनारसी दास--आमतौर से विशेषज्ञों का यही मत है कि जिनको टीका लग जाता है फिर उन्हे क्षय रोग नहीं होता है।

*२४-२६--श्री राम सुन्दर पाडेय (जिला आजमगढ़)--[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७--श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--[१९ मई १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

अस्पताल के कार्य काल मे मेडिकल अफसरों को बाहर न जाने का आदेश

*२८--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार को मालूम है कि डी० एम० एच० एस० यू० पी० ने दिनांक, २१ जून, १९४९ ई० को एक पत्र द्वारा प्रान्त के सभी सिविल सर्जनों को आदेश दिया है कि किसी भी अवस्था मे कोई मेडिकल आफिसर अस्पताल के काम के घंटों में किसी भी रोगी का किसी भी दशा मे अस्पताल के बाहर इलाज करने नहीं जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पत्र की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास--पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३६ पर।)

*२९--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि उपर्युक्त परिपत्र को रिवाइज किया गया है ? यदि हां, तो कब ? और क्या उसकी प्रतिलिपि सरकार मेज पर रक्खेगी ?

श्री बनारसी दास--संशोधित परिपत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३७-२३९ पर।)

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परिपत्र दिनांक ९ जनवरी, १९५० की प्रतिलिपि जिला फर्रुखाबाद के सिविल सर्जन के पास भी भेजी गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

श्री बनारसी दास--वह तो सभी सिविल सर्जनों के पास भेजी गयी थी। जिस तिथि का आप ने जिक्र किया उसी पर उनको भी भेजी गई।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई कालरा का मरीज है और उसको डाक्टर पहले से अटेंड नहीं करता है, तो वह वर्किंग आवर्स में उसको अटेंड कर सकता है या नहीं ?

श्री बनारसी दास--उस सर्क्यूलर के अनुसार वर्किंग आवर्स में विशेष परिस्थितियों में बाहर जाने की अनुमति दी गई है और उसमें यह भी है कि अगर कोई मरीज का एक्सीडेंट हो गया है या किसी विशेष परिस्थितिवश उसको लाया नहीं जा सकता तो यह डाक्टर की मर्जी के ऊपर है कि मरीजों को देखने के लिये आफ़िस आवर्स में जाना चाहिये या नहीं।

खाद्य विभाग में कर्मचारियों की छटनी

*३०--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि खाद्य विभाग से अब तक कुल कितने कर्मचारी छांटे जा चुके हैं?

श्री बनारसी दास--८,०६३ ।

*३१--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन निकाले गये कर्मचारियों में कितने लोगों को नियुक्ति मिल गयी है?

श्री बनारसी दास--२०३।

*३२--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार यह बतायेगी कि जो कर्मचारी बाक़ी रह गये हैं उनको पुनः कहीं नियुक्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री बनारसी दास--सरकार के समक्ष ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने छटनी में आये हुये इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह आदेश अवश्य जारी किये हैं कि जहां तक सम्भव हो सरकारी विभागों में होने वाली अस्थायी और स्थायी नियुक्तियों में इनमें से योग्य कर्मचारियों को प्राथम्य दिया जाये।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह छटनी किस आधार पर हुई है और किन नियमों के मातहत हुई?

श्री बनारसी दास--क्योंकि डीराशनिंग हो गया है और इसलिये आवश्यकता कम हो गई। रिट्रेंच करने की जरूरत पड़ी, इसलिये रिट्रेंचमेंट किया गया और इसके लिये तीन श्रेणियां बनाई गईं। तो कुछ लोग तो ए में आये, कुछ बी में रखे गये। जिनका कार्य अच्छा नहीं था, जिनकी इन्टेग्रेटी डाउटफुल थी उनको सी में रखा गया। सी वालों को पहले निकाला गया और जैसे जैसे छटनी होती चली गयी रिट्रेंच किये गये।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २०३ की जो नियुक्तियां हुई हैं वे अधिकतर जो विभाग के बड़े अधिकारी थे या जो पोजीशन पर थे उन्हीं को हुई हैं?

श्री बनारसी दास--यह तो प्रश्न नहीं होता। उसमें ज्यादातर नियुक्तियां नान-गजटेड लोगों की हैं और इसके लिये जो विभागीय सूची तैयार की गयी थी वह सभी हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स को भेज दी गई है और एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को भेज दी गई हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि खाद्य विभाग टूटने वाला है और कर्मचारी बेकार होने वाले हैं?

श्री बनारसी दास--अभी कोई ऐसा निश्चय नहीं है और बाक़ी जैसी स्थिति है उससे अन्दाज लगाया जा सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि खाद्य विभाग के ८,०६३ आदमियों के छटने के बाद कितने आदमी शेष होंगे?

श्री बनारसी दास—इस समय कुल कर्मचारियों की संख्या जो आफिस में रह गये हैं वह ४,६६९ हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि खाद्य विभाग के मुक्त कर्मचारी जो अपने घरों पर बैठे हुये हैं आइन्दा सर्विस के समय उनकी अवस्था पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा?

श्री बनारसी दास—जी हां। जो लोग रिट्रेंच किये गये हैं उनको अवस्था के समय में अपवाद मिल जायगा।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों की छटनी हुई है उनमें कितने गजटेड आफ़िसर्स हैं?

श्री बनारसी दास—११८ गजटेड आफ़िसर्स हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि सरकार के आदेशों का पूरा पालन नहीं हो रहा है?

श्री बनारसी दास—जी हां। इस प्रकार की शिकायतें अवश्य मिलीं कि सरकार के आदेशों के बावजूद भी बहुत से विभागाध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन शिकायतों पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है?

श्री बनारसी दास—पुनः आदेश जारी किये गये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन २०३ आदमियों की नियुक्ति हुई है वह केवल सीनियारिटी के आधार पर हुई है या कोई दूसरा नियम भी बरता गया है?

श्री बनारसी दास—इसका कोई प्रश्न नहीं है। जैसी सूची तैयार की गयी है उसके अनुसार जिनको रखना था उनको सामने बुलाया गया और जिनको उन्होंने उचित समझा उनको रक्खा।

*३३-३५—श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)—[२ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६-३८—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९-४१—श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)—[१९ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[२१ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राज्य में रूरल हाउसिंग सम्बन्धी योजना

*४३—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या रूरल हाउसिंग कंडीशंस को सुधारने की प्रदेशीय सरकार की कोई योजना चालू है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री मोहन लाल गौतम—रूरल हाउसिंग सबंधी कोई सरकारी योजना चालू नहीं है।

श्री शिवराज सिंह यादव--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार लो कास्ट हाउसिंग सम्बन्धी कोई रिसर्च करा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस प्रकार की एक नुमायश दिल्ली में हुई थी और उससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है।

*४४--श्री पुद्दन राम (जिला बस्ती)--[१६ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

पंचायत घरों के लिए 'आवाज़' रेडियो

*४५--श्री वीरेन्द्र नाथ मिश्र (जिला हरदोई)--क्या यह सही है कि सरकार ने प्रान्त की सभी ग्राम सभाओं के पास यह आदेश भेजा है कि वह केवल 'आवाज' रेडियो ही पंचायत घरों के लिये खरीदे ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नही।

*४६-४७--श्री इसराइल हक़ (जिला आगरा)--[१६ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

वैद्यों और हकीमों का रजिस्ट्रेशन

*४८--श्री श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा) (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि वैद्यो और हकीमो के रजिस्ट्रेशन करने की अवधि ७-३-५३ तक ही थी ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। वैद्य एवं हकीमों का रजिस्ट्रेशन अब भी होता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने की क्या पद्धति है ?

श्री बनारसी दास---बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के अधीन जो लोग डिग्री प्राप्त करते है परमानेट संस्थाओं मे, उनका रजिस्ट्रेशन इस वक्त होता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस भी ली जाती है?

श्री बनारसी दास--जी हां, वह सही है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--रजिस्ट्रेशन कब तक होता रहेगा ?

श्री बनारसी दास--जब तक वैद्य लोग पढ़कर आते रहेंगे, तब तक होता रहेगा।

गंगा नदी में जबहीं घाट पर नाव-दुर्घटना

*४९--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि ब्रह्मपुर मेले के सिलसिले मे बलिया जिले के जबहीं (सपहीं) घाट पर गंगा नदी में पार करते हुए एक बड़ी नाव डूब गयी और उसमे क़रीब १०० आदमी डूब कर मर गये ?

श्री मोहन लाल गौतम--ब्रह्मपुर मेला विहार प्रदेश के शाहाबाद जिले के पुलिस थाना ब्रह्मपुर के क्षेत्र में लगता है और प्रश्न में उल्लिखित नाव डूबने की दुर्घटना उसी क्षेत्र में हुई थी। इस सरकार के पास उक्त दुर्घटना का कोई विवरण नहीं है।

नोट--तारांकित प्रश्न ४८ श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछा।

*५०—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बलिया जिले के जबही (सपहीं) घाट की घटना की जांच के लिये कोई कमेटी बनाने की कृपा करेगी ताकि इसके बारे में सारी बाते जाहिर हो सकें ?

श्री मोहन लाल गौतम—चूंकि नाव दुर्घटना इस प्रदेश मे नहीं घटी थी इस कारण इस सरकार द्वारा किसी जांच समिति की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था

*५१—श्री शिव राज सिंह यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष स्वास्थ्य विभाग के अधीन कितना रुपया देहाती क्षेत्र में पीने के पानी के सम्बन्ध में खर्च किया गया ?

श्री बनारसी दास—गत वर्ष राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड ने १,०३,७०० की रक़म राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों मे पीने के पानी की योजनाओं के हेतु अनुदान के रूप में दिया।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के लिये सरकारी योजनाये क्या हैं और उसमे अनुदान देने का क्या तरीक़ा है ?

श्री बनारसी दास—जैसा कि अभी ज़िक्र किया गया, बजट मे इसका प्राविज़न है, स्टेट हेल्थ बोर्ड की तरफ से कि जहां प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से पीने के पानी की कमी की सूचना आती है वहां पर इसकी ग्रांट दी जाती है और स्थानीय लोगों को भी कुछ रुपया देना पड़ता है। जहां पर ऐसा होता है वहीं मंजूर करते हैं।

श्री गंगा धर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल, टेहरी और अल्मोड़ा मे कितना रुपया पानी के लिए दिया गया है ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये तो पहले से नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बदायूं मे बहुत सी दरख्वास्तें हरिजनों की उनके पीने के पानी के सम्बन्ध में पड़ी हुई हैं और वे पास के तालाबों से पानी पी रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हां, हो सकता है कि अभी जो उत्तर दिया गया है इसके अतिरिक्त हरिजन सहायक विभाग की तरफ से भी कुओं के लिये ५ लाख ७० हजार रुपये का प्राविज़न किया गया है। मुमकिन है कि हरिजन सहायक विभाग की तरफ से हो। इसके अतिरिक्त कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एरिया और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के अन्तर्गत भी पानी के कुंओं की व्यवस्था की गई है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितना रुपया पीने के पानी के लिये मंजूर हुआ था वह पूरा यूटिलाइज़ हुआ ?

श्री बनारसी दास—जितना रुपया रखा गया है उसमें से कितना खर्च हुआ और कितना अभी बाक़ी है इसके लिये तो पहले आंकड़े इकट्ठा करने के बाद सूचना दी जा सकती है।

श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार ने कोई डेड लाइन मुक़र्रर कर दी है कि उस वक्त तक वह तमाम स्टेट के ग्रामीण क्षेत्र में पानी पीने का इन्तजाम कर देगी ?

श्री बनारसी दास—वह तो जिस साल के लिये रुपया रखा जाता है उसमें आशा की जाती है कि पूरा खर्च हो।

एटा-गंजडुंडवाणा सड़क का सुधार

*५२—श्री चिरंजी लाल जाटव (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा से गंजडुंडवाणा को जो सड़क जाती है वह बहुत खराब है? उसको बनवाने के लिये सरकार विचार कर रही है या नही?

श्री मोहन लाल गौतम—एटा-गंजडुंडवाणा सड़क की दशा शोचनीय होने के कारण जिला बोर्ड ने इसके १३ मील को बनवाने का ठेका मार्च, १९५४ मे स्वीकृत कर दिया है। कार्य पूरा होने की ६ मास के अन्दर आशा की जाती है।

भेड़िया बालक रामू के लिये बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में प्रबन्ध

*५३—श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामू नामक भेड़िया बालक के लिये, जो बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में है, सुरक्षा का कोई खास प्रबन्ध वह कर रही है?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*५४—श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह सही है कि इस भेड़िया बालक के सम्बन्ध में संसार के अन्य देशों से भी पूछ-तांछ हो रही है।

श्री बनारसी दास—जी हां।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह खास प्रबंध इस भेड़िये के लड़के के लिये क्या है?

श्री बनारसी दास—उस भेड़िये के बच्चे को स्पेशल वार्ड के कमरा नंबर ५ में रखा गया है और उसका उपचार होता है। उसके ऊपर दो वार्ड ब्वायज और रख दिये गये हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रामू लड़के के बारे में विदेशो से जो पूछतांछ हो रही है वह क्या है?

श्री बनारसी दास—पूछतांछ इस सम्बन्ध मे है कि वह कैसे रहता है, क्या पशुओं के समान रहता है और किस प्रकार से उसकी अवस्था में सुधार हो रहा है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस लड़के के खर्चे के लिये विदेश से भी कुछ रुपया आया है?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, रुपये आने की कोई सूचना नही है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—क्या यह सही है कि रामू को भाषा सिखाने के लिये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं रखा गया है?

श्री बनारसी दास—जी अभी तक कोई मनोवैज्ञानिक नहीं रखा गया है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी सूचना है कि विदेशी लोग रामू भेड़िये के लड़के को ले जाने के लिये वार्ड ब्वायज को घूस देने का षडयंत्र कर रहे थे?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अब तक इस लड़के के ऊपर अपने कोष से कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री बनारसी दास—अभी तक जितना रुपया खर्च हुआ है उसकी पूरी सूचना सरकार के पास नहीं आई है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भेड़िये के लड़के रामू को देखने के लिये क्या अस्पताल में कोई टिकिट लगाया गया है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामू की स्थिति में क्या सुधार हुआ है ?

श्री बनारसी दास—अब वह चलने लगा है और थोड़ा २ बोलता भी है।

नानपारा तहसील, थाना खैरीघाट के पास चिकित्सालय भवन का निर्माण

*५५—श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बहराइच जिले के अन्तर्गत नानपारा तहसील में थाना खैरीघाट के सन्निकट कोई हास्पिटल भवन का निर्माण किया जा रहा है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*५६—श्री बसन्त लाल शर्मा—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त कार्य के लिये कितनी धनराशि कब से स्वीकृत है ?

श्री बनारसी दास—३६,७०० रु० की धनराशि १९४६ में स्वीकृति हुई थी। अब दूसरा तखमीना ५२,७०० रु० का स्वीकार हुआ है।

श्री बसन्त लाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल का कांस्ट्रक्शन कब से शुरू हुआ है और कितना हो चुका है ?

श्री बनारसी दास—इसका कंस्ट्रक्शन तो काफी हो चुका है और आशा यह है कि इस साल के अन्त तक पूरा हो जायगा। देरी अवश्य हुई है। सन् १९४६ ई० में रुपया मंजूर हुआ लेकिन कार्य जल्दी शुरू नहीं हो पाया और बाद में दुबारा तखमीना मांगना पड़ा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अस्पताल कितने बेड्स का है ?

श्री बनारसी दास—यह जो डिस्पेंसरीज का माडल है उसके अनुसार है, वहां पर प्रायः ६ बेड्स का प्रावीजन होता है।

कानपुर शहर में ईंधन सप्लाई के टेण्डर

*५७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत अक्तूबर में कानपुर शहर को ईंधन सप्लाई करने के लिये कंजरवेटर ने टेण्डर मांगे थे ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

*५८—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसका टेंडर स्वीकार किया गया, और क्यों ?

श्री बनारसी दास—श्री महेन्द्र सेन का टेंडर स्वीकार किया गया था, क्योंकि उनका टेंडर १ रु० ३ आने का था जो सबसे नीचे दरों का था।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कानपुर में ईंधन सप्लाई का काम कौन कर रहा है ?

श्री बनारसी दास—प्राविंशियल मार्केटिंग फ़ेडरेशन।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि इस फ़ेडरेशन को शुरू में काम एक रुपया तीन आने के हिसाब से दिया गया था, बाद को बगैर सूचना एक रुपया, पांच आने रेट कर दिया गया ?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह सही है कि एक रुपया पांच आने कर दिया गया, लेकिन यह सही नहीं है कि सूचना नहीं दी गयी।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि एक रुपया, पांच आने के टेंडर बहुत से लोगों ने दिये थे, उनके टेंडर अस्वीकार कर दिये गये हैं और फ़ेडरेशन को दिये गये हैं ?

श्री बनारसी दास—जिस वक्त टेंडर इन्वाइट किये गये थे तो एक रुपया तीन आने का लोएस्ट था, यह सही है कि कुछ लोगों ने एक रुपया पांच आने भी दिये। लेकिन जिसका लोएस्ट था उन्होंने लकड़ी सप्लाई करने से इन्कार कर दिया था, तब कोआपरेटिव फ़ेडरेशन को मुक़र्रर किया गया था और दूसरे लोग एक रुपया तीन आने की दर पर उपलब्ध नहीं थे।

*५९-६०—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—[१६ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना

श्री अध्यक्ष—माननीय उपाध्याय जी ने विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में कहा था कि विशेषाधिकार का प्रश्न वह उठाना चाहते हैं। उन्होंने लिखकर उसके कारण भी बताये हैं और उठाने की अनुज्ञा मांगी है कि आज वह उसे उठा सकें। मेरे सचिव के पास कोई ११ बजे से दस बारह मिनट पहले उनका खत आया है। बहुत लम्बा खत है और वह पहुंचा मेरे पास सिर्फ कुछ मिनट पहले यहां आने के, तो उसकी नक़ल मैं अभी माननीय मंत्री जी को दे नहीं सका हूं और मैं भी पढ़ नहीं सका हूं, क्योंकि मैं ११ बजे के क़रीब ५ मिनट पहले अपने कमरे में आया। इसलिये मैं इसको कल पढ़ने के बाद इसके ऊपर निर्णय दूंगा कि क्या उसे आप सदन में उठा सकते हैं।

इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं इलाहाबाद युनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५४, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४०—२६१ पर।)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ †खण्ड १४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विरोध में केवल दो आपत्तियां उठाई गईं। माननीय अब्दुल मुईज खां ने यह आपत्ति उठाई कि जो मेरा संशोधन है वह एक आफ्टर थाट के रूप में है और इस आपत्ति के कारण उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि क्योंकि यह एक आफ्टर थाट है इसलिये इसको अस्वीकार करना चाहिये। माननीय अब्दुल मुईज खां एक बडिंग लाइयर हैं और एक बडिंग लाइयर की भांति उन्होंने यह रखने की चेष्टा की है। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि मेरा संशोधन एक आफ्टर थाट है तो कहां तक संशोधन के तत्व पर इसका असर पड़ता है और कहां तक केवल एक आफ्टर थाट होने की वजह से ही वह एक अनुचित संशोधन हो जाता है, इस पर कुछ न कहकर मैं इस विषय पर निर्णय देने के लिये सदन के सदस्यों और आपके ऊपर ही इसको छोड़ता हूं।

दूसरी आपत्ति माननीय राम नरेश शुक्ल जी ने उठायी थी और उनका कहना यह था कि यदि कोई एक रिवोल्यूशनरी कदम या सुझाव दिया जाय, चाहे वह कितना ही गलत क्यों न हो, चाहे वह कितना ही इम्प्रैक्टिकल (अव्यवहारिक) क्यों न हो, किन्तु यदि कोई ऐसा संशोधन पेश किया जाय तो उसको माननीय राम नरेश शुक्ल जी समझने के लिये तैयार हैं, किन्तु यदि एक ऐसा संशोधन पेश किया जाय जो कि प्रैक्टिकल रूप में एक प्रकार का कम्प्रोमाइज पेश करता हो तो उसको वे स्वीकार करने के लिये कभी भी तैयार न होंगे। माननीय राम नरेश जी की जो आपत्ति है................

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर सर, श्रीमन् इस अमेंडमेंट में जो सेक्शन ४३ आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट का जिक्र किया गया है तो सेक्शन ४३ आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट में तो किसी नामिनेशन की बात नहीं है जैसा कि इस अमेंडमेंट में है। वहां तो सीधे गांव सभा एलेक्ट करेगी पंचायती अदालत में पंचों को। इसलिये यहां सेक्शन ४३ आफ दी प्रिंसिपल ऐक्ट तो उससे असंगत हो जाता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपके सम्मुख यह निवेदन कर दूं.....

श्री अध्यक्ष—मैं अभी जरा देख लूं कि आपत्ति क्या है।

श्री अब्दुल मुईज खां, आप अपनी आपत्ति दोहरा दीजिये।

(कुछ ठहर कर)

श्री अब्दुल मुईज खां—श्रीमन्, प्रिंसिपल ऐक्ट जो है अगर उसकी धारा ४३ जैसा इस अमेंडमेंट में लिखा है।

श्री अध्यक्ष—वह पढ़ कर आप सुना दें, आपके पास है?

श्री अब्दुल मुईज खां—वह इस प्रकार है—"Every Gaon Sabha in a circle shall elect five adults of prescribed qualification" इतने ही से काम चल जायगा। वहां तक गांव सभा पंचायती अदालत के सदस्यों को चुनेगी और हम जिस खंड को इस वक्त ले रहे

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
†४ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

है और जिस पर यह अमेंडमेंट है, पूरा अमेंडमेंट जिस पर आधारित है वह यह है कि एलेक्शन के बाद नामिनेशन होगा। तो अगर "४३ आफ दी प्रिंसिपल ऐक्ट" इसमें कायम रहा अमेंडमेंट में, तो पूरा खंड असंगत हो जाता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति श्री अब्दुल मुईज खां साहब ने की है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि पहले तो जो माननीय मंत्री महोदय का ड्राफ्ट है उसमें केवल प्रिंसिपल ऐक्ट बढ़ाया है। लेकिन जहां तक मुईज खां साहब की आपत्ति है मैं उनका और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सेक्शन ३३ आफ दी अमेंडिंग बिल जो है उसमें सेक्शन ४३ आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट के संबंध में संशोधन पेश किया है। ३३ खंड के संबंध में भी मैंने एक संशोधन पेश किया है जो कि वर्तमान संशोधन के अनुकूल है।

श्री अब्दुल मुईज खां--जैसा अभी बालेन्दुशाह जी ने फरमाया, संशोधन में सेक्शन ४३ आफ दि ऐक्ट है "आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट" नहीं है। अगर आप "आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट" की शब्दावली से अमेंडमेंट पास हो जायगा तो इसके मानी यह हो जायंगे कि 'सेक्शन ४३ आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट'।

श्री अध्यक्ष--वह तो कह रहे हैं कि उन्होंने खंड ३३ में भी एक संशोधन दिया है जो इस संशोधन के अनुरूप है।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--अध्यक्ष महोदय, जो मुईज साहब की आपत्ति है वह यह है कि 'प्रिंसिपल ऐक्ट' होने की वजह से जो ओरिजिनल ऐक्ट में है, उसका संशोधन होगा अमेंडिंग बिल में। तो रेफरेंस जो प्रिंसिपल ऐक्ट का हो गया प्रिंसिपल ऐक्ट की भाषा इनकारपोरेट हो गयी। जो संशोधन में है वह सेक्शन ४३ है। सेक्शन ४३ जैसा होगा वह अप्लाई किया जायगा। इसलिये प्रिंसिपल ऐक्ट अगर न हो तो उनकी आपत्ति नहीं रहेगी। इसलिये अगर इस विषय को लिया जाय तो मेरी प्रार्थना है कि "आफ दि प्रिंसिपल ऐक्ट" हटा दिया जाय। इसको हटाने के बाद ठीक हो सकेगा। तब इस पर गौर किया जाय।

श्री अध्यक्ष--विधेयक में यह दिया हुआ है--

"has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43"

४३ धारा किस ऐक्ट की है?

श्री मोहन लाल गौतम--सेक्शन ४३ जब यहां आया तो सेक्शन ४३ जैसे अमेंडेड होगा वह भी एप्लाई हो जायगा और अमेंडेड का मतलब यह है कि पांच, तीन, दो या एक जो भी होगा, वह ४३ में इन्क्लूड हो जायगा, ऐज अमेंडेड और यह प्रिंसिपल ऐक्ट में फिर इन्क्लूड नहीं होगा, बल्कि उसकी भाषा इनकारपोरेट हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--माननीय बालेन्दुशाह जी को अब तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--जी हां, कोई आपत्ति नहीं है। जैसा मैं कह रहा था अब्दुल मुईज खां जी की जो पहली आपत्ति है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो रामनरेश जी शुक्ल ने कम्प्रोमाइज के सम्बन्ध में कहा उसके संबंध में एक यह "एनकडोट" पेश करना चाहता हूं। एक समय ऐसा हुआ कि एक नैरो ब्रिज में जहां दो गाड़ियां इकट्ठी पास नहीं कर सकती थीं एकाएक दो दिशाओं से दो गाड़ियां आ पहुंची। एक तो उनमें बड़ी ट्रक थी और दूसरी छोटी सी गाड़ी थी। नतीजा यह हुआ कि पुल पर ट्राफिक जाम हो गया। बड़ी गाड़ी वाला अपनी बड़ी गाड़ी के अहंकार और जोश में चिल्लाकर कहने लगा "आई नेवर बैक फ़ार ए

[महाराज कुमार बालेन्दु शाह]

फूल" (मैं किसी बेवकूफ की खातिर गाड़ी पीछे कभी नहीं हटाता।) छोटी गाड़ी वाले ने जवाब दिया "आई आलवेज डू" (मैं हमेशा हटा लेता हूं।) और उसने गाड़ी बैक कर ली। यही हाल यहां पर है। इस बहुमत की गवर्नमेंट का सामना हमें करना है। "फूल" का उदाहरण मैं उसी रूप में पेश नहीं करता, लेकिन जब यह प्रतीत होता है कि बात चाहे ठीक हो या गलत हो उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो एक प्रकार से जैसा श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि चाहे यह सत्तू हो इस को स्वीकार कराने की कोशिश हमारी तरफ से है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस कम्प्रोमाइज के फार्मूले को सत्तू के समान ही समझें। जो सिमली उन्होंने दी है मैं भी उससे सहमत हूं और मैं भी यह चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के पंचों का चुनाव खुल्लमखुल्ला हो। उसमें किसी प्रकार से भी न किसी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का, न माननीय मन्त्री महोदय का और न किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़े। कोई भी बाधा किसी तरह के उनके काम न पड़े और न कोई किसी प्रकार की अड़चन उसमें डालने की कोशिश करे। यह जो फार्मूला हमारी तरफ से दिया गया है वह ऐसा है कि सरकार की जो यह इच्छा है कि उसमें किसी हद तक न्याय पंचायत की निगरानी रहे तो वह भी हल हो जाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राम नरेश जी ने कहा था कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा एलेक्शन कराने में फायदा है, किन्तु चुने हुये न्याय पंचों के द्वारा स्वीकार करने में बहुत अन्तर है इसलिये कि मनमानी नहीं हो पायेगी। किसी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की बात को अस्वीकार करने के लिये माननीय मंत्री महोदय को हिम्मत और करेज दिखाना पड़ेगा। यदि जैसाकि मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ऐसी हिम्मत रखते हैं और ऐसा करेज उनमें होगा तो फिर उनके सामने इस सुझाव से कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति गांव पंचायत के द्वारा न्याय पंचायत के लिये चुन लिया जाता है तो माननीय मंत्री महोदय या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उसको डिसएप्रूव कर सकती हैं। जहां तक इसका प्रेक्टिकल सवाल है उसमें कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं देती जिससे माननीय मंत्री महोदय के सामने कोई बड़ी बाधा रास्ते में दिखाई पड़ती हो। इसलिये मैं अधिक न कह कर अन्त में यह कहूंगा हालांकि माननीय राम नरेश जी इस बात से सहमत हैं कि गांव पंचायत के द्वारा न्याय पंचायत बने, किन्तु यह सम्भव है कि रामनरेश जी की भावना भिन्न हो सकती है। रामनरेश जी सही हों या मैं सही हूं यह एक असंगत बात है। जहां तक मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में वही न्याय हमको मानना चाहिये, जिसको जनता न्याय समझे। हमारे बीच में यदि चोरी हो तो उस आदमी को न्याय मिले। हम विशेषरूप से चाहते हैं कि यह सम्भव हो कि यदि गाव में किसी प्रकार की चोरी हो जाय और उसके सम्बन्ध में जनता वर्तमान कायदे के अनुसार उसको कोई उतना अपराध गम्भीर न समझे तो हमको इस पर एतराज नहीं होना चाहिये। न्याय पंचायत जनता के बीच में न्याय पहुंचाने के लिये स्थापित की जा रही है न कि माननीय मन्त्री महोदय या माननीय रामनरेश जी के या मेरे विचार के अनुसार जो न्याय हो उसको प्रचलित करने के लिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विश्वास है कि मेरे संशोधन से माननीय मंत्री महोदय की इच्छा पर कोई आघात नहीं पहुंचता है और हालांकि मुझे यह संशोधन मजबूरी की हालत में पेश करना पड़ा किन्तु 'सम थिंग इज बैटर दैन नथिंग' के अनुसार मैंने इसको पेश किया है और मेरा विश्वास है कि यदि वह इसको स्वीकार कर लेते हैं तो इससे जनता के बीच में न्याय पंचायतों की प्रशंसा बढ़ेगी। न्याय पंचायतों के ऊपर उनका विश्वास और भरोसा बढ़ेगा। यदि इसको माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार नहीं करते हैं और जिद में आकर अपने द्वारा ही नियुक्त किये गये पंचों को जनता के बीच में स्थापित करते हैं जो कि एक प्रकार से उनकी ही सरकार स्थापित होती है तो मुझे भय है कि वह एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जिस पर माननीय मंत्री महोदय को और मुझे पूरा फाउन्डर होने का अन्देशा है।

*श्री मोहनलाल गौतम—श्री बालेन्दुशाह ने मुझे यह कहा कि मैंने इस विधेयक को यहां पर रख कर सदन का अपमान किया है तो उस वक्त मुझे खयाल आया कि कैसे अपमान हुआ और क्या हुआ। क्योंकि मेरे दिमाग में यह नहीं था, लेकिन मैं यह जरूर समझ गया कि जिस माननीय सदस्य के दिमाग में इस विधेयक को रखने से अपमान होता हो उन्होंने स्वयं इस पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दस्तखत किये, जब कि यह विधेयक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी से इस सदन में आया तो उन्होंने ही इस सदन का अपमान किया। सवाल यह है कि मेरे दिमाग़ में तो सदन का अपमान नहीं था, लेकिन जिस माननीय सदस्य ने सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर की हैसियत से इस पर दस्तखत किये और यह कहा कि प्रवर समिति के कुछ निर्णयों में वह अपने संशोधन लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हैं, अर्थात् इस बात को उन्होंने नहीं कहा कि विधेयक सदन में न रखा जाय बल्कि यह कहा कि रखा जाय और वह उसमें संशोधन पेश कर सकें। तो उनके अब के स्टेटमेंट के हिसाब से क्या प्रायश्चित वह करें, यह वह खुद जानें। कम से कम मैंने सदन का अपमान करने के लिये विधेयक यहां नहीं रखा।

बहस कुछ इधर उधर हो गई। जो लोग यह समझते थे कि इलेक्शन ठीक है और जब उधर का अमेंडमेंट नामंजूर हो गया तो माननीय गेंदा सिंह जी ने और कुछ और माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहस करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन इसमें भी हो। इसका तो मतलब यह है कि अथारिटी अभी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रहे चाहे उसके नामीनेट करने की बात हो या कन्फर्म या एप्रूव करने की हो। बालेन्दुशाह जी का संशोधन सिर्फ रिकमेंडेशन की हैसियत रखता है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को कन्फ़र्म या एप्रूव करने का अधिकार है, चाहे वह मानें या न मानें। यहां इलेक्शन नहीं है, यहां सिर्फ रिकमेंडेशन है क्योंकि अगर रिकमेंडेशन कन्फर्म नहीं होगी तो वह मानी नहीं जायगी। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने पंचों को इस हैसियत में डालना चाहेंगे कि उनके चुने हुये को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामंजूर कर दें। अगर उसने नामंजूर कर दिया और कोई पंचायत गुस्से में आकर यह कहे कि हमने इन ५ आदमियों को रिकमेंड किया और चूंकि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने नामंजूर कर दिया तो हम दूसरी सिफ़ारिश नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति के लिये बालेन्दुशाह जी की स्कीम में कोई प्रावीज़न नहीं है। इसलिये वह बकाबिल नहीं है। मैं पंचों को इस पोजीशन में नहीं डालना चाहता कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनकी रिकमेंडेशन को नामंजूर कर दे। कोई भी स्कीम पूरी होनी चाहिये। बीच की चीज़, जिसे कि गोल्डन रूल समझा जाता है, उसमें गड़बड़ होने का अन्देशा रहता है। पंचों ने सेलेक्ट किया, इलैक्ट किया, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने नामंजूर कर दिया तो डेडलाक हो गया, तो फिर पंचायती अदालत कैसे बनेगी? प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनकी स्कीम में फ़ाइनल है अर्थात् अन्तिम आज्ञा उसकी चलेगी। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी साफ़ नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस ऐक्ट में एक तालिका दी हुई है और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जगह जगह पर अलहदा-अलहदा है। आडिट करने के लिये, इंस्पेक्शन करने के लिये, अलहदा होगी, इसी तरह हैं। माननीय सदस्य इस तालिका को देख सकते हैं। अब कई साहेबान कहने लगे कि थानेदार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हो जायगा। अगर ऐसा होगा तो बालेन्दुशाह जी की स्कीम में वही थानेदार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रहेगा और वही फ़ाइनल वर्ड होगा। इसलिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के बारे में अधिक बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बालेन्दुशाह जी ने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को माना है और माना ही नहीं है बल्कि उतना ही माना है जितना कि मैंने माना है। उन्होंने कहा कि यह एक समझौता है, लेकिन यह समझौता ही नहीं इसमें दोनों की अच्छी बातों को तो छोड़ दिया गया है और ग़लत बातों को ले लिया गया है और इस तरह से यह समझौता पेश किया गया है। इसलिये मुझे यह मंजूर नहीं है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं कुछ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। जहां तक अपमान का सवाल है मेरा विचार यह है कि सदन के सामने जो विधेयक पेश हुआ है, उसमें मुख्य बात प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की है जिसकी परिभाषा भी इस विधेयक में नहीं है और उस पर यह विधेयक बहुत हद तक निर्भर है। ऐसी हालत में भी सरकार बहुमत के जोर से एक प्रकार से हम लोगों से सफ़ेद काग़ज़ पर दस्तखत करा लेना चाहती है। यह सदन का एक प्रकार से अपमान है।

श्री मोहनलाल गौतम—यह सफाई नहीं है। आपने कोई नोट आफ डीसेंट भी नहीं दिया, दस्तखत कर दिये और कहा कि पेश कर दो। मैंने उनके कहने से पेश कर दिया, इसमें मैंने क्या अपमान कर दिया?

श्री अध्यक्ष—यह बहस नहीं है । उनको जो पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना था, उन्होंने दे दिया अब उसका परिणाम माननीय सदस्यों के हृदयों पर जो कुछ होना है होगा ।

प्रश्न यह है कि खंड १४ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा "12-A" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12, but only such of them as remain after those persons elected by the Gaon Sabha have from amongst themselves elected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat, and approved and confirmed by the Prescribed Authority, shall be members of the Gaon Panchayat."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हुआ ।)

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि.....

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह फैसला हो जाना चाहिये कि जब मेम्बर्स के इलेक्ट होने का एक अमेंडमेंट गिर चुका है तो क्या फिर पेश किया जा सकता है । सदन जिस चीज को अस्वीकार कर चुका है माननीय तेज नारायण जी का संशोधन उसको कवर करता है ।

श्री अध्यक्ष—श्री तेज प्रताप सिंह जी आप बतायें कि इसमें फर्क क्या है ?

श्री तेज प्रताप सिंह—विष्णुदयाल जी का संशोधन तो सिर्फ यह था कि वे इलेक्टेड हों लेकिन उसमें यह निश्चित नहीं था कि कहां से इलेक्टेड हों, परन्तु मेरे संशोधन में यह है "from amongst themselves." ।

श्री अध्यक्ष—इसमें थोड़ा सा अन्तर जरूर है । इसके पेश करने की मैं इजाजत देता हूं ।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, बेहतर तो यह होता कि जिस समय संशोधन पेश किया गया था उस समय ही अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट पेश कर दिया जाता । इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है और इस तरह से एक एक लफ्ज बढ़ा कर अलग अलग अमेंडमेंट पेश करने की इजाजत आपने दे दी तब तो सदन का बहुत समय लगेगा । तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष—यह तो उस वक्त प्वाइंट आउट नहीं हुआ । यह तो एजेंडे पर भी था । अगर उस वक्त यह सुझाव आ जाता तो मैं इस तरह की बात स्वीकार कर लेता ।

श्री मोहन लाल गौतम—तो आगे के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाय, तो ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—हां, आगे के लिये हो जायगी ।

श्री तेज प्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नयी धारा "12-A" की पंक्ति ७ में शब्द "after" तथा पंक्ति ६ मे शब्द "for" के बीच के शब्द हटाकर निम्नलिखित रख दिये जायं—
"They have elected five persons or such lesser number as aforesaid from amongst themselves."

यह जो संशोधन माननीय मंत्री जी इस सदन के सामने लाये हैं मैं समझता हूं कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें खासतौर से न्याय पंचायतों के संगठन के बारे में एक नया प्रोविजन रखा गया है। ग्राम सभाओं, ग्राम राज्य की जो कल्पना की गयी है उसके दो ही अंग हैं। एक तो ग्राम पंचायतों का और दूसरा न्याय पंचायतों का। इसीलिये यह एक विशेष महत्व रखता है जब उसके संगठन के बारे में हम कोई तब्दीली करते हैं और इस महत्वपूर्ण मसले में......

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं इस संशोधन में देखता हूं जो महाराज कुमार बालेन्दुशाह जी के संशोधन में भी थी "Those persons elected by the Gaon Sabha have from mongst themselves elected five persons or such lesser number" तो इन शब्दों में और उसमें क्या अन्तर है?

श्री तेज प्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, उनके संशोधन मे था "and approved and confirmed by the prescribed authority."

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह प्रिंसपल तो उसमे आ चुका है "those persons elected by the gaon sabha"। जब यह चीज पहले आ चुकी है तो फिर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री तेज प्रताप सिंह—श्रीमन् उसमें है कि "and approved and confirmed by the prescribed authority।"

श्री अध्यक्ष—तो आप उस सिद्धांत को हटा देते हैं?

श्री तेज प्रताप सिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो आप मुख्तसर ही बोलें इस पर ज्यादा विवाद नहीं होना चाहिये क्योंकि यह स्वल्प संशोधन है।

श्री तेज प्रताप सिंह—तो यह जो दलील दी गयी है, मैं समझता हूं कि खासतौर पर इस एलेक्शन से पार्टीबन्दी बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि पार्टीबन्दी के इस युग में डेमोक्रेसी का प्रोसेस रोका नहीं जा सकता और हम सबको इस बात का भान होगा कि हर गांव में पार्टीबंदी है। तो यह तर्क पेश करके अगर इस तरह का तर्क करें कि पार्टीबंदी इस नामिनेशन से खत्म हो जायगी, यह नहीं होगा। दूसरे जो हम नामिनेशन करने की व्यवस्था लाते हैं तो इस संशोधन के द्वारा यह प्रेस्काइब्ड अथारिटी आती है तो आखिर नामिनेशन किस प्रकार हो। नामिनेशन ऐसे व्यक्ति द्वारा हो जो इतना महान् हो, जो जेनरल विल रेप्रेजेंट करता हो। तब यह माना जा सकता है कि वह ग्रामीण जनता की भावनाओं को ध्यान मे रखते हुए एक सही बात करता है और उससे फिर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति जो काम करता है वह सब के हित में करता है और वह इतना महान् है तो इसमें कोई आपत्तिनहीं हो सकती। लेकिन आज जो समाज का नैतिक स्तर गिरा हुआ है उसको सभी स्वीकार करते हैं और तब हमारे लिए यह प्रश्न उठता है कि ऐसे समय में जब कि हमारा नैतिक चरित्र इतना ऊंचा नहीं है तब हम आखिर क्या व्यवस्था करें। तब ऐसा प्रश्न आता है कि हम उन्हें ग्राम समाजों पर, उन्हीं ग्रामीण भाइयों पर यह जिम्मेदारी छोड़ें कि वह अपना काम स्वयं करे जिससे उनका स्तर अपने आप ऊंचा होगा। जब उनकी जिम्मेदारियां उन पर होंगी तभी उनका चरित्र निर्माण हो सकता है, अन्यथा अगर बाहर से कोई व्यवस्था कायम की जाय तो यह हो नहीं सकता है। माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी द्वारा जिन व्यक्तियों का नामिनेशन होगा वे सही न्याय कर सकेंगे या नहीं, इस विषय में दोनों पक्ष में दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन जितने भी व्यक्ति उस पेनल में चुने जायंगे तो यह स्वाभाविक है कि सभी में यह महत्वाकांक्षा होना लाजमी है और वह होती है कि मैं न्याय पंचायत में जाकर काम करूं और यह प्रकट भी होगा कि ५ या उससे कम जो संख्या होगी वही न्याय पंचायतों में काम करेगी। तो इससे यह भावना पैदा होती है कि सभी इस कमेटी में जाना चाहते हैं और उसके लिए दौड़ धूप शुरू हो जाती है। आज के नैतिक स्तर से यह जाहिर है कि दौड़ धूप

[श्री नेत्रप्रताप सिंह]

और एप्रोचेज जरूर होंगी और उससे उन्हीं का स्तर नहीं गिरेगा बल्कि उन जिम्मेदार व्यक्तियों का भी स्तर गिरने का भय है, जो ऐसी कोशिश करने के लिए मजबूर होंगे। जबकि हम ऐसे संकट के समय से गुजर रहे हैं तब तो नैतिक स्तर ऊंचा करने की ओर भी अधिक आवश्यकता है और हमें ऐसी प्रणाली को मौका न देना चाहिए जिस से हमारे जन-समाज और विशेष कर ग्राम-समाज उससे वंचित रहें और उसका स्तर निरन्तर गिरता चला जाय। बार बार हमारे नेताओं ने यह बात कही है कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर न रहना चाहिये, और किसी का भरोसा न करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उन्हीं भावनाओं से प्रेरित हो कर मैंने यह संशोधन रखा है और आशा है कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे। माननीय सदस्यों ने जिस पंचायत राज्य ऐक्ट को पास किया था वह निस्संदेह सराहनीय है और वह इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यह भी सत्य है कि समय बदलने पर कुछ चीजों में संशोधन करने की भी आवश्यकता होती है लेकिन उनमें रद्दोबदल करते समय हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम जिन लोगों को यह शक्ति दे रहे हैं और जिनमें यह प्रणाली कायम करने जा रहे हैं उनके नैतिक स्तर में इस से गिरावट तो न होगी और उनकी स्वावलम्बन की भावना तो खत्म न होगी। इसलिए इस बिल में सबसे आवश्यक और सब से महत्वपूर्ण यही धारा थी, जिस पर मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करूं। हमें उन में इस स्वावलम्बन को बढ़ाना चाहिए, उनमें वह जोश और जीवन पैदा करना चाहिए और उन्हें वह शक्ति देनी चाहिए कि जिससे वह लोग न्याय पंचायतों और दूसरी चीजों में आगे बढ़ें और वह वहां की जनता के विश्वासपात्र बन सकें। हम कोई प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जैसी कोई चीज लाद देते हैं, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी किसी व्यक्ति पर आक्षेप अवश्य नहीं है, सब जगह अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन एक सिद्धांत की बात सामने रखते हुए मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस दौड़ धूप और नैतिक गिरावट को रोकने का यही एक साधन है। कोई व्यक्ति जो महत्वाकांक्षा रखता हो उसके लिए यह जरूरी है कि वह लोगों में जाय और विश्वास हासिल करे और तब आगे बढ़ सके। इस कारण मैं मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करके इस संशोधन को वापस कर लें। हमारा इतिहास भी ऐसा रहा है जब हमारे गांवों में पंचायतें हुआ करती थीं। लोग कहते हैं कि जुडीशियरी को एलेक्टेड नहीं होना चाहिये। हमारे यहां गांवों में एलेक्शन तो दूर रहा हमेशा आपस में फैसले हुआ करते हैं। गांवों में ऐसे स्थान अब तक मौजूद हैं जहां पर लोग इकट्ठे हो कर छोटे मोटे मसलों पर विचार करके फैसला किया करते हैं। इस ऐतिहासिक सत्य को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जो अपना संसार में एक विशिष्ट स्थान रखता है उसमें हमारी प्रणालियों को भी प्रश्रय मिले उन्हीं जड़ों में पानी डालना चाहिये जिससे वह पौधा मजबूत हो जिससे हम बाहर की ओर न देखें कि बाहर कौन सी प्रणालियां चलाई गयीं। हमें अपने यहां की प्रणालियों पर ध्यान देना चाहिए, उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके उन्हीं पर मजबूती से कार्य करने की जरूरत है इस मूलभूत सिद्धांत को हमें छोड़ना नहीं चाहिये। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने उठायी थी उस बात की सफाई अभी तक नहीं हो पायी। वह यह कि विष्णुदयाल जी ने कहा था कि वे मेम्बर चुन लें और आपने कहा कि अपने में से ही चुन लें। विधेयक की जो यह धारा है वह कहती है कि गांव पंचायतों के कुछ मेम्बर होंगे। गांव सभाओं की तरफ से न्याय पंचायतों के लिये जितने सदस्य चुने जायंगे वह दोनों की संख्या मिलाकर चुने जायंगे और उसमें जितनी न्याय पंचायत के लिए संख्या होगी जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनको छांट देगी तो बाकी गांव पंचायत के मेम्बर रह जायेंगे। मान लीजिये कि २१ और ३ गांव पंचायत और न्याय पंचायत के मेम्बर चुने जाने वाले हैं तो २४ चुने जायंगे और उनमें से तीन छंटने के बाद ही २१ रहेंगे। जब तक २४ नहीं चुने जायेंगे तब तक २१ कैसे रहेंगे तो एमंग्स्ट देमसेल्व्ज उसमें इम्प्लाइड है और उसके बिना तो स्कीम ही वर्क नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष—यह प्रस्तुत संशोधन की वैधानिकता के ऊपर दूसरा तर्क माननीय स्वशासन मंत्री ने उपस्थित किया है उसमें काफी बल है।

श्री तेजप्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे और विष्णुदयाल जी के संशोधन में फर्क है। मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई बंधन रहे। मैं यह चाहता हूं कि अपने में से वे खुद चुन लें और विष्णुदयाल जी का जो संशोधन था उसमें था कि एलेक्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष—उसमें इसमें कोई अन्तर नहीं होता। उनका खयाल यह है कि आदमी छांट लिये जायेंगे जो चुने हुए सदस्यों में से ही होंगे।

श्री तेज प्रताप सिंह—वह एमंगस्ट देमसेल्व्ज नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष—उन्हे अपने मे से ही लेना पड़ेगा क्योंकि आगे यह दिया है कि बाकी जो बचेंगे वह गांव सभा की चुनी हुयी गांव पंचायत के मेम्बर रह जायेंगे। उनका यह कहना तर्कसंगत मालूम होता है और परिणाम मे दोनों में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए मैं इसको अवैध करार देता हूं क्योंकि आपने उसका कोई उत्तर ठीक दिया नहीं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

'खण्ड १४ में प्रस्तावित धारा 12—A निकाल दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इसमें कई धारायें है और एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि मैं इस खंड का विरोध कर रहा हूं लेकिन चूंकि कई धाराओं से इसका सम्बन्ध है इसीलिए मैंने यह संशोधन किया है कल से कई बार इस न्याय पंचायत के बनाने के सम्बन्ध में विचार विनिमय हुआ है। कुछ ऐसे फारमूले भी लाये गये जिनको कम्प्रोमाइजिंग कहा जा सकता है...

श्री अध्यक्ष—आप 'कम्प्रोमाइज फार्मूला' शब्द तो कहें लेकिन 'कम्प्रोमाइजिंग' शब्द न कहे क्योंकि उसका अर्थ जरा आपत्तिजनक हो जाता है।

श्री गेंदा सिंह—सुलह करने की कोशिश तो की गयी थी लेकिन माननीय स्वशासन मंत्री जी ने मानने से इन्कार कर दिया। इसलिए मजबूर हो करके हमको कहना पड़ रहा है कि इस खंड को यहां से निकाल दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस खंड को निकाल देने से कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं लेकिन जितनी कठिनाइयां इसके रहने से आयेंगी उससे कम कठिनाइयां इसके निकाल देने से आयेंगी। न्याय पंचायत के सम्बन्ध में मैंने कल भी कुछ निवेदन किया था और मैं आज भी इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि न्याय का स्थान अगर ऐसे लोगों से अछूता रखा जाय जिनका शासन से सम्बन्ध है तो यह ज्यादा अच्छा होगा, जनता के लिए, सरकार के लिए और जिनके ऊपर इन्साफ का बोझ होता है उनके लिए या जो इन्साफ कराने के लिये जाते हैं न्यायाधीशों के पास, इन सब के लिए अच्छा होगा और बहुत सोचने समझने के बाद हमारे संविधान में इस बात की गुंजाइश की गयी थी कि जितना भी जल्दी हो सके न्याय और शासन को पृथक् कर दिया जाय। उसके अनुसार हमारे प्रदेश में भी चाहे वह नाममात्र को ही कहा जाय—फिर भी यत्न तो किया गया है कि न्याय और शासन को पृथक् पृथक् किया जाय सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पंचायत के कानून पर संशोधन करने के लिये एक कमेटी बैठी। उस कमेटी में ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनकी बुद्धि पर हम भी भरोसा कर सकते हैं और उन्होंने बहुत सोच समझ लेने के बाद जो अपनी राय कायम की, मैं नहीं समझता कि उस राय को बदल देने का क्या कारण सरकार के पास है। मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इस बात पर आज जरूर प्रकाश डालेंगे। मेरा उनसे यह बहुत नम्र निवेदन है, आरजू है कि जिस कमेटी के चेयरमैन वे थे उस कमेटी में उन्होंने कभी इस प्रकार की राय नहीं दी कि न्याय पंचायतों का गठन इस प्रकार से होना

[श्री गेंदा सिंह]

चाहिए जैसा कि विधेयक में है और न किसी माननीय सदस्य ने उसमें से अपनी ऐसी राय जाहिर की कि न्याय पंचायतों का इस प्रकार संगठन होना चाहिये। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित [illegible] सामने आयी। [illegible] उसका होता है कि उसने उस पर भी अपनी सम्मति दी और यह कहा कि जो यह सोचा जा रहा है कि न्याय पंचायतों को नामजद किया जाय यह गलत बात है। उन्होंने एक मत से यह कहा कि जो इस समय प्रथा प्रचलित है गांव सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की वही प्रथा प्रचलित रहनी चाहिये। माननीय व्रजविहारी मिश्र, माननीय स्वशासन मंत्री जी और भी माननीय सदस्य उस तरफ के रहने वाले और माननीय मलखान सिंह जी और बड़े बड़े ऐसे लोग उस कमेटी में में रहे हैं जिन पर मैं समझता हूं कि कम से कम इस पंचायत की रिपोर्ट लिखने के सम्बन्ध में में उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ इस पर विचार किया है और इस रिपोर्ट को लिखा है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आ जाने के बाद सरकार को कुछ होश आया या बेहोशी हुयी, दोनों बातें कही जा सकती हैं। सरकार को यह खबर थी कि यह जो कमेटी बनी है उस कमेटी की ऐसी रिपोर्ट आयेगी जिससे वह इन पंचायतों को जिस प्रकार चाहे घूमने वाली बना सकती है। मगर यह रिपोर्ट दूसरे प्रकार की आ गयी। इस तरह से, पूरी तरह से एक्सपोजर हमने कभी सरकार को होते हुए नहीं देखा। कम से कम इस असेम्बली के मेम्बरी के जीवन में। जिस प्रकार इस सरकार का अस्पष्ट रूप जो है वह इस विधेयक द्वारा दिखायी दे रहा है। इस विधेयक के लाने से, मुझे कुछ ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, कि इस विधेयक का सम्बन्ध शायद जिला बोर्डों के चुनाव से भी है। हालांकि इस विधेयक में कहीं जिला बोर्डों से सम्बन्ध रखने की बात नहीं की गयी है। जिला बोर्डों का अब तक जो चुनाव होता था वह प्रत्यक्ष चुनाव होता था। लेकिन अब सुनता हूं कि जिला बोर्डों के चुनाव का इन पंचायतों के चुनाव से सम्बन्ध होगा और जिला बोर्डों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो मुझे कुछ ऐसा संदेह होता है कि इन पंचायतों को सरकार ऐसा बनाना चाहती है कि इसी बुनियाद पर फिर जिला बोर्ड भी ऐसे ही बनें जैसी की सरकार की इच्छा हो, या होगी। अब मैं न्याय पंचायतों के बारे में इस समय कह रहा हूं कि सारे विधेयक के देखने के बाद ऐसा लगता है कि साधारण तौर पर एक आदमी को शिकायत हो सकती है कि क्या जिला बोर्डों के चुनाव को दृष्टि में रख कर तो ऐसा भेद नहीं किया जा रहा है। जहां कहीं भी हो....

श्री अध्यक्ष—इस विधेयक में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में तो कुछ है नहीं। आप कल्पना करके हमला कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—मैं कल्पना की दुनिया में तो नहीं रहना चाहता। मैं भी जो सामने है उसी को देखना चाहता हूं। लेकिन कभी कभी इस तरह की कल्पना होती है जिसको मैंने कह दिया। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय स्वशासन मंत्री जी से कि आखिर उस कमेटी की रिपोर्ट से क्यों नाराज हो गये और उनकी बेशकीमत राय जो हमारे सामने इस सदन में आ रही है उससे उन बेचारे माननीय सदस्यों को जो उनकी कमेटी के मेम्बर थे क्यों नहीं लाभ उठाने दिया। यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है कि जो मत इतना कीमती समझते हैं माननीय स्वशासन मंत्रीजी और अपना मत यहां देते हैं लेकिन वही मत कमेटी में नहीं दिया। आज वह माननीय सदस्य को बड़ी कठिनाई होती है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी जब इस प्रकार का मत सदन में दे रहे हैं तो वे बेचारे भी बड़े धर्म संकट में हैं कि वे क्या करें। जिन्होंने कमेटी में दूसरी राय दी थी। माननीय व्रज विहारी जी मिश्र को मैं जब कहता हूं कि आपने इतनी जल्दी क्यों राय बदल दी, वह तो बड़े बुजुर्ग और गम्भीर आदमी हैं, मैं उनसे अच्छी तरह परिचित हूं, उनके सामने तो मैं बच्चा हूं और माननीय मिश्र जी मुझको बच्चा समझ कर एक खिलौना दे देते हैं, कभी वह मुझको समझाने की कोशिश नहीं करते। तो अब मैं कम से कम समझने का हकदार हूं और वह माननीय सदस्य भी समझने के हकदार हैं कि उनके साथ उस कमेटी

में क्यों अन्याय किया गया । मैं समझता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट माननीय स्वशासन मंत्री जी ने पढ़ी होगी । यह साधारणतौर पर हमें विश्वास है कि चूंकि वे इस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं इसलिए वे इसके एक एक पैरा से वाकिफ होंगे। इसमें २९ वें पन्ने से न्याय पंचायत पर जो मत प्रकट हुए हैं शुरू हुये हैं और काफी दूर तक इस पर विचार किया गया और ४२, ४३ पेज तक विचार किया गया है और ऐसे लफ्ज इसमें लिखे गए हैं कि एक बार मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि कम से कम इन थोड़े से पन्नों को जरूर पढ़ लें। इन ५-७ पन्नों को पढ़ने के बाद फिर हम लोगों को दलील देने के लिए कोई बात नहीं रह जाती । इसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा है और मैं समझता हूं कि एक बार अगर गौर से कोई माननीय सदस्य इसको पढ़ जांय तो माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो कुछ भी यहां कहा वह उसे स्वीकार नहीं करेगा और यह समझेगा कि माननीय स्वशासन मंत्री किसी एक कारण से यहां इस तरह की बात कह रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसको पढ़ने के बाद अपना मत स्थिर करेंगे कि जो न्याय पंचायतों के सम्बन्ध मे इस समय सोचा जा रहा है वह ग़लत सोचा जा रहा है। इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कुछ पढ़ने के लिये।

श्री अध्यक्ष—उसका जो अंतिम फैसला है उतना ही हिस्सा आप पढ़ कर सुना दें। अगर पूरी किताब पढ़ना शुरू कर दे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा । आप आर्गूमेंटस तो दे चुके हैं।

श्री गेंदा सिंह—पूरी किताब तो मैं नहीं पढ़ूंगा अध्यक्ष महोदय । मैं ३७ वें पेज पर २० वे पैराग्राफ से कुछ पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है :—

"Those who were opposed to the system of elected judiciary, perhaps, did not fully appreciate that there could be any alternative."

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरी गुजारिश है कि यहां की जबान तो हिन्दी हो गयी है। रिपोर्ट हिन्दी में भी है।

श्री अध्यक्ष—आपके पास हिन्दी में रिपोर्ट नहीं है ?

श्री गेंदा सिंह—जी नहीं, अध्यक्ष महोदय, भला मैं ऐसी गल्ती करता ? मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है अंग्रेजी को पढ़ने में। तो इसमें है :—

"Those who were opposed to the system of elected judiciary, perhaps, did not fully appreciate that there could be no alternative to create the people's tribunals in the rural areas.

"The burden of responsibility fully laid on the shoulders of the members of the Gaon Sabha and the experience gained of the consequences of thoughtless and impulsive voting was more likely to teach the voters in the Gaon Sabha the necessity of creating the best possible Nyaya Panchayat for themselves."

मैं समझता हूं कि इन शब्दों को माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जरूर देखा होगा। जब इस प्रकार की राय कमेटी ने सर्वसम्मति से दी है तो क्या बात है कि इस वक्त वह राय बदली जाय । न्याय पंचायतों को एक शासन के बिल्कुल जुऐ के नीचे डाल देना उचित नहीं है । मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं और कई माननीय सदस्यों ने संदेह भी प्रकट किया है और वह सफाई चाहते है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी । प्रेसस्क्राइब्ड अथारिटी के लिये यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटस के संबंध में लोगों की रुचि नहीं मालूम होती कि उनको रखा जाय । मैं अध्यक्ष महोदय, इसी रिपोर्ट से एक बात कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस् की इस तरह की एक साजिश है कि न्याय पंचायतों को उनके हाथ से बनवाया जाय ।

[श्री गेंदा सिंह]

इसमें लिखा हुआ है कि १७ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ने न्याय पंचायतों को चुना हुआ न रखने के लिये सरकार को सलाह दी तो उसके देखने के बाद और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों की खुद की हरकतें है, उनको और उनके जो काम है, उनको देखने के बाद उनको कभी भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में शामिल करके इस न्याय के काम को बिगाड़ना होगा । पिछले दिनों में बार बार इस बात को कहा गया और माननीय रामनरेश जी ने तो यह कहा कि..........

श्री अध्यक्ष--प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सिलसिले में जो आप आरगूमेंट्स दे चुके है उनको रिपीट यानी दुहरा न करके केवल संकेत मात्र से कह दें ।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब इसका कोई आकार नहीं है तो हमें अंधेरे में टटोलना पड़ता है और उसमें अंधेरे में टटोलने से हमारे सामने बड़े लोग आ जाते है और उनके सबंध में चर्चा जरूर करना पड़ती है । जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं रखना है तो साफ साफ इस बात को कह दिया जाय तो मै समझता हूं कि विरोध कम हो जायगा । हालांकि इस न्याय पंचायत का सही रूप सामने नहीं आ सकता है और न्याय के नाम पर में समझता हूं कि शासन का जो आजकल सबसे बड़ा मजबूत एक खम्भा समझा जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसे अन्याय करने का अवसर मिल जाता है । उसको शासन के चलाने की परवाह हमेशा है अगर मैं यह भी कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी कि जो दल इस समय शासनारूढ़ है, उस दल को वह किस तरह से प्रसन्न कर सके और आगे भी रखने के लिये कामयाब हो सके, जिसकी वजह से उसकी नौकरी पक्की होने वाली है, तरक्की मिलने वाली है। उसी की चिन्ता अधिक होगी । उसे वह प्रसन्न करने के लिये ऐसे काम कर सकता है जिनका इंसाफ से बिल्कुल उल्टा सम्बन्ध हो, न्याय के नाम को कलंकित करना हो । मैने देखा है अपने यहां की जुडीशियरी को वहां पर शासन से संबंध रखने वाले अधिकारियों ने जो आजकल है पावर में, उस दल के विरोधियों को दबाने की भरसक कोशिश की है । यहां तक कि उसने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि वह न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है । उसको न्याय की बात को सब से अधिक दृष्टि में रखना चाहिये बल्कि उसको पार्टी पालिटिक्स और झगड़ों में नहीं जाना चाहिये । इस बात को ध्यान में न रख कर तरक्की देने वाले को प्रसन्न करने के लिये ऐसे ऐसे काम किये जिसके बिल्कुल उल्टा काम जजों ने कर दिया । मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि इस सरकार के विरोधियों को उन्होंने नीचा दिखाने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने देश की जुडिशियरी को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायलय को कि उसने उनकी हिफाजत की और अगर उसने हिफाजत न की होती तो जिसको हम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनाने जा रहे हैं, उसके जरिये जहां पर न्याय हो रहा है, उससे बड़ा डिमोक्रेसी की मर्यादा को धब्बा लग जाता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहने के लिये माफी चाहूंगा कि मै अपने को रिकंसाइल करने के लिये तैयार नहीं हूं कानपुर के मसले में ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि वह सदन में न आवे तो अच्छा है । संशोधन ऐसा नहीं है कि जिसमें आइन्दा उठने वाले विषयों पर सदस्य बहस कर सकें या, उन सब विषयों को यहां पर ले आवें ।

श्री गेंदा सिंह--मैं छोड़े देता हूं उसको, लेकिन मै यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि क्या हमारे दिल के ऊपर कोई चोट नहीं लगती है ? और फिर हमसे यह आशा करना कि हम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेकर भी चुप-चाप इस कानून को पास करा लेने दें ? यह दुराशा है और हमसे ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये । हम पूरी मुखालिफत इस खंड के सम्बन्ध में करना चाहते हैं और हम अपनी फीलिंग जाहिर करना चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में न्याय के काम में शासन के लोगों को हाथ डालने से रोकना चाहते हैं और

अगर न्याय के काम में शासन वालों को हाथ डालने से नहीं रोका जाता तो मैं समझता हूं देश की जो आजादी है--हम डेमोक्रैसी में आजादी समझते हैं--वह खतरे मे पड जायगी । आज डेमोक्रैसी खतरे में है और आज जो शासन वालों की प्रवृत्ति हो रही है वह यह है कि चाहे जिस तरह से हो सके अपने तरक्की देने वालों को, अपने रखने वालों को, जिनके हाथ मे उनकी चोटी है, उनको प्रसन्न किया जाय । मैं उस पर कतई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मौजूद नहीं थे, माननीय व्रजभूषण जी ने राजनारायण जी के सम्बन्ध में मिर्जापुर की चर्चा की । आप अगर स्वयं पता लगावें तो आप को मालूम होगा कि मिर्जापुर का बदला राजनारायण जी से कानपुर मे लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि दो गलतियां एक सही बात नहीं हो सकती । अगर उन्होंने गलती की, ऐसा कुछ मान भी लें, तो मैं तो आपको वही गलती नहीं करने दूंगा ।

श्री गेंदा सिंह--मैं आपके नोटिस मे केवल लाना चाहता था । आपके नोटिस में ला करके बन्द कर देना चाहता हू , उसकी चर्चा नहीं करूंगा । लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के हाथ मे शासन की बागडोर है, शासन चलाने का भार है, उनके हाथ मे इस काम को न दिया जाय। अब स्वशासन मंत्री कह सकते हैं कि शासन चलाने का भार तो उनके हाथ मे भी है, लेकिन एक बात मैं उनसे नम्रता पूर्वक कह देना चाहता हूं कि जहां शासन चलाने का एक तरफ भार मिला है, तो हम हैं प्रजातंत्र की भावना से ओतप्रोत उनको देश की जनता ने शासन चलाने का भार सौंप रखा है और उसका भावना को हम प्रतिष्ठा करते है और उनको इसलिये हक है कि वह शासन करें । उसी प्रकार से जनता द्वारा हम और माननीय स्वाशासन मंत्री जी और सभी सदस्यों ने मिल कर राष्ट्रपति का भी चुनाव किया है। राष्ट्रपति का जनता द्वारा उस स्थान पर प्रतिष्ठित होने के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है और हमारी उस पर श्रद्धा है, हमारा उस पर पूरा विश्वास है । हम समझते हैं कि जो कुछ वह करता है, न्याय करता है । हो सकता है कि वह भूल कर रहा हो । मनुष्य के जीवन में भूल भी शामिल है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, इन्सान भूल कर सकता है । इसलिये कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाय या हाईकोर्ट का जज हो जाय, उससे मैं यह नहीं कह सकता कि वह कभी भूल कर ही नहीं सकता । लेकिन हमारे मन मे उसके प्रति कभी यह शंका नहीं उठती कि उसकी नीयत मे खराबी है, वह कोई अन्य उद्देश्य अपने सामने रखकर कोई काम करता है । तो आखिर वह तो चुने हुऐ लोगों से नियुक्त किये जाते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जितने लोग ये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा नियुक्त किये जायेंगे उनकी निजी तौर पर जानकारी माननीय स्वशासन मंत्री जी को हो सकती है क्या उन्हे भी जनता ने सीधे सीधे शासन करने के लिये अधिकार दे रखा है ? किस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जनता ने अपनी तरफ से अधिकार दिया है कि वह शासन करे ? माननीय स्वशासन मंत्री जी उसे नियुक्त करते है या पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करता है । तो इस तरह से यह बड़ी पेचीदी चीज है और फिर संविधान हमारा यह कहता है कि हम गांव की इकाई को जितना भी अधिक से अधिक हो सके बलवान बनायें, संविधान मे इस बात की गुंजाइश है कि पंचायते बनाई जायं, प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि पंचायत बनावो, उत्पादन बढ़ाने के लिए । आज पंचायतों में खराबियां भी हैं, मैं भी कहता हूं कि है, न्याय पंचायतों ने ऐसे काम भी किये जिनसे शिकायत हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं इस बात को कि आज न्याय पंचायतों के सारे काम अगर विश्लेषण किया जाय बारीकी के साथ तो बहुत कम पंच हमारे सामने ऐसे निकलेंगे जिन्होंने कि ईमानदारी से जैसा चाहिए वैसा काम किया हो। लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि जब कोई दूसरा आलटरनेटिव नहीं है तो वैसी हालत में हमको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। महात्मा गांधी ने तो, १८ वर्ष की उम्र से कहा था कि कांस्टीटुएंट असेम्बली बनेगी और उसी के द्वारा, वह जो कुछ करेगी, होगा, यहां तो २१ वर्ष की बात है । २१ वर्ष वाले लोग अपने ऊपर शासन करने वालों को चुन नहीं सकते, सारा बोझ सरकार अपने ऊपर लेना चाहती है । सरकार भी अपने १२, १४ आदमियों का मंत्रिमंडल जो यहां पर बैठा हुआ है, वह अपने को किस बुनियाद पर रखना चाहता है । मैं उससे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह क्यों ऐसी भूल कर

[श्री गेंदा सिंह]

रही है। हालांकि मेरा कुछ उसमें बिगड़ता नहीं है। हम तो जहां पर बैठे हुए हैं, वहां बैठकर यह चाहते ही हैं. हमारा तो काम ही यह है कि इस सरकार को अपदस्थ किया जाय और उसके लिए इस सरकार को जितनी जल्दी अविश्वासपात्र बनाया जा सके बनाया जाय। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने अविश्वास का पात्र सरकार पिछले चार पांच वर्षों में इन पंचायतों की कार्यवाहियों से नहीं हुई है उससे कहीं ज्यादा अविश्वास का पात्र अगले तीन चार वर्षों में अपनी इस कार्यवाही के द्वारा जिसके द्वारा कि वह पंचायतों को और खास तौर से न्याय पंचायतों को इस प्रकार से बना रही है बनेगी और मैं ऐसा भी समझता हूं कि हम में से बहुत कम आदमी चार पांच वर्षों में मरने वाले हैं, हम इन चार पांच वर्षों में देखेंगे कि इसको और यदि फिर कोई कमेटी माननीय स्वशासन मन्त्री जी बैठायेंगे, अपने इस विधेयक के मुताबिक काम करने के बाद, तो उस कमेटी द्वारा हमारी इस बात को उस समय एक एक अक्षर मान लेने को तैयार होंगे। जो न्याय पंचायत आज बनाने जा रहे हैं वह जनता के लिए उत्तरदायी न होगी, वह उत्तरदायी होगी कानूनगो के लिए या जिसको वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनावेंगे उसके लिए। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि उनकी पंचायत की मशीनरी इतनी मजबूत नहीं है कि जिस मशीनरी के जरिये वह इन न्याय पंचायतों को बना लें। पंचायत में ऊपर पूरी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रोब गालिब है और इन पंचायतों के बनाने में पूरी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हाथ होगा। वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कुछ कर रहा है, हम तो उसके भुक्तभोगी हैं, गांवों के रहने वाले हैं, उसकी चर्चा इस माननीय सदन में हो चुकी है, और वह बात सामने आयेगी। आज वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कलेक्शन अमीन और कुर्क अमीन कानूनगो और तहसीलदार और डिप्टी तक मालगुजारी की वसूली में जो नंगा नाच कर रहे हैं, उसकी पूरी खबर अगर सरकार को न हो तो सरकार डूबेगी। फिर उसका हाथ होगा। वही डिप्टी कलेक्टर, वही तहसीलदार न्याय पंचायत का बनाने वाला होगा। पंचायत राज विभाग अलग तमाशा देखता रहेगा। पंचायत राज विभाग को हाथ मलने पड़ेंगे दो वर्ष के बाद कि हमने बड़ी भूल की। हमने जनता पर से उत्तरदायित्व हटा कर ऐसे कुछ थोड़े से लोगों पर उत्तरदायित्व डाल दिया जिनके सामने यह न्याय पंचायत घुटने टेक रही है। माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा कि नहीं उनका कोई गांवों से मतलब ही नहीं होगा, वह बिलकुल निष्पक्ष होंगे। एक मर्तबा वह पंचायत बना देंगे फिर उसके बाद उनको दखल देने की क्या आवश्यकता होगी? मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि लेखपाल साहब, कानूनगो साहब और दूसरे और साहबान का रोज का संबंध गांवों से है। उन कामों में वह रोज दखल देंगे। वह हर न्याय पंचायत मेम्बर को धमकायेंगे कि तुम्हारी चोटी हमारे हाथ में है। इस बार किया तो किया लेकिन अगर अब से अगर गलती की, मैं गलती शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उनकी निगाह में गलती, किसी दूसरे मानी में होगी, असली गलती के लिए वह कभी झगड़ा नहीं करेंगे, फिर आगे आपको हम नहीं चुनने देंगे और मनुष्य की कमजोरी होती है पद, मर्यादा प्रतिष्ठा चाहता है वह। उस प्रतिष्ठा के लिए मैं समझता हूं कि पंचायतों में लोग जायेंगे। तो फिर वह करेंगे क्या? जैसा कि माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने और और लोगों ने कहा कि वह जनता की सेवा करने की बात नहीं सोचेंगे। वह दूसरी बात सोचेंगे। वह सोचेंगे कि जिस तरह से भी हो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी को खुश करें और प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी कैसे प्रसन्न होगी, भगवान् जाने।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अगर आप ही, प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी हो गये तब

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, जिसके हाथ में बिना लगाम पावर चली जायगी वही खराब हो जायगा। मैं माननीय राम नरेश जी से कभी इसके लिए दरख्वास्त नहीं करूंगा। अगर माननीय राम नरेश जी मुझे ऐसी ताकत दें तो पहले यह सोच लें कि गेंदा सिंह को भी चौपट कर देना है, बरबाद कर देना है। मैं चाहता हूं कि लगाम लगायी हुई ताकत हमको मिले, मैं तो यह समझता हूं कि इस सरकार पर जरा ढीली लगाम है जिससे सरकार ऐसे गड़बड़ भी करती

है कि अपोजीशन के लीडर को ही बन्द कर दिया अगर हमारे पास कड़ी लगाम होती तो हम कुछ सरकार को भी रोक पाते। बगैर लगाम किसी को शक्ति देना खतरे से खाली नहीं है इसीलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि सेलेक्ट कमेटी मे दस मर्तबा दरख्वास्त किया और यहां भी कर रहा हूं और एक तरह से चेतावनी दे रहा हूं चेतावनी लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए म माफी चाहूंगा, डर मुझे इस बात का है कि इस न्याय पंचायत से अहित होवे जो इस कमेटी ने समझा है बिलकुल उसकी राय से मैं सहमत हूं और उसकी राय को मानने के लिए मैं इस सदन से दरख्वास्त करता हूं। जिस नतीजे पर कमेटी पहुंची उसे अलग कहीं कोई राय हम कायम नहीं कर सकते। इस कमेटी के सदस्यों ने बड़ी मेहनत की थी, सात आठ दिन नैनीताल में बैठ कर। बहुत से लोगों की राये और रिपोर्टें पढ़ीं गई और उसके बाद सभी लोगों ने राय दी कि ऐसा काम नहीं करना चाहिये मैं फिर एक मर्तबे माननीय स्वशासन मंत्री और माननीय सदन से दरख्वास्त करूंगा कि अगर उन की मेहरबानी न हो और न्याय पंचायत हमारे मन के माफिक नहीं बन सकें तो वह बनायी ही न जाय यही अच्छा है। लेकिन मैं यह दरख्वास्त करके उम्मीद करता हूं कि इस पर वह विचार करेंगे और इस रिपोर्ट को फिर एक बार पढ़कर उसी के अनुसार न्याय पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी दलीलें इस वक्त दी गईं वे सब पहले दी जा चुकी हैं और काफी बहस उनपर हो चुकी है। कोई बात ऐसी नहीं कही गई जो नई हो और जिसका मैं उत्तर दूं। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में मेरा खास तौर से जिक्र किया और यह कहा कि जो रिपोर्ट पेश की गई है सदन के समक्ष उसमे इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया कि अदालती पंचायतें किस प्रकार से चुनी जायंगी। इसीलिये माननीय गेंदा सिंह जी ने यह संशोधन पेश किया कि खंड १४ की प्रस्तावित धारा १२—ए निकाल दी जाय। माननीय गेंदा सिंह जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और यह भी जानता हूं कि उस पक्ष के बैठने वाले सदस्यों मे माननीय गेंदा सिंह जी का प्रमुख स्थान है और वह जो बातें कहते हैं बहुत ही उचित और रीजनेबल होती हैं, मैं उनका ध्यान अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो रिपोर्ट है उसके सफे ३४ व ३५ के पैरा १४ और १५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धारा १४ में लिखा हुआ है—

"The constitution of Nyaya Panchayats was the most controversial subject and during the course of prolonged discussion the concensus of opinion in the Committee swayed time and again from one stand point to the other. The main plank of criticism against the Nyaya Panchayats wasthat no elected judiciary could function honestly and efficiently."

श्री अध्यक्ष—आप उतना ही हिस्सा पढ़िये जितना आवश्यक हो, उसके पहले का हिस्सा न पढ़िये।

श्री ब्रज विहारी मिश्र—मैं उतना ही पढ़ रहा हूं जितना आवश्यक है और जिसकी ओर मैं माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। १४ में यह लिखा हुआ है कि कमेटी का ध्यान न्याय पंचायतों की ओर गया था कि इन न्याय पंचायतों का कांस्टिट्यूशन कैसा हो इस पर हमने सविस्तार विचार किया था। आया चुना हुआ हो या जैसा इस वि में प्रस्तुत किया गया है वैसा हो। अब मैं माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान पैरा १५ की ओर दिलाना चाहता हूं उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है—

"Section 43 of the draft Bill contained a proposal that while electing the Gaon Panchayat the Gaon Sabha should elect five more than the required number. The District Magistrate could appoint any five from

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

out of the total number of persons elected by the Gaon Sabha to be Panches of the Nyaya Panchayat and the persons so appointed shall cease to be members of the Gaon Panchayat. It was argued, in support of this proposal that in this manner the persons appointed to be members of the Nyaya Panchayat would not only enjoy the confidence of the Gaon Sabha but in this process the District Magistrate could select suitable persons; some having experience while others possessing the required educational qualification."

इसका मतलब यह है कि कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया था। माननीय गेंदा सिंह जी तथा उस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात दी हुई है और उसने इसको "रूल आउट" नहीं कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक और बात के सम्बन्ध में माननीय गेंदा सिंह जी तथा अन्य माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ज्वाईंट सेलेक्ट कमेटी उसीमें मुझे सौभाग्य प्राप्त था माननीय गेंदा सिंह जी के साथ बैठने का। उसमें भी इस प्रश्न पर विचार हुआ था।

श्री अध्यक्ष——सेलेक्ट कमेटी के अन्दर क्या हुआ उसकी यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री ब्रजविहारी मिश्र——मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। केवल इतना बतलाना चाहता हूं कि इस पर भी विचार किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय यह हम सबका तजुर्बा है क्योंकि हम सब गांव के रहने वाले हैं कि पंचायतों के बारे में अजीब समस्या उपस्थित हो गई थी। एक सेक्शन तो यह कहता था कि न्याय पंचायतों को बन्द कर दिया जाय और दूसरा सेक्शन कहता था कि पंचायतें रहनी चाहिये। ५-६ वर्ष तक हमने पंचायतों का तजुर्बा भी किया है। मालूम यह होता है कि माननीय गेंदा सिंह जी और उनकी विचारधारा के अन्य सदस्य इस विधेयक को कुछ सन्देह की दृष्टि से देखते हैं और वे समझते हैं कि यह जो विधेयक लाया जा रहा है उससे गवर्नमेंट का इरादा पंचायतों पर अधिकार करने का है, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से खास तौर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सन्देह की दृष्टि से इस विधेयक को न देखें, बल्कि हमने जो "वाया मीडिया" निकाला है वह बहुत सोच समझ कर निकाला है कि इलेक्शन-कम-सिलेक्शन से न्याय पंचायतें बनाई जायं, क्योंकि इलेक्शन से भी बहुत सी खराबियां आती हैं और सिर्फ सिलेक्शन से भी बहुत सी खराबियां आती हैं। इसलिये हमने इलेक्शन-कम-सिलेक्शन को रख कर ट्रायल करने का विचार किया है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों का यह विचार था कि अदालती पंचायतों को समाप्त कर दिया जाय, इसलिये ट्रायल के तौर पर अध्यक्ष महोदय, हमने यह संशोधन रक्खा है। मैं समझता हूं कि इसको सन्देह की दृष्टि से न देखा जाय, इस दृष्टि से देखें कि हम इसका ट्रायल करना चाहते हैं। हमें आशा है कि यह जो प्रस्तावित संशोधन है यह अदालती पंचायतों के कार्य को सफल बनायेगा। इन शब्दों के साथ में आशा करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय गेंदा सिंह जी के व्याख्यान को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और आपने चन्द बातें उसमें फरमायी हैं। उसके उत्तर में मैं भी अपने विचार व्यक्त करूंगा। आपने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि अगर सब-कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ लें, तो हमारे मिनिस्टर साहब पढ़ लें, तो हमको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि सब-कमेटी बनायी जाती है, ताकि काम आसानी से चले। यह जरूरी नहीं है कि जो रिपोर्ट सब-कमेटी दे उसको मान लिया जाय और अगर उसकी सब बातों को मान लिया जाय, तो फिर हाउस की क्या जरूरत है। क्या आप यह समझते हैं कि माननीय मन्त्री जी ने रिपोर्ट को बिना पढ़े ही आपकी बात का जवाब दे दिया है। उस पर विचार किया है और विचार करने के बाद जो ठीक समझा, उसी को यहां हाउस में पेश किया है। नामिनेशन

में पक्षपात की कुछ शिकायतें हो सकती हैं और श्री गेंदा सिंह जी को भी वही शिकायतें हैं उन्होंने वही एतराज किये हैं। यह सब एतराज ठीक हैं। मगर जो रास्ता आपने बतलाया है वह तो और भी खतरनाक है। क्योंकि पहले अदालत के पंचों का चुनाव करने का पूरा अधिकार हमारी सरकार ने जनता को दिया था कि जिसको चाहें, लोग चुनें और उसका फैसला करें। चुनाव ठीक हो और सबका फायदा हो और चुने हुये हमारे सदस्य हों, किन्तु वह सफल नहीं हुआ। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि पंचों को जनता चुने और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ९५ फीसदी पंचों की शिकायतें हैं। यह तर्क के विरुद्ध बात है। मेरी गुजारिश यह है कि हर प्रकार में कुछ न कुछ यह दिक्कत पड़ती है इसलिए जिसमें कम खराबी हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरी गुजारिश यह है कि चुनाव का क्षेत्र बड़ा हुआ करता है तो उसमें बुरा आदमी एलेक्ट नहीं हुआ करता है। क्योंकि लोग खुद तो चाहते हैं कि हम तो गलती करें, और उनकी गलती ओवरलुक कर दी जाय, लेकिन उनका नेता गलती न करे। मसलन एक आदमी खुद तो शराब पीता है लेकिन वह यह भी चाहता है कि उसका लड़का शराब न पिये। इसलिए अपना नेता चुनते वक्त वह अच्छे आदमी को वोट देते हैं किन्तु छोटी जगह में थर्ड क्लास का आदमी अपना प्रभाव जमा लेता है, क्योंकि उसकी गुन्डागीरी उस थोड़े से क्षेत्र में चल सकती है, लेकिन सारे क्षेत्र में वह नहीं चल सकती है। मेरी गुजारिश यह है कि बड़े क्षेत्र के चुनाव में अच्छा आदमी ही चुना जा सकता है, क्योंकि अच्छे आदमी की तारीफ हुआ करती है किन्तु बुरे आदमी की धमकी नहीं चलती। किन्तु छोटे स्थानीय चुनाव में भले आदमी के लिए वही दिक्कत आकर पड़ेगी। भला आदमी जो होता है, वह किसी पार्टी में नहीं पड़ता है, और थर्ड क्लास आदमी जो होता है, वह बहुत असानी से पार्टी बना लेता है और उसको अगर किसी की गवाही की जरूरत पड़ती है तो आसानी से उसकी गवाही गुजर जाती है, क्योंकि आइन्दा के लिए, उसके काम वह आ सकता है। अच्छा आदमी अगर गरीब है, तो वह तकलीफ में ही रहता है, मगर किसी से कुछ मांगता नहीं, उसका भगवान पर भरोसा रहता है, और वह यही कहता है कि "हारिये न हिम्मत, बिसारिये न राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये।" और अपने ऊपर तकलीफ सहन करता रहता है। वह गलती भी कम करता है और सब का काम करने की कोशिश करता है और पार्टीबाजी में वह नहीं पड़ता है और न यह कहता है कि हमने तुम्हारा काम कर दिया तुम हमारा काम करो। भला आदमी कहीं पर जाता भी नहीं है वह किसी मुकदमेबाजी में भी नहीं पड़ता है, यदि उससे गलती हो जाती है तो वह अदालत में कबूल कर लेता है। झूठ बोल कर अथवा झूठी गवाही देकर बचने की कोशिश नहीं करता। नतीजा यह होता है कि सत्य-पथ पर चलने के कारण खुद तो प्रसन्न रहता है और प्रतिष्ठा भी पाता है परन्तु पार्टी नहीं बना पाता। नतीजा इसका यह हुआ कि भले आदमी चुनाव से हट गये कि कौन झंझट में पड़े। नामजदगी में क्या दिक्कतें हैं, वह आपने खुद फरमाया है। मेरी गुजारिश है कि इसे तोलना यह होगा कि किसमें कम बुराइयां हैं। इसलिए हमारी सरकार ने बीच का रास्ता अख्तियार किया है। चुनाव की खूबी भी उसके अन्दर है और नामजदगी की खूबियां भी उसके अन्दर मौजूद हैं। हमारे माननीय मन्त्री जी ने छानबीन कर और समझ बूझ कर इस चीज को निकाला है और उसे आप कहते हैं कि हटा दिया जाय। इस पर तो आपको धन्यवाद देना चाहिए था। इसी सिलसिले में मैं यह भी अर्ज कर दूं कि यदि अनुभव से इस प्रणाली में भी परिवर्तन की आवश्यकता हुई। परिवर्तन हो सकता है, फैसला बदला जा सकता है और मुल्कों में भी चुनाव होता है। अमेरिका में तो जजेज भी चुने जाते हैं, वोट से। लेकिन वहां और यहां में फर्क है कि वह विकसित कन्ट्री है। वहां की माली हालत अच्छी है। मैं जानता हूं, इंगलैन्ड की बात है कि वहां चुनाव हो रहा था। पब्लिक ने विरोधी दल के नेता को हूट किया जब वह बोले। तो मेजारिटी पार्टी के लीडर ने कहा कि मैं रिजाइन करता हूं, यह क्या बात है कि विरोधी दल को बोलने भी नहीं दिया जाता। वहां जो चीज आपने फरमायी, वह हो सकती है। लेकिन देश में नया तजुर्बा है, यहां तो वर्किंग कमेटी और माननीय मन्त्री वृन्द भी नामजद किये जाते हैं तब पंचों को क्यों न नामजद किया जाय। आपने नीयत पर आक्षेप कर दिया, शिकायत कर दी। यह वाजे रहे आपको कि

[श्री सीत राम शुक्ल]

धोखाधड़ी या चालबाजी से अथवा कानून बनाकर कोई सरकार रह नहीं सकती। अगर हमारी सरकार क करेक्टर अच्छा नहीं होगा, हममे सूझ बूझ और त्याग नहीं होगा, तो कानून कायदा किसी को बहुत दिन नहीं बचा सकता है। आपने देखा कि पूर्वी बंगाल मे मुस्लिम लीग, जो पावर मे थी. पस्त हो गयी। हमारे चुनाव भी आपने कानपुर और बहराइच के देखे। हम आगे बढ़ते जा रहे ह। अभी तो इब्तदाये इश्क है। शुरू मे हमारे साथ कुछ परेशानियां थीं। जरा हमको जनता का खाना, कपड़ा, मकान का प्रश्न हल करने दीजिये। फिर आप को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खुद ही बिल लाया जायगा और जनता को पूरा अख्तियार दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मं उनके सम्बोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मं श्री गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मं आपकी आज्ञा से यह बतलाना चाहता हूं कि पहले ऐक्ट मे जो धारा थी, उसे हम रखना चाहते हं और इसको निकाल दिया जाय, इस प्रस्ताव का मं समर्थन करता हूं। श्रीमन्, सबसे पहले, तो मं यहां जो अभी माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध मं बोल रहे थे, उसके बारे मे कुछ कहूंगा और उसके बाद मं इस व्याख्या में आना चाहता हूं कि यह धारा रखी जाय। अभी हमारे पूज्यनी . मिश्रजी महाराज ने १४, १५ पढ़कर सुनाया। म अदब . यह कहना चाहता हूं कि देखा यह जाता हं कि कमेटी की रिपोर्ट मे आखिरी बात क्या तय हुई, यह चीज महत्व की होती है। बीच की बातों का जिक्र करना उनकी कमजोरी को बतलाता है। आखिरी मे जो रिपोर्ट सब लोगों ने मिलकर दी, वह यह दी कि न्याय पंचायत का चुनाव इलेक्शन द्वा ा नहीं हो ा च हिये। गेंदासिंह जी ने इसको गढ नहीं दिया बल्कि उस कमेटी मे आपके सदस्यों का ही बहुमत था। इसलिए उनका कहना ठीक नहीं है।

दूसरी बात शुक्ल जी ने कही कि रिपोर्ट अंग्रेजी में क्यों पढ़ी जाती है। मैं आपके जरिये से उन्हें बतला देना चाहता हूं कि इसमे हम लोगों का दोष नहीं है हमको तो इसमें खुशी होती है कि हम सब काम हिन्दी में किया करें, लेकिन यह तो उन्हीं की सरकार का काम है कि प्रस्ताव के पास होने के बाद भी अंग्रेजी में रिपोर्ट दी जाती है, अंग्रेजी मे पत्र व्यवहार किया जाता है और इस प्रकार से अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए माननीय शुक्ल जी ने जो कुछ अंग्रेजी के बारे में कहा मं उसकी सफाई इस प्रकार से दे देना चाहता हूं।

श्रीमान् जी, जहां तक यह सवाल है कि न्याय पंचायतों में पंचों का चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, यह बहुत ही गम्भीर सवाल है। हमारे माननीय मन्त्री जी ने जोरदार शब्दों में यह कहा कि चुनी हुई पंचायतें न्याय का काम नहीं कर सकतीं। चुनी हुई जुडिशियरी नहीं हो सकती। मं उनसे इस बात में सहमत हूं लेकिन जो कांग्रेस सरकार बनी और उसने जिस वक्त पंचायत राज कायम किया, जिसका बड़ा भारी ढिंढोरा पीटा गया और देश भर में प्रचार किया गया कि उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है।.....

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा था। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस बहुत दिनों से इस बात का नारा लगाये हुए थी, और कहती थी कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग किया जाय। हमें खुशी है, कि हमारी सरकार ने इस ओर एक कदम उठाया भी और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाये गये। लेकिन श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह करने के बाद अब इस बिल में हम देखते हैं तो बिलकुल उसका उल्टा है, यानी न्याय पंचायतों का एप्वाइन्टमेंट एक्जीक्यूटिव के हाथ में देना चाहते हैं और नारा यह लगाया जाता है। श्रीमन्, हमारे माननीय श्री राम नरेश शुक्ल जी ने बड़े जोरों से कहा कि अगर इस बिल का १२-ए निकाल दिया जाय तो . . .

श्री रामनरेश शुक्ल--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मै तो आज इस अमेंडमेंट के ऊपर बोला भी नहीं। क्या माननीय सदस्य कल के भाषणों का हवाला दे सकते हैं जो दूसरे अमेंडमेंट के ऊपर हो?

राजा वीरेन्द्र शाह--जब यह बिल पेश है, को जो भी कांग्रेस पार्टी के मुख्य सदस्य इस सम्बन्ध मे कहेंगे, उनकी मुख्य-मुख्य बाते तो श्रीमन् कहनी ही पड़ेंगी। इसी वजह से श्रीमन्, मे यह कहना चाहता हूं कि माननीय शुक्ल जी ने इस धारा को इस बिल की जान बतलायी और यह कहा कि अगर यह निकाल दी जाय, तो इस बिल की जान ही निकल जायगी। तो श्रीमन्, मै यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अगर इसी उद्देश्य से यह ग्राम पंचायत संशोधन बिल प्रस्तुत किया है तब तो मुझे बड़ा दुख है। हम लोग समझते थे कि जिस तरह ग्रामों मे यह रिपब्लिक कायम करने के समय हमारी कांग्रेस का दावा था और यह नारा लगाती थी कि हमने देहाती क्षेत्रों मे उनको स्वयं इन्तजाम करने के लिए अधिकार दिया और एलेक्शन करने की एक ऐसी अजीब प्रणाली निकाली, जो देश भर मे नहीं बल्कि दुनिया भर मे किसी भी जगह इतना बड़ा एलेक्शन नहीं हुआ, जैसा कि हमने अपने यहां कराया। इस सम्बन्ध मे बड़े बड़े नारे लगाये गये और एडवरटीजमेंट कराये गये। श्रीमन्, मै आपके जरिये बतलाना चाहता हूं कि सरकार जो यह संशोधन लायी है, उसको पास कराने के बाद वही बड़ी गलती करेगी, जो पहले सरकार यह समझती थी कि न्याय पंचायतें कायम करके रिपब्लिक यानी देहातों मे स्वयं इन्तजाम करने की जो एक शक्ति दी है, जो हमने उनको एक चीज दी है, उसको वापस लिये जाने की सब से पहली चीज होगी। अगर आप यह प्रस्ताव पास करते है, तो मै यह कहता हूं श्रीमन्, कि सरकार को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और जब मै यह कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार इस बात को नहीं सोचती होगी। सरकार भी चाहती है कि देहाती क्षेत्र के लोगों पर उसका प्रभाव पड़े और वहां के लोगों मे अच्छी तरह से प्रबन्ध करने का विचार पैदा हो। लेकिन मै यह बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे भाई गेंदा सिंह जी ने इसका समर्थन किया और जो प्वाइन्ट्स रखे, उनको मै दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है, और इसका उदाहरण यह है कि जब मन्त्री जी का उत्तर देने का समय आया तो उन्होंने यहां पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भेज दिया और वह इस वजह से क्योंकि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है कि वह कह सके, और एक भी दलील दे सके, और अगर पार्टी व्हिप उठा लिया जाय और उधर के सदस्यों से राय ली जाय, तो वह हमारे संशोधन से मुत्तफिक होंगे। मै बतलाना चाहता हूं कि मुझे बड़ा दुख है कि मन्त्री जी ने कह दिया और बहुत से प्वाइन्ट जो पहले संशोधन मे रखे गये थे उन्हीं की आड़ लेकर वही प्वाइन्ट्स रख दिये और कह दिया कि मुझे और कुछ कहना नहीं है। जब आप जनता के हाथ मे पावर देने की बात करते है और डेमोक्रेसी की हिमायत करते है तो डेमोक्रेसी के माने यह है कि आपको हर एक की बात सुनना चाहिए चाहे वह किसी दल मे हो, जिन्होंने आपको वोट दिया है, वह जनता, सदस्य क्षमा करे, आप के न्याय को मानने वाली नहीं है। बार बार कहा जाता है कि चुनाव मे यह हुआ और चुनाव हमारे पक्ष मे हुआ। यह मुमकिन हो सकता है कि एक दो जगह आप जीत गये हों, लेकिन अब आपके कारनामे ऐसे हो रहे है कि आप का नामालूम क्या हाल होगा, यह भगवान ही जाने। जब देश भर मे तमाम लोगों की मांग है कि जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग रखा जाय, तो किस तरह से इस बिल मे इस चीज को यह इस तरीके से रखा जा रहा है? मैं समझता हूं कि कहीं भी इस तरह की चीज किसी बिल मे न रखी गयी होगी कि जिसमे एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करते है, और एक तरफ एक्जीक्यूटिव द्वारा इस जुडीशियरी का नामिनेशन कराते है। ऐसी खराब चीज को सरकार यहां रखना चाहती है, यह चीज हमारी समझ मे नहीं आती है। श्रीमन्, देखेंगे कि "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" रख दिया गया है, और कहीं पर निश्चय नहीं किया गया है कि उसका क्या रूप होगा। कहा जाता है कि शायद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, या कोई कमेटी बनेगी, इस तरह की नाना प्रकार की मनगढ़न्त लगायी जा रही है। जब यह इतनी अहम चीज है, तो सरकार ने क्यों अपनी तरफ से प्रस्ताव ला कर साफ नहीं कर दिया कि

[राजा वीरेन्द्रशाह]

"प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" यह होगी। अगर किसी एक्जीक्यूटिव आफिसर को रखना है, तो हमें उसका घोर विरोध है। कभी एक्सपेरिमेंट के लिए बिल नहीं बनाया जाता। आपने नेकनियती से जैसे पहले रखा था, उसके मुताबिक ही अगर रखते तब भी ठीक था। मैं यह मानता हूं कि अदालतों में कुछ गड़बड़ियां हुई, कुछ लोगों ने गलतियां कीं, लेकिन ज्यादातर जो रिपोर्ट है वह यही है कि इन ग्राम सभाओं ने जो कार्य किये हैं, वे प्रशंसनीय हैं और उसके लिए सरकार बड़े गर्व के साथ कहती है, और कहना चाहिए क्योंकि नये नये कामों को, जो उनको सौंपे गये थे, देखते हुए उन्होंने बहुत उम्दा कार्य किये। अब अगर कुछ गलतियां हो गयीं हों, तो उसके लिए यह रखना कि चुनाव कलेक्टर द्वारा कराये जायं, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अधीन चुनाव हो तो यह निहायत गलत है। जहां ३० मेम्बर चुनने हैं, तो ३५ चुने जायं। मैं श्रीमन्, इसको चुनाव नहीं मानता इसलिए कि इसमें वे एलिमेंट खड़े हो जायेंगे, जिनको गांव वाले चुनना नहीं चाहते और जो चालाक किस्म के आदमी होंगे, वह मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी को नहीं कहता सभी पार्टी के इस तरह के व्यक्ति किसी न किसी तरह चुने जाने के लिए उपाय निकालेंगे, और चुने जायेंगे, और फिर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से कोशिश करेंगे कि वह चुनकर आ जाय और आ जायेंगे। मुझे अफसोस है कि उन चालाक आदमियों के सिवा कोई और मेम्बर हो नहीं सकता जो सही रूप से पंच हो सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से ब्राइब करके या किसी भी प्रकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को वे लोग मजबूर करेंगे कि उनको चुना जाय और जब वे चुनकर आ जायेंगे, तो गांव सभा के काम को खराब कर देंगे। सरकार ने इस चुनाव के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ी गलती की है, वह यही तो है कि चुनाव को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के ऊपर छोड़ा है। अगर चुनाव हो जैसा होता है तो उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि चुनाव में खड़े हो जायं, जिन पर गांव वाले भरोसा नहीं रखते हैं और गांव सभा के कामों में गड़बड़ियां करते हैं। लेकिन अगर सरकार यह मौका जो दे रही है, देती है, तो वह गलत लोग आ जायेंगे। अगर आपका प्रस्ताव जैसा है रहता है तो मुझे भय है कि वही लोग चुनकर आ जायेंगे, जिनको गांव वाले नहीं चाहते। लेकिन सरकार तो बहरी है, हमारी बातों की सुनवाई तो वहां हो नहीं पाती, वर्ना मैं तो यह कहूंगा कि सरकार इसको इस वक्त मुल्तवी कर दे और उस वक्त तक के लिए मुल्तवी कर दे इस पर उस वक्त तक विचार न करे जब तक कि सरकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की डेफिनीशन को न सुना दे। अगर ऐसा हो जाय, तो मैं सरकार के प्रस्ताव का विरोध नहीं करूंगा, वर्ना मैं समझता हूं कि वे सभी लोग जो गांवों का हित चाहते हैं इसका विरोध करेंगे और मैं तो इसका घोर विरोध करता ही हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन पर जो भाषण इस सदन में हुये हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना और मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने यह देखा कि माननीय गेंदा सिंह जी के भाषण में आर्गुमेंट्स तो कम थे, लेकिन नाराजगी का अंश ज्यादा था। मैं नहीं जानता कि कौन से ऐसे वाक़यात पिछले दो चार दिनों में हो गये हैं जिनकी वजह से उनमें नाराजगी ज्यादा बढ़ गयी। नाराजगी जब होती है तो बैलेन्स आफ माइंड जो होता है वह ठीक नहीं हो पाता है, इसलिये उस समय जो बात कही जाती है वह रीज़नेबिल नहीं होती है।

यह एक बहुत छोटा सा प्रश्न है श्रीमन्, कि न्याय पंचायतें किस प्रकार से बनाई जायं। पंचों का चुनाव किया जाय या उनकी नामजदगी की जाय, यह छोटा सा सवाल है। तो अगर जो पिछले अमेंडमेंट्स थे जिनको हाउस ने पास नहीं किया उनको देखा जाय तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस भवन का अधिकांश मत इसी पक्ष में है कि न्याय पंचायतों का चुनाव नहीं होना चाहिये, बल्कि वह किसी तरीके से नामजदगी की शक्ल में बनाई जाय। ऐसी हालत में मैं माननीय गेंदा सिंह जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि प्रश्न यह है कि चार साल की जो न्याय पंचायतों की वर्किंग थी उनके सम्बन्ध में आज इस प्रदेश में दो मत हैं। काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका मत यह है कि न्याय पंचायतें जिस उद्देश्य के लिये बनाई गई थीं वह पूरा नहीं

: रहीं

मौका दिया जाय और कमियां जो थीं उनको दूर किया जाय।

माननीय गेंदा सिंह जी ने सब से बड़ी आपत्ति इस बात पर उठायी कि पंचायत राज अमेंडमेंट ऐक्ट की जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट में, मेम्बर साहबान ने यह कहा कि न्याय पंचायत चुनी हुई होनी चाहिये, इसलिये उनको इसकी बड़ी शिकायत थी कि क्या वजह हुई कि मेम्बर साहबान ने अपने ख्यालात बदल दिये। मै समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी हर मेम्बर को इतना अधिकार तो देंगे ही कि वह किसी भी स्टेज पर अगर अपने ख्यालात बदलना चाहे तब बदल सकता है अगर वह यह समझ जाय कि जो बात मंने आज से कुछ दिन पेश्तर कही थी वह अब उसके ख्याल में ठीक नहीं है तो मै समझता हूं कि उसको इतना अधिकार है कि अपनी राय को बदल सकता है। इस रिपोर्ट के जो १४–१५ पैराग्राफ हैं उसमें साफ तौर से दिया है और इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्याय पंचायतों का यह इशू बड़ा कन्ट्रोवर्शल है। इसके ऊपर कभी भी एक मत नहीं हो पाये, कभी ओपीनियन इस साइड में थी और कभी ओपीनियन उस साइड में थी। काफी तादाद में ऐसे लोग थे जिनका मत था कि चुनाव नहीं होना चाहिये क्योंकि चुनाव में गांव के जो प्रभावशाली लोग होंगे, चाहें वह अच्छे हों या अच्छे नहीं हों वह किसी न किसी तरीके से बहुमत को अपनी ओर कर लेंगे जिसकी वजह से ठीक और अच्छे आदमी पंच बनने से वंचित रह जायंगे। यह भी इसमें एक मत था। इसके अन्दर यह भी कहा गया कि जो पांच आदमी चुने जायं उनका नामिनेशन हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामिनेशन करे लेकिन जो हमारे सामने बिल है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहीं भी जिक्र नहीं है बल्कि उसके अन्दर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की बात है। इस सिलसिले में डेमोक्रेसी की भी दुहाई दी गई। इस मामले में यह भी दुहाई दी गई कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को एक साथ नहीं होना चाहिये और भी न मालूम कितने इशू इसके अन्दर इकट्ठे कर दिये गये। अब देखना यह है कि जैसा माननीय गेंदा सिंह जी का ख्याल है इस क्लाज को बिल्कुल हटा दिया जाय तो मैं भी पिछली चीज जो शुक्ल जी ने कहीं थी इस बिल का जो सब से बड़ा आधार है, वह निकल जाता है और जो इस बिल की आत्मा है उसका कतई हनन होता है। प्रश्न यह है कि हम गांव की स्थिति को जानते है और गांव के अन्दर चुनाव की हालत भी हम जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि चुनाव जो होगा वह हाथ उठा कर होगा। इस भवन में इस किस्म के भी संशोधन आये कि चुनाव बैलट से होना चाहिये, जो कि पास नहीं हो सके। तो जब हाथ उठा कर चुनाव होगा तो जो गांव के प्रभावशाली आदमी होंगे, ४–५ की संख्या में वह गांव के बदमाशों की सहायता, अपने दबाब या आतंक से गांव वालों के ऊपर हावी हो जायंगे। तो ऐसी स्थिति में यह समझना कि चुनाव से हम अच्छे, ईमानदार आदमी चुन पायेंगे, मै समझता हूं कि बड़े संदेह की बात है और फिर जो तरीका रखा गया है उसमें यह है कि अगर ३० आदमी गांव सभा के मेम्बर होंगे तो ३५ आदमी चुने जायेंगे सो जहां तक चुनने का सवाल है यह सभी ही चुने होंगे क्योंकि जो ३५ आदमी चुने जायंगे उनमें से ही ५ आदमी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी छांटेगी। वे ५ आदमी भी चुने हुए होंगे जो कि गांव के वोटर्स द्वारा छांटे जायेंगे और जिनको उनका विश्वास प्राप्त होगा तो वहां तक तो डेमाक्रेसी ठीक है। अब सवाल यह आता कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी। इसके अन्दर एक बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इतनी जगह आयी है बिल के अन्दर, और हर जगह उसके अलग अलग माने है और इस कारण बड़ा कनफ्यूजन है और यह भी भय है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अथारिटी दे दी गई तो तमाम मामला चौपट हो जायगा और इस सिलसिले में जो आपत्ति माननीय गेंदा सिंह जी को जो थी वह यह थी कि आज कल के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनका एक पेशा है और वह यह है कि जो दल शासनारूढ़ है उसको किस तरह से खुश किया जाय और खुश करने का कारण उन्होंने यह बताया है कि चूंकि उनका प्रोमोशन, नौकरी, तरक्की उनके हाथ में है। तो मैं गेंदा सिंह जी को यह बतलाना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का शासन किसी भी समय क्यों न हो एक्जीक्यूटिव अपनी जगह होगी। तो अगर उनका यह विचार है चूंकि कांग्रेस शक्तिशाली है, कांग्रेस को खुश करने में

[श्री नवल किशोर]

ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का समय कटता है तो उसका सुधार समझ में आता नहीं है। कल को अगर गेंदा सिंह जी पावर में आ जायं तो उनको खुश करना उनका काम हो जायगा। यह कोई दलील नहीं है। अगर गेंदा सिंह जी यह कहें कि एक्जीक्यूटिव में कुछ कमियां हैं और उनको दूर करने की कोशिश की जाय तो ठीक है। वर्ना मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी शक्ति में आये एक्जीक्यूटिव हमेशा कायम रहेगी और जो पार्टी पावर में होगी उसके आर्डर्स व पालिसी को मानेगी और अपोजीशन की स्वीट विल पर काम नहीं कर सकती। ऐसा समय कभी आने वाला नहीं है। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस की यह नीति अवश्य रही है कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को सैपरेट किया जायगा और जहां तक मैंने दिल को पढ़ा है मैंने कहीं यह नहीं पढ़ा कि एक्जीक्यूटिव जुडीशियरी को नामीनेट करेगी। माननीय गेंदा सिंह जी को यह भय हो गया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही बनने वाला है। लेकिन जब शुक्ल जी ने कहा कि नहीं माननीय गेंदा सिंह जी भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बन सकते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता जिसमें कोई लगाम न हो। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी लगाम सरकार पर ढीली है। यदि ढीली न होती तब आज नेता विरोधी दल जेल में न होते। उनकी लगाम ढीली है या नहीं सो तो मैं नहीं जानता, मेरा तो ख्याल है कि वह यथाशक्ति कड़ी रखने की ही कोशिश में रहते हैं। मगर मैं उनको यह अवश्य कहना चाहता हूं कि सरकार की लगाम ढीली हो या न हो, उनकी अपनी पार्टी की लगाम अवश्य ढीली है और अगर ऐसा न होता तो माननीय नेता विरोधी दल और उनकी पार्टी कानपुर में यह सब न करते और न वह आज जेल में होते. मैं श्रीमन् एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के सेपेरेशन की बात कह रहा था। जहां तक मैं समझता हूं पहले यह होता था कि जो एस० डी० एम० होता था वही चालान करता था और वही ट्रायल करता था। तो एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को कन्फ्यूज न किया जाय। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के माने क्या हैं। तो इसके मानी यह है कि सरकार जिसको भी अमुक कार्य करने की उस समय के लिए शक्ति तथा अधिकार दे दे। वह एक व्यक्ति विशेष भी हो सकता है और कोई कमेटी भी। उनकी यह एक कंडीशनल बात है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुई तब तो उनका आपोजीशन है और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट न हो कर कोई और हुआ तब शायद उनका अपोजीशन नहीं होगा। तो इसके माने यह हैं कि बुनियादी तौर से उनको इस बात पर कोई विशेष आपत्ति नहीं है। यह भी कहा गया कि पिछले ५–६ सालों में सरकार इतनी ज्यादा अनपापुलर नहीं हुई जितनी कि अन्दाजा है कि अगर यह कानून बन गया तो हो जायगी। तो माननीय गेंदा सिंह जी की सहानुभूति के लिये मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं हालांकि मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की बात उन्होंने नहीं कही। उनके लिये तो यह बड़ा अच्छा है कि सरकार जितनी जल्दी अनपापुलर हो उतनी ही जल्दी उनका काम बने। तो इसकी फ़िक्र न करें, सरकार को खुद फ़िक्र है और वह यह जानती है कि उसकी क्या पोजीशन है और क्या होनी चाहिये।

आखिर में जो बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि एलेक्टेड जुडीशियरी अमरीका में होती है, श्रीमन्, यह बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी चाहता हूं कि हिन्दुस्तान अमरीका बन जाय और अगर उससे ऊंचा उठ जाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे मुल्क की मिसाल देना जहां सदियों से डेमोक्रेसी रही है, जो डेमोक्रेसी में पले हैं, ऐसे देश के मुक़ाबिले में जिसकी आजादी को अभी ६ साल भी हुये हों और जहां आज भी ८६ फीसदी इन्सान अनपढ़ हो, जहां इस तरह का जाति पांति का भेद भाव हो, मेरी समझ में कुछ बहुत उचित नहीं है। मैं यह बात मान सकता हूं कि अगर जुडीशियरी चुनी जाय तो कोई ज्यादा आपत्ति की बात नहीं है मगर जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं और जो स्थिति हमारे देश की है मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें ऐसा करने से बजाय इसके कि न्याय हो अन्याय ही अधिक होगा। आज कल जिन्हें पंचायतों का अनुभव है, और मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी को पंचायतों का अनुभव बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका ग्रामीण जीवन से बहुत ज्यादा सम्पर्क है, वे स्वयं भी जानते होंगे कि आज कल की जो पंचायतें

बनी हुई है उनमें कितना अन्याय होता है। जब चुन कर लोग आयेंगे तो यह स्वाभाविक है कि जो वोट देंगे उनका असर उनके ऊपर थोड़ा बहुत जरूर होगा। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से जितना भय उनको है उतना भय मुझे नहीं है। हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारे सूबे में

और एक्जीक्यूटिव

को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। एक्जीक्यूटिव के ऊपर आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उनको आप दूर करें लेकिन उसके ऊपर आप ट्रस्ट न करें इससे मैं समझता हूं कि शासन का चलना एक असम्भव सा हो जायगा। इन सब बातों के कहने के बाद मुझे यह आशा है कि माननीय गेंदा सिंह जी वस्तु स्थिति पर अधिक ध्यान देंगे और भावनाओं के अन्दर न बह कर अपने इस संशोधन को वापस लेंगे।

*श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन और उनके भाषण को सुना तो मुझे एक ही बात विदित हुई कि उनकी कुछ संदेह और शंकायें करने की जो आदत है वह बढ़ती जा रही है और मुझे अफसोस है कि कहीं वह आगे चल कर अपनी छाया से ही शंका न करने लग जायं। न्याय पंचायत के संबंध में जो उनका संशोधन है वह न तो इस बात का हामी है कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को पृथक करना चाहिये क्योंकि ग्राम पंचायतों में जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव की वह ही स्थिति है जो कि प्रदेश में प्रान्तीय धारा और हाईकोर्ट या न्यायालयों की है। आप चाहते हैं कि गांव की जुडिशियरी का चुनाव वहां की पंचायतों के द्वारा हो। आप इस तरह से यह अनुमान करते हैं कि जो वहां पंचायतें बनेंगी वह वहां की जो सभायें होंगी वह स्वतंत्र होंगी। आप चाहते हैं कि ग्राम सभा के ३५ आदमी जो हैं वह ५ आदमियों को चुनेंगे तो क्या आप यह अनुभव नहीं करते हैं कि उनका उन पर प्रभाव होगा और पंचायतों में पार्टीबंदी जरूर होगी, जहां एक दल हावी है, क्या उसके हाथ में न्याय पंचायत के निर्णय करने का अधिकार नहीं पहुंच जायगा? तो क्या आप चाहते हैं कि गांवों में जो पार्टीबन्दी है उसके सिर पर न्याय आ पड़े और दूसरे लोगों को न्याय प्राप्त नहीं जो माइनोरिटी में हैं। मेरे ख्याल से यह जो बाया मीडिया इलेक्शन और नामिनेशन का रखा गया है, वर्तमान परिस्थिति में मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है।

इतने बड़े देश में, आप के प्रदेश में जहां कि क़रीब ९ हजार पंचायतों का निर्माण न्याय के लिये होता है और जहां लाखों मामले उन पंचायतों के सामने आते हैं, उतना बड़ा प्रयोग, मैं समझता हूं कि बहुत कम दूसरे देशों में इस प्रकार का होता है, वह, आप के प्रदेश में हो रहा है और केवल ५–६ साल के ही अनुभव से हमें मालूम हुआ कि इसमें अभी इस तरीके के कुछ नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जिससे एक माइनोरिटी के दल को या कुछ दल जो माइनोरिटी में आये हैं, उनको भी रक्षा हो सके।

अपनी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अधिकार में केवल यह रखा गया है कि जो ३५ आदमी आप ग्राम सभा के लिये चुनें उनमें से ५ योग्य आदमियों को वह चुन ले। यह भी सम्भव हो सकता है कि कहीं कहीं अच्छे आदमी न आयें। लेकिन यह एक एक्सपैरीमेंट है जो आपको करना है। वर्तमान परिस्थिति में आप के सामने चल रही है और गांवों में जो हमें सुधार करना है, उनमें शिक्षा का प्रचार करना है, उनमें जो पार्टीबन्दी है उसको मिटाने के लिये जनतांत्रिक भावना को जाग्रत करना है मेरा ख्याल यह है कि कुछ समय में वह समय आ सकता है जब कि हम वहां की जुडीशियरी को बिलकुल चुनाव पर ही छोड़ दें लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह सम्भव नहीं है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने जो यह संशोधन रखा है, मैं समझता हूं कि कानपुर की घटना उनके दिमाग को उस समय प्रभावित कर रही थी। लेकिन कानपुर में क्या हुआ, उसका उल्लेख मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसकी इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस समय हम यह कानून बनायेंगे उस समय हमें इस तरह की परिस्थितियों से ऊंचे उठने की आवश्यकता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[देवकी नन्दन विभव]

हैं। माननीय गेंदा सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह गांवों की परिस्थितियों को समझें और देखें कि कहीं वह अपने संशोधन से वह परिस्थिति तो पैदा नहीं कर रहे हैं कि गावों में ये न्याय पंचायतें उत्पीड़न का एक साधन बन जायं। अगर माननीय गेंदा सिंह जी गये होंगे गांव में, मुझे जाने का मौका मिला है और गेंदा सिंह जी का तो काफी गांव से परिचय रहता है, क्या यह बात नहीं है कि आज गांव में पार्टी-बन्दियां हैं और उनके कारण ग्राम सभाओं के कार्य का संचालन करना कठिन हो गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे ख्याल से जहां वह एक तरफ इस सिद्धांत को कहते हैं कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव का एक दूसरे पर प्रभाव न पड़े, उनको पृथक होना चाहिये. वहां मैं यह समझता हूं कि ग्राम की एक्जीक्यूटिव यानी ग्राम की पंचायतों द्वारा निर्वाचित वहां की न्याय पंचायतों के इस उसूल से वह मेरे ख्याल से अपने ही उस उसूल को काट रहे हैं जिनको वह पेश करना चाहते हैं।

मैं तो, जो प्रस्ताव उपस्थित हुआ है, माननीय स्वशासन मंत्री की ओर से, उसका समर्थन करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने संशोधन को वापस कर लें।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने आदरणीय मित्र माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन पर मैंने संयुक्त दल के माननीय सदस्य राजा वीरेन्द्रशाह का जो भाषण सुना उससे मैं कुछ स्तंभित हुआ। वह बड़े तैश के साथ, आवेश के साथ यह कहते हैं कि सरकार के पास, कांग्रेस पार्टी के पास कोई उत्तर नहीं और यही कारण है कि शायद माननीय स्वायत्त शासन मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जमींदारी उन्मूलन विधान के द्वारा कांग्रेस ने उस वर्ग को जो जवाब दिया है, उसकी तिलमिलाहट से माननीय वीरेन्द्रशाह, या उसकी झुंझलाहट में इस प्रकार की बात कह देते हैं। यह बात उनके जैसे गम्भीर व्यक्ति के लिये शोभाजनक नहीं है। उनको यह स्वीकार करना चाहिये कि पंचायत राज विभाग कांग्रेस की सृष्टि है और शायद ही कोई दल या व्यक्ति इस प्रकार का हो जो अपनी सृष्टि को विकृत या असुन्दर करना चाहे। किन्तु इसके विपरीत यदि माननीय वीरेन्द्रशाह को पंचायत राज विभाग से गुरेज हो या उसके प्रति उनको कोई इर्ष्या या द्वेष हो, तो यह स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि जमींदारी प्रथा की प्रतिक्रिया पंचायतराज विभाग है, नहीं तो अगर वह आज इस व्यवस्था को ठीक ठीक उसी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं ला पाते हों और उसको असफल बनाने में छद्म रूप में नाना प्रकार की प्रवंचनाओं द्वारा असफल करना चाहते हों, तो मैं माननीय वीरेन्द्रशाह से कहना चाहूंगा कि वह अपने इस प्रयास में असफल होंगे।

हमारे सदन के सामने आज विरोधी दल के नेताओं ने जिस प्रकार विवाद किया उससे ऐसा लगता है कि वह संदेह और अविश्वास के शिकार हैं। न्याय की बात कहते समय वह सिद्धान्ततः न्याय को भूल जाते हैं। उसके न्याय की जगह उनकी अपनी इच्छा लेती है और जब उस न्याय की जगह उनकी अपनी इच्छा ले लेती है तब यदि उन्हें असंतोष होता हो न्याय से तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, वर्ना प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जिसको वह जानते नहीं कि क्या होने वाली है, क्या होगी, उसके सम्बन्ध में पहले से ही इस प्रकार की भूमिका बांधना, वही जैसा मैंने कहा, संदेह और अविश्वास का शिकार होना है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं और यह आश्वासन दिलाता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था को अधिक से अधिक सुन्दरतम और सफलतम बनाने के लिये कोई ऐसा कार्य नहीं जिस कार्य को करने में हमारी कांग्रेस पार्टी जरा भी हिचक करेगी। बजट के समय जिन लोगों ने इस पक्ष के भाषणों को सुना होगा पंचायत राज व्यवस्था के ऊपर उनको यह स्मरण होना चाहिये कि उन्होंने बराबर न्याय पंचायतों की भूरि भूरि निन्दा की और यह कहा कि सरकार का यह प्रयास सम्पूर्ण असफल हुआ और आज भी जहां वह एक तरफ निर्वाचन की दुहाई देते हैं और गांव सभाओं के अधिकार की दुहाई देते हैं वहीं वह दूसरी तरफ गांव सभाओं के अधिकारों के ही ऊपर कुठाराघात करते हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजा वीरेन्द्र शाह—गलत कहते हैं आप।

श्री देवदत्त मिश्र—ठीक है। गलत और सही तो भविष्य बतायेगा।

तो मैं जो कह रहा था कि गांव सभाओं के जो अधिकार हैं उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री देव दत्त मिश्र—मैं यील्ड नहीं करता।

उनके न्याय के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। यदि विश्वास होता तो आप कभी ऐसा न कहते। जो गांव सभायें उन व्यक्तियों को चुनेंगी जिन व्यक्तियों को वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामजद करेगी तो यह कैसे मान लिया जाय कि गांव सभायें अवांछित व्यक्तियों का निर्वाचन करेंगे। जो गांव सभा अपने संगठन के लिये विशुद्ध व्यक्तियों का निर्वाचन नहीं कर सकती उससे यह आशा करना कि वह दूसरे संगठन के लिये उचित व्यक्तियों का चुनाव करेगी, यह कैसी आशा है? इसलिये मैंने जैसा कहा आज विरोधी दल को गांव सभाओं के न्याय के ऊपर गांव सभाओं के अधिकार विवेचन के ऊपर सचमुच में विश्वास नहीं है और या कोई दूसरा निहित उद्देश्य उसके भीतर है जिसकी वजह से वह इस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। माननीय बालेन्दुशाह जी ने जो संशोधन रखा उसको उन्होंने एक कम्प्रोमाइज फार्मूला बताया किन्तु वस्तुतः यदि देखा जाय तो कम्प्रोमाइज फार्मूला तो जो इसमें रखा गया है वही असल में एक कम्प्रोमाइज फार्मूला है निर्वाचन और नामजदगी के बीच में। हम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को स्वच्छन्द नहीं छोड़ते कि वह जिसे चाहे नामजद कर दें, बल्कि उसे हम गांव सभा के विश्वास-पात्र व्यक्तियों में से किन्हीं पांच को चुनने का केवल अधिकार देते हैं। तो इसलिये जैसा कि न्याय पंचायतों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से लेकर नीचे के जिलाधीशों तक ने न्याय पंचायतों के संगठन के ऊपर यह सन्देह प्रकट किया कि चुनाव के द्वारा जिन पंचायतों का संगठन होगा मानव स्वभाव की दुर्बलता से हर व्यक्ति संक्रांत होता है इसलिये बहुमत के द्वारा चुने गये व्यक्ति यदि बहुमत का लिहाज करें तो यह अस्वाभाविक नहीं होगा और जैसा कि मैंने कहा यह तो मानव स्वभाव सुलभ दुर्बलता है। इसलिए जो इसमें एक त्रुटि थी, उसको दूर करने के लिए यह एक इतना सुन्दर फार्मूला निकाला गया कि उनको, जो न्याय पंचायत के सदस्य हैं, उनको गांव सभा का विश्वास भी प्राप्त हो और साथ ही साथ लिहाज का भी सवाल उनके सामने न रहे। क्योंकि उन्होंने चालीस की जगह पैंतालीस या तीस की जगह पैंतीस आदमियों को चुना, गांव पंचायत के सदस्यों के रूप में। अब उनमें से पांच व्यक्ति न्याय पंचायत के सदस्य हो जाते हैं। उनके ऊपर सीधा लिहाज कोई नहीं होता है कि हमने आप को न्याय पंचायत का सदस्य चुना इसलिए हमारी बात आपको माननी चाहिए। इससे सुन्दर बीच का रास्ता हो नहीं सकता था।

इस प्रश्न पर एक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी की बात पैदा हुई। इस सम्बन्ध में उन्होंने पंचायत राज की भावना को ही नहीं समझा। पंचायत राज की भावना इस एक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी की भावना से सर्वथा स्वतन्त्र है। पंचायत राज की भावना में यह निहित है कि ज्यादातर न्याय पंचायतों का उद्देश्य होगा कि वस्तु स्थिति को समझ कर घटनाक्रम को जानकर दोनों पक्षों को आपस में एक दूसरे के नजदीक ले आयें। वह हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट, सेशन कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दृष्टि से न्याय पंचायतों को देखते हैं। भगवान, इस दृष्टि से न्याय पंचायतों को बचाये रखें। इसी में कल्याण है। इसलिए एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी वाली बात यहां है नहीं।

कानपुर की घटना का उल्लेख हमारे कतिपय माननीय सदस्यों ने किया और माननीय गेंदा सिंह जी ने, जिनको मैं इतनी श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं, जिस भाव के साथ इस घटना का उल्लेख

[श्री देवदत्त मिश्र]

किया, उससे मुझे अत्यन्त खेद है। मैं बड़े अदब के साथ उनसे यह पूछूंगा कि लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा में अपने को अग्रणी मानने वाले माननीय गेंदा सिंह जी किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी कारण समाज में बहुत ऊंचे स्थान पर है, क्या इस बात की इजाजत देंगे कि वह कानून को अपने हाथ में ले लें, और इस प्रकार जो कानून को अपने हाथ में ले लेता है, क्या वह व्यक्ति लोकतन्त्र का प्रतिष्ठाता माना जा सकता है? मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, किन्तु मैं स्वयं उस दिन और उसके पहले प्रायः एक पक्ष तक कानपुर में रहा।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं पूछना चाहता हूं कि यह संगत है?

श्री देवदत्त मिश्र—यह गेंदा सिंह जी और अन्य लोगों से पूछिये। उस वक्त आपकी न्याय बुद्धि कहां गयी थी?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को उस घटना के ऊपर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं डिटेल्स में नहीं जाता। अभी आप ही की उपस्थित में इसका जिक्र किया गया और इसके पहले अध्यक्ष महोदय की उपस्थित में भी जिक्र किया गया। मैं तो एक पासिंग वे मे जा रहा हूं। मैंने जैसा कहा कि लोकतन्त्र में किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी सम्माननीय व्यक्ति हो, उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त है, कि वह कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में ले। कानून और व्यवस्था के प्रतिपादन के लिए जो व्यक्ति अपने कर्त्तव्य स्थान पर तैनात किये हुए हैं, उनके कार्य में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी व्यक्ति हो जिस दिन उस व्यक्ति को बचाने की चेष्टा की जायगी, उस दिन हमारे देश से लोकतन्त्र मिट जायेगा।

हमारे गेंदा सिंह जी ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य ऐक्ट कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जो अंश उद्धृत किया था, मै उसी अंश को पढ़ कर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें। वह अंश इस प्रकार है:—

"Those who were opposed to the system of elected judiciary, perhaps did not fully appreciate that there could be no alternative to create the people's tribunals in the rural areas. The burden of responsibility fully laid on the shoulders of the members of the Gaon Sabha and the experience gained of the consequences of thoughtless and impulsive voting was more likely to teach the voters in the Gaon Sabha the necessity of creating the best possible Nyaya Panchayats for themselves."

माननीय गेंदा सिंह जी ने इस अंश के द्वारा, इस बात को बतलाया कि गांव सभायें, इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि वे इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें, जिससे न्याय पंचायतों का संगठन सुन्दर और इस प्रकार का हो सके, जिससे हमारी न्याय पंचायतों का कार्य चल सके। इस भावना के अन्तर्गत जैसा मैंने पहले कहा था, चूंकि गांव सभाओं के ऊपर यह उत्तरदायित्व छोड़ा जाता है कि ५ व्यक्ति वे चुनेंगे और जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी, वह इस प्रथा को सफल बनाने के लिए होगी, वह इस बात को ध्यान में रक्खेगी, कि ऐसे व्यक्ति चुने जायं, जो न्याय पंचायतों के लिए उपयुक्त हों। हमें ऐसी ही स्वस्थ परम्परायें डालनी चाहिए, अविश्वास और सन्देह से दूर हो कर इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने जिन व्यक्तियों को दृष्टि में रख कर न्याय पंचायतों के लिए गांव सभाओं ने सदस्यों को चुना है, उनको ही वह नामजद करे, इस प्रकार का स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने की जरूरत है। हमारी डेमोक्रेसी, अभी शिशुकाल में है। इस शिशु और यौवनकाल में जब तक इस प्रकार की परम्परायें, नहीं डाली जायेंगी, तब तक डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती। ये परम्परायें

विश्वास के आधार पर होनी चाहिये। तो मैं माननीय गेंदा सिंह जी से अपील करना चाहता हूं कि वह इस बात का विश्वास करें कि पंचायत राज्य व्यवस्था को हम दोनों ही मिल कर, एक दूसरे के विश्वास और सहयोग की भावना से सफल बना सकते हैं। एक बात माननीय गेंदा सिंह जी अपने भाषण में शायद आवेश में कह गये, क्योंकि उनका जैसा गम्भीर व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता कि सरकार के ऊपर अविश्वास पैदा करना ही हमारा काम है। यह डेमोक्रेसी को निगेटिव करना है। जो भी सरकार इन पार्टी होती है, डेमोक्रेसी का यह उसूल है कि जितने दल होते हैं, वे सब दल मिल कर इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उसके द्वारा जो स्कीम्स और जो प्लान्स उनके सामने प्रस्तुत किये जाते हैं, उनको सपोर्ट करें, आपका सहयोग प्राप्त करके, उनको वर्क आउट किया जाय। उनके लिए आपका सहयोग प्राप्त होना चाहिए। किन्तु जब विरोधी दल इस बात से दूर हटकर केवल पावर की तलाश में रहता है, तब वह इस प्रकार का काम करता है और गाहे बगाहे, समय बे समय वह केवल सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने का काम करता है किन्तु वह यह नहीं जानता कि ऐसा करने से वह उसी डाल को काट रहा है, जिस पर वह स्वयं बैठा है। वह लोकतन्त्र की शाख को काट रहा है। इसी प्रकार से वह उन पद्धतियों को जो फासिस्ट हैं, और एकतन्त्रीय पद्धति हैं, उनको इस प्रकार के व्यवहार से अवसर देता है कि वह लोकतन्त्र की जगह आकर उसके स्थान को ग्रहण करें। इसलिये, मैं माननीय गेंदा सिंह जी से एक सदस्य की हैसियत से यह अपील करूंगा कि वह अपना यह कर्त्तव्य भूल जायं कि उनका कर्त्तव्य केवल सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करना है। ऐसा करके वह अपने उसूलों के प्रति वफादारी नहीं करते हैं।

एक बात और कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। माननीय वीरेन्द्र शाह ने कहा कि हमारे कारनामे यानी कांग्रेस के कारनामे जो हैं, उनको याद रखें। कम से कम वीरेन्द्र शाह जी को तो यह बात नहीं कहनी चाहिए, इसलिए कि कांग्रेस ही ऐसी जमात है कि जिस जमात में, चूंकि वह राष्ट्रीय जमात है, जिसमें आप जैसे वर्ग के लोगों को भी प्रश्रय और आश्रय मिल सकता है और जिसके साथ आप आज विरोध की भावना का आश्रय लेकर विरोध किया करते हैं, और कन्धे से कन्धा मिलाकर विरोध करते हैं, जिस दिन वह सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पावर में आयेंगे, उस दिन हमारे कारनामें आपको स्मरण आयेंगे। मैं अन्त में फिर इन शब्दों के साथ अपने माननीय मित्र गेंदा सिंह जी से अपील करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लेकर पंचायत राज की व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग दें।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—मैं क्लोजर मूव करता हूं कि अब इस पर बहस बन्द की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं श्री गजेन्द्र सिंह को अवसर और देता हूं, तब फिर इसके बाद इस प्रस्ताव पर राय लूंगा।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय गेंदा सिंह का संशोधन इस बात को कहता है कि दफा १२-ए निकाल दी जाय। मैं आपकी आज्ञा से उस धारा को पढ़ना चाहता हूं :—

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such member as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number the number prescribed under sub-section(2)of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

[श्री गजेन्द्र सिंह]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहरहाल धारा १२-ए को निकाल देने का मन्शा यह है कि न्याय पंचायत का चुनाव सीधे गांव सभा द्वारा किया जाय, जैसा कि अभी तक होता रहा है। अगर इस धारा को नहीं निकाला जाता है, तो उसका मन्शा यह होगा कि गांव सभा के लोग गांव पंचायत को चुनेंगे, और गांव पंचायत के मेम्बरों में से जो २५ या ३० होंगे, उसमें से प्रेस्काइब्ड अथारिटी जो कि सरकार द्वारा नियुक्त की जायगी, चाहे वह डी० एम० हो या ए० डी० एम०, हो, वह उनमें से ५ आदमियो को सेलेक्ट करेगा, जो कि न्याय पंचायत के मेम्बर होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर यहां काफी वाद-विवाद किया गया है। माननीय देवदत्त जी ने हमें नसीहत दी कि कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर वह कानून हाथ में लेगा, तो उसे सजा दी जायगी। मैं इससे सहमत हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मै उनसे यह पूछूंगा कि यह सिद्धांत क्या अपोजीशन पर ही एप्लाई होता है, या कभी इसे उनके मेम्बर्स पर भी एप्लाई किया गया है। क्या वह भूल गये कि पालीवाल जी जो मिनिस्टर थे, उन्होंने अलीगढ़ मे एक सिपाही को बेंत मारा था? क्यो नहीं उनको देवदत्त जी ने मिनिस्टरी से उसी समय निकाल दिया और जेल भेज दिया, जैसे कि श्री राजनारायण जी को जेल में डाल दिया गया है?

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। अगर यह गर्मी पंचायत राज से अलहदा रहे तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—काफी जवाब दे चुके हैं, अब संशोधन पर आ जावे।

श्री गजेन्द्र सिंह—मैं चाहता हूं कि इस सिद्धान्त को बराबर लागू किया जाय और राजनारायणजी के मामले में तो आगे चलकर कोर्ट तय करेगा कि कानपुर का डी० एम० गलती पर था या राजनारायण जी थे। यह बात उधर से उठायी गयी थी, इसलिए उत्तर देना आवश्यक था।

माननीय देवदत्त जी ने कहा कि विरोधी दल के लोगों का गांव सभा पर विश्वास नहीं है कि ठीक आदमी चुन सकेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमे गांव सभाओं पर पूरा विश्वास है और इसीलिए हमने यह रखा है कि गांव सभा ही अपनी गांव पंचायत और न्याय-पंचायत को चुनें। लेकिन यदि देवदत्त जी को गांव सभा का विश्वास होता, तो वह प्रेस्काइब्ड अथारिटी के द्वारा न्याय पंचायत के मेम्बरों के सेलेक्ट होने की बात को सपोर्ट न करते। माननीय शुक्ल जी ने कहा कि जनता को मौका दिया गया अदालती पंचायतों के चुनने का, पर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। उनको याद हो, तो पहले, जो पंचायतें, ब्रिटिश रेंजीम में कलेक्टर नामिनेट करता था। उनमे तो इनका काम अवश्य अच्छा था, तो फिर आप अब क्या प्रेस्काइब्ड अथारिटी से नामिनेट कराते हैं? उन्होने कानपुर के चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी पार्टी कानपुर में चुनाव जीती। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी कानपुर में कैसे चुनाव जीती। आपने अपोजीशन लीडर को जेल में बन्द किया। आपने राजाराम जी शास्त्री के पोलिंग एजेन्ट्स को जेल मे बन्द किया। आपने वहां पुलिस का आतंक छा दिया। मै माननीय सदस्य की सेवा मे निवेदन करना चाहता हूं कि . . .

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोले। बाहर की बातों पर न बोलें। कानपुर का काफी उत्तर वह दे चुके है।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि चुनाव द्वारा अच्छे आदमी चुने जायेंगे, यह मुश्किल है। मै उनसे कहूंगा कि अगर चुनाव द्वारा न्याय पंचायतों के लिए अच्छे आदमी नहीं चुने जायेंगे, तो गांव पंचायतों में भी चुनाव द्वारा अच्छे आदमी नहीं चुने जायेंगे, और चुनाव के द्वारा हम लोग जो असेम्बली के सदस्य एम० एल० एज०

है, वह भी अच्छे नहीं चुने जायेंगे, और इस तरह से संसद के सदस्य भी जो चुनाव द्वारा चुने जायेंगे, वह भी अच्छे नहीं चुने जायेंगे, और इस तरह से चुनाव का सिस्टम ही बेकार हो जाता है और डेमोक्रेसी भी फिर ठीक चीज न होगी। अगर आप चुनाव का सिस्टम पार्लियामेंट असेम्बली, गांव पंचायत सभी जगह रखना चाहते हैं, तो आप को जनता पर तो विश्वास करना ही होगा, कि वह ठीक आदमियों को चुनकर भेजे और अगर वह ठीक आदमियों को नहीं भेजती है, तो उसको उसका खमियाजा भुगतना ही होगा। यह कैसे हो सकता है कि जनता असेम्बली के मेम्बरों को अच्छा चुन लेगी, पार्लियामेंट के सदस्यों को अच्छा चुन लेगी, गांव पंचायतों के सदस्यों को अच्छा चुन लेगी, लेकिन न्याय पंचायतों के सदस्यों को वह अच्छा नहीं चुन सकेगी। यह दलील समझ में नहीं आती कि जनता सब को ठीक चुन लेगी, लेकिन न्याय पंचायत के सदस्यों को ठीक से नहीं चुन सकेगी।

यह भी कहा गया कि एक्जीक्यूटिव आफिसर रहेंगे, और उनको पावर दी जायगी। जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया आपने कलेक्टर को जहां भी पावर दे रखी है, वहीं आप देख लें, कि कैसा काम हो रहा है। अपोजीशन की ओर से विरोध इसलिए किया जा रहा है कि सरकार का जो ख्याल है, कि छोटे-छोटे लोग पंचायतों में जो होते हैं, उनको पावर न दी जाय, उसका हम विरोध करते है, सरकार उनकी पावर को खींच करना चाहती है। मालूम होता है कि सरकार को जनता पर विश्वास नहीं रह गया है और वह जनता को नीचे स्तर का समझकर बड़े-बड़े अफसरों को तमाम पावर देना चाहती है। यहां तक किया जाता है कि मन्त्री महोदय जाते हैं और जिलाधीशों के कान में कह देते हैं कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करो। हमारे यहां मिनिस्टर साहब गये थे, और उन्होंने वहां ऐसी चीजें पेश कीं कि जिनके बारे में मैं सदन के सामने क्या कहूं। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कौन होगी, इस चीज को साफ होना चाहिए था, लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने इस विषय में हमें बिलकुल अंधेरे में ही रखा है। जब माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि क्या वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, तो उस बात का मन्त्री महोदय ने कोई ठीक उत्तर नहीं दिया। मैं समझता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे डी० एम० बनाया जाय या कोई भी अफसर बनाया जाय, लेकिन इस तरह से बनायी गयी अथारिटी को कोई भी इन पंचायतों के बारे में जानकारी नहीं होगी कि कौन कैसा है और जो डिटेल की वहां की बातें हैं वह किसी भी जिलाधीश या प्लानिंग आफिसर को नहीं मालूम हो सकती हैं और ऐसी सूरत में वह अपने निजी लोगों पर ही आधारित रहेंगे और पंचायत राज इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर ही काम करेंगे, और इस तरह से जो मन्शा इस बिल की है, वही खत्म हो जायगी और जो करप्शन और भ्रष्टाचार है, वह इसी तरह से वहां कायम रहेगा। जरा सोचने की बात यह है कि इस तरह से पंचायत इन्स्पेक्टर, तहसीलदार या सुपरिन्टेंडेंट, एस० डी० एम० द्वारा सजेस्ट किये हुए आदमी कहां तक न्याय-पंचायतों का काम ईमानदारी से करेंगे, और कहां तक ईमानदार आदमी सजेस्ट किये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करा के हम पंचायत राज का जो उद्देश्य है उसको समाप्त करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित लोगों के पास चारों तरफ से लोग जायं और बहुत बड़ी तादाद में लोग इन तहसीलदारों, प्लानिंग आफिसर्स, पंचायत इन्स्पेक्टर्स को घेरे रहें और इस बात की कोशिश करेंगे कि हमको पंच बनाया जाय। जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष देखा जाता है कि गवर्नमेंट ने आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाने के लिये कमेटी बनायी, और उन कर्मचारियों के पास किस तरह से लोग दौड़-दौड़ कर आते हैं और अपनी सिफारिश करते हैं और चाहते हैं कि हमको आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया जाय। तो इस तरह से दौड़ धूप करके, पैसा खर्च करके लोग आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनेंगे, वे कहां तक न्याय कर सकेंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस संशोधन को लाकर माननीय मन्त्री महोदय, करप्शन बढ़ाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि जो चापलूसी कर सके, उनके हाथों में यह पावर जाय। एक तरफ तो वे पंचायतराज कायम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने को शक्तिशाली भी बनाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपैलिटीज

[श्री राजेन्द्र सिंह]

व टाउन एरियाज के जो एलेक्शन हुए हैं, उनके नतीजे से उनको खतरा हो गया है, इस एलेक्शन से उनको घबराहट हो रही है, ट्रावनकोर के नतीजे से उनको घबराहट है, और अपनी घबराहट का उन्होंने प्रदर्शन किया है। माननीय विभव जी ने कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी का विरोध बढ़ता जाता है। मैं माननीय विभव जी से कहता हूं कि अगर उनका विरोध बढ़ता जाता है, तो जिस तरह से कानपुर के डी० एम० ने श्री राजनारायण जी को बन्द कर दिया है, उसी तरह से उनको भी बन्द करवा दीजिये। माननीय विभव जी ने यह भी कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी को गांवों की परिस्थित का ज्ञान नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय विभव जी से कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी गांव के ही रहने वाले हैं और आप शहर में रहते हैं और शहर में रह कर आपको गांवों का उतना तजुर्बा नहीं है, जितना गेंदा सिंह जी को है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन न्याय पंचायतों के सेलेक्शन का काम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में दे दिया गया तो न्याय पंचायतों की वही हालत हो जायगी, जो अंग्रेजी राज्य में उस समय के अदालती पंचायतों की थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपना विश्वास है कि अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा ये न्याय पंचायतें चुनी जायेंगी, तो उनका नतीजा यही होगा कि जहां सरकार मजबूत बनेगी, उसके साथ ही साथ सरकार के प्रति आम जनता में नफरत का भाव भी पैदा हो जायगा। इसलिए माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया उससे माननीय मन्त्री जी की स्वयं बचत होती है। वे अपने सिर पर क्यों कलंक लेना चाहते हैं? वे क्यों डी० एम० को बदनाम करना चाहते हैं? वे क्यों प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में यह राइट देकर उसे भी बदनाम करना चाहते हैं? इस तरह से इनडाइरेक्ट वे में उनकी भी बदनामी होगी। अगर वे समझते हैं कि इस तरह से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में सेलेक्शन का राइट देकर वे उससे बच जायेंगे तो मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी को बतला देना चाहता हूं कि वे उस से बच नहीं सकते हैं। उसका असर इनडाइरेक्ट वे में उनके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन तमाम शब्दों के साथ माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि न्याय के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर जनता को इन्तजाम करने का पूरा अधिकार दीजिये। चाहे ग्राम पंचायतों का चुनाव हो, चाहे न्याय पंचायतों का चुनाव हो, लेकिन हर हालत में उनको पूरा अधिकार देना चाहिए। अगर वे कुछ गलती भी करें, तो गलती के बाद धीरे-धीरे काम करना सीख सकेंगे। हर व्यक्ति गलती करता है, हर संस्था गलती करती है और हर सरकार भी गलती करती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को मान लें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ऐसी खुशी का अवसर प्राप्त होता है और हमारे लिये खुशी की बात है कि इस समय दोनों मन्त्री महोदय, यहां इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे सामने अपने विचार प्रकट करें।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता था कि जो शुबहा या संदेह मेरे दिमाग में उत्पन्न हो गया है और मैंने उसको स्पष्ट रूप से माननीय स्वशासन मंत्री के सामने रख दिया था, उस पर कुछ प्रकाश पड़ेगा और हो सकता था कि उस पर कुछ रोशनी पड़ने के बाद मैं कुछ सोचता समझता और शायद अपने मित्रों की बात जैसा कि माननीय देवदत्त जी ने कहा, माननीय ब्रज विहारी जी जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहा, तथा और माननीय

सदस्यों ने भी कहा कि हम अपने संशोधन को वापस ले ले। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर उन्हीं बात को मान कर अपने संशोधन को वापस कर लेता। मुझे अफसोस है कि माननीय स्वशासन मंत्री ने अपने विचार बतलाने की मेहरबानी नहीं की। उल्टे जो माननीय सदस्यों ने भाषण किये उन्होंने हमारे संदेहों को दूर करने के बजाय उन संदेहों को और भी पुष्ट करने की कोशिश की। मैं सबसे पहले उन्हें यह कहना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस रिपोर्ट के ८—१० पन्नों को पढ़ने की मेहरबानी की। अगर माननीय सदस्यों ने एक घंटे के समय का ठीक उपयोग किया होता तो मैं समझता हूं मुझे किसी बात के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह रिपोर्ट बहुत विचार विनिमय के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ लिखी गयी है। इसके अतिरिक्त मैं और कोई बात लोगों को याद भी नहीं दिलाना चाहता हूं लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि मुझे उस तरफ के लोगों को याद दिलाने की जरूरत होती है। इसलिए कि जिन माननीय सदस्यों ने लंच आवर के बाद भाषण किये उनसे मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बराबर इस तरफ ध्यान दिलाने के बाद भी इसको देखा नहीं। माननीय ब्रज बिहारी मिश्र जी ने एक पैराग्राफ की तरफ जाने को कहा था। मैं उनका ध्यान इस रिपोर्ट के खास-खास अंशों की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां पहले ही भूमिका में जहां पर न्याय पंचायत शुरू हुयी है उन्तीसवे पेज में यह बात लिखी हुयी है, मैं उस तरफ माननीय मिश्र जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं—

"In spite of the shortcomings, lack of experience and training and regardless of the glare and blinking of millions of suspicious eyes the Adalti Panchayats have established a unique record by disposing of over 9 lakhs of cases of which only two percent, revisions were allowed. Any machinery entrusted with the administration of justice embellished and studded with the best brains of any country would have been proud of such an achievement though the expense involved in its maintenance would have been prohibitive for a country of poverty-stricken millions."

यह तो माननीय मिश्र जी ने पंचायतों की तारीफ में कहा। इसके बाद फिर तीसरे पैराग्राफ में कुछ जस्टिस की तरफ यानी जिस तरह से न्याय किया जाय इस पर कुछ विशेष कहने की कृपा की है। इसमें उन्होंने कहा:—

"In simple language and briefly however the act of giving to every one his due may be termed as justice. It must be lawful, full, fair and equitable. It should necessarily be based on truth and reighteousness should be exact and must appear to be upright"

यानी यह कि वह केवल थ्योरी मे न हो बल्कि वह दिखायी भी दे वह सही चीज है तो क्या प्रेस्काइब्ड अथारिटी के नामजदगी से इसमे खबसूरती दिखायी देगी फिर इसके बाद वेलफेयर स्टेट मे कैसा जस्टिस हो इस पर भी उन्होंने एक राय कायम की है और मैं समझता हूं कि कमेटी ने बहुत मुनासिब राय कायम की है। वह कहते यह है कि:—

"Justice in a Welfare State must not only be done but even the weakest and the poorest must have the faith and confidence that it shall be done to him. The basis of a Welfare State lies in the secure and a consistent enjoyment by the people, in an ever increasing manner of the rights conferred upon them by the laws of the land."

अब मैं नहीं समझता कि किस तरह प्रेस्काइब्ड अथारिटी को यह अधिकार देकर हम जनता को अधिकार दे रहे हैं और उनका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश कर रहे है। मैं और बातों को छोड़कर जो इसका अंतिम पैरा है उसे माननीय मिश्र जी की सेवा मे और माननीय सदन की सेवा मे रखना चाहता हूं और इसे देखने के बाद फिर मै समझता हूं कि शायद माननीय सदन को अपनी राय बदलने को राजी किया जा सके और माननीय मिश्र जी को अगर वह

[श्री गेंदा सिंह]

विस्मृत हो गया रिपोर्ट की बातें तो फिर उनको स्मरण दिलाकर मैं चाहूंगा कि वह हमारा साथ दें और सरकार को कहें कि सरकार भी अपनी राय बदले। छब्बीसवें पैरा में यह कहा गया है--

"At the end of this prolonged discussion the Members of the Committee unanimously felt that they could not recommend any other system which would work better than the election of members of the Nyaya Panchayat by the Gaon Sabha directly. It was however pointed out that for the election of the Nyaya Panchayat also, as far as possible, the Gaon Sabha should be divided in appropriate constituencies so that each village lying within the jurisdiction of the Nyaya Panchayat may be suitably represented. The members again emphasised that the Gaon Sabhas should be encouraged and helped to adopt the system of secret voting for ...."

यह तो सीक्रेट वोटिंग पर है, लेकिन आखिरी हिस्सा उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने इसका पढ़ा उसमें स्पष्टरूप से यह बात कही गयी है कि कमेटी इस राय की है कि किसी दूसरी प्रथा को चाहे वह नामिनेशन हो, चाहे वह कोई प्रथा हो उसको पेश करने के लिये वह तैयार नहीं है--लेकिन सबसे बढ़िया तरीका अगर किसी को उसने समझा है तो गांव सभा द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव को। इस कमेटी में उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य रहे हैं उनके नाम मैं जरूर यहां रख देना चाहूंगा क्योंकि वह माननीय सदस्य ऐसी स्टैंडिंग के हैं जिससे मैं समझता हूं कि उनके नाम सुनने से माननीय सदस्यों का भी शायद इस रिपोर्ट को पढ़ने का जी चाहेगा और मैंने जो उनके सामने यह दरख्वास्त की है, जो उद्धरण पेश किये हैं उस पर शायद उनको राय बदलने का मौका मिले।

1.	Sri. Mohan Lal Gautam, Minister for Local Self-Government	Chairman
2.	Sri. Malkhan Singh M. L. A.	Member
3.	Sri. Brij Behari Misra, M. L. A.	Member
4.	Dr. Ishwari Prasad, M. A., D. Litt., M. L. C. ..	Member
5.	Sri. Suresh Prakash Singh, M. L. A. . ..	Member
6.	Sri. Mahant Jagannath Bux Das. M. L. A. ..	Member
7.	Sri Shiv Saran Lal Srivastava, M. L. A. ..	Member
8.	Sri Kalika Singh, M. L. A.	Member
9.	Sri S. N. Katju, M. L. A.	Member
10.	Sri Radha Mohan Singh. M. L. A.	Member
11.	Sri J. K. Tandon, Secretary Legislative Department	Member
12.	Sri K. N. Singh, Secretary Local Self Government Department	Member
13.	Sri G. S. Chooramani, Joint Director of Panchayats	Member Secretary.

यह १३ माननीय सदस्य इस कमेटी के मेम्बर रहे हैं। मैं इन १३ माननीय सदस्यों को निजी तौर से कुछ जानता हूं। लेकिन श्री जे० के० टंडन जो इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनका नाम जब मैं पाता हूं तो अधिक मजबूत हो जाता हूं। इसके अलावा डाइरेक्टर साहब श्री चूरामनी के नाम से मुझे कुछ और मजबूती मिलती है। लेकिन सबसे अधिक मजबूती तो तब मिलती है जबकि माननीय स्वशासन मंत्री जी जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे उनकी भी राय कुछ दूसरी नहीं है। उनकी राय भी यही है जोकि मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने रखी। माननीय चेयरमैन साहब, जो इस समय हमारे सामने माननीय स्वशासन मंत्री जी की शक्ल में हैं उनकी राय मैं समझता हूं कि इस कमेटी में बहुत मजबूत राय होगी। दो और आदमियों की राय ने सबसे ज्यादा काम किया होगा। एक तो माननीय टंडन जी जोकि इस सदन के कानूनी सलाहकार हैं, उनको मैं निजी तौर से भी जानता हूं, वह एक बिन्दी हटाने में भी उपाध्यक्ष महोदय, घंटों सोचते हैं। अगर किसी विधेयक में एक कामा और फुलस्टाफ हटाने

की भी बात कही जाय, यह मामूली बात नहीं है कि वह उसपर राजी हो जायं। अगर माननीय टंडन जी के दस्तखत से यह रिपोर्ट आया हुयी है तो मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल उछल पड़ा। नहीं मालूम कौन सा जब उस बेचारे पर हुआ जिसके बाद उन्होंने इस बिल को फिर से दूसरे प्रकार से ड्राफ्ट कर दिया। मैं जब किसी वक्त सोचता हूं तो यह महसूस करता हूं की श्री टंडन के ऊपर भारी जब्र किया गया होगा और उससे मैं परेशान हो जाता हूं कि कैसे उस भले आदमी ने कबूल किया होगा। इसके अलावा माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कैसे कबूल किया, इसे सोचकर उनसे हमारी पूरी हमदर्दी है। उनकी जो अवस्था हुयी होगी इस बिल को कबूल करने में इस रिपोर्ट को लिखने के बाद जबकि इस बिल में उपाध्यक्ष महोदय इसका जिक्र है खंड ४३ में, पंचों के चुनाव के संबन्ध में कि हम इस बात को नहीं मान सकते। यह ड्राफ्ट बिल में जो बात आयी है इसको स्वीकार नहीं कर सकते, यह लिखा हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि क्या गुजरी होगी माननीय स्वशासन मंत्री जी के ऊपर। और इसीलिए मैं हमदर्दी का इजहार करता हूं। अब मैं किन शब्दों में कहूं, हां यह बात तो ठीक है, जो माननीय भट्ट जी ने कहा। मेरे पास शब्द नहीं है। वाकई में ठेठ देहाती आदमी हूं। अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास शब्दों का भंडार होता तो मैं आज गवर्नमेंट को उन

जुला लिया करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में मैंने शुरू में यह कहा है, कि इस शासन विभाग के खंभों को जो मोटे-मोटे हैं उन केसाथ इसको बांध दिया जाय। अगर बांध दिया गया तो यह खंभे इन्हें ले जा करके अच्छी जगह न डालेंगे। न्याय विभाग वालों को ले जा कर गड्ढे में डाल देंगे। मैंने शुरू में कहा था, बार-बार क्या दोहराऊं, कि न्याय विभाग का जिसका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध गांवों के छोटे-छोटे मामलों से है इसका इस तरह से शासन के साथ गठबन्धन कर देना य अन्याय करना है, कोई न्याय नहीं पायेगा और रही बात माननीय देवदत्त जी की कि सरकार के ऊपर हमारा अविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं यह कहता हूं कि सरकार के प्रति जितना भी अधिक से अधिक अविश्वास फैलाया जा सके यह हमारा काम है। लेकिन हम जानते हैं कि जो लोग कांग्रेस के भीतर रहे हों और कुछ भी गांधी जी की छाप उनके जीवन पर एक आना, एक पाई, २ पाई है तो उनका कर्त्तव्य अपने विरोधी को नीचे गिराना ही नहीं है, बल्कि अन्देशा है कि कम खतरे से आगाह करना भी कर्तव्य समझे, मैंने शुरू में ही यह बात कही थी कि हमारा काम यह जरूर है, इससे इन्कार नहीं करते। अगर वह काम हमारा न होता तो हम भी माननीय गौतम जी के साथ होते। माननीय स्वशासन मंत्री जी जो है उनके पीछे रहने का तो अवसर कभी मिला ही था काफी दिनों तक और जिस वक्त यह हमसे जुदा हुए उस वक्त बहुत कष्ट हुआ और उस कष्ट का वर्णन नहीं कर सकता। आज माननीय मंत्री जी जिसमें विश्वास करते हैं उसमें हम नहीं विश्वास करते। फिर भी हमारा यह काम नहीं है कि हम हर मामले में स्वशासन मंत्र जी या इस शासन का जो भार चला रही है, सरकार को उसे प्रत्येक मामले में बदनाम किया करें। हर मामले में जो सही सलाह दी जा सकती है वह न दें। डेमोक्रेसी में अपोजीशन का काम मैं उन माननीय सदस्यों से सीखना चाहता हूं जो हमको यह सिखाते हैं। हम कहते हैं कि अपोजीशन का क्या काम है, विरोधी-दल का क्या काम है। अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी को रखना है और डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है तो भाषण करना जरूरी होगा और जिन माननीय सदस्यों को भाषण पर विश्वास न हो वे बाहर चल करके जरा तलवार पर हाथ रखें क्योंकि सरकार को बदलने का तरीका या तो भाषण है नहीं तो तलवार है। उसके अलावा दूसरा तो कुछ नहीं। और तीसरा तरीका विनोबा-भावे जी का सेवा करने का है जिसमें माननीय सदस्य जो उलाहना देते हैं हमारे भाषण का उनको विश्वास ही नहीं है। हम कहेंगे कि जरा विनोबा जी के पीछे तो चलिये तो उसके पीछे जाने को तैयार नहीं तलवार उठाने को तैयार नहीं, भाषण पसन्द नहीं। फिर करते क्या? तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा विश्वास डेमोक्रेसी में है प्रजातंत्र में है और उस प्रजातंत्र में विश्वास रखते हुए हम यह सोचते हैं कि हर आदमी को उचित मौका रहना चाहिये

[श्री गेंदा सिंह]

कि वह न्याय पा सके। हम जब यह संदेह करते हैं कि सरकार, शासनाधिकारी जो हैं वे न्याय के कामों में दखल देते हैं और न्याय के कामों में दखल दिया करते हैं, सरकार के विरोधियों को कुचलने के लिए, अपनी कुचेष्टा को पूरा करने के लिए, तो मैं क्या गलत कहता हूं ? मैं उदाहरण स्वरूप अगर अपने ही को रखूं तो क्या इससे सरकार इन्कार करेगी कि जिसको सरकार ने नियुक्त किया, जिसका सरकार के साथ बहुत नजदीक का सम्बन्ध था उसने उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो वर्ष की सजा दे दी। ऐसा समझ कर सजा दी कि दो वर्ष की सजा के बाद यह अयोग्य हो जायगा इस असेम्बली का सदस्य बनने के लिए। लेकिन जिस वक्त मैंने उसी हुक्म के खिलाफ अपील की और जिसका शासन से जरा दूर का सम्बन्ध है उस जुडिशियरी ने फैसला दे दिया कि यह बेक़सूर है। अब उस जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को मैं क्या कहूं, जिसने दो वर्ष की हमको सजा दी। वह कन्फर्म्ड नहीं था। उसको जुडीशियल मैजिस्ट्रेटी करनी थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर दो वर्ष की सजा गेंदा सिंह और उनके साथी को देते हैं तो बड़ी पक्की नौकरी उसकी हो जायगी और फिर जो यह असेम्बली में जा कर सरकार के सामने दो बातें जनता की कह लेता है वह कहने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन उस जुडीशियरी ने, जिस पर हमें गर्व है, उसने हमें रिहा कर दिया और मैं कहता हूं कि सरकार अपील में क्यों नहीं आयी, जरा हाई कोर्ट में जाती तो मैं देखता कि सरकार की क्या गति वहां बनती। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार न्याय के काम में बिल्कुल गुलाम न बना दे उनको। यह तो बड़े पैमाने पर है। मैं कहता कि छोटे पैमाने पर गांव-गांव में पार्टीबन्दी है, उस पार्टीबंदी को हम एक स्वस्थ रूप देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि गांवों में पार्टीबन्दी होगी, कोई दुनियां की ऐसी ताकत नहीं जो उस पार्टीबन्दी को रोक सके। अगर उस पार्टीबन्दी को रोका नहीं जा सकता तो क्यों न उसे एक स्वस्थ्य रूप दिया जाय, जिससे कि वह गांवों को नर्क न बनाये बल्कि उनको तरक्की की तरफ ले जाये। आज जो कानून सरकार बना रही है उसके मुताबिक गांवों का क्या स्वरूप होगा। प्रेस्काइब्ड अथारिटी न्याय पंचायत बनायेगी और न्याय पंचायत बनाने के बाद जिनको जी में आयेगा उनको वह सतायेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से सजा दिलायेंगे और जो मैं उदाहरण स्वरूप आपसे कहता हूं कि मैंने ऐसा हुक्म कभी नहीं देखा कि एक मैजिस्ट्रेट एक आदमी को जमानत के लिये ऐसा हुक्म दे और यह कहे कि तुमको कानपुर के किसी इन्कमटैक्स देने वाले को ही लाना पड़ेगा, उसी की जमानत हम मानेंगे, यह माननीय राजनारायण जी को एक मैजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म दिया।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—प्रोपेगेंडा करने की बात दूसरी है।

श्री गेंदा सिंह—सभी को प्रोपेगेंडा करने का अधिकार है और हमें भी है। माननीय सदस्य भी करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सरकार जो करती है उसका हम सभी चित्रण करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि यह हमारा अधिकार है। अगर हमारे अधिकार को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोक दें तो मैं समझता हूं कि यह हमारे साथ अन्याय होगा, और किसी माननीय सदस्य को इस तरह से रोकने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो चुकी है, उसके विषय में फैसला भी हो चुका है और तरीका भी बताया गया है कि किस तरह से काम किया जाता है। तो ऐसी सूरत में जो उनके विवाद में संबंधित चीजें हैं उन्हीं पर बातचीत होनी चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नवल किशोर जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस पर काफी रोशनी डाली, काफी बदनाम करने की कोशिश की माननीय राजनारायण जी को और इस बहाने से वे बदनाम कर लें और आप हमको अपनी पोज़ीशन को साफ करने का मौका न दें यह हमारे साथ अन्याय होगा, मैं तो कहता हूं कि माननीय राजनारायण जी के साथ हो क्या रहा है ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहा हूं कि इसी तरह के लोगों को आप प्रेस्काइब्ड अथारिटी बनाने जा रहे हैं। अगर सरकार को साहस हो तो कह दे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेस्काइब्ड अथारिटी में नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि ये डिस्ट्रिक्ट

मैजिस्ट्रेट्न प्रेस्काइ ड अथारिटी होंगे। इस रिपोर्ट में यह बहुत स्पष्ट लिखी हुई बात है कि १७ जिला मैजिस्ट्रेटों ने नामिनेशन के लिये सिफारिश की कि नामिनेशन किये जायं न्याय पंचायत के लिये।

एक सदस्य—लेकिन वह माइनारिटी में है।

श्री गेंदा सिंह—माइनारिटी में होते हुये उन्हीं की चल रही है। कलक्टरों में सभी नालायक थोड़े ही है, उनमें भी लायक होंगे और उन्होंने कहा होगा कि न्याय पंचायतें चुनी जायं, लेकिन जो कलक्टर पथ-भ्रष्ट है, जो बुद्धि-भ्रष्ट है उनकी चल गयी और सरकार ने उनकी राय को ही पसन्द किया और जो १३ सब से बढ़िया राय देने वाले इस कमेटी में बैठे थे उनकी राय कट गयी। इस तरह से यह पंचायतें भी भ्रष्ट होने जा रही है। यह बुद्धि भ्रष्ट १७ डिस्ट्रिक्ट मैजि ट्रेटों की राय थी कि पंचायतें नामिनेटड हों और बाकी ३४ कलेक्टरों की यह राय नहीं थी। वह १७ कानपुर के राठौर जैसे थे। लेकिन उन १७ कलेक्टरों की बन गयी जो पथ-भ्रष्ट और बुद्धि भ्रष्ट थे और सरकार भी उनके पीछे चली गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब भी सरकार चेते और सारे माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह इस गुस्से में काम न करें। नाराज होने का कारण मुझे तो है उपाध्यक्ष महोदय, जिस घर के बुजुर्ग को जेलखाने में बन्द कर दिया गया हो और इस पर भी हमें चिढ़ाया जाता है, हमसे सवाल होता है कि तुम्हारे नेता कहां है तो मुझे गुस्सा नहीं होगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष—मैं फिर माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाराज भी हूं और हमें तकलीफ है। हमारे घर का जो बुजुर्ग है जिसे हमने बुजुर्ग का दर्जा दे रखा है और मैं किसी सरकार के लिये समझता हूं उचित नहीं है कि वह इतने बड़े प्रबल मत और इतनी बड़ी शक्ति में होने के बाद एक व्यक्ति से चाहे कि उसको जेलखाने में रखकर हुकूमत करेगी।

श्री अब्दुल मुईज खां—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि चेयर से रूलिंग होने के बाद यह बात असंगत है, माननीय सदस्य का परसिस्ट करना क्या मुनासिब है?

श्री गेंदा सिंह—चेयर से कोई रूलिंग नहीं हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर रूलिंग नहीं हुयी है तो भी मैं माननीय सदस्य को सलाह दे चुका हूं। मेरी सलाह को न मानना कहां तक उचित है यह मैं माननीय सदस्य के ऊपर छोड़ता हूं।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सलाह की रूलिंग से भी अधिक प्रतिष्ठा करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं थोड़े से में जवाब न दे दूं, तो हमें बदनाम होने का डर है, और हमें बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है। मेरे दिल में नाराजी है, लेकिन मैं विधेयक पर नाराज होकर नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन से यह पंचायत राज विधेयक आया मैंने अपना सारा काम छोड़ रक्खा है और उस दिन से मैंने इसको विधिवत् पढ़ने की कोशिश की है। मैं पंचायत राज विभाग के अधिकारियों का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे लिए बड़ी सुविधा दे दी थी, कि हम पंचायतों के बारे में आसानी से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर सकें। आज भी बहस होने के पहले उन्होंने हमें एक छोटी सी पुस्तिका दी, जिससे हमारी जानकारी और भी बढ़ गयी। हम नाराजगी में इस बात को नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं।

[श्री गेंदा सिंह]

हम सरकार के उन विरोधियों में से हैं, जो सरकार को हटाना चाहते हैं, लेकिन सरकार को इसलिए हटाना नहीं चाहते हैं कि गलत या सही हर मामले में हम सरकार की आलोचना किया करें। सरकार गलती करने जा रही है, इससे हम उसको आगाह करना चाहते हैं। अगर सरकार आगाह होना चाहे, तो हो जाय। लेकिन नहीं होना चाहे, तो भी हम तो अपना कर्तव्य-पालन कर रहे हैं, और अपने कर्तव्य के पालन करने में हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। हमारे पास जितने शब्द होंगे और जितनी बुद्धि होगी, उसके अनुसार हम सरकार को समझाने की चेष्टा करेंगे, सरकार समझे न समझे, आगे आने वाले जमाने में सरकार को खुद सबक मिलेगा। ५-६ वर्षों में जो काम इसने किया है, उस पर जो कुछ इसकी राय थी, उस से ही सरकार उल्टी जा रही है। क्योंकि जो कुछ भी ५-६ वर्ष का काम था, कमेटी ने उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद हमारे सामने यह पुस्तकाकार के रूप में एक रिपोर्ट दी है। इसके देखने के बाद मैं समझता हूं कि कमेटी के उन माननीय सदस्यों ने बहुत ही समझ बूझकर वह राय दी थी, लेकिन, सन् १९५४ में दो चार महीनों के भीतर सरकार ने अपनी राय बदली। मुझे नहीं मालूम कि सरकार को राय बदलने के क्या कारण थे। मैं अब भी अपनी मजबूरी जाहिर करता हूं कि अगर वह मेहरबानी करके कारण माननीय स्वशासन मन्त्री जी ने बतलाया होता, या माननीय व्रजविहारी जी ने बतलाया होता, या किसी माननीय सदस्य ने बतलाया होता, तो मैं सोचने के लिए तैयार था, और मैं शायद सरकार के साथ होता। मुमकिन है कि सरकार या किसी माननीय सदस्य की सलाह से मैं भी कनविंस हो जाता और मान जाता कि न्याय पंचायत को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के ही द्वारा बनाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि माननीय सदस्यों में से किसी ने इस बात पर स्पष्ट नहीं किया और न इसको माननीय स्वशासन मन्त्री ने इतनी मेहरबानी की कि वह मुझ को या और माननीय सदस्यों को बताये। तो फिर ज्यों का त्यों हमारा सन्देह बना हुआ है। किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा, विभव जी ने, ऐसे आदमी ने, कहा कि कहीं हम अपनी छाया से ही सन्देह न करने लग जायें। मैं जानता हूं आखिर यहां बैठा रहा हूं, कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जो हमको करेक्ट किया करेंगे, शुद्ध किया करेंगे। हम गलती कर सकते हैं, तो माननीय विभव जी जैसे आदमी भी तो यहां मौजूद है, जो अपनी छाया से सन्देह नहीं होने देंगे। छाया तो दरकिनार मैं तो माननीय विभव जी से भी सन्देह नहीं करूंगा। उधर के माननीय सदस्यों में से ऐसे लोग भी हैं, जिनको मैं अपने से कम समझने वाला या कम ईमानदार नहीं मानता हूं, कम प्रगतिशील भी नहीं मानता हूं। कुछ मजबूरियां हैं, एक मुल्क की स्थिति है, जिसकी वजह से आज हम और वह दो जगह हैं। आज हमारा यह विश्वास है कि हम सन्देह से डूबने वालों की दुनिया में नहीं हैं हमने सन्देह की दुनिया में डूबने वालों का साथ छोड़ दिया। हम रीअलिस्ट हैं, वस्तुस्थिति को देखते हैं, और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। सम्भव है, गलती हो जाय। जहां गलती हो, वहां माननीय रामकुमार और श्री सीताराम जी बैठे रहेंगे. और माननीय चतुर्वेदी तो बैठे ही हैं। वह दुरुस्त कर लेंगे। सब लोग बैठे हैं. आखिर यह लोग करेंगे क्या? इसीलिए तो डेमोक्रेसी को हम हिमायत करते हैं कि जब दो विरोधी विचारों का द्वंद होता है तो उस द्वंद के बाद कोई चीज सही निकल सकती है। एक आदमी सही नहीं सोच सकता, यह भी बात हो सकती है. लेकिन दूसरा आदमी अगर सही बात सोचता हो, तो मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। मैं फिर आखीर में इसी बात की दरख्वास्त करता हूं और अब भी आशा करता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद, माननीय स्वशासन मन्त्री अपनी उस कमेटी की रिपोर्ट पर जिसके चेयरमैन थे, स्टिक करें और उधर जायं और उधर जाने के बाद मैं समझता हूं कि इस विधेयक की रूपरेखा दूसरी होगी और उस रूप में जब यह विधेयक पास होगा, तो माननीय स्वशासन मन्त्री जी की नेकनामी होगी, हम भी माननीय स्वशासन मन्त्री जी का गुणगान गायेंगे और सरकार की जयजयकार होगी। अब इसके बाद अगर वह ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, यह मैं नहीं जानता। वह तो इतिहास भविष्य का बतलायेगा।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर कई बार कई रूप में वाद विवाद हो चुका है और इस संशोधन पर जितने भी माननीय सदस्य बोले, उन्होंने जितनी बातें कहीं, उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है, जो पहले नहीं कही गयी हो। माननीय सदस्यों ने आपकी कृपा से और आपकी सलाह से बावजूद जो अधिकार बढ़ा लिये हैं, वह गलत है। एक तो यह कि बहुत सी असंगत बातें कही गयीं। उनके उत्तर देकर मैं कम से कम अपने अधिकार नहीं बढ़ाना चाहता जिसको कि मैं गलत समझता हूं। जो जितनी असंगत बातें हैं, उनको कहने के लिए एक ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया है, माननीय सदस्यों ने कि अगर वह न होता, तो यह सदन ज्यादा अच्छी तरह से काम करता। इसलिए मैं उस अधिकार को कम से कम अपने लिए तो नहीं बढ़ाना चाहता और उन असंगत बातों का जवाब नहीं देना चाहता। किस-किस पर आक्षेप, क्या-क्या बहस, क्या-क्या बातें कही गयीं, वह सब इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखती है। दूसरा अधिकार यह माननीय सदस्यों ने बढ़ा लिया है कि जो बात एक दफे कही जाय, उसे बार-बार कहने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस अधिकार को भी मैं गलत समझता हूं और इस सदन का जो मूल्यवान समय है, उसमें बार-बार एक ही दलील को कह देने का अधिकार मैं अपने लिए प्राप्त नहीं करना चाहता। इसके अलावा एक भी प्वाइन्ट ऐसा नहीं है जिसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता हो। इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12—A निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में (१७)

उमा शंकर, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गंगा धर, श्री
गेंदा सिंह, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार,
मोहन सिंह शाक्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
यमुना सिंह, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राजवंशी, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
विष्णुदयाल वर्मा, श्री

विपक्ष में (११०)

अब्दुल मुईज़ खां, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपा शंकर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चन्द्रहास, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपति सिंह, श्री
जवाहरलाल, श्री
टीका राम, श्री
तुलसी राम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवदत्त मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदास, श्री
नौरंगलाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभूदयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फजलुल हक, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भुवरजी, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहन सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री,
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम भजन श्री,
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामबल मिश्र, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
विद्यावती राठौर, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
वसी नकवी, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुगन चन्द, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री

श्री उपाध्यक्ष—यह जो श्री केशभान राय का संशोधन ४९-ग पर है, यह तो आफिस के द्वारा ही कर दिया जायगा ।

श्री मोहनलाल गौतम- ननीय ध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बात इसमें ओमिट की जा रही है, वह यह है कि किसी भी गांव का रिप्रेजेन्टेशन न हुआ हो, वह इसमें आ गयी है । कोशिश यह होगी कि हर रेवेन्यू विलेज की गांव सभा हो और जब कांस्टिट्यूशन बन जायगा तो गांव उसमें आ जायगा, लिहाजा इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

राजा वीरेन्द्रशाह—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नयी धारा 12-B की उपधारा (2) निकाल दी जाय ।

(इस समय ४ बजकर २७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्रीमान्, इसके मानी हैं कि 12—B जो नयी चीज सरकार इस धारा द्वारा रखना चाहती है, वह यह है कि रक्षा दल के सदस्य पंचायतों की बैठक में भाग लिया करे और पंचायतों पर अपना प्रभाव डालने के लिए भाषण दिया करें और उनके कार्य में अपने को सम्मिलित कर सकें । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से पंचायतों का जो स्वतन्त्र रूप से निर्णय करने का ढंग है, उसमें बाधा पड़ेगी और वातावरण बिगड़ेगा और पार्टीबन्दी बढ़ेगी । सरकार समझती है कि रक्षा दल उचित कार्य करेगा, लेकिन मेरी राय में उससे बड़ी गड़बड़ियां मचेंगी । मैं नहीं समझ पाया कि सरकार ने कैसे इसे उचित समझा, कैसे पंचायतों को अपने निर्णय करने में सुविधा होगी ? मैं समझता हूं कि उनके आने से न्याय पंचायतों के निर्णय में बाधा पड़ेगी । देखा यह गया है, श्रीमन् कि किसी को गांव में पंचायत में अपने विचार रखने से मनाही नहीं है । पंचायत के लोग किसी को बुला सकते हैं और वह अपने विचार पंचायत के सामने रख सकता है । मैं समझ नहीं सका कि क्यों इस क्लाज को रखा गया है । मन्त्री जी के भाषण के बाद मैं यह तय करूंगा कि यह किस गरज से उपयोगी समझा गया है और तभी कुछ और कहूंगा ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी दलील नहीं है विरोध करने की कि समझ में नहीं आया । इसके रखने का कारण यह है कि गांव में विकास के कार्य गांव सभायें करती हैं और गांवों में एक बड़ा भारी ट्रेन्ड फोर्स प्रान्तीय रक्षा दल का है । जो प्रान्तीय रक्षा दल वाले गांवों में ही रहते हैं, वे तो उसके सदस्य होकर भाग ले ही सकेंगे, लेकिन जो गांवों में नहीं रहते हैं, उनके लिए यह रखा गया है । हम चाहते हैं कि दो पहिये अलहदा-अलहदा न चलें । राजा साहब ने देखा होगा कि बाहर वालों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया है । सिर्फ दोनों मिलकर दोनों साथ-साथ कार्य कर सकें, यही इसका मंशा है । मेरा ख्याल है कि अब राजा साहब समझ गये होंगे और अपना संशोधन वापस ले लेंगे ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह धारा है उसके कारण मुझे माननीय वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन का समर्थन करना पड़ रहा है । मंत्री महोदय ने जो सफाई दी उसमें मैं पूर्णरूप से सहमत हूं कि ऐसी योजनाओं के संबंध में और कंस्ट्रक्टिव वर्क के सम्बन्ध में प्रान्तीय रक्षा दल के लोग, जिसका वर्णन उन्होंने एक ट्रेन्ड फ़ोर्स कह कर किया है, अगर वे चाहें तो काफी सहायता दे सकते हैं । प्रान्तीय रक्षा दल किस प्रकार काम कर रहा है, इसके सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूं और दोबारा इस बारे में कुछ कहने की गुस्ताखी नहीं करूंगा । इस धारा के अन्दर लिखा है कि गांव सभा की बैठक में उन्हें, प्रान्तीय रक्षा दल वालों को, बोलने का अधिकार होगा । प्रश्न यह पैदा होता है कि इसका क्या महत्व है । प्रान्तीय रक्षा दल वालों को गांव सभाओं में भाग लेने के लिये एनेबिल किया जा रहा है या उनको एक विशेष अधिकार दिया जा रहा है कि जब वे चाहें तो उनकी बैठकों में भाग लें । यदि यह चाहा गया है कि यदि गांव सभा उनको आमंत्रित करे, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में ये बहुत सुधर जायेंगे,

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

तो मेरा कहना है कि यह प्रान्तीय रक्षा दल के लोग ऐसा कर सकते हैं और मुझे कोई आपत्ति न होगी । किन्तु जिस रूप में धारा ड्राफ्ट की गई है उसका मतलब मैं तो यह नहीं लगाता । मैं उसका यह मतलब लगाता हूं कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों के पास एक विशेषाधिकार रहेगा कि जब वे चाहें, चाहे गांव सभा के लोग उनको चाहें या न चाहें, गांव सभा के काम मे दखल दे सके । मैं तो यह न समझूंगा कि मंत्री महोदय का यह विचार है कि हमेशा गांव सभा के काम मे दखल दें । मंत्री महोदय का ऐसा विचार न होगा । किन्तु यह समस्या आ जाय कि अनइंवाइटेड होने के बावजूद, जनता द्वारा अस्वीकृत होने के बावजूद उनको यह अधिकार दिया जाय कि वहां आकर गांव सभा की बातों में, दखल दें तो उसका मतलब यह हो जाता है कि वे गांव सभा की प र्टी पालिटि स में वे भाग ले सकेंगे । इससे एक तो गांव सभा की बैठकों मे अड़चन होगी दूसरे यह कि प्रान्तीय रक्षा दल की जो सूरत है वह और भी बिगड़ने का अंदेशा हो सकता है । मेरे नाम में कोई संशोधन नहीं है किन्तु मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि वे इसमें यह स्पष्ट कर दें कि जब गांव सभा की और से यह इच्छा प्रकट की जाय कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोग भाग लें तो वे उनकी सभाओं में भाग ले सके । आप प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों के लिये एक ऐसा इनेबिलिंग क्लाज़ ले आयें कि आमंत्रित होने पर वे गांव सभा की बैठकों में भाग ले सकेंगे ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने रक्खा गया है कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोग भी गांव सभाओं की बैठकों मे भाग ले सकेंगे, मै समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है । यह एक बहुत ही लाभकारी चीज है । अभी माननीय मंत्री जी ने यह बात बतलायी कि वह गांवों में एक बाडी है जिसने देहातों मे संगठन पैदा करने में, प्रान्त मे श्रमदान के काम मे बहुत ही ज्यादा हिस्सा लिया है । मैं इससे एक कदम आगे चलकर माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने गांव के संगठन में और गांव की रक्षा के कामों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है । ऐसे बहुत से जिले हैं जिनमें प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने रक्षा समितियां बनायीं और उन्होंने गांवों में जो प्रबंध किया उसके कारण से वहां जो वारदातें होती थीं, उनमें बहुत सुधार हो गया । इसलिये अगर ऐसे लोगों की जो गावों के सुधार में अग्रसर हैं, उनको हम हिस्सा लेने देना चाहते हैं तो पंचायतों के लिये यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके अतिरिक्त एक बात और भी बहुत अच्छी इसमें की गयी कि चूंकि वे लोग इलेक्टेड नहीं होंगे इसलिये उनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा । सिर्फ वे अपनी राय ही दे सकेंगे । मैं समझता हूं कि अगर आप इस प्रकार से देखें तो आपको मालूम होगा कि आज गांव पंचायतों और गांव के लोगों को एडवाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है । उनके संगठन के लिये, उनकी रक्षा के लिये जो कदम उठाये गये हैं वे बहुत ही अच्छे कदम हैं । अभी माननीय बालेन्दुशाह जी ने इस पर कुछ आपत्ति की, लेकिन वह कोई खास आपत्ति नहीं है कि जिसकी वजह से यह प्रावीजन इसमें न रक्खा जाय । मै माननीय मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा अच्छा प्रावीजन इस बिल में रक्खा जिसके कारण गांव पंचायतों की हर प्रकार से भलाई होगी । इसलिये मै इसका समर्थन करता हूं ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट उधर से आया है, मैं उसका विरोध करता हूं । प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों को इसमें इसलिये रक्खा गया है क्योंकि उनको कोई पे नहीं मिलती और इस प्रकार से वे कोई आफिस आफ प्राफिट होल्ड नहीं करते । इसलिये उनके लिये कोई ऐसी रुकावट नहीं होनी चाहिये कि वे किसी पंचायत के मेम्बर न हो सकें । भारत के एक नागरिक होने के नाते उन्हें पूरा अधिकार है कि वे गांव सभाओं के मेम्बर हो सकें । मैं आपकी इजाजत से यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें जो इनेबिल शब्द आया है तो उनको इनेबिल नहीं किया गया है, बल्कि उनको पूरा पूरा अधिकार दिया गया है कि वे गांव पंचायतों के मेम्बर बन सकें ।

राजा वीरेन्द्रशाह—आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । श्रीमान जी, मेरा कहना यह है कि अभी श्री शिव नारायण जी ने जो यह कहा कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोग तनख्वाह नहीं पाते हैं, यह बात गलत है । वे तनख्वाह पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—यह तो प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री शिवनारायण—जो राजा साहब ने बतलाया मालूम होता है कि प्रान्तीय रक्षा-दल के सिपाही, जो गांवों में घूमते हैं उनके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है । उनको कोई पे नहीं मिलत है, ज्यादा से ज्यादा एकाध वर्दी उनको मिल जाती है । तो हमारा सजेशन यह है कि जो बड़ा कोष्ट इस क्लाज में है वह हटा दिया जाय और फिर नं० (२) जो यहां आया है उसको हटा दिया जाय तो १२-बी हो जायगा । तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं और विरोधी-दल के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ कर यह रखा है । प्रान्तीय रक्षा दल के लोग गांवों में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे गांवों का उत्थान हो । मैं यहां पर श्रीमन्, जर्मनी का एक कोटेशन देना चाहता हूं । जर्मनी में हिटलर ने भी गांव वालों को हवाई जहाज आदि में ट्रेंड कर दिया था । उनको वह तनख्वाह तो नहीं देता था, लेकिन वे बड़े ही ट्रेंड और डिसिप्लिड थे । उसी तरह से हमारे प्रान्तीय रक्षा-दल के लोग भी ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड हैं । वे गांव के भूले भटके लोगों को हर तरह से मदद करते हैं । गांव के रहने वालों को शिक्षित करते हैं वह श्रमदान में भी सहयोग देते हैं । अपने जिले में मैंने देखा है कि प्रान्तीय रक्षा दल के लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किये हैं । इसलिये गवर्नमेंट का जो यह बिल है वह बहुत ही सुन्दर है और मैं राजा साहब के अमेंडमेंट का विरोध करता हूं । क्योंकि इस बिल द्वारा गांव वालों को गवर्नमेंट पूरा-पूरा अधिकार दे रही है हमारे सोशलिस्ट भाई इससे घबड़ा रहे हैं.....................

श्री अध्यक्ष—यह असंगत सा है ।

श्री शिवनारायण—डेमोक्रेसी के नाते जितने भी लोग गांवों के अन्दर हैं, जितने भी असरकारी व्यक्ति हैं उनको पूरा अधिकार है कि वे पंचायत राज के मेम्बर हो सकते हैं । जो गांव में बसते हैं उनका यह नागरिक अधिकार है और किसी के नागरिक अधिकार को हम छीनना नहीं चाहते हैं । अगर आप उनको तनख्वाह देते होते या वे आफिस आफ प्रोफिट होल्ड करते तब आप कह सकते थे कि उनको मेम्बर न रखा जाय । लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व म्युनिसिपैलिटीज के इम्पलाइज इस असेम्बली की मेम्बरी के लिये खड़े हो सकते हैं, उनके लिये हमारी सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है उसी तरह से हमारी सरकार ने पंचायत राज के लिये प्रान्तीय रक्षा दल को अवसर दिया है कि वे वहां के मेम्बर बन सकते हैं । उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं राजा साहब के संशोधन का विरोध करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने की तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय रक्षा दल हमारे प्रदेश में हमारे गांव वालों की सुधार के लिये बना और आज वे कार्य उसने किये हैं जो गांव वालों को स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं कि हम गांव की तरक्की के लिये किस प्रकार से प्लानिंग करें । उनके जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो रास्ते, गलियां और सड़कें हैं उनके लिये किस तरह से लोगों को प्रेरित करें कि वे काम उनके जरिये बहुत अच्छे ढंग से हो सकें । हमारी सरकार ने श्रमदान का मसला समाप्त कर दिया है जो उनके द्वारा बहुत अच्छा हो सकता है । वे लोगों को इकट्ठा करके, अपनी राय देकर ठीक

[श्री रामदास आर्य]

है इसलिये जो भी सुझाव वे देंगे उनसे गांव सभाओं को काफी मदद मिलेगी। तो इस नाते भी हम आशा करते हैं कि उनसे गांव सभाओं को लाभ ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय श्री बालेन्दुशाह जी ने जो सुझाव दिया है मुझे आशा है कि वे उसे वापस ले लेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को सुना और मुझे दुख है कि मुझे जो भय पहले था वह अब भी है। जहां तक मंत्री जी का कहना है कि डेवलपमेंट के कामों को और रचनात्मक कामो को ठीक कराने के लिए वहां पंचायत राज के लोगों को चाहते हैं कि मदद दें, वह जाकर डेवलपमेंट की स्कीम को समझे इसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सरकार जो उनको अधिकार दे रही है उसके अनुसार वह हर एक काम को देखेंगे और चाहे उनकी दिलचस्पी हो या न हो वह सब बातो में दखलअन्दाजी करेंगे। मैं समझता हूं कि जो डेवलपमेंट के कार्य ऐसे हैं कि जिनमें राय लेना जरूरी हो और जैसा कि श्री बालेन्दुशाह ने कहा उससे मैं सहमत हूं लेकिन मैं यह पसन्द नहीं करता जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पंचायत राज का वर्कर अगर दूसरी जगह का हो तो वह गांव सभा में जाकर राय प्रकट करे। मैं समझता हूं कि यह अधिकार बहुत ज्यादा है और ऐसा नही होना चाहिये। अगर मंत्री जी को यह अधिकार देना ही है तो वे इसमे संशोधन कर दे कि विकास के कार्य में या किसी और जरूरी कार्य में राय देने के लिए वह जा सकते हैं। इतने मे तो मुझे आपत्ति नहीं है वर्ना मैं समझता हूं कि बुन्देलखंड में जो लोग पी० आर० डी० का कार्य करते ह उनका काम संतोषजनक नही है। जैसा कि कुछ भाइयों ने बताया हमारे यहां पंचायत राज का काम जो है वह ऐसा है कि वहां कोई काम नहीं हुआ है और जो काम उन्होंने किया है उससे हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते और वह लोग वहां पर वह रेस्पेक्ट नहीं रखते है और अगर मै यह कहूं तो ताज्जुब न होगा कि हमारे यहा पी० आर० डी० लोगों को लोग समझते है कि वह बीच के दलाल है, ऐसी भावना वहां लोगो में है। उनको समझा जाता है कि वह थाने वालों और लोगों के बीच के मामलों को तय कराते है। मै नहीं कह सकता कि और जिलों में क्या बात है। मै यह नहीं चाहूंगा कि वह हर लोग मामले में हर जगह जाकर अपनी राय रखे इसमें यह नहीं रखा गया है कि वह डेवलपमेंट के काम ही में अपनी राय दे। इस तरह से तो वह हर बात में जाकर अपनी राय छांटने लगेंगे। मैं मंत्री जी से इसलिए प्रार्थना करूंगा कि वह या तो जैसा मैंने कहा इसमें संशोधन कर लें, उसे मैं स्वीकार कर लूंगा वर्ना मैं अपने संशोधन को वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

*श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि हर मुहकमे के हर आदमी को बेइमान कहने का अधिकार सदन के मेम्बरों को है और इस सम्बन्ध में उनकी एक प्रिविलेज्ड पोजीशन है लेकिन हमको यह भी सोचना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि वह लोग भी कहीं किसी मौके पर हम सबको बेइमान न कहने लगे। इसलिए हमको चाहिए कि हम इस मामले में अपनी भाषा को संयत रखें। जैसे कि अभी पी० आर० डी० वालों को टाउट और दलाल कहा गया यह चीज ठीक नहीं है। मैंने आपके, अध्यक्ष महोदय, नोटिस में यह बता ला दी कि ऐसे शब्द किसी कर्मचारी या अफसर के लिए कहना माननीय सदस्यों के लिए शोभा नहीं देता।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी ने कहा कि यह होना चाहिए कि जब पंचायत उनको बुलाये तब तो वह आयें वर्ना न आयें। यह भी एक सोचने की बात है। अगर पंचायतों को यह अधिकार दिया जाय कि वह जब बुलायें तभी आयें तब दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि वह लोग भी जब चाहें उनके बुलाने पर आयें और जब चाहें न आवें। यह नहीं हो सकता कि हुक्म दें तो आयें और जब हुक्म न दें तो न आये। इसलिए जब आप अधिकार दें ऐसी संस्था को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो वालन्टरी वर्क कर रहीं हैं और आप उनको बुलाकर काम लेना चाहते हैं उनसे काम करने के लिए कहते हैं कि किस तरह सड़कें बनावें, किस तरह नालियां बनवावें और इन कामों को करने के लिये बुलाने का अधिकार पंचायतों को नहीं होना चाहिये, बल्कि उन आदमियों से कह दिया जाय कि वे आकर बैठकर बातें कर सकें। जब वे दोनों एक स्थान पर बैठकर सलाह करेंगे तो कार्य अच्छा होगा। यह बात साफ है कि उनको राय देने का अधिकार न होगा। मुझे आशा है कि माननीय राजा साहब इस बात को समझ अपने संशोधन को वापस कर लेंगे और मेरी बात को मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष—क्या आप इसमें कोई नया संशोधन दे रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, जो ड्राफ्ट बिल में है वही मान लेंगे और अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-B की उपधारा (2) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि "खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-C की उपधारा (1) का भाग (b) (i) निकाल दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह १२ सी० जो इस विधेयक में है वह पहले विधेयक से कुछ भिन्न है और एक नए विषय में लाई गई है जिसमें पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में पेटीशंस का अधिकार दिया जा रहा है और नियत अधिकारी के सामने पेटीशन प्रेजेन्ट करेंगे तो किन किन कारणों से इन चुनावों के खिलाफ पेटीशंस हो सकती हैं। माननीय स्वशासन मंत्री को यह बतलाना नहीं है कि जब पिछली मरतबा जिला बोर्डों के चुनाव हुये थे तो वहां सरकारी आदेश यही भेजे गये थे कि रिटर्निंग अफसर स्वयं नामिनेशन फार्म भर दिया करें और नामिनेशन पेपर के भरने में कोई गड़बड़ी के होने पर उस पेपर को रिजेक्ट न माना जाय और पिछली मरतबा जो चुनाव हुये थे तमाम रिटर्निंग आफिसरों ने फार्म लेकर और जितनी इत्तला थी उनको लेकर परचे भर दिये। माननीय स्वशासन मंत्री को यह मालूम है कि लोक सभा, विधान सभा और म्युनिसिपल बोर्ड या जितने पिछले चुनाव हुये..........

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अपना दूसरा प्राविजो वाला प्रस्ताव भी साथ-साथ ले लीजिये तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं ऐसा निराश नहीं हूं कि माननीय मंत्री मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। अगर मान लेते हैं तो फिर वह आटोमेटिकली खत्म हो जायगा। अगर इसको मान लेंगेंतो मेरा वह संशोधन नहीं आयेगा। यह तो मैंने इसी आशय से रखा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि लोक सभा, विधान सभा, म्युनिसिपल बोर्ड आदि के चुनाव में भी सरकार की तरफ से यह हिदायतें एलेक्शन कमीशन की तरफ से यह हिदायतें दी गईं थीं कि टेकनिकल मिस्टेक्स पर कोई नामिनेशन पेपर रिजेक्ट न हो और इस विषय पर तमाम चुनाव विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ है। मैं दूर नहीं जाता हूं। अभी माननीय हुकुम सिंह जी के एलेक्शन की तरफ ध्यान दिलाता हूं। इलेक्शन हो गया और दोनों तरफ से काफी रुपया खर्च हुआ और काफी परेशानी उठाई गई, लेकिन एक पार्टी का गलत तरीके से नामिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया था। इसलिये तमाम इलेक्शन ही वायड हो गया और यह धारणा लोगों की होती चली जा रही है कि कम से कम एलेक्शन पेटीशन की एक ऐसी ग्राउन्ड होनी चाहिये। जहां तक कि नामजदगी के पर्चों..........

श्री अध्यक्ष—मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह आपको स्वीकार न हुआ तब आप दूसरा पेश करेंगे ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां, तब तो मूव करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—तो आप एक साथ मूव कर दीजिये । क्योंकि उसका उससे सम्बन्ध है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो मैं आपकी आज्ञा से दूसरा संशोधन भी पेश किये देता हूं । मै प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-C की उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जायः—

"Provided that if within three days, of an application against improper acceptance or rejection of a nomination paper, is presented to the prescribed authority, the election concerned, will be stayed, till after the decision of such application "

तो इस प्राविजन में मैंने रक्खा है कि अगर किसी नामजदगी के परचे मे कोई गलती होने से वह परचा रद कर दिया जाय तो वैसी हालत में अगर कोई एलेक्शन होने वाला हो तो फौरन रोक दिया जाय और पहले उस प्वाइंट को तय कर लिया जाय और उसके बाद एलेक्शन हो । अभी मैंने हुकुम सिह के एलेक्शन को ले करके निवेदन किया कि आमतौर पर कुछ लोग महसूस करते है कि नामिनेशन पेपर के रेजेक्शन वाला मसला तो अवश्य ही एलेक्शन के पहले तय होना चाहिये और जहां तक मेरी जानकारी है एलेक्शन कमीशन भी इस पर विचार कर रहा है और कई प्रदेशों से एलेक्शन कमीशन के सामने इस किस्म के सुझाव आये हैं । इसलिए मै आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अवश्य इस प्रस्ताव को मान लेंगे । क्योंकि जहां तक टाउन एरिया का सवाल है, म्यूनिसिपल बोर्ड का सवाल है उनकी तो संख्या कम है, लेकिन पंचायतों की संख्या करीब ३५ हजार के है । अगर औसतन ३० हजार भी मान ले तो भी काफी इतनी बड़ी संख्या लोगों की हो जाती है । उनके नामजदगी के परचे मंजूर करने में और अनियमित होने पर रिजेक्ट करने में काफी अव्यवस्था और परेशानी पैदा हो जायगी । मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी का ख्याल इस किस्म का नहीं है । अगर सरकार इसको यहां से हटा दे और नियमों में व्यवस्था कर ले तो मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश के लोगों को काफी सहूलियतें हो जायंगी । ऐसी दिक्कतें माननीय स्वशासन मंत्री जी पहले पेश भी कर चुके है । उनकी धारणा ऐसी है कि जितनी कम अप्लीकेशंस हो सकें उतना ही अच्छा है । लेकिन मुझे डर है कि कहीं एक नया रास्ता न खुल जाय । अब तक जो प्रथा रायज थी कि सरकार या डाइरेक्टर पंचायत के पास....

श्री अब्दुल मुईज खां—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर । अध्यक्ष महोदय, त्रिपाठी जी का जो संशोधन है उसकी वर्डिंग अगर देखेंगे तो "Provided that if within three day of an application against improper acceptance or rejection of a nomination paper, is presented to the prescribed authority the election concerned will be stayed, till after the decision of such application." यह "इज" जो है यह किस नाउन को गवर्न करता है ? इससे तो आपका संशोधन बिलकुल गलत हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष—आप ठीक कह रहे हैं । इसमें जो "आफ" है वह बिलकुल गलत है । "आफ" को हटा देने से काम चल जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि जब मै ड्राफ्टिंग कर रहा था तो 'एन अप्लीकेशन' लिखना भूल गया था । अब "आफ" "रिजेक्शन आफ ए नामिनेशन पेपर, कामा ऐन अप्लीकेशन इज......" यह हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ;

श्री अध्यक्ष—मेरे ख्याल से 'of' आप निकाल दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप चाहें तो हटा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—"of" हटा दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—हां, आपकी आज्ञा से हटा देता हूं। अध्यक्ष महोदय मैंने संक्षेप में वे तमाम एप्रीहेंशन जो विचार मेरे थे और पृष्ठभूमि मे जो विचार काम कर रहे है वह मैंने बता दिये हैं और मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री को कोई एतराज न होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा इस सम्बन्ध में काफी दिक्कतें हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें। माननीय वित्त मंत्री कुछ सूचना देना चाहते हैं कल के कार्य के सम्बन्ध में।

अगले दिन के कार्यक्रम की सूचना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—कल तो यह बिल चलेगा। प्रिविलेज मोशन का डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर जिक्र चलेगा।

श्री अध्यक्ष—नहीं, आपने मुझसे यह कहा था कि इलेक्ट्रीसिटी बिल चलेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गौतम जी शायद कल बाहर तशरीफ ले जाना चाहते थे, लेकिन वह नहीं जा रहे हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
५ मई, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर)

Copy of letter No. XI-F 147-G 41/13421-13576, dated June 21, 1949, from the Director of Medical and Health Services, U. P., to Assistant Director of Medical and Health Services, of Ranges, all civil surgeons, all district medical officers of health and all Municipal Medical officers of health.

Subject :—Fees chargeable by medical officers-in-charge of branch dispensaries located in rural areas.

I have the honour to refer you to the Press Communique No. U. O. 1077A/V, dated November 10, 1948, a copy of which was sent to you with my circular endorsement No. M—443/G-147-G/41,—dated December 1, 1948, and to say that the rates of fees prescribed therein will apply also to Government medical officers in charge of branch dispensaries, whether male or female, located rural areas. These rates will operate within an area of 2 miles around the place where the dispensary is located.

If a medical officer has to go beyond the limit prescribed above, the fees will be settled by mutual agreement, but they should never exceed double of those laid down in the press communique referred to above. The fees thus settled, will of course be exclusive of conveyance charges which will have to be borne by the patient in any case.

It should please be noted that even for attending on emergent cases a doctor should not leave the dispensary during working hours. All the medical officers under you should please be apprised of the above orders and warned to observe this rule strictly.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

GOVERNMENT OF THE UTTAR PRADESH
MEDCIAL (A) DEPARTMENT.

N. 5947 of 48-A/V-1353-47, dated Lucknow November 23, 1949

PRESS MEMORANDUM

It is hereby notified for the information of the general Public that Government have fixed the following rates of fees to be charged by different classes of Government medical officers for visits to patients at their residences within the municipal headquarters limits. The fees are exclusive of conveyance charges which have to be brone by patients :—

During Day

(1) Professors of the Sarojini Naidu Medical College, Agra. Who are allowed consultation practice Rs. 16 per visit.

(2) Civil Surgeons and Readers of the Sarojini Naidu Medical College Agra who are allowed private practice. Rs. 8 per visit.

(3) Women Doctors incharge of bigger state Hospital (Such as Agra, Kanpur, Lucknow, Banaras and Allahabad) Rs. 8 per visit.

(4) Medical Officers of P. M. S. (Grade I in the Men's and Women's Branch and Lecturers of the Sarojini Naidu Medical College, Agra), Rs. 4 per visit.

(5) Medical Officees of P. M. S. Grade II and of P. S., M. S. (Men's and Women's Branches), Rs. 2 per visit.

During Night.

The scale of fees during night shall be double of the above.

2. Fees not exceeding the above rates may be charge by the Government Medical Officers from private patients who visit them at their residence for consultation outside Hospital hours. The private patients of the medical officers shall not be entitled to free supply of medicinse dressings, etc., from Hospitals, unless they are admitted as indoor patients. In other cases where medicinse are supplied to such patients from hospitals, the charges according to the prescribed rates shall be paid unless there are special orders of Government applicable in particular case for free supply.

3. If a medical is required to go beyond the Municipal Headquarters limit, the fees will be settled by mutual agreement, but they shall never exceed double the rates laid down above. The fees thus settled will be exclusive of conveyance charges which will have to be borne by the patient in any case.

4. Government Medical Officers at Hospitals or dispensaries shall not leave the Hospitals and dispensaries during working hours except under very exceptional circumstances. This applies to Medical College Hospital also.

5. All Government meidcal officers are warned not to accept fees higher than the prescribed rates even if offered willingly by patients.

(Sd.) S. P. PANDE,
Secretary.

OFFICER OF THE DIRECTOR OF MEDICAL AND HEALTH SERVICES UTTAR PRADESH

No. XI. F-147-G 41/14638-836, dated Lucknow May 24, 1950

Forwarded to :—

(1) Assistant Director of Medical and Health Services, I to IV Ranges.

(2) All District Medical Officers of Health

(3) All Civil Surgeon.

(4) All Municipal Medical Officers of Health.

(5) Dy. Director (W) Maternity Section and Women Section.

(6) Assistant Directors (Epidemiology), Health Publicity and Provincial Hygienic Institute.

(7) Superintendent, Government Vaccine, Department Patwa Dangar. District Nainital.

(8) Public Analyst to Government.

(9) All School Health Officers.

(10) Anti-Malaria Officers Lalitpur (Jhansi and Gokul Nagar Distric Nainital.

(11) Principal. Medical College and Superintendent, Sarojini Naidu Hospital, Agra.

(12) Superintendent, Mental Hospitals, Agra, Bareilly and Banaras.

(13) Superintendent, K. E. Sanatorium, Bhowali.

(14) Superintendent, Balrampur Hopital, Lucknow.

(15) Superintendent, Lala Lajpat Rai Hospital, Kanpur

(16) Chemical Examiner to Government, Agra.

(17) Medical Superintendents, :—

1. Dufferin Hospital, Lucknow.
2. Lady Loyall Hospital, Agra.
3. Alice Horsman Hospital, Kanpur.
4. Ishwari Memorial Hospital, Banaras.
5. Dufferin Hospital, Allahabad.

(18) Director, U. P. Blood Bank, Luckhow.

(19) Secretary, State Medical Faculty.

For information and communication to all medical officers working under them in continuation of this office Circular Letter No. XI-918-1170, dated January 9, 1950.

2. The Medical Officers should not leave the hospital and dispensaries during working hours except under very exceptional circumstances as noted below :—

(1) Attendance on Government Servants if any one's condition is acutely serious demanding immediate attention and he cannot be transport immediately to hospitals.

2. -When a medical officer has been treating a case at the letter's residence and the condition of the patient gets a sudden deterioration and he cannot be brought to the hospital and the Medical officer is called by his relatives during hospital working hours.

3. If any emergent call is made on the Medical Officer as a result of some serious accident (including Railways and Roadways) etc. when the patient or-patients cannot available in the vicinity.

3. The procedure that should be adopted by the medical officers when he leaves the hospital under any of the above circumstances during hospital working hours is that he should inform the other doctor in the hospital, available, or the senior compounder on duty as the case may be, subsequently all such absence should be recorded in register which may be initialled by the Civil Surgeon weekly in the case of District Headquarter Hospital and in case of branch dispensaries the report be submitted to the Civil Surgeon or District Medical Officer of Health as the case may be, in writing.

4. A monthly report showing the particulars of emergent cases which the Medical officers attended during working hours in the last month should poease be obtained and submitted to this officer positively by the the next month. A strict watch should please be kept on the Medicall Officers and see that the number of emergent calls is not allowed to be large.

Yours faithfully,

(A. P. BAJPAYEE),

Capt. P. M. S.

Director of Medical and Health Services, U.P.

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९१ पर)

इलाहाबाद युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू०पी ऐक्ट ३, १९२१

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को संशोधित करना आवश्यक है अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारंभ।

१—(१) यह अधिनियम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

ऐक्ट ३, १९२१ की प्रस्तावना का संशोधन।

१-क—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना (preamble) के तीसरे पैराग्राफ से शब्द "unitary" और शब्द "and residential" निकाल दिये जायं।

यू०पी०ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २ का संशोधन।

२—मूल अधिनियम की धारा २ में :—

(१) खंड (a) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(a) 'College means a unit of residence for students of the University maintained or recognised by the University in accordance with the provisions of this Act in which supplementary instruction is provided under conditions prescribed in the Statues."

(२) खंड (a) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (aa) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(aa) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

(३) निम्नलिखित को खंड (d) और (e) के रूप में रख दिया जाय—

"(d) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution, recognised by the University."

"(e) 'Non-Collegiate Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a College or a hostel."

(४) खंड (*f*) में शब्द "college" के पश्चात् शब्द "or an Associated College" बढ़ा दिये जायं ।

(५) खंड (*g*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*gg*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*gg*) 'Student of the University means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree but does not include a person enrolled in an Associated College."

(६) खंड (*i*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*i*) 'Teacher of the University' means a person appointed by the University to give instruction for degrees or to guide or conduct research, in the University."

(७) खंड (*l*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*m*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*m*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

३—मूल अधिनियम की धारा ५ में :— यू०पी०ऐक्ट ३, १६२१ की धारा ५ का संशोधन ।

(१) खंड (I) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं ।

(२) खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) To institute degrees and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees and distinctions to and on persons who—

(*a*) shall have pursued a course of study in the University or an Associated College, or carried on research in the University under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or

(*d*) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or

(*c*) shall have carried on independent research under conditions laid down in the Statues and ordinances, and shall have passed the examinations of the University under conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances."

(३) निम्नलिखित खंड (५) के रूप में रख दिया जाय—

to recognise associated colleges.

(४) उपधारा (6) में शब्द "hostels" के पश्चात् शब्द "and Associated Colleges", बढ़ा दिये जायं।

यू०पी०ऐक्ट ३,१९२१ की धारा ६ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ६ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

यू०पी० ऐक्ट ३ १९२१ की धारा ७ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ७ में उपधाराओं (१) से (4) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(1) Teaching of the University shall include lecturing, work in laboratories and workshops and other teaching conducted in the University or in an Associated College in accordance with any syllabus prescribed by the Ordinances and Regulations.

The authorities responsible for organising such teaching shall be prescribed by the Statutes.

(2) The courses of study and the curriculum shall be prescribed by the Ordinances and subject thereto by Regulations.

(3) Teaching given by teachers of the University shall be supplemented by tutorial and other supplementary instuuction given in the University or under the authority of the University in colleges and hostels.

Teaching given by the teachers of an Associated College shall be supplemented by tutorial and other supplementary instruction given in the Associated College or in a residential unit attached to it or in the University under an arrangement made between such Associated Colleges or with the University.

(4) Where attendance at a course of instrution is prescribed as a condition of admission to an examination or a degree of the University, such conditions shall include provision for attendance at teachnig referred to in sub-section (1)."

यू०पी ऐक्ट, ३, १९२१ की धारा ८ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(1) The State Government shall have the the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may directe of the University its buildings laboratories, workshops and equipment, and of any college, hostel or other institution maintained or

recognized by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an Associated College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish , issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

७—मूल अधिनियम की धारा १० में— यू०पी० ऐक्ट ३,१६२१ की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

(२) उपधारा (2) निकाल दी जाय —

८—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू०पी० ऐक्ट ३,१६२१ की धारा ११ का संशोधन।

"The-vice-Chancellcr (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing.

(2) The Executive Council shall, so far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office, of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor.

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the name or names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either submit the same name or names or make any additions in them.

(3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section(2) do not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names, according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) Where one name only has been submitted by the Executive Council and no new name has been added under sub-section (3) the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted by the Executive Council. In other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names are submitted by the Executive Council under and in accordance with sub-sections (2) or (3).

(5) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs. 2,000 per month and be provided a furnished residence rent free or in lieu thereof be paid an allowace of Rs. 200 per month.

(6) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(7) No person who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University shall be eligible for re-appointment.

(8) Subject as aforesaid, other conditons of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.

(9) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (6) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) to (4) shall in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may subject. to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(10) Until arrangements have been made under sub-section (9), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities.

९—मूल अधिनियम की धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू०पी०ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १२ का संशोधन।

12 (1) The Vice-Chancellor shall be the Principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council and shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meeting of any authority or other body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

Powers and duties of the Vice-Chancellor.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, subject to the powers conferred by this Act on the Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) (*a*) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

But nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(*b*) Where any action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section affects any person in the service of the Univesrity to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(5) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regadring the appointment, dismissal and suspension of the officers and teachers of the University and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १३ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ में उपधाराओं (1) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"The Treasure. 13. (1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor and the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 11 shall apply as though for the words "Vice-Chancellor" the word "Treasurer" had been *substituted* therein.

(2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.

(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (6), (8), (9) and (10) of section 11 shall *mutatis mutandis* apply to the office of the Treasurer.

(4) The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

(5) The Treasurer shall have the duty—

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment),

(ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १४ संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Registrar. 14. (1) The Registrar shall be a wholetime officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) an educationist nominated by the Chancellor ;

(iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.

(2) The emoluments and conditions of service of the Registrar shall be prescribed the Ordinances.

(3) The Registrar shall be the custodian of the records and of the Common Seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) He shall make all arrangements for an conduct examinations and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the Statues and the Ordinances."

१२—मूल अधिनियम की धारा १६ में—

(१) मद V के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"V. The Faculty Boards."

(२) निम्नलिखित मद VI के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"VI. Selection Committees for the appointment of teachers."

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा १६ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा १७ का संशोधन।

17. (1) The Court shall consist of the following persons, "The Court namely :

Class I—Ex-officio *members* :

(i) the Chancellor,

(ii) the Vice-Chancellor,

(iii) the Minister for Education in the Government of Uttar Pradesh,

(iv) the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad,

(v) the Treasurer,

(vi) the members of the Executive Council,

(vii) all Principals of Colleges and Associated Colleges,

(viii) all Heads of Departments of teaching in the University and all Professors who are not Heads of Departments,

(ix) such other *ex-officio* members as may be prescribed by the Statutes.

Class II—*Life members* :

(x) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent services to education provided that their number in the Court shall at no time be more than four.

(xi) All persons who have made donations of not less than Rs. 20,000 to or for the purposes of the University.

Class III---*Other members* :

(xii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic bodies and interests as may be prescribed in this behalf by the Statutes.

(xiii) Persons nominated by associations or individuals making to the University donations or annual contributions of an amount to be prescribed by the Statutes to or for the purposes of the University.

(xiv) Persons elected by the Legislative Council of the State from among their own body.

(xv) Persons elected by the Legislative Assembly of the State from among their own body.

(xvi) Representatives of Registered Graduates of such standing as may be prescribed by the Statutes.

(xvii) Representatives of donors other than those included in items (xi) and (xiii).

(xviii) Representatives of the teachers of the University other than those in cluded in Class I, the Wardens, the non-Collegiate Delegacy and of such Boards established under section 27 as may be prescribed by the Statutes.

(xix) Persons appointed by the Chancellor.

(2) The total number of members including the *ex-officio* but excluding the life members shall not exceed 125.

(3) The number of members who may be in the service of the University, an Associated College, a college or a hostel shall not exceed the number of the other members.

(4) The number of members referred to in items (xii) to (xix) of sub-section (1), the manner of their appointment and their tenure shall, save where otherwise provided for in this section, be prescribed by the Statutes.

(5) The Chancellor may declare vacant the seat of a member other than an *ex-officio* or life member, who has absented himself from three consecutive meetings of the Court without sufficient cause."

१४—मूल अधिनियम की धारा १९ में— यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १९ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) में शब्द "the acts of the Executive and Academic Councils (save when such councils have acted in accordance with the powers conferred upon them under this Act, the Statutes or the Ordinances)" के स्थान पर शब्द "such acts of Executive and Academic Councils as are not in accordance wih this Act, the Statutes, or the Ordinances." रक्खे जायं।

(२) उपधारा (2) में निम्नलिखित खंड (*e*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*e*) of considering and passing resolutions on any matter connected with the University."

१५—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २१ का संशोधन।

"Powers and duties of the Executive Council.

21. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University ;

(*b*) to accept the transfer of any moveable or immoveable property on behalf of the University ;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes ;

(*d*) to prepare the budget of the University ;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances ;

(*f*) to appoint the officers, teachers and other servants of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of casual vacancies in their posts ;

(*g*) to appoint examiners and to arrange for the holding of examinations and publication of results ;

(*h*) with the previous sanction of the Chancellor, to recognize institutions as Associated Colleges and likewise to withdraw such recognition ;

(*i*) to arrange for and direct the inspection of associated colleges, colleges, hostels and other places of residence of students ;

(*j*) to direct the form and use of the Common Seal of the University ;

(*k*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall appoint a committee (hereinafter called the Finance Committee) consisting of the Treasurer and four other persons from amongst its members out of whom not more than two shall be persons in the service of the University, to advice the Executive Council on matters relating to the administration of the property and funds of the University. The Treasurer shall be the chairman of the Finance Committee.

(3) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Committee of Reference.

(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers and the fees payable to examiners except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.

(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Court, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Court of its inability with the reasons therefor."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में एक नई धारा का बढ़ाया जाना।

१६—मूल अधिनियम की धारा २२ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 22-A के रूप में बढ़ा दी जाय—

"The Standing Committee of the Academic Council.

22-A. There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The Constitution and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २३ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Committee of Reference.

23. (1) The Committee of Reference shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) the Treasurer ;

(iii) three members of the Court, none of whom shall be a member of the Executive Council, to be elected by the Court according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote ;

(iv) two persons to be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resourcess of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be prescribed by this Act or the Statutes.

(4) The Committee of Reference may, for special unforeseen reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under sub-section (3)."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २४ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Faculties.

24. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shalll be the Head of a Department of teaching in the Faculty chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.

(6) There shall be a Head in each Department of teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The senior most Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the senior most Reader thereof shall be the Head."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २७ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा २७ की उपधारा (1) में शब्द "a Residence Health and Discipline Board, a Muslim Advisory Board and such other" के स्थान पर शब्द "such" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट, ३, १९२१ में एक नयी धारा का बढ़ाया जाना।

१९-क—मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय—

"Manner of appointment of officers and members of Authorities.

28. (1) Save where expressly provided the contrary, to officers and members of the authorities of the University shall, as far as may be, be chosen by methods other than election.

(2) Where provision is made by this Act or the Statutes for any election, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(3) Where provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation according to seniority or other qualification, the manner of determining seniority or such other qualification shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २९ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Teachers. 29. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be, on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) Every appointment under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period and on such conditions as may be prescribed by the Statutes, and shall require to be confirmed by the Executive Council or the Management.

(3) Appointment in vacancies or posts likely to last for not more than six months may be made by the Executive Council or the Manangement without the advice of the Selection Committee."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में एक नयी धारा का बढ़ाया जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें 29-A और 29-B, के रूप में बढ़ा दी जायें—

'The Selection Committee. 29-A. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. It shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman :

(ii) the Dean of the Faculty concerned ;

(iii) three experts in the case of the appointment of a Professor or a Reader and two experts in other cases ;

(iv) the Head of the Department concerned ;

(v) a member of the Executive Council not being a teacher to be chosen by the Council ;

(vi) where the appointment is to be in an Associated College, the Principal of that college.

(2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall invite any three Universities established by law in India to propose two or such larger

number of experts in the particular subject as the Chancellor may require and all names so proposed shall be included in the panel. The panel shall be revised, unless the Chancellor directs otherwise, after every two years.

Explanation.—For the purpose of this section a branch of a subject in which an independent course of study is prescribed for a post-gradutae degree shall be deemed to be a subject of study.

(4) No recommendation shall be made by a Selection Committee unless it is supported in the case of appointments to the office of Professor or Reader by two experts, and in other cases by one expert.

(5) If the Executive Council or the Management disagrees with the recommendation of the Selection Committee it may return the recommendation to the Selection Committee with its reasons for disagreement. The Selection Committee shall thereupon review its recommendations in the light of the reasons given by the Executive Council or the Management. Where the Selection Committee reiterates its original recommendation, it shall be accepted by the Executive Council or the Management; in case the Selection Committee makes a fresh recommendation, it shall be treated as though it were an original recommendation.

"The Consultative Committee. 29-B. (1) There shall be established a Committee consisting of three persons of such qualifications and to be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes. It shall be called the Consultative Committee.

(2) It shall be the duty of the Consultative Committee whenever so required by the Vice-Chancellor to advise on any disciplinary matter affecting a teacher of the University.

(3) Where the Consultative Committee has recommended disciplinary action in any case and the Executive Council does not agree with the Committee, the matter shall be referred to the Chancellor who may take such action as he deems fit."

२२—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा ३० का संशोधन।

30. Subject to the provisions of this Act, the Statutes "Statutes. may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provided for the following—

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities and Boards

of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) the institution and maintenance of colleges and hostels ;

(*d*) the designation, manner of appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(*e*) the classification and mode of appointment of teachers :

(*f*) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University ;

(*ff*) the institution of degrees and diplomas ;

(*g*) the conferment of honorary degrees ;

(*h*) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions ;

(*i*) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition ;

(*j*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*k*) the establishment of departments of teaching in the Faculties ;

(*l*) the maintenance of a Register of Registered Graduates :

(*m*) the holding of Convocation ;

(*n*) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes ; and

(*o*) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३१ का संशोधन।

२३—मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (4) में शब्द "Court" और "it" के बीच के शब्द "returned there to" निकाल दिये जांय-

यू० पी० ऐक्ट ३ १९२१ की धारा ३२ का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

32. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

"Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such ;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the University ;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the diploma, degree or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of degrees and diplomas ;

(d) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Colleges and Hostels maintained by the University ;

(e) the recognition of colleges and hostels not maintained by the University ;

(f) the number, qualifications, emoluments and terms and and conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University ;

(g) the fees which may be charged by the University for any purpose ;

(h) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in colleges and hostels ;

(i) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators ;

(j) the conduct of examinations ;

(k) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University ;

(l) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(m) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances.

२५—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३४ का संशोधन।

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the Faculty Board but may reject the draft received or return it to the Faculty Board for further consideration together with its own suggestions.

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३६ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३६ में—

(१) उपधारा (3) में शब्द "any member of the Residence, Health and Discipline Board, authorised in this behalf by the Board or by any authority or officer of the University authorised in this behalf by the Executive Council" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Such persons as may be authorised in that behalf by the Statutes or the Executive Council."

(२) उपधारा (4) में शब्द "Management" के पहले आये हुए शब्द "Committee of" निकाल दिये जायं—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ में दो नयी धाराओं का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें 36-A और 36-B के रूप में बढ़ा दी जायं—

"Associated Colleges.

36-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn if the Executive Council is satisfied, after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council."

36-B. There shall be a Non-Collegiate Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any college or hostel The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes."

Non-Collegiate Delegacy.

२८—मूल अधिनियम की धारा ३७ में उपधारायें (2) और (3) निकाल दी जायं और निम्नलिखित नयी उपधारायें (4) और (5) के रूप में बढ़ा दी जायं—

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा ३७ का संशोधन।

"(4) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances.

(5) The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise for the purpose of admission to a course of study for a degree any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

२६—मूल अधिनियम की धारा ३८ में—

यू० पी० ऐक्ट ३, १६२१ की धारा ३८ का संशोधन।

(१))उपधारा (1) के अन्त में शब्द "in the manner prescribed by the Statutes" बढ़ा दिये जांय—

(२) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(3) At least one person not employed in the University, an Associated College, or a College shall be appointed examiner for each subject prescribed for a degree."

(३) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Adademic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for for examinations, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."

(४) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (5) के रूप में रख दिया जाय—

"(5) Every person appointed an examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४० का संशोधन।

३०—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

(१) उपधारा (1) के अन्त मे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"The State Government shall cause an audit of the entire accounts of the University for each year to be carried out by auditors of high standing. The accounts shall include all funds accruing to the University under this Act, the Statutes and the Ordinances.

(२) उपधारा (2) में शब्द "published by the Executive Council in the Gazette" के स्थान पर शब्द "printed" रख दिया जाय और उपधारा के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"It shall be lawful for the State Government to require any person, who, after consideration of his explanation in writing, is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of this Act, the Statutes or the Ordinances to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

(३) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय—

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause (c) of sub-section (1) of 21, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the Budget."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४२ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "body of the University" और शब्द "the matter" के बीच मे निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४४ का संशोधन।

३२—मूल अधिनियम की धारा ४४ में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को उपधारा (1) के रूप मे पुनः परिगणित कर दिया जाय—

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the Universiy or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

३३—मूल अधिनियम की धारा ४५ मे शब्द "members" के पश्चात् फुल स्टाफ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट, ३, १९२१ की धारा ४५ का संशोधन।

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

३४—मूल अधिनियम की धारा ४७ मे शब्द और अंक "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द और अंक "Arbitration Act, 1940 (Act X, 1940)" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ४७ का संशोधन।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३५- मूल अधिनियम, परिनियमों (Statutes) या अध्यादेशों (Ordinances) म किसी बात के होते हुए भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथवा संगठित किसी निर्वाचित अधिकारी अथवा प्राधिकारी का कार्यकाल इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) अधिकारी अथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा :

३६—मूल अधिनियम अथवा संशोधन अधिनियम मे किसी बात के होते हुए भी संशोधन अधिनियम के प्रचलित होने क पश्चात् चांसलर किसी भी समय किसी व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति के लिए धारा ११ में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस-चांसलर संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन वाइस-चांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

३७—संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट मे प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये वैध होगा कि वह इस संबंध मे ऐसा कोई भी कार्य करे, जो संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिए सामान्यत: आवश्यक हो जिसके अंतर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है और ऐसे परिनियमो के प्रचलित होने (coming into force) के दिनांक निश्चित करे।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (supersede) न कर दिया जाय।

३८—राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों से संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल अधिनियम उस कालावधि में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (modification), परिवर्धन अथवा लोप

(omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकलनों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा; या

(ख) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम के अधीन और अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित अथवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य और कृत्य संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे; या

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statutes) अध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों परिवर्धनों और लोपों (omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात या कार्य करके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय; या

(घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा न दी जायगी।

उद्देश्य और कारण

cutive

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट आज से ३२ वर्ष पूर्व सन् १९२१ ई० में बना था। इस राज्य के विश्वविद्यालयों में सुधार का प्रश्न सन् १९३८ से ही शासन के विचाराधीन रहा है। जबकि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी तब से इस समस्या पर भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (इंडियन यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन) द्वारा तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य-प्रणाली की त्रुटियों पर विशेषरूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "जांच समिति" ने, जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस श्री ओ० एच० मूथम थे, पूरी तौर पर जांच की है। प्रस्तुत विधेयक में विभिन्न समितियों एवं अभिकरणों की सिफारिशों के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधान और कार्य-प्रणाली को उन्नत करने का प्रयास किया गया है।

अतः यह विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है।

हर गोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

पी० एम० य० पी० ए० पी० ४२ एल० ए०—१९५४—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२७)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़जलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री

लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र , श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख़याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गन्ने के मूल्य का निर्धारण

१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलमालिकों के बीच गन्ना के मूल्य सम्बन्धी मामलों को तय करने के लिये त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने की कोई तिथि निश्चित की है? यदि हां, तो कब?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—अभी नहीं।

२—श्री गेंदासिंह—क्या यह सच है कि प्रदेश के चीनी मिल मालिकों ने सरकार के सामने यह मांग रखी है कि उन्हें घाटा हो रहा है इसलिये मिलमालिकों को सेस तथा [illegible] दूसरे प्रकार की सुविधा दी जाय? यदि हां, तो किन किन-मिलों ने किस आधार पर [illegible] मांग की है?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं, यह सच नहीं है।

३—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि प्रदेश के चीनी मिल मालिक चीनी विक्रेताओं से मिल कर के चीनी का मूल्य बढ़ा रहे हैं? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं, सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कान्फ्रेंस को न बुलाने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह—ठीक वायुमंडल का इन्तजार है।

श्री गेंदासिंह—वह ठीक वायुमंडल कैसा होना चाहिये, क्या इसको बतलाने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री हुकुमसिंह—ताकि हर पार्टी ओपेन माइंड ले कर उस कान्फ्रेन्स में आये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्र की विभिन्न प्रदेशीय सरकारों से त्रिदलीय सम्मेलन के लिये कुछ आंकड़े सरकार ने इकट्ठा किये हैं?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो इधर दो तीन दिन में अखबारों में खबर निकल रही है उसको देखा है?

श्री अध्यक्ष—मैं अखबारों में निकली हुई बात के सम्बन्ध में प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता।

श्री गेंदासिंह—क्या इसकी भी जानकारी माननीय उद्योग मंत्री जी को नहीं है कि चीनी का भाव ऊंचा हो गया है?

श्री हुकुमसिंह—जहां तक मेरी जानकारी है कुछ भाव गिर रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जून के महीने में त्रिदलीय सम्मेलन नैनीताल में बुलाया जा रहा है?

श्री हुकुमसिंह—मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि त्रिदलीय सम्मेलन के समक्ष रखने के लिये सरकार ने उस फार्मूला को जो माननीय क़िदवई साहब ने बताया है कोई रूप रेखा तैयार की है?

श्री हुकुमसिंह—रूप रेखा वही है जो अखबार में निकली है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या भाव गिरने का मतलब माननीय मंत्री जी का जो सरकार ने चीनी का भाव मुकर्रर किया था उससे भी कम है?

श्री हुकुमसिंह—नहीं, उससे कम नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अभी माननीय वीरेन्द्र वर्मा के जवाब में जिस अखबार का हवाला उन्होंने दिया है वह कौन सा अखबार है और क्या उसे पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—अखबार की बात के लिये मैं इजाजत नहीं देता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि माननीय क़िदवई साहब ने चीनी का भाव कम करने के सिलसिले में जो बयान दिया है उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या क़दम उठाया है?

श्री हुकुमसिंह—अभी कोई बात ऐसी नहीं की गई।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने के लिये अभी तक उन्होंने क्या क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की है?

श्री हुकुमसिंह—उसमें ज्यादा प्रारम्भिक कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, एक खत जारी करना है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि उद्योग सचिव ने कुछ मिलमालिकों को और कुछ और लोगों को भी इस त्रिदलीय सम्मेलन के फार्मूले पर प्रारंभिक विचार करने के लिये बुलाया था?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं।

मिर्जापुर सीमेन्ट फैक्टरी के निर्माण के लिए विदेशी सलाहकार

*६४—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)—क्या सरकार ने मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री में बृटिश फर्म को मशविरे या इन्तजामियां या किसी और शक्ल में शामिल किया है? यदि हां, तो इस फर्म का नाम क्या है?

श्री हुकुमसिंह—सरकार ने लन्दन के सर्वश्री हेनरी पूली नामक फर्म को फैक्ट्री के बनाने के काम में सलाह देने के लिये नियुक्त किया है?

**६५—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार आपसी माहिदे की मुख्य शर्तों की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह—मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :

१—अनुबन्ध की अवधि १ सितम्बर, १९५२ ई० से दो वर्ष के लिये निर्धारित की गयी है और यह शर्त है कि फैक्ट्री १ सितम्बर, १९५४ ई० तक बन कर तैयार हो जायगी।

२—श्री पूली और उनके इंजीनियर काम की देख-रेख करेंगे और श्री पूली की अनुपस्थिति में फर्म की ओर से उनके इंजीनियर काम करेंगे तथा समय समय पर श्री पूली स्वयं आया करेंगे।

३—इन इंजीनियरों के तथा श्री पूली के आने जाने और यहां रहने का खर्चा फर्म स्वयं बर्दाश्त करेगा।

४—उपरोक्त सेवाओं के लिये फर्म को कुल २७,००० (सत्ताइस हजार) पौंड्स फीस के रूप में दिया जायगा।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २७,००० पौंड्स में से इस फर्म को कितना रुपया दिया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह—इसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हैनरी पूली कम्पनी का कैपिटल कितना है और उसकी ठोसता के बारे में आपको विश्वास है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप राय का सवाल पूंछ रहे हैं। आखिरी हिस्सा आप फिर से दुहरा दें और राय का सवाल न पूछें।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म को ठेका देते समय इसके इकोनामिक ठोसपने को पहले देख लिया गया था ?

श्री हुकुम सिंह—इस बात की जांच की गयी थी कि यह काम ठीक तरह से कर सकेंगे या नहीं। इनकी इकोनोमिक इस्टैबिलिटी के बारे में कोई जांच नहीं की गई।

श्री भगवान सहाय—यह ठेका विदेशी फर्म को देने से पहले क्या बृटिश हाई कमिश्नर को कंसल्ट कर लिया गया था कि इसकी इकोनामिक इस्टैबिलिटी कैसी है ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी इकोनोमिक इस्टैबिलिटी की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके सुपुर्द में कोई रक़म नहीं कर रहा था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म को ठेका देने से पहले कौन सा तरीका अपनाया गया है, क्या टेंडर्स काल किये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह—जहां तक खयाल है टेंडर्स काल नहीं किये गये हैं। लेकिन इस फर्म को कांट्रेक्ट किया गया और यह काम करने के लिये तैयार हो गई। इससे पहले बम्बई एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी से बातचीत की गई थी। लेकिन उनके टर्म्स बहुत अनफेवरेबिल थे लिहाजा उनकी शर्तें मंजूर नहीं की गई और विदेशी कम्पनी को ही ठेका दे दिया गया।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन शर्तों में से कोई ऐसी भी शर्त है जो मुकर्ररा वक्त पर ठीक तरह से फैक्टरी न बने तो उन पर कोई दंड लगता हो ?

श्री हुकुम सिंह—मुकर्ररा वक्त से पहले ही बन जायगी।

श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म से मुआहिदा करने से पहले कितने व्यक्ति या किन इंस्टीट्यूशन्स से इनकी योग्यता के बारे में मश्विरा किया गया ?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है, वह रिकार्ड मेरे पास नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म को फैक्ट्री बनाने का ही केवल काम दिया गया है या चलाने की भी इसकी जिम्मेवारी है ?

श्री हुकुम सिंह—बनाने का ही।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगे इस कम्पनी से किसी भी हालत में मश्विरा या इंतजाम के तौर पर संबंध रखने का इरादा है ?

श्री हुकुम सिंह—यह प्रश्न कब्ल अज़ वक्त है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कम्पनी ने पहले भी कोई सीमेंट फैक्ट्री लगाने का तजुर्बा हासिल किया है ?

श्री हुकुम सिंह—सम्भवतः हासिल है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि किसी भारतीय फर्म ने भी इसमें शामिल होने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया ?

श्री हुकुम सिंह—ऐसा कोई पत्र मेरे सामने तो आया नहीं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सीमेंट फैक्ट्री पर सरकार का कितना रुपया खर्च हो चुकने के बाद बृटिश फर्म को ठेका दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह—कुछ लाखों की तादाद में खर्च हुआ था। वह हिसाब इस वक्त तो मेरे पास है नहीं।

गांव सभा की जमीनों को प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को देने का विचार

**६—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव समाज के अधीन जो प्रत्येक गांव सभा में जमीन है, उसे भूमिहीन मजदूरों को न देकर प्रत्येक प्राइमरी और जूनियर स्कूल को देने की प्राथमिकता पर सरकार विचार कर रही है ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जी हां।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री महोदय इस योजना पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—योजना तो यही है कि दफा १६८ में यदि गांव समाज के पास अगर जमीन ज्यादा तकसीम करने के लिये है तो नियमों के अनुसार सबसे पहला अधिकार उस हल्के के अन्दर जो भूमिहीन व्यक्ति है, उसको जमीन पाने का है। हम यह कर रहे हैं कि अगर वहां कोई स्कूल हो और वह कृषि सिखाना चाहे तो पहला अधिकार उसका अब हो जाय। इसमें योजना का क्या सवाल है यह मेरी समझ में नहीं आया।

हाई स्कूल व इण्टरमीडियेट की परीक्षाओं में अनुचित तरीकों का प्रयोग

**७—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या यह सच है कि इस वर्ष हाई स्कूल व इंटरमीडियेट की परीक्षाओं में पास होने के लिये बहुत से जिलों के विद्यार्थियों द्वारा अनुचित तरीक़ों का प्रयोग करने की शिकायतें सरकार के पास आयी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां, कुछ शिकायते आयी हैं जिन पर रिपोर्ट मंगाई जा रही है।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या शिकायते आई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—शिकायत यह है कि लड़कों ने नक़ल की और कहीं कहीं जहां परीक्षा के सेंटर थे पाठशालाओं में वहां के सुपरिन्टेन्डेन्टों ने नकल कराने में उनकी इमदाद की।

श्री सीताराम शुक्ल—किससे रिपोर्ट मांगी जा रही है और कब तक आ जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हाई स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड जो होता है वही परीक्षा लेता है। उसी से यह रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इस परीक्षा से सरकार का कोई मतलब नहीं होता।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी—क्या यह सही है कि लड़कों ने सभी परीक्षा क्षेत्रों मे नकल की और उसकी कोई रोक किसी प्रकार से भी नहीं की जा सकी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो कहना जरा मुश्किल है, लेकिन जहां तक मालूम हुआ है वह यह है कि नक़ल काफी ज्यादा हुई है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि जिन कालिजों और स्कूलों में सेन्टर्स बने हुए हैं, वहां से कापियां सीधी उन एक्जामिनर्स के पास चली जाती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, एक्जामिनर्स के पास जाती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि इसी कारण से उन एक्जामिनर्स का जिनके पास कापियां जाती हैं,उन का पता लग जाता है, और विद्यार्थी अपने मार्क्स वगैरह बढ़वाने की बात किया करते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पहले तो ऐसा ही होता था, लेकिन इस साल यह हुआ कि पार-सल से कापियां भेजी गयीं, लेकिन उन पर एक्जामिनर्स का नाम नहीं था। वह बिल्टियां सेल्फ के नाम भेजी गयीं और रिसीट को एक्जामिनर के नाम इन्डोर्स कर दिया गया और उसको एक्जामिनर ने छुड़ा लिया। तो इस साल तो बहुत कम पता लग सका कि कौन एक्जामिनर है, और नाम मालूम नहीं हो सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि यह पता ही न चल सके कि कापियां किसके पास आगयी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस साल यह प्रबन्ध हो गया है कि किसी विद्यार्थी या परीक्षार्थी को यह पता नहीं चल सकता कि कापी किसके पास गयी हैं।

श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या यह सही है कि जो रेलवे रिसीट एक्जामिनर के पास भेजी जाती है, उससे भी विद्यार्थी पता लगा लेते है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—रेलवे रिसीट पोस्टआफिस से जाती है, और पार्सल पर एक्जामिनर का नाम अब नहीं रहता।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या यह सही है कि परीक्षार्थियों ने छुरे और चाकू दिखाकर एक्जामिनेशन हाल में नकल की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई रिपोर्ट इस साल तो अब तक मुझे नहीं मिली।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि इस वर्ष इन्टरमीडियेट तथा हाई स्कूल के ४० प्रतिशत विद्यार्थियों ने नकल की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई गणना तो नहीं की गयी है।

मई, १९५४ में श्रमदान आन्दोलन चलाने का विचार

**८—श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मई, सन् ५४ में वह श्रमदान आन्दोलन चलाने का विचार कर रही है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जी हां।

**९—श्री राम चन्द्र विकल—क्या सरकार इस प्रोग्राम को पूरी रूपरेखा तथा इस पर होने वाले व्यय का अन्दाजा भी बताने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—इस श्रमदान पखवारे में सिंचाई के साधनों पर विशेष ध्यान दिया जायगा। श्रमदान द्वारा होने वाले कार्यों की सूची निम्नलिखित ह :—

(१) पिछले श्रमदानों मे किये गये कार्यों को पूरा करना।

(२) सामान्य निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत योजनायें।

(३) तालाबों की सफाई करना।

(४) तालाबों का गहरा करना।

(५) गूलों की सफाई करना।

(६) बन्धियों की सफाई।

(७) पेड़ों के लिए गड्ढे बनाना।

(८) पौधशालाये।

इस श्रमदान पखवारे में औजार इत्यादि के साधारण व्यय के अलावा और कोई व्यय की सम्भावना नहीं है। श्रमदान में अच्छा कार्य करने वाले जिलों को ४०,००० रु० और हर एक जिले की अच्छा कार्य करने वाली ग्राम सभा को १,००० रु० पुरस्कार स्वरूप देने की व्यवस्था की गयी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, यह सवाल ही गलत छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—वह १९५४ है, जहां पर कि ४ लिखा हुआ है। यह सही कर दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सप्ताह किस तारीख से किस तारीख तक चलाया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह—१० मई से २४ मई तक।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि इस मौसम में अधिक गर्मी तथा ग्रामों में काम की अधिकता के कारण जनता इस सप्ताह में श्रमदान के कार्य में कम उत्साह लेगी ?

श्री फूलसिंह—यह सही है मगर ये ऐसे काम हैं कि इसी मौसम में होते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार की तरफ से ऐसे आदेश नहर विभाग द्वारा जनता को भेजे गये हैं कि इस सप्ताह में तमाम नहरें बन्द रखी जायंगी और नहरों की सफाई होगी?

श्री फूलसिंह—जी नहीं नहरें बन्द हो जायेंगी, तो सिंचाई का काम रुक जायगा।

श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि जो श्रमदान पिछले समय में हुआ है, उसमें बहुत जगह सीमेंट वगैरह न मिलने के कारण श्रमदान से लोगों को बहुत हतोत्साह सा हो गया है ?

श्री फूलसिंह—उन कामों को पूरा करना है। इस योजना में उनका नम्बर १ स्थान है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सहारनपुर में और यहां इस सदन के माननीय सदस्यों ने माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना की है कि १० मई के बजाय इसको किसी और तारीख के लिए आगे को बढ़ा दिया जाय ?

श्री फूलसिंह—अब अरेंजमेंट्स इतने आगे बढ़ गये हैं कि इसको आगे पीछे करने में दिक्कत पड़ेगी। लेकिन फिर भी जिन कमेटियों को सुविधा नहीं है, वह आगे पीछे कर लेंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

हरिजन अमीनों के रिक्त स्थानों पर हरिजनों को प्राथमिकता

**१०—श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)—क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि जब भी किसी पिछड़ी जाति या परिगणित जाति के अस्थायी लेखपाल अमीन या क्लर्क को किसी कारण वश हटाया जाय, तो उसके स्थान पर पिछड़ी जाति अथवा परिगणित जाति के उम्मेदवारों को ही प्राथमिकता दी जाय, और उसके बाद अभाव में ही दूसरे को रक्खा जाय ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जहां तक अस्थायी लेखपालों का प्रश्न है, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया, परन्तु मालगुजारी वसूली योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले अमीन तथा अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश जारी किया गया है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि लेखपालों के सिलसिले में ऐसा ही आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—इस सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त आदेशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जिलों में कोई लिस्ट पहले से होती है, या नयी दरख्वास्तें मंगा कर तब उन स्थानों की पूर्ति की जाती है ?

श्री चरणसिंह—यह तो आदेश जिलाधीशों को गया है। वह जैसा चाहें, करें। अगर कोई लिस्ट उपयुक्त कैन्डिडेट्स की मौजूद है, तो उसमें से ले लें, या प्रार्थना-पत्र मांग लें।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई सरकारी आदेश जारी किया गया है कि इन स्थानों की नियुक्ति में १८ प्रतिशत जगहें उन्हें दी जायं ?

श्री चरणसिंह—यह आदेश तो कई महीने हुए जारी हो चुका था ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी के पास ऐसी शिकायतें आयी है कि हरिजनों को १८ प्रतिशत लेने के लिए कोई खास कार्यवाही नहीं हो रही है ?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है । यहां माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल किये हैं कि १८ फीसदी की तादाद पूरी नहीं हुई । इसके लिए मैं कई बार बतला चुका हूं कि हमको कोई नयी भरती नहीं करनी थी । जो लोग पहले से थे, उनमें १८ फीसदी की पूर्ति करने का सवाल था । क्योंकि कुछ लोग निकाले जा रहे थे । इसलिए बाहर से लेना मुनासिब नहीं समझा, यही मुनासिब समझा कि उन्हीं में से ले लिये जायं ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह आदेश क्या है और कब भेजा गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वह आदेश ४ जनवरी को भेजा गया था । उस आदेश में यही है कि भरती में १८ फीसदी शैड्यूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन का खयाल रक्खा जाय ।

तारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले के अहार परगने में कच्ची सड़क का श्रमदान द्वारा निर्माण

*१—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले के अहार परगने में कच्ची सड़क पर कितनी लागत का कार्य श्रमदान द्वारा हुआ है, और वह सड़क कितनी लम्बी है ?

श्री फूलसिंह—बुलन्दशहर के अहार परगने में कच्ची सड़क पर श्रमदान द्वारा अनुमानित ६०,८३२ रु० का कार्य हो चुका है । वह सड़क ११ मील लम्बी है उसमें से ५ मील पर उपरोक्त कार्य हुआ है ।

*२—श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सड़क पक्की कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री फूलसिंह—उपर्युक्त सड़क जिला बोर्ड की है इसलिए जिला बोर्ड से इसको पक्का करने की प्रार्थना की गयी परन्तु धनाभाव के कारण पक्की नहीं हो सकी ।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि श्रमदान द्वारा कितने समय तक कितने आदमियों ने इस सड़क पर कार्य किया है ?

श्री फूलसिंह—६०,८०० रुपये का काम इस सड़क पर हुआ है । कितने आदमियों ने किया और कितने दिन तक किया इसका ब्योरा नोटिस आने पर दे सकता हूं ।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सड़क के लिए सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी है ?

श्री फूलसिंह—इस सड़क पर तो कोई विशेष सहायता नहीं दी है, लेकिन जिलेवार काफी सहायता दी जाती है ।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले का जो दौरा उपमन्त्री जी ने किया था, वहां के लोगों ने इस सड़क को पक्का कराने की प्रार्थना की थी ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री दीन दयालु शर्मा—क्या सरकार इस सड़क को जल्दी से जल्दी पक्का कराने का विचार रखती है?

श्री फूलसिंह—यह बड़ा काम है। नयी योजना आने के समय इसका ध्यान रक्खा जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ११ मील के टुकड़े में जो ६०,८०० रुपया खर्च हुआ है, वह केवल पांच मील पर खर्च हुआ है?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस पांच मील के टुकड़े में १२ हजार रुपये के करीब सिर्फ कच्चा ही कार्य हुआ है?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ६०,८३२ रुपया खर्च किया है, उसका एक तिहाई सरकार देने का विचार रखती है?

श्री फूलसिंह—श्रमदान द्वारा जो काम होता है, उसका एक तिहाई तक देने की गुंजाइश होती है, उस रुपये में जो आपने बजट में पास किया है, और जितना रुपया मिलता है, वह जिलेवार बांट दिया जाता है, और जिला, प्लानिंग कमेटी को, हक रहता है कि जो मुनासिब समझे वह दे दे।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड बुलन्दशहर से जो प्रार्थना सड़क बनाने के लिए जिला प्लानिंग कमेटी ने की है, वह जिला बोर्ड ने स्वीकार की है या नहीं?

श्री फूलसिंह—जिला प्लानिंग कमेटी को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। रुपया उसके पास है, और वह खर्च कर सकती है।

पंचवर्षीय योजना के अधीन लखनऊ जिले की उन्नति के लिये कार्य

*३—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अधीन लखनऊ जिला की उन्नति के लिए कौन कौन से कार्य किये जा रहे हैं? क्या सरकार उन कार्यों की एक सूची देने की कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह—पंचवर्षीय योजना के अधीन लखनऊ जिले की उन्नति के लिए सिंचाई, कृषि, बागबानी, गन्ना विकास, सहकारिता, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, पशुपालन, आवागमन, शिक्षा, हरिजन सुधार तथा पंचायत के अन्तर्गत कार्य हो रहा है, जिनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

*४—श्री हरिश्चन्द वाजपेयी—लखनऊ जिला के प्लानिंग विभाग ने इस वर्ष कौन-कौन से कार्य लखनऊ जिले में किये और क्या जिला के निर्माण कार्य के लिए कोई स्थायी कार्य-क्रम बनाया गया है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री फूलसिंह—लखनऊ जिला के प्लानिंग विभाग ने इस वर्ष जिले में जो निर्माण कार्य किये हैं, वह माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में दर्ज है। जिले में आगे के

निर्माण कार्य के लिए सन् १९५४-५५ की विकास योजना बनायी गयी है, वह योजना १ अप्रैल सन् १९५४ से कार्यान्वित होगी। इसका वर्णन विस्तार में सूची में आ गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३५-३३८ पर।)

*५—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधीन लखनऊ जिला के देहाती हल्का के लिए कोई कार्य किया जाता है ? यदि हां, तो वह क्या है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार लखनऊ जिला में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्य जारी किये जाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री फूलसिंह—कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधीन लखनऊ जिला के देहाती हल्के के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। किन्तु राष्ट्रीय विकास योजना के अन्तर्गत जिले में इस वर्ष गोसाईंगंज और सरोजनी नगर के दो क्षेत्र मंजूर किये गये हैं, जहां विकास कार्य होगा।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना का कार्य लखनऊ जिले में कब से आरम्भ हुआ ?

श्री फूलसिंह—तमाम प्रान्त में एक ही दफा हुआ, और तभी से यहां भी हुआ।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के पूर्व कितने एकड़ जमीन में सिंचाई नहरों से होती थी और कितने एकड़ जमीन में सिंचाई पंचवर्षीय योजना के अधीन होने लगी ?

श्री फूलसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या यह सही है कि कोई भी ट्यूबवेल लखनऊ जिले के अन्दर पंचवर्षीय योजना के अधीन नहीं बनाया गया ?

श्री फूलसिंह—माननीय मेम्बर ठीक ही कहते होंगे।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या यह सही है कि टिड्डी मारने या चूहे मारने या अन्य कार्य जिनका ब्योरा यहां पर दिया गया है, उनमें से कोई भी कार्य पंचवर्षीय योजना के अधीन नहीं किया गया ?

श्री फूलसिंह—यह तो शायद सही नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन सब कामों में कुल कितना रुपया लगेगा ?

श्री फूलसिंह—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्द शहर जिले में निर्माण कार्य की व्यवस्था

*६—श्री धर्मसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बुलन्दशहर में कोई निर्माण कार्य करने की व्यवस्था है ?

श्री फूलसिंह—जी हां। जिला बुलन्दशहर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने की व्यवस्था है।

*७—श्री धर्मसिंह—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे निर्माण-कार्य क्या-क्या हैं ?

श्री फूलसिंह—पंचवर्षीय योजना के अधीन कृषि, सिंचाई, बागबानी, पशुपालन, सहकारिता, जन-स्वास्थ्य, आवागमन, यातायात, शिक्षा, घरेलू उद्योग-धन्धे, पंचायत राज, प्रान्तीय रक्षक दल तथा हरिजन उद्धार के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की योजना हैं। इन कार्यों की विस्तृत सूची माननीय सदस्य की मेज पर है।

*८—श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आज तक क्या क्या कार्य पूर्ण हो चुका है ?

श्री फूलसिंह—बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के अधीन सन् १९५३-५४ तक जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वह माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में दर्ज हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३९-३४९ पर।)

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य सूची में नत्थी हैं उनमें कितने कार्य वहां पर हो चुके हैं ?

श्री फूलसिंह—यह तो तत्काल नहीं बतलाया जा सकता। जांच करके बतलाया जा सकता है।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य हुआ है या होने को है उसमें कितना धन सरकार ने खर्च किया है ?

श्री फूलसिंह—इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों की तादाद नहीं बढ़ायी जा रही है और धनाभाव के कारण उनको तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री फूलसिंह—अखबारों से ऐसा पता चलता है।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह बुलन्दशहर जिले को एन० ई० एस० ब्लाक में देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री फूलसिंह—प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद इस पर निर्णय किया जायगा।

श्री दीन दयालु शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से पंचवर्षीय योजना शुरू हुयी है तब से जो कुएं की सहायता दी जाती थी वह बुलन्द शहर जिले में बन्द कर दी गयी है ?

श्री फूलसिंह—मैशनरी वैल की सहायता बीच में बन्द हो गयी थी।

श्री रामचन्द्र विकल—नया एन० ई० एस० ब्लाक वहां किस क्षेत्र में देना चाहते हैं ?

श्री फूलसिंह—जिला प्लानिंग कमेटी से मशविरा मांगा गया है।

जिला गोंडा में ट्रांस राप्ती क्षेत्र में विकास कार्य की आवश्यकता

*९—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार को पता है कि प्रान्तीय नियोजन कमिश्नर के आदेश से, जिला नियोजन समिति गोंडा के Trans Rapti क्षेत्र के सब से पिछड़े हुए भाग को Community Project के लिये लगभग डेढ़ साल हुये चुना था परन्तु आज तक वहां पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा है ?

श्री फूलसिंह—सामूहिक विकास केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में जिला नियोजन समितियों के विचार मांगे गये थे उनमें से गोंडा भी एक जिला था। चूंकि केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ चंद ऐसे केन्द्र खोलने की अनुमति दी थी इसलिये इस इलाके में केन्द्र न खोला जा सका। लेकिन यह सही नहीं है कि वहां कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। शासन की ओर से मझगवां बघेलखंड बांध बनाये जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स पर भी विचार हो रहा है। इंतिया थोक में एक एन० ई० एस० ब्लाक खोला गया है।

*१०—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त भाग में पिछले चार सालों में सूखा और अर्ध सूखा की दशा रही जिसमें गरीबों की जीवन रक्षा के लिये सरकार को लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना पड़ा है?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार को पता है कि मझगवां और बघेलखंड बांध ट्रांसराप्ती के उस भाग में स्थित नहीं है जहां के लिये मांग की गई थी?

श्री फूलसिंह—माननीय सदस्य की इत्तिला ठीक ही होगी।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार को पता है कि इंतिया थोक ट्रांसराप्ती के उस भाग में स्थित नहीं है जहां के लिये स्कीम मांगी गयी थी?

श्री फूलसिंह—वहां एन० ई० एस० ब्लाक खुल गया है तो दोबारा मांग नहीं होती, और आगे माननीय सदस्य जो कहते हैं वह ग़ालिबन ठीक ही होगा।

श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि इंतिया थोक में कितना काम इस दिशा में हुआ है?

श्री फूलसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या इंतिया थोक ट्रांसराप्ती एरिया में है?

श्री फूलसिंह—माननीय मेम्बर को इस बात का ज्यादा ज्ञान है चूंकि वह वहां ...

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस क्षेत्र में पंचायतों द्वारा ढिंढोरा पिटवा दिया गया था कि वहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट की स्कीम लागू की जायगी?

श्री फूलसिंह—मुझे इसकी इत्तिला नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ट्रांसराप्ती क्षेत्र में श्रमदान का विचार स्थगित कर दिया गया है या बिलकुल खत्म कर दिया गया है?

श्री फूलसिंह—श्रमदान के अलावा कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट इस साल नहीं खुल रहा है।

श्री शिव नारायण—क्या यह सही है कि ट्रांसराप्ती की स्कीम को कैंसिल कर दिया गया है?

श्री फूलसिंह—मुझे तो ऐसी इत्तिला नहीं है।

जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में विकास कार्य

*११—श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज में कौन सा विकास कार्य किस स्थान पर हो रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५० पर।)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील में कार्य

*१२—श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील में भी कोई कार्य करने जा रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां।

*१३—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील में होने वाले कार्य नियोजन विभाग की ओर से दो नलकूप सहकारी आधार पर दौलतपुर व कोटा मुरादनगर में स्वीकृत हुये हैं। छः बीज भंडार निर्माण होंगे जिनसे केवल प्रथम श्रेणी का बीज वितरण के लिये उपलब्ध होगा।

सहकारी बैंक रुड़की द्वारा ९ प्रतिशत के स्थान पर ७ प्रतिशत की दर पर समितियों को कृषि उत्पादन के लिये ऋण दिया जाता है। भविष्य में इस दर को घटा कर ६ प्रतिशत कर दिया जायगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

पथरी नदी पर नियोजन विभाग द्वारा एक पुल निर्माण करने की योजना है।

राज्य सरकार द्वारा रुड़की तहसील में ४१ नलकूप बनाये गये हैं। जो शीघ्र ही चालू किये जायंगे।

इसके अतिरिक्त श्रमदान द्वारा कई लम्बी सड़कें तथा खरंजे व पंचायत घर इत्यादि बनाये जा रहे हैं।

राज्य सरकार पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पथरी विद्युत् गृह तथा मुहम्मदपुर विद्युत गृह चालू कर रही है। जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः २ करोड़ ३१ लाख रुपया तथा ३१ लाख रु० आयेगी।

उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन पर व्यय

*१४—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—(जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन में १९५१ व १९५२ में कुल कितना खर्च किया गया ?

श्री फूलसिंह—२,१४,८३४ रुपया।

*१५—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नगर तथा ग्राम नियोजन में किसानों की खेती करने वाली जमीन भी ली जाती है ?

श्री फूलसिंह---यदि अति आवश्यक होता है तो उसको लेना पड़ता है।

*१६---श्री रमेश चन्द्र शर्मा---यदि हां, तो क्या उन्हें मुआवजा दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री राम चन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों की ज़मीन ली जाती है उन्हें किस हिसाब से मुआवज़ा दिया जाता है?

श्री फूलसिंह---रेट तो मेरे सामने नहीं हैं लेकिन एक ही रेट है जो सब के लिये लागू है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नियोजन के अन्तर्गत ५१-५२ में विशेषकर क्या-क्या कार्य हुआ?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ख़र्चा बतलाया गया है, उसमें सरकारी कर्मचारियों का टी० ए० भी शामिल है?

श्री फूलसिंह---ठीक नहीं कह सकता, गालिबन होगा।

'श्रमदान' सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों द्वारा श्रमदान

*१७---श्री राजा राम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान सप्ताह में प्रत्येक सरकारी आदमी को कुछ न कुछ हाथ से मेहनत करने का आदेश था?

श्री फूलसिंह---जी नहीं। परन्तु यह आशा की जाती थी कि सब सरकारी कर्मचारी स्वेच्छापूर्वक श्रमदान सप्ताह में श्रमदान योजना को सफल बनाने के लिये कुछ न कुछ श्रम करेंगे।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाथ से मेहनत करने के आदेश देने में कोई कठिनाई है?

श्री फूलसिंह---श्रमदान की नीति स्वेच्छा पर ही निर्भर करती है, हुक्म से वह बात नहीं रहती।

जिला मेरठ में विकास तथा नियोजन पर व्यय

*१८---श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में विकास तथा नियोजन के द्वारा सन् १९५२-५३ में कुल कितना व्यय हुआ और कितना रुपया हरिजन वर्ग के मकानों और पानी के निमित्त दिया गया?

श्री फूलसिंह---विकास तथा नियोजन के द्वारा १०,१७,११६ रुपया व्यय हुआ और हरिजन वर्ग के मकानों तथा कुओं के लिये ४,००० रुपये की सहायता दी गई।

श्री रामजी लाल सहायक---क्या सरकार ऐसे लोगों की संख्या बतलायेगी जिनको मकानों के लिये सहायता दी गयी?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामजी लाल सहायक—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५२-५३ में प्रदेश सरकार की जिला नियोजन समितियों ने हरिजन वर्ग को पीने के पानी के कुओं की सहायता के लिये कितनी सहायता दी ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस रुपये में कितना रुपया हरिजनों को पीने के लिये कुओं के बनाने में दिया गया ?

श्री फूलसिंह—हरिजनों के लिये पानी पीने के कुओं के संबंध में जो रुपया जिलों में दिया गया है वह विशेष रूप से हरिजनों के लिये दिया जाता है और कुओं पर उसके खर्च की इजाजत नहीं दी जाती है। अलबत्ता मकान बनाने के लिये जो रुपया दिया जा रहा है उससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से जो रुपया हरिजनों के मकान बनाने के लिये सहायता के रूप में दिया गया था वह रुपया मकानों में लगा या नहीं ?

श्री फूलसिंह—वह रुपया मैंने अर्ज किया कि कम लगा मकानों में।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि जो रुपया बाकी है उसके लिये आदेश जारी कर के फौरन हरिजनों के लिये कुएं बना देगी ?

श्री फूलसिंह—मकान बनाने में सहायता देने के लिये नयी योजना तैयार हो रही है जिससे हरिजनों के मकान बनाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के पानी पीने के लिये कुल कितने कुएं बने हैं ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुएं के सम्बन्ध में जो हरिजनों से आधा रुपया लिया जाता है, वे अपनी आर्थिक समस्या की बिना पर उसे देने में असमर्थ रहते हैं ?

श्री फूलसिंह—हरिजनों से नकद रुपया आमतौर से नहीं लिया जाता उनसे श्रमदान ही कराया जाता है।

गोरखपुर जिले में वन विभाग की सड़कों पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही

*१९—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में वन विभाग द्वारा वन की सड़कों पर साइकिल और रिक्शा चलाना जुर्म है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—बिना इजाजत जुर्म है।

*२०—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में इस प्रकार वन विभाग की कितनी सड़कें हैं जो कई मील तक दोनों तरफ आबादी के बीच से निकली हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—चार।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार जनहित के लिये यह प्रतिबन्ध उठाने को तैयार है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मोटर सड़क के बगल मे ही बैलगाड़ी की सड़क भी है और उस पर हर एक को पूरी इजाजत है कि वे उस पर साइकिल रिक्शा आदि चला सके। इस पर भी हम सुविधा देने को तैयार है लेकिन जंगलों में गैरकानूनी तरीक़े से कुछ लोग शिकार वगैरह खेलते हैं तो उसके लिये हम कुछ परमिट सिस्टम चालू करना चाहते है। क्योंकि बिलकुल खुला हुआ छोड़ देने से लोग गैरकानूनी तरीके से शिकार वगैरह खेलते है और जानवरों की हत्या की जाती है।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्योंकि उक्त चार सड़के गांवों से संबंधित है इसलिये क्या सरकार इन पर रिक्शा और मोटर चलाने की आज्ञा प्रदान करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मै पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि हम इस पर विचार कर रहे है कि कुछ परमिट दे दें जिससे हर मौक़े पर वे चल सके और उन आदमियों को भी पता चल सके कि बिना आज्ञा के शिकार वगैरह किसने खेला है? इसलिये इजाजत देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री केशव प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि मानीराम से टिकरिया जंगल को सड़क जाती है जिससे लोग दिन भर अनेक कामों के लिये गोरखपुर जाया करते है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, जाते है जैसा मैंने पहले बतलाया कि दूसरी सड़क भी बगल में जाती है। एक मोटर के लिये और एक बैलगाड़ी, रिक्शा वग़ैरह सभी के लिये है।

मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें

*२१—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले के पहाड़ी इलाके के निवासियों को जमींदारी उन्मूलन के पूर्व वन विभाग की ओर से कौन–कौन सी विशेष सुविधायें प्राप्त थीं और कौन–कौन से सामान लेने की सुविधायें उनको थीं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न स्पष्ट नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य का आशय जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदारी बनों से दिये जाने वाली सुविधाओं के बारे मे सूचना प्राप्त करने का है तो यह सूचना एक सूची में दी हुयी है, जो मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३५१ पर)

*२२—श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् अब सरकारी वन विभाग की ओर से उक्त क्षेत्रों के निवासियों को कौन–कौन सी सुविधायें प्राप्त है और कौन कौन से सामान किन शर्तों तथा किन मूल्यों पर मिलने का अधिकार है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३५२–३५४ पर)

*२३—श्री ब्रज भूषण मिश्र—क्या निकटस्थ जंगलों से लकड़ी निःशुल्क प्राप्त करने का सरकारी आदेश है? यदि हां, तो उसके नियम क्या है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लकड़ी की प्राप्ति के लिए जो सुविधायें हैं उनका विवरण प्रश्न २२ के उत्तर में उल्लिखित सूची में दिया हुआ है। इस सम्बन्ध में सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि प्रति वर्ष जाड़े की ऋतु में पहले वन विभाग के कर्मचारी उन विशेष क्षेत्रों को निर्धारित कर दें जिनमें से गांव वाले लकड़ी ले जा सकें और उन क्षेत्रों में जिन पेड़ों से लकड़ी प्राप्त की जा सके उनमें चिन्ह लगा दें। इनकी सूचना संबंधित गांव की लैन्ड मैनेजमेंट समिति के चेयरमैन को दे दी जायगी। यह व्यवस्था गांव वालों की सुविधा के लिए सरकार ने की है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सुविधायें दी गई हैं उनको ठीक से इस्तेमाल करने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके बारे में आदेश चले गए हैं और ऐसा समझा जाता है और आशा की जाती है कि सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से उनका पालन करते हैं।

बहिलपुरवा स्टेशन, जिला बांदा पर वन विभाग की लकड़ी में आग लगना

*२४—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या मुख्य मंत्री जी को यह सूचना प्राप्त हुयी है कि तारीख १–४–५३ को बहिलपुरवा स्टेशन, जिला बांदा पर वन विभाग तथा वन विभाग के ठेकेदारों की लगभग १०० वैगन लकड़ी, स्टाक में आग लग जाने के कारण जल गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां।

*२५—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या ठेकेदारों ने इस सम्बन्ध में फारेस्ट रेन्ज आफिसर, मानिकपुर को, इस नुकसान के कारण अपने अलाट की किस्त के बकाया रुपये को माफ करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आग के लगने से कुल कितने रुपए का नुकसान हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, नुकसान हुआ है और वह एक केस में २१०० रुपए का हुआ, एक केस में १३,१२५ रुपए का, एक केस में ७८८ रुपए का, एक केस में २१०० रुपए का और एक केस में ६२५ रुपए का नुकसान हुआ है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या इन ठेकेदारों की शिकायतों पर विचार करके सरकार उस रकम को माफ करने को तैयार है जो उनको देना है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह आग जंगल में नहीं बल्कि डिपो में लगी थी और वहां उन्होंने पूरी अहतियात नहीं बर्ती जिससे आग न लगे, इसलिए लीगली तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता लेकिन मारली सोचा जा रहा है और यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आग कैसे लगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह आग जैसा मैंने कहा फारेस्ट डिपार्टमेंट के जंगल में नहीं लगी थी, वह तो डिपो में रेलवे स्टेशन के पास लगी थी, इसलिये पता नहीं कि वह कैसे लगी।

*२६–२७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८-२९—श्री ब्रज भूषण मिश्र—[२० मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०—श्री बाबू नन्दन—[हटा दिया गया ।]

*३१-३२—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३३-३५—श्री राम लखन (जिला बनारस)—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६-३८—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—[२१ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४२-४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भट्टहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट के विरुद्ध शिकायत

*३९—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार के पास भट्टहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुयी है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री फूलसिंह—हाल में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है । जून, १९५३ में एक शिकायत प्राप्त हुयी थी और कसूरवार कर्मचारियों को उचित दंड दिया गया ।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वह शिकायत क्या थी ?

श्री फूलसिंह—कुछ कर्मचारियों ने किसी बागवान को इस इलजाम में फंसाना चाहा कि वह डाकू है।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन कर्मचारियों को कौन-सा दंड दिया गया ?

श्री फूलसिंह—डिप्टी डेवलपमेंट अफसर को हटा दिया गया, एक अफसर को डिमोट कर दिया गया, एक का ट्रांसफर कर दिया गया और एक को उसके महकमे को वापस कर दिया गया ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि इस शिकायत की जांच माननीय फूलसिंह जी ने भी की थी ?

श्री फूलसिंह—जांच तो मैंने नहीं की मगर थोड़ी बहुत देखभाल की थी ।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ समय पूर्व उनके पास कोई इस प्रकार की शिकायत आयी थी?

श्री फूलसिंह—कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी थी ।

*४०—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—[१७ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिए सम्मेलन

*४१—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गन्ना के मूल्य तथा लाभ संबंधी मामले पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन होने वाला था उसे बुलाने का कोई समय निश्चित किया गया ?

श्री हुकुमसिंह—अभी नहीं ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस सम्मेलन को बहुत देर में बुलाने से सम्मेलन का उद्देश्य नष्ट हो जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह—हम जल्द बुलाना चाहते हैं ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सम्मेलन के न बुलाने के कारण मिल मालिकों को एक अवसर मिल रहा है कि वह महंगे दामों में चीनी बेचें ?

श्री हुकुमसिंह—ऐसा मेरा ख्याल नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि चीनी की कीमत बराबर बढ़ती चली जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह—मैंने अभी इसका जवाब आपके ही सवाल पर दे दिया है।

*४२—श्री गेंदासिंह—[२४ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४३—श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४—श्री भगवान सहाय—[२०मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

*४५—श्री इस्तफा हुसैन—[१८ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४६-४७—श्री जोरावर वर्मा—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

विलीनीकरण के पश्चात् काशी राज्य के कर्मचारियों का सरकारी नौकरी में लिया जाना

*४८—श्री वंश नारायण सिंह (जिला बनारस)—क्या सरकार को ज्ञात है कि काशी-राज्य के विलीनीकरण के समय स्थायी राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेशीय सरकार में स्थायी स्थान देने का निश्चय हुआ था ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कुछ शर्तों के अधीन राज्य के स्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देने के बारे में तय हुआ था।

*४९—श्री वंश नारायण सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के सभी स्थायी राज्य कर्मचारी स्थायी स्थानों पर नियुक्त कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—उनमें से अधिकतर तो रख लिये गये, पर थोड़े से कर्मचारी जो हमारी आवश्यकता से अधिक थे या जिनके लिये उपयुक्त स्थान नहीं थे अथवा ऐसे जिन के अनुभव और योग्यता का विचार करते हुये नौकरी में रखने के योग्य नहीं समझे गये उनको नौकरी में नहीं रखा जा सका ।

*५०—श्री वंश नारायण सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने अवकाश ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार उन सबको पेंशन दे दी गई है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—ऐसे अधिकतर कर्मचारियों को नियमानुसार पेंशनें दे दी गई हैं। बहुत थोड़े बचे हुये कर्मचारियों के मामलों में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

*५१–५२—श्री भगवान सहाय—[२० मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

मऊ (आजमगढ़) में रंगाई व धुनाई का कारखाना

*५३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री १–४–५४ के प्रश्न संख्या ९ से ११ के उत्तर के संबंध में बतायेंगे कि मऊ (आजमगढ़) में रंगाई धुनाई का कारखाना चालू नहीं है ? यदि हां, तो कब से चालू हो जाने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह—इस कारखाने में हाथ से रंगाई का काम १९४९–५० से चालू है। ब्लीचिंग और फिनिशिंग का कारखाना शीघ्र चालू हो जाने की आशा है।

*५४—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन ६ मास से बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह—कारखाने के कर्मचारियों को मार्च सन् १९५४ तक का वेतन दिया जा चुका है।

राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन

*५५—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२-५३ और ५३–५४ ई० में प्रदेश में कितने राजनैतिक पीड़ितों को पेंशनें दी गई हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—१९५२–५३ में ५३ और ५३–५४ में ६६।

पकड़ी नउनियां, जिला गोरखपुर के वन का क्षेत्रफल

*५६—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के पकड़ी रेंज के समीपस्थ मौजा पकड़ी नउनियां में कितने क्षेत्रफल का वन है और वह वन किसका है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पकड़ी नउनियां के वन का क्षेत्रफल २२९.६ एकड़ है और यह वन सरकारी है।

*५७—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५८–५९—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०—श्री रणंजय सिंह (जिला सुलतानपुर)—[१४ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला बदायूं में सहसवान से गिन्नौर तक पक्की सड़क की आवश्यकता

*६१—श्री मुश्ताक अली (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बदायूं की प्लानिंग कमेटी ने सरकार से यह सिफारिश की है कि सहसवान से गिन्नोर तक पुख्ता सड़क बनवा दी जाय ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां ।

राम नगर में फूड प्रिजरवेशन फैक्टरी की योजना

*६२—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित) —क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामनगर में फूड प्रिजरवेशन फैक्टरी की योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह—योजना तैयार है । रामगढ़ की फैक्टरी जुलाई से जबकि सेब का मौसम आरम्भ होता है, चलना शुरू कर देगी और यदि हो सका तो इससे पहले भी ।

*६३—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—अब तक इस फैक्टरी ने क्या प्रगति की है और इस पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह—बिल्डिंग १४-४-५४ को तैयार हो गयी । अब मशीनें लग रही हैं ।

अब तक कुल लगभग २ १/४ लाख रुपया व्यय हो चुका है ।

*६४—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस फैक्टरी में क्या-क्या कार्य किया जायेगा, और इस फैक्टरी द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—इस फैक्टरी में सेब तथा अन्य फलों की लुगदी तैयार की जायगी । इस प्रकार ५०-६० फीसदी फल जो अच्छे नहीं होते, जिन्हें चिड़ियां खा लेती हैं, या जो अत्यधिक पक जाते हैं, या जो ओलों इत्यादि से बेकार हो जाते हैं, काम में आ जायेंगे । कच्चे फलों को भी ठीक करके चारे के काम में लाया जायगा ।

यह लुगदी लकड़ी के बैरल (डिब्बों) में भर कर मैदान में ऐसे व्यवसायिओं के पास भेज दी जायगी, जो इसका मुरब्बा और चटनी बनावेंगे ।

विक्रय के लिए केन्द्रीय सरकार के मार्केटिंग एडवाइजर से बातचीत हो रही है । इस प्रदेश के तथा अन्य प्रदेशों के व्यवसायिओं से भी बातचीत की गयी है । वे लोग फैक्टरी में तैयार हुई लुगदी के लेने के लिए तैयार है, क्योंकि यह सस्ती पड़ेगी ।

*६५-६६--श्री हरिप्रसाद—[२० मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद का हेडक्वार्टर

*६७—श्री इसरारुल हक़ (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट फिरोजाबाद का मुस्तकिल हेडक्वार्टर उसकी बढ़ती हुई आबादी और जरूरियात को देखते हुए फिरोजाबाद ही में रखना उसके जेरेगौर है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सरकार सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद को आगरे से हटा कर फिरोजाबाद ले जाना चाहती है किन्तु सब-डिवीजनल आफिसर की अदालत, उसके कार्यालय और निवासस्थान व अदालती हवालात (judicial lock up) के लिए

इमारतें बनाये बिना वह ऐसा नहीं कर सकती। सरकार को खेद है कि धन की कमी के कारण इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है।

*६८—श्री ब्रजबिहारी नन्दन—[१८ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नीरा से गुड़ बनाने की योजना

*६९—श्री ब्रजबिहारी नन्दन—क्या सरकार ने नीरा से गुड़ बनाने की योजना कार्यान्वित कर दी है? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जिलों में?

श्री हुकुमसिंह—(अ) जी हां।

(ब) कानपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, बिजनौर और नैनीताल जिलों में।

*७०—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[२५ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*७१—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह Second five year plan तैयार कर रही है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां। सरकार सेकिंड फाइव इयर प्लान तैयार कर रही है।

*७२—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार इस प्लान की तैयारी के सम्बन्ध में जिला नियोजन समितियों से भी सुझाव मांगने का विचार रखती है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां। सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जिला नियोजन समितियों से भी सुझाव मांगने का विचार रखती है। इन सुझावों के मांगने की विधि व प्रकार सरकार के विचाराधीन है।

*७३—श्री झारखंडे राय—[३ जून, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

फिरोजाबाद की लाइम फैक्ट्री को कोयले का कोटा

*७४—श्री इसरारुल हक़ (अनुपस्थित)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि फिरोजाबाद में किन-किन लाइम फैक्टरियों को किस हिसाब से कोयले का कोटा दिया जाता है?

श्री हुकुमसिंह—इस समय फिरोजाबाद की किसी भी लाइम फैक्टरी को कोयले का कोटा नहीं दिया जाता है?

*७५—श्री इसरारुल हक़ (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इल्म है कि इन फैक्टरियों में से कई एक बन्द हो गयी हैं, परन्तु वह अपना कोयले का कोटा बराबर उठाती हैं?

श्री हुकुमसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

मिलों में गन्ना न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में क्षति

*७६—श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्रदेश की शक्कर मिलों में गन्ना पहुंचना रोकने से कितने मिल कितने दिनों के लिए बन्द हुए और शक्कर के उत्पादन में कितनी क्षति पहुंची?

श्री हुकुमसिंह—प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में ६ मिलें १ दिन, ३ मिलें, ३ दिन, १ मिल ३ दिन, १ मिल ७ दिन तथा ३ मिलें ८ दिन पूर्णतः बन्द रहीं। इसके अतिरिक्त १६ मिलें कुछ समय के लिए आंशिक रूप से बन्द रहीं। इन मिलों के बन्द रहने के कारण फरवरी के प्रथम पक्ष में लगभग २.२५ लाख मन शक्कर का उत्पादन कम हुआ। लेकिन कुल शक्कर उत्पादन को कितना नुकसान पहुंचा, यह अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

*७७—श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले वर्षों में गन्ने का क्या मूल्य निश्चित किया गया और वह मूल्य किन कारणों से घटाया गया?

श्री हुकुमसिंह—गत तीन वर्षों में गन्ने का न्यूनतम मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया—

		रु०—आ०—पा०
१९५१–५२	..	१—१२—० प्रति मन।
१९५२–५३	..	१—३—० प्रति मन रेल।
		१—५—० प्रति मन गेट।
१९५३–५४	..	१—५—० प्रति मन रेल।
		१—३—० प्रति मन गेट।

प्रश्न का दूसरा भाग केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

*७८—श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में इस प्रदेश के मिलों द्वारा कितनी शक्कर बनायी गयी और इस वर्ष कितनी शक्कर बनने का अनुमान है?

श्री हुकुमसिंह—पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश के मिलों ने निम्नलिखित मात्रा में शक्कर उत्पादन किया—

१९५१–५२	..	२२७.४४ लाख मन।
१९५२–५३	..	१९०.६२ लाख मन।

इस वर्ष अनुमान किया जाता है कि लगभग १५० लाख मन शक्कर का उत्पादन होगा।

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—वित्त समिति में १४ सदस्यों का निर्वाचन होने वाला था। इसमें २१ नाम आये हुये हैं नामजदगी में। वह २१ नाम इस प्रकार हैं—

१—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट	८— श्री काली चरण टंडन
२— ,, महाराज सिंह	९— ,, मोहम्मद सुलेमान अधमी
३— ,, बलदेव सिंह	१०— ,, भगवती प्रसाद शुक्ल
४— ,, विष्णु शरण दुब्लिश	११— ,, गंगा प्रसाद
५— ,, शुगन चन्द्र	१२— ,, धर्मसिंह
६— ,, वीरेंद्र वर्मा	१३— ,, नारायण दत्त तिवारी
७— ,, राधा कृष्ण अग्रवाल	१४— ,, जयेन्द्र सिंह विष्ट

[श्री अध्यक्ष]

१५— ,, जोरावर वर्मा
१६— ,, तेज बहादुर
१७— ,, झारखंडेराय
१८— ,, तेज प्रताप सिंह
१९—श्री रामसुमेर
२०— ,, जयपाल सिंह
२१— ,, पुत्तू लाल

इसमे श्री वीरेंद्र वर्मा का नाम शायद दो मर्तबा आ गया है । इस तरह स २१ नामो की नामजदगी हुई है। अगर ७ सदस्यों के नाम वापस नहीं हुये तो फिर इसका चुनाव होगा। कल तक नाम वापस लेने की मियाद है।

सार्वजनिक लेखा समिति—इसमे २० सदस्यों का निर्वाचन होना है और २६ नाम आये हुये है। वह इस प्रकार है—

१—श्री सुखीराम भारतीय
२— ,, राम स्वरूप गुप्त
३— ,, रामजी लाल सहायक
४— ,, नन्दकुमार देव वाशिष्ठ
५— ,, बृजवासी लाल
६— ,, केशव गुप्त
७— ,, सैयद मुहम्मद वसी नकवी
८— ,, केशव प्रसाद पांडेय
९— ,, मिहो लाल
१०— ,, पद्मनाथ सिंह
११— ,, ईतिजा हुसेन
१२— ,, अशरफ अली खां
१३— ,, रतनलाल जैन
१४—श्री गोवर्द्धन तिवारी
१५— ,, धनुषधारी पांडेय
१६— ,, देवदत्त मिश्र
१७— ,, देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह
१८— ,, मदनमोहन उपाध्याय
१९— ,, महराजकुमार बालेन्दुशाह
२०— ,, जोरावर वर्मा
२१— ,, राम सुमेर
२२— ,, हरदयाल सिंह
२३— ,, तेजप्रताप सिंह
२४— ,, तेजबहादुर
२५— ,, झारखंडेराय
२६— ,, चिरंजीलाल जाटव

इनमें से अगर ६ नाम वापस नहीं हुये तो फिर चुनाव होगा। कल तक इसकी भी मियाद है।

प्राक्कलन समिति—इस समिति मे २५ सदस्य चुने जाने है और ३७ नामों की नामजदगी हुई है। वह इस प्रकार है—

१—श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट
२—,, ब्रज विहारी मेहरोत्रा
३—,, भगवती प्रसाद शुक्ल
४—,, लक्ष्मी शंकर यादव
५—,, वंशीधर मिश्र
६—,, कालिका सिंह
७—,, रामस्वरूप भारतीय
८—,, शिव नारायण
९—श्री नारायण दीन
१०—,, कैलाश प्रकाश
११—,, दीन दयालु शर्मा
१२—,, नवल किशोर
१३—,, जगदीश प्रसाद
१४—,, बाबू लाल मित्तल
१५—,, आचार्य जुगल किशोर
१६—,, शांति प्रपन्न शर्मा

१७—श्री इस्तफा हुसैन
१८—,, शिव कुमार शर्मा
१९—श्रीमती एस० एस० जहां बेगम
२०—श्री रामनारायण त्रिपाठी
२१—,, राजा वीरेंद्रशाह
२२—,, शिवप्रसाद
२३—,, शिवराज सिंह
२४—,, गंगाधर मैठाणी
२५—,, महावीरप्रसाद शुक्ल
२६—,, रामसुमेर
२७—,, पुत्तूलाल
२८—श्री जयपाल सिंह
२९—,, रामेश्वर प्रसाद
३०—,, तेजप्रताप सिंह
३१—,,
३२—,, झारखंडेराय
३३—,, जोरावर वर्मा
३४—,, चिरंजीलाल जाटव
३५—श्रीमती लक्ष्मी देवी
३६—श्री उल्फत सिंह चौहान
३७—,, रामहेत सिंह

इसमें १२ सदस्य अगर नाम वापस नहीं लेगे तो इसका भी चुनाव होगा।

स्थायी समितियां—अब यह १८ स्थायी समितियां हैं। इनमे १२ स्थायी समितियों में जो १४ नाम होने चाहिये वह १४ ही नाम हैं, लेकिन बाकी ६ समितियों मे १४ से अधिक हैं। लेकिन नाम वापस लेने का अधिकार सबको होने के कारण मे अभी "निर्वाचित हुये" घोषित नहीं करूंगा, केवल नाम पढ़कर सुना दूंगा, जिनकी नामजदगी हुई है।

सार्वजनिक निर्माण समिति—इसमे १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है :—

१—श्री मेहरबान सिंह
२—,, राजकुमार शर्मा
३—,, जटाशंकर
४—,, गुप्तारसिंह
५—,, मुन्नूलाल
६—,, राजाराम शर्मा
,, रामवचन यादव
८—श्री बद्रीनारायण मिश्र
९—,, दाताराम
१०—,, केशव राम
११—,, मथुराप्रसाद त्रिपाठी
१२—,, रामेश्वर लाल
१३—,, रामसनेही भारतीय
१४—,, राजाराम अरोरा

पुलिस स्थायी समिति—इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई है

१—श्री संग्राम सिंह
२—,, रामदुलारे मिश्र
३—,, राम प्रसाद
४—,, बसंतलाल शर्मा
५—,, प्रभूदयाल
६—,, रामनरेश शुक्ल
७—,, द्वारिका प्रसाद पांडेय
८—,, कृष्ण स्वरूप भटनागर
९—श्री ब्रजभूषण मिश्र
१०—श्रीमती चन्द्रावती
११—,, यशोदा देवी
१२—श्री हबीबुर्रहमान
१३—,, रामसुन्दर पांडेय
१४—,, सुरेश प्रकाश सिंह
१५—,, जयपाल सिंह

[श्री अध्यक्ष]

सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई) स्थायी समिति--इसमें १४ सदस्य नामजद हुए हैं—

१—श्री गुरुप्रसाद पाण्डेय
२—,, राजनारायण सिंह
३—,, बलभद्र प्रसाद शुक्ल
४—,, सियाराम चौधरी
५—,, शिवराम राय
६—,, शिववचन राय
७—,, मोहन सिंह
८—श्री रमेश वर्मा
९—,, नत्थू सिंह
१०—,, अवधेश प्रताप सिंह
११—,, रघुनाथ प्रसाद
१२—,, भोला सिंह
१३—,, रामनरेश शुक्ल
१४—,, शिवराजबली सिंह

सहकारी स्थायी समिति--इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है—

१—श्री उमाशंकर तिवारी
२—,, भगवती प्रसाद दुबे
३—,, हरी सिंह
४—,, बैजनाथ सिंह
५—,, जवाहरलाल
६—,, मिजाजी लाल
·,, राजाराम अरोरा
८—श्रीमती सज्जन देवी महनोत
९—श्री तेज बहादुर सिंह
१०—,, रामशंकर लाल
११—,, रामसुभग वर्मा
१२—,, तेजप्रताप सिंह
१३—,, महावीरप्रसाद श्रीवास्तव
१४—,, फतेहसिंह राणा

सूचना स्थायी समिति--इसमें भी १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है-

१—श्री तुलसी राम
३—,, फजलुल हक
३—,, बेचनराम
४—,, राजवंशी राय
५—,, रघुवीर सिंह
६—,, बसंत लाल
७—श्रीमती सावित्री देवी
८—श्री रामदास
९—,, नागेश्वर द्विवेदी
१०—,, रामचन्द्र विकल
११—श्रीमती चन्द्रवती देवी
१२—श्री कल्याण राय
१३—,, नरोत्तम सिंह
१४—,, देवदत्त शर्मा

श्रम स्थायी समिति--इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी है—

१—श्री हरदेव सिंह
२—,, तुलाराम रावत
३—,, मुरलीधर कुरील
४—,, रामलखन मिश्र
५—,, हरख्याल सिंह
६—,, रामचरण लाल गंगवार
७—,, शिवराज बली सिंह
८—,, विजय शंकर सिंह
९—,, जगन्नाथ मल्ल
१०—,, बासुदेव मिश्र
११—,, भीमसेन
१२—श्रीमती यशोदा देवी

१३—श्री वीरेन्द्रपति यादव
१४— ,, हरी सिंह
१५—श्री गंगा प्रसाद

स्थानीय स्वशासन स्थायी समिति—इसमे १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है :—

१—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित
२— ,, कुंवर कृष्ण वर्मा
३— ,, महन्त जगन्नाथ बख्श दास
४— ,, ब्रजविहारी मिश्र
५— ,, बाबूराम गुप्त
६— ,, शिवशरण लाल श्रीवास्तव
७— ,, मकसूद आलम
८—श्री सुरजूराम
९— ,, हरिश्चन्द्र अष्ठाना
१०— ,, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
११— ,, वीरसेन
१२— ,, मलखान सिंह
१३— ,, देवदत्त शर्मा
१४— ,, बैजनाथ सिंह

माल की स्थायी समिति—इसमे १५ सदस्यों की नामजदगी हुई है —

१—श्री लाल बहादुर सिंह
२— ,, मथुरा प्रसाद पांडेय
३— ,, केवल सिंह
४— ,, निरंजन सिंह
५— ,, शिवस्वरूप सिंह
६— ,, रामशंकर रविवासी
७— ,, गेंदासिंह
८— ,, शम्भूनाथ चतुर्वेदी
९—श्री रामप्रसाद सिंह
१०— ,, विशम्भर सिंह
११— ,, मकसूद आलम खां
१२— ,, द्वारिका प्रसाद
१३— ,, नेकराम शर्मा
१४— , ब्रजविहारी मिश्र
१५— ,, जोरावर वर्मा

सार्वजनिक निर्माण (विद्युत) स्थायी समिति—इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है —

१—श्री कल्याण राय
२— ,, अब्दुल लतीफ खां
३— ,, घासी राम
४— ,, भगवान सहाय
५— ,, कल्याण चन्द मोहिले
६— ,, पुत्तूलाल
७— ,, नौरंग लाल
८— श्री राम प्रसाद देशमुख
९— श्रीमती प्रकाशवती सूद
१०— श्री वासुदेव मिश्र
११— ,, पुलिन बिहारी बैनर्जी
१२— ,, सुल्तान आलम खां
१३— ,, हरिश्चन्द्र अष्ठाना
१४— ,, भगत दयाल दास

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति—इसमें १६ सदस्यों की नामजदगी हुई है।

१— श्री परमानन्द सिन्हा
२— ,, गनेश प्रसाद पांडे
३—श्री गनेश चन्द काछी
४— ,, महमूद अली खां

[श्री अध्यक्ष]

५—श्री शिवमंगल सिंह	११—महाराजकुमार बालेन्दुशाह
६— ,, वंशनारायण सिंह	१२— ,, बाबूराम गुप्ता
७— ,, भगवती दीन तिवारी	१३— ,, ब्रह्मदत्त दीक्षित
८— ,, राजनारायण सिंह	१४— ,, लक्ष्मी रमण आचार्य
९— ,, महमूद अली खां	१५— ,, जयपाल सिंह
१०— ,, जयराम वर्मा	१६— ,, जोरावर वर्मा

शिक्षा स्थायी समिति—इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई।

१—श्री गंगाधर शर्मा	९—श्री विश्राम राय
२— ,, मोहम्मद नसीर	१०— ,, परिपूर्णानन्द वर्मा
३— ,, उमाशंकर मिश्र	११— ,, देवराम
४— ,, तेजा सिंह	१२— ,, सत्य सिंह राणा
५— ,, नरदेव शास्त्री	१३— ,, गंगा सिंह
६— ,, वीरेन्द्रपति यादव	१४— ,, रघुवीर सिंह
७— ,, सहदेव सिंह	१५— ,, वीरसेन
८— ,, राम स्वरुप	

न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति—इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुए-

१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी	८—श्री वंशीदास धनगर
२— ,, अंशमान सिंह	९— ,, केदार नाथ
३— ,, बलवीर सिंह	१०— ,, जयराम वर्मा
४— ,, द्वारका प्रसाद	११— ,, अब्दुल लतीफ़ खां
५— ,, लक्ष्मी रमण आचार्य	१२— ,, भगवती दीन तिवारी
६— ,, शिवनाथ काटजू	१३— ,, ज्वाला प्रसाद सिनहा
७— ,, शिव बख्श सिंह	१४— ,, नरदेव शास्त्री

चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी समिति—इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुए—

१—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि	८—श्री श्रीनाथ भार्गव
२— ,, पुलिन बिहारी बनर्जी	९— ,, मदन गोपाल वैद्य
३— ,, बाबू लाल कुसुमेश	१०—डा० जवाहर लाल रस्तोगी
४— ,, नेत्रपाल सिंह	११— ,, अवधेश प्रताप सिंह
५—श्री उमा शंकर	१२—श्री राम शंकर द्विवेदी
६— ,, धर्म दत्त वैद्य	१३— ,, मुहम्मद नसीर
७— ,, राजेन्द्र दत्त	१४— ,, गुरु प्रसाद

उद्योग स्थायी समिति— इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुये हैं :—

१—श्री सत्य नारायण	८—श्रीमती प्रकाशवती सूद
२— ,, हरदयाल सिंह पिपल	९—श्री ऐजाज रसूल
३— ,, रामअवध सिंह	१०— ,, शिवराज बली सिंह
४— ,, राजकिशोर	११— ,, उम्मेद सिंह
५— ,, उदयभान सिंह	१२— ,, महमूद अली खां
६— ,, गजेन्द्र सिंह	१३— ,, भगवान सहाय
७— ,, अब्दुल समद	१४— ,, शिवराम राय

कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति—इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है :—

१—श्री रमेश चन्द्र शर्मा	८— श्री शंकर लाल
२— ,, पहलवान सिंह	९— ,, भगवती प्रसाद दुबे
३— ,, राघवन्द्र प्रताप सिंह	१०— ,, लाल बहादुर सिंह
४— ,, लुत्फ़ अली खां	११— ,, श्रीचन्द
५— ,, तिरमल सिंह	१२— ,, श्रीनिवास
६— ,, महावीर सिंह	१३— ,, सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी
७— ,, अवधशरण वर्मा	१४— ,, झारखंडे राय

सदस्य निर्वाचित हुये हैं—

१—श्री रघुराज सिंह	८— श्री मुन्नूलाल
२— ,, हरिप्रसाद	९— ,, रामस्वरूप
३— ,, महादेव प्रसाद	१०— ,, रघुनाथ प्रसाद
४— ,, सत्यसिंह	११— ,, कमाल अहमद रिज़वी
५— ,, खुशीराम	१२— ,, बसन्तलाल शर्मा
६— ,, बेनीसिंह	१३— ,, दीनदयालु शास्त्री
७— ,, चन्द्रहास	१४— ,, राजाराम शर्मा

विकास व नियोजन स्थायी समिति—इसमें १६ सदस्यों की नामजदगी हुई है-

१—श्री चिरंजीलाल पालीवाल	५— श्री व्रजभूषण मिश्र
२— ,, रामहेतसिंह	६— ,, भृगुनाथ चतुर्वेदी
३— ,, दीपनारायण वर्मा	७— ,, किन्दरलाल
,, बलवन्तसिंह	, लेखराज सिंह

[श्री अध्यक्ष]

९—श्री गुरुप्रसाद सिंह	१३—श्री करनसिंह
१०— ,, मदनमोहन उपाध्याय	१४— ,, तेज बहादुर
११— ,, फतेहसिंह राणा	१५— ,, नेकराम शर्मा
१२— ,, परमानन्द सिन्हा	१६— ,, वीर सेन

हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति—इसमे १४ सदस्यों की नामज़दगी हुई है—

१—श्री भीमसेन	८—श्री मुरलीधर कुरील
२— ,, कन्हैयालाल	९— ,, गुल्जार
३— ,, चुन्नीलाल	१०— ,, पुत्तूलाल
४— ,, बेचनराम	११— ,, रामलाल
५— ,, तुलाराम (इटावा)	१२— ,, तुलाराम (लखनऊ)
६— ,, रामदास	१३— ,, गौरीराम
७— ,, सेवाराम	१४— ,, सुरजू राम

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री अध्यक्ष—अब मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से कहूंगा कि वे अपनी रिपोर्ट पेश करें।

उपाध्यक्ष (श्री हरगोविन्द पन्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति ने जो प्रतिवेदन उपस्थित किया है, उस पर विचार किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइंट आफ़ आर्डर। श्रीमन्, मैं आपसे व्यवस्था जानना चाहता हूं और आपका ध्यान समिति की रिपोर्ट के पेज ४३ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसमें अन्त में लिखा है, "ठीक है, तो इसी प्रकार रिपोर्ट तैयार की जायगी।" फिर नीचे ब्रैकेट्स में लिखा है, "प्रतिवेदन तैयार करके समिति के सदस्यों के पास हस्ताक्षरार्थ भेज दिया गया।" तो श्रीमन्, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई कमेटी जब तक खुद कोई फैसला न करे और उसकी रिपोर्ट मेम्बरों के कमरों में हस्ताक्षर के लिये भेज दी जाय तो वह कमेटी की रिपोर्ट कैसे मान ली जायगी, जैसे हाउस को अपना फैसला यहां सदन में लेना चाहिये और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर हमारे पास दारुलशफा में कोई बिल दस्तखतों के लिये भेज दिया जाय तो मैं समझता हूं कि दस्तखत भले ही हम कर दें लेकिन उन दस्तखतों से कोई काम बनने वाला नहीं है। तो कमेटी की रिपोर्ट कमेटी की मीटिंग के सामने नहीं आयी। हाउस आफ कामन्स में यह होता है कि कमेटी की रिपोर्ट सभापति तैयार करते हैं और उसके बाद वह रिपोर्ट समिति के सामने आती है और एक एक पैराग्राफवाइज ली जाती है। तो हाउस आफ कामन्स की प्रणाली के अनुसार भी यह गलत है। तो मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में चूंकि विशेषाधिकार समिति ने कोई प्रोसीडेंट तो निश्चित नहीं किया इसलिये आप व्यवस्था दें कि यह रिपोर्ट जिस पर सदस्यों के कमरों में भेज कर हस्ताक्षर कराये गये हैं क्या समिति की रिपोर्ट मानी जा सकती है।

दूसरे यह कि मेरी चिट्ठियां जो मैंने इस कमेटी के सामने भेजी थीं मुझे ऐसा लगता है कि वे पढ़ कर सुनायी नहीं गयीं क्योंकि प्रोसीडिंग्स में भी वे नहीं हैं और न उनका कहीं जिक्र है। इसलिये मैं समझता हूं कि कमेटी के सामने जो हमारा केस है वह पूरा नहीं आया। तो इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस इंक्वायरी के सम्बन्ध में तीन मुख्य प्रश्न थे उन पर....

श्री अध्यक्ष—मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं जो प्रश्न उठाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, उसी के सम्बन्ध में कह रहा हूं कि तीन मुख्य प्रश्न थे। उनके संबंध में कमेटी की राय ली गई थी और उनका विभाजन भी इस प्रतिवेदन में दिया गया है, उनका निश्चय होना चाहिये। कमेटी ने माना कि अब रिपोर्ट तैयार होनी चाहिये और जो अस्वीकृति की राय देना चाहेंगे वह दे सकेंगे। इसलिये यह समिति के ही सदस्यों का निश्चय है और उसके अनुसार ही यह कार्यवाही की गई है।

दूसरे प्रश्न के विषय में यह कहना है कि हमारी समिति ने अपना प्रतिवेदन आपके ही द्वारा इस सदन के लिये भेजा है और जितने भी कागजात हमारे सामने आये थे वह सब के सब हमने भेज दिये। कौन से पत्र छापे जायं और कौन से शामिल किये जायं, इसका निश्चय करना अध्यक्ष का काम है। उसके अनुसार जो पत्र मुनासिब समझे गये, छापे गये हैं, बाकी पत्र जिनके विषय में कोई माननीय सदस्य जानना चाहें, वह आपकी अनुमति से देख सकते हैं। रहा यह जैसा कि कहा जाता है कि उनके पत्र पर विचार नहीं किया गया, यह बात सही नहीं है। कमेटी के सामने जितने भी कागजात आये वह सब को दिखाये गये और उन पर विचार किया गया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने दो आक्षेप किये हैं और वह मेरा इस सम्बन्ध में निर्णय चाहते हैं कि वैधानिक रूप से यह समिति की रिपोर्ट मानी जाय या न मानी जाय। पहला आक्षेप यह है कि समिति की जो रिपोर्ट तैयार हुई वह समिति के सामने, समिति की बैठक बुलाकर, नहीं रखी गई बल्कि दस्तखत बाद में कराये गये और यह वैधानिक दृष्टि से ठीक है या नहीं क्योंकि उनका कहना है कि समिति का कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि बाद में दस्तखत करा लिये जायं। जब इसके

[श्री अध्यक्ष]

विपरीत भी कोई नियम नहीं है और उसका प्रोसीजर इस किस्म का नहीं है कि रिपोर्ट समिति की बैठक में आनी ही चाहिये ऐसी अवस्था में केवल समिति के सदस्यों का ही यह अधिकार था कि वह कोई निर्णय करते। जब समिति के सदस्यों ने इस रिपोर्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर दिये और उसके बाद कोई आक्षेप समिति के सामने वह नहीं लाये और न समिति के अध्यक्ष के सामने लाये ऐसी अवस्था में किसी दूसरे सदस्य को आक्षेप करने का अधिकार नहीं है। प्रोसीजर जो समिति के सदस्यों को सर्वमान्य था उसके ऊपर उपाध्यक्ष ने प्रकाश डाला है। जहां तक निर्णय का सम्बन्ध है वह रिपोर्ट में मौजूद है और बैठक में निर्णय हुआ है। ऐसी अवस्था में इस रिपोर्ट को अवैध नहीं कहा जा सकता है और यह समिति की रिपोर्ट मानी जायगी।

दूसरा जो आक्षेप उठाया गया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि कौन से पत्र और कौन-कौन सी बातें जो समिति के सामने आई थीं, वह छापी जायं। मैंने इस सम्बन्ध में जो और जगह प्रथा थी उसको देखकर, क्योंकि कोई उसके लिये निश्चित प्रोसीजर मौजूद नहीं था, यह निर्णय किया कि चूंकि सब के सब कागजात के छपवाने में व्यर्थ ही खर्चा होता है इसलिये जितनी सामग्री आवश्यक हो, सदस्यों की जानकारी के लिये और जो रिवाज और जगह मौजूद है उसके अनुसार कार्य होना चाहिये। इस रिपोर्ट में जो सदन में प्रश्न उपस्थित किया गया था वहां से लेकर किस तरह से वह प्रिविलेज कमेटी के सामने गया और इस संबंध में क्या-क्या चर्चा सदन में हुई वह इस रिपोर्ट में सब बातें आ चुकी हैं, और जो कागजात पेश किये गये हैं उनके सम्बन्ध में यह भी नियम रखा गया कि जिन लोगों ने गवाहियां दीं जिस बैठक में, उनका जिक्र उसमें आ जाना चाहिये और जो प्रश्न उठ चुके हैं वह आ जाने चाहियें। लेकिन अगर और कोई अपने विचार पेश करता है, ऐसे खतों के सम्बन्ध में कहीं भी, जो मैंने दूसरी रिपोर्ट देखी, उनमें कहीं भी कोई तरीका नहीं देखा कि वे पत्र छापे गये हों। दूसरे, पहले भी एक आध बार रिपोर्ट छपी, उसमें यह पाया गया कि जो सदस्यों ने आपस में बातचीत की और विवाद किया वह भी छप गया, लेकिन यह विवाद गुप्त ही रहना उचित है। मैंने इंगलैण्ड की पार्लियामेंट की रिपोर्ट को देखा, उनमें केवल यह दर्ज है "प्रश्न पर समिति में चर्चा हुई या विचार हुआ, या इतने सदस्य उसमें मौजूद रहे और उन्होंने विचार-विनिमय किया।" इस तरह की रिपोर्टें मैंने देखी हैं। तो संक्षेप में यह बता देने को थी इससे भी बहुत कुछ काम छपाई का हल्का हो जाता है।

तो प्रोसीजर को तय करना मेरा काम होने के कारण और छपाई के सम्बन्ध में मेरी जानकारी होने के कारण मेरी आज्ञा के अनुसार यह रिपोर्ट छपी है। इसलिए यह वैधानिक प्रश्न नहीं उठ सकता है कि यह रिपोर्ट मुकम्मिल नहीं है। तिस पर भी माननीय सदस्यों के सूचनार्थ श्री नारायणदत्त तिवारी के भेजे हुए पत्र मेज पर रख दिये हैं, जो असेम्बली के टेबिल पर हैं। जो माननीय सदस्य चाहें वह देख सकते हैं, लेकिन अवैधानिक या अधूरी इस रिपोर्ट को नहीं कहा जा सकता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—आपसे निवेदन करना चाहता था कि जो दो घंटे का समय इस कार्य के लिए रखा गया है वह कम मालूम होता है। वह बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पहले इस पर थोड़ी चर्चा हो जाय। उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो बढ़ा दिया जायगा। श्री उपाध्यक्ष अपना भाषण जारी रखेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—अभी उसका समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इस प्रस्ताव के सम्बन्ध मे अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। म समझता हूं कि मुझे अधिक कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इस प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां कई दिनों से माननीय सदस्यों के सामने मौजूद हैं और इस समिति ने पूरी ८ बैठकें इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कीं और ऐडवोकेट जनरल की अनुमति हमने इसमें हासिल की। जो कुछ शहादत और बयान हुए उस पर विचार करके बहुमत से कोई फैसला उसमें किया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसके लिये कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने का मौका मिले। उसके लिये मे प्रस्ताव करता हूं कि १० मिनट का टाइम कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो इसमें सब की अनुमति है?

तो ठीक है, इसी तरह से सब को टाइम दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रथा इस सम्बन्ध में पालन की गयी है वह पहले जब रिपोर्ट पेश की गयीं उससे कुछ भिन्न सी है। पिछली मर्तबा जो रिपोर्ट पेश की गयीं तो फार्मल रेजोल्यूशन किसी सदस्य की तरफ से आया और उस पर बहस हुई। अब माननीय उपाध्यक्ष ने यह रिपोर्ट पेश कर दी। तो पूरी रिपोर्ट एक रेजोल्यूशन की शक्ल में हाउस के सामने है और उसके खंडों या अंशों या पैराग्राफों पर संशोधन देने का भी अधिकार होगा, या किस तरह से उस पर विचार होगा, इस पर आपकी राय जानना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—नियम ५३ में यह दिया हुआ है—

"After the report of the Privileges Committee has been placed on the table of the House, the Chairman of the Committee or any member of the Committee or any member of the House may move that the report of the Committee be taken into consideration forthwith or at some future time within which the report may be printed and copies supplied to members."

दूसरे नियम ५७ में यह दिया हुआ है—

"After any of the following motions is agreed to by the House—

(1) Motion under rule 48 that the matter be taken into consideration; or

(2) Motion under rule 53 that the report of the Privileges Committee be taken into consideration; or

(3) Motion under rule 54 that the report of the Secretary be taken into consideration; or

(4) Motion under rule 55 that the petition be taken into consideration; or

[श्री अध्यक्ष]

(5) Motion under rule 6 that the question of the breach of privilege, as contained in the report of the Committee, be taken into consideration; any member may move a substantive motion indicating the commission of a breach of privilege and also suggesting the action to be taken by the House, and any other member may, move an amendment to the said motion. After a brief discussion of the motion and the amendments, if any, the Speaker shall put the question."

तो इन नियमों में स्पष्ट है कि रिपोर्ट पहले सदन के सामने विचारार्थ आती है। अगर सदन ने यह स्वीकार किया कि अभी इस पर विचार कर लिया जाय तो उसी वक्त विचार होगा और कोई प्रस्ताव जोकि नियम ५७ के अनुसार आना चाहिये वह आयेगा। लेकिन सदन ने अगर यह विचार किया कि आज नहीं विचार करना है तो यह सदन यह भी निर्णय कर सकता है कि आज न विचार करके किसी दूसरे रोज उसके ऊपर विचार कर लिया जाय। इसलिये आज यह प्रस्ताव सदन के सामने है कि विचार किया जाय या न किया जाय। पहले इसमें अगर सदन राजी हो जाता है कि विचार किया जाय तो कोई प्रस्ताव आ सकता है इसके बारे में। (थोड़ी देर रुककर) तो किसी का कोई प्रस्ताव नहीं है?

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके अभी सूचना देने पर मैं, श्रीमन्, यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विशेषाधिकार की रिपोर्ट आज न ली जाय क्योंकि हम लोग मोशन इस वक्त नहीं दे सकेंगे कल के लिये इसे इसी समय के लिए रख दिया जाय ताकि प्रस्ताव अगर हम लाना चाहेंगे तो ला सकेंगे और उसके साथ साथ अमेंडमेंट भी दे सकेंगे और उसके ऊपर सदन विचार करेगा।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—अध्यक्ष महोदय, १३ मार्च की बैठक में आपने यह निश्चय किया था कि श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना न देने का जो कारण था, वह नियम के अनुसार प्रारम्भिक विश्लेषण के बाद सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना थी और उसी के सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल की कोई सम्मति प्रिविलेज कमेटी के सामने नहीं आ सकी है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐडवोकेट जनरल की सम्मति आने तक के लिये इस विचार को पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष—मूल प्रस्ताव यह है कि विचार किया जाय। उसके ऊपर दो संशोधन हैं। एक वीरेन्द्रशाह जी का और दूसरा श्री कृष्णशरण आर्य का। तो मैं पहले श्री कृष्णशरण आर्य जी का संशोधन लेता हूं।

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर विचार तब किया जाय जब कि ऐडवोकेट जनरल की राय इस विषय पर ले ली जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट पर आज विचार न किया जाय। बल्कि कल किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड १४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाध्याय की प्रार्थना

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न कल उठाया था और आज के लिए आपने उस पर अपना निर्णय देने को कहा था। तो वह कब लिया जायगा जरा उसकी सूचना दे दें।

श्री अध्यक्ष--वह तो कल ही लिया जायगा। आज तो उसको इसलिए टाला गया कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कल कहा था कि वह आज के दिन उपस्थित नहीं होंगे और उनके पास नोटिस भेज भी दी गयी। गृह मंत्री उस वक्त मौजूद नहीं थे। आज आ गये हैं। मैं समझता हूं कि प्रश्नों के बाद पहले ही इसको कल ले लिया जायगा। उसके बाद रिपोर्ट पर विचार होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--श्री नारायण दत्त तिवारी जी के प्रश्न के सम्बन्ध में जो कुछ निश्चय हुआ वह कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे वातावरण में हुआ कि मालूम नहीं हो सका कि क्या निश्चय हुआ। इसलिए कृपया जो निश्चय हुआ है उसकी घोषणा कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--निश्चय यह हुआ है कि बजाय आज के कल इसके ऊपर विचार किया जायगा।

मैं इसके ऊपर फिर पूरी राय ले लेता हूं क्योंकि मैंने संशोधित प्रस्ताव के ऊपर राय नहीं ली थी। मुझ से थोड़ी सी गलती हो गयी।

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर सदन कल विचार करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--आज करीब १५,२० मिनट इसके ऊपर खर्च हो चुके। इसके लिए जो २ घंटे का समय नियत था उसमें से कल १५,२० मिनट काट दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--वह तो समय बढ़ाने के लिए कह रहे थे। तो बढ़ाने और घटाने दोनों को सेट असाइड कर दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--रूल में लिखा है कि बहुत ओफ डिस्कशन के बाद मामला खत्म हो जायगा। दो घंटे जरूरत से ज्यादा होते हैं।

श्री अध्यक्ष--दो घंटे से कम हो सकता है अगर बहस बीच में खत्म कर दी जाय।

---

†संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

*४ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४
खंड १४ (क्रमागत)

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस सम्बन्ध मे अपने दोनों प्रस्तावों को रखते हुए यह निवेदन किया था कि पहले प्रस्ताव से तो मै यह चाहता हूं कि पंचायतों में कम से कम एक आधार पर पेटीशन न रखा जाय।

अध्यक्ष महोदय, शान्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य जब यहां से जायं तो धीरे से जायं तो ज्यादा अच्छा है और कृपा करके आपस में बात न करे ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--पहले संशोधन के द्वारा इस सदन से निवेदन किया था कि कम से कम प्रापर ऐक्सेप्टेंस आर रिजेक्शन आफ ए नामिनेशन पेपर के आधार पर कोई एलेक्शन पेटीशन न माना जाय और दूसरे संशोधन मे मैंने इस बात का सुझाव दिया था कि अगर यह रखना आवश्यक ही हो जाय तो ऐसी हालत में जिस दिन इस बुनियाद पर कोई नामिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाय उसके तीन दिन के अन्दर अगर नियत अधिकारी के पास कोई दरख्वास्त इस संबंध में आ जाती है तो वह एलेक्शन रोक दिया जाय और इस मामले पर निर्णय होने के बाद फिर आगे एलेक्शन कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आपस मे बाते बहुत हो रही हैं। मैं समझता हूं कि आपस में बातें नहीं करना चाहिये। अब मैं नाम ले दूंगा जो माननीय सदस्य बात करेंगे ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--पहले संशोधन के बारे में मैंने यह कहा कि यह मामला प्रदेश की ३५ हजार ग्राम पंचायतों से संबंध रखता है। अगर ३५ हजार ग्राम पंचायतों मे २०-२० मेम्बर भी मान लिये जायं और एक-एक जगह के लिये १०,१५ या २० नामजदगी के पर्चे आ जायं तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि दो-तीन लाख नामजदगी के पर्चों को देखना होगा। इसकी संभावना है कि गलत तरीके से पर्चे भरे जायेंगे, वे खारिज कर दिये जायेंगे जिससे कि बड़ी अव्यवस्था सी होगी। मेरा निवेदन यह था कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव में रिटर्निंग आफिसर स्वयं ही नामिनेशन पेपर भर देते थे और टाउन एरिया, विधान सभा और लोक सभा के चुनावों में इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि नामजदगी के पर्चे भरे जायं, लेकिन टेक्निकल ग्रांउड पर वापस कर दिये जायं उनको दुरुस्त करने के लिए उसी तरह से यहां भी यह व्यवस्था कर दी जाय कि जो लोग चुनाव कराने जायेंगे उनके पर्चे रिटर्निंग आफिसर्स भर देगें और वही सही माने जायेंगे। क्योंकि जितने उम्मीदवार टाउन एरिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, विधान सभा और लोक सभा में कुल मिला कर होंगे उनसे कई गुना ज्यादा नामजदगी के पर्चे गांव सभाओं के चुनावों मे आयेंगे ।

दूसरा संशोधन यह है कि अगर इम्प्रापर एक्सेपटेंस और रिजेक्शन के आधार पर तीन दिन के भीतर कोई शख्स पिटीशन दायर करता है तो जिस एलेक्शन से वह पिटीशन सम्बन्धित हो उसे रोक दिया जाय और उस मामले के निर्णय के बाद ही एलेक्शन कराया जाय। पता नहीं कितनी कांस्टीट्यूएंसी होंगी या इसकी संभावना है कि पूरी गांव सभा को एक ही जगह इकट्ठा करके पूरा गांव पंचायत का एक ही जगह चुनाव करा लिया जाय। अगर यह व्यवस्था की कि २५ पंच चुनने है और उनमें एक भी नामजदगी का पर्चा रद्द कर दिया गया और एलेक्शन दुबारा हुआ तो पूरी पंचायत का एलेक्शन रद्द समझा जायगा और दुबारा एलेक्शन कराना पड़ेगा। अगर छोटे-छोटे क्षेत्र बना कर गांव सभाओं का चुनाव कराया गया और तीन उम्मीदवार हैं और तीन सीट्स हैं और अगर एक का भी नामजदगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का पर्चा रद्द हो गया और इलेक्शन न रोका गया तो बाद में वह चुनाव फिर तीनों जगहों का कराना होगा। इसलिये मेरा दूसरा संशोधन भी उचित मालूम होता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं मालूम होती। मैं समझता हूं कि मेरे कल और आज के भाषणों का अर्थ माननीय मंत्री जी ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि वह मेरा पहला नहीं तो दूसरा संशोधन अवश्य मान लेंगे।

*स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन्स में की गई थी कि रिटर्निंग आफिसर्स स्वयं पर्चे को देख लें और अगर कोई गलती रह गई हो तो उसे दुरुस्त कर ले, वही ठीक इसमें भी मालूम होती है इतना कहना मुनासिब न होगा कि उस तरीके ने बहुत अच्छा नतीजा दिखाया और बहुत थोड़े पर्चे गलत तरीके से खारिज हुये या गलत तरीके से मंजूर हुये। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इस प्रदेश में म्युनिसिपल बोर्ड्स के इलेक्शन्स में जिस प्रकार से असेम्बली और पार्लियामेंट के एलेक्शन में गलत तरीके से पर्चे मंजूर होने या नामंजूर होने से जितने इलेक्शन पिटीशंस हुये और जितनी परेशानी हुई वह म्युनिसिपल बोर्ड्स के इलेक्शंस में नहीं हुई। ऐसा मेरा ख्याल है। अगर इससे काम चल जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि इस तरह की हिदायत फिर भी जानी चाहिये। मैं इतना निवेदन और कर दूं कि शायद यह भी नामुनासिब न हो कि अगर इस तरह से प्रपोजल प्रपोज करने वाले और सेकेण्ड करने वाले न हों तब भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो खड़ा होना चाहे वह खड़ा हो जाय और बाकी वोटर उसको सेकेन्ड कर दें यह हो या न हो इसमें कोई गुंजाइश प्रपोजल को सही होने की हो या न हो और उसका सेकेन्ड करने वाले भी सही हों या न हों। लेकिन यह प्रविजो इसका इसलिये किया जा रहा है कि इतना होते हुये भी ऐसा हो सकता है कि चाहे वह २–४ मामले ही हों कि किसी का सही पर्चा खारिज हो और सही खारिज हुआ और गलत मंजूर हो गया। मैं इस पर अपनी राय जाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे सामने यह समस्या है कि एक जगह पर शिड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट पर एक मुसलमान एलेक्ट हो गया। अब प्रश्न यह है कि वह आ सकता है या नहीं मुमकिन है कि ऐसे २-४ ही केसेज हों, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसके लिये ला में प्राविजन तो होना ही चाहिये। एक दफा इलेक्शन डिक्लेयर हो जाय तो उसके लिये दो ही तरीके हैं। या तो उसको एक्जिक्यूटिव अधिकार से रिमूव कर दें या उसका एलेक्शन पिटीशन के जरिये करायें। एलेक्शन में जो कुछ भी गलती हों वह पीटीशन के जरिये ही दुरुस्त हों यह सही तरीका है। अगर यह इसमें से निकाल दिया जायगा तो राम नारायण जी यह कहेंगे कि रिटर्निंग अफसर जो चाहेगा करेगा और जिसकी चाहेगा उसकी खारिज कर देगा और इसके बाद बड़ी मुसीबत हो जायगी। तो मैं यह समझता हूं कि इसमें तो उनका भी फायदा है और सबका फायदा है कि खामख्वाह रिटर्निंग अफसर नामजदगी को गलत तरीके से खारिज कर दे तो तब यह एलेक्शन पिटीशन के जरिये फैसले का प्राविजन होना चाहिये।

अगर ३ दिन की बात रखी जाय कि इस तीन दिन के अन्दर हो जाय तो तीन दिन के अन्दर मुमकिन है न हो पाये। एलेक्शन पीटिशन के बजाय बहुत झंझट बढ़ जायगा। बड़े इलेक्शन का इन्तजाम होना आसान होता है, लेकिन इसमें दिक्कत बढ़ जायगी और अगर यह प्रैक्टिकल न हुआ तो बाद में इस तरह की हिदायत दे सकते हैं और इसके लिये रूल्स में प्राविजन करने में मुझे आपत्ति नहीं है। इलेक्शन में जितनी भी सहूलियत हों, ईमानदारी और सही तरीके से फेयर एलेक्शन करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि राम नारायण जी इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही और जो आश्वासन दिया और इसके संबंध में यह मसला उनके विचाराधीन है तो मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इस बात की संभावना देखते हुये कि शायद नियमों में व्यवस्था करते समय इस बात पर वह गौर करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था जैसी हम चाहते हैं वह कर देंगे, इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कुवंर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12 c की उपधारा (2) A की पंक्ति १ में से अंक (1) हटाकर पंक्ति ३ में शब्द "gratification" के बाद रख दिया जाय और भाग (b) की पंक्ति २ में शब्द "as a reward to" अपने स्थान पर से हटाकर उसके नीचे क्लाज (२) के रूप में कायम किये जांय और 12 c (1) (b) (ii) के बाद नया उप-खंड (iii) "by wrong counting or recording of votes" शब्द रखकर बढ़ा दिया जाय। अगर मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता है तो १२—सी की उपधारा (१) में जो दिया हुआ है कि किन-किन बातों पर इलेक्शन पैटीशन दायर होगा उसमें (१) (बी) में जो (ii) है उसके नीचे मैं यह बढ़ाना चाहता हूं कि "(iii) by wrong counting or recording of votes" पिछले एलेक्शन में यह देखा गया था कि हाथ उठाकर जो चुनाव होता है उसमें अकसर कर्मचारी या तो गलती करते हैं किसी भूल में या बहुत से कर्मचारी अगर मिला लिये जाते हैं तो वह गलती जानबूझकर कर देते हैं हालांकि एक तरफ बहुमत है, ज्यादा हाथ उठे हैं, लेकिन वे जानबूझ कर उसे कम दिखा देते हैं। तो या तो वैसे ही उससे गलती हुई या जानबूझ कर उन्होंने ज्यादा को कम लिख दिया। इसके लिये कोई बात इसमें नहीं रखी गई थी कि इसकी क्या दवा है। इसके ऊपर इलेक्शन पैटीशन आ सकता है या नहीं, या उसके लिये क्या इलाज है? असलियत यह है कि इस बात पर बहुत ज्यादा असंतोष गांवों में है कि हाथ उठाकर वोट में बेईमानी होती है जिसका कोई इलाज नहीं रखा गया है। इसी वजह से बहुत से माननीय सदस्य भी हाथ उठाने के खिलाफ रहे और वे चाहते थे कि बाई बैलट इलेक्शन हो। अगर यदि बैलट से नहीं होता तो बहुत जरूरी है कि ऐसा प्रावीजन इसमें हो ताकि यह बेईमानी दूर हो सके।

दूसरा अंग मेरे संशोधन का क्लाज (२) की परिभाषा पर है।

***श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)**—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, इस संशोधन में २,३ बातें इकट्ठा की गई हैं। खंड (ए) के बाद खंड (बी) में भी संशोधन रखा गया है। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे कि खंड (ए) के सिलसिले में जो संशोधन नीचे आये हैं वे आउट आफ आर्डर हो जायेंगे, दोनों असंगत भी हैं। इस संशोधन की आखिरी जो लाइन है यानी १२—सी (१) बी (ii) के बाद नया खंड (iii) जोड़ने के बारे में है वह एक बिलकुल नया संशोधन है। श्रीमान् जी नियम १७७ के सब-क्लाज (३) (४) के अनुसार जो बाद का संशोधन ५४ ककक पर है वह आउट आफ आर्डर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—यह उचित है। आप अपने संशोधन के उसी भाग को पेश करें जो पहले हिस्से से संबंध रखता है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—श्रीमान् मेरा यह आखिरी संशोधन जो धारा १२—सी (१) (बी) (ii) से संबद्ध है उसी को मैं पेश करता हूं यानी इसके बाद नया उपखंड (iii) "by wrong counting and recording of votes" शब्द रखकर बढ़ा दिया जाय।

***श्री मोहनलाल गौतम**—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं रिकार्डिंग आफ वोट्स बैलट पेपर के जरिये से हो तब तो कहीं उसकी लिखा पढ़ी होती है तथा उसकी वेरीफिकेशन भी हो सकती है लेकिन जहां हाथ उठाकर वोटिंग होती है उसकी वेरीफिकेशन नहीं हो सकती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां नहीं तरीके पर वोट्स का काउन्टिग हुआ है, यह साबित नहीं हो सकता। मान लीजिये किसी आदमी के ७०० के खिलाफ ३ वोट्स ही आये हैं वह भी यह कह सकता है कि गलत तौर पर काउंटिंग हुआ है। इस प्रकार से पैसे वाले गरीब आदमियों को परेशान कर सकते हैं क्योंकि यह साबित ही नहीं हो सकता कि जो गिनती हुई थी वह सही हुई थी या गलत। अतः इससे मुकदमेबाजी बहुत बढ़ जायगी और उससे गरीब आदमियों को परेशानी होगी। मुझे अफसोस है कि मै इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—बहरहाल जो खराबी थी उसके लिये मैंने ध्यान आकर्षित कराया है और मैं यह जरूर चाहूंगा कि रूल्स बनाते वक्त यह ध्यान में रखा जाय और मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं —

खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12—C की उपधारा (2) (A) की पंक्ति १ में से अंक '(1)' हटा कर पंक्ति ३ में शब्द "gratification" के बाद रख दिया जाय और भाग (B) की पंक्ति २ में शब्द "as a reward to" अपने स्थान से हटाकर उसके नीचे क्लाज (2) के रूप में कायम किये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब-क्लाज (२) में एक भाग ए रखा गया है और उसके नीचे एक भाग बी रखा गया है। यह भाग जो ए है उसमें हम यह देखते हैं कि उपभाग (१) तुरन्त ही कायम किया गया है लेकिन भाग ए का उपभाग (२) कहीं पर नजर नहीं आता। इसलिये भाग ए के बाद (१) जो अंक रखा गया है वह कंस्ट्रक्शन के लिहाज से गलत रखा हुआ है। वहां पर भाग (१) के माने यह होते हैं कि उप-भाग (२) भी कोई है लेकिन चूंकि भाग ए का कोई उपभाग (२) नहीं है इसलिये यह उपभाग (१) वहां पर रखना अच्छा नहीं मालूम होता है और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से नहीं होना चाहिये। हम भाग (ए) को पढ़ते हैं—

"(1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing-"

अब इनडयूसिंग के नीचे भाग (ए) और (बी) रखे गये हैं। तो अब इनडयूसिंग ही दूसरे भाग को गवर्न करता है। or as a reward to जो भाग (बी) में है वह किससे गवर्न होगा। यह असल में बिल्कुल डिसकनेक्टेड है। यह इनडयूसिंग से गवर्न नहीं हो सकता है। असल में इसका मतलब यह था कि "ग्रेटिफिकेशन ऐज रिवार्डेड टु" यह वहां से कनेक्टेट होता है इसलिये मैंने यह रखा है। और जो शब्द हैं "एज ए रिवार्ड टु" यह अलग नीचे रख दिए जायं। इस तरह से कांस्ट्रक्शन बदल दिया जाय तो ठीक होगा। इसस यह कनेक्ट हो जायगा अनकनेक्टेड नहीं रहेगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं अध्यक्ष महोदय, श्री कुंवर कृष्ण वर्मा का ध्यान पीपिल्स रिप्रिजेन्टेशन ऐक्ट की धारा १२३ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि :

"The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act : —

(1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or his agent, or by any other person with the connivance of a candidate or his agent,

[श्री मोहन लाल गौतम]

of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing—

(a) a person to stand or not to stand as, or to with-draw from being a candidate at an election; or

(b) an elector to vote or refrain from voting at an election or as a reward to—

(i) a person for having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidature; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting."

इस तरह से हमने वहां से वैसे ही इसे रखने की कोशिश की है और जैसा वह चाहते हैं वह उससे भिन्न हो जायगा। इसलिये इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है कि वह गलत है या सही। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पीपिल्स रिप्रिजेन्टेशन ऐक्ट से इसको हूबहू रख दिया गया है ताकि आसानी रहे। इसलिये आशा है कि श्री कुंवर कृष्ण जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-c की उपधारा (2) के खंड (A) (1) के भाग (b) के उपभाग (1) की पंक्ति १ मे शब्द "from" के स्थान पर शब्द "for" रख दिया जाय तथा पंक्ति ३ में शब्द "Candidatures" के स्थान पर शब्द "Candidature" रखा जाय।

मैं समझता हूं कि "from" शब्द ठीक नहीं बैठता है अगर वहां "for" कर दिया जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—वह तो जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में है उसी के अनुसार होगा।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—"फ्राम" के स्थान पर "फार" होना चाहिये और "कैंडीडेचर्स" के स्थान पर "कैंडीडेचर" होना चाहिये क्योंकि ये दोनों ग्रेमेटिकली भी रांग हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो आप स्वयं ही कर देंगे आपको ही इसका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—क्या पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में कैंडीडेचर है?

श्री मोहनलाल गौतम—उसमें तो "कैंडीडेचर" है।

श्री अध्यक्ष—वह ठीक कर दिया जायगा। कोई बात नहीं है। उसे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12-C की उपधारा (2) के भाग (b) के प्रोवाइजो के भाग (ii) को निकाल दिया जाय।

यह भाग (ii) इस प्रकार है:

"(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested will become or be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause."

अध्यक्ष महोदय, यह सेक्शन म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या असेम्बलियों के जितने एलेक्शंस हैं उनमें कहीं भी इस प्रकार की कोई धारा नहीं है और मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यह धारा हमको हमारे समाज को बाबा आदम के जमाने की ओर ले जाती है। इस धारा को हम रख कर यह साबित कर रहे हैं कि हमारा समाज अब भी १०वीं शताब्दी में है। इस बीसवीं शताब्दी में अगर कोई महन्त गंडा दे देंगे या पंडित जी पूजापाठ कर देंगे या मौलवी साहब फतवा पढ़ देंगे तो मैं समझता हूं कि इससे एलेक्टोरेट को कोई खास बात नहीं होने जा रही है और इसे यदि रख भी दिया जाय तो उससे जो सफल कैंडीडेट होंगे उनको अलग करने के लिये एक अच्छा बहाना होगा। वह भी कहेंगे कि पंडित जी उसे श्राप दे देंगे लिहाजा वह उनके खिलाफ कोई पेटीशन न करे तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चीज रखना अधिक अच्छा नहीं लगता। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे इसे स्वीकार कर लें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह और जगह चाहे हो या न हो लेकिन यहां पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के दूसरे भाग का जो प्रोवाइजो है उसका दूसरा भाग इस प्रकार है:

"(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure."

तो जो आइडिया उसमें है वही इसमें रख दिया गया है। ऐसा विचार है और अच्छा होगा कि एलेक्शन पेटीशन्स का जो प्रोसीजर है उसको सब को एक ही लाइन्स पर रख दिया जाय और एक ही तरह की व्यवस्था हो जाय इसलिये रख दिया है। मुझे आशा है कि जोरावर सिंह जी इसे वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा-- वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-G की उपधारा (5) की पंक्ति ३ में से शब्द "Summary" निकाल दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, मूल धारा इस प्रकार से है :

"Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (4) the rules may provide for the summary hearing and disposal of an application under sub-section (1)."

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी कहा कि पेटिशन्स के सम्बन्ध में सबूत मिलना बहुत मुश्किल है और अगर समरी शब्द भी यहां पर रख दे तो क्या उससे न्याय होगा, यह सभी माननीय सदस्य समझ सकते है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पहले अंग्रेजी जमाने में जब सत्याग्रह चल रहे थे तो जेलों में ही समरी हियरिंग हुआ करती थी, बिना किसी बात को जाने हुये और बिना फैक्ट्स के। उसमे कभी तीन महीने की सजा हो जाती थी, कभी ५ महीने की सजा हो जाती थी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर समरी शब्द इसमें से निकाल दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा ताकि पेटीशन्स में लोगों को, जो बातें हों, जो फैक्ट्स हों, उनको सामने रखने का मौका मिले और उससे सच्चा न्याय हो सके। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

*स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)—इसमे जानबूझ कर समरी रक्खा गया है ताकि इसमे बहुत बड़े कानूनी दांव पेंच न हो सके बल्कि आसानी से समरी ट्रायल करके उसका फैसला कर दिया जाय। यह तो आसानी के लिहाज से ही रखा गया है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स मे जो होता है उसका बड़ा लम्बा प्रोसीजर चलता है इसलिये उसमें बड़ी दिक्कत हो जायगी। इसलिये समरी लफ्ज का होना बहुत ही जरूरी है इस वास्ते मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी इसको वापस ले लेंगे।

*श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, माननीय सभा सचिव जी ने जो बताया कि इसमें समरी शब्द इन्टेंसली रक्खा गया है और इसे निकाल देने से कुछ मामला बढ़ जायगा, मेरी समझ मे ऐसा नहीं है क्योंकि समरी हियरिंग मे न्याय नहीं होता है, यह सभी लोग जानते हैं फिर भी अगर उनका ऐसा विचार है तो मै जानता हूं कि अगर इसे वापस न लूं तो यह पास होगा ही नहीं। इसलिये मेरे लिये यही अच्छा है कि मैं इसको वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-G की अन्तिम पंक्ति मे शब्द 'State' के बाद 'fullstop' लगा दिया जाय और उसके बाद के शब्द "or in any specified area thereof" निकाल दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, उसी के साथ साथ मेरा यह दूसरा संशोधन है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो साथ-साथ पेश कर दूं—

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, यह 12-G इस प्रकार है—

"12-G. Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B, sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Presidents of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including panches of Nyaya Panchayats in the whole state or in any specified area thereof".

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा संशोधन यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-G के अन्त से 'full stop' हटा कर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"in extraordinary circumstances only."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि इसमें स्टेट जो शब्द है उसके बाद फुलस्टाप लगा दिया जाय और "in any case specified area there of" निकाल दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कोई भी जो ला हो वह पूरे प्रान्त, पूरे सूबे के लिये एक सां हो। लेकिन इस ऐक्ट से जो व्यवस्था रखी जा रही है कि किसी भी एरिया, किसी जगह पर जब सरकार की इच्छा हो तो उस एरिया की पंचायतों को डिज़ाल्व कर दिया जाय। मालूम पड़ता है कि कुछ सरकार को इसमें पता नहीं क्या गुंजाइश है। इस सम्बन्ध में जो यह क्लाज है वह बड़ा असंगत सा लगता है क्योंकि किसी एरिया का क्या मतलब है। कहीं कोई पार्टी हार गई या किसी विशेष व्यक्ति जो प्रभावशाली हो उसका असर हो गया तब उस एरिया का इलेक्शन कैन्सिल कर दिया जाय तो उसका असर दूसरी जगह पर पड़ेगा। तो मेरा दूसरा संशोधन इसकी जगह पर यह है कि अगर माननीय मंत्री जी को संशोधन रखना ही है तो "or in any specified area there of" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "in extraorninary circumstances only." जोड़ दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, प्रान्त में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाये कि पंचायतों को डिज़ाल्व करने की आवश्यकता हो तो ऐसी परिस्थिति में तो यह कहा जा सकता है कि पंचायतें डिज़ाल्व कर देना किसी हद तक ठीक है, लेकिन बिना किसी स्पेशल परिस्थिति के जब जी चाहे सरकार का तब पंचायतों को डिज़ाल्व कर दिया जाय, यह मैं समझता हूं राज्य के लिये उचित नहीं जंचता। इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे दो संशोधन हैं अगर वे उनको उचित समझें तो इनको मान लें, इससे यह क्लाज सार्थक हो जाता है।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दो संशोधन माननीय जोरावर वर्मा ने पेश किये हैं उनमें एक तो यह है कि or in any specified area there of निकाल दिया जाय। इसका अर्थ यह होगा कि पूरे स्टेट में अगर ६५ हजार गांव सभायें हैं तो उसमें से एक भी कम न हों और अगर एक भी कम हो तो वह इस कानून के खिलाफ हो जायगा। यह इसमें इसलिये रखा गया है कि अगर किसी जिले में परिस्थिति ऐसी हो, जैसे पहाड़ के जिलों की अवस्था अलग है, अगर वहां न रखना चाहें तो ऐसा कर सकें। इसलिये इस दृष्टिकोण से कानून बनाने में इस तरह की कंटिजेन्सी को बग़ैर देखे हुये कानून अधूरा रह जायगा।

उनका जो दूसरा संशोधन है कि "in extraordinary circumstances only." जोड़ दिया जाय, मैं समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट अगर जनरल इलेक्शन्स आर्डर करती है और कहती है कि जो मियाद थी ५ साल की उससे पहले दोबारा इलेक्शन हों तो एक्सट्राआर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज तो होने ही चाहिये। अब एक्सट्राआर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज रख देने से इसकी कोई डेफिनीशन तो है नहीं इसलिये उसकी जज भी गवर्नमेंट ही होगी कि एक्सट्राआर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज हैं या नहीं। इसलिये इसके रखने का कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं। लिहाजा यह दोनों संशोधन मुझे स्वीकार नहीं हैं लेकिन जहां तक उनकी स्पिरिट का ताल्लुक है उससे मुझे कोई खास मतभेद नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आज़मगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दोनों संशोधन माननीय जोरावर वर्मा ने उपस्थित किये हैं उनका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अब तक की चुनाव की पद्धति जो हमारे प्रदेश ही में नहीं सारे भारतवर्ष में और दुनिया में है वह यही है कि किसी भी पंचायत का, किसी भी संगठन का चुनाव इतने दिनों पर हो। लेकिन अफसोस है कि पिछले पंचायत राज ऐक्ट में इस तरह की धारा रहते हुये भी कि चार साल के बाद, तीन साल के बाद पंचायतों का चुनाव होग वह धारा निकाल कर और निकाल कर ही नहीं बल्कि संशोधन करके ऐसी धारा रखी जा रही है, जिससे मैं समझता हूं कि जनता की भावना का समर्थन नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि सरकार के दिल में जब अस्थिरता आती है, उसके पैर के नीचे से ज़मीन निकलने लगती है तभी इस तरह की बातें सोचने के लिये वह उतारू हो जाया करती है और यह धारा ही यह साबित करती है कि सरकार का दिल इस तरह का है कि वह तैयार नहीं है एक साल, दो साल, पांच साल या जितना समय सरकार निर्धारित करे उसमें गांव पंचायत के पंच, सरपंच और सदस्य स्थिर होकर अपने गांव के बारे में कुछ निर्माण कार्य ऊंचा या नीचा, जो भी करना चाहते हों . . . . . .

श्री मोहन लाल गौतम—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को यह अंदाज नहीं है कि इस वक्त टाइप आफ पंचायत का डिस्कशन या कितने दिनों तक पंचायतों को बढ़ाते चले जायं, यह सवाल पेश नहीं है। जो अमेंडमेंट है उसी पर यदि माननीय सदस्य बोलें तो ठीक है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि जब चाहे तब सरकार चुनाव करा सकती है, इसके माने यह हो जाते हैं कि सरकार की मनोवृत्ति जिस पंचायत या जिले के लिये यह होगी कि सारी पंचायतें या कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो ठीक काम नहीं करती हैं तो उनका चुनाव हो सकता है। मैं समझता हूं कि यही मतलब माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन का था और यही हमारे कहने का मतलब है।

श्री मोहन लाल गौतम—उनका संशोधन यह नहीं है, जो आप कह रहे हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो मैं कह रहा था वह ठीक है और सरकार को इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिये कि जब चाहे तब चुनाव करायें। इस धारा के संशोधन के माने यह हो जायेंगे कि कोई भी पंचायत या सरपंच अपनी जनता की निगाह में अगर ईमानदारी से काम करता होगा तब भी उसका कार्यकाल खतरे में ही रहेगा। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के विपरीत बात है और सरकार के दिल में यह भावना भी लोकतंत्र के खिलाफ इसलिये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार चुनाव कराया करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक इस सदन में इस पंचायत राज विधेयक के संबंध में जो भाषण हुये हैं और संशोधित विधेयक स्वीकार किया जा रहा है उसके देखने से पता चलता है कि सरकार ऐसे लोगों के इशारे पर काम करेगी जो पंचायत राज के सिद्धांत के विपरीत होंगे और मैं समझता हूं कि आगे चलकर ऐसे लोग जो पंचायतों में किसी तरह से आजायेंगे और ईमानदार होंगे इस प्रकार के बार-बार के चुनाव के कारण परेशान होंगे और पंचायतों के महत्वपूर्ण काम में शामिल नहीं हो सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस धारा को जो माननीय मंत्री जी ने रखी है, निकाल दिया जाय और एक निश्चित समय निश्चित कर दिया जाय कि इतने दिनों के बाद चुनाव होगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री जोरावर वर्मा के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह इसलिये रखा गया है कि हमारे प्रांत में जैसे पहाड़ी देश हैं या पंचायत जहां पहले बन गई हैं उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिजाल्व करने के लिये इस क्लाज का रखना आवश्यक है। इसलिये मैंने दूसरे क्लाज को रखा था "in extraordinary circumstances" मैं समझता हूं कि वह पहाड़ी परिस्थिति है, अगर जाड़ों मे चुनाव हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इस क्लाज की पूर्ति हो सकती है और अगर ऐसा नहीं है और जब सरकार चाहे और जब मंत्री जी की इच्छा हो तब गांव पंचायत डिजल्व कर दी जाय। मैं समझता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट और डेमोक्रेसी का यह एक बहुत बड़ा मजाक होगा और उसके कोई अर्थ नहीं रह जायेंगे। आखिर इसकी रचना क्यों की जा रही है, पंचायतें क्यों बनाई जा रही हैं या फिर डेमोक्रेसी क्या है। मैं समझता हूं कि जैसे नवाबी चाल-ढाल या राजा की इच्छा है, जब चाहा तब हुक्म जारी कर दिया इस प्रकार की प्रवृत्ति इस क्लाज में प्रगट होती है, जो डैमोक्रेसी और पंचायत राज के विरुद्ध पड़ती है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह इस क्लाज को स्वीकार कर लें तो अच्छा होगा।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुराने नवाब और राजाओं की तरह निरंकुश होता अगर यह माननीय सदन मेरे ऊपर अंकुश न रख पाता। लेकिन चूंकि सदन का बहुत कुछ अंकुश है और उसी के मातहत मुझे काम करना होता है और इस सदन को अधिकार है कि जब तक चाहे मुझे रहने दे और जब चाहे न रहने दे, इसलिये मेरे पास इतना अधिकार नहीं है जितना कि जोरावर वर्मा जी ने मुझे देने की कोशिश की है। और जितने अधिकार मुझे मिले हैं वह एक तरह से सदन के अधिकार हैं, क्योंकि मेरे कामों पर सदन को छानबीन करने का पूरा अधिकार है। इसलिये उस निरंकुशता को न समझ कर और मेरे अधिकारों को सदन के समझ कर और यह समझ कर कि इस सदन को कानून बदलने का भी अधिकार है, इस चीज पर गौर होना चाहिये। तो यह संशोधन इस प्रकार का है कि जब सारी स्टेट में चुनाव करने हैं, अगर सब में न करना चाहे तो इसका अधिकार वह नहीं देना चाहते। दूसरे माननीय सदस्य तो किसी और ही चीज पर बोल गये। वह नहीं समझे कि माननीय जोरावर वर्मा क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि सरकार जब चाहे चुनाव कर दे, लेकिन अगर उसके किसी हिस्से में कराना चाहे तो नहीं कर सकते। वह मुझे पूरा अधिकार देना चाहते हैं चुनाव करने का, लेकिन अगर किसी एक दो जगह को छोड़ कर चुनाव कराना चाहूं तो यह अधिकार मुझे देने के लिये तैयार नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--क्या आप संशोधन को वापस लेना चाहते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--जी हां, वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लाज 12-G है, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश कर रहा हूं कि इसे निकाल दिया जाय।

इसको कई बार पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर यह संशोधन आया क्यों? इस क्लाज के द्वारा हमारी राज्य सरकार यह अधिकार चाहती है कि प्रधानों, उपप्रधानों, ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के चुनाव जब चाहें करा सकें। चुनाव तो आखिर होगा ही, ऐसी व्यवस्था है और उनका कार्य-काल भी निश्चित कर दिया गया है। लेकिन इस बात को समझने में जरा दिक्कत महसूस होती है कि जब भी चाहे फिर से चुनाव सरकार करा सकती है। ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के जो पेनल में होंगे उनका चुनाव गांव सभायें करेंगी, फिर कुछ ऐसे प्राविजंस हमारे इस विधेयक में रखे गये हैं कि जब भी चाहें, जब भी अविश्वास हो तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों को, न्याय पंचायतों के मेम्बरों को, प्रधानों और उपप्रधानों को निकाला जा सकता है। शायद मैं गलत कह गया। न्याय पंचायतों के बारे में तो प्राविजन नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

मै चाहता तो यह था कि मै इसे स्वीकार कर सकता। गांव पंचायतों और न्याय पंचायतो के सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों को ग्राम सभायें ही रखती है, जिन्होंने गांव पंचायतो का निर्माण किया है, न्याय पंचायतों के लिये चुनाव किये हैं। उनके निकालने का अधिकार ग्राम सभाओं को ही होना चाहिये। यदि वे अविश्वास के काबिल होती हैं, उनका विश्वासपात्र नहीं रह जाता है तो गांव सभा को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह अपनी व्यवस्था स्वयं कर सके और उनको हटा सके। ऐसे प्राविजंस रखे जायं उनके रिमूवल के, उनके पुनः चुनाव के, तब तो एक चीज समझ मे आती है कि जो ग्राम पंचायतें हैं और जिस ग्राम राज्य की बात को लेकर यह विधेयक माननीय सदन ने पास किया है और जो शक्ति ग्राम भाइयों को दी है, उन्ही मे वह शक्ति भी रखते कि जब भी न्याय पंचायत उनका विश्वास खो देती तो वह उसको हटा सकते। राज्य सरकार आखिर किस कारण से इस अधिकार को लेना चाहती है, यह हो सकता था कि जब चाहे ग्रामीण लोग या गांव सभाये उनको निकाल दे, ऐसी व्यवस्था उसमे रखी जाती या प्रेस्काइब्ड एथारिटी को ही ऐसी शक्ति दी जाती कि वह किन्ही कारणोवश अगर चाहे तो उनको रिमूव कर सकती तो वह भी चीज मानी जा सकती थी कि इनमे यह ऐब है, इसलिये उनको प्रेस्काइब्ड अथारिटी हटा देती है। लेकिन आमतौर से एक ऐसी जनरल शक्ति लेने का यह क्लाज कुछ समझ मे नही आता कि इसकी उपयोगिता क्या है। मै तो पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आखिर कौन सी कल्पना है इसके बारे मे, इस पर वह प्रकाश डाले। इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले।

न्याय पंचायतों के पंचों के बारे मे रिमूवल का जो मूल अधिनियम मे क्लाज था वह हटाया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव है। मेरी समझ मे नहीं आया कि आखिर रिमूवल तो होना ही चाहिये, अगर कोई पंच ठीक काम नहीं करता है तो उसको हटाने का अधिकार देना ही चाहिये, चाहे वह प्रेस्काइब्ड एथारिटी हो या गांव सभा हो जिन्होंने भी उनको चुना हो मूल रूप मे तो उन्हीं को उसका अधिकार होना चाहिये। मगर उनके अधिकार की बात नहीं आती नहीं। उनके अधिकार की बात होती और प्रेस्काइब्ड एथारिटी द्वारा भी उनके लिये प्राविजन होता तो मुझे कोई ऐसी आपत्ति न होती। वह प्राविजन तो मुझे दिखाई नहीं दिया और यह प्राविजन सामने आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब हटा सकती है आखिर वह कौन सी काल्पनिक एक्स्ट्राआर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज है या हो सकती है, यह कुछ मेरी समझ मे नहीं आता और यदि ऐसी कोई सर्कम्स्टांसेज आती भी है जिसकी कि आज कल्पना नहीं की जा सकती तो आखिर यह माननीय सदन है, इसके सामने वह चीज लायी जा सकती है। हर राज्य ऐसे मौके पर कोई न कोई विधेयक लाकर उनका सामना करता है। मै समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है और ऐसे रिमूवल आदि के लिये गांव सभाओं को सारी शक्ति देने वाले क्लाज आखिर इस विधेयक मे क्यों नहीं रखे गये है जिसके द्वारा गांव सभाओं को पूरा अधिकार प्राप्त होता कि जिसको उन्होंने चुना है, अगर वह काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो उनको वह हटा दें अथवा प्रेस्काइब्ड एथारिटी ही कुछ कारणों को देखते हुये गम्भीर आरोपों पर उनको निकाल सके। ऐसी चीजें इसमें नहीं हैं। गांव पंचायतों के लिये प्रधान और उप प्रधान के लिये और आखिर गांव सभाएं ही ग्राम पंचायत को भी बनायेंगी, उनके मेम्बरों को चुनेंगी और न्याय पंचायत के लोगों को भी चुनेंगी आंशिक रूप में लेकिन उनको इन्हें हटाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। यह बात कुछ समझ में नहीं आती। फिर ग्राम पंचायतें ही तो गांव सभाओं का काम करेंगी, उनके प्रधान को हटाने का जब अधिकार आपने उनको दे दिया है तो फिर इस व्यवस्था को अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं। मुझे इसकी उपयोगिता नहीं समझ मे आती है। इसलिये मै माननीय स्वशासन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—जो संशोधन माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, हम उपाध्यक्ष महोदय यह नहीं समझ पाये कि ज-चाहे प्रान्तीय सरकार पंचायतों का. किसी विधान मे नहीं लिखा हुआ हैं कि असेम्बलियों का भी चुनाव जब सरकार चाहे तो करवा दे। मैंने भी विधान पढ़ रखा है। एक साल का एक्सटेंशन हो सकता है जब कि कोई लड़ाई हो और डिफेंस के लिये ऐसा करना जरूरी हो। असेम्बली का चुनाव उन दिनों न हो सकता हो तो उस वक्त एक साल की मियाद बढ़ सकती हैं। यह तो मान सकता हूं। लेकिन जब चाहे, अभी चुनाव हुआ उनके आदमी नहीं छांटे गये और कह दिया कि फलां जगह फिर चुनाव होगा। यह ऐसा अधिकार क्यों लिया जा रहा है मेरी समझ मे नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र मे विश्वास रखने वाली कोई भी पार्टी इस तरह का विचार ही नहीं कर सकती है। एक तरफ तो जब हमने कहा कि तीन साल के लिये आप बुलाइये, आगे उनका टर्म नहीं बढ़ाना चाहिये, उस वक्त माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीन साल बहुत कम होते हैं। एक साल उसके जमने मे लगता है, एक साल नये चुनाव की तैयारी मे लगता हैं। एक ही साल बचता है काम करने के लिये। आज प्रान्तीय सरकार अपने हाथ में यह अधिकार लेना चाहती है कि अगर उनकी मर्जी के मुताबिक चुनाव नहीं हुआ है तो दोबारा चुनाव करवा सकते हैं। इसमे साफ लिखा है :—

"Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B, sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Pradhans of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including Panches of Nyaya Panchayats in the whole State or in any specified area thereof."

हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते थे कि वह हमको बतलाते कि इसका कारण क्या है। वह दो चार मिसालें ही हम को दिखला देते तो हमे तसल्ली हो जाती। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को पहले बोलना पड़ता है और माननीय मंत्री जी बाद को बोलते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे और भी साथी बोलने वाले हैं, इसके पहले कि वह बोलें माननीय मंत्री जी कारण स्पष्ट कर दें। नहीं तो फिर यही पूछेंगे कि आखिर यह जो प्राविजन रखा जा रहा है यह क्यों रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक माननीय मंत्री जी कारणों को नहीं बतलाते उस समय तक इतना बड़ा अधिकार कि पंचों का नये सिरे से चुनाव करवा दे, न्याय पंचायत का नये सिरे से चुनाव करवा दें, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा अधिकार देना ठीक नहीं है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं कि इसे निकाल दिया जाय।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के माननीय सदस्यों की स्पीचेज सुनीं। उन्होंने यह पूछा कि सरकार ने इसको क्यों रखा है। मैं उनको बतलाता हूं कि सरकार ने इसको क्यों रखा। सरकार ने इसलिये रखा है कि किसी गांव पंचायत में तेजप्रताप सिंह जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता, मैं उनको समझा रहा हूं जिन हिस्सों में करप्शन है, बदद्यानती है, नाना प्रकार की शिकायतें आती हैं, इसके लिये सरकार अपने हाथ में अंकुश रखती है, प्रेस्काइब्ड अथारिटी के हाथ में पूरी शक्ति नहीं देती कि वह जो चाहे करे। गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथ में ब्रेक रखा है। अगर किसी गांव में झगड़ा फिसाद हो, दस आदमी एक तरफ हो जायं और पचास आदमी दूसरी तरफ हो जायं इसलिये हमने गांव समाज को वह अधिकार नहीं दिया है बल्कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है। प्रेस्काइब्ड आथारिटी को भी इसीलिये नहीं रखा है। नाना प्रकार की शिकायतें आती हैं। रिश्वत का खुला बाजार है। इस बिल के दौरान में माननीय सदस्यों ने कहा उधर से कि जब प्रेस्काइब्ड अथारिटी नामिनेट करेगी तो बड़ी रिश्वतें होंगी। तो रिश्वत चलेगी। इन तमाम ऐबों को बचाने के लिये सरकार ने अपने हाथ में यह ताकत रक्खी है और पंचायतों के हाथ में उसको नहीं छोड़ा। यह चीज बहुत सुन्दर है और मैं समझता हूं कि माननीय मदन मोहन उपाध्याय मेरी बातों को समझ गये होंगे और उम्मीद है कि अब श्री तेज प्रताप सिंह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तेज प्रताप सिंह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान माननीय मंत्री बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनका सम्बन्ध लोकल बाडीज से बहुत दिनों से है। मैं समझता हूं कि इस वक्त केबिनेट मे वही एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको इस विषय में सबसे अधिक ज्ञान हो सकता है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन श्रीमन्, मुझे आश्चर्य तो तब होता जब माननीय शिवनारायण जी आगे अग्रसर हुए उनका फर्ज पूरा करने के लिये, इसी तरफ आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि उस तरफ भी आश्चर्य होता है। अगर वह कोई उन्नतिशील पद पर जाना चाहते हैं तब तो दूसरी बात है परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा मैं ध्यानपूर्वक सुनता रहा और आशा करता था कि इससे कुछ निकलेगा, लेकिन सारांश कुछ भी नहीं निकला और एक निस्सार सी बात रही और अंधकार ही बढ़ा।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मैं यह आशा करता हूं कि ऐसे अधिकार सरकार क्यों अपने हाथों में रखना चाहती है। जैसा कि माननीय शिवनारायण जी ने कहा यह अधिक उत्तम होता कि वह अपने आप पर ही अंकुश रखते और सरकार के लिये प्रयत्न न करते। श्रीमान्, विधान सभा में ही नहीं, हर जगह, संविधान में भी प्रेसीडेंट और गवर्नर को बहुत से अधिकार दिये जाते हैं, लेकिन हर देश में ऐसी चीजों का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई एमरजेंसी हो या कोई नेशनल डिजास्टर फोरसी किया जाता हो। श्रीमान्, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मैं यह समझ रहा हूं कि संभवतः वह कभी इसका प्रयोग भी न करे और प्रयोग करने की नौबत भी आये तो वह भी कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह पढ़ना चाहता हूं—

"Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of (President or Vice-President) Pradhan or Up-Pradhan, then that Office shall also be filled as far as may be in the manner laid down in and under section 11-A or section 11-B as the case may be."

मैं यह समझता हूं कि "इन दी होल स्टेट" की नौबत नहीं आयेगी और अगर माननीय मंत्री जी ने इसको न रक्खा होता तो इस पक्ष से इतना विरोध न होता। जहां तक "एनी टाइम" का सम्बन्ध है इसमें भी आपत्ति पैदा होती है। एट एनी टाइम के रखने से तो हर तीसरे महीने गांव पंचायतें बदलती रहेंगी और वह हालत हो जायगी जैसे बहुत सी रियासतों में मैनेजर हर तीसरे महीने बदल दिये जाते थे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इसमें कुछ संशोधन कर देंगे।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी इन्तजार में था कि माननीय स्वशासन मंत्री माननीय तेज प्रताप सिंह जी के उत्तर में कुछ कहेंगे और फिर उनके उत्तर को मैं समझने की कोशिश करता, लेकिन माननीय तेज प्रताप सिंह जी और मदन मोहन जी उपाध्याय के निवेदन के बाद माननीय स्वशासन मंत्री ने कुछ कहने की मेहरबानी नहीं की और न उस तरफ के माननीय सदस्यों ने ही कुछ इस पर रोशनी डालने की कोशिश की। अगर माननीय शिवनारायण जी ने कुछ कहा तो वह ऐसा कहा कि जिसको बहुत ऊंचे लोग ही समझ सकते हैं। मेरी समझ में वह बात नहीं आयी। इसलिये मैं उनसे माफी चाहूंगा। मैं सरकार की इस तरह की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास होने का विरोधी हूं और मैं समझता हूं कि इस विधेयक में सरकार ने कुछ जगह पर ऐसी पावर ले रखी है कि उसके उतने से ज्यादा काम चाहिये। और अगर सरकार को खबर नहीं है तो फिर इस बेखबरी का नतीजा क्या होगा दुनिया में जो बेखबर होते हैं उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं होता है। यों तो मैं इस वक्त हजार कहूं लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी भी इस विधेयक से पूरी तरह से इत्तफाक नहीं करते हैं। फिर भी सरकार चाहती है कि यह विधेयक पास हो जाय क्योंकि इस विधेयक के पास करने से सरकार अपने को मजबूत होने की उम्मीद करती है। जो माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने कहा और माननीय मदन मोहन जी ने कहा उसका कोई उत्तर न देकर केवल यह कह देना कि इस तरह की कानूनी आवश्यकता है यह कुछ तर्कसंगत बात नहीं मालूम होती है।

मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्यों की सेवा में यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में कई जगह उन्होंने इस तरह के अधिकार लिये हैं कि जिनको पाने के बाद उनको सबर करना चाहिये। पहली बात तो यह है कि जो न्याय पचायत बनेगी उसके बारे में हम फैसला कर चुके हैं कि वह न्याय पचायत चुनी हुई नहीं होगी। वहां पर गाव सभा के जरिये से गाव पचायतों का चुनाव किया जायगा जिसमें से पाच आदमी न्याय पचायत में जायेंगे। इस उसूल को हम मान चुके हैं कि उसमें से पाच आदमी की नामजदगी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा होगी जो न्याय पचायत बना दी जायगी। तो हम उनको चुना हुआ नहीं कह सकते। वह नामजद है। तो गाव पचायत का एक अंग जो बड़ा महत्वपूर्ण अंग है वह अंग चुना हुआ नहीं होगा। यह निश्चित हो चुका है। इस विधेयक के जरिये से हम इस बात को पास कर चुके हैं। अब दूसरी तरह हम गाव सभा की तरफ देखें। गाव सभा के निर्माण का अंग हम दो दिन पहले इस विधेयक में पास कर चुके हैं। खंड १३ (८) को अगर देखा जाय जिस पर काफी बहस हुयी उसको देखने के बाद यह मालूम होगा कि उसमें भी एक बड़ी पावर सरकार ले रही है। खंड १३ (८) में यह लिखा हुआ है कि –

"(8) Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members as prescribed under sub-section (2) it shall be called upon to elect the remaining number of members but if it again fails to elect the number of remaining members it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and the persons so nominated shall be deemed to have been duly elected."

नामिनेट किये जायगे और वह ड्यूली एलेक्टेड समझे जायगे और मैं तो इनकी कल्पना नही करता था कि कोई गाव भी पूरी सभा नही बनायेगा। लेकिन माननीय स्वशासन मंत्री और कुछ दूसरे सदस्यो ने यहा पर कुछ कहा जिससे स्पष्ट हो गया कि उनकी कल्पना यह भी है कि सूबे मे कुछ ऐसे गाव भी हो सकते है जहा कि पूरा का पूरा गाव पचायत बनाने के लिये तैयार नही होगा तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बना देगी। अब माननीय स्वशासन मंत्री जी के कहने के अनुसार अभी केवल ४-५ गाव सभाये ऐसी मिली है। परन्तु इस विधेयक के पास होने के बाद सैकडो ऐसे गाव निकल सकते है। फिर १४ के उपखंड १२ (H) मे रिक्त स्थानो की पूर्ति की व्यवस्था है और उसमें भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को ही अधिकार है। प्रधान और उप-प्रधान के चुनाव मे तो ११-ए और ११-बी के मुताबिक काम होगा।

श्री [illegible]—मैं माननीय गेंदा सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने रिड्राफ्ट करने की कोशिश की है और आगे अमेंडमेंट आया है अगर कुछ कहना है तो अपना संशोधन दे दें।

श्री गेंदा सिंह—मुझे बड़ी खुशी है कि उस पर कुछ विचार होगा। फिर अगर इस ५० खंड को देखें तो वहां भी कैजुअल वैकेंसी के लिये इसी प्रकार की गुंजाइश है कि उसे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ही करे। मेरे कहने की मंशा माननीय मंत्री जी की सेवा में यह है कि लगभग हर जगह नहीं तो बहुत अधिक जगह ऐसी पावर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के लिये उस विधेयक में सुरक्षित रखी गयी है।

फिर जो चुनावों में गड़बड़ियां होंगी उनका भी फैसला करने का सारा अख्तियार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को ही है। इसमें यह विचार कर दिया गया है कि कोई चुनाव का मामला, खंड १४ के १२-आई के अनुसार दीवानी अदालत में जाय। फिर इतने अधिक अधिकार लेने के बाद माननीय स्वशासन मंत्री जी से मैं सब्र करने की दरख्वास्त करता हूं और जैसा मैंने पहले ही कहा, यह मैं जानता हूं कि वह इस विधेयक के बहुत से भागों से पूर्णतया सहमत नहीं हैं लेकिन चूंकि सरकार ऐसा चाहती है तो वह भी कर रहे हैं। तो मैं तो यहां तक कहने के लिये मजबूर हूं कि चारों तरफ से जितने भी अधिकार सरकार ले सकती है, उसके लेने में उसने कोई कोताही नहीं की। सरकार ने इस विधेयक को बनाते समय इस बात की पूरी कोशिश रखी है कि कोई अधिकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से बच न जावे। जहां देखता हूं वहीं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सब कुछ कर सकती है, और दीवानी अदालत में भी उनका फैसला क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में रखी गई है। मैं समझता हूं कि यह जनता के हित में बात नहीं है। मैं इस विधेयक के बनानेवालों के दिमाग की तारीफ़ जरूर करता हूं कि उन्होंने आम जनता से अधिकारों को खूब छीना और कम से कम हमारे सामने ऐसा विधेयक आज तक नहीं आया इस एसेम्बली की सदस्यता के जीवन में, इसके कहने में कोई संकोच नहीं जिसमें इतनी मजबूती के साथ सरकारी अधिकारियों को लादने की चेष्टा की गयी हो। मैं इस समय सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके यह जो खंड है उसे माननीय मंत्री जी पास न करायें और उनको जो अख्तियारात और जगहों पर मिले हैं उन्हीं को काफी समझें। इसमें तो यह भी है, जैसा कि और माननीय सदस्यों ने निवेदन किया, सरकार जिस वक्त चाहे उस उक्त प्रदेश में जनरल एलेक्शन करा दे। सरकार किसी समय अगर ऐसा समझती है कि गांव पंचायत के जनरल इलेक्शन्श होने चाहिये और ऐसी परिस्थिति किसी समय अगर सामने आती है तो सरकार मौजूद है यह विधान सभा मौजूद है, ये दोनों रहेंगे और उनको रहना है, मैं समझता हूं और माननीय स्वशासन मंत्री जी की जिन्दगी में विश्वास करता हूं कि वे भी जिन्दा रहेंगे और मैं भी यहां मौजूद हूंगा, हम सब भी यहां होंगे, अगर उस समय आप इस दफा को लेकर आयेंगे तो उस स्थिति का ज्ञान हमको भी होगा। आज उस समय कहेंगे कि हमारे प्रदेश में पंचायतों का चुनाव करा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उस समय ज्यादा बहस की जरूरत न होगी। और जिस तरह माननीय मंत्री जी हम से यह पास करा लेते हैं कि ३ बरस के चुनाव के बाद ६ वर्ष बाद पंचायतों का चुनाव होगा उसी तरह से यह विधान सभा फिर भी कर सकती है। जैसा कि माननीय मंत्री जी इस समय कह रहे हैं उस वक्त ऐसा ही कह कर चुनाव करा सकते हैं। माननीय स्वशासन मंत्री की नाराजगी की बात रहती तो समझ में आ सकता था, वैसे उनकी नाराजगी से भी कुछ बन बिगड़ सकता है लेकिन मैं इतना ही समझता हूं कि वे पूरी तरह से अपने मतको चलाने में असमर्थ

है क्योंकि उनका अपना मत तो १३ आदमियों की कमेटी में व्यक्त हो गया था लेकिन बाद में जो ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी बनी थी उसका उल्टा उनके ऊपर लादा जा रहा है और वे उस बोझे को ढोने के लिये मजबूर हैं। न ढोयें तो जायें कहां। माननीय स्वशासन मंत्री जी चाहते हैं या नहीं उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, यह बड़ी बेइन्साफी की बात हो रही है।

माननीय स्वशासन मंत्री जी के ऊपर यह बोझा लादा जायगा और पापग्रहों की प्रेरणा से लादा जायगा। कुछ शुभ ग्रहों की ओर से लादा जाता तो हमें हर्ष होता और उसके नतीजे भी शुभ होते लेकिन पापग्रह उनपर यह बोझा लादते हैं और वे उसके लिये मजबूर हो जायेंगे। मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता हूं कि पंचायतों में पार्टीबन्दी होगी और उसमें कांग्रेस का बहुमत हो जायगा। बल्कि मैं इच्छा रखता हूं कि सच्ची कांग्रेस का बहुमत हो जाय तो उसमें देश का कल्याण हो जायगा लेकिन वह कांग्रेस है कहां? कांग्रेस की सरकार है और वह उन पापग्रहों की है जो कलेक्टर के नाम से मशहूर हैं। जो जनरल इलेक्शन होगा वह इन पापग्रहों के इशारे पर होगा और वह इशारा अच्छा नहीं है। मैं बहुत ही आग्रहपूर्वक और जितनी भी हमारे अन्दर ताकत और बुद्धि है उन सब को खर्च करके कह देना चाहता हूं कि कम से कम इस खंड का पास कराने की तकलीफ माननीय स्वशासन मंत्री जी न उठायें। कैबिनेट को भी मनायें कहीं-कहीं तो अपनी राय को प्रिवेल करें उनके ऊपर भी। सब की राय उनके ऊपर प्रिवेल हो जाती है और यह देख कर उनके ऊपर हमें बड़ी दया आती है। पुरानी याद आती है कि हमारे आगे चलने वालों की यह दुर्गति हो रही है कि अपनी राय मना ही नहीं पाते। एक भी राय उनकी नहीं मानी जाती है। मैं कहता हूं कि एक राय भी तो हमारे आगे चलने वाले की मान ली जाय। यह बड़ा भारी अप्रजातांत्रिक है। और राज्यों के भी पंचायत कानून मैंने पढ़ा है लेकिन जहां तक मैंने इस किताब को पढ़ा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरे सूबे के मुकाबिले में इस तरह का कोई सेक्शन मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा या बम्बई में नहीं बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमको कहीं भी नहीं मिला कि किसी राज्य में इस तरह का कोई कानून बनाया गया है।

न्याय पंचायतों के बारे में भी मैं क्या कहूं, उसकी चर्चा छोड़ देता हूं क्योंकि उसकी चर्चा यहां बहुत हो चुकी है। तो जब और कहीं इस तरह का कानून नहीं बनाया गया है तो फिर सिर्फ यू० पी० में ही इस तरह का कानून क्यों बनावें? उत्तर प्रदेश अपने को प्रगतिशील कहता है तो अगर उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का प्रतिगामी कानून बना और वह भी माननीय स्वशासन मंत्री जी के मंत्रित्व में बना तो मुझे कष्ट होगा और जो हमारे साथ बैठे हुये हैं उन सभी को कष्ट होगा और मैं अपने दिल की बात कहता हूं कि अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी अपने मित्रों को नहीं मना पाये तब यह पास तो हो ही जायगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी को अपने मित्रों को मनाना चाहिये। अगर सारे सूबे भर में जनरल एलेक्शन हो तो इसका उत्तर माननीय मंत्री जी यही देंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि भाई शायद इसकी जरूरत भी न पड़े, क्यों घबड़ाते हो? अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं कहता हूं कि काहे को वक्त खराब किया जाय, फिर जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त विचार कर लिया जायगा और मेरा विश्वास है कि उस समय भी माननीय स्वशासन मंत्री जी और हम लोग विचार करने की हैसियत में होंगे कि इस सूबे का भला बुरा सोच सकें। मैं इतना ही कह कर दरख्वास्त करता हूं कि माननीय सदन और माननीय मंत्री जी से कि वे कम से कम इस खंड को न पास करायें।

*श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने जैसा पहले कहा था कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

यह धारा बड़ी कम्पलीकेटेड है और यदि मैं यह कहूं कि माननीय मंत्री जी यह धारा जोड़ कर इस पंचायत राज रूपी नवजात शिशु के गले में फांसी लटका रहे हैं तो कोई गलत न होगा। अगर पंचायत राज के गले में यह फांसी लटका दी गयी तो आज जो एलेक्शन हो गया उसको कल ही माननीय मंत्री जी एक ही आर्डर से खतम कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का बन्धन, और इस तरह की फांसी पंचायत राज के गले में लटका दी जा रही है। अगर इस फांसी को निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि पंचायत राज के साथ में न्याय होगा, डमोक्रेसी के साथ न्याय होगा। इसमें यह भी नहीं बतलाया गया है कि कब माननीय मंत्री जी की कृपा दृष्टि सारे प्रान्त या उसके किसी एक भाग के ऊपर होगी जब वे ग्राम पंचायतों को डिजाल्व कर देंगे। पता नहीं कि उनको क्या शक हो गया है। कुछ मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ सिंहासन थोड़ा बहुत डोलने लगा है या कुछ ऐसे आसार नजर आने लगे हैं जिसकी वजह से माननीय मंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। उनके पहले के माननीय मंत्री खेर जी द्वारा इस ऐक्ट में बहुत कुछ सुधार की कोशिश की गयी है फिर क्यों यह फांसी लटकायी जा रही है जिससे उस ऐक्ट के अस्तित्व को और जो उसकी स्थिति है उसको खतरे में डाल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस एक्ट में कम से कम इतना लिखा होता कि ऐसा हो सकता है "रीजंस टु बी स्पेसिफाइड" कम से कम कुछ रीजन दिया गया होता, कुछ कारण बतलाया गया होता कि इस परिस्थिति में इतने समय में हम ऐसा कर सकते हैं तो सम्भवतः यह धारा जस्टीफाइड होती। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी बात इसमें ऐसी नहीं है जिससे माननीय मंत्री जी इस पर जिद कर रहे हैं सिर्फ इसलिये कि उनके साथ मेजारिटी है, बहुमत है और उसमें वह इसको पास करा सकते हैं इसके अलावा मैं समझता हूं कि इसमें कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने इसीलिये जो संशोधन थे वह वाया मीडिया था। माननीय मंत्री जी ने सम्भवतः उनको समझा नहीं। मैंने कहा था कि अन्त में फुलस्टाप लगाया जाय और उसके बाद इन एक्स्ट्राआर्डिनरी सरकमस्टांसज तो अधिक अच्छा होगा। पता नहीं कि उन्होंने किस ढंग से उसको इंटरप्रेट किया और उसका अर्थ उलटा लगाया। मैं समझता हूं कि इस धारा को इस ऐक्ट में से निकाल लें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक के भाषणों को सुनने के बाद मैं यह नहीं समझ सका कि इस खंड के इस पंचायत राज्य अमेंडिंग बिल में रखे जाने की क्या जरूरत थी। कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति आज हमारे देश में या हमारे प्रदेश में है जिससे इस कानून में इस चीज को रखने की जरूरत पड़ी कि किसी समय भी पांच वर्ष के अन्दर सरकार अगर चाहे तो पूरे प्रदेश में या उसके किसी भाग में चुनाव करा सकती है। सोचने से यह मालूम होता है कि इस सरकार की सारी चेष्टा एक तरफ को जा रही है कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और उसकी समर्थक मौजूदा सरकार इन दोनों को स्थायी बनाया जाय। किसी आंधी तूफान से बचने की तमाम रक्षापंक्तियां यह सरकार अपने चारों ओर खड़ा कर रही है और उसी दशा में यह भी एक प्रयत्न है। इस विधेयक में से कम्पलसरी लेबर को निकाल कर जो थोड़ा अच्छा काम किया गया था उसको न्याय पंचायतों के सदस्यों की नामजदगी का प्रस्ताव रख कर तथा उसी के साथ-साथ पूरे प्रदेश में या प्रदेश के किसी जिले में या किसी जिले के किसी हिस्से में अगर सरकार समझती है कि एक स्थान की पंचायतें उनके विरोधियों के हाथों में है या वह सरकार के गलत कदमों का या गलत आदेशों का जो दिये जा रहे हैं, पालन नहीं करती है, तो उनका नया चुनाव कराने की व्यवस्था करके उसको खत्म किया जा रहा है।

[illegible] हिस्से में जो खबरें [illegible] उन्हीं [illegible] विश्वास किया जाता है जो जिला [illegible] और जिला कलेक्टर तो मैं [illegible] युद्धकाल [illegible] में एक हिटलर ने दुनिया [illegible] सरकार ५१ लिटिल हिटलर्स [illegible] उन छोटे हिटलरों को जितने अधिकार दिये [illegible] भी जितने अधिकार देना चाहती है [illegible] दिये जा रहे हैं, मैं समझता हूं [illegible] होगा उन्हीं की रिपोर्टों पर [illegible] उन्हीं के [illegible] के आधार पर [illegible] सरकार प्रदेश के [illegible] हैं। मैं समझता हूं कि इस धारा के [illegible] तत्व जो इस ऐक्ट में पहले से [illegible] हो जायेंगे और इस बिल के बनाने वाले महाशयों ने बहुत [illegible] विचार करके [illegible] उन चीजों को जो [illegible] जनता को अपनी मनोभावनाओं को प्रकट करने [illegible] छोटे-छोटे [illegible] मिलता था उनको [illegible] कर [illegible] करने की कोशिश की गई। [illegible] हाथ से चीज लेकर दूसरे हाथ में लेने की चेष्टा दिखलाई पड़ती है। सम्पूर्ण विधेयक में [illegible] की कमी नहीं है लेकिन इस तरह की बलात् जोड़ कर जो चीजें एक जगह दी जाती हैं वह दूसरी जगह छीन ली जाती है यही प्रक्रिया पूरे विधेयक में दिखाई पड़ती है। मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार ने यह तय कर लिया है कि इस बिल को उसी रूप में पास करना है जिस रूप में यह सरकार द्वारा बनाया गया है तब तो सारी बहस बेकार है लेकिन अगर विरोधी लोग कोई अच्छा सुझाव देते हैं उसको मानने की उदारता अगर सरकार में हो तो उन की बातों की ओर भी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये और गौर करना चाहिये और खासकर मंत्री महोदय को जो किसी जमाने में समाजवादी विचार के रहे हैं, उन के मंत्रिकाल में ऐसा विधेयक पेश हो और उस में ऐसी प्रतिक्रियावादी या रीएक्शनरी धारायें जोड़ी जायं और ऐसा अवसर दिया जाय, यह देखकर मुझे अफसोस होता है। अन्त में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ऐसे कानून बनते रहेंगे और इस तरह की धारायें और कानून अगर जनता के ऊपर लादे जायेंगे तो जनता को मौजूदा शासन में जो थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं या कुछ आजादी मिली है उसका भी अपहरण हो जायगा अगर इस तरह से बेकठोर से अधिकार छीने जायेंगे इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह ठंडे दिल से गौर करें और इस धारा को निकालने की कोशिश करें।

श्री [illegible] सिंह (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री [illegible]—अभी श्री बालेन्दुशाह को समय देने के बाद, मैं प्रश्न उपस्थित करने की बात को देखूंगा।

*श्री [illegible] बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बावजूद बहुमत दल के सदस्यों की चेष्टा के कि इस महत्वपूर्ण बिल के महत्व को न समझकर बार बार क्लोजर मूव करने के भी और उस के महत्व को और गम्भीरता को घटाने की कोशिश के भी मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में बहुत बहस हो चुकी है और कोई नया तर्क इस के समर्थन में देना संभव नहीं है। फिर भी मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराज कुमार बालेन्दुशाह]

आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को और बहुमत दल के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस धारा के द्वारा जो मंत्री जी अपने हाथ में अधिकार रखना चाहते हैं कि जब कभी वह चाहें बिना किसी कारण दिये हुये दोबारा चुनाव करा सकते हैं। यह एक बहुत ही कन्ट्राडिक्टरी धारा है। यह किसी विशेष सिद्धांत के हिसाब से ही नहीं बल्कि यह तो जनतंत्र राज्य के सिद्धान्त के ही खिलाफ जाती है और पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ पड़ती है, इस में आटोक्रेसी की बू आती है। मैं ज्यादा न कहकर आप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस तरह से वह बड़ी एनामलस चीज पैदा करने जा रहे हैं। कोई इल्लीगल तो नहीं किन्तु आश्चर्य की बात है कि जब प्रधान की अवधि का प्रश्न इस सदन में आता है और जब कि विरोधी दल के सदस्य यह कहते हैं कि संभवतः चुनाव अनुचित हों, सम्भवतः गलत व्यक्ति चुने जायं और संभवतः केवल सरकार के हित के लिये यह उचित हो कि उनकी अवधि ५ साल के बजाय ३ साल रख दी जाय, उस समय मंत्री महोदय ताव में आते हैं और बड़े जोश से कहते हैं कि बारम्बार चुनाव करने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है। मंत्री महोदय यह भी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को एक बार चुन लिया जाय उनको कांस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिये समय दिया जाय। उन्होंने और उनके साथियों ने यह भी कहा कि यदि तीन वर्ष रख दिये जाते हैं तो पहला वर्ष चुनाव के हलचल में ही बीत जायगा और तीसरा वर्ष भी उसी प्रकार बीतेगा। उसका परिणाम यह होगा कि केवल बीच का ही एक वर्ष काम करने के लिये रहेगा। कहां तक इस तर्क में जोर है यह समय इस पर विचार करने के लिये नहीं है। इसका निर्णय हो चुका है किन्तु इसका उल्लेख यहां मैं इसलिये कर रहा हूं कि यह एक अजीब सी बात है कि जब उसी कारण को सामने रखते हुये और उन्ही संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये यहां से सुझाव हुआ कि अवधि पांच साल के बजाय तीन साल कर दी जाय तो उसका मंत्री महोदय विरोध करते हैं और आज जबकि प्रश्न यह है कि जब एक बार चुनाव हो गया हो मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करूंगा कि किन-किन हंडीकैप्स में यह चुनाव होगा और कितना इंडेपेंडेट चुनाव हम इसको मान सकते हैं। यह एक प्रश्न है तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि यह एक बड़ी कंट्राडिक्टरी पोजीशन है कि मंत्री महोदय उनकी अवधि लम्बी भी चाहते हैं किन्तु साथ ही उनकी विधि एक से ओवरनाइट समाप्त करने का अधिकार भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कहां तक उचित और कहां तक आवश्यक अधिकार वह अपने हाथ में ले रहे हैं जैसे कि हमारे पहले एक वक्ता ने बतलाया।

दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय के कुछ न बोलने के कारण हमको इस संबंध में भी जैसे कि और धाराओं के संबंध में करना पड़ा, केवल मात्र अनुदान पर बहस करनी पड़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, विशेष कारण से मैंने आपसे बोलने की आज्ञा मांगी और मैं आशा करता हूं कि विशेषकर माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से जो तर्क मंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किये गये उनको न दोहरा कर केवल उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके और यह प्रश्न जो मैंने उठाया कि यह कंट्राडिक्ट्री पोजीशन जो मंत्री महोदय क्रियेट कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि इसमें कोई इल्लीगलिटी नहीं होगी किन्तु इससे यह अवश्य प्रतीत होगा कि मंत्री महोदय को जहां तक जनता में अविश्वास है वह तो स्पष्ट ही है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी का नाम बारम्बार रक्खा है उसका यहां जिक्र न करके—किन्तु यह भी स्पष्ट हो जायगा कि मंत्री महोदय को अधिक—जैसा कि मेरे साथी अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा, मैं भी उनसे सहमत हूं कि पंचायत राज के संबंध में अनुभव है किन्तु फिर भी अनुभव कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वह पंचायतराज विभाग के मंत्री होने के बावजूद, गुस्ताखी माफ हो यहां, और और जगह बारम्बार घोषणा करने के बावजूद कि वह यह देखना चाहते हैं कि पंचायत राज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और और जगहों में डिसेंट्रलाइजेशन फूले और फले, मैं नहीं समझ पाता और मैं न मानूंगा कि इस प्रकार मंत्री महोदय कोई सही कदम उठा रहे हैं।

यदि मंत्री महोदय यह चाहते हैं और यदि उनकी यह हार्दिक इच्छा है कि इस ओवर सेंट्रलाइजेशन के युग में जब पूरा देश इस सेंट्रलाइजेशन की पीड़ा से रो रहा है, इस संबंध में एक

बार नहीं, कई बार यहां इस सदन में चर्चा हो चुकी और बारम्बार यही मांग हुई कि राज शासन डीसेंट्रलाइज्ड किया जाय। इस मांग के जवाब मे माननीय स्वशासन मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री ने इन्हीं शब्दों में उत्तर दिया कि डीसेंट्रलाइजेशन तो बहुत हद तक इस सूबे में प्रचलित है। मैं पूछता हूं कि क्या यही एक मिसाल है जिसे रखा है? कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश मे डीसेंट्रलाइजेशन पहले ही से स्थापित है। यदि यही डीसेंट्रलाइजेशन है तो मैं समझता हूं कि यह उसका एक परवर्टेड इन्टरप्रेटेशन होगा। यदि यह डीसेंट्रलाइजेशन है तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर तो वही पहले का सेंट्रलाइजेशन था। क्योंकि इस डीसेंट्रलाइजेशन का नतीजा यह होगा कि वह सेन्ट्रलाइजेशन तो अभी लखनऊ मे सेंट्रलाइज है वह सेन्ट्रलाइजेशन और उसकी जो बुराइयां है वह अब उसी प्रकार से जिले-जिले में पहुंचाई जा रही है। यह डीसेंट्रलाइजेशन किसी भी सूरत से नहीं होगा और मैं मंत्री महोदय का ध्यान इसी ओर आकृष्ट करता रहूंगा और कर रहा हूं कि डीसेंट्रलाइजेशन को वे उसी रूप से कार्यान्वित करें। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश की जो बहुत सी पेम्फलेट छपी है उनमें से एक पैम्फलेट जिसमे माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा है "सरवे आफ दी वर्किंग आफ दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट" की चन्द लाइनें पढ़ना चाहता हूं। उसमे लिखा है पंचायत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में "A social experiment pregnant with great possibilities was under taken for the formation of Panchayats with a view to the decentralisation of functions of day to day administration."

बहुत सही कहा।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक से इसकी पूर्ति हो रही है? क्या यह पंचायत राज संशोधन विधेयक मे किसी प्रकार से भी जो मंत्री महोदय ने इन्टरप्रिटेशन किया डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ डे टु डे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यही डीसेंट्रलाइजेशन का तरीका है, चुनाव करके उसको रद्द कर दिया जाय? चुने हुये व्यक्तियों से कहा जाय कि तुम ५ साल के लिये चुने जाते हो और किसी कारण किसी व्यक्ति की शक्ल से [illegible]

[illegible] है [illegible]

महोदय, इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जब क्वालिफिकेशंस को बदल दिया गया है यानी पहले ३० वर्ष की आयु और शिक्षित होना आवश्यक क्वालिफिकेशन रखी गयी थी। अब मैं उस निर्णय को उस समय चैलेंज करना आवश्यक नहीं समझता, यह मेरा फर्ज नहीं है। जब उचित समय था उसको चैलेंज कर चुका हूं और अब जनता उचित समय पर चैलेंज करेगी और हमें विश्वास है कि मंत्री महोदय ने हालांकि हमारी आवाज ठुकराई परन्तु हमें यह भी विश्वास है कि जनता की आवाज नहीं ठुकरायेंगे। किन्तु इस संबंध में मैं जो कह रहा था वह यह कि इस विधेयक की और जितनी धाराओं को हम पहले देख चुके हैं उनका एक सारांश निकलता है और वह यह कि शुरू से आखिर तक एक बात यह कि इलेक्शन के सिद्धांत को बारम्बार ठुकराया जा रहा है। हां, मैं जानता हूं कि इसका उत्तर यह दिया जायगा कि गांव सभा इलेक्शन द्वारा गांव पंचायत को छांट रही है और यही कहेंगे संभवतः मंत्री महोदय कि इलेक्शन्स की प्रणाली यहां स्थापित की गई है, किन्तु मेरा विचार यह है कि इस प्रकार के एक कम्पैरेटिवली अनइम्पार्टेंट इलेक्शन के अधिकार जनता को देकर और जहां कि अधिक महत्व है—हालांकि हमें अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं दिखा कि क्यों वहां भी इलेक्शन न हो पाया किन्तु उसका निर्णय हो चुका, तो वहां इलेक्शन्स को न स्वीकार करके और केवल इलेक्शन्स को ही अस्वीकार नहीं किया गया बल्कि साथ ही साथ वैसी अवस्था में और वैसे स्थान में पूर्ण रूप से नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में रख कर और उस नियुक्ति को अपने हाथ में रखने के बावजूद भी आगे आकर एक ऐसा क्लाज रखना कि उस नियुक्ति को भी वे रद्द कर दें, इससे यह स्पष्ट है कि हरएक कदम पर एक किस्म का सेफगार्ड रखा गया है ताकि यदि किसी कारण पहली फोर्टरेस से कुछ गलती हो जाय और एनिमी आगे बढ़ जायं तो सेकेंड लाइन आफ डिफेंस उसके पीछे ढकेले। मैं आगे बताऊंगा, अभी तो हम कुल १२ वीं

महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

धारा तक पहुंचे हैं। बारम्बार यह कोशिश प्रत्यक्ष है और यदि मंत्री महोदय यह कहें कि इस पंचायत राज संशोधन विधेयक से अब उत्तर प्रदेश में पंचायत राज का निर्माण होगा, अब उत्तर प्रदेश की पंचायतें सुचारु रूप से चलेंगी, अब जनता इन पंचायतों को सहयोग देगी तो मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय भूल करेंगे।

इस संबंध में इतना और मैं कहना चाहूंगा हालांकि हमारे मंत्री महोदय को पंचायत राज के बारे में बहुत अनुभव है, मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय ने अनुभव प्राप्त करने के लिये बहुत लम्बा चौड़ा दौरा किया है किन्तु यथासंभव ही वे दौरा कर सके हैं मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूरे ५१ जिलों का दौरा नहीं कर सके इसलिये यह भी संभव है कि जिस अनुभव से मंत्री महोदय ने इस विधेयक को हमारे सामने रखा वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं हो सकता था, संभव है कि जिन जिलों की परिस्थिति को मंत्री महोदय और उनके विभाग ने ध्यान में रख कर इस विधेयक को प्रस्तुत कराया है उन उन परिस्थितियों के लिये यह विधेयक, मैं नहीं जानता कि सही है या नहीं, हो सकता है कि अच्छा हो। [illegible]

तालाब

तालाब को गंदा करेगी ही इसलिये पहले से ही उसको गंदा कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मान सकता हूं कि बहुत जगह पंचायत राज अभी भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं, हालांकि मैं मानना नहीं चाहता कि जो यहां पर मंत्री महोदय ने एक बार हमको कहा था कि न्याय पंचायतें बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं और उनके लगभग ९०, ९५ प्रतिशत फैसले अपहेल्ड रहे, मैंने उस बार उनके लिये ताली बजाई थी, और मैं चाहता हूं कि यह सही निकले किन्तु मैं साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि संभवतः ये आंकड़े पूर्ण रूप से सही न हों। किन्तु मैं इससे यह बहस निकालना चाहता हूं कि यदि ये आंकड़े गलत भी हों फिर भी जो कुछ मंत्री महोदय ने पिछले दिनों किया और जो अभी तक इस विधेयक के प्रस्तुत करने से पहले तक पंचायत राज्य के निर्माण के लिये किया उसके लिये वे अवश्यमेव धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि इस एनोमलस और कंट्राडिक्टरी विधेयक को जिसका परिणाम यह होगा कि पंचायत राज में जनता का अविश्वास फैलेगा, वह एक बार फिर जहां-जहां आवश्यक हो उसको संशोधित करके जनता के बीच इस रूप में भेजें। मंत्री महोदय को अधिकार है, बहुमत उनके साथ है, इस सदन में अवश्य है और भविष्य में कहां तक बहुमत उनके साथ रहेगा मैं इस संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। मंत्री महोदय स्वयं ही और उनके कारनामे इसमें भविष्यवाणी करेंगे। हमारा कर्तव्य यह है कि अपने विचारानुसार हो सकता है कि हमारे विचार गलत हों लेकिन मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय हमें बतलायें और यह न कहें क्योंकि इस संबंध में कोई बहस नहीं की गई या कोई तर्क नहीं दिया गया, इसलिये मैं उत्तर देना अनावश्यक समझता हूं, यह कोई उत्तर नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण विषय पर पंचायत राज्य की स्थापना पर, यह उत्तर आपने बारम्बार और मैं समझता हूं कि भविष्य में और धाराओं के ऊपर, संभव है क्योंकि दुर्भाग्यवश तर्क बहुत सीमित है। विरोधी दल को जब ऐसे विधेयक का सामना करना पड़ता है तो उसके सामने और क्या विचार हों। जो चीज बुरी है उसको बुरी बतलाये हमारा कर्तव्य है कि उसको हम भाषा में बदलकर भले ही बतला दें लेकिन बुरेपन की बात तो हम कहेंगे ही। इसका परिणाम अवश्य यह होगा कि यहां पर जो बहस होती है वह काफी होती है और एक प्रकार से दुहराना होगा। मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि दुहराने के कारण मंत्री महोदय उसे महत्वपूर्ण न समझें। इसका यह अर्थ है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम गुस्ताखी करते हैं कि मंत्री महोदय का और सदन का समय लेते हैं। आपकी आज्ञा लेकर बारम्बार दुहराने की प्रार्थना करते हैं और आज्ञा मांगते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा—विधेयक पारित हो सकता है और हो जायगा किन्तु मैं चाहता था क्योंकि मुझे भी हालांकि मंत्री महोदय के बराबर कभी भी मैं इतना अनुभव

प्राप्त नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे भी इस डिसेंट्रलाइजेशन के विषय पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। हमारे प्रदेश में सुचारु रूप से राज्य का शासन करने के दो ही तरीके हैं। एक तो यह कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाय और दूसरा वह होगा कि इस प्रदेश का विभाजन किया जाय। यह मंत्री महोदय के हाथ में है। मुख्य मंत्री से अधिक उनके हाथ में यह अधिकार है कि इस प्रदेश में डिसेंट्रलाइजेशन की नींव सही रूप में पड़े। यह नहीं कि बाहर से दिखाने के लिये गांव पंचायत, टाउन एरियाज म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की स्थापना कर दी जाय किन्तु उन्हें कंगाल बना दें और दूसरी तरफ लायबिलिटीज बढ़ा दें और अधिकार देने के प्रश्न में साफ रखें।

अध्यक्ष महोदय मैंने बहुत समय लिया। अब इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय हमारे विचारों पर ध्यान देंगे चाहे हमारे विचार नहीं मान ही क्यों न हों लेकिन वह इस बात को अवश्य ध्यान में रखेंगे कि हमारा एक मत से विचार है कि यह विधेयक और चाहे जो कुछ हो लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन उससे बिल्कुल नहीं हो रहा है।

श्री राम लखन मिश्र---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विवादान्त का प्रस्ताव रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह कि प्रस्तुत संशोधन पर विवाद समाप्त किया जाय।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में--९२

विपक्ष में--१३]

श्री तेज प्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने प्रार्थना की थी माननीय स्वशासन मंत्री जी से कि कुछ इसका उत्तर देते, मुमकिन है कि मेरी समझ में आ जाय, लेकिन मेरा दुर्भाग्य, उन्होंने यह जरूरत नहीं समझी। मैं इसकी चेष्टाओं या कुचेष्टाओं की ओर संकेत नहीं करना चाहता, यह ठीक भी नहीं है और न इससे लाभ हो सकता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस क्लाज के द्वारा अविश्वास की भावना जो ग्रामों और गांव सभाओं के प्रति झलकती है वह निश्चित है और इससे भला नहीं हो सकता। भविष्य की आशंकाओं की कल्पना करना मुमकिन है दूरंदेशी हो, लेकिन मैं तो इसे खतरनाक समझता हूं जब कि हमारे में वह शक्ति है कि हम कभी भी उसका मुकाबिला कर सकते हैं। इस माननीय सदन को यह शक्ति प्राप्त है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं और उसको संभालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हालत में पहले से ही किन्हीं आशंकाओं के आधार पर, कुछ सोच करके, हम ऐसी धारायें यहां रखें, यह मेरी समझ से ठीक नहीं है। शक्तिवान होना तो ठीक ही है, होना ही चाहिये। लेकिन दूसरों को अशक्त करके, निर्जीव करके शक्ति का अर्जन करें इसमें कोई लाभ मुझे प्रतीत नहीं होता। आगे जिन्हें हमें साथ लेना है, पंच वर्षीय योजना द्वारा देश का उत्थान करने के लिये जिनके सहयोग की हमें आवश्यकता है उनको हम अपने साथ न लेना चाहें और उन पर विश्वास न करें तो यह कोई अच्छी चीज नहीं है। देश के उत्थान के लिये बहुत आवश्यक है कि हम जनता का सहयोग प्राप्त करें, उनमें वह जीवन डालें, उनमें वह इंसेंटिव दें कि वह हमारे साथ चल करके उन योजनाओं को सफल बनावें। यदि हम उन्हें निर्जीव करते हैं तो उनका सहयोग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आखिर शक्तिवान ही तो हमें सहयोग दे सकते हैं, भावना के साथ हमारे साथ चल सकते हैं और तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार उनको यह अंतिम शक्ति न देना कि वह अपने पंचों को या उन लोगों को हटा सकें, यह ठीक नहीं है।

दूसरे आगे क्या परिस्थितियां होंगी उनका भी समय से बहुत पहले इलाज सोच रखना मैं समझता हूं कि यह खुद मर्ज को पैदा कर देने वाला है। इससे बहुत बड़ी संभावना

[श्री तेज प्रताप सिंह]

है कि हम मे वह कमजोरियां पैदा हों कि हम उन परिस्थितियों को सम्हाल न सके, उधर हमारा संकेत करना ही ठीक नहीं है । आखिर पेसिमिस्ट होना, निराशावादी होना हमारे देश के लिये लाभदायक नहीं है और मैं तो समझता हूं कि इस धारा द्वारा जो निराशावादिता की झलक दिखलाई पड़ती है उसे हमें हटाना चाहिये । हमारे देश ने पहले ऐसे कार्य किये है जिन पर हमें गर्व हो सकता है, होना भी चाहिये । आज नैतिक स्तर हमारा चाहे जितना गिरा हो, हमारी स्थिति चरित्र के विषय में च हे जितनी खराब हो लेकिन आशावादी होना कि हम आगे भी बड़े कार्य कर सकते है, यह तो एक आवश्यक चीज है । हमे आशावादी होना ही चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि वह कुछ इसके बारे मे निवेदन करे, कुछ बतलाने की कृपा करे । हमारे माननीय साथियों ने जो इसमें हिस्सा लिया और जो अपनी भावनाये प्रगट की उसके लिये मैं उन्हे धन्यवाद देना चाहता हूं । माननीय शिवनारायण जी ने जो कुछ कहा उसके लिये उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं । पार्टीबन्दी और करप्शन को दूर करना हमारा सबका ही फर्ज है लेकिन हम तो कोई ऐसा कदम उठाये जिससे वह चीजे दूर हों तब तो ठीक है लेकिन किसी चीज का गलत अर्थ समझ लेना यह तो ठीक नहीं है । इससे अधिक न कह कर माननीय स्वाशासन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर ले ।

*श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बालेन्दुशाह जी ने जो मेरी तारीफ की उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । लेकिन अगर मैंने किसी समय यह कहा हो कि कोई नयी बात नहीं जिसका मुझे उत्तर देने की आवश्यकता हो तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा प्वाइन्ट रह गया है जिसका मैंने उत्तर नहीं दिया, उसका उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा । लेकिन मेरी दिक्कत यह हो रही है कि गेंदा सिंह जी के दिमाग में सिर्फ पंचायत राज ऐक्ट नहीं है । उनके दिमाग में बहुत सा बोझ है । वह सिर्फ पंचायत राज ऐक्ट पर नहीं बोलते बल्कि अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन उसमें करने लगते है । उन्हें अपने किसी मित्र की याद आती है या क्या वह उसका इक्सप्रेशन कर रहे है, अगर उन सब का मैं उत्तर देने लगूं तो इस सदन की शान के खिलाफ कार्य करूंगा । इसलिये मैं उन तमाम बातों का उत्तर नहीं देना चाहता ।

झारखंडे राय जी को यह डर है कि कहीं ५१ छोटे हिटलर न पैदा कर दें । उस वक्त किसी ने कहा छोटे हिटलर नही तो छोटे स्टैलिन ही पैदा कर दे । परन्तु कोई आवाज मेरे कान में पड़ी कि ऐसा न करना नहीं तो अनर्थ हो जायगा । जिस डिमोक्रेसी को यहां जगह दी गयी है और जिस प्रकार यहां डिमोक्रेसी चल रही है संसार साक्षी है कि यहां की डिमोक्रेसी एक सुन्दर डिमोक्रेसी है । हिटलर और स्टैलिन को जगह देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है और न मैं चाहता हूं कि यहां हिटलर और स्टैलिन आयें । लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंडे राय जी के कहने के मुताबिक यहां ट्रांजोटरी पीरियड में डिक्टेटरशिप होनी चाहिये थी । [illegible] संसार ने नहीं देखा । झारखंडे राय जी के ख्याल

[illegible]

करने की कम से कम मेरी हिम्मत नहीं है

जो यह रखा जा रहा है इसमें बड़े २ संदेह जाहिर किये गये, सारा विधेयक ही गंदा हो गया । बहुत से अधिकार गवर्नमेंट को मिल गये । एक बहुत बड़ी दलील यह दी गयी कि जब कई एक अधिकार है तो यहां अधिकार की क्या जरूरत है । मुझे डर है कि कहीं इस दलील को बढ़ा कर कभी यह न कह दिया जाय कि इतने मुहकमे है तो पुलिस के मुहकमे की क्या जरूरत है । जहां-जहां इंतजाम की जरूरत है यह अधिकार है । आपको अधिकार है कि हिसाब की जांच करवायें, आपको अधिकार है कि गलत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदमी को निकाल दें तो फिर इसकी क्या जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको उसकी मेरिट के साथ और अधिकारों से अलग देखा जाय। यह देखा जाय कि इसकी जरूरत है या नहीं। यह तो सभी को मालूम है कि कोई भी लेजिस्लेचर ऐसा नहीं है जिसके लिए ऐसा इंतजाम न हो कि अगर आवश्यकता पड़े तो अपने आयु-काल से पहले वह खत्म हो सके। जहां तक मेरा अन्दाजा है मोटा-मोटा पार्लियामेंट अपने आपको अपने टर्म से पहले डिजाल्व कर सकती है; गवर्नमेंट डिजाल्व कर सकती है। अभी ट्रावनकोर कोचीन में सोशलिस्ट पार्टी को भी मिनिस्ट्री मिल गयी। अगर यह प्राविजन न होता और पूरे काल तक वह लेजिस्लेचर चलता तो कम से कम पी० एस० पी० को मिनिस्ट्री मिलने का अवकाश उतने दिनों तक न होता, यह तो हुईं दलीलें। हर चुनी हुई बाडी को अगर आवश्यकता पड़े तो उसके टर्म से पहले ही चुनाव करवाने का अधिकार है। लेकिन यह तो कुछ जनरल दलीलें हैं, उससे ज्यादा बहस नहीं है।

एक खास बात अभी इस वक्त कही गयी, उपाध्याय महोदय, उसको मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो पंचायतें इस समय प्रदेश में हैं उनका चुनाव भिन्न भिन्न समय पर हुआ था। पहले इस प्रदेश में सब पंचायतों के लिये चुनाव हुआ लेकिन दो हिस्से मिर्जापुर और जौनसार भाबर को छोड़ दिया गया। उनका चुनाव अलग हुआ, एक चुनाव पहले हुआ था और दूसरा यह हुआ। तीसरा चुनाव गढ़वाल का अलग हुआ, बनारस में अलग, रामपुर में अलग और झांसी के आस-पास के जो गांव हैं उनमें अलग चुनाव हुआ। इस प्रकार इस प्रदेश में समय समय पर अलग अलग कई चुनाव हुए। इस कानून के पास होने के बाद हर पंचायत की अवधि पांच साल की हो जायगी। अगर एक साथ खत्म नहीं करते तो एक साथ सबका चुनाव नहीं करा सकते। जनरल प्रिंसिपल के आधार पर यह नहीं है, न अधिकार लेने की नियत से है बल्कि वास्तविक दिक्कत यह है कि इसके बिना सारे सूबे में जो पहले अलग-अलग चुनाव अलग अलग जगहों पर हुए थे उनका चुनाव, माननीय अध्यक्ष, एक साथ नहीं हो सकता।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस कानून के बाद हर एक की अवधि पांच वर्ष की हो जायगी और अगर एक साथ खत्म नहीं किया जाता तो ५,६ बार चुनाव कराना होगा। अगर सबको एक साथ तोड़ कर एक दफा उनका एक साथ चुनाव हो जाय तो सबकी अवधि एक दिन से ही शुरू हो सकती है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिक्कतें आयें और पांच साल के पहले आवश्यकता पड़े, जैसे इस प्रदेश में जनरल चुनाव में दिक्कतें आयीं। जब चुनाव ड्यू हो तो किसान खाली न हो, फसल बोता हो या काटता हो, ब्याह होते हों। म्युनिसिपल बोर्डस के चुनाव में ये दिक्कतें आयीं और कई तारीखें बदलनी पड़ीं। बहुत सम्भव है कि पांच वर्ष से दो महीने पहले ही चुनाव करने की आवश्यकता पड़ जाय। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य इस भ्रम में है कि जब जी में आयेगा पंचायतों का चुनाव रद्द कर दिया जायगा और फिर जनरल इलेक्शन कराया जायगा और फिर अधिकार जमाया जायगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस भ्रम में मैं नहीं हूं कि इस प्रकार से शक्ति आती है। मैं यह समझता हूं कि जब तक गवर्नमेंट अपने किसी कार्य को जस्टीफाई न कर सके, इतने बड़े प्रदेश की ६०,६५ हजार ग्राम पंचायतों को तोड़ कर उनका जनरल इलेक्शन क्यों कराया गया, गवर्नमेंट इसका माकूल जवाब न दे सके तो इससे बजाय ताकत आने के उल्टी घटेगी ही। चुनाव तो क्या अगर नामिनेट करने की भी बात होती तो बार-बार ऐसा करने से ताकत नहीं मिलती। लोग नाराज होंगे कि हमारा काल क्यों खत्म कर दिया गया। इससे रिसेंटमेंट बढ़ेगा और जो इस तरह का काम करने वाला होगा उसको कमजोरी मिलेगी।

मैं निवेदन करता हूं कि मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि इस तरह के गलत काम करने से ताकत मिलेगी। ये कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनको सोच कर यह रक्खा गया है। इस तरह का प्राविजन

[श्री [illegible]]

[illegible] । [illegible] के चुनाव [illegible] में [illegible] इस तरह [illegible] करता हूं कि मेरी समझ में [illegible] पहले नहीं हुई [illegible] मैं माननीय [illegible] की परेशानी [illegible] । इस [illegible] के [illegible] हूं कि माननीय मेम्बर इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री [illegible]—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित [illegible] धारा 12-C निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित [illegible] और [illegible] होने पर [illegible] अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१४

विपक्ष में—२१)

श्री [illegible]—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के अधीन प्रस्तावित धारा 12-H के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"12-H. If a vacancy in the Office of the Pradhan, Up-Pradhan [illegible] of a Gaon Panchayat arises by reason of his death, [illegible] resignation or avoidance of his election it shall be filled [illegible] [illegible] of his term in the manner, as far as may be, provided in section 11-A, 11-B or 12, as the case may be."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ड्राफ्ट करने में जो पहले इस धारा का कंस्ट्रक्शन था उसमें कुछ मिस्प्लेसमेंट किया गया है। दूसरी बात यह है कि एलेक्शन पिटीशन से जो [illegible] होंगी उनकी वैकेंसी इस तरह भरी जायेगी और जो भी वैकेंसी होगी उसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि बाकी [illegible] के लिये वह होगी और [illegible] चुनाव उसी तरह से होगा जैसा कि उनका एलेक्शन पहले हुआ था। उसी तरह से यह एलेक्शन भी होगा। यह केवल इसका मतलब है। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस संशोधन को बिना वादविवाद के मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ के अधीन प्रस्तावित धारा 12-H के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय।

"12-H. If a vacancy in the Office of the Pradhan, Up-Pradhan [illegible] member of a Gaon Panchayat arises by reason of his death, removal, resignation or avoidance of his election it shall be filled for the remainder of his term in the manner, as far as may be, provided in section 11-A, 11-B, or 12, as the case may be."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ से प्रस्तावित धारा 12-I की पंक्ति १ के शब्द "No" के स्थान पर "only [illegible]" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सीधासाधा प्रस्ताव है और जिस स्थान पर 'नो' रखा गया है वहां 'ओनली ए' रख दिया जाय। फिर यह धारा इस प्रकार से हो जायगी—

"12-I. Only a civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or any decision given by an Officer or authority appointed under this Act in connection with the conduct of elections thereunder."

अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक शाब्दिक संशोधन है. माननीय मंत्री जी को इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिये इसको स्वीकार करने में । क्योंकि हम यह समझते हैं जैसा कि माननीय बालेन्दुशाह जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि जो प्राविज़न इसमें रक्खे जा रहे हैं उन सब में हमारा बराबर मसपिशन बढ़ता ही जा रहा है। पंचों के इलेक्शन को रद्द करने में यह ससपीशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। पंचायत राज के आफिसर या अधिकारी जो भी कार्य करेंगे वह गलत करेंगे, जनता के खिलाफ करेंगे. उसके लिये कोई रेमेडी हमारे पास नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हम कोई रेमेडी भी सीक न करें, किसी सिविल कोर्ट के पास भी न जायं। वही एक ऐसी जगह है जहां इंसाफ हमें दिखायी पड़ता है, वैसे तो जुडिशियरी भी उन्हीं की है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर यह लगा दिया गया सिविल कोर्ट का कोई जुरिसडिक्शन न होगा तो हमारा ससपिशन और भी ज्यादा बढ़ जायगा। कोई भी पंचायत अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान या पंचायत राज का आफिसर ऐसा कोई काम करता है जो ठीक नहीं है तो उसके लिये सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन तो अवश्य ही होना चाहिये और सिविल कोर्ट का फैसला ही उनको कुछ मनवा सकता है । मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि यह शाब्दिक संशोधन है तथा ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी को कोई एतराज होगा तो उसके बारे में बाद को बतलाउंगा ।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्याय जी को मैं एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता की हैसियत से तो जानता ही था लेकिन वे एक अच्छे वकील और वकीलों के पोषक हैं, यह आज ही मालूम हुआ। इस संशोधन को रख कर वे चाहते हैं कि वकीलों की चांदी हो और गरीब आदमी पिट जायं। गांव सभा में वही लोग जा सकें जो मुकदमा लड़ा सकते हों। मुझे ताज्जुब तो यह हुआ कि गरीबों के हमदर्द और गरीबों की भलाई चाहने वाले लोग यह कहें कि जब तक सबको सिविल कोर्ट में न ले जाया जायेगा, जब तक सब पैसे वाले उनको परेशान करके न निकाल दें तब तक गांव सभायें ठीक ही न हो सकेंगी। मैं नहीं समझ सका कि किसी परिणाम की वजह से या इस विधेयक को हंसी मजाक का विधेयक बनाने के लिये यह संशोधन उन्होंने दिया है या यह भी हो सकता है कि कहीं मंत्री भुलावे में आ जायं तो जनता के सामने उनको बेवकूफ बनाया जाय। यह संशोधन जिसे शाब्दिक कहा जाता है बहुत खतरनाक है। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वह इस सदन को भुलावे में डालने में माहिर हो गये हैं। मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मंत्री जी ने मेरा यह छोटा सा शाब्दिक संशोधन मंजूर नहीं किया। लेकिन साथ ही उन्होंने यह जो कहा कि वे वकीलों के हिमायती हैं तो उन्हें मालूम है कि मैं वकील हूं। मेरा विश्वास जुडिशरी पर है और मैं मंत्री जी के मुंह से सुनना चाहता था कि उनका विश्वास जुडिशरी पर अब नहीं रहा है। मुकद्दमेबाजी रुक तो सकती नहीं है। पंचायतों के केस में अवश्य मुकद्दमे लड़ेंगे लेकिन इसका नतीजा कुछ न हो तो कोई लाभ नहीं है। लड़ें और इंसाफ मिल जाय, उसके लिये सिविल कोर्ट्स हैं। मेरी यह कभी मंशा नहीं थी कि मैं उसे केवल शाब्दिक कह कर स्वीकार करा लूं। यहां तो बहुत विद्वान् लोग बैठे हैं। इस संशोधन में केवल ४ शब्द हैं लेकिन इस तरफ के लोग भी मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं मालूम होते क्योंकि कोई बोलने को उठा ही नहीं, तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12—I की पंक्ति ३–४ में शब्द "an officer or authority

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

appointed under this Act" के स्थान पर शब्द "the prescribed authority" रख दिये जायं।

इस विधेयक मे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सिवाय कोई दूसरा आफिसर दिखायी नहीं देता, इसलिए यदि इस स्थान पर भी वही रख दिया जाय तो कंस्ट्रक्शन अधिक अच्छा रहेगा और इसमें शब्द भी कम है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से काम चलता नहीं है क्योंकि वह कोई अलग दूसरा अफसर भी हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अब तक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को गालियां दी जा रही थीं आखिर में मेरे साथ सहानुभूति हो गयी है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आवश्यक है। लेकिन फिर भी जो शब्द इस समय हैं उन्हीं से काम अच्छा चलेगा और मै इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को सपोर्ट नहीं करता लेकिन मंत्री जी संशोधन को मंजूर नहीं करते तो मै वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री तेज प्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ मे प्रस्तावित नयी धारा १२-जे के अंतिम शब्द "prescribed" के स्थान पर शब्द "delegated by the Pradhan" रख दिये जायं। मै समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि आखिर प्रधान और उप प्रधान में ऐसी अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिये कि वह जो कार्य न कर सके या कुछ कार्य भार ज्यादा हो तो प्रधान, उप प्रधान को अपना पावर डेलीगेट कर सके। मै समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं मालूम पड़ती है इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसे स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री कृपाशंकर—अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि कुछ समझने मे माननीय सदस्य को गलती हुई है। आप चाहते है कि "prescribed" के स्थान पर "delegated by the Pradhan" कर दिया जाय। तो जब रूल्स बनेंगे उस वक्त देखा जायगा कि कौन-कौन से पावर प्रधान, उपप्रधान को डेलिगेट कर सकता है और कौन-कौन से कार्य है जिनके लिये पावर डेलिगेट करना ठीक होगा। इसलिये अभी इस लफ्ज का यहां रहना ही ठीक है।

श्री तेज प्रताप सिंह—मै तो समझता हूं कि "prescribed" के स्थान पर "delegated by the Pladhan" हो जाता तो अच्छा होता लेकिन जब माननीय मंत्री जी की ऐसी ही इच्छा है तो मै अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

मूल अधिनियम की धारा १३ में शब्द "biennial" के स्थान पर शब्द "half yearly" रखे और धारा के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड बढ़ा दिया जावे :—

"Provided that where for any reason an annual estimate of income and expenditure is not passed by a Gaon Sabha in its *Kharif* meeting, it may be passed by it at any subsequent meeting, before such date as may be prescribed under Sub-section (4) of section 41."

*श्री जोरावर वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"13. (i) The Pradhan shall present the half yearly report of business including accounts duly passed by the Gaon Panchayat before the Gaon Sabha at its *Kharif* and *Rabi* meeting summoned under section 11(1) for its acceptance.

(ii) If the Gaon Sabha, by a majority of three-fourths members present and voting, refuses to accept the report such refusal will amount a vote of no-confidence in the Gram Panchayat and the Gram Panchayat including the Pradhan and Up-Pradhan shall within a week tender its resignation to the prescribed authority.

(iii) A fresh election of the Gram Panchayat including Pradhan shall be held for the unexpired part of the term of the Gram Panchayat in the manner as may be prescribed

(vi) The Up-Pradhan shall be elected as provided in section 11 (B) 2."

अध्यक्ष महोदय, प्रधान के लिए यह आवश्यक है कि वह गांव पंचायत में जो बजट तैयार करे वह गांव सभा के सामने खरीफ और रबी की फसल में हर ६ महीने बाद पेश करे। यह उस प्रधान के लिए बन्धन अवश्य होगा और वह वही टैक्स लगायेगा जो गांव-सभा मन्जूर करेगी। हमारा पिछला अनुभव है कि गांव सभाओं ने जो टैक्स लगाये उन में से २५ प्रतिशत भी वसूल नहीं हुए क्योंकि प्रधानों और गांव-पंचायतों ने जो टैक्स लगाये उन में गांव-सभाओं की विशेष सलाह नहीं रही है और गैर उनकी इच्छा के ही वह टैक्स लगाये गये हैं और इसी कारण से इन टैक्सेज को कोई गांव सभा वसूल नहीं कर सकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रधान और गांव पंचायत के लिए यह आवश्यक बन्धन हो कि वह इस प्रकार से एस्टीमेट पेश करे और उस पर गांव सभा की भी कंसेन्ट हो और अगर वह नामंजूर करदे तो उसका मतलब यह है कि वह बजट गांव-सभा की इच्छा के विरुद्ध है और जो लोग वहां मौजूद हैं उनमें से अगर तीन चौथाई बजट को पास नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि गांव-सभा उनमें विश्वास नहीं करती हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रेसीडेंट को हटाने की बात है तब उस का प्राविजन है जो आगे खंड १६ में आयेगा और उसमें १५ दिन की नोटिस के बाद स्पेशल मीटिंग बुलायी जावेगी और दो तिहाई मेजारिटी से उसको हटाया जा सकता है। श्री जोरावर वर्मा की मुख्य आपत्ति तो यह खत्म हुई और इस तरह से संशोधन की जान जो थी वह तो निकल गयी। जिस तरह से उन्होंने आगे रखा है उसमें है कि "report of business including accounts duly passed by the gram-panchayat before the gaon sabha जब रिपोर्ट तैयार हुई और वह पंचायत के पास गयी और एकाउन्ट पेश हुआ और उसको अगर गांव सभा ने, उसकी तीन चौथाई मेजारिटी ने अस्वीकार कर दिया तब वह प्रधान भी अलग हो जायगा और पंच भी इस्तीफा दे देंगे और नया चुनाव होगा। इस तरह के वोट आफ नो कानफिडेंस में ईशू क्लीयर होना चाहिये। रिपोर्ट में तो तमाम चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें जो अस्वीकार हो सकती हैं। वह हिसाब भी जो पेश होगा वह भी तो वही होगा जो बजट में पास हो चुका है, उसी खर्च का वह हिसाब होगा और अगर बजट के बाहर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

की चीज पास की है तो अलग ही सवाल उठ सकता है और सरचार्ज का मामला आ जाता है। अगर इन सब चीजों को निकाल कर प्राविजन कर दें तो नो कानफिडेंस का प्रस्ताव लाने में दिक्कत होगी और एक्जीक्यूटिव पावर उसके लिए देनी पड़ेगी और इस तरह से बहुत काफी दिक्कत पैदा होगी और इशूज साफ न होंगी । अगर आप वोट आफ नो कन्फीडेंस लाना चाहते हैं और गांव सभा से निकालना चाहते हैं तो उसके लिये प्राविजन इसमें अलग है। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि माननीय जोरावर सिंह जी जब उनके प्रस्ताव की भावना का प्राविजन हो गया है और जब इसके लाने से बहुत सी कठिनाइयां दिखायी पड़ती हैं तो अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री जोरावर वर्मा--मैं चाहता था कि जैसे गवर्नमेंट ने अपने यह अधिकार इसमें सुरक्षित कर लिये हैं १२ (जी) में कि वह चाहें तो गांव सभा को डिजाल्व कर दें तो मैं समझता हूं कि ६ महीने के लिये गांव सभा को अधिकार दे दें तो ज्यादा अच्छा था और ऐसा करने के लिये कोई स्पेशल मीटिंग नोकान्फीडेंस वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि जब गवर्नमेंट को १२ (जी) के अन्दर अधिकार है तो गांव को दे दिया जाय तो अधिक अच्छा हो। लेकिन माननीय मंत्री जी इससे सहमत नहीं हैं इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १६

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १४ का संशोधन ।

१६--मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

Remval of Pradhan and up-Pradhan.

"14. The Gaon Sabha may at a meeting specially convened for the purpose and of which at least 15 days previous notice shall be given remove the pradhan and-up pradhan by a majority of two-thirds of the members present and voting. The procedure to be followed at the meeting shall be such as may be prescribed."

*श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:--

खंड १६ में प्रस्तावित धारा १४ की पंक्ति ४ में शब्द "Vice-President" तथा शब्द "up-pradhan" निकाल दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो धारा है इसमें गांव सभा के प्रधान को निकालने का प्राविजन है लेकिन माननीय मंत्री जी ने उप-प्रधान को भी उसमें रखा है। मेरा ऐसा ख्याल है जैसा इस ऐक्ट में है और सब जगह होता है कि जो आदमी जिसको चुनता है उसी को हटाने का अधिकार होता है लेकिन उप-प्रधान को तो गांव सभा चुनती नहीं है इसलिये उसको हटाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये। उसके हटाने के लिए इसमें मैंने आगे एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संशोधन रखा है उसे आगे बनाऊंगा लेकिन उसके हटाने का प्राविजन यहां रखना अच्छा नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम ऊपर धाराओं को स्वीकार कर चुके हैं कि एक प्रधान है और एक उपप्रधान है। प्रधान का चुनाव तो गांव सभा से होगा लेकिन उप प्रधान का चुनाव गांव पंचायतें करेंगी ऐसा हम स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन जब वह चुन गया तो फिर अगर गांव सभा उसको उसके किसी ऐसे कार्य के लिये निकालना चाहती है जो अहितकर है तो उसको अलग करने का अधिकार उसे होना चाहिये। अब सवाल यह है कि जिसको जो चुने उसको ही निकालने का अधिकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिन लोगों को जिसने चुना हो वही अलग करें और दूसरा कोई न करे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। इसमें कोई असंगत बात नहीं है। मुझे आशा है कि मेरी इस बात को वे स्वीकार करेंगे और फिर अगर उनके संशोधन को स्वीकार करते हैं तो फिर उप-प्रधान चाहे जितनी धांधली करे जो एक्जीक्यूटिव गांव सभा की होगी वह अपने को हेल्पलेस पायेगी और उसको अलग नहीं कर सकेगी चाहे कितना ही वह उसके कार्य को नापसन्द करे। जो बात उनको असंगत मालूम होती है उसका जवाब मैंने दे दिया। इसलिए अब मुझे आशा है कि वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, गांव सभा को तो पूरा अधिकार गांव पंचायतों को हटाने का है, उससे अगर वह लोग चाहें तो पूरी पंचायतों को हटा दें, उससे प्रधान भी अलग हो सकते हैं और उपप्रधान भी। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी को दिक्कत मालूम होती है तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

१७--मूल अधिनियम की धारा १५ में--

[(१) खंड (*h*) में शब्द "*hats*" और शब्द "within" के बीच शब्द "held on land vested in the Gaon Samaj established under section 113 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms, Act, 1950" [be] रख दिये जायं]

(१) खंड (*h*) में शब्द "State Government" तथा शब्द "and" के बीच में शब्द "or the District Board" रख दिये जायं ;

(२) खंड (*t*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(t) the maintenance and control of class (1) and Kaiser-Hind forests, waste lands (benap), water channels and drinking places (panghat) in the hill patties of the Kumaon Division".

श्री कृपाशंकर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ में उपखंड (१) के पहले निम्नलिखित नया उपखंड रखा जाय--

खंड (g) में शब्द "the disposal of" के बाद आने वाले शब्द "the dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर "dead bodies and carcasses" रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन भाषा की शुद्धि के लिये रक्खा गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री अध्यक्ष—यह नया खंड कौन सा है, ठीक समझ मे बात आयी नहीं।

श्री मोहन लाल गौतम—ओरीजिनल ऐक्ट की धारा १५ के उपखंड (g) regulating places for the disposal of the dead bodies of human beings are animals and of other offensive matter जो है उसमें शब्द "dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर श्री कृपा शंकर जी "dead bodies and carcasses" रखना चाहते हैं। उनको "the dead bodies of human beings and animals" शब्द अच्छे नहीं मालूम हुए इसलिये वह चाहते हैं कि उनके बजाय "dead bodies and carcasses" शब्द रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—इसमें जो १७ वां क्लाज है उसमें सेक्शन १५ को आपने अमेंड किया है?

श्री मोहन लाल गौतम—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (g) में शब्द "dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर शब्द "dead bodies and carcasses" रख दिये जायं। यानी प्रिंसिपल ऐक्ट की धारा १५ से इनका मतलब है। मूल अधिनियम की धारा १५ के खंड (g) में यह चेंजेज हो जाय, यह मतलब है।

श्री अध्यक्ष—फिर उसके बाद मैं लूंगा क्योंकि यह बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है।

श्री कृपाशंकर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के अधीन प्रस्तावित धारा १५ के कोष्ठांकित उपखंड (१) के बाद आने वाले उपखंड (१) को पूरा रेखांकित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसको आप पूरा रेखांकित करना चाहते हैं।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना था कि इससे पहले जो संशोधन माननीय स्वशासन मंत्री ने पेश किया था उसकी क्रम संख्या १ बनेगी क्योंकि वह "जी" है जो पहले से है यह "एच" है तो यह दो बनेगी और "आई" आता है वह नम्बर तीन बनेगा क्योंकि वह संशोधन जो मंत्री महोदय ने पेश किया था वह अमेंडिंग बिल मे १७ अन्डर सेक्शन १५ आफ प्रिंसिपल ऐक्ट में बन कर आया है। "Corpses" रेखांकित दोनों के सामने आया है।

श्री अध्यक्ष—हां, तो "H" को मैं ले रहा हूं। उसको अभी छोड़ देता हूं क्योंकि रीड्राफ्ट करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ रहा हूं, जरा इसको साफ कर दें। [illegible] करने का क्या मतलब है?

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १५ का संशोधन।

श्री कृपाशंकर—मूल अधिनियम की धारा १५ के उपखंड "एच" में ऐसा जोड़ दिया [illegible]क होगा। खंड १७ के उपखंड "ए" में शब्द "impose" के बाद "or under the Act" रखा जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—खंड १७ के अधीन प्रस्तावित धारा १५ के कोष्ठांकित उपखंड (१) के बाद आने वाले उपखंड (१) को पूरा रेखांकित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या इससे काम नहीं चलेगा? खंड "H" में शब्द जो है तो उसी तरह खंड "G" में शब्द डिसपोजल के बाद आने वाला यह कर दिया जाय तो मूल अधिनियम की धारा १५ ऐसी हो जायगी। तो मेरे ख्याल में कोई क्लाज आगे जोड़ा जाय यह मेरी समझ में आ नहीं रहा है। और वह शाब्दिक होगा तो आप देख लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—अगर ऐसी चीज है तो आपको अधिकार है। मुझे शिकायत नहीं मालूम होती।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उसमें नम्बर का फर्क पड़ेगा। अगर पहले आता है तो नम्बर चेंज करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—हां, वह तो है, वह दुरुस्त किया जा सकेगा। प्रश्न यह है कि खंड १७ में उपखंड (१) के पहले निम्नलिखित नया उपखंड रख जाय —

"खंड (g) में शब्द "the disposal of" के बाद आने वाले शब्द "the dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर "dead bodies and carcasses" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (१) (अ) रख दिया जाय—

"१ (अ)—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (o) में शब्द "and the election of Panches on the panel of the Panchayati Adalat according to the provisions of this Act and rules made thereunder" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जब हम इस धारा को पढ़ते हैं और उसके बाद में यह सोचते हैं कि जो ये न्याय पंचायतें बनायी जा रही हैं वे एक नये तरीके से बनायी जा रही हैं और जो १२-ए है उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रखी गयी है और जो अदालती पंचायतों का पेनेल होगा उसका कोई संबंध नहीं रहा और जो धारा ४३ है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है उससे अगर इस चीज को रखते हैं तो हमारा जो मतलब है वह पूरा नहीं होता है। क्योंकि जब हम उस धारा को पढ़ते हैं जिसमें पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शन ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ए गांव पंचायत है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन आफ सिविल ऐंड क्रिमिनल जस्टिस इन दि इलेक्शन वगैरह है, तो यह वैसे एक टेक्निकल बात है और मैं समझता हूं कि अगर हम इसको रखते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम—यह बहुत सुन्दर संशोधन है और मुझे स्वीकार है और जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (१) (अ) रख दिया जाय।

"१ (अ)—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (o) में शब्द "and the election of Panches on the panel of the Panchayati Adalat according to the provisions of this Act and rules made there under" निकाल दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो मैंने यहां पर संशोधन रखा है और मैंने उसकी कापी आपको दे दी थी आपकी आज्ञा से मैं उसको पेश करता हूं :—

"खंड १७ में मूल अधिनियम की धारा १५ में खंड (r) में "manure" के बाद तथा सेमीकोलन से पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं —

"and for tanning and curing of hides"

[श्री धर्म सिंह]

इसके रखने का मतलब यह है कि अगर हम पावर्स, ड्यूटीज फंक्शन्स ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ गांव पंचायत के डिस्क्रीशनरी फंक्शन्स को देखते ह जो कि १६ वां प्राविजन है तो उसमें जो क्लाज है उसमे एलाटमेंट आफ प्लेस फार रेस्टोरिंग मैन्योर है और इसके साथ साथ अगर हम और आगे पढ़ते तो उसी खंड मे १६ वी मे (एम) धारा है उसमे यह है कि २२० गज आबादी के बाहर चमड़े का टैनिंग और ड्राइंग वगैरह हो सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, जब हमने यह प्राविजन कर रखा है कि कोई भी आदमी जो चमड़े का काम करता है उसको उस काम के करने के लिये २२० गज आबादी के बाहर करना पड़ेगा। ऐसी हालत मे जब दिन प्रति दिन उनकी हालत को देखते हं जो गरीब आदमी चमड़े का काम करते हं, वह कहां करे तो एक समस्या उपस्थित हो जाती हं क्योकि ग्राम मे आदमी उनको जगह नही देते हं। जब समस्या को देखते ह कि उनको जगह नही मिलती हं और उनका काम बहुत बड़ा हं और कोई भी गांव का आदमी जगह देने को तैयार नही होता और किसी भी क़ीमत पर उनको जमीन नहीं मिलती। ऐसी हालत मे क्यों न पंचायत इस तरह का प्रावीजन करे या इस तरह का रेजोल्यूशन पास करे या कोई भी चीज करे कि जो भी आदमी चमड़े का काम करे उसके लिये जमीन का प्रबन्ध हो। क्योंकि हम देखते है कि जो लोग चमड़े का काम करते है वहीं उनका घर होता है, वहीं उनका खाना पीना होता है और वहीं उनके लिये रहन-सहन की व्यवस्था होती है और उनकी जिन्दगी बहुत खराब हो जाती है। इधर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा जब गंदगी रहती है तो उनका चालान होता है और नतीजा यह होता है कि वह इस काम को छोड़ने के लिये मजबूर हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है लाखों की तादाद मे लोग इस काम को करते है और यदि हम इनको सहायता नहीं देते हं तो हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी तिजारत को धक्का लगेगा। मै समझता हूं कि यह अत्यन्त उपयोगी है इसलिये इसको रक्खा जाय। मै माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर ले।

*श्री रामदास आर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मे माननीय मंत्री जी के उन भावो को सराहना करता हूं कि जिन भावों से माननीय मंत्री जी ने हमे आश्वासन दिया है, इसको मानने के लिये। आज हमारे प्रदेश मे चमड़े की बड़ी भारी आवश्यकता है, उसको देखते हुये चमड़े के उद्योग को उन्नत करना चाहिये। आज यह हो रहा है कि अपने गांव मे चमड़े के लिये स्थान बहुत ही न्यून है और बहुत से कारखाने गांवों के अन्दर आ गये है। इसकी वजह से दूसरे गांव वालों के स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि जहां चमड़े के टैनिंग के कारखाने होते है, जहां चमड़े रंगने का काम होता है, वहां बड़ी बदबू रहती है, और जहां चमड़े को छीला जाता है, पानी मे डाला जाता है वहां तो बहुत अधिक बदबू हो जाती है। इसलिये सफ़ाई के लिहाज से यह बहुत जरूरी हो जाता है कि चमड़े के कारखाने गांव से बाहर रक्खे जायं। जो चमड़े का काम करते है उसके स्वास्थ्य पर ही असर नहीं पड़ता है बल्कि दूसरे लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। गांव के पास जहां तालाब होते है वहां यह चमड़ा साफ़ करते है। उसकी वजह से पानी में बदबू हो जाती है इसलिये ऐसे पानी का प्रबंध अलग होना चाहिये ताकि जानवरों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। इन सब आवश्यकताओं को देखते हुये और आबादी बढ़ती जाती है उसकी वजह से जो कारखाने पहले गांव के बाहर थे वे अब अन्दर आते जा रहे है। इसलिये इस बात की गुंजाइश होनी चाहिये कि चमड़े के कारखाने गांव से २२० गज के फासले पर हों ताकि गांव वालों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जो लोग इस काम को करते है उनके खाने पीने और रहने सहने का स्थान अलग होना चाहिये। गांव समाज को अधिकार दिया जाय कि वह चमड़े के काम करने वालों को जगह दें और ऐसा मेरा ख्याल है कि अपने देश की उन्नति के लिये उनको जमीन फ्री मिलनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये और यदि ऐसा न हो सके तो मामूली कीमत ली जाय और वह जगह गांव से बाहर होनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें और इस संशोधन को स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम—इन तमाम दलीलों के बाद जो दो माननीय सदस्यों ने दी हैं, मैं उनका समर्थन करते हुये इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ में मूल अधिनियम की धारा १५ में खंड ( ) में " manure " के बाद, तथा सेमीकोलन से पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"and for tanning and curing of hides."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृपाशंकर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ में उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (१-क) रखा जाय—

"(१-क) खंड (s) में शब्द "imposed by" के बाद शब्द "or under this Act or" रखा जाय।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ में उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (१-क) रखा जाय—

"(१-क) खंड (s) में शब्द "imposed by" के बाद शब्द "or under this Act or" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा १६ में—

(१) खंड (*b*) में शब्द "them" और उसके बाद पड़ने वाले सेमीकोलन के बीच में शब्द "including the maintenance of pedigree bulls.""

(२) खंड (*l*) में शब्द "sweepings" और उसके बाद पड़ने वाले सेमीकोलन के बीच में शब्द "and making arrangements for the disposal of carcasses of animals": रख दिये जायं; और

(३) खंड (*r*) के बाद निम्नलिखित नया खंड (*s*) जोड़ दिया जाय—

"(*s*) making arrangements for the seizure and disposal of stray cattle, stray dogs, wild animals and monkeys."

श्री कृपाशंकर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "pedigree bull" के उपरांत सेमीकोलन रखा जाय और उप खंड के अन्त में आने वाले कोष्ठक और उसके अन्दर स्थित कोलन को हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) की अंतिम पंक्ति में शब्द "pedigree bull" के उपरान्त सेमीकोलन रखा जाय और उपखंड के अन्त में आने वाले कोष्ठक और उसके अन्दर स्थिति कोलन को हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
६ मई, १९५४।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १६ का संशोधन।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ व ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर।)

लखनऊ जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य की सूची

१—सिंचाई

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले में नहरों के विस्तार में तेजी से कार्य हुआ जिसके परिणाम स्वरूप जिले में १९५२ ई० में नहरों द्वारा १,२७,०४२ एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई होने लगी। इस कार्य में पुनः विस्तार हो रहा है और सन् ५६ ई० तक नहरों द्वारा प्रति वर्ष १,४४,२८१ एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकेगी।

ट्यूबवेल की संख्या १९४६ में १७ से बढ़ कर १९५२ ई० में ३२ हो गई। शीघ्र ही २० नलकूपों का और निर्माण हो सकेगा। जिले में सहकारी समितियों द्वारा ७ नलकूप तथा ८ व्यक्तिगत नलकूप इस वर्ष निर्मित होंगे। शासकीय नलकूप शासकीय फार्मों और जंगलों में लगाये जा रहे हैं।

सन् १९५२ ई० में जिले में कुल १०२ पम्पिंग प्लान्ट थे। ५३, ५४ में सहकारी समितियों और पंचायतों द्वारा ६ पम्पिंग प्लान्ट चलाये गए। शासन ने १३ पम्पिंग प्लान्ट्स के लिये तकावी की सहायता जिले को प्रदान किया है।

सिंचाई के कुओं से सिंचाई हो रही है। प्रतिवर्ष १४५ कुओं के हिसाब से सिंचाई के कुओं का निर्माण हो रहा है और लगभग १२० कुओं में प्रतिवर्ष के हिसाब से बोरिंग होती है। ५२, ५६ में १७५ रहट प्रतिवर्ष के हिसाब से लगाई जायंगी।

२—कृषि

इस समय जिले में १८ स्थायी और एक घूमने वाले सीड स्टोर हैं जिनमें प्रति सीड स्टोर में १,५०० प्रति मन से ८,००० प्रतिमन तक बीज रखा जाता है। दो और सीड स्टोर बनाने का प्रयत्न जारी हैं। जिला नियोजन समिति ने जिले में बहुत से सीड बैंक खोलने की योजना को स्वीकृत कर लिया है जिसके अनुसार अच्छे बीजों के रजिस्टर्ड एकत्रीकरण की योजना है। इस प्रकार आशा की जाती है कि १९५६ ई० तक सिंचित भूमि का अधिक भाग उन्नतिशील बीजों से परिपूरित हो जायगा।

प्रान्तीय शासन ने भूमि और ऊसर जमीन को कृषि योग्य बनाने का कार्य बड़े स्तर पर प्रारम्भ किया है। रहीमाबाद ऊसर फार्म और रहमान खेरा भूमि संरक्षण फार्म शासन द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसके सिवाय ७,००० एकड़ ऊसर भूमि व्यक्तिगत साधनों से किसानों द्वारा उपजाऊ बना कर कृषि योग्य की जा रही है। कानपुर सड़क पर एक ऐसे क्षेत्र में जो मुख्यतः ऊसर क्षेत्र कहा जा सकता है एक राष्ट्रीय विकास क्षेत्र खोला गया है।

कृषि के उत्पादन को ऊपर उठाने के लिये ५२,५३ में ८३६ कृषि यंत्र प्रयोग में लाये गये। सन् १९५६ तक १,५०० उन्नतिशील कृषि यन्त्रों को प्रयोग में लाने की योजना है। कृत्रिम खाद कम्पोस्ट तथा हरी खाद के प्रयोग का अधिकाधिक प्रचार किया जा रहा है। उन्नत विधियों द्वारा प्रति वर्ष १६१० कृषि प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया जाता है।

जिले में फसल प्रतियोगिता का कार्य व्यापक स्तर पर हो रहा है। कृषि रक्षा सेवा की एक इकाई जिले में कार्य कर रही है और टिड्डियों के विनाश, गन्धी चूहे तथा मैंगों हापर के विनाश का कार्य कर रही हैं। मैन्गों हापर से बचाव के लिये औषधियों के छिड़काव का कार्य गहन स्तर पर प्रारम्भ किया गया है। कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचाव के लिये कृषि नाशक औषधियों को सस्ते दामों पर सहकारी केंद्रों द्वारा विक्रय कराया जा रहा है तथा उनका प्रचार किया जा रहा है।

३—बागबानी और वृक्षारोपण

सिंचाई के छोटे साधनों के अधिक उपलब्ध होने के कारण साग सब्जियों का उत्पादन का प्रचार बहुत बढ़ रहा है। साग सब्जियों सम्बन्धी अनुसंधान फार्म जिले में चल रहे है। शहर में आलू के बीजों को सड़ने से सुरक्षित रखने के लिये एक कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है और देहातों में इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये कार्य किया जा रहा है। शिक्षण केन्द्रों में किचेन गार्डन, बागवानी और साग सब्जी को छोटे-छोटे खेतों में पैदा करने का प्रचार किया गया है।

निम्नलिखित तालिका वृक्षारोपण के विषय में है जिसमे इस छोटे से जिले में विगत तीन साल के वृक्षारोपण की स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

वर्ष		पेड़ जो लगाये गये		पेड़ जो बचे	
		फलदार	गैर फलदार	फलदार	गैरफलदार
१९५१	..	२४,१६८	३,७१८	१४,५७७	१,६४०
१९५२	..	३९,११९	६,९१४	२३,३४२	३,४००
१९५३	..	६४,३४०	१,१३,३९७	ग्रीष्म ऋतु	के उपरान्त गिना जायगा
योग	..	१,२७,६२७	१,२४,०२९		

४—गन्ना विकास

गन्ने की औसत पैदावार सन् १९४६ ई० में ३०० मन प्रति एकड़ से बढ़ कर सन् १९५२ ई० में ३४० मन प्रति एकड़ हो गई। गन्ना विभाग का एक अपना बीज भंडार, एक ट्रैक्टर तथा एक पम्पिंग सेट है।

५—सहकारिता

इस छोटे में जिले के अन्तर्गत ५७१ सहकारी समितियां कार्य कर रही है। ३०० नई समितियां और संगठित की जा रही है ताकि जिले के समस्त ग्राम सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत आ जावे।

१८ विकास संघ तथा १ दुग्ध संघ जिले में कार्य कर रहे है। जिले में एक सहकारी बैंक तथा एक जिला सहकारी विकास संघ (डी० सी० डी० एफ०) भी है जो रुपये के लेन देन का भी कार्य करते है। सन् १९५२, ५३ में समितियों द्वारा अपने सदस्यों को लगभग ५ लाख रुपया दिया गया। सन् १९५६ तक इसे बढ़ा कर १२ लाख प्रतिवर्ष कर देने की योजना है।

१३ बीज भंडार चालू है और यूनियन्स अपने बीज गोदामों के भवन भी निर्माण करा रही है। सन् १९५६ तक जिले में १७ बीज गोदामों के पक्के भवन बन जावेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में १० सहकारी भट्टे भी चल रहे हैं।

६—चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा संक्रामक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गहन उपाय काम में लाये जा रहे है। जिनके फलस्वरूप गत दो वर्षों से संक्रामक रोग पूर्णतया नियन्त्रित है। सन् १९५२-५३ ई० में जिले भर में हैजे के ४,७०,२७५

चेचक के ३५,१०० और ताउन के ७,३६८ टीके लगाये गये इस वर्ष जिले में मलेरिया निरोधक कार्य भी हो रहा है और डी० डी० टी० के छिड़काव का प्रबन्ध भी किया गया है। चूहा मारने का आन्दोलन भी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। गांवों की अधिक सफाई सुधार करने के लिये नियोजन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तालिका बनायी जा रही है। नालियां भी बनायी जा रही हैं। लालटेनें लग रही हैं साफ पानी के कुओं का निर्माण हो रहा है और कुओं को नियमित रूप से कीटाणु मुक्त किया जाता है। गांवों में पाखाना साफ करने के तरीकों में भी सुधार करने की चेष्टा की जा रही है। प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा का भी आयोजन किया गया है।

७—पशु पालन

(अ) पशु चिकित्सा—

जिले को रेन्डरपेस्ट रोग से पूर्ण रूपेण मुक्त करने का आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाया [illegible] लाख टीके लगाये गये जिसके फलस्वरूप इस वर्ष केवल [illegible]
रोग को पूर्णतया नियन्त्रण में रखने के लिये प्रति वर्ष ४०,००० टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जानवरों के इलाज तथा टीके लगाने के लिये सिरम तथा वैक्सीन बनाने के हेतु लखनऊ में एक बाइयोलाजिकल उत्पादन सेक्शन खोला गया है।

(ब) नस्ल सुधार—

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नस्ल सुधारने हेतु ४६ सांड़ १६ भैंसे ७ भेड़ २२ बकरा, १६ सुअर और १ घोड़ा वितरित किये गये। १९५६ तक इस संख्या में क्रमशः ३०.२८.२५.३०.२० और १ की वृद्धि की जावेगी। प्रतिवर्ष ९,००० निकम्मे सांड़ तथा बछड़ों को बधिया किया जाता है।

वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर ३०० जानवरों के बाड़े निर्मित किये जा चुके हैं। सन् १९५६ ई० तक यह संख्या १,२०० हो जावेगी। जिले में हरे चारे जैसे बरसीम के पैदा करने की ओर क़दम उठाये गये हैं और चारागाहों को भी सुधारा जा रहा है। सन् १९५६ तक ७ एकड़ भूमि में चारे की उन्नतिशील खेती होने लगेगी।

चक गजरिया में एक विशाल मिकेनाइज्ड राजकीय फार्म चलाया जा रहा है जिसमें एक बड़े कृषि फार्म के अलावा उन्नतिशील नस्लों की गायों भैंसों तथा मुर्गियों के ठीक रखने के प्रदर्शन किये जाते हैं।

८—आवागमन

लखनऊ में पक्की (मेटिल्ड) सड़कें पर्याप्त मात्रा में हैं। स्टार तथा ग्रिड फ र्मूला के अनुसार लखनऊ में ६६ मील पक्की सड़कें होना चाहिये और ४३० मील कच्ची (अनमेटल्ड) सड़कें। पर इस समय लखनऊ में ११८ मील पक्की सड़के हैं और सन् १९५६ ई० तक १७ मील और बन जायंगी।

लखनऊ में कच्ची सड़कों की कुल लम्बाई उपरोक्त फार्मूले द्वारा निर्धारित आवश्यकता से ३७२ मील कम थी। पिछले वर्ष श्रमदान द्वारा १०९ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गईं। इस वर्ष १६५ मील १ फर्लांग १०८ गज लम्बी कच्ची सड़क बनाई गई। इस प्रकार २६० मील १ फर्लांग १०८ गज कच्ची सड़क बन चुकी है। शेष चतुर्थ श्रमदान आन्दोलन के अन्तर्गत बनायी जायगी।

श्रमदान—

उपरोक्त सभी कार्य जिले में विगत वर्षों में नियोजन विभाग के प्रयास से हुये हैं। इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास गांव वालों के पास पहुंचने का ढंग है। और गांवों के निवासियों को अपनी स्थिति सुधारने का उत्साह दिलाना है। गांव वाले अधिक टिकाऊ सार्वजनिक कार्यों पर श्रमदान देते हैं और अपनी परिस्थितियों को सुधारने का दृढ़ निश्चय प्रकट करते हैं।

६—शिक्षा

४६ जूनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल और ३२ हायर सेकेण्डरी स्कूल जिले मे चल रहे १७ पुस्तकालय तथा ४५ वाचनालय जिले में पिछले वर्ष खोले गये थे। सैनिक शिक्षा युवकों को एन० सी० सी० तथा पी० ई० सी० द्वारा दी जाती है।

नियोजन विभाग के कर्मचारियों के लिये विभिन्न विभागों के शिक्षण के लिये जिले में २ शिक्षण शिविर चलते हैं जिनमे एक बख्शी का तालाब तथा दूसरा प्रान्तीय रक्षक दल के मुख्य कार्यालय के पास है।

१०—हरिजन वेलफेयर

हरिजनों को गृह उद्योग के धन्धे चलाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। १४,४०८ रु० ५२, ५३ में चमड़े बढ़ईगिरी तथा अन्य कारोबार करने के लिये हरिजनो को दिया गया। इस वर्ष हरिजनों को २४,३०० रु० दिया गया है। हरिजनों की १८ सहकारी समितियां उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु काम कर रही हैं। बख्शी तालाब पर हरिजनो को वैज्ञानिक ढंग से चमड़ा साफ करना सिखाने का एक व्यापारिक केंद्र खोला गया है। इसमे प्रतिवर्ष शासन द्वारा ८५,००० रु० क्षात्रों को १ होस्टल, पुस्तकालय, रात्रि पाठशाला फीस तथा पुस्तकों को क्रय करने में व्यय होता है। यह आशा की जाती है कि ५६ तक शासन द्वारा जिले मे ३ लाख रुपया इस कार्य पर व्यय होगा। शासन हरिजनों को कुओं के निर्माण के लिये काफी सहायता देती हैं। जिले मे १०३ पानी पीने के कुओं के हेतु हरिजनों को सहायता प्रदान की गई है। भवन निर्माण के लिये भी हरिजनों को सहायता दी गई।

पंचायत

जिले में नियोजन के कार्य का सारा भार गांव सभाओं पर है। यह कहना अनुचित न होगा कि इस जिले मे पंचायतों ने निर्माण कार्य में अत्याधिक रुचि दिखलायी है। पंचायतों ने प्रारम्भ से सन् १९५३ तक १८ पक्के और २१ कच्चे पंचायत घरों का निर्माण किया है। १९५३-५४ ई० मे लगभग ४० पक्के पंचायत घरों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष मे निर्मित इसमाइलगंज गरम्भा, बिजनौर सालेनगर तथा बरगवां के पंचायत घर उल्लेखनीय हैं। सन् १९५६ तक का लक्ष्य १८६ है।

पंचायतों ने अब तक जिले में कुल १४४ लालटेने लगवाई हैं। इस वर्ष मे १०० लालटेने क्रय की गई हैं। तथा ५०० लालटेने के लगवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। सन् १९५६ तक का लक्ष्य १४८० है।

प्रारम्भ से सन् ५३ तक पचायतों ने ५४ पुस्तकालयों का स्थापना की। वर्तमान वर्ष में २० और पुस्तकालयों के खोलने की व्यवस्था की गई है। जिसमे १० पुस्तकालयों के हेतु पुस्तक क्रय कर ली गई हैं और अन्य प्रबन्ध किये जा रहे हैं। सन् ५६ तक का लक्ष्य १८३ है। पचायतों द्वारा क्रय किये गये रेडियो की संख्या १० है। इसी प्रकार सामुदायिक श्रवण योजना द्वारा प्रदत्त रेडियो की संख्या भी लगभग २५ है। सन् ५६ तक का लक्ष्य ५० है। कच्ची सड़के, तालाबों, रास्तों, गूलों आदि के निर्माण, मरम्मत तथा सफ़ाई के साथ साथ पंचायतो मे पक्की सड़कों के बनवाने का भी उत्साह पैदा हो रहा है।

संक्षेप मे पचायतों ने अपने सीमित आर्थिक साधनों के होते हुये भी विभिन्न निर्माण कार्यों में अत्याधिक रुचि दिखलाई है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ व ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

जिला बुलन्दशहर में पंचवर्षीय योजना के अधीन होने वाले कार्य की सूचना

कृषि सम्बन्धी विकास कार्य—इस जिले की विकास योजना में कृषि उन्नति की योजना को प्रथम स्थान दिया है।

उन्नतिशील बीज का वितरण—इस योजना के अन्तर्गत सन् १९५१-५२ में १४,१२८ मन रबी का और २,४८७ मन खरीफ का, १९५२-५३ में ११,९५७ मन रबी का और २,२२९ मन खरीफ का तथा १९५३-५४ में १५,६३१ मन रबी का और १.३४५ मन खरीफ का बीज बांटा गया। जिले में वर्ष १९५५, ५६ में ३४,५०० मन रबी बीज का वितरण करने का हमारा लक्ष्य है।

कृषि प्रदर्शन—कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन किये जाते रहे हैं। जिनका यहां के किसानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। उन्नतिशील बीज तथा खाद सम्बन्धी, खेत सम्बन्धी यांत्रिक फसलों के हेर फेर आदि के प्रदर्शन कुल मिलाकर सन् १९५१-५२ में ३६०३ तथा १९५२-५३ में २३८५ और दिसम्बर १९५३ तक १७०९ प्रदर्शन कराये गये हैं। हमारा लक्ष्य १९५३-५४ व १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में प्रतिवर्ष २१०० प्रदर्शन करने का निश्चय किया है।

उन्नतिशील कृषि यंत्रों का वितरण—सन् १९५१-५२ में उन्नतिशील यंत्र ६५, सन् १९५२-५३ में ३१७ और दिसम्बर १९५३ तक १४५ बांटे गये हैं। सन् १९५३-५४ व १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में बांटने का लक्ष्य ४६० व ५५० और ५५० है।

खाद का उत्पादन और वितरण—हमारा यह लक्ष्य है कि हम प्रत्येक जानवर के पीछे एक टन कम्पोस्ट तैयार करें। सन् १९५१-५२ व ५२-५३ और ५३-५४ में दिसम्बर ५३ तक क्रमशः ७९० टन, २४२.५ टन, ३०३ टन अमोनियम सल्फेट १९५२-५३ व ५३ ५४ में ४-४ टन सुपर फास्फेट बांटा गया और ५१-५२ तथा ५३-५४ में ७.५ टन तथा १.५ हड्डी की खाद बांटी गयी। इन तीन सालों में खली क्रमशः २,०१० मन २,३०४ मन तथा २९८ मन बांटी गयी। इन खादों के साथ-साथ हरी खाद जैसे मूंग टी १, ढेंचा सनई आदि का वितरण भी निम्न प्रकार से किया गया।

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
मूंग टी १	३५ मन	१७४ मन	१५८ मन
सनई ढेंचा	२.२ टन	४.५ टन	४.७ टन

फसल प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को कुछ विशेष सुविधायें देकर प्रांतीय सरकार ने इस योजना पर और भी प्रगति लायी है। इस सम्बन्ध में सरकार ने निम्न पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया है जिससे अन्य कृषक भी इस योजना में भाग लेने के लिये प्रेरित हो सकें।

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
पुरस्कार जो बांटे गये	१,४०० रु०	५,१०० रु०	६,३५० रु०

जिला बुलन्दशहर के एक कृषक जयपाल चन्द्र को आलू में ७३५ मन से अधिक पैदावार करने में प्रदेशीय तथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार और कृषि पंडित की उपाधि प्राप्त हुयी। वर्ष १९५२-५३ की प्रदेशीय रबी फसल प्रतियोगिता में गेहूं की सबसे अधिक उपज करने में प्रथम पुरस्कार इस जिले के कृषक श्री राम किशन सिंह, ग्राम बरकतपुर को प्राप्त हुआ। उन्होंने एक एकड़ में ५४ मन से अधिक गेहूं पैदा किया।

कपास की उन्नति—यह बहुत आवश्यक है कि जिले में सन् १९५५-५६ में कपास के क्षेत्रफल को ५०,००० एकड़ तक बढ़ाया जाय । यह पूरा क्षेत्रफल उन्नतिशील जातियो का है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित कार्य हो चुका है :

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४
कपास का क्षेत्रफल	३०,०७१ एकड़	३०,८४१ एकड़	२४,६७७ एकड़
कपास का बीज जो बांटा गया	२,००४ मन देशी	१,९८२ मन देशी	९७१ मन सुधरा

उद्यान तथा वृक्षारोपण में सन् १९५२ से अब तक निम्नलिखित प्रगति हुई है

१—नवीन उद्यानों का लगाना—नवीन उद्यानों का क्षेत्रफल जो कि इस जिले मे लगाना चाहिए था उसके लक्ष्य का १९५६ तक का योग १५४६ एकड़ निश्चित हुआ था जिसमे से अब तक ९०३.२५ एकड़ नवीन उद्यान रोपित हो चुके है ।

२—पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार—जीर्णोद्धर का लक्ष्य १९५६ तक का ३,१९६ एकड़ निश्चित हुआ था जिसमे से अब तक १,७३८.५ एकड़ पुराने बागों का जीर्णोद्धार हो चुका है।

३—फलदार वृक्षों का रोपण संख्या—वृक्षारोपण केवल फलदार वृक्ष १९५६ तक के लक्ष्य का योग १,४९,१२४ वृक्ष निश्चित हुआ था जिसमें अभी ९१,२१४ वृक्ष लग चुके है । अन्य वृक्षारोपण का लक्ष्य २३,१९९ था । अनुमानतः गत ३ वर्षो मे १०,००० से अधिक इस प्रकार के वृक्ष लगे हैं।

४—पौदागृहों की स्थापना—इसमे १९५६ तक केन्द्रीय पौदागृहों की स्थापना का लक्ष्य २ था और अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त पौदागृहों का लक्ष्य १० था जिसमे से ३ तो केन्द्रीय पौदागृह कर दिये गये है और १० अन्य की व्यवस्था बीज इत्यादि बिना मूल्य के देकर स्कूलों तथा बीज गोदामों पर की गयी है।

५—शाक भाजी के बीजों का वितरण—इसका लक्ष्य १९५ पौंड बीज वितरण था जिसमें अभी तक १७१ पौंड वितरति किया जा चुका है।

वन लगाने की योजना

वर्ष १९५२, ५३ तथा १९५३,५४ में ११ मन बबूल के बीज का वितरण किया गया जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बड़े बड़े चकों का ७,४४० एकड़ रकबा मुहकमा जंगलात को हस्तांतरित कर दिया गया है।

सिंचाई के साधनों का विकास

छोटे-छोटे सिंचाई के साधनों में पक्के कुंओं का निर्माण व मरम्मत कुओं मे बोरिंग करना, रहट लगाना, पंपिंग सेट, लगाना तथा ट्यूबवेल इत्यादि है। इन कार्यो के लिये समय-समय पर छूट तकावी सामान की सुविधा दी गयी है जो कि इस प्रकार है ; पक्के कुओं का निर्माण व मरम्मत इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५० तक कुओं को ५०० रु० तक की छूट दी जाती थी। जनवरी, १९५१ तक कुओं के लिए २५० रु० तक की छूट दी गयी ।

मार्च सन् १९५० के उपरान्त गत चार वर्षों में १७४९ नये कूप निर्माण हुए। सन् १९५६ तक ३,२०० कुएं बनाने के लिये योजना है। पुराने कुओं की मरम्मत के लिये ईंट सीमेंट का प्रबंध कया जाता है । तथा तकावी भी प्राप्त हो सकती है। इसी योजना के अन्तर्गत ३००० कुओं की मरम्मत हो जाने की आशा है।

बोरिंग—पक्के कुओं के बोरिंग करने की योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार प्रगति हुयी—

सन्	लक्ष्य	प्रगति
१९५१-५२	१७५ प्रति वर्ष	४०
१९५२-५३	१७५ ,,	८९
१९५३-५४	१७५ ,,	२३ (सितम्बर, १९५३) तक

हमारा लक्ष्य यह है कि मार्च सन् १९५६ तक ८७५ कुओं में बोरिंग करा दिया जावेगा। इस कार्य के लिये अब तकावी की मात्रा ४०० रु० प्रति कुएं तक बढ़ा दी गयी है।

गत तीन वर्षों में १९३३ रहट लगाये गये। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल ३३२० रहटों के लग जाने की संभावना है। रहट के लिए २५० रु० तक तकावी दी जाती है।

सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ में इस जिले के लिये १५ कुएं स्वीकृत हुए थे। जिनमें से १४ कुओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया। इस वर्ष जिले के लिये ८ कुऐं स्वीकृत किये गये हैं। आगामी दो वर्षों में ५२ और कुएं बन जाने की आशा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कुएं के लिये १०,००० रु० तकावी के रूप में दिया जाता है जिसमें से ५००० रु० तक छूट प्राप्त हो सकती है।

गत तीन वर्षों में उक्त कार्य के लिये निम्नलिखित तकावी वितरित की गयी :

		१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	योग
नलकूप निर्माण	...	१०,०००	..	२१,४५०	३१,४५०
पक्के कुओं का निर्माण	...	८६,३५०	१,०००	४,५००	९१,८५०
रहटों का लगाना	..	१,२००	३,६७५	१,५००	६,३७५
कुओं की बोरिंग	..	५००	...	३,०००	३,५००
सहकारी नलकूप	..	..	१,५०,०००	८०,०००	२,३०,०००
पंपिंग सेटों का लगाना	...	..	..	१६,०००	१६,०००

[illegible] निर्माण के लिये [illegible] रु० की स्वीकृति प्राप्त हुयी है जो कि वर्ष के अन्तर्गत व्यय कर दी जायगी।

पशु पालन सम्बन्धी विकास योजनायें इस प्रकार हैं :

अ—पशु धन की उन्नति १—हरियाना व मुर्रा सांड पंच वर्षीय योजना में कुल १०० देने थे जिनमें से अब तक ५४ दिये जा चुके हैं। सन् १९५१ व ५२ में १३ गायें ग्राम मांगलौर में तकावी पर दी गयी।

२—सूअर सांड १५ देने थे जिनमें से ११ दिये जा चुके हैं।

३—बकरा सांड १५ देने थे जिन में से अभी एक भी नहीं दिया गया है।

४—मेढ़ा सांड १५ देने थे जिनमें से अभी एक भी नहीं दिया गया। कोई मांग प्राप्त नहीं हुयी।

५—१,५०० मुर्गियां देनी है जिनमें से ८५९ दी जा चुकी हैं।

६—३,५०० अंडे देने थे जिनमें से ९९६ दिए जा चुके हैं।

ब—पशुओं का इलाज—पांच वर्षों में १,१५,००० पशुओं का इलाज कराने के लिए लक्ष्य था। जिनमें से ४८,५९६ पशुओं का इलाज हो चुका है।

स—पशुओं का बधिया करना—१२,५०० जानवरों को बधिया करने की योजना थी जिनमें से अब तक ४,३१५ पशु बधिया किए जा चुके हैं।

द—छूतदार बीमारियों के टीके—धुर्का व वेदन के ५,००,००० टीके लगाने की योजना मे से अब तक ६,२६,८५९ टीके लग चुके हैं। इस वर्ष सारे जिले मे वेदन (आर०पी०के०) के टीके लगाने की योजना चालू की गयी है जिसके अन्तर्गत ३,३४,४१२ टीके लगाये गए।

इ—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलना—सन् १९५५ व ५६ तक एक केन्द्र बुलन्दशहर में खोलने की व्यवस्था विचाराधीन है।

एफ—नया अस्पताल खोलना—एक अस्पताल खोलने की व्यवस्था थी जो अभी बहादुरनगर में खोला जा चुका है इसके अलावा वर्तमान वर्ष मे २ पशु निरीक्षक केन्द्र बरौला व ऊंचा गांव मे खोले गए हैं।

जी—बूट बाथ बनाना—५० बूट बाथ बनाने की योजना है। अबतक ४ बूट बाथ बन सके हैं।

एच—पशु प्रदर्शनी व मेले—पशुओं की उन्नति व गांव वालों को पशुओं के पालने के उत्साह दिलाने के लिए हमारा लक्ष्य कम से कम ४ पशु प्रदर्शनी प्रति वर्ष करने का है। अब तक २७ मेले गत तीन वर्ष मे किये जा चुके हैं।

आई—दवाइयों के बक्स—जो स्थान पशु चिकित्सालयों से दूर है उनमे दवाइयो के बक्से दिये जाते हैं। ४ बक्से वर्ष १९५२-५३ मे दिये जा चुके हैं। पांच वर्षों में ५८ बक्सों का प्रबन्ध करने की योजना है। इस वर्ष २५ बक्सों के लिये शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ है।

सहकारी कार्यो की योजना

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बुलन्दशहर मे सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिए सहकारी नलकूपों का निर्माण, सहकारी भट्ठों का खोलना, सहकारी कृषि फार्मों का चालू करना, सहकारी बीज भंडारों का खोलना तथा उनके भवनों का निर्माण करना. सहकारी चकबन्दी समितियों का संगठन करना, तथा सहकारी भवन निर्माण समितियों का चलाना व सहकारी ग्राम समितियो का बनाना, ग्राम समितियों मे सदस्यता बढ़ाना तथा उनके हिस्सों की पूंजी में वृद्धि करना है।

१—सहकारी नलकूप—जिले के लिए सन् १९५२ व ५३ मे १५ नलकूप स्वीकृत हुए थे जिनमें से निम्नलिखित नलकूपों के प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनको निम्न प्रकार से चालू करने की व्यवस्था की गयी :

क्रम सं०	नाम समिति	धन जो समिति ने जमा किया	तकावी जो दी गयी	विवरण
१	मडौना जाफराबाद	३,८५०	१०,०००रु०	कार्य हो रहा है
२	केशवपुर राठला	२,०००	१०,०००रु०	,,
३	परवाना महमूदपुर	१,०००	१०,०००रु०	,,
४	सटाना	२,०००	१०,०००रु०	,,
५	कनसी	५,०००	१०,०००रु०	,,
६	दयाहरा	९५९	१०,०००रु०	,,
७	करौरा	२,०००	१०,०००रु०	,,
८	भौं बहादरनगर	१,२००	१०,०००रु०	,,
९	उसमानपुर	२,०००	१०,०००रु०	,,
१०	डेरी मच्छा	३,४००	१०,०००रु०	,,

क्रम सं०	नाम समिति	धन जो समिति ने जमा किया	तकावी जो दी गयी	विवरण
११	मकोंडा	२,५००	१०,०००रु०	कार्य हो रहा है।
१२	रुकनपुर	२,०००	१०,०००रु०	,,
१३	बचयोली	२,०००	१०,०००रु०	,,
१४	नगर	२,०००	१०,०००रु०	,,

इन नलकूपों का निर्माण कृषि इंजीनियरिंग विभाग की देख रेख में हो रहा है। आशा है कि अधिकांश ट्यूबवेल इस वर्ष जून तक बन कर तैयार हो जायेंगे। वर्ष १९५३ व ५४ में जिले के लिए इस योजना के अन्तर्गत १० कुएं स्वीकृत हुए थे। परन्तु प्रार्थना पत्रों की कमी के कारण केवल ८ नलकूपों को बनाने की योजना रखी गयी। शेष २ शासन को वापस कर दिये गए।

२—सहकारी भट्टों का निर्माण—निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं ने अपने भट्टे १९५२ व ५३ तथा १९५३,५४ में चलाने की व्यवस्था की है।

क्रम सं०	नाम संस्था	स्थान जहां खोले गये	वर्ष	विवरण
१	सहकारी संघ, औरंगाबाद	औरंगाबाद	१९५३-५४	चालू है।
२	सहकारी संघ, कुचेसर	कुचेसर	१९५३-५४	कोयले की कमी के कारण चालू नहीं हुआ। कोयले का इंतजाम किया जा रहा है।
३	सहकारी समिति, दानपुर	दानपुर	१९५२-५३	चालू है।
४	सहकारी संघ, खुर्जा	खुर्जा शहरा	१९५२-५३	चालू है।
५	कन्ज्यूमर्स सोसाइटी, खुर्जा	खुर्जा	१९५३-५४	चालू है।
६	जिला विकास संघ, बुलन्दशहर	खानपुर	१९५३-५४	कोयले की कमी के कारण कार्य रुका हुआ है। कोयले का प्रबन्ध किया जा रहा है।
७	कंज्यूमर्स स्टोर, बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	१९५२–५३	चालू है।
८	ग्राम समिति नासिरपुर, भसरौली	नासिरपुर	१९५३–५४	चालू है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५६ तक २० भट्टे खोलने की योजना है।

३—सहकारी कृषि फार्मिंग समिति—योजना के अन्तर्गत साल १९५२,५३ में एक समिति खोली गयी जिसका विवरण इस प्रकार है—

क्र० सं०	नाम समिति	तादाद मेम्बर	सरकार द्वारा कर्ज जो मेम्बर को लिला	निजी पूंजी	भूमि जो फार्म में है
१—	निष्क्रान्त व्यक्तियों (डिस्प्लेस्ड) की सहकारी समिति, सूरजपुर	२८	२४,५९४ रु०	७,३१६ रु०	२३२ एकड़

४—सहकारी बीज भंडार—इस योजना के पूर्व इस जिले में कृषि विभाग के १३ बीज भंडार सहकारी विभाग को १९४८ में प्राप्त हुए थे।

इनके अतिरिक्त सन् १९५०,५१ में ३ बीज गोदाम कानपुर, करौरा तथा कुचेसर में खोले गए, जिनमें कार्य आरम्भ किया गया परन्तु : गोदाम, भौबहादुरनगर से अति समीप होने के कारण सन् १९५२,५३-में बन्द कर देना पड़ा। उपरोक्त १५ बीज भंडारों में अपने निजी भवन निर्माण अथवा क्रय कर लिए हैं।

इसके अतिरिक्त समस्त बीज भंडारों पर पूर्ण रूप से 'ए' क्लास बीज बनाया जा रहा है, जिनमें ५० प्रतिशत 'ए' क्लास हो चुका है और शेष ३ वर्ष में पूरा हो जायगा।

५—सहकारी चकबन्दी समितियां—इस योजना से पूर्व जिले में ९ समितियां बन चुकी थीं जिनमें चकबंदी का कार्य समाप्त हो चुका था। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम परथला, खंजरपुर, सुरजावली व चरौरा में कार्य चल रहा है।

६—सहकारी भवन निर्माण समितियां—इस योजना के पूर्व इस जिले में ७ समितियां खोली जा चुकी थीं जिनमें से निम्न २ समितियों में भवन निर्माण का कार्य भी चल रहा है।

(१) गवर्नमेंट एजूकेशनल आफीशियल हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, बुलन्दशहर

(२) शिवपुरी आफीशियल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बुलन्दशहर।

इसके अतिरिक्त पुरुषार्थी व्यक्तियों की १ भवन निर्माण समिति और बनायी जा रही है।

७—ग्राम समितियां—४८५ ग्राम समितियों का निर्माण ३० जून, १९५३ तक हो चुका है। १-७-५३ से २८-२-५४ तक १७ समितियां और बनायी गयीं। यह समितियां अपने सदस्यों को सस्ते सूद पर कर्जा, बीज-यंत्र तथा खाद आदि वितरण करने का प्रबन्ध करती है।

८—सदस्यता में वृद्धि—साल १९५२, ५३ तक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की संख्या १८,९०१ थी, जिनमें १-७-५३ से २८-२-५४ तक ३६८ सदस्यों की वृद्धि की गयी है।

हिस्से की पूंजी में वृद्धि—साल १९५२, ५३ के अन्त में ३,१३,०५० रु० इस मद में था १-७-५३ से २८-२-५४ तक १३,६४१ रु० हिस्से की पूंजी में और बढ़ाया जा चुका है।

जन-स्वास्थ्य कार्यों की योजना तथा प्रगति इस प्रकार है

अस्पतालों की व्यवस्था गत तीन वर्षों में राजघाट, दादरी, भौंबहादुरनगर, जेवर, ककोड़, बरोसा सैदपुर और थोरा में ऐलोपैथिक अस्पताल खोले गए। शिकारपुर में एक नया प्राइवेट वार्ड खोला गया। एक नया जनाना अस्पताल १९५३ में अनूपशहर में खोला गया। आयुर्वेदिक औषधालय जहांगीरपुर, बिसरल, ऊंचागांव तथा खानपुर में स्थापित किए गए। जिले के सदर अस्पताल में भी आवश्यक सामान बढ़ाया गया। शासन का विचार एक अस्पताल दनकौर में भी खोलने का है। वर्तमान वर्ष में रामघाट में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

चक्षु सहायता शिविर लगाने की योजना के अन्तर्गत १९५१,५२ मे १९५२,५३ मे १९५३,५४ में प्रतिवर्ष दो-दो कैम्प जिला चक्षु निवारण समिति द्वारा गांधी नेत्र चिकित्सालय अलीगढ़ की सहायता से चलाये गये। आगामी २ वर्षों में ४ कैम्प और लगाने की योजना है।

बी०सी०जी० के टीके—१९५२,५३ में २०,४०६ व्यक्तियों के तपेदिक से बचाव के लिये टीके लगाये गए तथा ६२,२५१ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया।

मलेरिया निरोधक कार्य—इस योजना के अन्तर्गत सन् १९५२,५३ में ५०० मलेरिया ग्रसित ग्रामों को दवा छिड़कने के लिये चुना गया और अधिकांश ग्रामों में दवा छिड़कवाई गयी। सन् १९५३,५४ में पुनः उन्हीं ग्रामों में दवा छिड़काई गयी।

भयानक रोगों की रोकथाम—सन् १९५२ में ३२,००४ तथा १९५३ में १,०२,८८६ टीके स्वास्थ्य विभाग द्वारा हैजे की रोकथाम के लिये लगाए गये। सन् १९५१-५२ में ६२,६१५ तथा १९५२-५३ में १,०१,२४९ टीके चेचक के लगाये गये।

जच्चा-बच्चा केन्द्र—इस समय जिले मे ४ सरकारी तथा ३ अन्य केन्द्र खुले हुए हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले में ४ अन्य केन्द्र खुलने की आशा है।

सड़कें तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर द्वारा स्यानागढ़, बुलन्दशहर, अनूपशहर, अलीगढ़, अनूपशहर दुराहा, डिवाई स्टेशन रोड, खुर्जा जेवर दनकौर, से दनकौर रेलवे स्टेशन तथा बुलन्दशहर से झाझर जाने वाली जिला बोर्ड द्वारा सौंपी गई १०६ मील ४ फर्लांग सड़कों की मरम्मत तथा सुधार का कार्य १९५२ तक किया गया। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्याना बुगरासी सड़क को जो कि ४ मील ६ फर्लांग लम्बी है मिट्टी डालकर चौड़ा तथा ऊंचा किया जा रहा है और उस पर पुलियां बनवाई जा रही हैं। इस सड़क के तीन मीलों पर मिट्टी का कार्य गत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में श्रमदान द्वारा कराया गया है, जिसका अनुमानित मूल्य १२,००० रु० से अधिक है।

डिवाई स्टेशन सड़क (राम घाट)—इस सड़क पर जिला बोर्ड तथा नियोजन विभाग द्वारा श्रमदान से मिट्टी का कार्य वर्तमान वर्ष में कराया जा रहा है। जिला बोर्ड ने भी इस सड़क के लिए कुछ धन स्वीकृत किया है।

जिला बोर्ड तथा जिला नियोजन समिति के संयुक्त प्रयास से स्याना से सठला भौंबहादुरनगर होती हुई कुचेसर तक ११ मील लम्बी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का कार्य १९५१ में आरम्भ हुआ था। जिला बोर्ड ने अभी तक इसके ३ मील पक्के कराये हैं और ६ मील में आवश्यक पुलों का निर्माण कराया है। इस समय जिला बोर्ड इसके १ मील को और पक्का करा रहा है। इस सड़क के लगभग ३ मील जिला नियोजन समिति द्वारा पक्के कराये जा चुके हैं और एक बड़े पुल का निर्माण कराया गया। गत वर्ष तथा इस वर्ष इस सड़क के ४ मीलों पर श्रमदान द्वारा लगभग ८,००० रु० की लागत का मिट्टी का कार्य हुआ। इसमें से २ मील और पक्का कराने की योजना है। इस सड़क के लिये कुल २०,००० रु० १०५२-५३ में तथा २५,००० रु० १९५३-५४ में शासन द्वारा दिया गया है। जिले के विकास कार्यों में इस सड़क का निर्माण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गत वर्ष में कुल ६७८ मील सड़कों का पुनःनिर्माण हुआ तथा २६४ मील रास्तों को समतल व साफ करके सुधार किया गया।

यातायात सम्बन्धी योजनायें तथा प्रगति

सन् १९५१-५२ ५३ मे कोई नयी सर्विस पूर्णतः रोडवेज द्वारा नहीं ली गई। सन् १९५३-५४ मे दिल्ली बुलन्दशहर सर्विस को लेने की योजना अवश्य थी। वर्ष १९५४-५५ में खुर्जा जुवर तथा अलीगढ़ अनूपशहर और मेरठ बुलन्दशहर की सर्विस लेने की योजना है। वर्ष १९५५-५६ मे बुलन्दशहर, अनूपशहर तथा बुलन्दशहर स्यानागढ़ मुक्तेश्वर सर्विस को लेने की योजना है। यातायात का राष्ट्रीकरण धीरे धीरे किया जावेगा। रोडवेज के अधिकारियों द्वारा क्रमशः अधिकाधिक ऐसी सुगमतायें प्रस्तुत की जा रही हैं जो पहले कभी प्राप्त नहीं थीं।

शिक्षा सम्बन्धी विकास कार्य

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सन् १९५१-५२ में जिले में २५ विद्यालय थे। लक्ष्य यह है कि १९५५-५६ तक ३३ विद्यालय बालकों के लिये हो जायेंगे। १९५१-५२ में बालिकाओं के २ विद्यालय थे जो कि १९५५-५६ में ४ हो जावेंगे।

जूनियर हाई स्कूल १९५१–५२ में बालकों के लिये ३६ थे। १९५५–५६ में यह संख्या बढ़कर ६८ हो जावेगी।

प्राइमरी विद्यालयों की संख्या १९५१–५२ में ४३७ थी यह संख्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४६४ हो जावेगी।

बालिकाओं के लिये १९५१–५२ में केवल जूनियर हाई स्कूल थे। १९५५–५६ तक यह संख्या ६ हो जावेगी। बालिकाओं के १९५१–५२ में १४ प्राइमरी विद्यालय थे जो १९५५–५६ में बढ़कर ४० हो जावेंगे।

विद्यालयों के लिये खेती की शिक्षा देने के लिये शासन द्वारा अध्यापकों का प्रबन्ध किया जा रहा है और आवश्यक जमीन इत्यादि को भी उपलब्ध करने की योजना है।

बुलन्दशहर कृषि विद्यालय में ग्राम सेवकों तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिये बहुधन्धी शिक्षा देने हेतु क्रमशः ६ मास तथा ४ मास की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता शिक्षा पाते हैं। इस समय इसमें कार्यकर्ताओं का तीसरा दल शिक्षा पा रहा है। कार्यकर्ताओं को वैभागिक कार्य की जानकारी के अतिरिक्त देहातों में जाकर और रहकर कार्य करने की शिक्षा दी जाती है और सब कार्यों को हाथ से करने का अभ्यास कराया जाता है:

घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये जिला नियोजन समति की एक उपसमिति का निर्माण शासकीय आदेशानुसार किया गया है। जिला नियोजन समिति ने ३,००० रु० उद्योगों के सहायता का प्रविधान वर्ष १९५३–५४ के बजट में कर दिया है।

बुलन्दशहर की पंचायत राज पंचवर्षीय विकास योजना के लक्ष्य एवं प्रगति का विवरण

हमारा पंच-वर्षीय लक्ष्य १८७ पंचायत घरों का था। जिनमें से ३२ पंचायत घरों की व्यवस्था हो चुकी है।

गांधी चबूतरों का निर्माण—पंच-वर्षीय योजना में १८७ पक्के तथा ६८५ कच्चे गांधी चबूतरे का लक्ष्य रक्खा गया था जिनमें से अबतक ६२ पक्के तथा ३१२ कच्चे गांधी चबूतरों का निर्माण हो चुका है।

पुस्तकालय व वाचनालय—पंच-वर्षीय योजना में १८७ पुस्तकालय तथा ६८५ वाचनालयों की व्यवस्था रक्खी गई थी। ग्राम सभाओं द्वारा पूर्णतः संचालित १६ पुस्तकालयों में २४० पुस्तकें हैं और ग्राम सभाओं से अनुदान प्राप्त १७ पुस्तकालयों में ४७९ पुस्तकें हैं। इस प्रकार कुल पुस्तकालयों की संख्या ३३ है। प्रत्येक ग्राम सभा में प्रदेशीय पंचायत राज पत्रिका नियमित रूप से पहुंचती है पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमारा लक्ष्य यह था कि प्रत्येक गांव सभा में इस पत्र के अतिरिक्त एक दैनिक पत्र भी पहुंचने लगे। परन्तु आर्थिक कठिनाइयों व धनाभाव के कारण इसकी प्रगति में बाधायें उपस्थित हुई हैं। जैसे ही गांव सभाओं की आर्थिक स्थिति ठीक हो जावेगी, अधिक पुस्तकालय व वाचनालय चलाये जायेंगे।

रेडियो मनोरंजन तथा खेलकूद के साधन—योजना के अन्तर्गत १८७ पंचायती अदालत केन्द्रों में रेडियो का प्रबन्ध करने, ६८५ ग्राम सभाओं में अखाड़े चलाने तथा १८७ पंचायती अदालती केन्द्रों में व्यायाम शालायें चलाने का लक्ष्य रक्खा गया है। ग्राम सभाओं द्वारा अब तक ९२ रेडियो सेटों की व्यवस्था की जा

चुकी हैं। जन स्वास्थ्य के हेतु ६४२ अखाड़े तथा ११६ व्यायामशालाओं की स्थापना की गई है। इन में से ३२ ग्राम सभाओं को शासकीय अनुदान से खेल कूद का सामान वाल्लीबाल तथा मुगदर आदि देने का प्रबन्ध किया गया है। इस दिशा मे सब से महत्व पूर्ण प्रयास पिछले वर्ष किया गया जब कि ग्राम सभा पंचायती अदालत तथा निरीक्षक क्षेत्र पर प्रतियोगितायें कराई गई और जिला स्तर पर एक बृहत खेलकूद तथा संगीत समारोह आयोजित किया गया।

फसल प्रतियोगिता व उन्नतिशील बीज की योजना एवं कृषि सुधार—उन्नतिशील बीज योजना के अन्तर्गत १८७ ग्राम सभाओं में उन्नतिशील गेहूं व डिब्लिंग रीति के प्रदर्शन किए गए। गत वर्ष पंचायतों द्वारा मूंग टाइप १ के प्रदर्शन किए गए। कपास २१६ एकड़ के बीज का वितरण व प्रचार भी पंचायतों द्वारा किया गया।

पशु नस्ल-सुधार के लिये सांडों का प्रबन्ध, पशु औषधि पेटिकाओं की व्यवस्था—पशु नस्ल सुधार के लिये १०० सांडों को देने का लक्ष्य रक्खा गया था। अब तक कुल ५४ सांडों की व्यवस्था हो चुकी है। पशु-चिकित्सा के लिए ४ गांव सभाओं के लिये पशु औषधि पेटिकाओ का प्रबन्ध किया गया।

सड़कों का निर्माण व मरम्मत—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १,२८५ मील कच्ची सड़कों का निर्माण एवं ७५० मील सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। इस सम्बन्ध में प्रगति के आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य लगभग पूरा हो सकता है। पंचायतों द्वारा विद्यालयों, प्रान्तीय रक्षक दल तथा अन्य विभागीय कार्यकर्ताओं की सहायता से ६७८ मील कच्ची सड़कों का पुनः निर्माण हुआ है। इस अवधि मे ३६४ मील से अधिक सड़कों को विस्तृत समतल व साफ किया गया।

पक्की नाली तथा खरंजों का निर्माण—पंचायती अदालत क्षेत्र को इकाई मानकर पंचवर्षीय योजना मे १८७ मील पक्की नाली व खरंजों के निर्माण का लक्ष्य रक्खा गया है। ३ मील २ फर्लांग खरंजों का निर्माण कार्य अभी सम्पन्न हुआ है। वर्तमान वर्ष में नियोजन समिति द्वारा आर्थिक अनुदान प्राप्त होने के कारण इस दिशा मे अच्छी प्रगति होने की सम्भावना है।

पुलों तथा पुलियाओं का निर्माण—इस योजना मे २०० पुलियों का लक्ष्य रखा गया था। इस दिशा मे आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। १५५ पुलियाओं का निर्माण हो चुका है।

रोशनी का प्रबन्ध—ग्रामों मे रोशनी के प्रबन्ध के लिये पंचायतों ने सार्वजनिक लालटेनों की व्यवस्था की है। योजना मे ५ लालटेन प्रति ग्राम सभा के हिसाब से जिले में ६८५ ग्राम सभाओं मे ३,४२५ लालटेनों का लक्ष्य रक्खा गया था। अब तक कुल १,६४५ लालटेनों का प्रबन्ध हो चुका है। जिस का अर्थ यह है कि औसतन २ लालटेन प्रत्येक गांव सभा मे लग चुकी हैं।

मेटरिनिटी चेस्ट तथा औषधि पेटिकाओं की व्यवस्था—जन स्वास्थ्य के हेतु पंचायत राज योजना में ६८५ औषिधि पेटिकाओं का लक्ष्य था। अब तक कुल २०२ औषधि पेटिकाओं का प्रबन्ध हो चुका है।

पानी पीने के कुओं की मरम्मत—ग्रामों मे शुद्ध जल की व्यवस्था के लिये इस योजना में १,३७० कूपों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। जिनमे से अब तक ५०० से अधिक कूपों की मरम्मत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त नए कुओं के निर्माण के लिये ईंट, सीमेंट का प्रबन्ध कंन्ट्रोल दरों पर किया जाता है।

खाद के गड्ढे तथा सोखते—सफाई के हेतु २,००० सोखते तथा १५,००० घूरों को खाद के गड्ढों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रक्खा गया था। अब तक ६०० सोखते व ७,७४१ खाद के गड्ढे बनाये जा चुके हैं।

सफाई सम्बन्धी उपनियम—ग्रामों में सफाई का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व गांव सभाओं पर है। अतएव ग्राम सभा द्वारा सफाई सम्बन्धी उपनियम बनाये गये हैं। इन उपनियमों को जिले की समस्त ग्राम सभाओं द्वारा पास करा कर लागू किया जायेगा। इस समय केवल २९ गांव सभाओं मे यह उपनियम लागू किए जा चुके हैं।

बुलन्दशहर की पंचायतों द्वारा गत २ वर्षों में पंचायत कर वसूली मे संतोषजनक प्रगति दर्शाई गई हैं। इस समय ५६ प्रतिशत कर वसूल किया जा चुका है।

प्रान्तीय रक्षक दल तथा जन शक्ति संगठन योजना

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र पर स्थित जोन वर्करों की देखरेख में प्रत्येक पंचायती अदालत क्षेत्र पर एक हल्का सरदार की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक ग्राम क्षेत्र में १ ग्रूप-लीडर और ११-११ रक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक हल्का सरदारों की नियुक्ति तो सम्पूर्ण हो पाई है। परन्तु ग्रूपलीडर व सेक्शन लीडर और रक्षक क्रमशः २१,५१० व ८२१ व ७,७८७ हो पाये हैं। प्रान्तीय रक्षक दल के अवैतनिक तथा वैतनिक , कर्मचारियों की मदद से ५ वर्षों में ६० विकास तथा शिक्षण शिविर योजना करने की योजना है। गत तीन वर्षों में ३२ शिविरों का आयोजन सफलता पूर्वक किया जा चुका है। इन शिविरों की देख रेख में सड़कों का बनाना, रास्तों का चौड़ा करना, तथा समतल करना, नाली निर्माण, खाद के गड्ढे बनाना ग्रामों की सफाई, सुरक्षा समितियों का संगठन, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन इत्यादि कार्य कराये जाते हैं। गणतन्त्र दिवस १९५३ के अवसर पर जो आन्दोलन हुआ उसके फलस्वरूप जिले को श्रमदान कार्यों में २०,००० रु० प्रदेशीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्तमान वर्ष में लगभग गणतन्त्र दिवस श्रमदान आन्दोलन में ३०२ मील ४ फ० सड़कों का पुनः निर्माण हुआ। अनुमान है कि इन सड़कों पर १,६०,४८,६३१ घनफीट मिट्टी का कार्य हुआ। गत तीन वर्षों मे ६, ७ लाख रुपयों से अधिक के श्रमदान का कार्य हो चुका है। यह सब कार्य जनता तथा विभागीय कर्मचारियों के पूर्ण सहयोग से संपन्न हुए।

प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा जन स्वास्थ्य सम्वर्धन हेतु खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। गत ३ वर्षों में २५ स्थानों पर दंगल तथा २८ स्थानों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन ग्रामों की रक्षा के हेतु २४ की संख्या में ३ वर्ष में संगठन कराया गया।

हरिजन उद्धार सम्बन्धी कार्य

जिले में हरिजन सहायक समिति की देखरेख में हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुओं की व्यवस्था करना, हरिजनों के मकानों के लिए प्राप्त शासकीय अनुदान का वितरण करना, गृह उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देकर आर्थिक उन्नति इत्यादि का कार्य किया जा रहा है।

सन् १९५१-५२ में नियोजन विभाग द्वारा कुयें बनाने के लिये उचित दर पर ईंट तथा सीमेंट की व्यवस्था की गई और २७ नये तथा ११ पुराने कुओं के लिये सामान दिया। १९५२-५३ में ५१ नये कुओं का निर्माण हुआ तथा १६ कुओं की मरम्मत हुई। १९५३-५४ में अनुदान स्वरूप तथा स्वयं निर्मित कुओं की संख्या

७१ और मरम्मत किये जाने वाले कुओं की संख्या ३६ है। हमारा लक्ष्य है ५ वर्ष में ३०० नये कुओं का निर्माण तथा २०० कुओं की मरम्मत करना। गत तीन वर्षों में शासन से जिले को प्रतिवर्ष सात हजार रुपये इस कार्य के लिये अनुदान प्राप्त हुये हैं। अनुदान के अतिरिक्त २५१ व्यक्तियों को उचित मूल्य पर ईंट, सीमेंट का प्रबन्ध किया गया।

हरिजनों को मकानों सम्बन्धी सुविधा देने के लिये १,००० रु० का अनुदान वर्ष १९५३–५४ में दिया गया।

गृह-उद्योग के लिये १,४५० रु० १९५२–५३ में तथा १९५३–५४ में १,०५० रु० की सहायता हरिजनों को दी गई। विश्वास है कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में ३,२५० रु० का अनुदान इस मद में वितरित हो जावेगा।

हरिजन सहायक समिति द्वारा आयोजित सम्मेलनों, प्रचार कार्यों इत्यादि विभिन्न व्यय के लिये शासन से २,००० रु० की सहायता प्राप्त हो चुकी है। पिछले ३ वर्षों में १८ सम्मेलन कराये गये हैं। और भविष्य में भी कराने की योजना है।

हरिजनों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। १२वें क्लास तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने तथा अन्य सहायता दी जाती है। जिला बोर्ड तथा नगर पालिकाओं को भी छात्रवृत्तियां देने के लिये शासन से अनुदान प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में हरिजनों विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने के हेतु अनुदान दिया जाता है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर।)

जिला गोंडा के नवाबगंज तहसील मे होने वाले विकास कार्यो की सूची

१—नवाबगंज के निकटवर्ती क्षेत्र मे १० बड़े सहकारी ट्यूबवेल और सरजू रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा सहकारी ट्यूबवेल लग रहा है।

२—दुर्जनपुर तथा नगवही गांव में टेढ़ी नदी पर १६,००० रुपये की लागत के पुल का कार्य आरम्भ किया जा चुका है, मिट्टी डाली जा चुकी है। यह कार्य गांव पचायत द्वारा श्रमदान और दान के बल पर हो रहा है। इसमे सरकार से आर्थिक सहायता भी दी जायगी।

३—पसका, दुर्जनपुर, निहालपुर, रामगढ़, बुढ़ौलिया ग्राम सभाओ मे पचायत घर तथा बेलसर गाव सभा मे पचायत घर एव बीज गोदाम का निर्माण हो रहा है। कार्य एक चौथाई शेष है।

४—नवाबगंज मे एक पाठशाला भवन का निर्माण हो रहा है।

५—ग्राम सभा मसौलिया, मलांव, ज्ञानपुर, बेलसर, परसपूर दुर्जनपुर, निहालपुर, सिघोटी मे एक-एक छोटे-छोटे ट्यूबवल लग रहे ह। दो कुवो मे इंजन भी लग गये ह। गाव पंचायत बड़नापुर, आदमपुर, उमरी बेग मांज, कादीपुर मरचार मे भी छोटे ट्यूब वेल लगाने का विचार है।

२—गोडा जिले की तहसील नवाबगंज मे दो पंचायत निरीक्षक क्षेत्र तथा ६० पंचायती अदालत क्षेत्र ह। प्रत्येक पंचायती अदालत क्षेत्र विकास कार्यो के लिये इकाई मानी गई है। गाव मे विकास कार्य प्रत्येक क्षेत्र के विकास समिति के बनाये हुये योजनाओ के अनुसार हो रहे ह। इन योजनाओ के अनुसार निम्नलिखित विकास कार्य इस तहसील मे हुआ ह:

सड़को का निर्माण ..	.. ११ मील २ फर्लांग ७० गज।
सड़कों की मरम्मत ..	.. १६ मील ५ फर्लांग १८० गज।
पंचायत भवन का निर्माण	.. चार (४)
पुलिया का निर्माण ..	.. पांच (५)
गांधी चबूतरों का निर्माण ..	.. अड़तीस (३८)
नालों की खुदाई ..	.. ८८३३ गज
बंधियों का निर्माण ..	.. चार (४)
सोखतों का निर्माण ..	.. तिहत्तर (७३)
कच्चे घर को पक्का करना	.. एक सौ अठाईस (१२८)
सुरक्षित पानी पीने के कुओं का निर्माण	.. पेंतीस (३५)
पुस्तकालय की स्थापना ..	.. चार (४)
क्रीड़ास्थल की स्थापना ..	.. एक (१)
कम्पोस्ट गड्डे का निर्माण ..	.. छ सौ छियासठ (६६६)

लगभग २५,००० मन प्रेस्ड कम्पोस्ट प्रतिवर्ष तैयार होती है।

हैंड पम्प लगाये गये ..	.. तीन (३)
वृक्षारोपण (फलदार) ..	.. आठ सौ तिरसठ (८६३)
(अन्य) ..	.. उन्नीस सौ बहत्तर (१९७२)

इस वर्ष ४३,७६१ मन उन्नतिशील गन्ने के बीजों का वितरण किया गया।

७ छोटे पंपिंग सेट वितरित किये गये।

१६७ विभिन्न प्रकार के औजारों का वितरण किया गया।

२,१०७ मन खाद वितरित की गई।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर)

मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले के पहाड़ी इलाके के निवासियों को जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जो विशेष सुविधाये प्राप्त थीं और जो सामान लेने की सुविधाये थीं उनकी सूची

नाम इलाका	चराई	जलाने की लकड़ी	इमारती लकड़ी, पूला, घास, कांटे इत्यादि
१	२	३	४
जिला मिर्जापुर	धनी जमींदार गायों की चराई का कुछ नहीं लेते थे। दूसरे जानवरों की चराई का निर्ख ।) से १) तक फी जानवर था।	एक सिर बोझ लकड़ी का दाम -) से =) तक लिया जाता था। इस महसूल का दर ठेकेदार जो जमींदारों से एक मुश्त जंगल खरीदते थे तय करते थे।	ज्यादातर जमींदार लोग बांस इमारती लकड़ी तथा फूस इत्यादि जो घर बनाने के कार्य में आता है उसका कोई शुल्क नहीं लेते थे। इसके अलावा और कामों के लिये अगर वन उपज ली जाती थी तो उन लोगों से जमींदार निम्नलिखित दर से दाम लेते थे। १०० बांस—।) से २) तक। एक हल के लिये पूरी लकड़ी—।) कांटों इत्यादि के लिये कुछ नहीं लेते थे।
जिला इलाहाबाद	करछना तहसील में जमींदार जंगलों को नीलाम कर दिया करते थे और ठेकेदार निम्नलिखित दर से चराई लेते थे। सितम्बर-अक्तूबर तक के लिये गाय व बैलों का—।) भैंसों का—१) इसके उपरान्त माह जनवरी तक के लिये, गाय व बैल—१) भैंस—२) अन्य स्थानों में कोई चराई नहीं ली जाती थी।	मुफ्त मिलती थी	करछना में हल तथा झोपड़ी वगैरा बनाने के लिये लकड़ी मुफ्त मिलती थी। मेजा तहसील में इमारती लकड़ी मुफ्त मिलती थी। बांस कड़ी इत्यादि ३) प्रति वर्ष की दर से ली जा सकती थी। इसकी मात्रा कोई निश्चित नहीं थी। पूला व घास वगैरा फी गाव के लिये नीलाम कर दिया जाता था। दाम नाम मात्र के लिये बहुत कम होते थे।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर)

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकारी वन विभाग की ओर से मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले के पहाड़ी इलाके के निवासियों को जो सुविधायें प्राप्त हैं और जो सामान जिन शर्तों या मूल्य पर मिलते हैं उनकी सूची

नाम इलाका	चराई	जलाने की लकड़ी	इमारती लकड़ी पूला, घास कांटे इत्यादि	अन्य रियायतें	
१	२	३	४	५	६
जिला मिर्जापुर	१—गाय मुफ्त २—बैल मुफ्त कृषि कार्य के लिये	गांव के रहने वालों को मुफ्त	हल वगैरह की लकड़ी (पूरा सामान) ४ आ० प्रति हल	१—लोहार के लिये कोयला	१ रु० ४ आ प्रति वर्ष प्रति आदमी
१—सोन फारेस्ट डिवीजन	२ आ० अन्य बैलों के लिए		बांस १ से १०० तक ८ आ० प्रति सैकड़ा।	२—चमड़ा सिझाने की पत्ती।	१ रु० ४ आ० प्रति आदमी
	३—भैंस ४ आ० प्रति वर्ष		बांस १०१ से ५०० तक १ रु० सैकड़ा।	३—ढेकुलावन तेलियों के लिये।	१ रु० ४ आ० प्रति आदमी
	४—भेंड़, बकरी १२ आ० प्रति बीस कोड़ी प्रति वर्ष		बांस ५०० से अधिक १ रु० ४ आ० प्रति सैकड़ा	४—ढेंकी चावल कूटने के लिये	१रु० ४आ० प्रति आदमी
	५—ऊंट ३ रु० प्रति वर्ष		बांस टोकरी बनाने के लिये ८ आना प्रति सैकड़ा।		
	६—हाथी ३०० रु० प्रति वर्ष ३० रु० प्रति माह १ रु० प्रति दिन		कोरों, थाम वग़ैरा छप्पर के लिये ८ आ० प्रति घर।		
	७—घोड़ा ४ आ० प्रति वर्ष		रस्सी बनाने व छप्पर छाने के लिये बगई १रु० ४ आ० प्रति घर।		
			घर में आग लग जाने या बाढ़ आदि आ जाने से भी घर बनाने के वास्ते लकड़ी मुफ्त दी जाती है।		

नाम इलाका	चराई	जलाने की लकड़ी	इमारती लकड़ी, पूला, घास, कांटे इत्यादि
१	२	३	४
२-दूसरी डवीज़न	चारे की घास निजी इस्तेमाल के लिये मुफ्त।	निजी इस्तेमाल के लिये मुफ्त फी घर फी साल तेंदू, ककोढ़, बेर, धवल धंटा, करि तथा मनार इत्यादि के १०० पेड़ मुफ्त।	कांटे, फ़ूल, फल तथा घर के लिये लकड़ी निजी इस्तेमाल के लिए मुफ्त। मरम्मत व मकान बनाने मरम्मत व मकान बनाने की लकड़ी फी घर हर तीन साल साल, आसा तेंदु या सीधा का एक पेड़ जो मोटाई २×३′ हो.......मुफ्त। दूसरे प्रकार के १२ पेड़ जो १′+१ १/२′ के हों.........मुफ्त। हल वग़ैरा बनाने के लिये लकड़ी। २-पेड़ खैर या साल के जो १ १/२×२ के हों ...मुफ्त। २ पेड़ कोकट के जो १ १/२×२ के हों.....मुफ्त। बांस छत छाने तथा घेरा घेरने के लिये। १०० बांस फ़ी घर १ साल में मुफ्त।

नाम इलाका	चराई	जलाने की लकड़ी	इमारती लकड़ी, पत्ता घास, कांटे इत्यादि	अन्य रियायतें
			बांस, छत घेरने तथा घेरा घेरने के लिये १०० बांस फी घर एक साल में मुफ्त	
जिला इलाहाबाद	फी साल फी जानवर गाय .. १ आना बैल .. २ ,, भैंस .. ४ ,, भेंड़ .. १ ,, बकरी .. १ ,, घोड़ा या घोड़ी ४ ,, ऊंट .. ३ रु० हाथी ३०० रु० साल या १ रु० प्रति दिन। बाहरी जानवरों के लिये महसूल दुगुना होगा।	पुरानी रियायतें बदस्तूर रहेंगी	पुरानी रियायतें बदस्तूर रहेंगी	पुरानी रियायतें बदस्तूर रहेंगी

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४४ एल० ए० १९५४—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नबदेवशास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री

बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिश्म्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद सिंह, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
बसीनकबी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री

हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

७ मई, १९५४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पंचायत राज इन्सपेक्टरों के रिक्त स्थान और उन पर नियुक्तियां

**१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने पंचायत राज इन्सपेक्टरों की जगहें खाली हैं ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—इस समय ६८ पंचायत निरीक्षकों के पद खाली हैं, जिनमें से ५० पदों पर स्थानापन्न (officiating) रूप में नियुक्त व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई चुनाव इस सम्बन्ध में कराया था ? यदि हां, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कितने प्रकार की लिस्ट सबमिट की और कितने आदमियों की ?

श्री मोहन लाल गौतम—२८ पदों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्शन कराया गया था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार ने विभागीय सेक्रेटरियों या आफिस के लोगों में से भी कुछ लोगों का इस पद के लिये चुनाव कराया है ? यदि हां, तो कितने लोगों का ?

श्री मोहनलाल गौतम—३३ प्रतिशत लोगों का चुनाव विभाग के कार्यकर्त्ताओं में से होगा और वह अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बतलायेंगे कि पबलिक सर्विस कमीशन की लिस्ट उनको किस तारीख को प्राप्त हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा और विभाग द्वारा नये इन्सपेक्टरों का चुनाव हो चुका तथा लिस्ट बन चुकी है तो उनकी नियुक्ति में सरकार इतनी देर क्यों कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रोसीजर में जो समय लगता है उसी के अनुसार हो रहा है। आशा है कि वह नियुक्तियां जल्द हो जायेंगी।

मधुबन (आजमगढ़) में ऐलोपैथिक अस्पताल का निर्माण

**२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ में मधुबन जिला आजमगढ़ में एलोपैथिक अस्पताल का जो निर्माण होने वाला है उसमें अब तक कौन-कौन सी कार्यवाहियां की जा चुकी हैं ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है कि वह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की राय इस क्षेत्र में एक उचित स्थान पर चिकित्सालय खोलने के लिये लें। ज्योंही जगह नियत हो जायगी, आगे की कार्यवाही की जायगी।

बजट में फिलहाल २५,००० रुपये की व्यवस्था भी कर दी गई है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पता है कि १० अप्रैल को प्रश्नकर्त्ता और शिवराम राय एम० एल० ए० और जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री के सम्मुख जूनियर हाई स्कूल, मधुबन के सामने जमीन तय कर ली गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसकी हमारे पास तो सूचना नहीं आयी है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक अस्पताल बनने का काम प्रारम्भ हो जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ज्योंही जमीन के बारे में निर्णय हो जायगा और ज्योंही हमारे पास इस बात की सूचना आ जायगी, उसके बाद उचित आदेश इमारत बनाने के जारी कर दिये जायेंगे।

[३० अप्रैल, १९५४ के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले के ग्राम पाण्डेपुर तथा समस्त जिले में डकैतियों की संख्या

*१--श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर सदर थाने के अन्तर्गत ग्राम पांडेपुर में कुछ समय पूर्व एक डाका तथा एक चोरी हुई? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के किन-किन थानों पर कितने डाके माह जुलाई सन् १९५३ से अब तक पड़े, उसमें कितने डाकू पकड़े गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नकशे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३७ पर)

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन थानों पर अधिक डाके पड़े हैं उनकी उचित व्यवस्था के लिये सरकार की तरफ से कोई आदेश भेजा गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। देखभाल खासतौर से उनको रखनी चाहिये और कोई विशेष आदेश तो भेजा नहीं गया।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से ऐसा भी कोई आदेश भेजा गया है कि डकैतों के पकड़ने के लिये जनता के बीच में प्रदर्शन कराया जाय? यदि हां, तो किसके द्वारा और किस भांति?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा तो कोई खास आदेश नहीं है। ग्राम रक्षक समितियों को जरूर बतलाया जाता है कि किस तरह से डकैतों को गिरफ्तार करना चाहिये। वही प्रदर्शन हो सकता है। दूसरा कोई प्रदर्शन तो नहीं होता।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो डकैत हैं वह बाहर के हैं कि जिले के भी शामिल हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये जितनी डकैतियां हैं उन सबके मुकद्दमे अदालत में हैं। अभी साबित भी नहीं हो सकता कि कौन डकैत है, कौन नहीं। इनमें से एक पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है?

आजमगढ़ जिले में कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी

*३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि जून माह में कुल कितने कम्युनिस्ट आजमगढ़ जिले में गिरफ्तार किये गये और क्यों?

*४—क्या सरकार बतायेगी कि वे कम्युनिस्ट किन-किन धाराओं की मातहत गिरफ्तार किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लोग कानून तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार किये जाते हैं न कि राजनैतिक सम्पर्क के आधार पर। अतः इन प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृहमंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास ऐसा कोई रेकर्ड जेल या जेल के बाहर पुलिस में नहीं रहता कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से सम्बन्ध रखता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब कुछ खास-खास व्यक्तियों के बाबत तो जानकारी होती ही है लेकिन जितने शख्स हैं उन सबके राजनैतिक विचारों के बाबत तो कोई खास जानकारी रखने की कोशिश भी नहीं की जाती।

श्री झारखंडे राय—माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में गत जून में ऐसे आदमी कितने गिरफ्तार हुये जिनका सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी से था?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी दे चुके हैं कि राजनैतिक सम्पर्क से गिरफ्तारी नहीं होती है।

* * *

ग्राम असलाई (आजमगढ) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित सभा का भंग किया जाना

*६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि ग्राम असला थाना अहिरौला, जिला आजमगढ़ में जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा गत ६ जनवरी औ ८ फरवरी को सार्वजनिक सभा करने का आयोजन किया गया था, जिसकी सूचना जिलाधीश तथा पुलिस सुपरिन्टेंडेंट को दे दी गयी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न में कथित तिथियों में ६ जनवरी के लिये आयोजित सार्वजनिक सभा की कोई पूर्व सूचना जिला अधिकारियों को नहीं मिली थी। गत ८ फरवरी के लिये आयोजित सभा की सूचना केवल जिलाधीश को ही मिली थी।

*७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों तिथियों की सार्वजनिक सभायें असलाई ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा बलपूर्वक भंग कर दी गयीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त सभायें असलाई ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों की राय के विरुद्ध उनके बगीचे में आयोजित की गई थीं। अतएव उन्होंने वहां पर सभा नहीं करने दी। ९ जनवरी को उन्होंने कुछ बल का भी प्रयोग किया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही नहीं है कि ९ जनवरी, १९५४ की सभा की नोटिस १५ दिन पहले छपवा कर सारे देहात में और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट और जिला अधिकारी के यहां भेज दी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के पास किसी प्रकार की सूचना, उस मीटिंग की नहीं आयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि ८ फरवरी को जो सभा की गयी उसकी इत्तिला जिलाधीश को २ फरवरी को और एस० पी० को ५ फरवरी को दी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिलाधीश तो कहते हैं कि उनको इत्तिला दी गयी थी। लेकिन एस० पी० कहते हैं कि उनको इत्तिला नहीं मिली।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि २ फरवरी की सूचना पर जिलाधीश ने एस० पी० को वहां आवश्यक प्रबन्ध करने का आदेश दे दिया था, फिर भी वहां आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। एस० पी० को जिला मैजिस्ट्रेट ने आवश्यक कार्यवाही के लिये आदेश दिया था और जो आवश्यक कार्यवाही हो सकती थी वह की गयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि ९ फरवरी की सभा में वहां के स्थानीय जमींदारों के साथ ही वहां के सब-इन्सपेक्टर भी थे और सभा बलपूर्वक विघटित कर दी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—९ फरवरी को कोई सभा नहीं हुई।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या जिन्हें चोट आयी उनमें किसी को गंड़ासा और भालों की भी चोट लगी है ?

श्री अध्यक्ष—किस तारीख की मीटिंग के संबंध में।

श्री गेंदा सिंह—८ फरवरी की मीटिंग में।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय गेंदासिंह जी को कुछ भ्रम हो रहा है। ८ फरवरी की मीटिंग में किसी को चोट नहीं आयी। माननीय रामसुन्दर पाण्डेय ने ९ फरवरी का जिक्र किया था इसलिये मैंने कहा था कि ९ फरवरी को कोई मीटिंग नहीं हुई। ९ फरवरी को जो सभा हुई थी, ऐसी खबर मिली कि उसमें कुछ जमींदारों के ऊपर बलप्रयोग हुआ था लेकिन अगर किसी को चोट आयी भी हो तो न किसी ने डाक्टरी जांच करवायी और न रिपोर्ट करवाई। इसलिये यह कहना मुश्किल है कि किस को क्या चोट आयी।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—९ जनवरी की सभा के लिये कोई नोटिस छपी थी यह माननीय गृह मंत्री को मालूम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि ९ फरवरी की सभा विघटित हुई ?

श्री अध्यक्ष—६ फरवरी को कोई सभा नहीं हुई यह उनसे कहा गया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—६ जनवरी की सभा विघटित हो जाने के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने माननीय गृह मंत्री को इस संबंध में प्रार्थनापत्र दिया था कि उचित कार्यवाही की जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो प्रार्थना-पत्र आया होगा वह जिला अधिकारी के पास भेज दिया गया होगा।

श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ६ जनवरी की जो सभा हुई उसमें सभासद जो थे वह शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि अधिकारियों को कोई खास सूचना नहीं थी इसलिए हम कह नहीं सकते कि किस प्रकार वह लोग सुसज्जित थे।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां दोनों पार्टीज में झगड़ा हो गया और जो लोग बाद में सभा करने गये उनको रोका गया तो उस पर झगड़ा हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बात तो ८ फरवरी को भी हुई थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री जिलाधिकारियों से पूछने की कृपा करेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सभा भंग होने पर जो झगड़ा हुआ उसमें किसके द्वारा जांच कराई गई और जांच का क्या नतीजा हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सभा होने ही नहीं पाई। जमींदार लोगों ने अपने बाग में सभा होने ही नहीं दी। फिर जांच क्या होती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—माननीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि ६ जनवरी को सभा हुई थी और बल प्रयोग किया जमींदारों ने तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और उसका क्या नतीजा रहा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं समझा था कि ८ फरवरी की बाबत आप यह कह रहे हैं। ६ जनवरी की बाबत दरियाफ्त करके बतला सकूंगा।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ६ जनवरी को जो दुर्घटना हुई थी उसकी जांच में तहसीलदार फूलपुर ने क्या किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर इसकी जानकारी मुझे होती तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर श्री रामसुन्दर पांडेय को ही दे दिया होता।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आजमगढ़ जिले में और भी किसी स्थान पर भूमि के मालिक की इच्छा के विरुद्ध सभा की गई?

श्री अध्यक्ष—इसमें और जगहों का प्रश्न आप कर रहे हैं। यह प्रश्न केवल दो ही जगहों से सम्बन्ध रखता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री को पता है कि ८ और ९ जनवरी को सभा की गई थी जिसमें आपने स्वीकार किया है कि भूतपूर्व जमींदारों के बाग में की गई थी तो क्या भूतपूर्व जमींदारों ने प्रजासोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास नोटिस भेजी थी कि यहां पर सभा न करो?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई नोटिस दी थी या नहीं दी थी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सभा के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट पुलिस में हुई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश और सुपरिटेंडेंट पुलिस को खबर देने के बाद उस दिन पुलिस भी उस मीटिंग में गई थी और अगर हां, तो उसके रहते हुए बलप्रयोग कैसे हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—८ तारीख को पुलिस गई थी। पुलिस के जाने से नतीजा यह हुआ कि कोई बलवा नहीं हो पाया लेकिन पुलिस किसी की जमीन में जबरदस्ती सभा नहीं करा सकती, हां, मारपीट नहीं होने पाई।

बुलन्दशहर जिले में प्रत्येक थाने के अन्तर्गत डाके और कत्ल

*८—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले के प्रत्येक थाने के अन्तर्गत पिछले दो वर्ष मे कितने डाके पड़े?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डकैतियों की संख्या जिले में १९५२ में २२ थी और १९५३ में २६ थी। थानेवार विवरण संलग्न सूची में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३८–४३९ पर)

*९—श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त डाकों में कितने मर्द, औरत तथा बच्चों की हत्या हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५२ में ७ पुरुषों और १९५३ में ९ पुरुषों की हत्या हुई। स्त्रियों या बच्चों की कोई हत्या नहीं हुई। थानावार और डकैतीवार विवरण संलग्न सूची में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३८–४३९ पर)

*१०—श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन डाकों से सम्बन्धित डकैत पकड़े गये तथा मारे गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका विवरण संलग्न सूची में देखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३८–४३९ पर)

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में पिछले दो साल में जो डकैतियां हुईं उनमें कितना धन लूटा गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलायेंगे कि इन डकैतियों में कितने हथियार पकड़े गये और उनमें कितने विलायती थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कितने आदमी पकड़े गये उनकी संख्या मेरे पास है लेकिन कितने हथियार पकड़े गये इसकी संख्या तो मेरे पास है नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगी कि बुलन्दशहर जिले के थाना दनकौर में दिसम्बर, १९५३ ई० में एक डकैती हुई जिसमें डाकू पकड़े गये और कुछ आदमी भी मारे गये लेकिन वह इसमें दर्ज नहीं है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरी सूची में उसका नाम नहीं है। अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो उसकी खबर दें, उसका पता लगाया जायगा।

श्री धर्म सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन थानों में डकैतियां अधिक पड़ रही हैं उन थानों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—थानों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है। जहां पर ज्यादा डकैतियां हो जायं वहां के आफिसर से जवाब तलब किया जाता है कि वहां पर ऐसा क्यों हुआ।

* * * *

लेबर आफिसर्स तथा कांसिलियेशन आफिसर्स की नियुक्तियां और उनमें हरिजनों का अनुपात

*१२—श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने लेबर आफिसर्स तथा कांसिलियेशन आफिसर्स लिये जा रहे हैं और उनमें से कितने स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित रक्खे गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५४ में अभी तक लेबर आफिसर्स की दो और कान्सिलियेशन आफिसर्स की तीन जगहें पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भरी गई हैं। चूंकि रिक्त स्थानों की संख्या बहुत थोड़ी थी, इसलिये हरिजनों के लिये स्थान सुरक्षित करना सम्भव नहीं था।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि इससे पहले लेबर आफिसर और काँसिलियेशन आफिसर के २, २ और ३-३ स्थानों का चुनाव हो चुका है किन्तु उसमें कोई हरिजन नहीं लिया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, यह सही है। दिक्कत यह है कि लेबर डिपार्टमेंट में जगह बहुत थोड़ी है। केवल २, ३ जगहें होती हैं उसमें परसन्टेज बैठाना बड़ा कठिन होता है फिर भी मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को कि अब हमने यह निश्चय किया है कि आगे से जो जगह लेबर आफिसर की खाली होंगी चाहे वह २ हों या ३ हों जो कुछ भी हों कम से कम उसमें से एक जगह हम हरिजन उम्मीदवार के लिये रिजर्व कर देंगे।

* * * *

मथुरा जिले में अमेरिकनों द्वारा धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाना और कुछ आर्य समाजियों की गिरफ्तारी

*१६—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत दो वर्षों में अमेरिकन मिशन के लोगों ने मथुरा जिला में धन देकर आठ हजार आदमियों को ईसाई बनाया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्थानीय मेथोडिस्ट तथा रोमन कैथोलिक मिशनरियों ने गत दो वर्षों में लगभग २५० ग्रामीण व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाया है। परन्तु सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस धर्म परिवर्तन में धन का भी उपयोग किया गया है।

*१७—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार की यह नीति है कि विदेशियों को यहां की अनपढ़ तथा गरीब जनता की मनोवृत्ति बदलने का इस तरह का मौका दिया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये अमरीकन मथुरा जिले में कब से हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिन २५० आदमियों का धर्म परिवर्तन किया गया वे कौन लोग हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वे पहले हिन्दू थे, जात बिरादरी का पता नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—क्या इन धर्म परिवर्तन करने वालों के सम्बन्ध में कुछ कागजात बरामद हुये हैं तथा इकरारनामे निकले हैं कि एक निश्चित धनराशि उनको दी गई और यदि वे पुनः धर्मपरिवर्तन करें तो वह धनराशि वापस लेने की व्यवस्था की गई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है कि निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि यह ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने यह कहा था कि कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि धर्म परिवर्तन के लिये रुपया पैसा भी खर्च किया गया।

श्री नेकराम शर्मा—मथुरा जिले में कितने अमरीकन और दूसरे लोग और देशों के हैं जो इस कार्य में लगे हुये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार जो लोग ईसाई हो गये हैं उसका कारण जानने के लिये कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी कोई खास जरूरत नहीं मालूम होती।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि मथुरा जिले में आर्यसमाज के कुछ कार्यकर्ताओं को इस धर्म परिवर्तन के काम को रोकने के लिये गिरफ्तार किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रचार रोकने के कई ढंग होते हैं। कुछ व्याख्यान वहां हुये थे जिसके फलस्वरूप कुछ लोग एक गिर्जाघर में घुस गये, वहां की इमारत और शीशे तोड़ दिये गये और अगर प्रचार का यही तरीका हो तो जरूर कुछ गिरफ्तारियां इस सम्बन्ध में हुईं।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी को इन मिशनरियों की कुछ राजनैतिक हलचलें भी मालूम हुई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने ८-७ दिन पहले यहां कहा था कि कुछ ऐसा कार्य मालूम होता है जो विदेशियों को नहीं करना चाहिये, इसकी ओर मैंने काफी संकेत किया था और मैं समझता हूं कि इसके लिये कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१०७ का मुक़द्दमा जो गिर्जाघर के सम्बन्ध में चल रहा है उसमें एम० ओ० बलदेव तथा अन्य साक्षियों ने क्या यह स्वीकार किया है कि पादरियों द्वारा धन देकर प्रचार करने का प्रयत्न किया जाता है?

श्री अध्यक्ष—ये बातें मुकदमे के सिलसिले में है जो सबजुडिस है। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार अमरीकन मिशनरियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में तहकीकात कराने के विषय में जांच कराने की सोच रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि यह प्रश्न केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के सामने है।

प्रतापगढ़ जिले में विद्यार्थी आन्दोलन के सम्बन्ध में विद्यार्थियों पर अभियोग

*१८—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यार्थी आन्दोलन से सम्बन्धित प्रतापगढ़ जिले के कितने विद्यार्थियों पर और किन-किन धाराओं के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रतापगढ़ जिले में गत विद्यार्थी आन्दोलन के सम्बन्ध में १०१ विद्यार्थियों के ऊपर इंडियन पेनल कोड की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अभियोग चल रहा है। दो मामलों में विद्यार्थियों पर टेलीग्राफ ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत भी अभियोग चल रहा है। इंडियन पेनल कोड की धाराएं इस प्रकार हैं:

१४७।३०७।३३२।३३३।३३६।३५३।३७९।३९५।४२६।४२७।४३५।४३६४४७ तथा ४४८।

श्री रामअधार तिवारी—क्या माननीय गृहमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन धाराओं के अलावा दफा १०७/११७ ज़ाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत भी इन विद्यार्थियों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना मुझे इस समय नहीं है।

श्री रामअधार तिवारी—क्या सरकार उनको फर्स्ट आफेन्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट के मातहत उनको मुक्त करने पर विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। इसका अभी फैसला नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह मालूम है कि जिन विद्यार्थियों पर मुकदमा चल रहा है वे १०–१८ के बीच में हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई सूचना नहीं है। केवल एक केस का जिक्र हुआ था। सीतापुर, लखीमपुर जिलों में किसी लड़के के खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है जो १५ वर्ष से कम हो। प्रतापगढ़ की बाबत इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जिन १०१ विद्यार्थियों पर अभियोग चल रहा है उनमें से कितने विद्यार्थी परीक्षा मे बैठने से वंचित रहे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक भी नहीं।

* * * *

पुलिस विभाग में आबकारी विभाग से आगत आई० पी० एस० अफसरों के प्रोबेशन की अवधि

*२८—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि पुलिस विभाग में आबकारी विभाग से जितने आई० पी० एस० अफसर प्रोबेशन पर आये हैं ? क्या उनके प्रोबेशन की अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आई० पी० एस० में केवल एक अफसर ऐसे हैं जो पहले केन्द्रीय आबकारी विभाग में नौकर थे। उनका दो साल का निर्धारित परीक्षणकाल मार्च ३१, १९५२ तक था और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह पर उसे बाद को ६ महीने के लिए बढ़ा दिया गया। किन्तु वह आई० पी० एस० में अभी तक स्थायी नहीं किये जा सके हैं क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के अधीन अपने पूर्व पद के ग्रहणाधिकार (lien) की समाप्ति की अनुमति अभी तक नहीं दी है।

*२९—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या उन्होंने सरकार के पास अपनी मांगों का कोई स्मृति पत्र भेजा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन्होंने अपने वेतन के बारे में केन्द्रीय सरकार के लिये एक प्रार्थना पत्र भेजा था जो उस सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसी विषय में उन्होंने फिर एक दूसरा प्रार्थना-पत्र दिया जो केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया था, जिसका उत्तर केन्द्रीय सरकार से अभी दो चार दिन हुये प्राप्त हुआ है। और उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि उन आफीसर का नाम क्या है और वे किस जगह काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका नाम रघुबीर प्रसाद है, वह फैजाबाद में है ?

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिला गाजीपुर के मंत्री श्री दल श्रृंगार दुबे पर आक्रमण की जांच

*३०—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पारटी, जिला गाजीपुर के मंत्री श्री दल श्रंगार दुबे के ऊपर हुये आक्रमण के संबंध में पुलिस द्वारा जो जांच हो रही थी इस समय तक उसकी रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच समाप्त हो गई है। सबूत न मिलने की वजह से पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट (final report) लगा दी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस मामले में किसी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या किसी बड़े सी० आई० डी० आफीसर द्वारा उसकी जांच करवाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डी० आई० जी० और सी० आई० डी० ने इस मामले को देख लिया है। जो लोग ऐसी अवस्था में हैं कि वे उनको सहायता दे सकें जब तक वे कोई सहायता देने को तैयार न हों तब तक किसी भी जांच का कोई फल नहीं निकल सकता। जैसा कि पहले ही प्रश्न के उत्तर में जवाब दे चुका हूं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब कोई पहचाना ही नहीं गया तो किसी का गिरफ्तार होना असम्भव था।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इसकी जांच के परिणामस्वरूप अब तक किसी अपराधी का कोई पता चला है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। पता चला होता तो जरूर गिरफ्तारी की गयी होती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जांच के समय श्री दलश्रृंगार दुबे से इस संबंध में कुछ पूछताछ नहीं की गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक चोट की बात है, जब डाक्टर ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि चोट लगी है तब सबूत की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कुछ बयान दिया था और कुछ लोगों के नाम बतलाये थे। इसके अवाला और क्या पूछताछ होती।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दलश्रृंगार दूबे को जो चोट लगी थी उसकी कोई रिपोर्ट सरकार को मिली कि यह चोट कहां से लगी या प्राकृतिक तरीके से कहीं से ऊपर से आ गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्राकृतिक चोट तो थी नहीं क्योंकि सर से लेकर पैर तक चोट के निशान थे। वह किसी मनुष्य की पहुंचाई हुई चोट जरूर थी।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने इस मामले में इनक्वायरी की थी क्या कुछ लोगों के ऊपर शुबहा भी उनका था और उनसे उन्होंने पूछताछ की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो आसपास के जमींदार हैं उनके ऊपर उस किस्म का शुबहा था, संभव है कि उन लोगों ने ऐसी कोई हरकत की हो क्योंकि ऐसा उनका खयाल था कि कुछ दिन पहले श्री दलश्रृंगार दुबे ने कोई स्पीच वगैरह ऐसी दी थी जिसमें उन जमींदारों को बुरा भला कहा था लेकिन महज इस सबूत पर किसी को गिरफ्तार करने के लिये कोई काफी सामग्री नहीं होती।

श्री गेंदासिंह—क्या श्री दलश्रृंगार दुबे ने कोई शिकायत वहां के पुलिस सुपरिंटेंडेंट के विरुद्ध भी की थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, उनके खिलाफ भी उनको शिकायत थी।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार की तरफ से श्री दलश्रृंगार दुबे की शिकायत पर कोई इनक्वायरी करायी गयी कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट के विरुद्ध उनको क्या शिकायत थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ऐसी गोल शिकायत पर जैसी जांच हो सकती थी वैसी जांच करायी गयी और उस शिकायत का कोई खास आधार नहीं पाया गया?

* * * *

विधान सभा के सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी पर अभियोग और उनकी पेशी

*३२—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध क्या अभियोग है और इन अभियोगों का आधार क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तारीख ६ फरवरी, १९५४ की शाम को श्री नारायणदत्त तिवारी ने अपने कुछ साथियों के साथ काशीपुर, जिला नैनीताल में स्थानीय चीनी मिल को गन्ने की सप्लाई रोकने के इरादे से मिल के पास धरना दिया था। अपने इस कार्य से उन्होंने काशीपुर सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १४४ के अन्तर्गत लागू की गई आज्ञा का उल्लंघन किया।

*३३—श्री गेंदासिंह—श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो अरजी हाई कोर्ट इलाहाबाद को दी है उसकी जानकारी सरकार को है? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। उन्होने दरख्वास्त में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी और उनको छोड़ा जाय। खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने उनकी अरजी खारिज कर दी है।

*३४—श्री गेंदासिंह—श्री नारायण दत्त तिवारी गिरफ्तारी के बाद किस मैजिस्ट्रेट के सामने, किस समय और कहां पर पेश किये गये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गिरफ्तारी के बाद श्री तिवारी काशीपुर में ही वहां के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के सामने करीब ५ बजे शाम को पेश किये गये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सदस्य सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के सामने शाम को किस स्थान पर पेश किये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पेश तो वैसे उनके मकान पर ही किये गये लेकिन इस संबंध मे मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह सवाल प्रिविलेज कमेटी के सामने आ चुका है और कोई नया प्रकाश में इस प्रश्न के उत्तर मे डाल सकूंगा इसकी संभावना बहुत कम मालूम होती है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस गिरफ्तारी पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया गया है वह ४ तारीख की है और यह ६ तारीख की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—संभव है दोनो मिल गये हों।

श्री गेंदासिंह—क्या श्री नारायण दत्त जी ६ तारीख से पहले भी दफा १४४ तोड़ने के संबंध में गिरफ्तार हुये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न ६ तारीख के बारे में था, उससे पहले के लिये सूचना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले कौन साहब थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने मैजिस्ट्रेटों को कोई ऐसी आज्ञा दी है कि जब वह दफा १४४ का अभियोग किसी पर लगायें तो वह उस का रिमूवल भी कर सकते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो कुछ कानून में लिखा है उसके ऊपर आदेश देने का सरकार को अधिकार नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार बतायेगी कि ६ तारीख की गिरफ्तारी पर उसी दिन मामला अदालत में पेश हुआ और उसी दिन फैसला हो गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा खयाल है कि फैसला हो गया लेकिन, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फैसला किस तारीख को हुआ और क्या यह सही है कि फैसले की पेशी एक दिन ही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फैसला हुआ ऐसा मैंने नहीं कहा था लेकिन उन से मालूम हुआ कि फैसला हो गया, मैंने भी सुन रखा था कि ऐसी बात है लेकिन अदालत में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही दिन में फैसला और पेशी हो जाती है।

* * * *

गाजीपुर शहर में मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*४१—श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कोई मंदिर और मस्जिद का झगड़ा है ? अगर हां, तो वह क्या है और सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। गाजीपुर शहर के कोट मुहल्ले मे जब एक पुरानी मस्जिद की दीवार की नींव खोदी जा रही थी तो मजदूरों को कुछ मूर्तियां मिलीं। इस खबर को सुन कर वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने एक लाल झंडा मूर्तियों के पास गाड़ दिया। अधिकारियों ने जब देखा कि संबंधित पार्टियों में कोई समझौते की आशा नहीं है तो मूर्तियां हटाकर पुलिस लाइन के मंदिर में रखवा दी गयीं। इसके बाद एक भीड़ फिर इकट्ठी हो गई और उसने उस मस्जिद की दीवारों को गिरा दिया और उस स्थान पर एक चबूतरा बनाया। इस मामले के संबंध में एक पार्टी ने अदालत दीवानी में मुकदमा दायर किया है। अतएव वर्तमान स्थिति में उक्त मामले पर कोई आलोचना करना उचित न होगा।

श्री भोला सिंह यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस वक्त झंडा गाड़ा गया, मस्जिद की दीवार गिरायी गई और चबूतरा बनाया गया उस वक्त वहां पुलिस थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पुलिस के कुछ आदमी थे।

श्री भोला सिंह यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस ने क्या किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सिवा इस के कि देखते रहे और कुछ नहीं किया।

श्री गेंदा सिंह—जिस लाल झंडे का जिक्र किया गया वह किसी पार्टी का झंडा था या कोई धार्मिक झंडा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरे खयाल से धार्मिक झंडा था।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री जी से गाजीपुर का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था कि पुलिस नागरिकों के साथ वहां ज्यादती कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस तरह के प्रतिनिधि मंडल मिलते ही रहते है, शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां के प्रतिनिधि न मिलते हों।

* * * *

जिला रायबरेली के थाना सरेनी की पुलिस तथा ग्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुर के किसानों में झगड़ा और उसमें गिरफ्तारियां

*४३—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली के अन्तर्गत थाना सरेनी की स्थानीय पुलिस तथा ग्राम बनपुरवा मुजरे रंजीतपुर के किसानों के दरमियान गत जनवरी २४ व २५ के मध्य में समय पांच बजे सुबह कोई झगड़ा हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*४४—श्री गुप्तार सिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस झगड़े में कितने किसानों को चोट आई है और कितने पुलिस वालों के ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दो पुलिस कांस्टेबिलों के और ५ अन्य व्यक्तियों के चोटें आयीं।

*४५—श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस झगड़े का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भारतीय दंड विधान की धारा ४२७/४४७ के अन्तर्गत एक मामले में कुछ लोगों को पकड़ने के लिये पुलिस पाटी ग्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुरवा गयी। उन लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिये पुलिस से मारपीट की।

श्री गुप्तारसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बनपुरवा मंजरे रंजीतपुर के किसानों ने श्रीमन् गृह मंत्री के पास मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी के लिये कोई दरख्वास्त दी थी और यदि हां, तो उस पर जांच हुई और उसका क्या परिणाम हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जांच तो हुई लेकिन जब मामला अदालत में है तो जांच की बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री गुप्तार सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन आदमियों की गिरफ्तारी किन दफाओं के अन्तर्गत की गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१४ आदमियों की गिरफ्तारी होने को थी पांच तो उसी वक्त गिरफ्तार हो गये जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिये गई थी, २ आदमी गिरफ्तार नहीं हुये, स्वयं जाकर अदालत में हाजिर हुये और वह लोग जो गिरफ्तार हुये जहां तक मुझे मालूम है दफा १४१/१४२ तथा ३२४/३२५ में उन पर मुकदमे चल रहे हैं।

श्री गुप्तार सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गिरफ्तार व्यक्तियों मे एक गर्भिणी औरत भी थी जिसके छूटने के बाद १५ दिन बाद बच्चा पैदा हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी तो मुझे कोई सूचना नहीं है। बहरहाल जमानत पर सब लोग छूटे हैं। अब उनमे कोई औरत थी जिसके पेट में बच्चा था और उसके छूटने के बाद बच्चा पैदा हुआ इसकी मुझे सूचना नहीं है।

* * * *

गाजीपुर की जमानिया तहसील में पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमे और उनमें सजाएं

*४७—श्री भोला सिंह यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर की जमानिया तहसील से सन् १९५३ में पूरे साल में पुलिस द्वारा कितने मुकद्दमे चलाये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१२४।

श्री भोला सिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन धाराओं में ये सजायें हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अच्छा होता यदि माननीय सदस्य ने पहले से ब्यौरा पूछ लिया होता उन्होंने केवल संख्या पूछी थी इसलिये इतना ब्योरा तो नहीं है लेकिन जो मालूम है वह यह है कि—१२४ मे से ११ तो बलवे में चालान हुये, ८—३२४/३२५ में, १५ सेंध लगाने में, १६ चोरी में, ३५-१०९/११० में, २३—१०७/११७ तथा १२ फुटकर धाराओं में चालान हुये।

थाना मेंहदावल जिला बस्ती मे चोरियां, डकैतियां और हत्यांए

*४८—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना मेहदावल बस्ती के क्षेत्र में सन् ५१-५२ और ५२-५३ मे अलग अलग कितनी चोरियां, कितनी डकैतियां और कितनी हत्यायें हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना नीचे दी हुई है।

वर्ष			चोरी	डकैती	हत्या
१९५१	..	..	४५	—	२
१९५२	..	..	२६	—	३
१९५३	..	..	२०	१	४

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ तथा १९५२ से ५३ में अधिक हत्यायें हुईं इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह मैं ठीक नहीं बतला सकता कि क्यों अधिक हुईं।

श्री राजाराम शर्मा—जो चार हत्यायें हुई उसमें से कितनी खेतों के झगड़े से सम्बन्धित हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतना मैं अभी कह सकता हूं कि इन चारों मामलों में जिन लोगों ने हत्यायें की थीं वे गिरफ्तार हुये थे और उनपर मुकदमे चल रहे हैं और ज्यादा ब्योरा मेरे पास इस समय नहीं है।

मेंहदावल (बस्ती) के कछार मे जनहित एवं कृषि रक्षा के लिए पुलिस चौकी

*४९—श्री राजाराम शर्मा—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फसल की रक्षा के लिये थाना मेंहदावल (बस्ती) के कछार साल की तरह इस साल भी पुलिस की चौकी बनाई गई है ? यदि नहीं कायम की गई, तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत वर्ष इस क्षेत्र मे फसल की रक्षा के लिये कोई पुलिस चौकी नहीं बनाई गई थी वरन् कुछ सिपाही इस कार्य के लिये तैनात कर दिये गये थे। इस वर्ष भी वही व्यवस्था कायम रही।

श्री राजाराम शर्मा—जनहित और कृषि रक्षा के हितार्थ क्या सरकार वहां पुलिस चौकी कायम करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर उस व्यवस्था के बिना ही काम चल जाय तो फिर खर्चा बढाने की क्या जरूरत है। पारसाल भी वहां बिना चौकी के काम चल गया और इस साल भी चल रहा है।

थाना ईसा नगर जिला खीरी का भवन और थाना कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

*५०—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना ईसानगर जिला खीरी का भवन बहुत बुरी दशा में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*५१--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार थाने का निरीक्षण करवाने के पश्चात् थाना कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां ।

*५२--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई रिपोर्ट जिला अधिकारियों से प्राप्त हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस थाने मे कर्मचारियों के क्वार्टर्स कब तक बन जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मै आशा करता हूं कि जो कुछ थोड़ी सी चीजें जिनकी स्थानीय अधिकारियों को बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, वह अगर १८-२० हजार रुपये मे तैयार हो जाय तो वह इस साल के भीतर बन जायेंगे।

* * *

गाजीपुर के बिरनो थाने की इमारत नई बनवाने की योजना

*५४--श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के बिरनो थाने की इमारत नई बनवाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं ।

श्री यमुना सिंह--क्या यह सही है कि बिरनो थाने की इमारत खपरैल की बनी हुई है और बन्दरों के द्वारा उसे उजाड़ देने से कर्मचारियों को वर्षा ऋतु में बड़ी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या सोच रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, बात बिल्कुल सही है। इस साल बजट में १,१०४ रुपया रख दिया गया है जिससे उसकी मरम्मत हो जायगी। उम्मीद है कि इतने में काम चल जायगा।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि उस थाने का ३/४ हिस्सा तक ध्वस्त हो चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ठीक इसी रूप में तो नहीं मालूम है लेकिन जब आप कहते है तो बात बिल्कुल सही होगी।

नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आने वाले तथा यहां से जाने वाले मुसलमानों की संख्या

*५५--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार बतायेगी कि नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान पाकिस्तान से परमानेंटली सेटिल होने के लिए आये हैं और कितने आने वाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद उत्तर प्रदेश में २५,०९८ मुसलमान मई, १९५० से अभी तक स्थायी रूप से बसने के लिये आये हैं। प्रदेश की सरकार के पास अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि भविष्य में और मुसलमान स्थायी रूप से बसने के लिये पाकिस्तान से इस प्रान्त में आने वाले हैं।

*५६--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार बतायेगी कि नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद कितने मुसलमान उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान में सेटिल होने के लिये गये हैं और कितने जाने वाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार के पास उन मुसलमानों कि सही संख्या जो इस पैक्ट के बाद स्थायी रूप से पाकिस्तान में बसने चले गये हैं उपलब्ध नहीं है। हमारी सूचना के अनुसार लगभग ३१,००० मुसलमानों ने इस बीच में अपने पुराने निवास स्थानों को छोड़ा। इनमें से कितने पाकिस्तान गये और कितने अपने शहरों को छोड़ कर और शहरों या प्रान्तों में बस गये इसका ठीक से पता चलाना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि अब कोई मुसलमान इस प्रान्त से पाकिस्तान बसने के लिये जाने वाले हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् ५० के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में बसने के लिये आये हैं उनको बसाने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नेहरू-लियाकत जो पैक्ट था उसमें कहा गया था कि वह लोग जो लौटकर वापस आ जायेंगे उनके मकान और उनकी जायदाद उनको वापस मिल जायगी। उसी के लिहाज़ से उनको अपने घर और मकान वापस मिल गये होंगे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पार्टीशन में जिन लोगों ने कोआप्ट किया था पाकिस्तान के लिये उनमें से कितने लोग वापस आये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नेहरू-लियाकत पैक्ट में इतनी बात और थी कि पहली फरवरी और ३१ मई, १९५० ई० के बीच में जो लोग चले गये थे वह अगर परमानेंटली बसने के लिये वापस आना चाहें तो आ सकते हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उन मुसलमानों की सम्पत्ति इवैकुई प्रापर्टी घोषित कर देने के बाद भी उन्हें वापस दे दी जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो दे दी गई होगी क्योंकि वह तो सन् ५० की बात है और आज सन् ५४ है। जो लोग आये होंगे उनमें से अधिकांश लोगों को वापस हो गई होगी।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो लोग बसने के लिये आये हैं वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे या बाहर के थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शर्त यह थी कि जो लोग उत्तर प्रदेश से गये थे वही लोग बसने पायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतायेगी कि जो लोग यहां सेटिल होने के लिये आये हैं उनको सरकार ने क्या सहूलियतें दी हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बस यही सहूलियतें थीं कि उनकी जो प्रापर्टी है वह वापस लौटा दी जायेगी।

*   *   *

डाकू मान सिंह के गिरोह का झांसी की पुलिस के घेरे से निकलना

*६८—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में झांसी जिले में रामपुरा गांव के समीप झांसी की पुलिस ने डाकुओं के दल को, जिसका नेतृत्व स्वयं मानसिंह कर रहा था, बेतवा की घाटियों में घेर लिया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—८ मार्च, सन् १९५४ को झांसी की पुलिस ने डाकुओं के एक सशस्त्र गिरोह को, जिसको मानसिंह का गिरोह कहा जाता है, रामपुरा ग्राम के समीप एक पहाड़ी पर से बेतवा नदी के खंडहरों मे जाते हुये देखा। डाकुओं के दल को पूरी तौर से नहीं घेरा जा सका।

*६९—श्री कृष्णचन्द्र आर्य (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि पुलिस डाकुओं के दल को पकड़ने मे असमर्थ रही? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। बेतवा नदी कई स्थानों पर उथली और उतराऊ थी। जिस भाग मे गिरोह घूम रहा था वह भाग नदी के बड़े-बड़े खंडहरों और घने जगलों से घिरा है। गिरोह तुरन्त ही उन घने जगलों में घुस गया और रात्रि होने के कारण उसका पीछा नहीं किया जा सका।

*७०—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री डाकुओं के दल की संख्या तथा उनके शस्त्रों आदि के सम्बन्ध मे तथा पुलिस की संख्या के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह पता नहीं कि डाकुओं के गिरोह मे कितने आदमी थे परन्तु अनुमान है कि १४ और १८ के बीच थे? उनके शस्त्रों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। पुलिस की कुल संख्या ७ प्राविंशियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी सेक्शन और ६ सशस्त्र गार्ड थी।

देवरिया लाक-अप में कैदियों की जगह

*७३—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया लाक-अप (Lock-up) में कितने कैदियों की रहने की जगह है और कितने कैदी इस समय है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—देवरिया लाक-अप मे ७६ कैदियों के लिये जगह है। तारीख २३-४-१९५४ को वहां १५२ कैदी थे।

मौजा डीह, जिला राय बरेली में डाके से एक व्यक्ति की मृत्यु

*७४—श्री दल बहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जो डाका १४ और १५ दिसम्बर, सन् १९५३ की बीच की रात में मौजा डीह, जिला रायबरेली में पड़ा उसमें एक आदमी जान से मार डाला गया?

*७५—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मामले में अब तक स्थानीय पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डाका तो कोई नहीं पड़ा किन्तु दफा ४६०/३०२ आई० पी० सी० का एक मामला अवश्य हुआ जिसमे एक व्यक्ति जान से मार डाला गया। मामले की जांच अभी जारी है।

अतारांकित प्रश्न

जिला बरेली में बन्दूक, राइफल और रिवाल्वर के लाइसेंस

१—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में बन्दूक, राइफल और रिवाल्वर की दरख्वास्तें सन् १९५३ में कितनी आईं और कितने लाइसेंस दिये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में देखिये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४० पर)

प्रतापगढ़ जिले के प्रत्येक थाने में पुलिस कर्मचारियों की संख्या

२—श्री रामअधार तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में प्रत्येक थाने की sanctioned strength कितने पुलिस के कर्मचारियों की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ब्योरा साथ की तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४४१ पर)

३—श्री रामअधार तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १९५३ से जनवरी सन् १९५४ तक प्रतिमास प्रत्येक थाने पर कितने पुलिस कर्मचारी रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रकार का ब्योरा देना जनहित में ठीक न होगा।

[७ मई, १९५४ के प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

जौनपुर जेल में सजायाफ्ता, विचाराधीन तथा जेल से भागे हुए कैदी तथा उनमें हरिजनों की संख्या

*१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान सजायाफ्ता और Under trial कुल कितने कैदी जौनपुर जेल में हैं और उनमें कितनी संख्या पिछड़ी तथा हरिजन जाति की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस जेल में ३१ मार्च, १९५४ को १२७ सजायाफ्ता और १०२ विचाराधीन बन्दी थे। पिछड़ी तथा हरिजन जाति के बन्दियों की संख्या ५५ थी।

*२—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च सन् ५३ ई० से नवम्बर सन् ५३ तक कितने कैदी जौनपुर जेल से भाग गये और उसमें से कितने पकड़े गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मार्च से नवम्बर, १९५३ तक जिला जेल जौनपुर से दो कैदी भागे थे। इनमें से एक कैदी पकड़ा गया और फिर जेल में लाया गया।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जौनपुर जेल से यह जो २ कैदी भागे थे, किसकी लापरवाही से भागे थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सी० आई० डी० इसकी जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट अभी आयी नहीं है।

शिक्षा पुनः संगठन योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों को तोड़ने का विचार

*३—श्री झारखंडे राय—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा पुनःसंगठन योजना के मातहत कितने प्राइमरी स्कूल तोड़े जायेंगे?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—इस विषय में सरकार ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं निकाले हैं। जिला परिषद् स्वयं विचार करेगी।

*४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रकार जो अध्यापक बेकार होंगे उन्हें काम पर लगाने की कौन सी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या सरकार का ऐसा विचार है कि प्राइमरी स्कूल्स तोड़े जायं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

नैपाल भेजी गई पी० ए० सी० की यूनिटों पर व्यय

*५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि पी० ए० सी० की जो बटेलियने अभी हाल में नैपाल भेजी गई थीं उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत जुलाई में नैपाल में भेजी गयी पी० ए० सी० की यूनिटों पर कुल २६,२०४-११-० व्यय हुआ।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह खर्चा केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकार को मिलेगा या नैपाल से दिया जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार का प्रश्न आज से काफी पहले हो चुका है और मैं बतला चुका हूं कि रुपया मिल जायगा केन्द्रीय सरकार से। अब केन्द्रीय सरकार अपने पास से देगी या नैपाल सरकार से लेगी, इसका हमको पता नहीं है।

*६-७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८-९—श्री धर्मसिंह—[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०—श्री धर्मसिंह—[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा जिले में डकैतियों व कत्लों की दर्ज रिपोर्टें

*११—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५२ से अब तक आगरा जिले में डकैतियों व कत्लों की कितनी रिपोर्टें दर्ज की गईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तारीख १-१-१९५२ से तारीख २८-४-१९५४ तक डकैतियों की ४२ तथा कत्लों की ६५ रिपोर्टें दर्ज की गईं।

*१२—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी डकैतियों व कत्लों में पुलिस ने चालान किया और कितने मामलों में तफतीश करके फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डकैती के ४२ मामलों में से २९ में चालान किया गया, ५ में बाद तफतीश फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई तथा ८ में जांच जारी है।

कत्ल के ६५ मामलों में से ४५ में चालान किया गया, १५ में बाद तफतीश फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई तथा ५ में अभी जांच जारी है।

*१३—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार को ज्ञान है कि डकैतियों व कत्लों की सूचना देने वाले लोगों के विरुद्ध अधिकतर मामलों में १०७/११७ जा० फौ० के मुकदमें चला दिये जाते है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। परन्तु कभी कभी दलों में आपसी झगड़ों के कारण या झूठी रिपोर्ट करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि इन अपराधों के बढ़ने का क्या कारण है और सरकार उनको रोकने के लिये क्या कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अपराध बढ़ने का ठीक कारण बता सकना तो बड़ा मुश्किल है। रोकथाम की जा रही है। मैं समझता हूं कि इस वक्त रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी होती है। जो सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि रिपोर्ट पूरी-पूरी लिखी जाय, उसकी वजह से भी संख्या कुछ बढ़ी हुई मालूम होती है।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बतलायेगी कि झूठी रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ १०७/११७ जाब्ता फौजदारी की जगह पर १८२ के मुकदमें क्यों नहीं चलाये जाते?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१८२ के मुकदमें भी चलाये जाते हैं और १०७/११७ मे यह होता है कि लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं और फसाद रुक जाता है।

*१४—श्री बाबू नन्दन—[२८ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद के प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को सहायता देने का आदेश

*१५—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सन् १९५२-५३ के बजट में फैजाबाद के किन-किन प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को सरकार ने प्रति स्कूल ५०० रुपये की सहायता दी है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—

(१) जूनियर हाई स्कूल, देवीपुर।
(२) आर० डी० जू० हा० स्कूल, सुचितगंज, सोहावल।
(३) जूनियर हाई स्कूल, बसखेरी।

*१६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध का आदेश कब हुआ?

डाक्टर सीताराम—उपर्युक्त दो पाठशालाओं को १९४८-४९ से तथा तीसरी पाठशाला को १९५१-५२ से यह आवर्तक अनुदान दिया जा रहा है।

पिहानी (हरदोई) में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों को सरकारी सहायता

*१७—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिहानी, जिला हरदोई में सन् १९५० से म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जो स्कूल चल रहे हैं उसके निमित्त सरकार म्युनिसिपल बोर्ड को कितना ग्रान्ट देती है?

डाक्टर सीताराम—कुछ भी नहीं।

*१८—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त स्कूलों में अब तक म्युनिसिपल बोर्ड पिहानी का लगभग ४० हजार रुपया व्यय हो चुका है और वहां के स्टाफ को चार चार माह तक वेतन नहीं मिल पाता है ?

डाक्टर सीताराम—सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

*१९—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार म्युनिसिपल बोर्ड, पिहानी को इस घाटे की पूर्ति के निमित्त शीघ्र ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—पूरी सूचना मंगाई जा रही है, उसके आने पर इस मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड, पिहानी ने इस विषय में शिक्षा विभाग से कुछ लिखा-पढ़ी की है।

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष ने एक रेप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास भेजा है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जांच करने में कितना समय लगेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जांच का तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि आया पिहानी म्युनिसिपल बोर्ड को इसके लिये कोई अनुदान दिया जाय या नहीं।

प्रदेशीय मालखानों में प्रोहिबिटेड बोर के हथियार तथा उनकी परिभाषा

*२०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन बोर के हथियार प्रोहिबिटेड बोर की परिभाषा में आते हैं ? क्या केन्द्रीय सरकार के आदेश से ही प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—निम्नलिखित बोर के शस्त्र प्रोहिबिटेड बोर की परिभाषा में आते हैं :—

(क) ३०३ बोर के रायफल ४१० बोर से मस्केट तथा इस किस्म के शस्त्रों के हिस्से तथा इनमें लगने वाले पुर्जे,

(ख) ऐसी रायफलें, जिनमें ३०३ बोर के रायफल के कुछ खास हिस्से लग कर इस्तेमाल होती हैं,

(ग) ४४१ से ४५५ तक किसी भी बीच के बोर के पिस्तौल या रिवाल्वर या ३८ बोर या ९ मि० मी० "कैलिबर" के पिस्तौल। रिवाल्वर तथा इन शस्त्रों के हिस्से व पुर्जे।

यह प्रतिबन्ध केन्द्रीय सरकार के आदेश से लगाये गये हैं।

*२१—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय मालखानों में प्रोहिबिटेड बोर के कितने हथियार अब तक जमा हो चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—८०५।

हाथरस नगर में पैविलियन के लिए नगरपालिका को ग्रांट

*२२—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, हाथरस को एक पैवीलियन बनाने के लिये १९४९–५० में कितनी ग्रान्ट दी गई थी और वह पैविलियन नगर हाथरस मे कहां बनाया गया?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, इसके लिए रुपया नहीं दिया गया था। प्रश्न नहीं उठता।

देहली दरवाजे, अलीगढ़ में गोली चलने की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट करने वालों की गिरफ्तारी

*२३—श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर के आखरी हफ्ते में देहली दरवाजे, अलीगढ़ में गोली चली थी, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली मे दफा ३०७ ताजीरात हिन्द में हुई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक रिपोर्ट धारा ३०७ के अन्तर्गत २९ दिसम्बर सन् १९५३ को रग्घा उर्फ रघुवीर सिंह ने कोतवाली में दर्ज कराई, जिसमें कहा गया था कि डालचन्द उर्फ डल्ला ने उसके ऊपर दो बार गोली चलाई।

*२४—श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या सरकार को मालूम है कि इस मामले में उन लोगों को नहीं पकड़ा जिनके नाम रिपोर्ट में थे, परन्तु रिपोर्ट करने वालों को पकड़ कर जेल भेजा गया था? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही इस मामले में हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— सूचना रिपोर्ट (F. I. R.) के नामों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग फरार हैं। फरार व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ८७–८८ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। मामला न्यायालय में भेज दिया गया है। दोनों पार्टियों के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, क्योंकि उनके आपसी सम्बन्ध खराब हो रहे थे और शान्ति भंग होने की आशंका थी।

गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बन्धी बिल

*२५—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बन्धी बिल विधान सभा के सम्मुख कब रखने जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—आशा की जाती है कि बिल विधान सभा के आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल के विद्यार्थियों की मुख्य जेलों के अध्ययन के लिए यात्रा और उस पर व्यय

*२६—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—क्या यह सच है कि लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल से २१ विद्यार्थी प्रदेश की मुख्य जेलों का अध्ययन करने जा रहे हैं? यदि हां, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य है तथा इसमें कितना खर्च होगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी हाल में जेल ट्रेनिंग स्कूल से २१ विद्यार्थी प्रदेश की मुख्य जेलों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने गए थे।

इस यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को विस्तृत करना तथा उनको कैदियों के सुधार सम्बन्धी संस्थाओं की कार्य प्रणाली समझने में सहायता देना है।

इस यात्रा पर कुल ३४२३ रु० और ६ पाई खर्च हुआ था जिसमें से इस सरकार ने केवल १,११४ रु० ६ आने ३ पाई खर्च किया था और शेष २३०८ रु० १० आने ३ पाई अन्य प्रदेशों की सरकारों ने जिनके विद्यार्थी स्कूल में शिक्षण प्राप्त करने आये थे ।

*२७-२८—श्री गुप्तार सिंह (जिला राय बरेली)—[३ जून, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४७-४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में रिवाल्वर के लाइसेंस

*२९—श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५२ तथा १९५३ में कितने व्यक्तियों को प्रतापगढ़ जिले में रिवाल्वर दिये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— सन् १९५२ में ३ तथा सन् १९५३ में ५ व्यक्तियों को रिवाल्वर लायसेंस दिये गये।

*३०-३१—श्री देवकीनन्दन विभव—[१९ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६२-६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से उत्पन्न दुष्परिणामों की जांच के लिए समिति का निर्माण तथा पानी को साफ करने के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था

*३२—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि १९४९ में एक जांच समिति गन्ना फैक्ट्रियों के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के सम्बन्ध में बनाई गई थी? यदि हां, तो इस समिति ने क्या रिपोर्ट दी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— जी हां। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अब भेजी है जो सरकार के विचाराधीन है।

*३३—श्री श्रीचन्द—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस दुर्गन्धित तथा विषैले पानी को साफ करने के लिये एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट किन-किन गन्ना फैक्टरियों में लगाये जा चुके हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— शासन ने अभी इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया है और उसके पास इस विषय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

नगरपालिका मेरठ में सहायक हाजिरी अफसर के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सरकारी आदेश

*३४—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को विदित है कि नगरपालिका, मेरठ में सहायक हाजिरी अफसर की जगह ११ अगस्त, १९५३ से अब तक खाली पड़ी हुई है?

श्री हर गोविन्द सिंह—३ अगस्त, १९५३ में नहीं बल्कि ३ दिसम्बर, १९५३ ...

*३५—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सहायक हाजिरी अफसर, नगरपालिका, मेरठ के रिक्त स्थान को भरने के लिये सरकारी आदेश नं० ८९२९ १५—३४४९—५३, १५ अक्टूबर, ५३ जारी हुआ था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह राजाज्ञा सहायक हाजिरी आफिसर के पद को भरने के लिये नहीं जारी हुई थी बल्कि यह इसके द्वारा श्री नजीरउद्दीन फैजी को ट्रेनिंग की योग्यता के बंधन से मुक्त किया गया था।

*३६—श्री सुल्तान आलम खां—क्या यह सत्य है कि अब तक इस सरकारी आदेश का पालन नहीं हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह प्रश्न नहीं पैदा होता।

*३७-३८—श्री गंगाधर मैठाणी—[४ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

गुप्तचर पुलिस इन्सपेक्टरों और सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के वेतन-क्रम में अन्तर

*३९—श्री बलदेव सिंह (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुप्तचर पुलिस इंस्पेटरों और सिविल पुलिस सब-इन्पेक्टरों (थानेदारों) के वेतन-क्रम में क्या अन्तर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गुप्तचर पुलिस इंस्पेक्टरों का वेतन क्रम रु० २००—१०—२५०—प्र० अ०—१५—४०० है और सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों (थानेदारों) का वेतन-क्रम रु० १२०—६—१८०-प्र० अ०—१०—२०० है।

*४०—श्री बलदेव सिंह—क्या थाने के इंचार्ज सब-इन्सपेक्टरों को घोड़ा रखना आवश्यक है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

हमीरपुर में गत वर्ष दिवाली के अवसर पर पकड़े गये जुआड़ी

*४१—श्री मन्नी लाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गतवर्ष दिवाली के अवसर पर जिला हमीरपुर में कितने जुए किन-किन ग्रामों में पकड़े गये और उनमें कितने आदमियों ने सजा पाई और कितने छूट गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४४२ पर।)

फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज तथा कम्पिल में गत वर्ष डकैतियां, कत्ल, राहजनी तथा चोरियां

*४२—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि थाना कायमगंज और कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद में पिछले एक वर्ष में कितने कत्ल, कितनी डकैती, कितनी राहजनी तथा कितनी चोरियां हुईं और उनमें से कितने में मुकदमे चले और कितने मुकदमों में सजा हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना संलग्न विवरण पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४४३ पर)

राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान में कटौती

*४३--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--क्या राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान में इस वर्ष कुछ कटौती की गई है? यदि हां, तो कितनी प्रतिशत कटौती की गई और क्यों की गई?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

झांसी शहर (म्युनिसिपल क्षेत्र) में चोरियां और उनकी रिपोर्ट

*४४--श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर (म्युनिसिपल क्षेत्र) में फरवरी और मार्च में चोरियों की कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चोरियों की कुल १६ रिपोर्टें दर्ज हुयीं।

*४५--श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समय में जो चोरियां हुई हैं उनमें कितनी पकड़ी गई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--९ चोरियां पकड़ी गयीं।

*४६--श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय (जिला मिर्जापुर)--[१४ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]

*४७-४९--श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०-५२--श्री अमरेशचन्द्र पाण्डेय--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

सुभाषनगर से सम्बद्ध कोंच (जालौन) पुलिस स्टेशन से हिस्ट्रीशीटरों के रजिस्टर नम्बर का गायब होना

*५३--श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)--क्या सरकार को विदित है कि मुहल्ला सुभाषनगर (अख्तियाबाद) से संबंधित कोंच (जालौन) पुलिस स्टेशन का रजिस्टर नं० ८ जिसमें हिस्ट्रीशीटर्स नामांकित रहते हैं, गायब हो गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

सरकार का ग्रामों के मुखियों के पद को तोड़ने का विचार

*५४--श्री मन्नीलाल गुरुदेव--क्या सरकार ग्रामों में मुखियों के पद को तोड़े जाने का विचार रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है।

*५५--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[१२ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला मुरादाबाद में चार वर्षों से अधिक समय वाले पुलिस सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर

*५६—श्री स्याली राम (जिला मुरादाबाद)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद पुलिस में कौन सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर ऐसे हैं जिन्हें जिले में चार वर्ष से अधिक समय हो गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुरादाबाद जिले में ऐसा कोई इन्सपेक्टर नहीं है। परन्तु १८ सब-इन्सपेक्टरों को मुरादाबाद जिले में ४ वर्ष से अधिक समय हो गया है। इनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४४४ पर।)

*५७—श्री स्याली राम—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसे नियम बना रक्खे हैं कि कोई पुलिस अधिकारी किसी जिले में ३ वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*५८–५९—श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०–६१—श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

एटा जिले में ग्राम समितियां और उनका डाकुओं से मुकाबिला

*६२—श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में थानेवार कितने गाँव हैं और उनमें से कितनों में ग्राम रक्षा समितियां बन चुकी हैं? क्या किसी ग्राम रक्षा कमेटी ने कहीं डाकुओं का मुकाबला भी किया अथवा और कोई उल्लेखनीय कार्य किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एटा जिले के समस्त ग्रामों में ग्राम रक्षा समितियां बन चुकी हैं। मांगी हुई सूचना संलग्न है?

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४४५ पर।)

चन्दौसी (मुरादाबाद) में थाने के समीप लगभग दो बजे दिन के तीन हत्याएं

*६३—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या पुलिस मंत्री को ज्ञात है कि फरवरी मास में चन्दौसी जिला मुरादाबाद में दिन के दो बजे के लगभग थाने के निकट ही तीन हत्यायें की गई हैं। यदि हां, तो अब तक पुलिस ने हत्यारों का पता लगाने में क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इस संबन्ध में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दो अभी फरार हैं। उनको भी पकड़ने का पुलिस भरसक प्रयत्न कर रही है।

*६४—श्री महीलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस दुर्घटना से पूर्व दिन में ही एक स्त्री की हत्या चन्दौसी नगर में हुई थी? उसके संबंध में क्या-क्या कार्यवाही हो रही है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। हत्यारों का पता लग गया है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

राजकीय इंटर कालेज, रामपुर में कक्षा ११वीं मे कामर्स की शिक्षा

*६५--श्री फ़जलुलहक़ (जिला रामपुर)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इंटर कालिज, रामपुर मे कक्षा ११ मे कामर्स की शिक्षा कब से हो रही है।

श्री हरगोविन्द सिंह--२७ अगस्त, १९५१ से।

जौनपुर जिले मे ग्राम रक्षा समितियों का संगठन और ग्राम रक्षकों को बन्दूक के लाइसेंस

*६६--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले मे ग्राम रक्षा समितियों का संगठन किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*६७--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--यदि हां, तो किन-किन थानों पर और किन-किन ग्रामों मे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जौनपुर जिले के समस्त थानों के सब ग्रामों मे ग्राम रक्षा समितियां बन गई है। कुछ छोटे ग्रामों को निकटवर्ती बड़े ग्रामों मे मिला दिया गया है।

*६८--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या ग्राम-रक्षकों को बन्दूक का लाइसेंस दिया जाने वाला है? यदि हां, तो किस शर्त पर?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ग्राम रक्षा समिति के सक्रिय सदस्यों को बन्दूक के लाइसेंस दिये जाते हैं यदि वे उसके लिये योग्य हों।

*६९--श्री राम चन्द्र विकल--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*७०-७१--श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--[२१ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

१९४९ के मध्य में अस्थायी रूप से नियुक्त सब-डिप्टी इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स की संख्या और उनका स्थायीकरण

*७२--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई और अगस्त, १९४९ ई० में शिक्षा विभाग मे जो सब-डिप्टी इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे उनकी संख्या कितनी है और सरकार उनको स्थायी बनाने का निर्णय कब करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह--जुलाई, १९४९ मे कुल ८५ विद्यालय प्रति उप निरीक्षक अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे, जिनमे से कुछ ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, कुछ लोक सेवा परिषद द्वारा सहायक अध्यापक तथा विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक के लिये चुन लिये गये है और अब इनमे से केवल आठ शेष बचे हैं जिनके स्थायीकरण के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब विभाग में स्थायी पद रिक्त होंगे।

१९५३ में हाथरस में सामूहिक जुर्माने की धनराशि और उसका व्यय किया जाना

*७३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५३ में हाथरस में जो सामूहिक जुरमाना वसूल किया गया था उसकी धनराशि कितनी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५३ के साम्प्रदायिक उपद्रवों के सिलसिले में हाथरस सिटी में ४०,७९३ रु० वसूल किया गया था।

*७४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह धनराशि किस कार्य पर व्यय की गई है ? यदि अभी व्यय नहीं हुई है, तो सरकार उसे किस कार्य पर व्यय करने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार द्वारा लगाये गये अन्य जुरमानों की भांति यह जुरमाना भी सरकारी कोष में जमा कर दिया गया। यह बताना कि सरकारी कोष से यह धनराशि किस कार्य में खर्च की गई या की जावेगी, संभव नहीं है।

कारीपाकर (सीतापुर) में डकैती और उस पर कार्यवाही

*७५—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि १६-१७ जुलाई, १९५३ की रात को जो डकैती गांव कारीपाकर, थाना महोली, जिला सीतापुर में पड़ी थी, उसकी सर्वप्रथम जांच थाना महोली के किस पुलिस आफिसर ने की थी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस डकैती की सर्वप्रथम जांच श्री रामकिशोर सब-इन्सपेक्टर ने की थी।

*७६—श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कारीपाकर डकैती के सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दो व्यक्तियों के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा ४१२ के अन्तर्गत मुकदमा अदालत में भेज दिया गया है।

बसन्त कन्या इंटर कालेज, कमक्षा, शहर बनारस का स्थानान्तरण

*७७—श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या बसन्त कन्या इन्टर कालेज (थ्योसिफिकल कन्या इन्टर कालेज), कमक्षा, शहर बनारस की प्रबन्धक समिति ने कालेज को कमक्षा से राजघाट स्थानान्तरित करने के विषय में सरकार से आज्ञा मांगी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

जिला बलिया में हरिजनों के लिए मकान तथा पीने के पानी के लिए सहायता एवं कुओं का निर्माण

*७८—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत दो वर्षों में पृथक-पृथक हरिजनों के लिये मकान तथा पानी पीने के कुये बनवाने के लिये कितना रुपया जिला बलिया को दिया गया था और जिला अधिकारियों द्वारा वह रुपया किस प्रकार व्यय किया गया ?

श्री हर गोविन्द सिंह—गत दो वित्तीय वर्षों में जिला बलिया में मकान तथा पानी पीने के कुयें बनवाने के लिये हरिजनों के लिये स्वीकृत अनुदानों के व्यय का विवरण* उत्तर के साथ नत्थी है।

*७९—श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में गत दो वर्षों में कितने हरिजनों ने कुयें बनाने के लिये जिला नियोजन अधिकारी के पास प्रार्थना-पत्र दिये और कितने कुयें बने?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत दो वित्तीय वर्षों में जिला बलिया के नियोजन अधिकारी के पास कुआं बनवाने के लिये २६८ हरिजनों ने आवेदन-पत्र भेजे। ६२ नये कुये बने और ५३ कुओं की मरम्मत हुई।

उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिए १९५३-५४ में सोशल वर्कर्स की नियुक्ति एवं उन पर व्यय

*८०—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४ में उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिये कुल कितने सोशल वर्कर्स नियुक्त किये गये और उनको आनरेरियम देने में कितना धन व्यय किया गया?

श्री हरगोविन्द सिंह—१९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में ४७ सोशल वर्कर्स नियुक्त किये गये उनको आनरेरियम देने में फरवरी, १९५४ तक लगभग ७,०३० रु० व्यय किया गया।

मऊ थाना (आजमगढ़) में चोरियां और डकैतियां

*८१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ थाना, जिला आजमगढ़ में जनवरी और फरवरी मास सन् १९५४ में कितनी चोरियां और डकैतियां हुई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल २६ चोरियां हुयीं। डकैती की एक भी घटना नहीं हुई।

उन्नाव जिले में थानेवार कत्ल और डाके तथा गुंडों, बदमाशों आदि की सूची

*८२—श्री देव दत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि १ जनवरी, १९५३ से १५ फरवरी, १९५४ तक उन्नाव जिले में थानेवार कितने डाके पड़े, कितने कत्ल हुये तथा उक्त अपराधों में कितने लोग पकड़े गये और कितने दंडित हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क्ष' आगे पृष्ठ ४४६ पर।)

*८३—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार इस समय उक्त जिले के गुन्डों, बदमाशों और समाज विरोधी तत्वों जैसे निषिद्ध मादक द्रव्यों का रोजगार करने वालों एवं जुआ खेलाने वाले लोगों की कोई सूची बना रही है या बनाने का विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी सूचियां समय-समय पर आवश्यकतानुसार बनती ही रहती हैं।

---

*विवरण छापा नहीं गया।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री मदन मोहन उपाध्याय ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये एक पत्र भेजा है। यहां पर उन्होंने सूचना दे दी थी कि वे इस प्रश्न को उठायें। इस पत्र में श्री राजनारायण जी की जो दूसरी गिरफ्तारी हुई उसके सम्बन्ध में और कुछ सिलसिला के सम्बन्ध में भी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सूचना दी उसके सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है। इसके पहले कि उसके ऊपर व्यवस्था दूं मैं यह जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी से कि क्या यह मामला अदालत के सामने मौजूद है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जो पहले ३३२ के मुकदमे थे उनके लिये ९ तारीख है और जो १४७ के मुकदमे हैं उनके लिये ८ तारीख है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपसे इजाजत मांगी है वह विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई है उसको पेश करने की इजाजत मांगी है। उनका कहना यह है कि सीरियस मालेस्टेशन वगैरह हुआ है और उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि वह अदालत के सामने है।

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने जो पत्र है वह मौजूद है इसमें कोई ऐसे शब्द नहीं है कि मोलेस्टेशन वगैरा हुआ है। इसमें कई और बाते है जिनका फैसला मैं दूंगा। पहले आप जो जानकारी रखते है कि वह मामला अदालत के सामने है या नहीं उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते है जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला अदालत के सामने है, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आप कृपा करके बैठ जाइये।

जो मेरे सामने श्री मदन मोहन उपाध्याय जी का पत्र मौजूद है उसमे उन्होंने सिर्फ गोल शब्दों मे 'विशेषाधिकार की अवहेलना' हुई यह कहा है और जो सूचना मैंने सदन को दी थी जिला मैजिस्ट्रेट की सूचना के आधार पर कि किस तरह वह गिरफ्तार हुये, उस सूचना में उपाध्याय जी कहते है कि मैजिस्ट्रेट ने सदन को धोखा दिया, गलतबयानी की इत्यादि इत्यादि बाते उनके पत्र मे दर्ज है। मैंने इस सम्बन्ध में श्री गेंदा सिंह जी के प्रश्न उठाने पर यह फैसला दिया था कि रोजमर्रा का शासन का जो कार्य है और विशेषकर फौजदारी का, उसके सम्बन्ध मे कोई प्रश्न प्रिविलेज का या काम रोको प्रस्ताव का नहीं उठ सकता है।

इसके बाद भी उन्होंने यह उचित समझा कि यह प्रिविलेज या विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठायें। एक और भी अब की बार यह वाकया मालूम हुआ कि यह मामला अदालत के सुपुर्द भी है। इसलिये और भी विशेष कर यह प्रश्न सदन में उठ नहीं सकता है। मैं इस बात की अनुमति श्री उपाध्याय जी को नहीं देता हूं कि वह इसको उपस्थित करें, इस कारण कि वह अदालत के सामने है और इस कारण भी कि रोजमर्रा के इन्तजाम का प्रश्न है। जहां तक सच और झूठ सूचना देने का मामला है उसके बारे में गेंदा सिंह जी ने जब मामला उठाया था तब मैंने अपना निर्णय दिया था वही इसके लिये भी लागू रहेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न पूछने का समय नहीं है।

श्री गेंदासिंह—मैं विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—गृह मंत्री जी ने जो सूचना अभी दी है उसके सम्बन्ध में आप पूछना चाहते हैं?

श्री गेंदा सिंह—जी हां। क्या माननीय गृह मंत्री जी को जानकारी है कि यह मामला चार्जशीट के साथ मैजिस्ट्रेट के पास पहुंच चुका है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मेरी इत्तिला तो यह है कि तारीख भी तय हो चुकी है। पहले मुकद्दमों की तारीख ६ है और दूसरे मुकदमें की तारीख ८ है।

श्री अध्यक्ष—दूसरे मुकदमे जो ११७ हैं उनमें चार्जशीट की जरूरत नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, तारीख तो हर मुकदमें में पड़ जाती है लेकिन यह किस काम के लिये पड़ी है?

श्री अध्यक्ष—यह विवाद का समय नहीं है। आप विवाद शुरू कर रहे हैं।

लखनऊ यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४४७—४६८ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री अध्यक्ष—अब श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार होगा।

श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं प्रथम यह बताये देता हूं कि १० मिनट का समय प्रत्येक सदस्य को मिलेगा, जैसा कि कल निश्चय हुआ था।

श्री राधा मोहन सिंह—जहां तक इस प्रश्न पर विचार करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है और यह तो हमारी सरकार का भी स्पष्ट मत है जिसे गृह मंत्री ने पहले वक्तव्य में साफ कर दिया था कि सदन के या माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रश्न पर वह दृढ़प्रतिज्ञ है कि उसकी रक्षा की जाय। वे भी इसकी उतनी ही कदर चाहते हैं जितनी कि इस सदन का कोई सदस्य चाह सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस केस के ऊपर जब हमको विचार करना है तो एक बात और अपने सामने रखनी पड़ेगी, वह यह है कि हमको किसी भावावेश में नहीं, अपने अधिकारों को बढ़ाने के विचार से नहीं, और कम करने के विचार से भी नहीं, बल्कि हमको तो एक न्यायालय के सदृश्य इस बात पर विचार करना है कि जो आज का कानून है उसके अनुसार हमारे तथा सदन के क्या विशेषाधिकार हैं। तब हम इस पर क्या निर्णय करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हाथ बंधे हुये हैं। जो कुछ भी हमारे संविधान

[illegible] प्रकार हमको अधिकार मिले हुये हैं वह वही हैं जो [illegible] के [illegible] के अधिकार हैं। वहां पार्लियामेंट, प्रिविलेजेज और इम्युनिटीज जो २६ जनवरी, १९५० को हाउस आफ [illegible] के सदस्यों को प्राप्त थे, वह हमें भी प्राप्त [illegible] वह अधिकार काफी विस्तृत हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अधिकार प्राप्त है वह किसी कदर कम नहीं है। इस प्रकार [illegible] [illegible] हैं जिनको बड़े अधिकार हम लोगों को मिल चुके हैं। आज इस सदन के माननीय सदस्यों को जो यहां पर मौजूद हैं, यह देखना है कि हम एक गुलाम मुल्क में रहते थे और [illegible] हुए विधान के अन्दर काम करते थे, लेकिन सन् ५० के अन्दर जो संविधान मंजूर हुआ उसके अनुसार हमको वह अधिकार प्राप्त हुए वह प्रिविलेजेज मिले जो संसार के सब से स्वतंत्र पार्लियामेंट के सदस्यों को मिले थे। मैं समझता हूं कि वह काफी विस्तृत हैं, लेकिन आज के अपने संविधान के अनुसार हम उनसे बंधे हुए हैं। हम उन्हें पसन्द करें या नापसन्द करें हमको यह देखना है कि जो कुछ भी हमारे वैधानिक अधिकार हैं उनके अन्दर ही हमको काम करना है।

अब इस प्रश्न पर जब हम आते हैं तो जहां तक इसके वाकयात का सम्बन्ध है, घटनाओं का सम्बन्ध है सब माननीय सदस्यों को ज्ञात है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी छोटी सी स्पीच में और इस कमेटी के प्रतिवेदन में भी यह बातें साफ कर दी हैं और जो कुछ भी संबंधित वाकयात होंगे वह थोड़े से शब्दों में मैं आपके सामने रख दूंगा। प्रश्न यह है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ४ तारीख को काशीपुर में अपनी पार्टी के आदेश के अनुसार गन्ना ले जाने वालों की गाड़ियों को रोक रहे थे। वहां के एस० डी० ओ० वहां पहुंचते हैं और उनको बतलाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिये। इसके बाद में वह कार्य जारी रहता है तब एस० डी० ओ० उनको कार में हल्द्वानी ले जाकर छोड़ने का आदेश देते हैं। कमेटी के सामने एस० डी० ओ० को बुलाया गया। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपा कर उनके बयान को पढ़ने का कष्ट करें। उसमें दो बातें साफ मालूम होती हैं। एक यह कि उनकी अरेस्ट करने की मंशा कतई नहीं थी दूसरे यह कि वहां आकर उन्होंने यह देखा कि गन्ना ले जाने वाले लोग बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे. उनका गन्ना रुका हुआ था। वह लोग चाहते थे कि हम गन्ना जरूर ले जायं और यह अंदेशा था कि ब्रीच आफ पीस होगा। एस० डी० ओ० का कहना है कि वे लोग कह रहे थे (आप लोग हट जाइये, हम गन्ना लेकर जायंगे)। और हम देखेंगे कि क्या होगा। ऐसी सूरत में अगर एस० डी० ओ० वहां से हट जाते हैं और लोगों को मौका देते हैं कि कोई गन्ना रोके और कोई गन्ना ले जाये तो वह एक ब्रीच आफ पीस अवश्य हो जाता, अतएव माननीय नारायण दत्त जी की सुरक्षा का भी प्रश्न था क्योंकि यह तो गवर्नमेंट का परम कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक माननीय सदस्य की रक्षा का भी प्रबन्ध करे। ऐसी सूरत में जो कुछ कार्यवाही की गयी उसका मतलब केवल यही नहीं था कि गन्ना शांतिपूर्वक मिल के अन्दर जाय बल्कि यह भी मतलब था कि नारायण दत्त जी के जीवन की रक्षा की जाय। उनकी रक्षा का भी प्रश्न था। इसलिए एस० डी० एम० ने एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर (Preventive Measure) अख्तियार किया। सुरक्षा का रास्ता अपनाये। जो आज्ञा माननीय सदस्य को दी गयी उसमें कहीं भी शब्द "अरेस्ट" नहीं लिखा है। उन्होंने यह समझा कि जिस तरह से कार्यवाही चल रही है उससे ब्रीच आफ पीस (शांति भंग) की पूर्ण आशंका है और इसके लिए यानी सुरक्षा के विचार से यह जरूरी समझा कि नारायण दत्त जी तिवारी वहां से तत्काल हटा दिये जायं। अतएव जो आज्ञा मैजिस्ट्रेट ने दी वह केवल मात्र सुरक्षा के खयाल से दी अरेस्ट या कनफाइनमेंट नहीं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा असंगत से हो रहे हैं क्योंकि वह प्रतिवेदन को स्वीकार करने को प्रस्ताव में कह रहे हैं और उसने अरेस्ट को मान लिया गया है। लेकिन वह बार-बार भाषण में कह रहे हैं कि अरेस्ट करने का मंशा नहीं था।

श्री राधामोहन सिंह--जहां तक कमेटी का सवाल है अरेस्ट तो हमने मान ही लिया है कि अरेस्ट हुआ लेकिन सवाल तो अरेस्ट के किस्म का है। उस समय उक्त परिस्थिति में जो अरेस्ट हुआ वह किस किस्म का था? किस मंशा से था? कनफाइनमेंट की मंशा थी या नहीं? एक आदमी, जो कुएं में गिरने जा रहा हो उसको हम रोक ले, पकड़ लें तो उसको केवल रोकना ही अरेस्ट हो जाता है? लेकिन परिस्थिति और पकड़ने की मंशा सामने रखने पर बड़ा अंतर पड़ता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--प्वाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं कि जहां तक अरेस्ट का सम्बंध है यह तो रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि कमेटी की यह राय थी कि अरेस्ट हुआ। अब उसमें माननीय वक्ता की राय यह न रही हो, यह दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो उसके ऊपर उनको रोक दिया। इसलिए इसमें अब कोई प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल बाकी नहीं रहा।

श्री राधामोहन सिंह--जहां तक प्रश्न कमेटी का है हमने तो मान लिया कि अरेस्ट हुआ। लेकिन अरेस्ट में डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको कैसे भुला जाय? कोई आदमी कुएं में कूद रहा है, उसको हमने पकड़ लिया तो वह अरेस्ट हो गया? इसी तरह से नारायण दत्त जी कानून तोड़ने पर तुले हुए थे, शांति रक्षा का एक ही रास्ता था। अतएव उनको वहां से हटा दिया गया था। तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया, दोनों में बड़ा अंतर है। अतएव हमें तो यह देखना है कि उनका क्या मंशा था। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में पन्ना ८०-८१ पर इस सम्बन्ध में एक रूलिंग दी हुयी है। उस रूलिंग में यह साफ है कि जहां तक अरेस्ट की बात है, उसकी मंशा अगर यह हो कि वह कनफाइन कर दिया जाय तब तो श्रीमान् अध्यक्ष महोदय को इत्तिला देना लाजिमी होता है लेकिन जैसा इस केस में जब उन्होंने उनको अरेस्ट किया तो उनकी यह मंशा कभी नहीं थी कि कनफाइन किया जाय बल्कि यह मंशा थी कि उनको हल्द्वानी ले जाकर छोड़ देंगे। उनकी आज्ञा में भी दर्ज है।

एक ऐसा ही केस ब्रीच आफ प्रिविलेज का ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने आया था। उसमें यह था कि कनविक्शन हुआ लेकिन जमानत बेल की दरख्वास्त पड़ गयी और यह हुआ कि मंजूर कर ली जाय लेकिन बेल की कार्यवाही करने में ५ घंटे लग गये और उस ५ घंटे तक वह कंफाइनमेंट में रहे, बाहर नहीं जा सके जब तक कि बेल नहीं मंजूर हुयी। हाउस आफ कामन्स की प्रिविलेज कमेटी में इस केस के सम्बन्ध में जब प्रश्न वहां पर आया तो इस पर यह रूलिंग हुई कि इस केस में इत्तिला देना लाजिमी नहीं था। इसकी वजह यह बतायी गयी कि जब कनविक्शन हुआ तो यह मंशा नहीं था कि कनफाइनमेंट में रखें, तुरन्त बेल स्वीकार कर लिया गया। अब बेल के मंजूर होने में चाहे ५ घंटे लग गये या चाहे जितना समय लग जाता। जब निर्णय छोड़ने का हो जाय तो इसकी इत्तिला देने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही इस केस में भी है कि जब मैजिस्ट्रेट ने नारायण दत्त जी को गिरफ्तार किया तो उसके साथ ही छोड़ने का विचार था। उसमें उतना ही वक्त लगा जितने में कि वह काशीपुर से हल्द्वानी पहुंचे ठीक उसी तरह जिस तरह कि बेल के मंजूर करने में ५ घंटे लग गये वैसे ही उनको काशीपुर से हल्द्वानी लाने में ५ घंटे लग गए जो कि लाजिमी था। उसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि उनको अरेस्ट करके कनफाइनमेंट में रखा जाय। तो यह जो हाउस आफ कामंस का केस है वह बिलकुल इसी तरह का है। कुछ माननीय सदस्यों ने असहमति की टिप्पणियां दी हैं।

जहां तक प्रश्न नारायण दत्त जी के अरेस्ट का है वह तो हम मान लेते हैं। केवल प्रश्न इतना ही है कि सदन को इसकी इत्तिला मिलना चाहिये थी या नहीं।

अब सदन के सामने जब यह प्रश्न आता है तो यह हाउस आफ कामंस का जो केस है वह हमारे इस केस से बिलकुल मेल खाता है। हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि हम कोई ऐसी Precedent (परिपाटी) न कायम करें जिससे हमें आगे चल कर दिक्कत हो। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य समझते हैं कि इस प्रश्न में हमारा अधिकार कुछ कम हो रहा है। लेकिन यहां पर हम लोगों के सामने यह प्रश्न बिलकुल नहीं है। जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का इतिहास देखते हैं तो मालूम होता है कि जब तक पार्लियामेंट के मेम्बरों और गवर्नमेंट में लड़ाई थी तब तक पार्लियामेंट के मेम्बरों के प्रिविलेज बहुत अधिक थे। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट का गवर्नमेंट पर कब्जा होता गया, एक्जीक्यूटिव पूरी तरह पार्लियामेंट के समक्ष जिम्मेदार हो गयी तो पार्लियामेंट के सामने सवाल आया कि हमारे अधिकार सीमित होने चाहिये। यदि आप १९५० तक देखेंगे तो वह अधिकार इतने कम हो गये हैं कि क्रिमिनल केसेज में जहां तक अरेस्ट और डिटेंशन का सवाल है उसमें कोई भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं रह गया। यहां पर केवल विशेषाधिकार यह रह गया कि स्पीकर महोदय को इत्तला मिलनी चाहिये। अगर इत्तिला मिल गयी होती तो प्रश्न नहीं उठता। इसलिए हम लोगों को बहुत शांतिपूर्वक अपने सदन की मर्यादा को देखते हुए और सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हुए देखना है कि हमारी डेमोक्रेसी का काम कैसे चलेगा। पूर्ण जिम्मेदारी तथा गम्भीरता से निर्णय करना है। जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनको देखते हुए कमेटी की रिपोर्ट बिलकुल सही है।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने असहमति टिप्पणी में लिखा है कि यदि हम इस तरह से निर्णय कर देंगे, तो पुलिस को छूट हो जायगी कि किसी माननीय सदस्य को पांच दिन तक डिटेन किये रहे और फिर छोड़ दें। लेकिन हमें हर केस की मेरिट्स देखकर ही फैसला करना है। अगर ऐसा केस होगा तो हम विचार करेंगे और सजा देंगे। हमको तो अधिकार है ही। हमको तो एक न्यायालय की तरह जो वाकयात हमारे सामने हैं उन पर फैसला करना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों का न विचार करते हुए हमें जो मौजूदा प्रश्न है उस पर विचार करना है और कमेटी के प्रतिवेदन को मंजूर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--यहां पर दो प्रस्ताव और हैं जो और प्रस्ताव आये हैं उनको मैं संशोधन के रूप में लूंगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जैसा कि आपने कहा अपना प्रस्ताव संशोधन के रूप में पेश करता हूं कि विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन निम्नलिखित अपवादों के साथ स्वीकार किया जाय।

"सदन विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन से असहमति प्रकट करते हुए माननीय नारायण दत्त तिवारी की ४ फरवरी, १९५४ की गि री की सूचना न देने के सम्बन्ध में काशीपुर (नैनीताल) के सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट श्री बी० एन० टंडन को दोषी मानता है और निश्चय करता है कि उन्हें विधान सभा की नियमावली के नियम ६३ (१) के अनुसार चेतावनी दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेश करते समय मैं सबसे पहले इस सदन के माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपके जरिये कि हमें थोड़ी देर के लिए यह भूल जाना चाहिये कि सदन में हम लोग जितने भी इधर या उधर बैठे हुए हैं, वह किसी पोलिटिकल पार्टी के हैं। आज हमारे सामने इस सदन की मर्यादा का प्रश्न है। इस सदन की प्रिविलेजेज का प्रश्न है और वह अधिकार जो अधिकार हाउस आफ कामंस ने बहुत वर्षों

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

का लड़ाई के बाद हासिल किया, जिसे कायम रखा, अगर आज उस प्रिविलेज को हम इस सदन के माननीय सदस्य कायम न रख सकेंगे तो इतिहासकार इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा को जिसका भारत को राजनीति मे, भारत मे, एक प्रतिष्ठा का स्थान है उसे हम बन्द कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मै कुछ कहूं.....

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी) --मै प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता था। यह जो नियम ६३ का हवाला माननीय उपाध्याय जी दे रहे है इसमे शब्द 'चेतावनी' कहीं नहीं है। इसमे 'भर्त्सना' है, 'कारावास' है लेकिन 'चेतावनी' कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष--इसमे जो शब्द है 'ऐडमानिशन' उसका अर्थ 'चेतावनी' से ही है। इसमें जो शब्द 'ऐडमानिशन' आया है उससे 'चेतावनी' शब्द थोड़ा कमजोर ही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मै तो इस सदन के अधिकारों पर लड़ रहा हूं। हमे आज भूल जाना चाहिये कि कौन किस पार्टी का है और माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आज इसको पार्टी इश्यू न बनाया जाय और थोड़ी देर के लिये भूल जायं कि माननीय नारायण दत्त जी का प्रश्न है। किसी और मेम्बर का भी प्रश्न यह कल को हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--इस सिद्धान्त को सब लोग स्वीकार करते है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--ऐसे ऐटमास्फियर में सब लोगों को लाना चाहता हूं ताकि सब लोग यह समझ लें कि यह नारायण दत्त जी के अपमान का ही सवाल नहीं है बल्कि हर एक सदस्य के अपमान का सवाल है। हो सकता है कि वह आफिसर एक नया आफिसर हो वह यहां के नियमों को न जानता हो। मैं तो यह समझता हूं कि बजाय इस बात को दलील देने के प्रिविलेजेज कमेटी के सामने कि गिरफ्तारी ही नहीं हुई बल्कि प्रिविलेजेज कमेटी के सामने क्षमा याचना कर लेते तो अध्यक्ष महोदय मुझे पूरा विश्वास है कि प्रिविलेजेज कमेटी उनको क्षमा कर देती। बड़ी लड़ाइयों के बाद तो हमें यह अधिकार प्राप्त हुआ है और वह यह है कि अगर इस सदन का कोई माननीय सदस्य यहां न आ सका हो तो किन किन कारणों से वह वंचित रह गया है यह अधिकार उन प्रिविलेजेज के अन्दर है। प्रिविलेजेज कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की हुई लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट हो तो उसकी सूचना माननीय अध्यक्ष को नहीं देनी चाहिये। अरेस्ट हुई है, पुलिस कस्टडी में वह ले लिये गये और अगर पुलिस कस्टडी से बाहर आ गये होते तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के ऊपर चार्ज लगाया जाता कि वह पुलिस कस्टडी से भाग गये। तो अध्यक्ष महोदय, जो छोटा सा अधिकार हमें मिला है और श्री टंडन जो वहां के मैजिस्ट्रेट है वह यह कहते हैं कि साहब हमने उनको अरेस्ट ही नहीं किया तो यह उस विशेषाधिकार को अवहेलना होती है और इससे और भी कंटेम्प्ट आफ़ दि हाउस होता है।

श्री अध्यक्ष--यहां यह प्रश्न नहीं है कि उन्होंने क्या गवाही दी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मै यह कह रहा था कि उन्होंने दलील दी कि कोई अरेस्ट ही नहीं हुई और प्रिविलेजेज कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी तो माननीय नारायण दत्त जी की हुई है लेकिन यह जो फैसला दिया कि गिरफ्तारी तो जरूर हुई लेकिन कोई सूचना देने की जरूरत न थी क्योंकि वह प्रिवेंटिव अरेस्ट है, मै इससे सहमत नहीं हूं। मै माननीय बालेन्दुशाह और अब्दुल मुईज खां जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस कमेटी की बैठक में इस बात पर विचार नहीं किया कि वह किस पार्टी के मेम्बर है। मान-

श्री रामनारायण और गेंदा सिंह जी ने भी मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से काफी एग्जाम्पिल्स इस सदन के सामने रक्खी हैं। अगर हमें इस हाउस की सुप्रीमेसी को रखना है और जो माननीय सदस्य इस सदन के हैं उनकी प्रतिष्ठा को रखना है उनको एक्ज़िक्यूटिव आफिसर के चंगुल से बचाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो रात दिन ऐसे मामले आयेंगे तो अगर इस प्रकार की अरेस्ट को प्रिवेंटिव अरेस्ट कह कर वे लोग प्ली लेने लगे कि हमारे लिये ऐसा करने की जरूरत नहीं है तो मैं समझता हूं कि हमारे सदन के जो राइट हैं, उन पर कुठाराघात किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि एक छोटा सा अधिकार हमको मिला हुआ है उस अधिकार की कम से कम रक्षा की जाय और उस अधिकार को दबाया न जाय। यह चीज़ उधर के बैठे हुये सदस्यों पर भी लागू होती है और सदन के हर एक माननीय सदस्य पर यह लागू हो सकती है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस प्रश्न पर हमें ज़रा गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है और एक नमूना हमारी इस विधान सभा का ही नहीं बल्कि जो और स्टेट असेम्बलीज हैं उनके सामने रखना है। हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें भी क़रीब क़रीब इतने ही मेम्बर हैं और पूर्व के लोग भी हमारी तरफ देखते हैं कि हमारे यहां किस तरह की कन्वेंशन और कार्यवाही होती है और किस तरह का हम फैसला करते हैं उसको बाहर भी देखा जायगा। इस कारण यदि एक आदमी को अरेस्ट किया जाय और फिर यह कहा जाय कि नहीं साहब यह तो प्रिवेन्टिव अरेस्ट थी, कोई क्रिमिनल आफेन्स नहीं था इसलिये माननीय स्पीकर को इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं समझी गयी यदि इस प्रकार से कहते हैं तो यह एक भूल है और मैं समझता हूं कि इससे हमारी प्रतिष्ठा ऊंची नहीं होगी। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि उन मैजिस्ट्रेट साहब को कोई बहुत ज्यादा सज़ा दी जाय। यह माना जा सकता है कि उनसे ग़लती हुई होगी। मुझे इस बात का विश्वास है कि जैसा माननीय बालेन्दु शाह ने कहा है कि "यदि समिति के सामने बग़ैर कोई दोष स्वीकार करके दुख प्रकट करता तो स्वाभाविक और शोभनीय होता। मेरा यह शुबहा है कि वह मैजिस्ट्रेट ऐसा करता यदि उसे राज्य कर्मचारी होने पर अधिक और अनुचित भरोसा न होता और न दिलाया जाता" यह शक हो रहा है। अगर ऐसा शक हमारे सामने है तो वह शक नहीं करना चाहिये। मैं स्वयं शक नहीं करता हूं वह बालेन्दु शाह जी को होगा। मैं यह कहता हूं कि सरकार की तरफ से इस बात की रुकावट नहीं डाली गयी। हमारे इस प्रान्त के जितने एक्ज़िक्यूटिव आफिसर हैं उनको यह मालूम होना चाहिये कि हमारे इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य क्या अपना अधिकार रखते हैं। उनको इस बात की चेतावनी होनी चाहिये और वह तभी हो सकती है कि जब उन मैजिस्ट्रेट साहब को जिन्होंने माननीय नारायण दत्त तिवारी को गिरफ्तार करके इस माननीय सदन के माननीय स्पीकर को कोई सूचना न देकर जो सदन के अधिकारों की अवहेलना की है उनको इस सदन के सामने बुलाया जाय और वह इस सदन के सामने आकर क्षमा याचना करें और माफी मांगें। तब इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं और इस प्रान्त के आफिसर समझ सकते हैं कि यह सही हुआ। तब हम लोगों को इस बात की खुशी होगी कि हमारे इस सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गयी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को इस सदन के सामने रखता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट को इस रूप में स्वीकार किया जाय—

"सदन विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन से असहमति प्रकट करते हुये माननीय नारायण दत्त तिवारी की ४ फरवरी, १९५४ की गिरफ्तारी की सूचना न देने के संबंध में काशीपुर (नैनीताल) के सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट श्री बी० एन० टंडन को दोषी मानता है। परन्तु चूंकि उन्होंने अज्ञानतावश ऐसा किया इसलिये उन्हें कोई दंड नहीं देना चाहता। परन्तु

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

भविष्य में ऐसी भूल न हो इस कारण सदन स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करता है कि प्रशासकीय अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों तथा जजों का सदन के माननीय सदस्यों की फौजदारी के मामले में गिरफ्तारी निरोधात्मक गिरफ्तारी (Preventive detention or arrest) तथा दंड देने या जेल से मुक्ति के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचना देना कर्तव्य है"।

इस संशोधन पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जहां तक इस विषय का संबंध है मेरी यह राय है कि इसको पार्टी का विषय न बनाया जाय। माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि यह पार्टी का मामला न बनाया जाय। मुझे आशा है कि सदन के माननीय सदस्य इन दोनों विचारों से सहमति प्रकट करते हुये इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कई बार कहा जा चुका है, विशेषाधिकार का प्रश्न बहुत जटिल है। ऐसी सूरत में हम लोगों के लिये भी कठिनाइयां हैं और नयी उम्र के मैजिस्ट्रेट को भी कठिनाइयां हो सकती हैं। मैं इस मसले पर माननीय एडवोकेट जनरल को राय को विशेष महत्व देता हूं। उन्होंने कहा है कि यह प्रिवेंटिव अरेस्ट है। डिटेंशन तो नहीं कहा क्योंकि वह कानूनी होता है। लेकिन अगर कोई प्रकार हो सकता है उसके क्रिमिनल चार्ज के अलावा तो वह प्रिवेंटिव अरेस्ट है। मैं माननीय राधामोहन सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इंग्लैंड में भी यह व्यवस्था है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी सदन को सूचना देने का नियम है। तो एडवोकेट जनरल के मुताबिक़ अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट भी है तो भी तो सदन को सूचना देना आवश्यक था।

धारा १४४ के बीच में १८८ आई० पी० सी० के मुताबिक़ ही सजा दी जा सकती थी। काशीपुर के मैजिस्ट्रेट का आर्डर भी डिफैक्टिव है लेकिन गैर-कानूनी होते हुये भी इस प्रकार का अरेस्ट का एक ट्रेडिशन सा बनता चला जा रहा है। सदन को जान कर खुशी होगी कि मैंने विशेषाधिकार समिति में भी यह कहा था कि यह प्रिवेंटिव अरेस्ट के खिलाफ़ सा है और मैंने माननीय गेंदा सिंह जी से असहमति प्रकट की थी क्योंकि हम इसे पार्टी का सवाल बनाना नहीं चाहते। विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि साढ़े पांच घंटे की गिरफ्तारी के बाद भी सूचना देना आवश्यक नहीं है। इसी सदन में, माननीय अध्यक्ष, आप ने लोक सभा के माननीय अध्यक्ष का उद्धरण पेश किया था तो अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि चाहे डिटेंशन १५ मिनट का ही हो, सदन को सूचना पाने का अधिकार है। यदि आज हम यह फैसला कर देते हैं कि साढ़े पांच या छः घंटे की गिरफ्तारी के लिये सूचना देने की जरूरत नहीं है तो हम अनजाने प्रशासकीय अधिकारियों के हाथ में ऐसा हथियार दे देंगे कि वह माननीय मुख्य मंत्री को या किसी भी माननीय सदस्य को साढ़े पांच घंटे तक बन्द रख सकेंगे और इस नजीर का फ़ायदा उठा कर सूचना भी नहीं देंगे।

विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि वह प्रिजन में नहीं भेजे गये। मैंने अपनी असहमति टिप्पणी में इस बात का जिक्र किया है कि प्रिजन के माने कोई दीवाल वाले जेलखाने के ही नहीं हैं। कोई प्रशासकीय अधिकारी अगर किसी पब्लिक स्ट्रीट पर किसी को रोक ले तो वह प्रिजन हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने सर्वमान्य डिक्शनरियों का हवाला अपनी असहमति की टिप्पणी में दिया है। एक बात माननीय सदस्यों के दिमाग़ में आ सकती है कि सदन ने इस समिति को नियुक्त किया और उन्होंने छानबीन के बाद जो फ़ैसला दिया उसे मान लेना चाहिये। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये। उस समिति के प्रति आदर प्रकट करते हुये, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं अपने प्रति भी निरादर करूंगा क्योंकि मैं भी उसका मेम्बर हूं, मैं यह कहूंगा कि यदि यह आदरणीय सदन किसी मामले में विशेषाधिकार समिति से सहमत नहीं है तो इस सदन को पूरा अधिकार है कि अभी अपनी असहमति प्रकट करे। मैं इस बात की आशा नहीं करता कि मैजिस्ट्रेट को जानकारी होगी, और उन्हें सजा न दी जाय। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि उन्हें सजा न दी जाय लेकिन उनको दोषी मान लिया जाय और भविष्य में

ऐसी बातें दुहराई न जायं इसलिये सदन यह घोषणा करता है कि ऐसी परिस्थितियों में सदन को इत्तिला देना इन सरकारी अधिकारियों, जजों और मैजिस्ट्रेटों का कर्तव्य है । मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन सदन के हर माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप होगा क्योंकि इसमें किसी मैजिस्ट्रेट को न तो सजा देने की भावना है और न किसी रागद्वेष की ही कोई भावना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि इसको एक मत से स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि सभी इस माननीय सदन की प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं और किसी पार्टी या द्वेष की भावना से सजा नहीं देना चाहते हैं, केवल सदन की प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं। अतः मुझे विश्वास है कि इस सदन के सब माननीय सदस्य इस संशोधन को अक्षराक्षर मंजूर कर लेंगे ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक संशोधन पेश करना चाहता हूं श्री नारायण दत्त निवारी की गिरफ्तारी के संबंध में.....

श्री अध्यक्ष--मैं आप से पूछना चाहता हूं कि "भर्त्सना देता हूं" इसका क्या अर्थ है ?

राजा वीरेन्द्रशाह--"देता हूं" के बजाय "करता हूं" कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--मेरा मतलब है कि "भर्त्सना" शब्द से आपका क्या तात्पर्य है ?

राजा वीरेन्द्रशाह--धारा ६३ के अनुसार मैंने उसको रक्खा है ।

श्री अध्यक्ष--उसका अर्थ आपके विचार में स्पष्ट नहीं है इसलिये आप अपने प्रस्ताव को थोड़ी देर बाद सुधार कर रक्खें ।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो संशोधन आये हैं । एक श्री राधामोहन सिंह का....

श्री अध्यक्ष--आपका एक अमेंडमेंट मेरे पास आया है । क्या आप उसको पेश करना चाहते हैं ?

श्री नौरंगलाल--एक मेम्बर ने........

श्री अध्यक्ष--आपने मेरे पास जो संशोधन भेजा है क्या उसकी कापी आप के पास नहीं है ?

श्री नौरंगलाल--वह चार लफ्ज का है इसलिये मैंने उसकी कापी नहीं रक्खी ।

श्री अध्यक्ष--कृपा करके उसकी नकल मेरे पास से ले लीजिये ।

श्री नौरंगलाल--मैं उसको पेश करना नहीं चाहता ।

*मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस संबंध में ज्यादा विवाद और बहस की जरूरत नहीं है । मामला यहां पेश हुआ, विशेषाधिकार समिति में गया और वहां से उसकी रिपोर्ट आयी । इस सदन के सब सदस्यों का यह मत है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर किसी दलबंदी के आधार पर यहां बहस मुबाहिसा नहीं होना चाहिये। जहां तक इस खास वाक़े के हालात का ताल्लुक़ है उनमें कोई मतभेद नहीं है। क्या बात हुई, इसको सब जानते हैं। श्री नारायण दत्त जी, काशीपुर में जो कि गन्ना किसान ला रहे थे, वहां कारखाने में देने से लोगों को रोक रहे थे। वह १४४ के खिलाफ था। वैसे भी क़ानून के खिलाफ बात थी। पर उनके ऊपर कोई मुक़दमा नहीं किया गया, किसी जुर्म में वे पकड़े नहीं गये। गो कि जुर्म में नहीं पकड़े गये पर वे एक जीप में बिठलाये गये और उनको सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट अपने बंगले पर ले गये और काफी से उनकी दावत की और उसके बाद उनको मौक़ा दिया कि वे हलद्वानी, जो उनके घर के क़रीब है वहां पहुंच जायं बमुक़ाबले इसके कि वे काशीपुर में अपना वक्त खराब करें। मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि श्री नारायण दत्त जी के साथ उनका तमाम जितना भी व्यवहार रहा वह शिष्टता का रहा, सम्मान का रहा, आदर का रहा और प्रेम का भी रहा। इसलिये कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न उठता नहीं। इसमें भी कोई मतभेद नहीं है कि उनको पकड़ कर जहां हवालात या जेलखाने भेज सकते थे वैसा न करके उनको मकान पर ले गये और उन्होंने उनके साथ रियायत की और उनके साथ काफी मुरौवत की बात की। वैसे वे कहते हैं कि कालेज में उनके साथी रहे लिहाजा इस तरह से वे उनके साथ पेश आये। श्री नारायण दत्त जी ने कोई ब्रीच इस हाउस का किया है या नहीं किया है, यह मैं जानता नहीं हूं कि कोई मेम्बर इस हाउस के कानून की अवहेलना करें तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है या नहीं। लेकिन इस बात को सभी मानते हैं कि अरेस्ट हुआ और प्रीवेंटिव अरेस्ट हुआ। तो अब सवाल यह उठता है कि आया इत्तिला देने की जरूरत थी या नहीं और इत्तिला न देना कोई ब्रीच आफ़ प्रिविलेज है या नहीं। जैसा और मामलों में होता है वैसे इसमें भी है कि जिस शख्स को ब्रीच आफ प्रिविलेज के लिये सजा देनी हो उसके खिलाफ जुर्म साबित होना चाहिये। बर्डेन आफ प्रूफ उनके ऊपर है जो यह कहते हैं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ जैसा कि और बातों में होता है। लिहाजा इस क़िस्म का जब ब्रीच आफ प्रिविलेज हो तो उस मामले की इत्तिला देना जरूरी है, पूरी तरह से सही है, या नहीं या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश्ड है, यह बात आती है। ब्रीच आफ प्रिविलेज के बारे में जो कुछ भी हाउस आफ कामंस या हमारे पार्लियामेंट में रवैया रहा है उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। अभी वैसा कोई कानून हमने बनाया नहीं है लेकिन चूंकि वहां यह कानून है कि अगर किसी आदमी को पकड़ कर जेल में भेजा जाय या प्रिवेंटिव डिटेंशन हो तो फौरन् उसकी इत्तिला हाउस आफ कामंस को देनी चाहिये और उसी के आधार पर हम यहां भी यह मानते हैं कि अगर इस तरीके पर कोई बात हो तो उसकी इत्तिला देनी चाहिये। श्री रामनारायण जी ने 'प्रिजनर' का माने यह कहा कि कहीं भी कोई आदमी पकड़ कर रखा जाय तो वह प्रिजनर हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि आया जब श्री नारायण दत्त जी जीप में जा रहे थे तो अगर वह कोई ऐसी चीज करते जो प्रिजन ऐक्ट के मुताबिक जुर्म होता है तो वे मुजरिम हो जाते हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि नहीं होते क्योंकि वे प्रिजनर नहीं थे। यह जरूर है कि वे गिरफ्तार हुये और उनकी मर्जी से उनको ले जाया गया। हो सकता है कि नीम रजा उनकी रही हो। अब सवाल यह होता है कि ऐसा ब्रीच आफ प्रिविलेज कोई इस्टेब्लिश्ड हो तो कोई केस किसी ने कोट नहीं किया कि इस किस्म के मामले ब्रीच आफ प्रिविलेज के समझे गये। अब जब तक कि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश्ड न हो तब तक उसके लिये यह कहना कि किसी आदमी ने जुर्म किया है, यह जिम्मेदारी उनके ऊपर है जो इस जुर्म को आयद करते हैं। इस किस्म का कोई केस नहीं बतलाया गया है। इस समय मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस और दूसरी जितनी किताबें हैं, उनमें यही है कि कोई 'फार कमिटल टु प्रिजन' अरेस्ट हो तो उसकी इत्तिला देनी चाहिये। इसलिये इस मौक़े पर जो कुछ हुआ वह इन अलफ़ाज के अन्दर नहीं आता लिहाजा उसका मतलब ब्रीच आफ़ प्रिविलेज नहीं था, मगर यह कहा जाय कि उसका मतलब न हो मगर तब भी ऐसा होना चाहिए वह बात दूसरी है।

जहां तक अब तक प्रिविलेजेज का ताल्लुक है, हाउस आफ़ कामन्स के प्रिविलेजेज का ताल्लुक है वहां इस तरह के मामलों में बीच नहीं माना गया है और यह बीच मानने का कोई मामला नहीं है और इस तरह के फ़ैसले भी हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि अगर देर से कोई छोड़ा जाय तो इत्तला की ज़रूरत नहीं है । इस तरह की बातें हैं लेकिन चूंकि प्रिविलेजेज के बारे में कई तरह के ख्याल हैं और मैं थोड़ा सा हाउस आफ़ कामन्स की रिपोर्ट से पढ़कर सुनाये देता हूं जिससे प्रिविलेजज के बारे में कुछ सफ़ाई मिलती है । यह एक मामला था जिसमें १९१८ में मिस्टर एडमंड डिवेलरा का, काउन्ट जार्ज एन० प्लन्केट का, मिस्टर डब्लू टी० कासग्रेव का व मिस्टर जोसफ़ मेगुरेन का । उनके नामों से भी शायद कई सदस्य वाक़िफ होंगे, यह आयरलैंड के एक मूवमेंट के लीडर थे. यह पकड़े गये और गिरफ्तार किए गये थे और कानून के मुताबिक जेल भेजे गये थे । यह लोग १८ मई को पकड़े गये और उनकी इत्तला हाउस आफ़ कामन्स को पहली जून तक नहीं मिली । वहां सवाल उठा कि फ़ौरन ही इत्तला देना ज़रूरी है। १८ मई की बात थी, आज पहली जून हो गई, इतने दिन तक नहीं लिखा गया, यह बात गलत है । इस सिलसिले में वहां जो कुछ स्पीकर ने कहा वह मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस में इसी मामले में नहीं बल्कि प्रिविलेजेज के मामलों में आम तौर पर क्या हालत है उसका एक अच्छा नक्शा सही मानों में सामने आ जाता है । उस समय जो स्पीकर ने कहा था वह भी मैं पढ़ दूं—"This is a question addressed to me. I believe that is only the preliminary stage." तो मेम्बर ने कहा था कि:

"Sir, to satisfy both you and my hon'ble friend, the question I have to put is clear, and it is this : —whether it is not the duty in such cases to intimate atonce, and without delay, that such arrests have been made. May I point out to you, Sir, that the letter states that these arrests were made on the 17th and 18th May, some on one day and some on the other, and it was not until the 1st June, a fortnight later, that the Chief Secretary wrote to you an intimation on the fact of the arrest."

अब सवाल यह है कि इम्मीजिएटली इन्टीमेट करना चाहिये लेकिन १२–१३ जून तक इन्टीमेशन नहीं हुआ और जिनके बारे में यह बात थी वह जो पकड़े गये थे वह एक रिनाउन्ड मेम्बर थे और जिनके बारे में दो राय नहीं हो सकती । स्पीकर ने जो कहा उसको भी मैं सदन के सामने रखे देता हूं । मिस्टर स्पीकर ने कहा—

"The Hon,ble Member is aware that there is no statutory injunction upon magistrates, or persons committing Members of the House to inform the House of that act. It is entirely a matter of custom and of courtesy, and I think that, as a rule, it is better that the letter should be written atonce. Letters postponed are sometimes forgotten, and it is better to take action atonce. I have no doubt that if it had been present to the mind of the Chief Secretary, he would have communicated atonce. Better late than never."

इस तरह से यह मामला खत्म हुआ ।

एक सदस्य—आपने यह कहां से पढ़ा है ?

*श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह हाउस आफ़ कामन्स की चीज है, १९१८ का है, वाल्यूम १०६, १३ मई से १३ जून तक का वाल्यूम यह है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

इससे आप देखेंगे कि प्रिविलेजेज के बारे में जो बात है वह जितने जोर से हम समझते हैं कि इत्तिला न देना एक बड़ा भारी जुर्म है वह ऐसी बात नहीं है और फिर यदि दी भी गई तो १५ दिन के बाद दी गई और उसमें कोई शुबहा नहीं था कि एरेस्ट हुआ, डिटेंशन हुआ, जेल भी भेजे गये थे। टाइम की बात थी मगर उन्होंने कहा कि कोई कानून नहीं है कि जिससे मैजिस्ट्रेट बाउन्ड है कि ऐसा करे, कस्टम है, कंवेंशन है उसके मुताबिक ऐसा होता है लिहाजा अगर देर हो गई तो ऐसी कोई उज्र की बात नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम यह भी समझ ले कि किसी मामले में उचित होता यदि ऐसा करता मगर यह कहना कि यह एक जुर्म ऐसा किया गया तो हमे इसे समझना है कि आया ऐसी कोई बात है या नहीं। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इस मामले में जरूर हुआ, वह वहां से उनको ले गये और छोड़ दिया। अगर पकड़ कर जेल में छोड़ दिये जाते तब जितने हाउस आफ़ कामन्स के रूल्स हैं उनके मुताबिक कोई बात नहीं होती।

इसके बाद चार-पांच दिन के बाद फिर नारायण दत्त जी पकड़े गये और मुकदमा भी उन पर चलाया गया। उसकी इत्तिला तो यहां आ गयी। तो इसमें रामनारायण जी ने यह भी कहा कि इसमें कोई बदनीयती नहीं है। अगर कोई बात थी तो बेइल्मी थी। मैं जरा आज बढ़ना चाहता हूं लाइल्मी भी नहीं थी बल्कि ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई प्रिविलेज डिफाइन्ड नहीं था और जो कुछ था भी उसमें मैं कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके लिये यह कहा जाय कि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ। इसलिये मैं समझता हूं जो कि रिपोर्ट है और जिसमें उन्होंने यह माना है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ यही सही बात है और इसमें इस मैजिस्ट्रेट ने जो इत्तला नहीं दी कम से कम उसने इसी इत्मीनान से नहीं दिया कि इसमें देने की जरूरत नहीं। दूसरे में तो फौरन दी जैसे पकड़ा और जेल भेजा और अगर इसमें भी पकड़ने और उसके बाद जेल भेजने की बात होती तो इसमें भी देता। तो मैं समझता हूं कि यह कहना कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूं इस मामले में बहुत गुंजायश नहीं है और काफी कारण इसमें नहीं है। इसके साथ ही बर्डेन आफ प्रूफ जैसा मैंने कहा हम पर होता है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ लेकिन वह बर्डेन आफ प्रूफ डिस्चार्ज नहीं हुआ। इसलिये यह बात नहीं है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है। लेकिन आइंदा के लिये मैं समझता हूं कि हम सबको इस बात की जरूरत है कि हम अपने हाउस के प्रिविलेजेज को बढ़ावें। हम उन्हें कम करना नहीं चाहते और मैं समझता हूं कि हम एक्जीक्यूटिव को यह हिदायत यहां से भेजे तो अच्छा हो और मैं समझता हूं कि हमें भेजना चाहिये और इस तरह के एरेस्ट में भी जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऐरेस्ट हो और जब बेल न हो इसमें भी स्पीकर को इत्तिला मिलनी चाहिये और इसको भी उसी कैटिगरी में ट्रीट करना चाहिये जैसे कि औरों में की जाती है। ताकि इसकी सफाई आइन्दा के लिये हो जाना चाहिये। लेकिन जहां तक सभी लोगों के लिये कानून रखने की बात है। पुलिस वाले और मैजिस्ट्रेट जिसको च हें उसके ऊपर उनको कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है, उनके कानूनी अधिकार में किसी को कोई दस्तन्दाजी नहीं करना चाहिये। मगर कोई इस तरह से गिरफ्तार हो और कोई जमानत में रिहा न हो और वह प्रिवेंटिव डिटेंशन चाहे वह एक जगह से पकड़ कर दूसरी जगह भेजें तो भी उसकी इत्तिला स्पीकर को दे दें यह हिदायत हम भेज देंगे और इससे मैं समझता हूं कि कोई बात आइंदा के लिये दिक्क़त की नहीं रहती।

जहां तक इस मामले का ताल्लुक़ है मैं समझता हूं विशेषाधिकार समिति की जो राय है वह बिलकुल सही है। गिरफ्तारी हुई, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हुआ, मगर ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हुआ। न तो कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश हुआ और न ऐसे प्रिविलेज के लिये कोई ला या प्रैक्टिस ऐसी है जिससे ब्रीच आफ प्रिविलेज इस्टेब्लिश हो सके और जहां तक आइंदा की बात है हम इस क़िस्म की हिदायत दे दें जिससे यह प्रिविलेज भी हो जाय चाहे यह प्रिविलेज अब तक न रहा हो और चाहे यह प्रिविलेज और जगहों पर भी न रहा हो। मैं समझता

है कि इसमें हाउस की कार्यवाही सब ठीक होती है और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में भी इसका जो प्रिविलेज का सवाल आता है अगर आप असली में प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट को उठाते हैं क्योंकि विशेषाधिकार समिति ने सोचा समझा और देखा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी इसलिये आप उसको बिल्कुल न मानें तो भी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कोई सजा देने की बात भी नहीं कही है। राम नारायण जी ने भी यही कहा है। मैं लेकिन आइन्दा के लिये प्रिविलेज को मजबूत कर देना चाहता हूं ताकि दिक्कत न हो। इसकी जो हालत है और जिस तरीके पर प्रिविलेज के मामले हैं और जगहों में कार्यवाही हुई है, उस हिसाब से यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है लिहाजा हाउस को इसी तरह पर इस मामले को तय कर देना चाहिये।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं श्री राम नारायण जी के संशोधन पर एक संशोधन पेश करना चाहता हूं कि राम नारायण जी के संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके इस सदन का यह निश्चित मत है कि संबंधित अधिकारी ने माननीय श्री अध्यक्ष को गिरफ्तारी की सूचना सम्बन्धित नियमों के स्पष्ट न होने के कारण नहीं दी। अतएव सदन श्री बी० एन० टंडन, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, काशीपुर, नैनीताल को दोषी न ठहराते हुये भविष्य के लिये यह स्पष्ट शब्दों में घोषित करता है कि प्रशासकीय अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों तथा जजों का सदन के माननीय सदस्यों के फौजदारी के मामलों में गिरफ्तारी, निरोधात्मक गिरफ्तारी के पश्चात् प्रत्येक रिमांड पर तथा दण्ड देने या जेल से मुक्ति के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचना देना अनिवार्य कर्त्तव्य है।"

श्री अध्यक्ष—आप विशेषाधिकार है, यह नहीं कहना चाहते। जब आप उसको [illegible]र नहीं मानते हैं सदन का, तो ऐसी हालत में आप हिदायत कोई नहीं दे सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी तो एग्जेक्यूटिव की तरफ से हिदायत देंगे, उनको इसका अधिकार है लेकिन इस सदन को विशेषाधिकार न मानते हुये हिदायत देने का क्या अधिकार है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति के सामने केन्द्रीय सरकार का एक सर्कुलर पेश किया गया जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि फलां-फलां समय सूचना देना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है लेकिन जब तक आप इसे विशेषाधिकार नहीं मानते हैं तब तक मैं इस हिदायत देने वाले प्रस्ताव को अवैध करार दूंगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं उसे विशेषाधिकार मानता हूं लेकिन यह कहता हूं कि स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो आप 'अस्पष्टता' के लिये सदन की राय लेना चाहते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम नारायण जी के प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से यह सुनने को मिला कि माननीय नारायण दत्त जी की गिरफ्तारी का जो प्रश्न है वह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सूचना देना कोई साधारण बात नहीं है। मैं तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सूचना देना एक सुलह है। शुरू शुरू में इंगलैंड की

[श्री गेंदा सिंह]

पार्लियामेंट का विशेषाधिकार इस हद तक था कि कोई माननीय सदस्य किसी फ़ौजदारी के जुर्म में, कत्ल के जुर्म में, डकैती के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें ढिलाई हुई और वह ढिलाई इस हद तक पहुंची कि दोनों में, पार्लियामेंट और अदालतों ने यह समझौता किया कि इस प्रकार विशेषाधिकार के नाम पर कहीं उसका दुरुपयोग हो सकता है इसलिये जहां तक इस तरह के जुर्मों का संबंध है किसी माननीय सदस्य को गिरफ्तार करना में अदालतों का या पुलिस का कर्त्तव्य है। लेकिन उसके बाद उसको न सिर्फ सूचना देना माननीय अध्यक्ष को, बल्कि उस के साथ साथ माननीय सदस्य को किस जुर्म में गिरफ्तार किया उसका क्या कारण है यह बतलाना भी आवश्यक है। यह बात निश्चय है और इस निश्चय के साथ सूचना देने को प्रथा इंगलैंड को पार्लियामेंट में है। मै बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल नारायण दत्त जी का नहीं था और न है, यह प्रश्न तो समूचे भवन, समूचे जो सदस्य हैं, उनका है। मैं उनसे विचार करने को कहता हूं और माननीय सदन से भी इस प्रश्न पर विचार करने को कहता हूं कि जो उदाहरण माननीय मुख्य मंत्री जी ने सन् १९१८ का पेश किया कि माननीय स्पीकर ने यह घोषणा की कि कोई अधिकार हमारा मैजिस्ट्रेट पर सूचना पाने का नहीं है। उस संबंध में मै उनसे यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की हिदायत की चर्चा उन्होंने की है कि ऐसी हिदायत वे दे देंगे। इस प्रकार की अगर हिदायत पहले दी जा चुकी है जिसकी कि पूरी तरह से हम लोगों ने कमेटी में छानबीन की और इस हिदायत के ऊपर इस बात को माना गया कि वह हिदायत ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पाबन्दी करें। वह हिदायत हमारे चीफ़ सेक्रेटरी साहब को थी यू० पी० के। और वह हिदायत आयी हुयी थी पार्लियामेंट से। उन्हीं की हिदायत आयी थी और उसके अनुसार वह हिदायत सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, एस० डी० एम० सभी अधिकारियों को भेजी जा चुकी है और भेज करके उसमें यह प्रार्थना की गयी है कि जब कभी कोई माननीय सदस्य लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का गिरफ्तार हो तो उसकी सूचना दी जाय माननीय अध्यक्ष को और उसका पूरा पूरा कारण बताया जाय। लेकिन हम लोग मजबूर हो गये इसलिये कि उस हिदायत को यह न माने कि केवल हिदायत देने के बाद हम उससे विशेषाधिकार का दावा कर सकते है। वही बात मै उनसे फिर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह एक बहुत अजीब हालत हो जायगी कहीं किसी भी पार्लियामेंट में।

मैं अब तक तो यह नहीं समझ पाया था कि सूचना नहीं देनी चाहिये, रीज़न नहीं बताना चाहिये। मैं तो रीज़न न बताने की बात कहता हूं कि न सिर्फ सूचना देनी चाहिये बल्कि रीज़न भी बताना चाहिये कि किस कारण गिरफ्तार किया गया है। इसमें हमारा विशेषाधिकार है। यदि हमारा कोई विशेषाधिकार है तो न केवल सूचना देना बल्कि कारण बताना कि किस कारण से सदस्य गिरफ्तार किया गया है यह आवश्यक है। मै दो एक बात और निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने और माननीय मुख्य मंत्री के सामने ख़ास तौर से कि जिस प्रकार से श्री टंडन ने गुस्ताख़ाना तरीक़े पर जवाब दिया वह भी मैं समझता हूं कि कोई अच्छा उदाहरण नहीं पेश किया। वे जवाब देते हैं कि उनको गिरफ्तारी का ज्ञान नहीं कि गिरफ्तारी किसको कहते हैं और किस तरह से गिरफ्तार करते है।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं है। इस समय प्रिविलेज का प्रश्न हमारे सामने है। गिरफ्तारी की सूचना देना कर्त्तव्य है या नहीं, सिर्फ इसी प्रश्न पर आप अपने को सीमित रखें।

श्री गेंदासिंह—तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा श्री शिब्बन लाल सक्सेना का मामला कि वे गिरफ्तार किये गये और गिरफ्तार किये जाने के बाद जिस तरह से ५–६ घंटे माननीय नारायण दत्त जी को घुमाया गया उसी प्रकार घुमाने का सवाल भी नहीं था माननीय शिब्बन लाल जी को। शिब्बन लाल जी के बारे में तो सरदार जी ने यह कहा था पार्लियामेंट में कि उन्हें तो हम ऐसे स्थान पर पहुंचाना चाहते थे कि जहां पर जाकर वे स्वस्थ रह सकें और अधिक आराम पा सकें। गिरफ्तारी की भी बात नहीं,

लेकिन इतना ही कहने से कि वह माननीय जवाहर लाल जी ने पार्लियामेंट में उसको भूल स्वीकार की, सूचना देने की बात भी उन्होंने स्वीकार की।

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—क्या शिब्बन लाल जी के मामले में सूचना देने की बात थी?

श्री गेंदा सिंह—शिब्बन लाल जी के मामले में शिकायत तो यह थी कि उनको वक्त से हटाया क्यों गया। लेकिन ऐसा तो कोई सोचता भी नहीं है कि सूचना देना या न देना भी किसी अधिकारी की मर्जी पर है; हम तो समझते हैं कि सूचना देना और उसके साथ-साथ कारण बतलाना आवश्यक है और जैसा मैंने कहा, इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसको मैं कोई कोटेशन देकर माननीय मुख्य मंत्री को समझाने का दावा नहीं करता, उनकी इतनी लम्बी पार्लियामेंटरी जिन्दगी है जिससे उनका ज्ञान इस सम्बन्ध में होगा ही। लेकिन मैं उनसे इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि केवल नारायण दत्त जी के मामले में यह फ़ैसला कर लेना कि किसी मैजिस्ट्रेट की मर्जी पर है कि जिसको चाहे गिरफ्तार करे और जी में आये तो सूचना दे या न दे उचित नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को देखा जाय तो न मालूम कितने उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि सूचना देने के बाद माननीय अध्यक्ष की तरफ से वारंट जारी हुआ और उसके बाद जेलखाने से माननीय सदस्यों को छुड़ाया गया।

*श्री गोविन्द वल्लभ पंत—गेंदा सिंह जी मेरी बात को शायद कुछ ठीक नहीं समझे या मैं ठीक नहीं कह पाया। मैंने तो यह बात दिखलाने की कोशिश की थी कि प्रिविलेज का ब्रीच क्या चीज़ है। जहां तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अगर कोई पकड़ा जाय तो उसकी इत्तला मिले, उसके सबब बतलाये जायं और उसके लिये हिदायत हो, जो न करे उसको ब्रीच समझा जाय, उसमें मेरा कोई मतभेद नहीं है। इस ख़ास मामले में मैं यह कहता हूं कि जो हालात थे उनमें वह ब्रीच नहीं है। आयन्दा के लिये हम इसको साफ कर देंगे और उसके बाद कोई ऐसा मामला आयन्दा हो तो फिर हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। लिहाज़ा कोई सवाल यह नहीं है कि किसी को पकड़ा जाय तो इत्तला दे या न दे उसको अधिकार है, बल्कि जिन हालात में यह वाक़या हुआ वह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं हो सकता, यह मेरा कहना है।

श्री गेंदा सिंह—माननीय मुख्य मंत्री से यह स्पष्टीकरण सुनने के बाद हमें संतोष होता है क्योंकि मैं मान लेता हूं कि नारायण दत्त जी के मामले में कोई ऐसी खास बात है जिसकी वजह से श्री टंडन जी को छूना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन कम से कम इस सदन के अधिकार का स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री ने कर दिया इससे मुझे संतोष है। लेकिन जो उन्होंने बताया कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रोक दिया शुरू शुरू में कि मैं इस पर कुछ कहूं लेकिन जब अरेस्ट है यह माननीय प्रिविलेज कमेटी ने इसको माना कि गिरफ्तारी है और फिर प्रिविलेज कमेटी यह कहती है कि चूंकि ४-५ घंटे की गिरफ्तारी है, प्रिवेंटिव है, क्रिमिनल चार्ज नहीं है, मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से कहता हूं कि अगर क्रिमिनल चार्ज नहीं है तो गिरफ्तारी करने के पहले सूचना देने की बात तो अलग है उस मामले में तो इजाज़त लेनी चाहिये थी। अगर क्रिमिनल चार्ज होता तो ऐसी हालत में उनको पूरी तरह से गिरफ्तार कर लेने का हक़ था। लेकिन अगर क्रिमिनल चार्ज नहीं है और प्रिवेन्टिव डिटेंशन भी नहीं है तो फिर है क्या? अध्यक्ष महोदय, यह अजीब हालत है। ऐडवोकेट जनरल साहब यह फ़रमाते हैं कि १४४ का ब्रीच तो यह है.....

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मदन मोहन जी उपाध्याय ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

विशेषाधिकार समिति ने जो इश्यूज इस मामले में पहले सर्वसम्मति से तय किये थे उनको मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं--

(१) क्या श्री नारायण दत्त तिवारी का पुलिस की रक्षा में काशीपुर से हल्द्वानी हटाया जाना उनकी गिरफ्तारी थी ?

(२) क्या यह गिरफ्तारी (प्रीवेंटिव) निरोधात्मक थी या श्री तिवारी द्वारा किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में थी ?

(३) यदि गिरफ्तारी की गयी, चाहे वह जिस प्रकार की हो तो क्या इस गिरफ्तारी की सूचना श्री अध्यक्ष को देना आवश्यक था और क्या सूचना न देने से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी ?

श्रीमन्, मैं यहां आपके द्वारा सदन को बतलाता हूं कि समिति की रिपोर्ट में सभी सदस्य ऊपर की दो बातों से सहमत हैं, जो मतभेद है वह सिर्फ तीसरी बात पर है कि यह सूचना देना आवश्यक नहीं था अध्यक्ष को और विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुयी।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जब दो चीजें स्पष्ट हो गयीं और जब यह मौजूद है हमारे रिपोर्ट में, विशेषाधिकार का सवाल नहीं उठता है। इसके रिपोर्ट में पार्लियामेंट की धारा का जो उल्लेख किया गया है श्रीमन्, मैं उससे सहमत हूं जैसा कि श्री रामनारायण जी ने कहा कि चाहे वह जेल में हो या एक घंटे को भी रोका जाय या कहीं भी रोका जाय तब भी वह प्रिजन के माने में आ जाता है। इसलिए जो धारा का कोटेशन दिया गया है वह हमारे पक्ष में आ जाता है। यह विशेषाधिकार का सवाल है और अध्यक्ष को सूचना न देने का जो सवाल है वह उनके ऊपर लागू होता है। इसलिए मैं यह समझता हूं और जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना, मैं यह मानता हूं, जहां तक यह बातें बतलायी गयीं कि नारायण दत्त जी तिवारी कैसे गये, क्या हुआ, मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदन के हर मेम्बर का राइट है और प्रिविलेज है और जो माननीय गेंदा सिंह जी ने बतलाया कि पहले हमारे क्या राइट थे। अगर हम उनको निगाह में नहीं रखेंगे तो एक प्रिसीडेंट हो जायगा। यदि सूचना नहीं दी गयी तो यह हो जायगा कि एक केस में ऐसा हुआ। मैं यह मानता हूं कि आइन्दा के लिए आप सेफ गार्ड करेंगे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि इसमें हर्ज ही क्या है जब कि यह स्पष्ट है और एक एम० एल० ए० श्री अब्दुल मुईज खां ने अपना नोट आफ डिसेंट दिया है कि विशेषाधिकार के सिवाय और दूसरा सवाल उठता नहीं है। यह विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है।

हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि उनको भर्त्सना दी जाय और उनको हिदायत कर दी जाय। सरकार उनसे नाराज नहीं है और उनकी बैड एंटरी नहीं होगी। लेकिन हमेशा के लिए एक नमूना बन जाय उसके लिए मैं सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है और उनको भर्त्सना दी जाना जरूरी है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

स्थायी समितियों के निर्वाचन से नाम वापस लेने के समय में वृद्धि की सूचना

श्री अध्यक्ष--मुझे एक सूचना देनी है कि स्थायी समितियों के संबंध में आज तीन बजे तक नाम वापस लेने की तिथि थी। ५ समितियां ऐसी हैं जिनके विषय में यह कहा गया है कि उनमें नाम कुछ लोगों के वापस नहीं हुए और यह सम्भावना है कि चुनाव न करना पड़े यदि कुछ समय बढ़ा दिया जाय। इसलिये मैं नाम वापस लेने का समय बढ़ा देना चाहता हूं।

वित्त समिति, लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सामान्य शासन स्थायी समिति और पुलिस स्थायी समिति, इनके जो माननीय सदस्य नामज़द हुए हैं उनके नाम वापस लेने का समय ११ तारीख, ३ बजे तक मैं बढ़ा देता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को १२ मई, १९५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरी एक और सूचना है। मेरे सामने एक प्रस्ताव श्री काली चरण जी ने भेजा है कि "मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया नियमावली, उत्तर प्रदेश विधान सभा के नियम संख्या ११ को निलम्बित कर के जब तक पंचायत राज विधेयक विचाराधीन है, सदन प्रति दिन ६ बजे शाम तक तथा १२ मई को उस समय तक बैठे जब तक कि उक्त विधेयक पारित न हो जाय, तथा विधेयक १२ मई तक पारित करने के हेतु उक्त विधेयक पर संशोधन के प्रस्तावक तथा मंत्री जी को भाषण के लिये १० मिनट तक अन्य सदस्यों के लिये ५ मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय"।

यह प्रस्ताव मैं सोमवार को लूंगा, चूंकि इसमें नोटिस की आवश्यकता है, इसलिये उस दिन इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। मैंने सूचना दे दी।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री अध्यक्ष—अब जो विषय सामने है उस पर विवाद जारी रहेगा।

*श्री केशव गुप्त—(जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैंने आज अपने नेता माननीय पंत जी का भाषण सुना। उन्होंने अपना यह विचार प्रकट किया कि भविष्य में वह मैजिस्ट्रेटों को इस बात की हिदायत भेज देंगे कि वह शीघ्र से शीघ्र किसी प्रकार की गिरफ्तारियां हमारे प्रतिनिधियों की हों तो वह उसकी सूचना आप को देंगे लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के आदेश जारी करने से कोई विशेषाधिकार इस हाउस का या हाउस के प्रतिनिधियों का बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने तो यह निश्चय कर दिया कि हमारे प्रिविलेजेज़ वही रहेंगे जो कि हाउस आफ कामंस के हैं या पार्लियामेंट के हैं उस समय तक जब तक कि कोई लाज़ हम इनऐक्ट करके कोई नये विशेषाधिकार अपने लिए अख्तियार न कर लें। इसलिए एक्ज़िक्युटिव आर्डर के जरिये से हाउस के कोई विशेषाधिकार बढ़ जायं, ऐसी कोई मुझे संभावना नहीं मालूम होती और जिस समय तक हमारा यह संविधान है उस समय तक ऐसा होना संभव नहीं है। अब देखना यह है कि जो प्रश्न हमारे सामने है उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न आता है या नहीं आता है, मैंने भी इसका विचार करने की थोड़ी सी कोशिश की और मैंने उसमें जो निर्णय है, उसको देखा। यह तो मानी हुयी बात है कि अरेस्ट हुयी और इसको तो विशेषाधिकार समिति भी सर्वसम्मति से स्वीकार करती है कि अरेस्ट हुयी। लेकिन अब देखना यह है कि वह अरेस्ट किस प्रकार की है आया वह किसी क्रिमिनल आफेंस में थी या क्या थी। इस चीज़ को हमें देखना है। अगर वह क्रिमिनल आफेंस में थी या ऐसे क्रिमिनल आफेंस में थी जिसके चार्जेज फ्रेम हो सकते हैं तब तो एक छोटी सी बात हो सकती है कि मैजिस्ट्रेट ने इत्तिला दी या नहीं। इसको हाउस आफ कामंस भी मान चुका है और वह इस बात पर जोर देता है कि क्रिमिनल आफेंस में सूचना दे दी जाय। लेकिन सूचना का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और जैसा अभी पढ़कर सुनाया गया दस या १२ दिन तक सूचना न देने पर भी उसे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं माना। सूचना मिलनी चाहिए चाहे देर में हो क्यों न मिले। लेकिन यहां पर एक बिलकुल दूसरा प्रश्न है। यहां तो गिरफ्तारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

होती है लेकिन किसी कानून के अन्दर नहीं होती है। अगर १४४ की अवहेलना मे भी गिरफ्तारी होती है तो उसमें भी १८८ की कार्यवाही होती है। यहां पर कोई गिरफ्तारी १४४ या १८८ के मातहत, जैसा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत प्रोवाइडेड है, नहीं हुयी है। इसमें न कोई वारंट जारी हुआ है और न कोई और कार्यवाही हुयी है। वारंट का भी एक फार्म दिया हुआ है कि वह इस तरह से जारी होगा। लेकिन उसमे वह कुछ भी नहीं हुआ है। यह गिरफ्तारी किसी रूल के अन्दर नहीं आती है। इसलिए मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति को इस प्रश्न पर अवश्य विचार करना चाहिये था कि अगर इस प्रकार की गिरफ्तारी हो कि जो किसी भी कानून के अन्दर न आती हो तो वह उस के ऊपर क्या हमारे विशेषाधिकार होंगे उसको उन्हें सोचना चाहिये था और उस पर क्या कार्यवाही करनी चाहिये यह भी उन्हे परामर्श देना चाहिये था। मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२० पर यह लिखा हुआ है :—

"It is a contempt to cause or effect the arrest, save on a criminal charge, of a Member of the House of Commons during a session of Parliament, or during the forty days preceding or the forty days following a session."

तो यहां पर गिरफ्तारी होती है ५ फरवरी को, हाउस मीट कर रहा है ११ फरवरी को। मैंने अर्ज किया कि १८८ में गिरफ्तारी नहीं हुयी, १४४ के केस में भी नहीं हुयी, क्योंकि १४४ के केस में भी १८८ की तरह ही गिरफ्तारी होती है। उसका भी एक प्रोसीजर दिया हुआ है, वारंट का फार्म भी दिया हुआ है, इसलिए उसमें भी यह गिरफ्तारी नहीं होती। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गिरफ्तारी जब किसी में नहीं आती तो इसमे तो एक कंटेम्प्ट का प्रश्न हो जाता है और इसलिए मैं समझता हूं कि इसपर विशेषाधिकार समिति को अपनी सम्मत्ति देनी चाहिये थी और जो ऐडवोकेट जनरल ने अपनी सम्मति दी है और उन्होंने यह कहा है उसके अन्दर कि आगे जाकर इसके ऊपर फिर सोचकर अपनी रिपोर्ट देंगे कि आया इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं, उनकी इस सम्मति को भी विशेषाधिकार समिति को अवश्यमेव मंगाना चाहिये था, क्योंकि उससे बहुत कुछ रोशनी इस प्रश्न के ऊपर पड़ सकती थी। इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रश्न को फिर दोबारा विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय और वह फिर इस पर विचार करे और इस दृष्टि से विचार करे कि यह कंटेम्प्ट आफ दि हाउस तो नहीं हो गया, कहीं इल्लीगल अरेस्ट तो नहीं हो गया कि न १४४ के अनुसार अरेस्ट है न १८८ के अनुसार है, वारंट नहीं डिटेन्शन नहीं, १०७ नहीं, तो यह कहीं कंटेम्प्ट का प्रश्न तो नहीं है और कंटेम्प्ट ज्यादा होनियस हो जाता है बनिस्बत प्रिविलेज आफ हाउस के, क्योंकि जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि इन्फार्मेशन देने का तो बहुत थोड़ा सा सवाल है। वह इन्फार्मेशन दे, न दे, १५ दिन में दे, १८ दिन में दे क्योंकि अभी एक रूलिंग माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोट की कि १५ दिन की देर होने पर भी उसे उन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं माना तो सिर्फ साधारण सूचना देने को मैं इतना आवश्यक नहीं समझता जितना कि इस प्रश्न को कि क्या यह अरेस्ट लीगल थी या इल्लीगल थी। अगर इल्लीगल थी तो उसके बारे में क्या विशेषाधिकार है, और उस पर क्या होना चाहिए, यह विचार होना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण मैंने आपके सामने रखा।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री के भाषण के पश्चात् इस सम्बन्ध में राय प्रगट करना जरा बड़ा कठिन सा हो गया है। हम उनकी दलीलों से चाहे प्रभावित हुए हों या न हुए हों लेकिन उनकी हिमालियन परसोनैलिटी का बोझ तो हम पर आ ही गया है। फिर भी जी मानता नहीं और मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी राय इस सम्बन्ध में व्यक्त करने की कोशिश करूं। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं कि ब्रीच आफ दि प्रिविलेजेज आफ दि हाउस इस सम्बन्ध में हुआ है और मिस्टर टंडन इस सम्बन्ध में रिस्पांसिबिल हैं जैसे किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई रिस्पांसिबिल हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट है उसके पृष्ठ ३ पर मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ८०—८१ में उद्धरण दिया गया है। उस उद्धरण का उन्होंने सहारा लिया है और उसमें कन्विक्शन अप्लाई करके यह कहा है कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। इस उद्धरण में कहा गया है—"Where a Member is convicted but released on bail pending an appeal "the duty of the Magistrate to communicate with the Speaker does not arise."

मैं नम्रतापूर्वक इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो उद्धरण है इस केस में बिल्कुल नानाप्लिकेबल है, इज नाट एप्लाई एट आल। एक तो कन्विक्शन का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए रूलिंग बिलकुल बेकार सी है। लेकिन अगर मान भी लिया जाय थोड़ी देर के लिए, वह अप्लाई होती है तो हम ऐसे केस की कल्पना करें जिसमें मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस गया और उस मैजिस्ट्रेट ने उसको सजा दी। ला प्रैक्टिशनर्स को मालूम होगा कि जिस समय मैजिस्ट्रेट ने सजा दी वहां पर उस समय वकील बेल अप्लीकेशन लिये तैयार रहता है। उसने बेल अप्लीकेशन दी और वह मंजूर हो गयी। उसमें एक मिनट के डिटेंशन की भी परिस्थिति नहीं पैदा होती। लेकिन मैं एक ऐसे केस की कल्पना करता हूं जब एक आदमी को सजा हो जाय, दो घंटे या चार घंटे कस्टडी में भेज दिया जाय, वहां पुलिस की हवालात रहती है उसमें बन्द कर दिया जाय। तो उस हालत में क्या होगा? उसके लिये यह रूलिंग अप्लाई करेगी या नहीं? मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे। इस रूलिंग में इस केस की कल्पना भी नहीं की गयी है जबकि दो चार घंटे किसी को कस्टडी में रखा गया हो। मैं आपकी आज्ञा से पूरे उद्धरण को पढ़ना चाहता हूं—

"The Committal of a Member for high treason or any criminal offence is brought before the House by a letter addressed to the Speaker by the committing judge or magistrate. On these occasions, the first communication to the Speaker is made when the Member is committed to prison, bail not being allowed; and subsequently, if the Member be not released from custody, or acquitted, the judge informs the Speaker of the offence for which the Member was condemned, and the sentence that has been passed upon him. Where a Member is convicted but released on bail pending an appeal, the duty of the magistrate to communicate with the Speaker does not arise".

तो कस्टडी का जो शब्द आया हुआ है वह मेरे कथन का समर्थन करता है। अगर एक आदमी का कनविक्शन हुआ और एक घंटे से एक वर्ष और हजार वर्ष तक कस्टडी में रहा, तो जो उद्धरण दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी इनफार्म करने की स्पीकर को उस वक्त नहीं है तो जो रूलिंग दी गयी है पहले तो कनविक्शन के बारे में है। कोर्ट में केस गया और सजा हुयी। तो यह रूलिंग वहां अप्लाई नहीं करती। दूसरा सवाल है और इसी उद्धरण में है कि कस्टडी के सम्बन्ध में सूचना देना जरूरी है। कोर्ट में सजा होती है, कोर्ट आर्डर देती है कि 'टिल दि राइजिंग आफ दि कोर्ट' कनफाइन रहेगा—उस हालत में क्या होगा, इसकी कल्पना इसमें नहीं की गयी है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो तो भी मैजिस्ट्रेट को चाहिये था कि स्पीकर को इत्तला मिले या न मिले। मेरा निवेदन यह है कि जो उद्धरण दिया गया है और उन्हीं दलीलों से पूरे इस ऐक्शन को डिफेंड किया गया है उनका केस एक्सपोज हो जाता है। माननीय नारायण दत्त तिवारी एक मिनट से पांच वर्ष तक भी कस्टडी में थे तो यह रेस्पांसिबिलिटी थी उनकी कि वह स्पीकर को इत्तला देते, और इत्तला न दें तो ब्रीच आफ दी प्रिविलेज हुआ, जो नजीर दी गयी, उसके मुताबिक।

एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कोई आदमी गिरफ्तार हो और बड़े अच्छे बंगले में ले जाकर रक्खा जाय जैसे काश्मीर में श्यामाप्रसाद मुकर्जी रक्खे गये थे तो उसमें कर्टसी

[श्री केशव गुप्त]

का क्वेश्चन नहीं होता। ५ घंटे जीप में रक्खा गया, आइस क्रीम खिलाते हुए ले गये और कन्याकुमारी तक या लंका तक पहुंचा जाते तो कंटेंसी का क्वेश्चन नहीं होता। मैं समझता हूं कि इस कंटेंप्ट से हमारे सब अधिकार छीन लिये गये। हमारे प्रिविलेज हैं और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग ने इसे तय किया है। हमारे कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में भी लिखा गया है—

"In other respects the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State and of the members and the committees of a House of such Legislature shall be such as may from time to time be defined by the Legislature by law and until so defined shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom and of its members and committees at the commencement of this Constitution."

तो इस लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार है कि जो अब तक कन्वेंशंस हैं उनको फालो करे या कन्वेंशंस एस्टेब्लिश करे और यह डिफाइन करे कि यह प्रिविलेजेज क्या हैं। अब अवसर आ गया है जबकि यह डिफाइन कर दिया जाय कि हमारे प्रिविलेज क्या हैं। अगर हाउस के किसी सदस्य का अपमान होता है तो उससे पूरी सरकार की शक्ति क्षीण होती है। मैं समझता हूं कि हमारे मैजिस्ट्रेट टंडन साहब ने मेज की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पढ़ी हो या न पढ़ी हो लेकिन इतना वह अवश्य जानते थे कि जब कोई माननीय सदस्य लेजिस्लेचर का गिरफ्तार हो तो स्पीकर को सूचना देनी चाहिये। इसके डिटेल्स चाहे मालूम हों या न मालूम हों, उनको चाहे यह न मालूम हो कि किस वक्त पर सूचना देनी चाहिये या न देनी चाहिये और अगर उनको डाउट था तब तो उनको और भी सूचना दे देनी चाहिये थी। लेकिन जब उन्होंने सूचना नहीं दी तो इस बात के मानने में कोई दिक्कत नहीं मालूम होती कि उन्होंने जानबूझ कर सूचना न देने का निश्चय किया लेकिन उन्होंने डेलीब्रेटली इस बात को एवायड किया और प्रिविलेजेज को ब्रोच किया जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है कुछ घंटों के लिए रक्खा गया, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। अरेस्ट उनको किया गया और ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ और टंडन ने जानबूझ कर इसे किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर वादविवाद के लिये दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री इस पर कुछ राय देंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैं तो समझता हूं कि काफी बहस हो चुकी यदि सदन चाहता हो तो मैं कोई रोकना नहीं चाहता। दर असल उम्मीद यह थी कि दो घंटे में बहस समाप्त हो जायगी। जो रूल है वह भी ऐसा ही है कि जो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जाय तो उस पर ब्रीफ डिस्कशन होना चाहिये, अब जैसा अध्यक्ष महोदय उचित समझें करें।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन पर छोड़ता हूं और सदन की राय लिये लेता हूं। नियम तो यही है कि कम से कम डिस्कशन होना चाहिये, यह ख़याल रखते हुए सदन अपनी राय दे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यदि मैं कह सकूं तो यह तो स्पेसिफिक ईश्यू है। अध्यक्ष ने कमेटी को कमिट किया और कमेटी ने उस पर राय दी। अब यह कहना कि और बातें होनी चाहिये थीं या नहीं, अध्यक्ष ने रूल आउट किया कि यह नहीं हो सकता था तो उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठता। दरअसल उसकी रिलेवेंसी भी नहीं होती। जहां तक इन्फार्मेशन की बात है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन्स अटैच नहीं करना है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—श्रीमन्, आपके निर्णय देने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाय कि यह जो

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आयी है वह एक साल के अन्तर से आयी है यानी ३ और ४ के सन में आयी है। वह इस प्रकार के विषय में आयी है अगर यह बात भी ध्यान में रखी जाय तो इसके लिये अधिक समय देना उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस वादविवाद का समय ५ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (ज़िला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, इस भवन को केवल इस प्रश्न पर निर्णय लेना है कि चाहे किसी भी प्रकार की सदस्य की गिरफ्तारी या डिटेन्शन हुआ हो, तो दोनों में से कोई हालत हुयी हो, मॅजिस्ट्रेट को या अन्य अधिकारी को स्पीकर को सूचना देना आवश्यकीय था या नहीं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम लोग इस नतीजे पर आये कि समिति ने कुछ ऐसे विचार प्रकट किये कि जिसके कारण बहुमत ने यह समझा कि स्पीकर को सूचना देना आवश्यकीय नहीं था। सबसे मजबूत और ज़बरदस्त प्वाइंट जिसके बारे में यह कहा गया है कि गिरफ्तारी के बारे में सूचना नहीं देनी चाहिये थी वह यह था कि उनको जेल में नहीं भेजा गया। अगर वास्तव में हम इस प्रश्न पर निश्चय कर ले तो हमको यह देखना पड़ेगा कि बन्दीगृह या प्रिज़न की परिभाषा क्या है? अगर वास्तव में प्रिज़न की परिभाषा केवल उसी स्थान से मानी जाय, जिसको आम तौर पर बन्दीगृह कहते हैं तो वास्तव में हाउस के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है लेकिन यदि यह इसके विपरीत है तो अधिकारों को ठेस पहुंची है। और उसमें यह नहीं आता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रिज़न की परिभाषा देखने के लिये जो हमारा प्रिज़न्स ऐक्ट है अगर उसी को हम देखें तो मालूम होगा कि उसमें क्रिमिनल प्रिज़नर की परिभाषा से उसका आशय केवल उस बन्दीगृह से नहीं है बल्कि जहां कहीं भी एक मेम्बर को डिटेन किया जाता हो तो वहां वह क्रिमिनल प्रिज़नर कहा जायगा। इस सम्बन्ध में प्रिज़न्स ऐक्ट में क्रिमिनल प्रिज़नर की परिभाषा इस प्रकार से है कि:

"Criminal prisoner means any prisoner duly committed to custody under writ, warrant or order of any court or authority exercising criminal jurisdiction."

इसके बाद अगर हम बन्दीगृह की परिभाषा देखते हैं तो हमको अपने यहां की परिभाषा को न देखकर हमको इंग्लैन्ड के प्रिज़न्स ऐक्ट की परिभाषा को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अधिकार हमारे संविधान द्वारा डिफाइन नहीं किये गये हैं। उसमें यह माना गया है कि इंगलैन्ड के पार्लियामेंट के सदस्यों के जो विशेषाधिकार होते हैं वही विशेषाधिकार हम लोगों के हैं। तो इस तरह से हम लोगों को वहां पर जो प्रिज़न्स की परिभाषा है इस सम्बन्ध में अपनानी पड़ेगी। यह जो समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसके पेज ९ पर प्रिज़न्स की परिभाषा इस तरह से दी गयी है:

"The prison of the King's bench is not any local prison confined only to one place and every place where any prison is restrained of his liberty is a prson......"

इसके बाद हम देखते हैं कि उसी पृष्ठ पर फिर हमको कन्फाइनमेन्ट की परिभाषा मिलती है—

"Every confinement of the person is an imprisonment whether it be in a common prison, or in the stocks, or even by forcibly detaining one in the public street."

इन परिभाषाओं से मालूम होता है कि केवल बंदीगृह ही प्रिज़न नहीं है। बल्कि जहां भी सदस्य को रोका या गिरफ्तार किया जाय, वही वह प्रिज़न कहलायेगा चाहे वह टैम्पोरेरी हो या परमानेंट प्रिज़न हो। हमारे तर्क की पुष्टि लोक सभा के आदेश से भी होती है जो हमारे चीफ़ सेक्रेटरी

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

द्वारा जारी किया गया है। उसमें प्रिजन शब्द का जिक्र नहीं है। उसमें यह है कि अगर किसी सदस्य को गिरफ्तारी हो, रोका जाय, डिटेंशन हो या उसको दण्ड दिया जाय या किसी के मुक़द्मे के सिलसिले में मुक्त किया गया हो तो स्पीकर को सूचना देनी होगी। मैं समिति के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि चूंकि सदस्य को जेल नहीं भेजा गया तो विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई। आमतौर से ऐसा होता है कि मुलजिमान को गिरफ्तार होने के बाद वहीं जमानत पर छोड़ दिया जाता है और जेल नहीं जाना पड़ता है। जैसा कि पद्मनाथ सिंह जी ने कहा कि एक शख्स पर मुक़दमा चल रहा है और आम तौर से क़ाबिल जमानत जुर्मों में मैजिस्ट्रेट वहीं छोड़ देते हैं, और यदि मैजिस्ट्रेट ने नहीं छोड़ा तो उसी दिन सेशन जज से दोनों प्रकार के जुर्मों में जमानत हो कर छूट जाते हैं, तो यदि समिति के तर्क को माने तो सदस्यों का हमेशा हैरेसमेंट हुआ करेगा और जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा।

इस देश के कर्मचारियों और विशेष तौर से पुलिस कर्मचारियों और इग्लैण्ड के कर्मचारियों में बहुत अन्तर है। यदि ऐसा न होता, तो यह आपत्तियां उठाने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती।

बहुत से तर्क इस तरह के भी आये हैं कि तिवारी जी अपनी इच्छा से हल्द्वानी जाना चाहते थे और मैजिस्ट्रेट का विचार कभी भी नहीं था कि उनको जेल में रखे परन्तु तिवारी जी को मुक्त करने का विचार उनका शुरू ही से था। मैं समझता हूं कि इस तर्क में भी ज्यादा तत्व नहीं है। उनकी जीप में कोई आकर्षण नहीं था या मनोरंजन विषय ऐसा नहीं था जिसकी बिना पर उनकी जीप में तिवारी जी स्वयं जाकर बैठ जाते।

इसके बाद समिति की ओर से यह भी कहा गया है कि डिटेंशन ५ या साढ़े पांच घंटे का था और अगर दो एक महीने का होता तो डिटेंशन कहा जा सकता था। मेरी समझ में अगर डिटेंशन १ मिनट का ही रहा हो तो वह डिटेंशन होता है। सदस्यों को विशेष तौर से ऐसी परिस्थितियों में होने से और भी ज्यादा हैरेसमेंट आगे चल कर हो सकता है। इंग्लैंड में पुलिस की ख्याति ऊंचे पैमाने पर है, बदक़िस्मती से हम अपने देश में उसके विपरीत पाते हैं। वहां के विशेषाधिकार बहुत लड़ाई के बाद बने हैं और बहुत वर्षों के तजुर्बे की बिना पर हैं। हाउस आफ कामन्स के सिद्धांतों को हमें मानना होगा लेकिन बहुत रिजिडली नहीं। जहां तक प्रिजन का सवाल है। इस देश की परिस्थिति को देखते हुए, वहां के सिद्धान्तों में कुछ फिलेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहना चाहता केवल इतने ही शब्द कहना चाहता हूं कि तिवारी जी को पकड़े जाने से विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसके लिये कुछ न कुछ इलाज निकालें वरना भवन की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जायगी और पड़ रही है और इन्डिविजुअल मेम्बर्स की प्रतिष्ठा तो खतरे में पहले से ही पड़ चुकी है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)——अध्यक्ष महोदय, पहले मैं अपनी कमजोरी कबूल करता हूं अपनी कमी बतलाना चाहता हूं वह मेरी कमजोरी यह है कि मैं लाइयर नहीं हूं, कानूनदां नहीं हूं और इस वक्त प्रश्न कानून का है। इसलिये अपनी कमजोरी को कबूल करने के बाद अपने विचार पेश करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री के तर्कपूर्ण उदार व्याख्यान के बाद भी मुखालफत हो रही है। उसका कारण मेरी समझ में नहीं आता अपोजीशन की बेंचेज की ओर से यदि मुखालिफत होती तो हमें कोई शिकायत नहीं होती लेकिन हमारे कांग्रेस के भाई भी......(शोर)

श्री अध्यक्ष——इसके सिलसिले में इस तरह की पार्टियों के बारे में बातें नहीं होनी चाहियें।

श्री सीताराम शुक्ल—अगर आप जरा सुनने की मेहरबानी करेंगे तो ज्ञात होगा कि इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना कहां तक उचित है या इस संशोधन को पास करने के तरीके पर गौर कीजियेगा और जरा ठंडे दिमाग से सुन लेने के बाद चाहें तो बड़ी खुशी से मुस्तरिद्द कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, एक कानून बनता है लेकिन उसका जहां ऐप्लीकेशन होता है उसकी परिस्थितियों को देख कर जमीन-आसमान का अन्तर पड़ जाता है। एक कानून बनता है डकैती के लिये। डकैती करना जुर्म है लेकिन एक डकैती करने वाला अपने लिये डकैती करता है और दूसरा दूसरों के लिये डकैती करता है, इन दोनों डकैतियों में जमीन-आसमान का अन्तर है। डाकू भी डकैती डालते हैं और जेलखाने को जाते हैं लेकिन भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल भी डकैती के कारण जेल गये थे। एक को हम बुरा कहते हैं और दूसरे को इज्जत की नजर से देखते हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि जरा विचार कीजिये कि आया उस मैजिस्ट्रेट ने बुरी नियत से यह गलती की थी या जानबूझ कर की थी कि स्पीकर साहब को नारायणदत्त जी के बारे में सूचना नहीं दी। जब उन्होंने उनको गिरफ्तार किया तो स्पीकर साहब को सूचना दे दी गयी। फिर स्पीकर साहब को सूचना देने का मतलब यह होता है ताकि स्पीकर साहब यह देख सकें और उस पर ऐक्शन ले सकें और उसमें जांच-पड़ताल कर सकें। यदि ज्यादती हुई है तो ऐक्शन ले सकें। लेकिन वहां तो गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं है। बाल की खाल तो मैं नहीं निकालना चाहता लेकिन यह साफ जाहिर है कि उनको इसलिये पकड़ा गया कि एक जगह पकड़ कर दूसरी जगह छोड़ दिया जायगा। उनको पकड़ा गया यह ठीक है लेकिन यह भी वाकया है कि उनको लेजाकर छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो ऐसी हालत में सूचना देना क्यों जरूरी था? मेरी गुजारिश है कि इस पर गौर फरमाया जाय। हमारे माननीय तिवारी जी की शादी १० तारीख को होने वाली है इसलिये मैं यह चाहता हूं कि दबी जबान में जवाब दूं ताकि उनको शादी में बाधा भी न पड़े। और उत्तर भी दे दूं हुजूरवाला, आप देखिये कि काश्तकार वहां पर जमा थे, वे अपना गल्ला बेचना चाहते थे, वे ग़रीब और भूखे थे, उनको जा कर रोकना कहां तक ठीक था?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—प्वाइंट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं। माननीय शुक्ल जी डिटेल्स में जा रहे हैं। जब माननीय गेंदासिंह जी बोल रहे थे तो आपने आज्ञा दी थी कि वे फैक्ट्स पर न जाकर विशेषाधिकार के प्रश्न पर ही बोलें।

श्री अध्यक्ष—वे कानून नहीं जानते, ऐसा उन्होंने पहले ही कह दिया है।

श्री सीताराम शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं उधर नहीं जाऊंगा लेकिन इशारा किया जा सकता है और प्वाइंट के जरा बाहर जा कर भी उससे फायदा उठाया जा सकता है। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि कायदे कानून वही रहा करते हैं लेकिन नियत से बहुत बड़ा फर्क हो जाया करता है। एक आदमी है जो किसी को एक चपत मारता है और वह मर जाता है तो उसको ६ महीने की सजा होती है, एक आदमी किसी को गोली मारता है तो उसको फांसी की सजा होती है और एक आदमी किसी डाकू को मारता है तो उसे इनाम मिलता है। तो कानून जो बनता है वह नियत पर बहुत डिपेंड करता है। अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन की हिस्टरी में नई बात हुई कि जहां किसी ने माननीय अध्यक्ष के हुक्म की अवहेलना की हो लेकिन हमारे माननीय मेम्बर श्री तिवारी जी ने आप के हुक्म को यहां तोड़ा और बार-बार तोड़ा। तब फिर आप ने पुलिस को आर्डर दिया और उसने उनको बाहर कर दिया। तो क्या आपने उनको गिरफ्तार किया था? मजबूरी थी जिससे आप को यह तरीका अख्तियार करना पड़ा। उसी प्रकार पब्लिक का नुकसान हो रहा था तो मैजिस्ट्रेट ने उनको जीप में बैठा कर दूसरी जगह भेज दिया तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलती उसकी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यहां सूचना देने का है।

श्री सीताराम शुक्ल--मेरी प्रार्थना कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी के यह कहने के बावजूद कि मे आयन्दा के लिये आदेश दूंगा कि ऐसी हरकत होने पर खबर दे दी जाय, इस आश्वासन के बावजूद भी अगर ... के कोई रिमार्क पास होता है कि मैजिस्ट्रेट ने ग़लती की तो मुफ्त मे यह एक उसकी शिकायत हो जाती है और हुज़ूरवाला, अगर हमारे दोस्त जानबूझ कर कानून को तोड़ें तो उसे रोकना ही पड़ेगा............

श्री अध्यक्ष--यह असंगत सा है।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं कहता हूं कि जानबूझ कर कानून तोड़ने वालों के साथ कितनी रियायत की जायगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो रिपोर्ट आयी है उसको पास किया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति का जो प्रतिवेदन सदन के सामने है उस पर काफी देर से विवाद हो रहा है। जो छोटा सा प्रश्न है वह यह है कि माननीय तिवारी जी को ४ तारीख को गिरफ्तार कर हल्द्वानी में ले जाकर छोड़ दिया गया। तो जो यह गिरफ्तारी हुई उसकी सूचना इस भवन के विशेषाधिकारियों को होनी चाहिये थी कि नहीं होनी चाहिये थी और यदि नहीं हुई, तो उससे इस भवन की अवहेलना होती है या नहीं होती है। मैं आप की आज्ञा से दो तीन बातें रखना चाहता हूं। मे पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२१ पर जो इस संबंध में लिखा हुआ है उसे मैं आप की आज्ञा से पढ़ता हूं--

"Although the privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges, it is the right of each House to receive immediate information for the imprisonment or detention of any Member, with the reason for which he is detained."

पेज ७९ पर श्रीमन् इस तरह से है--

"In all cases in which Members are arrested on criminal charges the House must be informed of the cause for which they are detained from their service in Parliament."

पेज १२० की दो लाइनें भी मैं पढ़ देना चाहता हूं--

"It is a contempt to cause or effect the arrest, save on a criminal charge, of a member of the House of Commons during a session of Parliament, or during the forty days preceding, or the forty days following a session."

इसके अलावा पेज ६९ पर यह भी दिया हुआ है--

"Privilege protects Members of Parliament with the same sanction as well from illegal molestation as from the legal process of arrest. Either is equally a breach of privilege."

श्रीमन्, इस कमेटी ने इस संबंध में तीन ईश्यूज़ अपने सामने बनाये। पहला ईश्यू तो यह कि उनकी गिरफ्तारी हुई वह टेक्निकल सेंस में अरेस्ट हुआ या नहीं। इस पर सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि उनको जो गिरफ्तारी हुई वह अरेस्ट है। तो सवाल यह है कि वह अरेस्ट है तो वह अरेस्ट किसी क्रिमिनल आफेंस या क्रिमिनल चार्जेज़ के सिलसिले में है या यूं ही है। जो गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल हैं उनकी डेफिनिट व्यू है कि यह जो अरेस्ट है इसमें न तो किसी क्रिमिनल आफेंस की बात है न क्रिमिनल चार्जेज की बात है। इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन के पेज तीन पर लिखा है कि "उनकी गिरफ्तारी केवल निरोधात्मक थी और किसी फ़ौज-

इसमें आरोप या किसी फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में न थी। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है जब कि कोई सदस्य फौजदारी आरोप पर या फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में कारावास में भेजे जायं।" साफ जाहिर है कि कमेटी भी मानती है कि वह अरेस्ट क्रिमिनल चार्ज पर नहीं थी और अगर क्रिमिनल चार्ज पर नहीं था तब सूचना देना जरूरी नहीं था। अगर यह मान लें कि क्रिमिनल चार्ज पर था तब तो मैं समझता हूं कि इस सदन को सूचना देनी जरूरी थी। मगर जैसा कि माना गया कि नहीं थी तो आखिर सवाल यह है कि यह क्या चीज थी और किस आधार पर थी। मैं समझता हूं कि अगर हम उस व्यू को मानें जो कि एडवोकेट जनरल साहब की है कि यह केस क्रिमिनल चार्ज के सिलसिले में नहीं था तब तो और भी, यह सारा सदन की कण्टेम्पट की कैटेगरी के अन्तर्गत साफ तौर से आ जाता है और यह और भी ज्यादा बड़ी गलती है और जैसा कि राधामोहन सिंह जी ने कहा कि अरेस्ट इस सेन्स में नहीं बल्कि इस सेन्स में हुई तब तो मैं समझता हूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह अरेस्ट इन्टेन्शनल मालेस्टेशन में आ जाती है। तब भी ब्रीच होता है। श्री टंडन ने आप के आर्डर में लिखा है कि क्योंकि श्री नारायणदत्त तिवारी ने दफा १४४ का तोड़ा है इसलिये आदेश दिये गये कि थानेदार काशीपुर उनको वहां से हटा दें और हल्द्वानी में जा कर छोड़ दें। वह कम से कम ५ घंटे तो इस तरह गिरफ्तार रहे ही। इसलिये वह बात तो लागू नहीं होती कि इन हालात में इत्तला देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्द है कि उनको हल्द्वानी में जा कर छोड़ा जाय यानी उनके ऊपर पाबन्दी लगा दी गयी। टंडन जी ने कुछ भी कहा हो और मंशा भी कुछ रही हो लेकिन जैसा कि एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम को देखना यह है कि उनका ऐक्शन क्या था। उनका ऐक्शन कानूनी नहीं था, एक हेफेजार्ड तरीके का था। किसी मैजिस्ट्रेट के लिये इस तरह की कानूनी बात के जो रिजल्ट्स हैं उनका सोचना एक कठिन सवाल होता है। दफा १४४ के सिलसिले में जो ऐक्शन हुआ वह दफा १८८ के अन्दर होना चाहिये था सो नहीं हुआ बल्कि एक गलत ढंग से उनको अरेस्ट किया गया जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भी है। अरेस्ट किस किस्म की थी इस बारे में कंफ्यूजन जरूर है मगर जो भी हो मैं भी इसको अरेस्ट जरूर मानता हूं। अतः सूचना देना भी आवश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप असंगत हो रहे हैं।

श्री नवलकिशोर—मैं यह कह रहा था कि दो चीजें हैं कि अरेस्ट हुई और या जैसा कि टंडन जी का व्यू है कि अरेस्ट नहीं हुई। मेरा निवेदन यह है कि यदि अरेस्ट हुई और बिना किसी फौजदारी आरोप या अपराध के हुई तब ब्रीच आफ प्रिविलेज तो हुआ ही मगर उससे कहीं भयंकर भवन की मानहानि की बात हो जाती है। यदि अरेस्ट नहीं था तब मालेस्टेशन था वह भी ब्रीच है। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि प्रश्न यह नहीं है कि इनटेन्शन था या नहीं। मैं भी समझता हूं कि इनटेन्शन नहीं था और जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया लेकिन ब्रीच आफ प्रिविलेज इस सेन्स में हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद उनका कर्तव्य था कि आप को सूचना दी जाती। लेकिन वह नहीं दी गयी इसलिये ब्रीच हुआ और जरूर हुआ। बस मुझे इतना ही कहना था।

***श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल (जिला मुजफ्फरनगर)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के विचारों के प्रकट हो जाने के बाद, तिवारी जी के प्रस्ताव के मूव हो जाने के बाद और यह जानते हुये कि तिवारी जी १४४ दफा तोड़ने जा रहे हैं, यह जानते हुये कि उन्होंने श्री टंडन से यह बताना मुनासिब नहीं समझा कि वह फ़ाइनेंस कमेटी को अटेन्ड करने जा रहे हैं, इन तमाम बातों को जानते हुये और सब से बड़ी बात यह कि मैं इस सदन में सब से कम बोलने वालों में से हूं फिर भी मुझे प्रेरणा हुई कि इस हाउस में आज बोलूं। और इस कमेटी की रिपोर्ट जो सदन के सामने है उसके मुताल्लिक़ कहूं कि यह रिपोर्ट मंजूर न फरमाई जाय और इसको दोबारा कमेटी के सुपुर्द पुनःविचार के लिये कर दिया जाय तो इसके कुछ कारण हैं और सब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल]

से पहला कारण यह है कि अगर यह रिपोर्ट मंजूर हो जाती है तो इसके माने यह होंगे कि सदन या तो इस बात पर विचार नहीं करना चाहता कि यह गिरफ्तारी जो तिवारी जी की हुई वह क्या किसी क्रिमिनल चार्ज के मातहत हुई या नहीं और अगर नहीं है तो इसका क्या असर है या तो हाउस इस सवाल को नजरंदाज करना चाहता है और या इसको नजरन्दाज नहीं करना चाहता। जब यह सवाल हाउस के सामने पेश है तो इस सवाल को इस बिना पर कि इन्फार्मेशन नहीं दी गयी और इन्फार्मेशन न देना इसलिये कि क्रिमिनल चार्ज के मातहत गिरफ्तारी नहीं हुई है इसलिये सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं हुई है यह मुझे गलत सी बात मालूम होती है। मैंने तिवारी जी के कम्प्लेन्ट को पढ़ा। उसमें यह है कि श्री रामरूप सिंह, जिलाधीश, नैनीताल और श्री बी० एन० टंडन, एस० डी० एम०, काशीपुर ने उन्हें कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा १४४ तोड़ने के अभियोग में ४ फरवरी, १९५४ को सायंकाल ४ बजे के लगभग गिरफ्तार किया और थाना इन्चार्ज, काशीपुर के हिरासत में दे दिया। तत्पश्चात् काशीपुर का एक पुलिस दस्ता, जिसमें एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर व छः हथियार बन्द कांस्टेबिल थे, उन्हें एक जीप में काशीपुर से लगभग ५० मील दूर हल्द्वानी ले जाया गया जहां उन्हें साढ़े नौ बजे रात्रि को छोड़ दिया गया। पुलिस और अधिकारियों द्वारा इस प्रकार साढ़े पांच घंटे हिरासत में रखे जाने के कारण वे फायनेंस कमेटी की बैठक में लखनऊ आने से वंचित रह गये और उन्हें एक दिन की देर हो गयी। पुनः उनके गिरफ्तार किये जाने की सूचना भी अध्यक्ष को नहीं दी गयी जो विशेषाधिकार की अवहेलना है। इसमें उन्होंने किसी खास बात को नहीं लिखा कि अवहेलना इस कारण से हुई कि इसकी इत्तिला माननीय स्पीकर को नहीं हुई। उन्होंने इस बात को नहीं लिखा कि मैं इस बात को मानता हूं कि इसकी इत्तिला स्पीकर साहब को नहीं हुई इसलिये अवहेलना हुई बल्कि कुल का कुल कम्प्लेन्ट माननीय अध्यक्ष ने कमेटी के सुपुर्द किया और कमेटी ने इसपर एक तरीके से विचार भी किया। एडवोकेट जनरल का स्टेटमेंट भी है। एडवोकेट जनरल से भी इस बात को पूछा लेकिन जब उनका जवाब न आया तो कमेटी ने इस सवाल को अपने सम्मुख रखा। मैं एडवोकेट जेनरल साहब की बात को आपके सम्मुख रखता हूं—

"If the policeman says that I am taking you under escort and will leave you at a certain place then that is not an arrest on a criminal charge, because this is not a punishment for any offence alleged against him. It is only a preventive action. And if you want an answer to the question, whether such kind of arrest as took place in this case, i. e. not a criminal charge, comes under the breach of privilege or not, I would not like to give an off-hand answer and I want some time."

तो मैं यह जानता हूं कि यह सवाल कमेटी के सामने दरपेश है। एडवोकेट जेनरल ने इसका जवाब देने के लिये समय लिया। उसके बाद कमेटी ने २ अप्रैल, १९५४ की बैठक में श्री कन्हैया लाल मिश्र, एडवोकेट जेनरल के उत्तर के बिना ही इसका विचार किया। उनसे यह पूछा गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के सम्बन्ध में सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं और उसके लिये सूचना देना आवश्यक है या नहीं। दोनों प्वाइंट्स को उनको रिफर किया गया। एडवोकेट जेनरल का उत्तर इस विषय में समिति की अन्तिम बैठक तक प्राप्त नहीं हुआ। और इस पर उन्होंने तीन सवाल सिर्फ अपने रूबरू बनाये। यानी जो कमेटी है विशेषाधिकार की उसने तीन सवाल बनाये। पहला सवाल यह था कि क्या श्री नारायणदत्त तिवारी का पुलिस की रक्षा में काशीपुर से हल्द्वानी हटाया जाना उनकी गिरफ्तारी थी। इसका जवाब कमेटी ने दिया कि हां यह अरेस्ट थी। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह गिरफ्तारी केवल निरोधात्मक थी या श्री तिवारी द्वारा किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में थी। इसके बारे में कहा गया कि गिरफ्तारी निरोधात्मक थी। तीसरा प्रश्न यह था कि यदि गिरफ्तारी की गयी, चाहे वह जिस प्रकार की हो तो, क्या इस गिरफ्तारी की सूचना श्री अध्यक्ष को देना आवश्यक था और क्या सूचना न देने से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी। इसके बारे में उन्होंने

कहा कि सूचना देना जरूरी नहीं था और सूचना न देने का जरूरत न होने का कारण यह बतलाया कि वह क्रिमिनल चार्ज के अन्दर अरेस्ट नहीं थे।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि जिस कमेटी को आपने इस मामले को रेफर किया उसने अपने सामने कोई चौथा सवाल नहीं रक्खा। मेरी समझ में नहीं आता कि कमेटी कि रिपोर्ट में कोई चौथा सवाल क्यों नहीं रक्खा गया। एडवोकेट जनरल का फर्ज था कि वह कमेटी को इस सवाल का जवाब देता। इसलिये मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस सवाल को कमेटी को दोबारा रेफर किया जाना चाहिये और उनकी राय मालूम होनी चाहिये और तब उसके बाद इस रिपोर्ट को इस हाउस के सामने पेश होना चाहिये। मैं इतना और भी अर्ज करना चाहता हूं और उसके बाद खत्म करूंगा कि सवाल यह नहीं है कि टंडन साहब को क्या सजा मिलनी चाहिये. उनके बारे में हम बहुत मुलायम एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर हाउस ने इस तरीके से इस रेजोल्यूशन को मंजूर किया तो तब जब यह कमेटी प्यूपुल के सामने जायगी उस वक्त क्या यह सवाल पैदा नहीं होगा कि यह सवाल सदन में या कमेटी के सामने नहीं आया। या तो इस सवाल को नजरअन्दाज किया गया या सदन की समझ में बात नहीं आयी। गिरफ्तारी चाहे इल्लीगल हो, चाहे नाजायज हो जिसको क्रिमिनल चार्ज के मातहत न कहा जा सकता हो, उसकी इन्फार्मेशन देने या न देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।....

श्री अध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चय ही माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के पहले से ही इस विचार का हूं कि इसमें इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। मैं इसपर अधिक न कहकर केवल श्री टंडन के उस आर्डर को आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके एक एक शब्द की व्याख्या आपके सामने करना चाहता हूं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो यह क्रिमिनल चार्ज का शब्द कहा गया है वह कहां तक सही अथवा गलत है। श्री टंडन ने जो आर्डर दिया है उसके शब्द में आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं: "Sri Narain Dutt Tewari is committing a breach of section 144 Cr. P. C. by obstructing the sugarcane carts, trucks and wagons from entering into L. H. Sugar Factory, Kashipur" इससे एक आफेंस के तीन भाग होते हैं। एक तो यह कि एक आदमी आया "about to commit or is committing an offence" और "has committed an offence." तीन भाग होते हैं इसके--

"Committed an offence. Has committed an offence and is about to commit an offence."

श्री नारायणदत्त तिवारी एल० एच० शुगर फैक्टरी के भीतर केन ट्रक्स और कार्ट और वेगन जाने से रोकते थे। दिस इज दी चार्ज। अब इसका पनिशमेंट क्या हो? क्योंकि १४४ के ब्रीच पर पनिशमेंट आफ आर्डर का १८८ है यह बिल्कुल निश्चित है। इसलिये उन शब्दों के किसी आर्डर में यह नहीं लाया जा सकता था। अब १४४ के ब्रीच के लिये १८८ में आर्डर दिया जाय तो वे लिखते हैं।

"I hereby order this punishment provided for breach of section 144. I hereby order the S. O. Kashipur to remove him under escort to Haldwani and release him there."

श्री नारायणदत्त तिवारी किसी प्लेजर ट्रिप या साइट सीन के लिये नहीं ले जाये गये थे। उनकी मर्जी से उन्हें नहीं ले जाया जा रहा था। अगर यह है तो दफा ३४२ आई० पी० सी० जिसमें क्रिमिनल रेस्ट्रेण्ट डिफाइन किया गया है साफ जाहिर होता है कि टंडन साहब ३४२ के मुजरिम हैं। यानी यह एक डेफनिट चार्ज है जिसका यह पनिशमेंट हो जाता है कि उन्हें

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल]

हल्द्वानी ले जाकर छोड़ा जाये। अब एक डेफनिट चार्ज हो जाता है तो सदन को सूचना न देना और क्रिमिनल चार्ज हो जाता है। हमारी समझ में विशेषाधिकार की अवहेलना है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ ३ पर यह लिखा हुआ है कि--

"The failure of a Judge or magistrate to inform the House of the committal to prison of a Member on a criminal charge or a criminal offence would, therefore, constitute a breach of privilege",

अब इससे यह स्पष्ट है कि क्रिमिनल आफेंस था कि वे ऐक्ट १४४ का ब्रीच कर रहे थे। अब दूसरी बात जो इसमें लिखी हुयी है--

"though it is otherwise where a member is convicted but released on bail pending an appeal............"

नारायणदत्त तिवारी १४४ के ब्रीच करने में कन्विक्ट हो गये। लेकिन इसमें और आगे लिखा हुआ है कि अगर वे कन्विक्ट हो जाने के बाद बेल पर रिलीज हो जाते हैं तो ब्रीच आफ प्रिविलेज वह नहीं होता। लेकिन वह कन्विक्ट हो गये, उन्होंने सजा भी पूरी काट ली और उसके बाद रिलीज हुए। इसलिये यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से यह सोच रहा था कि हमारी ओर के बहुत से सदस्य इस प्रस्ताव को क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। मैं जो प्रस्ताव आपके सामने पेश करना चाहता हूं वह यह है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट जो सदन के सामने विचाराधीन है उससे यह प्रकट होता है कि श्री नारायणदत्त तिवारी किसी क्रिमिनल चार्ज पर गिरफ्तार नहीं हुए। कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया और न अपनी रिपोर्ट ही दी कि तिवारी जी की इस प्रकार की गिरफ्तारी से विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन का अपमान है या नहीं। यह प्रश्न अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह रिपोर्ट पुनः विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन वापस भेजी जाय और वह अपनी रिपोर्ट सदन के सन्मुख १५ दिन के अन्दर-अन्दर उपस्थित करे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस सदन के सन्मुख रखे कुछ बातें भी ऐसी हैं कि जिनसे यह बात मानी जाती है, and we must take it for granted, इसको तो यह मान लेना चाहिये कि गिरफ्तारी हुयी यह बात तो ठीक है कि इसके ऊपर बहस करना बेकार है। एक बात तो मान कर चले कि श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी हुयी। अब यह हो सकता है कि उस गिरफ्तारी का नतीजा क्या हुआ, उनको छोड़ दिया या उनको चाय पिलाई या उनको आराम से कहीं रखा, मगर गिरफ्तारी जरूर हुयी। अब वह गिरफ्तारी किस नियत से की गयी आगे चल कर इनपर कोई हमला न करें या वह गिरफ्तार इस वजह से हुये कि आगे चल कर कुछ काश्तकार उनके ऊपर कोई हथियार न चला दें या उनको किसी प्रकार से बचाने का सवाल था, इस बात को इस समय हमें नहीं देखना है। हमें यह विचार करना है कि जिस शख्स ने यह गिरफ्तारी की या जिसको हम सजा देने जा रहे हैं अगर यह साबित भी हो जाता है तो हमारी सजा क्या होगी। क्रिमिनल ला में इंटेंशन देखा जाता है किसी क्राइम के करने के लिये। अगर यह बात साबित हुई होती कि हां, क्राइम किया तो फिर इंटेंशन देखा जायगा इस बात के लिये कि हमें उसको सजा क्या देनी है। तो आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आया यह इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी यानी जो गिरफ्तार करने वाले सज्जन थे उन्होंने इस हाउस का कंटेम्प्ट किया या नहीं किया। अब जैसा कि हमारी समिति का मत आया और मैं समझता हूं कि हमें यह मान ही लेना चाहिये क्योंकि हमें दोनों बातें अपने ध्यान में रखनी हैं, यानी एक तरफ तो हमें इस सदन के सदस्यों के अधिकारों को ध्यान में रखना है और दूसरी तरफ जो समिति हमने विशेषाधिकार के लिये बनायी उसके भी अधिकारों का ध्यान हमें रखना है। तो विशेषाधिकार समिति ने दो बातों को माना है, एक बात तो यह कि अरेस्ट हुआ और दूसरी बात उसने

यह मानते हैं कि यह ऐसा कंटेम्प्ट था जो प्रिवेलिज कहा जा सकता है और इस वजह से उन्होंने यह माना है कि इससे माननीय अध्यक्ष महोदय को इत्तला देना कोई जरूरी नहीं था। मैं इन डेलिकेट बातों में पड़ना नहीं चाहता हूं जिन पर इसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है; मगर क्या इसका मतलब यह हुआ कि जिन्होंने बलवन्तसिंह जी को गिरफ्तार किया वे अपने फर्ज में बरी रहे, बावजूद इसके कि उन्होंने इत्तला नहीं दी कोई जुर्म बनता है या नहीं और अगर इसमें इस हाउस को गौर करना चाहिये या नहीं। मैं समझता हूं और जैसा कि माननीय द्वारका प्रसाद जी ने आपके सामने विस्तारपूर्वक बतलाया, इसके बावजूद कि उन्होंने इत्तला नहीं दी तब भी वे इस हाउस के कंटेम्प्ट के मुजरिम हो जाते हैं। इत्तला देना और न देना तो अध्यक्ष के लिये है लेकिन जो कंटेम्प्ट की बात है वह सारे सदस्यों के लिये लागू होती है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके इसकी मेरिट के ऊपर कि ऐसा चार्ज लगाया गया या नहीं लगाया गया इसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि कमेटी के सामने पुनः विचार के लिये भेजा जाय इसके बारे में आपको जो कुछ कहना हो वह कहें।

श्री बलवन्त सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में अपने प्वाइंट को विस्तारपूर्वक कहने के लिये ही यह बात कह रहा था। खैर, मेरा मतलब यह है कि जो प्वाइंट इसमें है वह यह है कि अगर हम यह भी मान लेते हैं कि उन्होंने हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना इस प्रकार से नहीं की तो भी मैं समझता हूं कि उन्होंने हाउस का कंटेम्प्ट अवश्य किया और हाउस के कन्टेम्प्ट का प्वाइंट, जैसा कि अभी माननीय द्वारकाप्रसाद जी ने सदन के सम्मुख रखा, विशेषाधिकार समिति के सामने आया अवश्य, मगर उसके पास पूर्ण डाटा न होने की वजह से और जो हमारे ऐडवोकेट जनरल श्री कन्हैया लाल साहब की राय न होने की वजह से वह उसके ऊपर पूर्णतया अपनी राय कायम नहीं कर सकी। इसलिए मैं समझता हूं कि उनके सामने इसको फिर से भेजा जाय जिससे वह अपनी पूरी राय दे सकें और यह प्वाइंट सदन के सामने और हमारे सामने आ जाना चाहिये कि आया इस प्रिवेलिज अरेस्ट से इस सदन का कंटेम्प्ट हुआ या नहीं। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि कमेटी के सामने यह दुबारा जाना चाहिये।

*श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, इस घटना से दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। एक तो यह कि गिरफ्तारी स्वतः हमारे सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना है या नहीं। दूसरा यह कि गिरफ्तारी की सूचना सदन को न देना सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है या नहीं। समिति ने केवल एक प्रश्न पर विचार किया है और वह यह कि इस गिरफ्तारी की सूचना अध्यक्ष को न देना सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है या नहीं। दूसरा प्रश्न जो स्वतः गिरफ्तारी का है वह इससे अधिक महत्व का है और सदन के सामने और समिति के सामने इस प्रश्न को आना चाहिये था। लेकिन उसका मौन रहने का मतलब यह है कि इस गम्भीर प्रश्न की उपेक्षा कर दी गयी है।

जो माननीय बलवन्त सिंह जी ने प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जान बूझकर या अनजान में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि समिति के सामने केवल एक ही प्रश्न गया था और वह यह कि विशेषाधिकार की अवहेलना, सूचना अध्यक्ष को न देने से हुयी या नहीं। इसलिए समिति को माननीय मुख्य मंत्री जी की राय में अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह विचार करे या नहीं। मेरी समझ में......

श्री अध्यक्ष—मैं अब इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समिति को पूर्ण अधिकार है कि वह प्रिविलेज के और भी प्रश्न निकाल सकती है। इसके सम्बन्ध में केवल प्राइमाफेसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

ऐवीडेंस से जो मुझे विदित हुआ उस पर निर्णय देकर मैंने समिति के पास विचारार्थ भेज दिया था।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ऐसी अवस्था में समिति ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है। इसलिये इसको समिति को दुबारा भेजा जाय, मैं और जोर से समर्थन करना चाहता हूं और यह और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है, यह राय है कि यह लघु प्रश्न हो जाता है कि इस सदन को सूचना दी या नहीं दी। लेकिन गिरफ्तारी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कभी भी दो राय नहीं हो सकती है जबकि सदन ने इसको मान लिया है कि गिरफ्तारी किसी क्रिमिनल चार्ज पर नहीं हुयी है और जब किसी क्रिमिनल चार्ज पर गिरफ्तारी नहीं हुयी तो निस्संदेह यह इल्लीगल है........

श्री अध्यक्ष--आप इसके ऊपर राय न दें क्योंकि समिति ने कोई निर्णय नहीं दिया और यह तो समिति का प्रतिवेदन है जो विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ऐसी स्थिति में अगर यह क्रिमिनल चार्ज पर गिरफ्तारी नहीं हुयी है तो यह ऐसी गिरफ्तारी है जिससे माननीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है। इसलिये मैं थोड़े से शब्दों में ही क्योंकि बहुत से मेरे साथियों ने उद्धरण किये हैं, कहना चाहता हूं और मुझे अधिक कुछ कहने की इस सम्बन्ध में आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर प्रश्न है। इसलिए यदि इस पर समिति विचार न करे और माननीय सदन भी विचार न करे तो ऐसी नजीर बन जायगा जिससे कहा जा सकता है कि सदन ऐसे प्रश्न पर भी मौन रहा जो अधिक महत्व का प्रश्न था। इसलिये यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसलिये सदन का कर्तव्य हो जाता है कि व्यक्तिगत भावनाओं से ऊंचा उठकर सदन के सम्मान की रक्षा के लिये विचार करें और इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और इसको पुन: समिति को भेजा जाय।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जो मैंने अभी कुछ तकरीरें माननीय सदस्यों की सुनी हैं, उससे मुझे आशंका यह है कि कुछ गलतफहमी हो रही है और इस गलतफहमी की वजह से यह प्रस्ताव माननीय बलवन्त सिंह जी ने पेश किया है कि जो असल मामला था उस पर कमेटी ने विचार नहीं किया और इसी वजह से उनके प्रस्ताव का समर्थन कई दोस्तों ने किया। देखना हमको यह है कि ब्रीच आफ प्रिविलेजेज हुआ या नहीं। फिर ब्रीच आफ प्रिविलेज तय करने से पहले यह तय करना है कि प्रिविलेजेज हमारे क्या-क्या हैं। क्या इस हाउस का यह प्रिविलेज है कि कोई मेम्बर गिरफ्तार हो, पुलिस गिरफ्तार करे, या मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार करे तो गिरफ्तारी लीगल है या इल्लीगल है इसको मेरिट्स में जाना क्या यह हाउस का प्रिविलेज है? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस का यह प्रिविलेज हरगिज नहीं कि वह इसकी मैरिट्स में जाय कि अरेस्ट जायज है या नाजायज है। और जो भी डिसेंटिंग मिनिट में केसेज कोट किये गये हैं वह सिक्सटीन्थ और सेवेन्टीन्थ सेंचुएरी के कोट किये गये हैं। उसके बाद बराबर वहां के ला और प्रैक्टिस में बताया गया है कि वह प्रिविलेजेज अब मंसूख हो चुके हैं और केवल एक ही प्रिविलेज रह जाता है कि वह मैजिस्ट्रेट से किसी सदस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करे।

कुछ सदस्य--नहीं नहीं।

श्री अध्यक्ष--शांति से सुनिये।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य से किसी बात में अपने को कम नहीं मानता कि अगर कोई

सदन का प्रिविलेज है तो उसको घटाया जाय और जो दोस्त यह कहते हैं कि नहीं, यह प्रिविलेज भी इस हाउस को हासिल है कि यह इस बात की मेरिट्स में जाय कि मजिस्ट्रेट ने ठीक सजा दी या नहीं दी, कोर्ट या मजिस्ट्रेट ने ठीक गिरफ्तार किया या नहीं किया, तो मैं उन से जानना चाहता हूं कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में कोई प्रिसिडेंट कोट करके बतायें। मैंने यह दावा किया है कि डिसेंटिंग मिनिट में मेज के पेज पर जो केसेज दिये गये हैं कि, "गिरफ्तारियों में इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कोई शासन का अधिकारी किसी माननीय सदस्य को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार कर ले या दीवानी के मामले में फौजदारी का रंग देकर गिरफ्तार करे, अनियमित रूप से डिटेंशन में रक्खे या परेशान करे। ऐसी दशा में यदि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचना मिलती है तो सदन गिरफ्तारी या प्रिवेंटिव अरेस्ट सम्बन्धी आदेश की वैधता पर विचार कर सकता है और यदि सदन इस नतीजे पर पहुंचता है कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी अनियमित है तो वह माननीय सदस्य को छुड़ा कर उनसे सदन की सेवा ले सकता है।"

और आगे चलकर, "इस सम्बन्ध में हम यहां केवल ब्रिटेन के हाउस आफ कामंस के श्री फरेर के मामले की चर्चा करेंगे। मे की पुस्तक के ७१ पृष्ठ पर इस सम्बन्ध में लिखा हुआ है कि श्री फरेर को हाउस आफ कामन्स ने अपने मुक्ति के आदेश से छुड़ाया तथा शेरिफ्स द्वारा इस कार्य में बाधा डाले जाने के कारण शेरिफ्स को सदन की मानहानि के लिये सजा दी। मे की पुस्तक के पृष्ठ ७१ और ७२ पर सर्वश्री डिग्स, ऐसलिन सिल्स, वर्टन तथा शर्ले के मामलों से पता चलेगा कि सूचना पाने पर सदन ने माननीय सदस्यों को बन्दीगृह से छुड़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की।"

आपकी इजाजत से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने यह डिसेंटिंग नोट पढ़ा, जिन्होंने यहां तकरीर की है, वह सब इस डिसेंटिंग मिनिट में जो ये बातें लिखी हुयी हैं उससे प्रेरित हैं और मुतास्सिर हैं। लेकिन मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पर जो वह केसेज दिये गये हैं फेरर्स और डिग्स के यह हिस्टारिकल रेव्यू किया गया है, इसलिए कि हाउस आफ कामंस और हाउस आफ लार्ड्स में झगड़ा रहा, पार्लियामेंट और किंग में बहुत दिनों तक झगड़ा रहा। शुरू में यह ठीक है कि मेम्बर अगर गिरफ्तार होता था तो स्पीकर की तरफ से रिट जाता था शेरिफ के नाम और शेरिफ को हाउस में बुलाया जाता था और हाउस यह तय करता था कि अरेस्ट जायज है या नाजायज है। यह बिलकुल स्पष्ट है और मैं मानता हूं। लेकिन इसके बाद वह सब चीज खत्म हो गयी और मैं अपने माननीय दोस्तों का ध्यान पेज ७६, ७८ और ८० की तरफ दिलाऊंगा और मैं आपकी इजाजत से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह हाउस इस राइट को ऐब्रोगेट कर लेता है कि वह यह तय करे कि किसी भी मामले में जो मेम्बर गिरफ्तार हो वह अरेस्ट जायज है या नाजायज है, तो वह कोर्ट्स के राइट्स को ऐब्रोगेट करता है। हमारे प्रिविलेजेज उतने ही हैं जो हाउस आफ कामंस के हैं और उसके लिए एक मुस्तनिद किताब है "मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" उसमें हिस्टारिकल रेव्यू करके दिखलाया गया है कि बेशक पहले ऐसा था, लेकिन अब नहीं है।

एक सदस्य—हरगिज नहीं।

श्री चरण सिंह—आगे चलकर उन्होंने लिखा है पेज ७६ पर—

"Soon afterwards it was enacted; by 2 and 3 Anne, c. 12, that no action suit, process, proceeding, Judgement, or execution against privileged persons, employed in the revenue, or any office of public trust, for any forfeiture, penalty, etc., should be stayed or delayed by or under colour or pretence of privilege of Parliament."

[श्री चरण सिंह]

पहले तो उन्होंने कहा कि केस इसकी वजह से नहीं रुकेगा आगे चलकर वह कहते हैं—

"Still more important limitations of the privilege were effected by the Parliamentary Privilege Act, 1770, whereby any person may at any time commence and prosecute an action or suit in any court of law against peers or members of Parliament and their servants; and no such action or process shall be interfered with under any privilege of Parliament."

पहले हर सूट और हर ला की प्रोसीडिंग को हाउस आफ कामंस रोक दिया करता था। इसके बाद नये ऐक्ट बने कि ऐसा हो नहीं सकता। मैं पेज ७८ की तरफ माननीय दोस्तों का ध्यान दिलाऊंगा :—

"The privilege of freedom from arrest is limited to civil causes, and has not been allowed to interfere with the administration of criminal justice or emergency legislation."

यानी जो दीवानी के मामले हों उनमें जब सेशन शुरू हो उससे ४० दिन पहले और जब खत्म हो तो उसके ४० दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन क्रिमिनल केसेज में नहीं। उसके आगे है :—

"In early times the distinction between "civil" and "criminal" was not clearly expressed. It was only to cases of "treason, felony and breach (or surety) of the peace" that privilege was explicitly held not to apply (see page 68). Originally the classification may have been regarded as sufficiently comprehensive. But in the case of misdemeanours in the growing list of statutory offences, and particularly, in the case of preventive detention under emergency legislation in times of crisis, there was a debatable region about which neither House had until recently expressed a definite view."

मैं बाद में इसका तर्जुमा करके सुना दूंगा।

"A review of the development of the privilege reveals a tendency to confine it more narrowly to cases of a civil character and to exclude not only every kind of criminal case, but also cases which, while not strictly criminal, partake more of a criminal than of a civil character. This development is in conformity..........."

श्री मदनमोहन उपाध्याय—प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चरण सिंह जी कह रहे हैं क्या यह चीज उन केसेज पर भी लागू हो सकती है जो कि कोर्ट में हैं ही नहीं। यह तो उनकी बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप तो इन्फार्मेशन पूछ रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जी हां। यह इन्फार्मेशन चाहता था।

श्री अध्यक्ष—तो यह इस तरह से आपको नहीं करना चाहिये। प्वाइंट आफ आर्डर कहकर इन्फार्मेशन मांगना उचित नहीं है।

श्री चरणसिंह—"This development is in conformity with the principle laid down by the Commons in a conference with the Lords in 1641 : Privilege of Parliament is granted in regard of the service of the Commonwealth and is not to be used to the danger of the Commonwealth."

इसका मतलब यह है कि अरेस्ट से जो फ्रीडम है, गिरफ्तारी से जो मुस्तसना होने का राइट है, अधिकार है, वह केवल दीवानी के मामलों तक सीमित है, क्रिमिनल केसेज में नहीं है। मैं बड़ी खुशी से इन्तजार करूंगा कि कोई साहब मुझे कोई ऐसी नजीर दिखला दे इधर की और मैं यह भी बतला दूं कि जो आपने नजीरें पेश कीं, वह पहले की हैं, उसके बाद ये ऐक्ट्स बने हैं।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)—यह तो आपके खिलाफ जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य इस तरह से आपस में बहस न करें।

श्री चरण सिंह—तो उन्होंने कहा है कि सिविल और क्रिमिनल में जो अन्तर है पहले वहां नहीं साफ था। क्रिमिनल केवल उनको माना जाता था—ट्रीजन, फेलानी और ब्रीच आफ दि पीस। बाद में टेंडेंसी यह हो गयी कि सिविल कैरेक्टर के जो मामले हैं केवल उन्हीं तक यह अधिकार सीमित रहेगा। उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी और क्रिमिनल या क्वासी क्रिमिनल केसेज की गिरफ्तारी से प्रिविलेज का कोई ताल्लुक नहीं है। पर आगे चल कर पृष्ठ १२० पर कहते हैं—

"The privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges"

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि मैंने बलवन्तसिंह जी को इस बारे में रोक दिया था कि इसकी विशेषता पर विचार न हो। मैंने उनको इसलिये इजाजत दी कि चूंकि समिति ने एक बात पर विचार नहीं किया और इस कारण वे प्रश्न को समिति के पास विचारार्थ वापस भेज सकते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता था कि इस पर विचार हो ही नहीं सकता। इस पर विचार करने की जरूरत नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो आप यह कहते क्यों नहीं ?

श्री चरण सिंह—मैं यही दिखला रहा हूं कि गिरफ्तारी सही हुयी है या नहीं हुयी है, गिरफ्तारी जायज हुयी है या नाजायज हुयी है यह तो हाउस देख ही नहीं सकता। इस पर वह विचार कर ही नहीं सकता। पृष्ठ १२० पर यह लिखा है।

श्री अध्यक्ष—इसकी मेरिट्स पर नहीं जाना है। आप सीधे यह कह दें कि इसके ऊपर कमेटी नहीं विचार कर सकती थी इसलिये समिति ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया।

श्री चरण सिंह—चूंकि प्रिविलेज के बारे में कहा गया गिरफ्तारी नाजायज हुयी तो उसके तय करने के लिये कि गिरफ्तारी जायज हुयी या नाजायज हुयी और नाजायज हुयी तो बोच हुयी, मैं अर्ज करना चाहता हूं :

"The privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges and upon the same principle the internment of a Member under regulations made to prevent a breach of the peace has been held not to constitute a breach of privilege.

Although the privilege of freedom from arrest does not extend to criminal charges, it is the right of each House to receive immediate information of the imprisonment or detention of any Member with the reason for which he is detained."

मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता था केवल एक ही प्रिविलेज है हाउस को, क्रिमिनल केस या अरेस्ट के सिलसिले में। वह यह कि उसको यह इत्तला दी जाय कि गिरफ्तारी हुयी और उसका क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष—आप उसकी मेरिट्स में फिर जा रहे हैं । समिति की रिपोर्ट मे दिया है कि ऐडवोकेट जनरल से यह पूछा गया डेफिनिटली कि प्रिवेंटिव अरेस्ट में ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं । उन्होंने तुरन्त राय देने मे असमर्थता प्रकट की । इसी पर मेम्बर्स ने अपना यह मत रखा है कि पुनर्विचार के लिये प्रश्न वापस भेजा जाय । मैं प्रश्न की मैरिट्स के ऊपर विवाद की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि इससे बहस बढ़ जायगी । अभी सिर्फ सवाल यह है कि क्या सूचना न देने में ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं । इसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं । लेकिन अगर सदन यह समझता है कि कमेटी ने पूरा विचार नहीं किया तो उसके लिए उनका प्रश्न को वापस भेजने का संशोधन है । अगर आप यह कहते हैं कि विवादग्रस्त उठाये हुए प्रश्न पर समिति ने विचार कर लिया था और वह इस फैसले पर आ गयी थी कि वह प्रश्न विचार में नहीं लिया जा सकता तो आप इतना ही कह सकते हैं । लेकिन प्रश्न की मैरिट्स के ऊपर डिस्कशन करना—इससे तो वह बहुत लम्बा हो जायगा । मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री चरणसिंह—मैं मैरिट्स पर खुद ही बिलकुल जाना नहीं चाहता । मैं अर्ज करता हूं कि जो माननीय बलवन्त सिंह का संशोधन है कि इस मसले पर फिर विचार करने के लिए वापस जाय मेरी गुजारिश यह है कि इस पर कमेटी विचार कर ही नहीं सकती । जो आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह मेरे नोट्स में मौजूद है । जो ऐडवोकेट जनरल से यह पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया उसी से भ्रम पैदा होता है इस सिलसिले में कि यह प्रिवेंटिव अरेस्ट है या क्रिमिनल चार्ज पर है । यह बिलकुल गैर मुताल्लिक है । प्रिवेंटिव अरेस्ट है और इत्तिला नहीं दी जाती फिर भी ब्रीच आफ प्रिविलेज है यह मैं मानता हूं । यह जो इस रिपोर्ट के पृष्ठ ४० पर जिक्र किया गया—

"If the policeman says that I am taking you under escort and will leave you at a certain place then that is not an arrest on a criminal charge, because this is not a punishment for any offence alleged against him. It is only a preventive action. And if you want an answer to the question, whether such kind of arrest as took place in this case, i.e., not on a criminal charge, comes under the breach of privilege or not, I would not like to give an off-hand answer and I want sometime."

मैं इसके मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं कि यह सवाल नहीं था कि प्रिवेंटिव अरेस्ट की इत्तला देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिए । कमेटी इस बात को मानती है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट करके जेल में रक्खा जाय या किसी आदमी को प्रिजन में भेजा जाय तो ब्रीच आफ प्रिविलेजेज है लेकिन अगर प्रिवेंटिव अरेस्ट करके एरोप्लेन में ले जाकर कहीं दूर छोड़ दे तो इत्तिला देने को कोई आवश्यकता नहीं है । प्रिवेंटिव अरेस्ट ब्रीच है या नहीं यह क्वेश्चन ही नहीं है । तीन क्वेश्चंस कमेटी ने रक्खे थे उन्हीं से मालूम हो जाता है । पहला था—क्या श्री नारायण दत्त तिवारी का पुलिस की रक्षा में काशीपुर से हल्द्वानी हटाया जाना उनकी गिरफ्तारी थी ? दूसरा था—क्या यह गिरफ्तारी केवल निरोधात्मक थी या श्री तिवारी द्वारा किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में थी ? यह दूसरा सवाल था लेकिन यह रिलेवेंट नहीं था । तीसरा सवाल यह है कि यदि गिरफ्तारी की गयी, चाहे वह किसी प्रकार की हो तो, क्या इस गिरफ्तारी की सूचना श्री अध्यक्ष को देना आवश्यक था और क्या सूचना न देने से सदन के किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी तो यह तीसरा सवाल रिलेवेंट था । चाहे प्रिवेंटिव अरेस्ट हो या चाहे चार्ज के ऊपर अरेस्ट हो हमने तै किया है चूंकि प्रिजन में नहीं भेजा गया लिहाजा ब्रीच आफ प्रिविलेजेज नहीं हुआ । मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि क्या वे कोई नजीर दे सकते हैं हाउस आफ कामन्स की या और कहीं की एक आदमी गिरफ्तार किया गया हो और गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया गया हो और बगैर प्रिजन में भेजे इत्तिला देना जरूरी समझा गया हो । पेज ७८ में आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है —

"The commital of a member for high treason or any criminal offence is brought before the House by a letter addressed to the Speaker by the

committing judge or magistrate. On these occasions, the first communication to the Speaker is made when the Member is committed to prison, bail not being allowed."

गिरफ्तार होने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाय और इसमें चाहे कितना ही समय लग जाय लेकिन मैजिस्ट्रेट उसे बेल पर छोड़ दे तो ब्रीच आफ प्रिविलेजेज नहीं होता।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी—मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री से कि प्रिवेंटिव अरेस्ट ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं।

श्री चरण सिंह—ब्रीच आफ प्रिविलेजेज नहीं है। जब वह प्रिजन को कमिट किया जाय तो वही ब्रीच आफ प्रिविलेजेज है। अदालत मे जाय और छोड़ दिया जाय, उसमें कई घंटे लग जायं, तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समिति की रिपोर्ट सदन मे प्रस्तुत है उस विषय पर माननीय सदस्यों के लम्बे चौड़े भाषण हुए। मैं भी इस रिपोर्ट को क्रिटिकली देखता हूं और मुझे दुख है कि मेरे दिमाग में स्पष्ट यह बात आती है कि जो रिकमेंडेशन है वह मुझे कतई गलत नजर आती है। वह इसलिये नहीं कि मैं हर बात को अपोज करता हूं या मेरे दिमाग का ट्रेंड अपोजीशन करने का है बल्कि इसलिए की रिपोर्ट में जिस तरह से फैक्ट्स दिखाये गये हैं उनसे इनफ्रेन्स निकलता है कि हाउस का ब्रीच आफ प्रिविलेजेज इस मामले में हुआ। मै बतलाना चाहता हूं कि इस सदन के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। ६ करोड़ जनता की रक्षा का भार इस सदन के ऊपर है और अगर यह सदन अपने राइट्स को ही डिफेंड नहीं कर सकता तो मुझे इसमें शक है कि यह सदन ६ करोड़ जनता की रक्षा का उत्तरदायित्व निभा सके। मान लीजिये की नारायणदत्त जी ने आफेन्स किया हो। यह ठीक है, हम मानते हैं कि नारायणदत्त जी ने आफेन्स कमिट किया और हम यह भी मानते हैं कि उनकी अरेस्ट हुयी जिसमें किसी को डिस्प्यूट नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर अफेंस कमिट हुआ और उसके बाद उनको बाहर भेज दिया गया तो क्या उस हालत में यह मैजिस्ट्रेट की डियूटी नहीं थी कि वह इस माननीय सदन को सूचना दे कि यह प्रिवेंटिव अरेस्ट थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमको इसके लिये बेसिक प्रिंसिपल को देखना होगा। अगर बेसिक प्रिंसिपल को सही तरीके से देखा गया होता तो जितनी कंट्रोवर्सी इस सदन में दिखायी दे रही है वह कंट्रोवर्सी आज यहां पर उपस्थित नहीं हुयी होती। यह सदन ६ करोड़ की जनता के जस्टिस को गारन्टी करता है और जनता को जस्टिस देने वाला है और साथ ही जो कानून जनता के लिये बनाये जाते हैं उनको जिन्दगी देनेवाला भी यह हमारा सदन है। इसलिए मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस सदन के मेम्बरों के जो प्रिविलेज हैं वह वही माने जाते हैं जो कि आर्डिनरी ला से ऊपर होते हैं। उस प्रिविलेज की इस सदन को रक्षा करनी है और इस सदन का काम है कि प्रिविलेज की रक्षा की जाय क्योंकि उससे लार्जर इन्टरेस्ट सर्व करना होता है और सबके फायदे के लिये वह चीज होती हैं। वह लार्जर

में कोई बड़ा महत्व का ...

किसी मेम्बर को अरेस्ट कर लिया जाय और उसकी उपस्थिति यहां सदन में बहुत जरूरी क्योंकि मुमकिन है कि सदन में बड़े बड़े डिसीजन होते हों और उसकी वजह से ६ करोड़ की जनता के जीवन पर असर पड़ता हो और मान लीजिये कि वह डिसीजन जनता के खिलाफ जाता हो तो उन माननीय सदस्य को जो अरेस्ट किया गया है वह अरेस्ट जनता के इन्टरेस्ट के खिलाफ हुयी या नहीं हुयी ? मैं यह बताना चाहता हूं कि वह सारे राइट जनता के हैं जो कि इस सदन के राइट हैं। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सदन सुप्रीम हो जाता है और एक सुप्रीम बाडी चाहता है। हमको उनकी अरेस्ट को कामन ला के बजाय उनकी अरेस्ट को कुछ दूसरे नुक्ते नजर से देखना होगा। इसलिए जो यह प्रिविलेज

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

का सवाल है उसको हमको इस दृष्टि से देखना होगा कि वह किस नेचर का है। जहां तक मैजिस्ट्रेट के आर्डर का सवाल है जिससे यह प्रिविलेज का सवाल उत्पन्न होता है उसमें यह देखना है, वह प्रिवेंटिव है या प्यूनिटिव है वह तो अपने बल को बात नहीं है और चीफ मिनिस्टर के बल की भी बात नहीं है कि वह ऐसा होना चाहिये या है। वह तो मैजिस्ट्रेट का आर्डर ही बतायेगा और यह जो मैजिस्ट्रेट का आर्डर है वह चिल्ला चिल्ला कर बतला रहा है कि वह क्या आर्डर है और किस प्रकार का है। हमको देखना यह है कि मैजिस्ट्रेट का जो आर्डर है उसकी स्प्रिट क्या है और वह आर्डर क्या इन्टेंशन प्रकट करता है और किस चीज को हमारे सामने रखता है। मैं सदन के सामने उस मैजिस्ट्रेट के आर्डर को पढ़ना चाहता हूं ताकि हम सही फैसले पर पहुंच सकें।

"Sri Narain Dutt Tewari is committing a breach of section 144, criminal Procedure Code by obstructing sugarcane carts, trucks and wagons from entering into Lalitpur Sugar Factory, Kashipur. I, hereby, order the S. O. Kashipur, to remove him under escort to Haldwani and release him there."

इससे साफ जाहिर होता है कि माननोय नारायणदत्त तिवारो आफेन्स कमिट कर रहे थे। यह नहीं कि वह कमिट करने जा रहे थे बल्कि कमिट कर रहे थे। यह आर्डर स्पष्ट है कि नारायण दत्त जी ने १४४ सेक्शन को डिफाई किया इसके कारण वह अरेस्ट किये गये। वह इसलिए किया गया कि प्यूनिटिव आर्डर था उसको [illegible]

[illegible] वह आफेंस कर रहे थे उससे उनका स्टाप कर दिया

जहां तक भविष्य में ला को ब्रोच करने का सवाल है तो भविष्य में ब्रोच न करने के लिए उनको वहां से हटा दिया जिसको हम इसके साथ साथ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी कह सकते हैं। तो उनका अरेस्ट प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दोनों था।

[illegible] प्रिजन हो जाते हैं अगर मजिस्ट्रेट किसी की लिबर्टी को खत्म करने के लिये आर्डर करता है कि वह टेम्पिल के बाहर नहीं जा सकता। अगर बाजार के चौराहे पर किसी को टेरोराइज कर दिया जाय कि अगर वह वहां से हटेगा तो गोली से उड़ा दिया जायगा चाहे पुलिसमैन भो दूर भाग जाय, तो वह भो प्रिजन होगा। इसलिये माननीय नारायण दत्त जी को जेल की कस्टडो में रखकर मैजिस्ट्रेट के ऊपर इनकम्बेंट था कि हाउस को इत्तिला देता। मैजिस्ट्रेट का कांडक्ट कमेटो के सामने अब बोर्ड नहीं रहा है। उन्होंने कमेटो के सामने आनेस्टलो और स्ट्रेटफारवर्ड बयान नहीं दिया है। वह जानते थे कि वह पोलिटिक्स के स्टूडेंट रहे थे तो उनके ऊपर और भी अधिक जिम्मेदारो हो जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उन्हें यहां बुलवाकर रिप्रिमेंड किया जाय।

*श्री मुहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी की तकरीर के बाद उनके इतमीनान दिलाने के बाद कि इस वक्त जो कुछ भी हुआ, आइन्दा के लिये वह बहैसियत हमारे मुख्य मंत्री के ऐसी हिदायत जारी कर देंगे कि आयन्दा ऐसी गलती न हो, मैं समझता हूं कि ज्यादा डिस्कशन का मौका न था। लेकिन एक चीज उनकी तकरीर से भी मालूम हुई कि उनके ख्याल में भी ऐसी हिदायत जारी करना जरूरी है। उनका यह इतमीनान बहैसियत मुख्य मंत्री के है। यह सवाल अभी बाकी है कि अगर फिर भी कोई अफसरान गलती करें तो क्या वह उनके खिलाफ ऐक्शन बहैसियत मुख्य मंत्री के लेंगे या ब्रीच आफ प्रिविलेज के लेंगे। मुख्य मंत्री जी का यह खयाल कि वह हिदायत जारी करेंगे, इस बात की दलील हो सकती है कि यह प्रिविलेज हाउस का जरूर था। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्य मंत्री जी हाउस की इज्जत रखने के लिये सही मानों में तर्जुमानी कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके एडवोकेट जनरल ने कहा कि जिस किस्म का अरेस्ट यहां हुआ है वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं. इसका जवाब देने के लिये वह कुछ वक्त चाहेंगे, तो मेरी राय है कि इस वक्त इस सवाल को मुल्तवी कर दिया जाय और एडवोकेट जनरल से उनकी ओपिनियन मांग ली जाय।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हमारे सामने आयी है उसमें जिसके बारे में यह पहले मुल्तवी हुआ वह इसी एक बात से सम्बन्ध रखती है कि सूचना नहीं दी गयी। इससे विशेषाधिकार की अवहेलना थी या नहीं। इसके अतिरिक्त किसी और बात पर विशेषाधिकार समिति ने विचार नहीं किया। जहां तक सूचना का सम्बन्ध है मैं अपने विचार प्रकट कर चुका और इस बारे में कुछ कहना अनावश्यक है। जहां तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है, वह भी प्रिवेलिज है या नहीं इसमें भी विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा होता है। इसके बारे में इस सदन में मैं देखता हूं काफी स्ट्रांग फीलिंग है जिस पर विशेषाधिकार समिति ही को विचार करना चाहिये। आया यह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न समझा जा सकता है या नहीं, इस पर भी वहीं विचार हो सकता है। हमे यह देखना है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है या नहीं और अगर हो सकता है तो उसकी अवहेलना हुई है या नहीं। इसके बारे मे यहां भिन्न मत मालूम होते हैं। यह तो अदालत का काम है कि वह यह देखे कि कोई मुकदमा झूठा हुआ है या सच्चा। यहां पर हाउस का ख्याल ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस तरीके पर हम इस मामले में गिरफ्तारी हुई है वह ऐसी है जो विशेषाधिकार की परिधि के भीतर आती है। लेकिन इसके बारे मे दूसरी तरफ से ऐसा कहा जाता है कि यह अदालत की बात है और यह विशेषाधिकार की परिधि

हम यहां बहुत

गलत बात है। नजीरों का पेश करना, पिछले इतिहास का बताना इसमें होता है, इस प्रकार से यह एक क़ानूनी सवाल है। यह जजबात का सवाल नहीं है। इसमें तो सवाल यह है कि क़ानून इस बारे मे क्या कहता है। हमे यह देखना है कि आखिर इस बारे मे इंगलन्ड में जो प्रिविलेजेज हैं वे क्या हैं। हमको कोई चीज अच्छी लगे या बुरी लगे लेकिन सवाल तो यह है कि हम बंधे हुए हैं इंगलेंड के कानून में। जो क़ानून वहां पर लागू होता है यहां पर भी हम वैसा ही करने की कोशिश करते है। इस वाकये को हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स किस प्रकार से इसको देखते हैं उसी प्रकार से हमें इसको देखना है और उसको देखकर हमें यह तय करना है कि कानून के अन्दर यह चीज आती है या नहीं और अगर आती है तो विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है या नहीं। हमे अच्छा लगे या बुरा लेकिन यह विशुद्ध कानूनी सवाल है, किसी भी प्रकार की स्ट्रांग फीलिंग्स की बात नहीं है। मैं समझता हू कि इस बारे मे शंकायें हैं, इसलिये उसका निर्णय विशेषाधिकार समिति ही कर सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि सारे सदन को इस बारे मे एक मत होकर यह निर्णय करना चाहिये कि विशेषाधिकार समिति इस बात को देखे कि यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति की परिधि के अन्दर है या नहीं और अगर ऐसा है तो विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है या नहीं। इन दोनों बातों के लिये केवल १५ दिन का समय देना गलत बात होगी क्योंकि यह एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है और इसमे ज्यादा समय लग सकता है। फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि १५ दिन तक असेम्बली बैठी रहेगी या नहीं।

श्री अध्यक्ष--श्री गेंदा सिंह का मामला जुलाई मे आयेगा तभी इस पर भी विचार हो जाय।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--चूंकि इस तरीके पर विशेषाधिकार समिति के सामने हर आदमी अपनी राय दे सकता है, जो कोई वकील हों उनसे पूछा जा सकता है, अगर यहां पर कोई चीज ऐसी है जिससे कि विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तो यह सारे

[गोविन्दवल्लभ पंत]

सदन से सम्बन्ध रखता है, किसी एक गिरोह या व्यक्ति से इसका सम्बन्ध नहीं है। पर वह उसको परिधि के अन्दर आता है या नहीं आता है यह कानूनी बात है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस मुबाहिसा की जरूरत नहीं है और इस प्रश्न पर यहां बहस करके किसी नतीजे पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस तर्क के आप उसको बना कर विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें और फिर इस समय इस पर बहस स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सर्वसम्मति से स्वीकृत है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा और एक नया ईश्यू खड़ा हो गया जिसे प्रिविलेज कमेटी में रेफर किया जा रहा है। तो एक ईश्यू हमारे सामने था कि आया नोटिस उन्हें देना चाहिये था या नहीं देना चाहिये था स्पीकर को अरेस्ट के बारे में और उस मामले में प्रिविलेज कमेटी ने फैसला दे दिया कि नहीं देना चाहिये था। तो अब जब प्रिविलेज कमेटी में दूसरे ईश्यू पर बहस होगी तो उसमें हम फिर इस ईश्यू को उठा सकते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब मैं दे देता हूं। जब कमेटी के सामने कोई मामला वापस जाता है तो वह उस विषय पर गौर करके पुनर्विचार भी कर सकती है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न एक कानूनी बात है और अगर कोई नया सुझाव आता है और उससे मालूम होता है कि कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करने के लिये समिति सब तरह से विचार कर सकती है और प्रिविलेज कमेटी को पूर्ण अधिकार है कि वह उस पर नजरसानी करे।

श्री राधामोहन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का सुझाव मुझे मंजूर है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही पेचीदा कानूनी मसला है इसलिये इस वक्त इसको वापस कर दिया जाय और बहुत से माननीय सदस्य जो कानूनी राय रखते हैं उनकी तथा ऐडवोकेट जनरल की राय लेकर इस पर निर्णय किया जाय। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस सदन की सर्वसम्मति से यह राय है कि इसको वापस भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर विचार जारी रहेगा।

खंड १८—(क्रमागत)

†**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:—

खंड १८ के उपखंड (३) में प्रस्तावित खंड (*s*) के बाद निम्नलिखित नये खंड (*t*), (*u*) और (*v*) रख दिये जायं:—

(t) for securing and making arrangements of house sites and new lands for house sites and all such lands appurtenant

---

*२२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[illegible] free [illegible] charge [illegible] land less agricultural labourers and especially for the scheduled castes people as may be required by them [illegible] the [illegible] the Gaon Sabha

(b) to form a sub-committee for purposes of [illegible] and checking [illegible] in the village

to take all such steps as be necessary to prevent adulteration in food stuffs

अध्यक्ष महोदय, आज गांव की जो परिस्थिति है उससे प्रत्येक माननीय सदस्य परिचित है। हमारे पूज्य बापू जी कहा करते थे कि भारतवर्ष गावो में रहता है। स्वराज्य हो जाने के बाद सभी जानते है कि बापू के हृदयोद्गार पूर्ण हो गए परन्तु स्वराज्य हुए लगभग ६–७ वर्ष हुए लेकिन गावो मे कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ। गावो मे जो आबादी की परिस्थिति, मकानों आदि की है वह शहरो के मुकाबले मे बहुत खराब है और आबादी जो बढ गयी है और खेती भी गावो की आबादी से नजदीक तक होनी प्रारम्भ हो गयी है जिसके कारण वहा की बस्ती का एक्स-टेंशन असम्भव हो गया है। जहा तक वहा की गरीब पब्लिक का प्रश्न है उन के लिये बहुत मुश्किल है कि वह अपने मकानो को दोमंजिले या तिमंजिले बना सके या और जमीन हासिल कर सके। गांवों मे ऐसी परिस्थिति है कि वहा मकान एक ही है? उसी मे पशु बधते है, उसी मे भूसा लकड़ी तमाम सामान रखा जाता है, उसी मे रोटी पकाते है और जगह का बहुत अभाव रहता है। मुझे तो यहां तक देखने को मिला है कि एक आदमी के पास एक ही कमरा है, उसी मे वह दोनो पति पत्नी, उनके लडके, वह और लड़की और दामाद रहते है और जगह की इतनी कमी है कि उन लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लिये किसी तरह से पर्दे डाल कर कपड़े की आड़ मे जीवन बिताना पड़ रहा है। जो नगर निर्माण और ग्राम निर्माण समिति है उनका मुख्य प्रयोजन नगरों का ही निर्माण है और अगर हम उस समिति की रिपोर्ट को पढ़े तो मालूम होगा कि निर्माण कार्य जितना है वह अधिकतर नगरो में ही हो रहा है बल्कि वहा पर क्या-क्या सुविधायें दी जायं यह विचार होता है। नगरों के मजदूरों के लिये ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से लोकल बाडीज-म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटिफ़ाइड एरियाज मे रहने के लिये व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो देहात के गरीब किसान या मजदूर है, ग़रीब पब्लिक है, उनके रहने की कोई व्यवस्था नही हो रही है। यदि वह अपने मकानो को एक्सटेंड करना चाहते है तो उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। जिन लोगो के पास जमीन है वह इतनी अधिक क़ीमत मांगते है कि वे बेचारे उसको खरीद भी नही सकते है। बहुत से मकान ऐसे है कि जिनमे लोग रहते है और वही अपना चमड़ा भी पकाते है, और गन्दा काम करते है, जिससे तरह-तरह की बीमारिया वहां अपना गढ़ बनाये रहती है।

(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

और जो बीमारिया पहले शहरों मे रहती थी वह अब देहातो मे घर किये हुए है। इसका एक-मात्र कारण लोगों के पास रहने के लिये जमीन की कमी है जिसके कारण वह बेचारे वहाँ पशुपक्षियों की तरह जीवन बिताते है। अध्यक्ष महोदय, "बापू और हरिजन" पुस्तक के पेज ३३ पर लिखा हुआ है कि "वैसे बहुत से लोग हमदर्दी दिखाने के लिये तो हरिजनों को सभापति बना देंगे और कुर्सियों पर बिठा लेते है लेकिन अगर उनमे देखा जाय तो वह उसके ऊपर ड्यू कंसी-डेशन नही करते है"। बापू ने कहा था कि सवर्ण हिन्दुओ को चाहिये कि वे उन सुविधाओं को ग्रहण न करे जो कि हरिजनों को प्राप्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मै इस सदन के माननीय सदस्यों से पूछ सकता हूं कि क्या कोई ऐसा है जो उन सुविधाओ को जो हरिजनों के पास नहीं है उनको ग्रहण नहीं कर रहा है? ऐसा नही है। बापू को आशा थी कि जब स्वराज्य हो जायगा तो वे हरिजनों के लिये क्या करेंगे यह उन्होने उसी पुस्तक के ७६ वे पृष्ठ पर लिखा है। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य होते ही हरिजनो को आबाद, सुखी तथा संतुष्ट करना ही सरकार का प्रथम

[श्री जोरावर वर्मा]

कर्त्तव्य होगा। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग सात-आठ वर्ष स्वराज्य को हुये हो गये लेकिन हरिजनों की हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है और मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से तो स्वराज्य हो गया है लेकिन आर्थिक दृष्टि से अभी उसमें क़दम उठाया नहीं गया है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की तीन ही सीढ़ियां हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिये उन्हें सुविधा मिलनी चाहिये। जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और घर। तो मैं यह चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि यह जो पुराना ऐक्ट है उसकी धारा जो १५ है उसकी आबादी के लिये जो एक्सटेंशन है; उसका प्राविजन है, लेकिन वह एक्सटेंशन किस प्रकार होगा इसका कोई ज़िक्र नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस ऐक्ट में जो मैंने यह संशोधन रखा है स्वीकार कर लेंगे जिससे माननीय बापू का जो आग्रह है कि उनको अपने मकानों के बनाने के लिये कुछ सहूलियतें प्राप्त हो सकें और जिस तरह से दूसरी स्थानीय संस्थायें, म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि काम करती हैं, उसी तरह का काम गांव सभाएं भी करें।

*स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का संबंध है उसमें तीन बातें कही गयी हैं। एक है लैंडलेस ऐग्रीकल्चरल लेबरर और खास कर हरिजनों के लिये मकानों और मकानों के साथ सम्बन्ध रखने वाली चीज़ों के लिये जितनी जमीन हो सके मुफ्त दी जाय। दूसरा है ऐसी कमेटियां बनायी जायं जो डिफेंस और चेकिंग आफ क्राइम्स का काम करें और तीसरी बात, फूड ऐडल्टरेशन के सिलसिले में कुछ काम करें। मैं एक-एक कर के तीनों चीज़ों को लेता हूं।

जहां तक फूड स्टफ्स के ऐडल्टरेशन का संबंध है गांव सभा के पास ऐसी मशीनरी नहीं है जो इसके बारे में काम कर सके। यह एक बहुत पेंचीदा चीज है और यह अधिकार सिर्फ म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को है। लेकिन वह क्या करती है? वह नमूना ले कर भेज देती है और रिपोर्ट उनके पास आ जाती है और तब वे मुकदमा चलाती हैं। तो गांव सभा के जिम्मे अगर इस काम को डालें तो बहुत बड़ा बोझ होगा। यह काम किसी दूसरे महकमें के सुपुर्द किया जाय। गांव सभा में जितनी ताक़त है उससे वह इस बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकती। जहां तक डिफेंस और क्राइम्स चेकिंग की बात है इस संबंध में कुछ कार्यवाही हो रही है। विलेज में डिफेंस कमेटियां बन रही हैं और वे आगे किस तरह से गांव सभाओं के साथ मिल कर काम करेंगी या उनका क्या आर्गेनाइजेशनल संबंध होगा यह देखा जायगा लेकिन वह कार्य हो रहा है और जैसा हो रहा है उसको वैसा ही फिलहाल होने दिया जाय।

अब सवाल है तीसरा, मकानों के लिये, लैंडलेस और ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स और खास कर हरिजनों के लिये जमीन हो। जहां तक इस बात का संबंध है कि गांवों की आबादियां ठीक-ठीक बसी हुई नहीं हैं, यह सही है कि माडेल विलेजेज हों यह अच्छी चीज है और वहां हरिजनों की बस्ती अच्छी तरह से बसाई जाय यह ठीक है। यह ऐसी बात है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि इसको किस तरह से किया जाय। इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। मैं उन सब कठिनाइयों का ज़िक्र न करते हुये यही कहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन बड़ी मुश्किलें नजर आती हैं। आर्थिक कठिनाइयां सब से बड़ी हैं। इसलिये इस वक्त फ्री आफ एनी चार्ज, जितनी-जितनी जमीन, एज मे बी रिक्वायर्ड बाई देम, (जितनी जमीन की उन्हें आवश्यकता हो) इसका फैसला तो वे खुद करेंगे कि कितनी जमीन की उनको जरूरत है, उनको दे दी जाय, मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। अगर इसका बोझ गांव सभाओं पर न पड़ कर के किसी और पर पड़ता तब तो किसी हद तक बात समझ में आ सकती थी। लेकिन गांव सभाओं के लिये यह कहना कि फ्री आफ चार्ज दें, और फिर आज कल जो संविधान है जिसमें यह है कि कम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारपोरेशन को साथ सजाये रख भी सकेगा या नहीं, मैं समझता हूं कि एक सोचने की बात है। इसलिये यह कोई आसान सवाल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी गांव सभाओं पर डाल दी जाय कि वह फ्री आफ चार्ज जितनी जमीन की जरूरत एग्रीकल्चरल लेबरर्स को हो, उनके मकानों के लिये और उनके मकान से संबंधित चीजों के लिये उसमें भूसा रखने के लिये, उपला रखने के लिये, चमड़ा साफ करने के लिये, जितनी चीजों के लिये जरूरत हो क्योंकि एक स्क्वायर यार्ड देस. इसका फैसला तो वह खुद करेंगे, उतनी जमीन गांव सभा दे सके। दूसरी दिक्कतों के अलावा इसमें फाइनेन्शल सवाल भी आता है। गांव सभाओं के पास केवल हजार पांच सौ रुपया होता है जिसे भी वह बड़ी मुश्किल से वसूल कर पाती है. उसको वह इस काम में लगाये. यह कहां तक ठीक होगा? यह सवाल देखने का है। इसलिये यह गांव सभाओं के लिये प्रेक्टिकेबिल नहीं हो सकता। किसी और संस्था के लिये होता तो उस पर विचार हो सकता था लेकिन पंचायत राज और गांव सभाओं के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालना गलत होगा।

माननीय जोरावर वर्मा जी आवेश मे आ कर ऐसी बात कह गये जो कि सत्य से बिलकुल परे है। उनका यह कहना कि स्वराज्य प्राप्त करने के बाद हरिजनों की हालत गिरती जा रही है, मै कहता हूं कि आंखे बन्द करना है और अंधा होना है। अगर यह कहा जाय कि स्वराज्य हासिल करने के बाद हरिजनों की हालत गिरी है तो उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर आप अब भी कहते है कि अब हालत गिरी हुई है और पहले अच्छी थी। तो क्या आप तैयार है उस हालत मे आने के लिये जिसमे आप के बाप दादा थे? मै कहता हूं कि हरगिज नहीं आप तैयार होंगे। इसलिये तो यह कहा जा सकता है कि तरक्की कम हुई लेकिन यह कहना कि गिरते जा रहे है बिल्कुल गलत है।

आज बनारस जैसे कंजर्वेटिव शहर मे विश्वनाथ के मंदिर मे हरिजनों के दाखिल होने के लिये सारा बनारस का नागरिक समुदाय तैयार है कि हरिजन उसमे जायें। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह छोटी चीज है? ५ साल पहले या ७ साल पहले क्या आप कभी यह विश्वास कर सकते थे कि बनारस मे वहां के नागरिक विश्वनाथ के मंदिर मे हरिजनों को जाने देने के लिये तैयार होंगे? इसलिये आंखे बंद कर के किसी के लिये कुछ कहना मै समझता हूं कि मुनासिब नहीं है।

एक बात और कही श्री जोरावर वर्मा जी ने कि जो सुविधाये हरिजनों को प्राप्त नहीं है वह स्वयं प्राप्त न करे। मै दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी गंदगी मे भंगी रहता है झाड़ू और टोकरी के साथ मे समझता हूं कि उस अवस्था मे माननीय जोरावर वर्मा जी नहीं रह सकते, और न खाना खा सकते है। इसलिये हरिजनों के नाम पर इतनी बाते कहिये कि जितनी मुनासिब हों। क्या कोई माननीय सदस्य भंगी के घर मे जहां पर उसकी टोकरी और झाड़ू रक्खा हो वहां पर बैठ कर खाना खा सकता है? तो चमारों की भगियों से कहीं अच्छी हालत है और उससे अच्छी हालत और लोगों की है। हम खुद चाहते है सुधारों की रफ्तार तेज हो लेकिन यह कहना कि हालत गिरती जा रही है यह बात समझ मे नहीं आती।

मुझे आज ३० साल हो गये हरिजनों का काम करते। मैने सन् १९२४ ई० में काम करना शुरू किया था। मैंने पहले वाल्मीकियों का काम किया। उनके यहां सब से पहले मैंने खाना खाना शुरू किया था जब कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं कहता हूं अपने ३० वर्ष के तजुर्बे से उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने सन् १९२४ से हरिजनों के उद्धार के लिये काम शुरू किया था कि आज कल कुछ तो पहले से अच्छे ही है। यह कहना कि हरिजनों के लिये कुछ किया ही नहीं गया ऐसा श्री जोरावर वर्मा के मुंह से सुन कर मुझे अफसोस होता है। जो लोग काम कर रहे है कम से कम उनके उत्साह को कम तो न कीजिये। इस तरह के शब्दों से हरिजनों का नुकसान होता है।

*श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फ़रनगर)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस संशोधन के संबंध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने यह फ़रमाया कि हरिजनों के कार्य बहुत कुछ हो रहे हैं इस बात से तो इंकार नहीं करते कि हरिजनों के लिये बहुत कुछ हुआ लेकिन माननीय मंत्री इस पर भी विचार करेंगे कि गरीब लोग जो हमारे देश में रहते हैं, हरिजन और दूसरे लोग, उन्हें हमारे देश वाले दबाये हुये थे। आज महर्षि दयानन्द, प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी जी की कृपा से उन ग़रीबों का उद्धार हुआ, इसको हम मानते हैं। लेकिन मैं आपसे यह भी कहता हूं कि अब भी इनकी इतनी शिकायत है कि जितनी मदद उनकी की जाय थोड़ी है। आज आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनको मकानों की आवश्यकता है और पंचायतें उसका प्रबंध नहीं कर सकतीं। मैं आपसे यह अर्ज़ करता हूं कि आपने जो यह फर्माया कि गांवों में गांव सभायें ठीक तरह से अपनी माली बुनियाद पर इसका प्रबन्ध कर सकेंगी या नहीं जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं। चाहे वे बाल्मीकि हों, चमार हों या कोई भी हों और जिन्होंने उनके बीच में काम किया है वे जानते हैं कि छोटे-छोटे मकानों में १०, १५ आदमी रहते हैं। हमारे यहां मुजफ्फरनगर के सिकन्दरपुर गांव में मैंने लाल बहादुर शास्त्री को चमार का मकान दिखाया था कि किस तरह से वे गुजर कर रहे हैं। उनके डंगर, ढोर सभी उसी में रहते थे। इसलिये आज सभी की शिकायत है कि उनके लिये मकानों की व्यवस्था की जाय। वहां आपने देखा होगा तो इसी नतीजे पर पहुंचे होंगे कि मकानों की अत्यंत आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि मकान उनको बिल्कुल मुफ्त दिये जायं लेकिन थोड़ी क़ीमत पर तो दिये जायं और यह आश्वासन दिया जाय कि तुम्हारी सरकार तुम्हारा ख्याल कर रही है। तो वे किसी से पीछे नहीं रहेंगे और उनका उत्साह बना रहेगा। मैं तो यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरह के इस संशोधन को मंजूर नहीं करना चाहते। अगर ऐसा नहीं होगा तो मकानों के झगड़े में उन लोगों को मौत का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों के देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि चाहे पंचायत राज विधेयक में या रूल्स के अन्दर कहीं भी ऐसी गुंजाइश कर दें जिससे उन ग़रीबों की, चाहे वे हरिजन हों या और कोई हों, रहने के लिये मकानों की आवश्यकता पूरी हो सके।

*श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट बहुत सुन्दर आया है और मैं इसका समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। आज गांवों की जो दशा है मैं माननीय मंत्री जी को निमंत्रित करता हूं कि चल कर उसे देखें। आज हरिजनों के दरवाजों पर लोग कांटें रूंध रहे हैं। मैं मानता हूं कि जमींदारी का खात्मा हुआ लेकिन आज लठैत वैसे के वैसे हैं, आज राजा और रानियों के डंडे वैसे के वैसे हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं है। जमींदारी अबालिशन के बाद भी आज हमारी वही दशा है जो पहले थी। आज गांव पंचायतों में क्या हो रहा है ? जो पंच बन गया है वह अपने रिश्तेदारों को जमीन बांट रहा है। इसमें केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स का ही प्रश्न नहीं है बल्कि उन ८० फीसदी लोगों का प्रश्न है जो गांवों में रहते हैं, उन भूखे नंगों का प्रश्न है जिनके वोट से यह आज गवर्नमेंट बनी है।

इसमें जो दूसरा संशोधन है वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"To form a sub-committee for purposes of defence and checking crimes in the village."

आज गांवों में जितना क्राइम बढ़ रहा है उसकी कोई रोकथाम नहीं है। पुलिस वाले भी आज उन गुंडों से मिल कर बड़ी आफ़त ढा रहे हैं। आज किसी एम० एल० ए० की कीमत नहीं समझी जा रही है। विशेषाधिकार का जो प्रश्न आज यहां मौजूद था वह बड़े महत्व का था। उसमें तो खैर फैसला हो गया कि फिर से कमेटी के सामने जाय लेकिन सही मानों में आज सरकार की जो पुलिस है वह कोई परवाह नहीं कर रही है। गुंडे लोग नंगे, भूखे, ग़रीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह गरीबों का प्रश्न है अमीरों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। आज जो लोग भीख मांग रहे हैं दरवाजे दरवाजे पर उनमें ब्राह्मण भी है, कोई चमार ही नहीं है। इसलिये सही मानों में अगर राम राज्य आपको कायम करना है तो इन बातों को ठीक करना होगा।

तीसरी बात मिलावट के बारे में कही गयी है। यह बहुत सही है। गांवों की हालत यह है कि अहीर लोग डालडा शहरों में ले जा कर जमा देते हैं और फिर उसको मथ देते हैं और आप पता भी नहीं लगा सकते कि डालडा है या घी। मैं दो सेर घी अगस्त के महीने में बस्ती से लाया था और लखनऊ में जब खाया तो उसमें से काला काला न जाने क्या निकला। मैं कहता हूं कि सरकार इस अमेंडमेंट को जरूर माने। अगर हमने गांवों को ठीक नहीं किया तो मैं समझता हूं कि यह पंचायत राज बेकार हो जायगा। आज गांवों में त्राहि त्राहि मची हुई है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो इस पंचायत राज को बन्द कर दीजिये। मैं समझता हूं कि यह तीनों अमेंडमेंट दुरुस्त हैं और सरकार को इन्हें स्वीकार करना चाहिये।

*श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ कारणवश संशोधन मंजूर नहीं किये जा सकते। उन्होंने कहा कि गांव सभाओं की माली हालत ऐसी नहीं है कि जमीन मुआविज़ा दे कर ली जाय और बिना पैसे के हरिजनों को या खेतिहर मजदूरों को दी जा सके। फायनेंशियल कंडीशन वाला सवाल ऐसा है कि हरिजनों की हालत बहुत ही दयनीय है और उनके बारे में अगर हमने कुछ नहीं किया, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की, तो उनकी दशा कैसे बदलेगी ? मैं समझता था कि माननीय स्वशासन मंत्री कई दिनों से जो हरिजन विषयक अमेंडमेंट्स आये थे उनको मानते आये थे और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह इसको अवश्य मानेंगे। फिर यह तो हरिजनों के रहने का घर का सवाल था, इसे तो मानना ही चाहिये था। कल ही माननीय स्वशासन मंत्री जी ने चमड़े के साफ करने वालों के लिये जमीन की जो जरूरत पड़े उसका प्रबन्ध करने के लिये संशोधन स्वीकार किया है कि उसको गांव सभायें करें। कोई उद्योग कैसे कर सकता है जब तक कि उसके घर की व्यवस्था ठीक न हो जाय। हम सब जानते हैं कि हरिजनों की बस्ती कितनी गंदी और संकुचित दायरे में होती है और उनका रहना मुश्किल हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है और सभी इसको महसूस करते हैं। फिर हम उनके लिये कोई प्रबंध करे यह ठीक ही है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? अगर वे ठीक तरह से नहीं रह सकते हैं तो तरक्की कैसे कर सकते हैं ?

हमारे प्रदेश में खास कर देहातों में सब से बड़ा समाज हमारे हरिजन भाइयों का ही है। उनकी दशा को सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है अन्यथा हम कोई तरक्की नहीं कर सकते हैं और न उनकी भावनाओं को बल दे सकते हैं जिससे वे ठीक तरह से हमारे साथ किसी भी काम में आगे बढ़ें। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जहां तक साइट्स लेने का सवाल है, इसे वह जरूर मंजूर करें, जैसे कि वह मंजूर करते आये हैं, तभी हम उनकी दशा सुधार सकते हैं और उनकी भावना को बढ़ा सकते हैं। जहां तक फायनेंशियल कंडीशन का सवाल है वह तो कहीं न कहीं से ठीक करनी ही चाहिये। आखिर उनकी दशा और कौन सुधार सकता है ? गांव सभायें सुधारें या हमारी सरकार सुधारे। जहां तक हो सके किया जाय। इस प्राविज़न को रखने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस समय हमारे सदन के सामने है मैं समझता हूं कि उसका अपने स्थान पर बहुत बड़ा महत्व है। जिन लोगों को हरिजनों के मकान देखने का अवसर मिला है वे इस बात को जानते हैं कि आज खाने पीने के बाद अगर गरीब आदमियों की कोई बुरी व्यवस्था है तो मकानों के मामले में है। हमने देखा है कि एक मकान के अन्दर ४-५ गज की झोपड़ी है और उसे यदि झोंपड़ी कहा जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवंत सिंह]

तो यह एक असंगत सी बात होगी क्योंकि छान भी नहीं है, दीवार भी उसकी ठीक नहीं है, उसी के अन्दर एक बाप रहता है उसकी बीबी रहती है जवान लड़का और जवान लड़की रहती है और उसकी बीबी बच्चे रहते है। और वहीं उसका खाना पीना होता है और गाय भैंस भी बंधती है। ऐसी दशा मे आप देखेंगे कि आज कल जो गरीब आदमियों के पास मकान गांवों मे है वह ऐसी बुरी अवस्था मे है जिनको हम नहीं कह सकते है कि वह एक इन्सान के रहने की जगह है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा कि जब चकबन्दी का कानून पेश हुआ तो सदन ने इस बात की व्यवस्था की थी कि गरीब आदमियों के लिये एक ऐसी बात रक्खी जाय कि जो जमीन ली जा सके खेती से हटा कर वह गरीब आदमियों को दी जाय जिसमे वह अपने मकान बना सके। इस बात की हमारे देश मे चाहे पूर्व के हों या पश्चिम के, जरूरत हो गयी है कि गरीब आदमियों के मकानों के लिये जमीन मिलने के सवाल पर विचार हो। चाहे वह किसी प्रकार से आप लाये। मैं इस बात का भी समर्थक नहीं हो सकता कि हमारी ऐसी व्यवस्था हो जाय कि हम बिला पैसा दिये किसी गरीब आदमी को जमीन दे सके। अच्छा तो यह हो कि बिना पैसा दिये ही गरीब आदमियों के लिये जमीनों का बन्दोबस्त कर दिया जाय लेकिन अपने अपने स्थान की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। मै यह भी जानता हूं कि अगर हमने कोई ऐसा प्रबन्ध किया कि जो मुफ्त मे ही जमीने दिलवाना शुरू कर दीं तो मै समझता हूं कि बहुत आदमी ऐसे इकट्ठे हो जायंगे जो जमीन के लिये गरीब बनना शुरू कर देगे और यह एक बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जायगी कि जमीन लेने से किसको रोका जाय। बहरहाल हम यह जानते है कि जमीन हमारे पास महदूद है, थोड़ी संख्या मे है और जो देहातो मे आस पास में मकान बना सके वह जमीन कम संख्या में है और आज कल जो जमींदारी का खात्मा हुआ उसमें अधिक तर वह जमीन खेती मे ले आयी गयी और उसकी वजह से ऐसी जमीन जिसमें मकान बन सके वह हमारे पास कम है। तो ऐसी दशा में यह कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं होगा कि मुफ्त जमीन दी जाय, लेकिन उसकी क़ीमत इतनी थोड़ी रखी जाय जिससे उन लोगो को इस बात का उत्साह तो न हो कि वह मुफ्त में जमीन लेने के लिये भाग पड़ें। इसके अतिरिक्त जरूरत इस बात की है कि गांवों की जो आबादी है उसको एक नया रूप देना चाहिये और इस कानून में हमें ऐसी व्यवस्था मंजूर करनी चाहिये जिससे कि हमारी आबादी का पुन:संगठन हो सके और उसमें कुछ ऐसा ढंग लाया जा सके जिसको कि हम अच्छी आबादी कह सकें। खास तौर से मै समझता हूं कि हरिजनों के जहां क्वार्टर्स है, उनके मुहल्ले है, उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। कल भी कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया था कि अव्वल तो हमारी सोसायटी की पुरानी ऐसी व्यवस्था थी कि जो गरीब आदमी होते थे वह गांव से दूर रखे जाते थे और ऐसे स्थान पर रखे जाते थे जहां पर अक्सर तालाब हुआ करता था और जो रद्दी से रद्दी भूमि हुआ करती थी वह हरिजनों, चमारों और भंगियों और जो ढेड़ थे उनको दी जाती थी। अब सोसाइटी बदलती जा रही है। हर एक आदमी इस बात की इच्छा रखता है कि मै भी एक अच्छा सुन्दर जीवन व्यतीत करूं। उसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनके लिये मकानों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी का विश्वास है और मै अपने माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा, कि अब जो हमारे डिप्टी कलेक्टर हो गये है, जिन्होंने एक सोशल पोजीशन अख्तियार कर ली है, अच्छी अच्छी नौकरियों पर पहुंच गये है और इस भवन के सदस्य भी हो गये हैं, क्या आप उनसे यह आशा करते है कि वह ऐसी बुरी जगहों पर रहें जहां पर कि पहले उनके बाप-दादा रहा करते थे। तो अब यह निश्चित बात है और मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि अब उनकी मांग और भूख ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ी हुयी मांग और भूख को हमें ध्यान में रखना चाहिये, किसी प्रकार से उसको सप्रेस नहीं करना चाहिये, दबाना नहीं चाहिये बल्कि उनकी जायज और मुनासिब जो मांग है उसके लिये हमें साधन पैदा करने चाहिये जिससे कि हम उस मांग को पूरा कर सकें। हम मानते है कि ऐसे लोग जो पहले जमीन के मालिक है, चाहे जमींदार की हैसियत से, भूमिधर की हैसियत से या किसान की हैसियत से, उनको यह बुरा अवश्य लगेगा कि जबकि उनकी जमीनें उनसे ली जायंगी और वह गरीब आदमियों को दी जायंगी मकान बनाने के लिये, लेकिन यह भी तो हमें समझना चाहिये कि अगर सोसाइटी को तरक्की देना है, समाज को उन्नत करना है तो हमारे जो गरीब

आवश्यक है उनको उन्नत होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि जब तक समाज के अन्दर अगर कलावान रहना है और यह व्यवस्था रहती है कि लोग काला का भेद-भाव है तब तक देश के अन्दर शान्ति नहीं हो सकती जब तक कि उस प्रकार का भेद-भाव न मिट जाय तो मैं यह भी मानता हूं कि यहां झगड़ा उत्पन्न होता रहेगा जब तक कि हमारे यहां के गरीब हरिजन और जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनका भेद-भाव न मिटा दिया जाय और वह तब सम्भव हो सकता है जब कि हम उन्हें अधिकार दें सोसाइटी के अन्दर कि वह उन्नति कर सकें तथा हम यह भी अधिकार देना होगा कि उनके मकानात बनाये जायें और उनके लिये इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे कि वह मकानात बना सकें, तो उनके लिये सब से मुख्य चीज है भूमि। अगर किसी के पास चार पैसे भी है और उसकी अवस्था ऐसी है कि वह मकान बना भी सकता है लेकिन अगर उसके पास भूमि नहीं है तो वह मकान बनायेगा कैसे। इसलिये मैं यह समझता हूं कि भूमि की व्यवस्था करना किसी न किसी रूप में इसमें अत्यन्त आवश्यक है और वह इस कानून के जरिये से कर सकते हैं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि अगर आज आप इस बात का प्रयत्न करें और कहें कि कोई गरीब आदमी है उसके लिये भाई जमीन दे दो, तो मैं कहता हूं कि यह नामुमकिन है कि उसे जमीन मिल जाय और उसका मकान बन सके।

हमने यह देखा कि विनोबा भावे जी को जो दान में भूमि दी गयी है उसमें से बहुत सी भूमि का तो पता नहीं है कि वह भूमि है कहां। लोगों ने दान का तो बहाना किया और नाम के लिये भूमि दे दी। हमें मालूम है कि बहुत जिलों में ऐसी व्यवस्था है कि भूमि के नाम में तो कहीं कहीं १००-१८० बीघे जमीन उन्होंने दी है लेकिन देखने पर मालूम हुआ कि उस भूमि में खेती हो नहीं सकती है और फिर वह भूमि है भी या नहीं, यह भी सन्देह है। वास्तव में उन्होंने ऐसी भूमि नहीं दी जो कि किसी के काम में आ सके। तो इसके लिये व्यवस्था यहां रखी जा रही है कि कानून के जरिये से भूमि ले ली जाय और मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि गरीब आदमियों के लिये भूमि का प्रबन्ध इस तरह से किया जाय। आप यह देखते हैं कि कारपोरेशन या म्युनिसिपलिटीज़ में जमीन दी जाती है मकानात बनाने के लिये और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सहायता होती है। तो मैं इसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो यह प्रस्ताव माननीय जोरावर वर्मा जी ने पेश किया है मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं और यह व्यवस्था इस पंचायत राज कानून में होनी चाहिये। गरीब आदमी के लिये मकान बनाने के लिये या उसके कारोबार के लिये जैसे चमड़े वगैरह का कारोबार है, उसके लिये भूमि की व्यवस्था जरूर कर देनी चाहिये। इसलिये मैं माननीय जोरावर वर्मा के प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से माननीय श्री जोरावर वर्मा ने इस संशोधन को पेश किया, उस भावना को समझते हुये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं किन्तु साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि यदि यह संशोधन जिस रूप में पेश किया गया है उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो इसमें कुछ वैधानिक कठिनाइयां सामने आयेंगी। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन में कुछ संशोधन पेश करना चाहता हूं। पहली पंक्ति में शब्द "अरेंजमेंट्स" और "आफ" के बीच में यह रख दिये जायें--

> "With the previous sanction of the prescribed authority and on payment of Compensation as fixed by the prescribed authority"

श्री उपाध्यक्ष--यह आप लिख कर मेरे पास भिजवा दीजियेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--जी हां, मैं लिखित भेज दूंगा आप के पास। और चौथी पंक्ति में जो "Free of any Charge" है वह हटा दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--यह अब पढ़ा कैसे जायगा, जरा पढ़ कर बता दीजिये।

महाराज कुमार बालेन्दु शाह—अब यह इस तरह पढ़ा जायेगा—

"for securing and making arrangements, with the previous sanction the prescribed authority and on payments of compensation as fixed by the prescribed authority, of house sites and new lands etc." और आगे चल कर "free of any charge" हटा दिया जायगा।

इसमें जिस रूप से जोरावर वर्मा जी ने इसे पेश किया है उसमे मुझे यह आपत्ति दिखलाई पड़ती है कि जो कार्यवाही जमीन के अक्वायर करने में करनी पड़ेगी वह किसी न किसी रूप मे ऐक्वीजीशन प्रोसीडिंग या उस तरह की कोई प्रोसीडिंग होगी। तो वहां पर "free of any charge रखना मेरे ख्याल से अनकांस्टीच्यूशनल बात होगी क्योंकि जहां पर टाइटिल का प्रश्न आता है वहां यदि किसी की टाइटिल का राइट डिप्राइव किया जा रहा है तो साथ ही साथ यह अनिवार्य हो जाता है कि उसको किसी प्रकार का कम्पेसेशन मिलना आवश्यक है। यह हमारे संविधान के अनुसार है। इसलिये यह रखना आवश्यक है। साथ ही साथ जो मैंने पहला प्रतिबन्ध लगाया है, उससे माननीय मंत्री जी यह न समझे कि मुझे प्रेस्काइब्ड अथारिटी से कुछ प्रेम बढ़ गया है। चूंकि इस संबंध मे काफी कंटेस्ट हो सकता है। गांव सभा किसी जमीन को अक्वायर करना चाहे और उसके लिये बहुत से आदमी कंटेस्ट करने के लिये हो जायं तो गांव सभा को एक प्रकार का इनीशियेटिव दिया जाय इन कार्यों को करने के लिये। वे लैंडलेस लेबर और शेड्युल्ड कास्ट के लिये जमीन अक्वायर करने के लिये कार्यवाही कर सकती है लेकिन शुरू करने से पहले प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की राय ले ले। अगर उनको कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है तो उनको कार्यवाही चलाने की इजाजत दे सकते हैं। साथ ही साथ कम्पेंसेशन के लिये ऐट ए रीजनेबिल रेट, यह गवर्नमेंट पर है। जो आपत्ति होगी अक्वीजीशन प्रोसीडिंग्ज के पहले वह कम्पेसेशन के संबंध में होगी। उससे बच जायेंगे क्योंकि यह लिखा नहीं है कि कम्पेसेशन ऐडीक्वेट होना चाहिए। किसी प्रकार का कम्पेसेशन देना आवश्यक होगा।

मैं आशा करता हूं कि जो संशोधन मैंने दिया है यह जोरावर वर्मा जी को भी और माननीय मंत्री जी को भी स्वीकार होगा।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है उस में इस प्रकार अपना संशोधन पेश करता हूं—

"free of charge" निकाल दिया जाय तथा "landless agricultural labourers and especially for the Scheduled castes" के स्थान पर "houseless persons or Familes" रख दिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मुश्किल यह है कि यह संशोधन मेरे सामने नहीं है और यह कैसे फिट इन करता है या नहीं करता है यह जब तक संशोधन सामने न हो कैसे देखा जा सकता है। जहां तक उन भाषणों का सम्बन्ध है जो भावनाओं का समर्थन करते हैं मैं उनसे सहमत हूं लेकिन जो कानून की बात है, जब तक संशोधन सामने न हो, उस वक्त तक मैं किस पर विचार करूं।

श्री धर्मसिंह—यह इस प्रकार होगा

"for securing and making arrangements house sites and new lands for all such lands appurtenant to that for domestic purposes for the houseless persons or familes peoples as may be required by them within the jurisdiction of the Gaon Sabha."

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इसके सिद्धान्त का सम्बन्ध है यह तो सभी माननीय सदस्य मानते है कि गांवों मे उन लोगों को जो कि गरीब है और बहुत बड़ी तादाद में हैं उनकी हालत हमेशा से खराब चली आ रही है। मान्य मन्त्री जी ने एक बात कही कि हमारे सामने एक आर्थिक प्रश्न

की कठिनाई है यह मानी बात है कि जब ग्राम पंचायत आबादी के लिये जमीन देने की व्यवस्था करेंगी तो उनके सामने आर्थिक प्रश्न होगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जो १६ क्लाज है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और उसमें साफ साफ लिखा है कि ग्राम पंचायतें आबादी के एक्सटेंशन के लिये जमीन की व्यवस्था करेंगी या आबादी के लिये एक्सटेंशन करेंगी। तो फिर प्रश्न यह आता है कि जो ऐच्छिक बातें हैं उनमें ग्राम सभाओं के अख्तियारात दिये हुए हैं वह कैसे करेंगी? मेरा निवेदन यह है कि यह तो किसी न किसी रूप से चाहे माननीय मंत्री जी रूल्स में प्राविज़न करें या इस तरह की कोई चीज पैदा करें कि जो गांव का रहने वाला आदमी है उनके लिये जमीन की व्यवस्था हो। इसमें दो राये नहीं हो सकतीं। जब हम उनके घरों को देखते हैं तो वह एक ही घर में खाते हैं, एक ही घर में पीते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में बच्चे पैदा करते हैं तो आखिरकार उन भावनाओं को जो घर करती हैं समाज के व्यक्तियों में उनको दबाया नहीं जा सकता। और यह मानी हुई बात है कि आपको उसका किसी न किसी तरीके से प्रबन्ध करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि जहां तक सरकार की बात है हम मानते हैं और इस बात को देश मानता है कि जहां तक हरिजनों की हालत को सुधारने की बात है उसके लिये गांधी जी ने बहुत काम किया है और सरकार भी कर रही है और आगे भी करेगी। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह बात कही कि उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि उनके बाप दादा क्या थे...

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने जिस प्रसंग में वह बात कही उस प्रसंग से उसको अलग न कीजिये। उसी कंटेक्स्ट में उसको कहिये कि स्वराज्य प्राप्त होने के बाद हरिजनों की हालत बराबर सुधरती जा रही है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं कि सुधार हुआ है तो मेरी बात को ही कहते हैं। श्री जोरावर जी ने जो बात कही थी वह बहुत सख्त थी कि उनकी हालत गिरती जा रही है।

श्री धर्मसिंह—मैं भी इस बात को मानता हूं कि आजादी के प्राप्त होने के बाद जहां तक देश में हरिजनों की हालत थी वह सुधरती जा रही है इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन परम्परा की ओर जाना या उस वातावरण की तरफ जाना कि वह क्या थे और क्या नहीं थे मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से अच्छा नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया यदि हम उनके रहने के लिये प्रबन्ध नहीं करते हैं तो इस प्रकार से समाज के जो व्यक्ति नीच कहे जाते हैं हो सकता है कि आज उनके पास पैसा न हो तो उनके लिये मेरा निवेदन यह है कि किसी तरीके से रूल्स में प्राविजन किया जाय। जब पिछला ऐक्ट बना था तो उसमें नहीं रखा गया। एक्सटेन्शन आफ आबादी तभी हो सकता है कि जब गांव सभा या जो वहां की गांव पंचायत हो वह इस बात की कोशिश करे कि उन लोगों को जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है उनके लिये मकानों का प्रबन्ध करे और आबादी बढ़ाने की कोशिश करे।

जहां तक सुधार की बात है हम लोग यह मानते हैं कि सुधार हुआ है और आज हमको पश्चाताप करना पड़ता है कि हमारे यहां की परम्परा में और हमारे देश में यह कलंक रहा है कि यहां पर छुआछूत कायम रही। एक तरफ गरीबी रही है और दूसरी तरफ अमीरी चली आ रही है। अगर अब इस प्रकार का वातावरण रहता है तो उसमें समाज के नाम पर एक दूसरे को एक्सप्लायट कर सकता है। हम जानते हैं कि यहां पर एक बिल आया था म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में तो उसमें प्रश्न यह था कि भंगियों को कूड़े की भी आवश्यकता है या नहीं और उनको वह दिया जाय या नहीं। जिस कूड़े को हमारे समाज में भंगी को छोड़ कर दूसरा उसके पास को निकालना भी पसन्द नहीं करता और देखना भी पसन्द नहीं करता और नाक भौंह सिकोड़ते हैं उस कूड़े की बाबत तय नहीं हो सकता था कि यह कूड़ा उसको दिया जाय या नहीं। आज चमार भंगी से घृणा करता है और इस बात से काफी एक्सप्लायटेशन होता है। हमने समाज बनाया था कि सोसाइटी चले और उस सोसाइटी में यह गन्दगी आयी और उस गन्दगी के साथ यह वातावरण चला। इसका एक बहुत लम्बा इतिहास है। लेकिन अब समय का

[श्री धर्मसिंह]

तक़ाज़ा है कि हम अपने देश मे रहने वाले ग़रीबों के लिये उनके रहने के लिये किसी प्रकार का प्रबन्ध करें। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतनी प्रार्थना करूंगा कि जहां इस तरह के संशोधन का संबंध है तो उसको आपको मानना चाहिये और उनकी आबादी बढ़ाने के लिये कोई प्राविजन होना चाहिये क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। इसलिये मेरा निवेदन है कि रूल्स में इस तरह की चीज आप प्रोवाइड करें और अगर रूल्स मे नहीं रखते हैं तो जमीन प्राप्त करने के लिये रुकावट आ सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसकी सूरत को समझते हुये इस प्रकार का प्राविज़न करे और इसको मानने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन तमाम संशोधनों के बजाय जो (16) का (i) है वहां एक्सटेंशन आफ़ आबादी में चूंकि गांव में कोई हाउसलेस नहीं होता है, उसमे यह रखना चाहता हूं।

"and provision for house sites for weaker sections of the public"

इससे सबका प्वाइंट मीट हो जायगा। बाक़ी बातों के बारे मे मैं परसों बताऊंगा। मैं यह भी नहीं चाहता कि हर जगह "हरिजन" शब्द आये।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज़ोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका और माननीय बालेन्दु शाह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने कहा कि वर्मा जी ने जोश मे आकर भाषण दिया। उससे हमको यह मालूम हुआ कि मंत्री जी को गांव का अनुभव नहीं है। उन्होंने तो यह कहा कि शहर में रह कर उन्होंने हरिजनों के लिये बहुत कार्य किया है। लेकिन मुझे एक कहावत याद आ गई कि "जा के पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई।" गांवों मे हरिजनों की हालत से मंत्री जी वाक़िफ़ नहीं हैं। पूज्य बापू ने जो कुछ कहा उसे कोई भुला नहीं सकता।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १० मई, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ मई, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये ३० अप्रैल १९५४ के तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

क्रम-संख्या	पुलिस स्टेशन		डकैतियों की संख्या	पकड़े गये डकैतों की संख्या	
१	सराय ख्वाजा	..	१	६	१९५३
२	केराकट	..	१	५	,,
३	मछली शहर	..	१	७	,,
४	मरीयाहूं	..	१	६	,,
५	मीरगंज	..	१	१३	,,
६	बदलापुर	..	१	६	,,
७	कोतवाली	..	१	७	,,
८	केराकट	..	१	७	१९५४

नत्थी 'ख'

(देखिये ३० अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न ८–१० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर।)

बुलन्दशहर जिले मे १९५२ व १९५३ मे हुई डकैतियों का विवरण

१९५२

क्रम संख्या	थाना	ग्राम	डकैतियों की संख्या	मृत हुये			गिरफ्तार डकैतों की संख्या	मृत डकैतों की संख्या
				पुरुष	स्त्री	बच्चे		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	कोतवाली	गिनौरा	१	..	..	..	९	..
२	स्याना	कमालपुर	१	..	..	..	१४	..
		बरौली	१	..	..	..	१६	..
३	गुलाथी	मीठपुर	१	..	..	..	१२	..
४	औरंगाबाद	गिनौरा	१	१	..	..	२६	..
५	शिकारपुर	खखुन्द	१	..	..	..	११	..
६	सिकन्दराबाद	पीलखानवाली	१	..	..	..	१२	..
७	डंकौर	खेरली	१	..	..	..	१८	२
८	काकोरी	अलियाबाद	१	१	..	..	७	..
९	खुरजा	केवली खुर्द	१	..	..	..	८	१
		गौस पुरतना	१	२	..	..	१५	..
		मोजपुर	१	१	..	..	१३	..
		शक्लों	१	..	..	..	३	..
		बिनोल	१	..	..	..	७	..
१०	पहसू	लदपुरा	१	१	..	..	२४	१
		बरकतपुर	१	..	..	..	..	..
		नगली लीला	१	१	..	..	२०	..
		नागर	१	..	..	..	२६	..
		सिंघगढ़ी	१	..	..	..	१३	..
११	अनूपशहर	पतरामपुर	१	..	..	..	१६	..
१२	डेबाई	शकरगंज	१	..	..	..	१५	१
		डबाई कस्बा	१	..	..	..	९	..
१३	जहांगीराबाद		..	..	..	..	..	..
	कुल ..		२२	७	..	..	२९४	५

१९५३

क्रम-संख्या	ग्राम	डकैतियों की संख्या	मृत हुये पुरुष	मृत हुये स्त्री	मृत हुये बच्चे	गिरफ्तार डकैतों की संख्या	मृत डकैतों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८
१	कोलसना	१	१	..	..	६	..
	मम्मन कली	१	१	..	..	८	१
२	चितसोना	१	..	..	..	८	..
३	..	..	..	..	..	..	..
४	इसमाइला	१	..	..	..	..	..
५	कुतवपुर	१	..	..	..	१०	..
	चितसौन	१	..	..	..	७	..
	रसूवीर	१	..	..	..	१४	..
६	मुरादाबाद	१	..	..	..	१०	..
७	छुहारपुर	१	१	..	..	..	..
८	..	..	..	..	..	..	..
९	गीसपुरतेना	१	..	..	..	२	..
	अदैजाकला	१	..	..	..	११	..
	जावल	१	..	..	..	६	..
	कैरोला	१	..	..	..	८	..
	फैराना	१	..	..	..	५	..
१०	अलीगढ़ अनूप शहर सड़क	१	..	..	..	११	..
			..	..	..	..	..
	वेदरामर	१	१	..	..	५	..
	नगला-सरनपुर	१	..	..	..	१८	..
	जलालपुर	१	१	..	..	१२	..
	पीतमपुर	१	..	..	..	८	..
११	सोहरखा	१	२	..	..	१०	..
१२	कसेरकलां	१	१	..	..	५	..
	तुलसी गढ़ी	१	..	..	..	१४	..
	नंगला मूर	१	..	..	..	१४	..
	हीरपुर	१	..	..	..	१८	..
१३	पियाना कलां	१	१	..	..	८	१
	टोली	१	..	..	..	४	..
	कुल	२६	९	..	..	२२२	२

नत्थी 'ग'

(देखिये ३० अप्रैल, १९५४ के अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)

श्री नत्थूसिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में विवरण

किस्म हथियार		कितनी दरख्वास्तें आईं	कितने लाइसेंस दिये गये
बन्दूक	..	१,००६	२६४
राइफल	..	५२	३०
रिवाल्वर	..	१३९	३२
कुल	..	१,१९७	३२६

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)

प्रतापगढ़ जिले मे प्रत्येक थाने पर पुलिस कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या

क्रम-संख्या	थाना	कर्मचारियों की संख्या
१	कोतवाली और उसके मातहत दो पुलिस चौकियां ..	३६
२	कुंदा	२०
३	रानीगंज	१७
४	कंघई	१७
५	पट्टी	१७
६	जेठवारा	१७
७	बघराय	१८
८	संगीपुर	१७
९	अंतू	१५
१०	लालगंज	१६
११	संग्रामगढ़	१७

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८३ पर)

सन् १९५३ में दिवाली के अवसर पर जिला हमीरपुर के ग्रामों मे पकड़े हुये जुवों का विवरण

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम		पकड़े गये जुवों की संख्या	पकड़े गये अभियुक्तों की संख्या	कितने अभियुक्तों ने सजा पाई	कितने अभियुक्त छूट गये
१	मिश्रीपुर	..	१	८	..	८
२	बसौरा	..	१	२२	..	२२
३	सिजहरी	..	२	२६	१३	१३
४	सुमेरपुर	..	४	३१	३१	..
५	महोबा	..	६	३५	३५	..
६	सूपा	..	१	१७	१७	..
७	खरेला	..	२	३१	२३	८
८	बिहूनी	..	१	४१	..	४१
९	तेइया	..	१	९	..	९
	योग	..	१९	२२०	११९	१०१

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८४ पर।)

थाना कायमगंज तथा कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद में पिछले वर्ष (१९५३) में हुये कत्ल, डकैती, रहज़नी तथा चोरियों का विवरण

थाना	अपराध	रिपोर्ट हुयी	चालान हुये	सजा हुई
कायमगंज ..	कत्ल ..	६	५	२
	डकैती ..	..	..	..
	रहज़नी ..	..	..	..
	चोरी ..	४१	१५	६
कम्पिल ..	क़त्ल ..	२	..	..
	डकैती ..	४	३	..
	रहज़नी ..	..	..	..
	चोरी ..	१२	४	..

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर)

क्रम-संख्या	नाम सब-इन्सपेक्टर	क्रम-संख्या	नाम सब-इन्सपेक्टर
१	चौ० तेजपाल सिंह	८	श्री परमेश्वरी दत्त
२	ठा० त्रिलोकसिंह राना	९	श्री इताअत उल्ला खां
३	श्री सच्चिदानन्द नोटियाल	१०	श्री गिरिराज सिंह पोसवाल
४	श्री श्यामविहारी लाल	११	श्री अब्दुल हबीब खां
५	श्री प्रहलाद सिंह	१२	श्री आनन्द सिंह तोमर
६	श्री मेघामल शेरपाल	१३	श्री जरीफ हुसैन
७	श्री मुश्ताक़ अली खां	१४	श्री हरीनाथ सिंह

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर।)

इस जिले में प्रत्येक थाने के अन्तर्गत गांवों की संख्या निम्नलिखित है:

थाना			ग्रामों की संख्या	थाना			ग्रामों की संख्या
१	एटा	..	१५६	२	सकीट	..	१६३
३	निधौली	..	६३	४	मारहरा	..	१११
५	कासगंज	..	११५	६	सिदपुरा	..	६१
७	अभापुर	..	६४	८	सहावर	..	११५
९	सोरों	..	६६	१०	अलीगंज	..	१४७
११	जैथरा	..	६१	१२	गंजडुन्डवारा	..	६३
१३	पटियाली	..	६२	१४	जलेसर	..	११५
१५	अवागढ़	..	४५				

प्रत्येक ग्राम मे ग्राम रक्षा समिति की स्थापना हो चुकी है।

डकैतों का मुकाबला करने में निम्नलिखित ग्राम रक्षा समितियों ने अच्छा काम किया है:—

१—थाना सकीट के अन्तर्गत ज्यूरी ग्राम मे ग्रामीणों को पता चला कि एक ग्राम के बाग मे कुछ दुश्चरित्र एकत्रित हैं। ग्रामीणों ने उनको घेर कर लाठियों से आहत किया और तीन को जीवित पकड़ लिया जिनके पास आग्नेय अस्त्र भी थे। इसके फलस्वरूप पुलिस ने पूरे गिरोह का पता लगा लिया। यह गिरोह इस जिले व अन्य जिलों की कई डकैतियों के लिये उत्तरदायी था।

२—ग्राम रक्षा समिति निकटवर्ती ग्राम के बन्दूक के लाइसेन्सदारों की सहायता से थाना पटियाली के अन्तर्गत नगला पोपही ग्राम में डकैतों का पीछा किया तथा उनमें से २ को पकड़ लिया जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण गिरोह का जिसमें अधिकांश जिला फतेहगढ़ के थे पता लगा और अभियुक्तों का चालान किया गया।

३—ग्राम सहाय सुखदेव, थाना जलेसर की ग्राम रक्षा समिति ने उस मार्ग को जिसमें डकैत जाने वाले थे रोक दिया और जब डकैत लूट का माल ले कर जाने लगे तो उन पर बल्लमों से आक्रमण कर दिया। २ डकैत मौक़े पर पकड़े गए और एक पूरे गिरोह का जिसमें अधिकतर अहेडिया जाति (पहले जरायम पेशा) के थे पता लगा वह नष्ट कर दिया गया।

४—थाना कासगंज के भूपालगढ़ी ग्राम मे तीन लुटेरों ने २ जुलाहों का कपड़ा व रुपया गांव के समीप ही दिन के समय छीन लिया। ग्रामीणों ने लुटेरों का पीछा कर के तीनों को मय माल के पकड़ लिया। ग्रामीणों द्वारा किया गया यह एक प्रशंसनीय कार्य था।

५—थाना आवागढ़ के अन्तर्गत टिकाघर ग्राम मे जब कुछ चोर एक मकान का दरवाजा उतार रहे थे ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके चोटे भी आईं। इस हाथापाई मे एक गांव वाले के भी चोट आई जो बाद में अस्पताल में मर गया।

६—इस अन्तिम कार्य में ग्राम समदपुरा, थाना एटा के निकट से कुछ दुश्चरित्र व्यक्तियों को जाते हुये गश्त करने वाली पार्टी ने टोका और दोनों ओर से बन्दूकों का प्रयोग भी हुआ। एक डकैत आहत हुआ और गांव के निकट बाद में पड़ा मिला। इस गिरफ्तारी के फलस्वरूप एक गिरोह का पता चल सका जो कई डकैती की घटनाओं के लिए उत्तरदायी था।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८८ पर)

उन्नाव जिले में पहली जनवरी, सन् १९५४ से १५ फरवरी, १९५४ तक डकैतियां तथा हत्यायों का विवरण

क्रम-संख्या	थाने का नाम	डकैतियां			कत्ल		
		संख्या	पकड़े गये लोगो की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	पकड़े गये लोगो की संख्या	दंडित व्यक्तियो की संख्या
१	कोतवाली	–	–	–	७	१४	३
२	सफीपुर	१	९	–	३	१८	७
३	फतेहपुर	२	१७	–	३	४	२
४	बांगरमऊ	२	२०	–	६	१६	१
५	ओराह	२	२१	–	२	३	–
६	हसनगंज	१	१३	३	५	१०	२
७	गंगाघाट	–	–	८	३	४	२
८	अचलगंज	१	११	१०	३	५	४
९	अजगैन	३	३०	–	७	८	–
१०	धारानगर	१	१२	–	२	–	–
११	बीहर	३	३२	१२	५	६	३
१२	पुरवा	–	–	–	–	–	–
१३	मोरावां	२	८	–	५	९	८
१४	असोहा	१	२४	–	२	१	–

नत्थी 'ञा'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६० पर)

लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १६५४

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १६२० को संशोधित करना आवश्यक है; अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :— यू० पी० ऐक्ट ५, १६२०।

१—(१) यह अधिनियम लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १६५४ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

(२) यह ऐसे दिनाङ्क पर प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

२—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १६२० (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना (preamble) से शब्द "unitary", और शब्द "and residential" निकाल दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १६२० की प्रस्तावना का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा २ में— यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की धारा २ का संशोधन।

(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित खंड (*a*) और (*aa*) के रूप में रख दिया जाय—

"(*a*) 'Associated College' means an institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act to impart all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

"(*aa*) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the State Government and authorised to conduct all the teaching necessary for admission to a degree of the University."

(२) खंड (*b*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*bb*) और (*bbb*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*bb*) 'Management' means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of an institution recognised by the University."

"(*bbb*) 'Non-Collegiate Delegacy' means the authority charged under this Act with the care of students of the University not residing in or attached to a Hall."

(३) खंड (*e*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*ee*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(*ee*) 'State Government' means the Government of the State of Uttar Pradesh."

(४) खंड (*f*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*ff*) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(*ff*) 'Student of the University' means a person enrolled in the University or a Constituent College for taking a course of study for a degree but does not include a person enrolled in an Associated College."

(५) खंड (*g*) में शब्द "any of its Colleges or Halls", के स्थान पर शब्द "any Associated College, Constitutent College or Hall", रख दिये जायं—

(६) खंड (*h*) से शब्द "wholly or partly", निकाल दिये जायं और शब्द "instruction" के पश्चात् "for degrees or to guide or conduct research" बढ़ा दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(१) उपधारा (1) में शब्द "the University may think fit" के स्थान पर शब्द "may be prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) To institute degrees and other academic distinctions, and to hold examinations for and grant and confer such degrees and distinctions to and on persons who—

(*a*) shall have pursued a course of study in the University, an Associated College or a Constituent College or carried on research in the University, under conditions prescribed in the Statutes or Ordinances, or

(*b*) are teachers in educational institutions satisfying conditions prescribed by the Ordinances in this behalf, or

(*c*) shall have carried on independent research under conditions laid down in the Statutes and Ordinances,

and shall have passed the examinations of the University under conditions prescribed in the Statutes and the Ordinances."

(३) उपधारा (4) में शब्द 'members' के स्थान पर शब्द 'students' रख दिया जाय।

(४) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"to maintain Constituent Colleges and Halls and to recognise Associated Colleges and Halls not maintained by the University."

(५) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (8-*a*) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(8-*a*) to inspect Associated Colleges and recognised Halls."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ में निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप मे बढ़ा दिया जाय—

"Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ६ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ६ में—

(१) उपधारा (1) में शब्द "conducted by the University" और पुनः शब्द "conducted in the University" के पश्चात् शब्द "or an Associated College or a Constituent College" बढ़ा दिये जायं :

(२) उपधारा (३) मे शब्द "Ordinances and" के पश्चात् शब्द "subject thereto by" बढ़ा दिये जायं।

(३) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"In addition to the recognised teaching, tutorial and other supplementary instruction shall be given in the University or an Associated College or a Constituent College or under the control of the University or such College, in a Hall."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ७ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Visitation. 7. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University, its buildings, laboratories, workshops and equipment, and of any institution maintained or recognised by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like man-

ner in respect of any matter connected with the University, an Associated College or a Constituent College.

(2) The State Government shall in every case give notice to the University of its intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) The State Government may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(4) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council together with the views which the Court may have expressed on the report.

(5) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit and the University authorities shall be bound to comply with such directions."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ९ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ९ में उपधारा (1) के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"The Governor of Uttar Pradesh shall be the Chancellor."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १० का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Vice-Chancellor.

10. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in the manner hereinafter appearing.

(2) The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the

Chancellor, submit to the Chancellor the name or names of not more than three persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor :

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the name or names submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then either submit the same name or names or make any additions in them.

(3) Where the name or names proposed in the Executive Council for being submitted to the Chancellor under sub-section (2) do not exceed three, the Council shall submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall, out of the names so proposed, elect three names, according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) Where one name only has been submitted by the Executive Council and no name has been added under the proviso to sub-section (2) the Chancellor shall appoint the person whose name has been so submitted by the Executive Council. In other cases the Chancellor may appoint any one of the persons whose names are submitted by the Executive Council under and in accordance with sub-sections (2) and (3).

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(6) No person who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University shall be eligible for re-appointment.

(7) Subject as aforesaid, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause [other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term] the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive

Council to forward its recommendations and the provisions of sub-sections (1) to (4) shall, in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of Vice-Chancellor as it may think fit.

(9) Until arrangements have been made under sub-section (8), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ११ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Powers and duties of the Vice-Chancellor.

11. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University. He shall be an *ex-officio* member and chairman of the Executive Council and the Academic Council and shall have the right to speak in and to take part in the proceedings of the meeting of any authority or other body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote thereat.

(2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, subject to the powers conferred by this Act on the Chancellor, possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Court, the Executive Council and the Academic Council:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(4) (*a*) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity, report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

But nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(*b*) Where any action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Executive Council within fifteen days from the date on which the action is communicated to him.

(5) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Executive Council regarding the appointment, dismissal and suspension of the officers and teachers of the University and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University.

(6) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १२ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १२ में उपधाराओं (1) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"The Treasurer. (1) The Treasurer shall be appointed by the Chancellor and the provisions of sub-sections (2) to (4) of section 10 shall apply as though for the words 'Vice-Chancellor the word 'Treasurer' had been substituted therein.

(2) The term of office of the Treasurer shall be six years, but he shall notwithstanding the expiry of the term continue in office until a successor has been appointed. He shall receive such remuneration (if any) from the funds of the University as may be prescribed by the Statutes.

(3) The provisions relating to resignation, conditions of service, the filling of temporary vacancies and arrangements for the carrying on of current duties contained in sub-sections (5), (7), (8) and (9) of section 10 shall *mutatis mutandis* apply to the office of Treasurer.

(4) The Treasurer shall be an *ex-officio* member of the Executive Council and shall manage the property and investments of the University and advise in regard to its financial policy. He shall be responsible for the presentation of the annual

estimates (in this Act called the budget) and statement of accounts.

(5) The Treasurer shall have the duty--

(i) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the University (otherwise than by way of investment).

(ii) to disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or Ordinance, or for which provision is required to be made by Statutes or Ordinances but has not been so made."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १३ का संशोधन।

१२-मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-

"The Registrar. 13. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following, namely—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) an educationist nominated by the Chancellor;

(iii) the Chairman of the Public Service Commission, Uttar Pradesh, or a member thereof nominated in this behalf by the Chairman.

(2) The emoluments and conditions of service of the Registrar shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The Registrar shall be the custodian of the records and of the Common Seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee and the Committee of Reference and shall be bound to place before these Authorities all such information as may be necessary for the transaction of business. He shall perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(4) He shall make all arrangements for and conduct examinations and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the

University save such as may be provided for by the Statutes and the Ordinances."

१३–मूल अधिनियम की धारा १५ में मद (5) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १५ का संशोधन।

"(5) The Faculty Boards,

"(5-*a*) Selection Committees for the appointment of teachers, and"

१४–मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय– यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा १६ का संशोधन।

"16 (1) The Court shall consist of the following persons, namely :

Class I—Ex-officio members :

(i) the Chancellor,

(ii) the Vice-Chancellor,

(iii) the Treasurer,

(iv) all Principals of Constituent Colleges and Associated Colleges,

(v) All Heads of Departments of teaching in the University and all Professors who are not Heads of Departments,

(vi) the Minister of Education, Uttar Pradesh,

(vii) the Minister of Health, Uttar Pradesh,

(viii) the Director of Medical Services, Uttar Pradesh,

(ix) the members of the Executive Council,

(x) such other *ex-officio* members as may be prescribed by the Statutes.

Class II—Life members :

(xi) such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent services to education provided that their number in the Court shall at no time be more than four.

(xii) All persons who have made donations of not less than Rs.20,000 to or for the purposes of the University.

Class III—Other members :

(xiii) Persons nominated by the State Government to represent such academic and non-academic bodies

(4) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications, and emoluments of teachers and the appointment of and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Faculties concerned.

(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Court, but where in any case it is not able to do so it shall inform the Court of its inability with the reasons therefor."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २१ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 21-A के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"21-A. There shall be a Standing Committee of the Academic Council. The constitution and functions of the Committee shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २२ का संशोधन।

१८--मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"The Committee of Reference. 22. (1) The Committee of Reference shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Treasurer;

(iii) three members of the Court, none of whom shall be a member of the Executive Council, to be appointed in the manner prescribed by the Statutes;

(iv) two persons to be nominated by the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) The Committee of Reference shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and total non-recurring expenditure for the ensuing year, and shall perform such other functions as may be provided by or under this Act.

(4) The Committee of Reference may, for special unforeseen reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure fixed by it under subsection (3)."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा २३ का संशोधन।

१९--मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"The Faculties. 23. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall comprise such Departments of teaching as may be prescribed by the Statutes. Subjects of study shall be assigned to various Departments by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty the constitution and powers of which shall be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be the Head of a Department in the Faculty and shall be chosen with due regard to seniority in such manner and for such period as may be prescribed by the Statutes.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of the Faculty and be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty. He shall be further responsible for the organization and conduct of the teaching and research work of the Departments comprised in the Faculty.

(6) There shall be a Head in each Department of teaching who shall be responsible to the Dean for the organization of the teaching in the Department. The seniormost Professor of a Department shall be the Head of the Department, and where there is no Professor in a Department the seniormost Reader thereof shall be the Head."

२०—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and such other", के स्थान पर शब्द 'such' रख दिया जाय। यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की धारा २५ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा २६ में शब्द "Residence, Health and Discipline Board and of all other" निकाल दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की धारा २६ का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 26-A के रूप में रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० में एक नई धारा का बढ़ाया जाना।

"Manner of appointment of officers and members of Authorities.

26-A. (1) Save where expressly provided to the contrary, officers and members of the authorities of the University shall, as far as may be, be chosen by methods other than election.

(2) Where provision is made by this Act or the Statutes for any appointment according to seniority or other qualification, the manner of determining seniority or such other qualification shall be prescribed by the Statutes."

२३—मूल अधिनियम की धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की धारा २७ का संशोधन।

"Statutes.

27. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall, in particular, provide for the following—

(*a*) the constitution, powers and duties of the Authorities and Boards of the University;

(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities

and Boards of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities and Boards for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the institution and maintenance of Colleges and Halls;

(d) the designation, manner of appointment, powers and duties of the officers of the University;

(e) the classification and mode of appointment of teachers;

(f) the constitution of a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;

(ff) the institution of degrees and diplomas;

(g) the conferment of honorary degrees;

(h) the withdrawal of degrees, diplomas, and other academic distinctions;

(i) the conditions on which an institution may be granted recognition as an Associated College and be liable to the withdrawal of such recognition;

(j) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties;

(k) the establishment of departments of teaching in the Faculties;

(l) the maintenance of a Register of Registered Graduates;

(m) the holding of Convocation;

(n) the institution of fellowships, scholarships, bursaries, medals and prizes; and

(o) all other matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ५, १६२० की धारा २६ का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Ordinances.

29. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the University;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the diploma, degree or other courses and to the examinations of the University, and shall be eligible for the award of degrees and diplomas ;

(d) the conditions of residence of the students of the University and the levying of fees for residence in Halls maintained by the University ;

(e) the recognition of Halls not maintained by the University ;

(f) the number, qualifications, emoluments and terms and conditions of service (including the age of retirement) of teachers and salaried officers of the University ;

(g) the fees which may be charged by the University for any purpose ;

(h) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instruction in Halls ;

(i) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators ;

(j) the conduct of examinations ;

(k) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed on the business of the University ;

(l) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(m) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances".

२५—मूल अधिनियम की धारा ३० में— यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३० का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के खंड (*d*) में शब्द "the Residence, Health and Discipline Board", के स्थान पर शब्द 'the relative Board established under Section 25' रख दिये जायं।

(२) उपधारा (३) में शब्द "made by the Executive Council" और शब्द "shall" के बीच में, शब्द "shall have effect from such as date it may direct and" रख दिये जायं।

२६—मूल अधिनियम की धारा ३१ में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) के रूप में बढ़ा दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३१ का संशोधन।

"(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Board of the Faculty concerned.

The Academic Council may not alter a draft received from the Board of Faculty concerned but may reject the draft received or return it to the Board of Faculty concerned for further consideration together with its own suggestions.

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में ३ नई धाराओं का बढ़ाया जाना।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक "Teachers" के अन्तर्गत धाराएं 31-A, 31-B और 31-C के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Teachers. 31-A. (1) Subject to the provisions of this Act, and except as provided in sub-section (3), the teachers of the University and the Associated Colleges shall be appointed by the Executive Council or the Management of the Associated College, as the case may be, on the recommendation of the Selection Committee in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) Every appointment under sub-section (1) shall, in the first instance, be on probation for such period and on such conditions as may be prescribed by the Statutes, and shall require to be confirmed by the Executive Council or the Management.

(3) Appointment in vacancies or posts likely to last for not more than six months may be made by the Executive Council or the Management without the advice of the Selection Committee."

"The Selection Committee. 31-B. (1) There shall be a Selection Committee for appointment of teachers in each subject of study. It shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;

(ii) the Dean of the Faculty concerned;

(iii) three experts in the case of the appointment of a Professor or a Reader and two experts in other cases.

(iv) the Head of the Department concerned;

(v) One member of the Executive Council, not being a teacher, to be chosen, by the Council.

(vi) where the appointment is to be in an Associated College the Principal of that College.

(2) The experts referred to in sub-clause (iii) of sub-section (1) shall be appointed by the Chancellor out of a panel prepared under sub-section (3).

(3) For the purpose of preparing the panel of experts the Chancellor shall invite any three Universities established by law in India to propose two or such larger number of experts in the particular subject as the Chancellor may require and all names so proposed shall be included in the panel. The panel shall be revised, unless the Chancellor directs otherwise, after every two years.

Explanation.—For the purpose of this section a branch of a subject in which an independent course of

study is prescribed for a post-graduate degree shall be deemed to be a subject of study.

(4) No recommendation shall be made by a Selection Committee unless it is supported in the case of appointments to the office of Professor or Reader by two experts, and in other cases by one expert.

(5) If the Executive Council or the Management disagrees with the recommendation of the Selection Committee it may return the recommendation to the Selection Committee with its reasons for disagreement. The Selection Committee shall thereupon review its recommendation in the light of the reasons given by the Executive Council or the Management. Where the Selection Committee reiterates its original recommendation, it shall be accepted by the Executive Council or the Management; in case the Selection Committee makes a fresh recommendation, it shall be treated as though it were an original recommendation."

"The Consultative Committee.

31-C. (1) There shall be established a Committee consisting of three persons of such qualifications and to be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes. It shall be called the Consultative Committee.

(2) It shall be the duty of the Consultative Committee whenever so required by the Vice-Chancellor to advise on any disciplinary matter affecting a teacher of the University.

(3) Where the Consultative Committee has recommended disciplinary action in any case and the Executive Council does not agree with the Committee, the matter shall be referred to the Chancellor who may take such action as he deems fit."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३२ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा ३२ से शब्द "in a College or Hall, or" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३३ का संशोधन।

२९—मूल अधिनियम की धारा ३३ में—

(१) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) Halls maintained by the University shall be such as may be named by the Statutes."

(२) उपधारा (2) से शब्द 'Colleges and' निकाल दिए जायं।

(३) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) The conditions of residence in Halls and other places of residence for students of the University shall be prescribed by the Ordinances and every Hall and such other place shall be subject to inspection by an officer of the University or other person, authorised in this behalf by the Executive Council."

(४) उपधारा (4) और उसके प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द 'College or Hall' के स्थान पर शब्द 'Hall or other place of residence for students of the University' रख दिए जायं।

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० में तीन नयी धाराओं का बढ़ाया जाना।

३०—मूल अधिनियम की धारा ३३ के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराएं 33-A, 33-B और 33-C: के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"Associated Colleges

33-A. (1) Associated Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) It shall be lawful for an Associated College to make arrangements with any other Associated College or Colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(3) The conditions of recognition of an Associated College shall be such as may be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no Associated College shall be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

(4) Except as provided by this Act, the management of an Associated College shall be free to manage and control the affairs of the College and be responsibe for its maintenance and upkeep. The Principal of every such College shall be responsible for the due maintenance of discipline in it.

(5) An Associated College shall be inspected at intervals of not more than three years in the manner prescribed by the Statutes and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The recognition of an Associated College may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn if the Executive Council is satisfied, after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defects in its work pointed out by the Executive Council."

Non-Collegiate Delegacy.

33-B. There shall be a Non-Collegiate Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any College or Hall. The constitution, powers and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes."

"Constituent Colleges.

33-C. Constituent Colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) The Principal of a Constituent College shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the College and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the College. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes."

३१—मूल अधिनियम की धारा ३४ में— यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३४ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) में शब्द "including at Principal and one Provost" निकाल दिये जायं।

(२) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (5) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(5) Any student whose work is unsatisfactory may be removed from the University or a Constituent College or an Associated College in accordance with the provisions of the Ordinances."

३२—मूल अधिनियम की धारा ३५ में— यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३५ का संशोधन।

(1) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(3) At least one person who is not an employee of the University or an Associated College or Hall shall be appointed examiner for each subject of study for a degree."

(२) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(4) The Board of each Faculty shall appoint an Examination Committee for every subject assigned to the Faculty. The Committee shall consist of such persons as the Board may, subject to the approval of the Academic Council, appoint from among its own members or from outside. The Committee shall have power to moderate question papers set for examinations, review the quality of the work submitted by candidates for examination, report on the standard of attainment and make recommendations in regard to any of these matters. Any review, report or recommendation made by the Committee shall be laid before the Academic Council for its consideration."

(३) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(5) Every person appointed an examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

३३—मूल अधिनियम की धारा ३६ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३६ का संशोधन।

"The Executive Council shall inform the Court of the action taken by it and when no action is taken of the reasons therefor."

३४—मूल अधिनियम की धारा ३७ में— यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३७ का संशोधन।

(१) उपधारा (1) के अंत में निम्नलिखित एक नये पैराग्राफ के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"The State Government shall cause an audit of the entire accounts of the University for each year to be carried out by auditors of high standing.

The accounts shall include all funds accruing to the University under this Act, the Statutes and the Ordinances."

(२) उपधारा (2) में शब्द "published by the Executive Council in the Gazette", के स्थान पर शब्द "printed" रख दिया जाय और उपधारा के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"It shall be lawful for the State Government to require any person, who, after consideration of his explanation in writing, is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amounts provided in the budget or in violation of any provision of the Act, the Statutes or the Ordinances to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

(३) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7) के रूप में रख दिया जाय—

"(7) Except in so far as such expenditure is incurred out of funds accruing under clause (c) of sub-section (1) of Section 20, it shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure not sanctioned in the budget."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ३९ का संशोधन।

३५—मूल अधिनियम की धारा ३९ में शब्द "body of the University" और शब्द "the matter", के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or whether any decision of the University or any authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४१ का संशोधन।

३६—मूल अधिनियम की धारा ४१ में निम्नलिखित उपधारा (2) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा को उपधारा (1) के रूप में पुनः परिगणित कर दिया जाय—

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४२ का संशोधन।

३७—मूल अधिनियम की धारा ४२ के अन्त में शब्द 'members' के पश्चात् आये हुए फुलस्टाप के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९२० की धारा ४४ का संशोधन।

३८—मूल अधिनियम की धारा ४४ में शब्द "Indian Arbitration Act, 1899" के स्थान पर शब्द "Arbitration Act,1940 (Act X of 1940)" रख दिये जायं।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३९—मूल अधिनियम, परिनियमों (Statutes) या अध्यादेशों (Ordinances) में किसी बात के होते हुए भी लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे यहां पर आगे चल कर "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पदासीन अथवा संगठित किसी निर्वाचित अधिकारी अथवा प्राधिकारी का कार्यकाल संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तदनुरूप (corresponding) अधिकारी अथवा प्राधिकारी के नियुक्त, निर्वाचित अथवा संगठित किये जाने पर समाप्त हो जायगा।

४०—संशोधन अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वह इस संबंध में ऐसा कोई भी कार्य करे, जो संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार यूनिवर्सिटी के प्राधिकारियों के उचित संगठन के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जिसके अन्तर्गत परिनियमों (Statutes) का बनाना भी है और ऐसे परिनियमों के प्रचलित होने के दिनांक निश्चित करे।

इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियम (Statutes) उस समय तक प्रचलित रहेंगे, जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन, कोई बात या कोई कार्य करके उन्हें अधिक्रांत (superseded) न कर दिया जाय।

४१—राज्य सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों से संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण से सम्बद्ध कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके—

(क) आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित उक्त मूल अधिनियम उस कालावधि में जिसे आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाय, परिष्कार (modification) परिवर्धन अथवा लोप (omission) के रूप में किये गये ऐसे अनुकूलनों के अधीन जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे, प्रभावशील होगा; या

(ख) आदेश दे सकती है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उस समय तक जब तक कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम के अधीन और अनुसार यूनिवर्सिटी प्राधिकारी संगठित अथवा नियुक्त न किये जायं, यूनिवर्सिटी के ऐसे प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार अथवा सम्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य और कृत्य संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व के दिनांक पर स्थापित तदनुरूप प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायेंगे; या

(ग) आदेश दे सकती है कि संशोधित अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व के दिनांक पर प्रचलित कोई परिनियम (Statute) अध्यादेश या विनियम (Regulation) ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों, परिवर्धनों और लोपों (omissions) के अधीन, जैसा कि वह उचित और आवश्यक समझे, उस समय तक आगे भी प्रचलित रहेंगे जब तक कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कोई बात यार्य क कारके उसे अधिक्रांत न कर दिया जाय, या

(घ) ऐसी कोई कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिन्हें वह आवश्यक अथवा उचित समझे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बारह मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा न दी जायगी।

उद्देश्य और कारण

लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट आज से ३३ वर्ष पूर्व १९२० में बना था। उस समय से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है यद्यपि इस राज्य के विश्वविद्यालयों के पुनस्संगठन का प्रश्न १९३८ से ही शासन के विचाराधीन रहा है जब कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी। तब से विश्वविद्यालयों के पुनस्संगठन की समस्या पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन) द्वारा तथा इस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी विचार किया गया है। उपर्युक्त समितियों की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय के संविधान एवं अधिकारियों तथा समितियों के कार्य की उन्नति करने का प्रस्ताव है।

अतः यह विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—४५ एल० ए०—१९५४—८५०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १३६

अ

अंग्रेजी—

प्र० वि०—साहित्य की प्रतियों के——में प्रकाशन पर आपत्ति। खं० १३६, पृ० ११३–११४।

अधिकृत भूमि—

प्र० वि०—सुल्तानपुर जिले में नहर की खुदाई के लिये——। खं० १३६, पृ० १०४–१०५।

अध्यक्ष, श्री—

अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा 'प्रश्न नहीं उठता' कहने पर——का निर्णय। खं० १३६, पृ० १२१–१२२।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९ ४०, ४५, १२७, १२८, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३९, १४०, १४१, १६३, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १९२, १९३, १९६, १९७, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०५, २०६, २३१, २३३, २३४, २३५, २९९, ३००, ३०२, ३०४, ३२४, ३२६, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३३, ३३४, ४२६।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को १२ मई, १९५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना। खं० १३६, पृ० ४०५।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम। खं० १३६, पृ० १७२।

पुस्तकालय समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति। खं० १३६, पृ० ३१।

लाउड स्पीकर और पंखों की खराबी। खं० १३६, पृ० १२५।

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६, पृ० २८७–२९४।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाध्याय की प्रार्थना। खं० १३६, पृ० २९९।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १३६, पृ० २९९।

[अध्यक्ष, श्री—]

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ४०१, ४०२, ४०५, ५०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१७—४१८, ४२०, ४२१, ४२२, ४२४, ४२६।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९४, २९५—२९६, २९७—२९८।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना। खं० १३६, पृ० १९१।

श्री राजनारायण की कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १३६, पृ० १२५—१२७।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर——की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८९—३९०।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना। खं०, १३६, पृ० ३१।

स्थायी समितियों के निर्वाचन से नाम वापस लेने के समय में वृद्धि की सूचना। खं० १३६, पृ० ४०४—४०५।

अनुदान—

प्र० वि०—राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के——में कटौती। खं० १३६, पृ० ३८४।

अनुपूरक प्रश्नों—

——के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा 'प्रश्न नहीं उठता' कहने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय। खं० १३६, पृ० १२१—१२२।

अन्न—

प्र० वि०——की पैदावार में वृद्धि। खं० १३६, पृ० १७।

अपीलें—

प्र० वि०—आर० टी० ओ० द्वारा रद्द किये जाने वाले मोटर लाइसेंसों की आज्ञाओं के विरुद्ध——। खं० १३६, पृ० १९।

अब्दुल मुईज खां, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३४, ३५, ३६, १३४, १६७, १६९—१७०, १९२, १९३, २२५, २३४, ३०२।

अभाव—

प्र० वि०—जिला टेहरी गढ़वाल की नदियों की घाटियों में सिंचाई के साधनों का——। खं० १३६, पृ० १०६—१०७।

अभियोग—

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले में विद्यार्थी आन्दोलन के सम्बन्ध में विद्यार्थियों प——। खं० १३६, पृ० ३६७—३६८।

प्र० वि०—विधान सभा के सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी पर——और उनकी पेशी। खं० १३६, पृ० ३६९—३७१।

अमेरिकनों—

प्र० वि०— मथुरा जिले में-   -द्वारा धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाना और कुछ आर्य समाजियों की गिरफ्तारी। सं० १३६, पृ० ३६५-३६७।

अली जहीर, श्री सैयद—

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४। सं० १३६, पृ० ३३।

अवधेश प्रताप सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। सं० १३६, पृ० ३१२।

अस्पताल—

प्र० वि०——— के कार्यकाल में मेडिकल अफसरों को बाहर न जाने का आदेश। सं० १३६, पृ० १८४-१८५।

अहार परगने—

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले के——— में कच्ची सड़क का श्रमदान द्वारा निर्माण। सं० १३६, पृ० २७२-२७३।

आ

आई० पी० एस० अफसरों—

प्र० वि०—पुलिस विभाग में आबकारी विभाग से आगत——————— के प्रोबेशन की अवधि। सं० १३६, पृ० ३६८।

आज्ञाओं—

प्र० वि०—आर० टी० ओ० द्वारा रद्द किये जाने वाले मोटर लाइसेंसों की— के विरुद्ध अपीलें। सं० १३६, पृ० १९।

आडिट व्यवस्था—

प्र० वि०—राज्य की पंचायतों के लेखों की———। सं० १३६, पृ० १७९-१८०।

आदेश-

प्र० वि०—जगी प्रथा के सम्बन्ध में भारत सरकार का———। सं० १३६, पृ० १०२।

प्र० वि०—फैजाबाद के प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को सहायता देने का——— सं० १३६, पृ० ३७९।

आपत्ति—

प्र० वि०—साहित्य की प्रतियों के अंग्रेजी में प्रकाशन पर———। सं० १३६, पृ० ११३-११४।

आबकारी—

प्र० वि०———से आय। सं० १३६ पृ० १०९-११०।

आबकारी विभाग—

पुलिस विभाग में आगत आई० पी० एस० अफसरों के प्रोबेशन की अवधि। सं० १३६, पृ० ३६८।

आय-

प्र० वि०—आबकारी से———। सं० १३६, पृ० १०९-११०।

आर० टी० ओ०—

प्र० वि०———द्वारा रद्द किये जाने वाले मोटर लाइसेंसों की आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें। सं० १३६, पृ० १९।

आर्य-समाजियों—

प्र० वि०—मथुरा जिले में अमेरिकनों द्वारा धर्म परिवर्तन करा के ईसाई बनाना और कुछ——————की गिरफ्तारी। सं० १३६, पृ० ३६५-३६७।

आवश्यकता—

प्र० वि०—चौराहा कासगंज सड़क को पक्की करने की———। सं० १३६, पृ० १२०-१२१।

कम्युनिस्टों—

प्र० वि०—आजमगढ़ जिले मे——की गिरफ्तारी । खं० १३६, पृ० ३६१ ।

कम्हरिया सागर बांध—

प्र० वि०—जिला हमीरपुर मे——की मरम्मत । खं० १३६, पृ० १२३ ।

कर्मचारियों—

प्र० वि०—खाद्य विभाग मे——की छटनी । खं० १३६, पृ० १८५–१८६ ।

प्र० वि०—विलीनीकरण के पश्चात काशी राज्य के——का सरकारी नौकरी में लिया जाना । खं० १३६, पृ० २८३–२८४ ।

कर्मचारी—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में कलेक्शन विभाग के——। खं० १३६, पृ० १३–१४ ।

कलेक्टरी—

प्र० वि०—गाजीपुर—में विचाराधीन मुकद्दमें । खं० १३६, पृ० १४–१५ ।

प्र० वि०—लखनऊ——मे हरिजन क्लर्कों तथा चपरासियों की भर्ती । खं० १३६, पृ० २१–२२ ।

कलेक्शन विभाग—

प्र० वि०—जौनपुर जिले मे——के कर्मचारी । खं० १३६, पृ० १३–१४ ।

कांसिलिएशन आफिसर्स—

प्र० वि०—लेबर आफिसर्स तथा—— की नियुक्तियां और उनमें हरिजनों का अनुपात । खं० १३६, पृ० ३६५ ।

कागजात में सेहत—

प्र० वि०—महोबा एवं चरखारी के तहसीलदारों द्वारा——। खं० १३६, पृ० २९-३० ।

कामर्स—

राजकीय इंटर कालेज, रामपुर मे कक्षा ११ वीं में——की शिक्षा । खं० १३६ पृ० ३८६ ।

कारखाना—

प्र० वि०—मऊ (आजमगढ़) मे रंगाई व धुनाई का——। खं० १३६, पृ० २८४ ।

कार्य—

प्र० वि०—तहसील नकुड जिला सहारनपुर में नलकूपों का——। खं० १३६, पृ० ११८ ।

प्र० वि०—पंचवर्षीय योजना के अधीन लखनऊ जिले की उन्नति के । खं० १३६, पृ० २७३–२७४ ।

प्र० वि०—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील मे——। खं० १३६, पृ० २७७ ।

कार्यक्रम—

सदन के आगामी——के सम्बन्ध में सूचना । खं० १३६, पृ० ३२ ।

कार्यवाही—

प्र० वि०—कारीपाकर (सीतापुर) में डकैती और उस पर——। खं० १३६, पृ० ३८७ ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव—

श्री राजनारायण की कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी के सम्बंध में——की सूचना ।

खं० १३६, पृ० १२५–१२७ ।

काशीप्रसाद पांडेय, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर" ।

काशी राज्य—

प्र० वि०—विलीनीकरण के पश्चात् ——के कर्मचारियों का सरकारी नौकरी में लिया जाना। खं० १३६, पृ० २८३–२८४।

काश्तकारों—

प्र० वि०—बनारस जिले के शिकमी ——की बेदखली। खं० १३६, पृ० ५–६।

किसान—

प्र० वि०—बाराबंकी जिले के भूमिधर ——। खं० १३६, पृ० २६।

किसानों—

प्र० वि०—खाम स्टेट कोटद्वार तराई व भावर से —— को हिस्सेदार बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १९।

प्र० वि०—जिला रायबरेली के थाना सरेनी की पुलिस तथा ग्राम वनपुरवा मजरे रंजीतपुर के——में झगड़ा और उसमें गिरफ्तारियां। खं० १३६, पृ० ३७१–३७२।

कुंओं का निर्माण—

प्र० वि०—जिला बलिया में हरिजनों के लिए मकान तथा पीने के पानी के लिए सहायता एवं——। खं० १३६, पृ० ३८७–३८८।

कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ४७, ५०–५१, १३२–१३३, ३०२, ३०३, ३०४।

कृपाशंकर, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३७–३९, ५७, ५८–५९, १३४, १३९–१४०, ३०६, ३२६, ३२९, ३३०, ३३३।

कृषकों—

प्र० वि०—जिला मुफ्फरनगर में—— को ट्रैक्टरों के लिए तकावी। खं० १३६, पृ० १७।

कृषि-टैक्स—

प्र० वि०—मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों की मालगुजारी तथा——। खं० १३६, पृ० २९।

कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

कृष्णशरण आर्य, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९८।

केशभान राय, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ६१–६२।

केशवगुप्त, श्री—

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४०५–४०६।

कैदियों—

प्र० वि०—जौनपुर जेल में सजायाफ्ता विचाराधीन तथा जेल से भागे हुए—तथा उनमें हरिजनों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७७।

प्र० वि०—देवरिया लाक-घर में——की जगह। खं० १३६, पृ० ३७६।

कोटा—

प्र० वि०—फिरोजाबाद की लाइम फैक्ट्री को कोयले का——। खं० १३६, पृ० २८६।

कोयले—

प्र० वि०—फिरोजाबाद की लाइम फैक्ट्री को———का कोटा। खं० १३६, पृ० २८६।

क्षति—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में गोमती की बाढ़ से———खं० १३६ पृ० ६–८।

प्र० वि०—बनारस जिले के कसवार राजा परगने में ओले से———। खं० १३६, पृ० १५।

प्र० वि०—बस्ती जिले में अनेक गांवों की वर्षा से———। खं० १३६, पृ० २६।

प्र० वि०—मिलों में गन्ना न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में———। खं० १३६, पृ० २८६–२८७।

क्षेत्रफल—

प्र० वि०—धकड़ी मउनियां, जिला गोरखपुर के वन का———। खं० १३६, पृ० २८४।

ख

खराबी—

लाउडस्पीकर और पंखों की—। खं० १३६, पृ० १२५।

खांदी—

प्र० वि०—शारदा नहर, पुरवा जांच जिला रायबरेली में———के कारण किसानों को हानि। खं० १३६, पृ० ११२।

खाद्य विभाग—

प्र० वि०————में कर्मचारियों की छटनी। खं० १३६, पृ० १८५–१८६।

खाम स्टेट—

प्र० वि०———कोटद्वारा (गढ़वाल)———में जमीन का वितरण। खं० १३६, पृ० १८–१९।

खामस्टेट कोटद्वार—

प्र० वि०— ———तराई व भावर से किसानों को हिस्सेदार बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १९।

खुशीराम, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

खेती को हानि—

प्र० वि०—देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल में पानी भर जाने से। खं० १३६, पृ० १०।

ख्यालीराम, श्री—

देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

ग

गंगाधर मैठाणी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गंगा प्रसाद सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गजेन्द्र सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० २१७–२२०।

गज्जूराम—श्री

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गन्ना—

प्र० वि०—मिलों में———न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में क्षति। खं० १३६, पृ० २८६–२८७।

गन्ना फैक्टरियों—

प्र० वि०———के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से उत्पन्न दुष्परिणाम की जांच के लिए समिति का निर्माण तथा पानी को साफ करने के लिये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८२।

गन्ने——

प्र० वि०—— ——का मूल्य निश्चित करने के लिये सम्मेलन। खं० १३६, पृ० २८२–२८३।

प्र० वि०————के मूल्य का निर्धारण। खं० १३६, पृ० २६५–२६६।

गबन——

प्र० वि०——बनारस जिले में जमींदारी उन्मूलन कोष में——। खं० १३६, पृ० २८।

गर्रा का नाला——

प्र० वि०—जिला मथुरा की तहसील छाता से ——निकालने का कार्य। खं० १३६, पृ० ११७–११८।

गांव सभा——

प्र० वि०————की जमीनों को प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को देने का विचार। खं० १३६, पृ० २६८।

गांवों——

प्र० वि०——बस्ती जिले में अनेक—— को वर्षा से क्षति। खं० १३६, पृ० २९।

गिरफ्तारी——

प्र० वि०——आजमगढ़ जिले में कम्युनिस्टों की——। खं० १३६, पृ० ३६१।

कानपुर में श्री राजनारायण की—— के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना। खं० १३६, पृ० १२७।

प्र० वि०——देहली दरवाजे, अलीगढ़ में गोली चलने की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट करने वालों की ——। खं० १३६, पृ० ३८१।

श्री नारायणदत्त तिवारी की——से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १३६, पृ० २९९।

श्री नारायणदत्त तिवारी की——से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९७–२९८।

श्री नारायणदत्त तिवारी की——से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३७९–४०१, ४०५–४०६

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः——। खं० १३६, पृ० ३०।

श्री राजनारायण की पुनः————के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३२९–३३०।

श्री राजनारायण की पुनः——के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६, पृ० ३१।

गुंडों, बदमाशों——

प्र० वि०——उन्नाव जिले में थानेदार कत्ल और डाके, तथा——आदि की सूची। खं० १३६, पृ० ३८८।

गुड़——

प्र० वि०——नीरा से——बनाने की योजना। खं० १३६, पृ० २८६।

गुप्तचर पुलिस——

प्र० वि०————इन्सपेक्टरों और सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के वेतन-क्रम में अन्तर। खं० १३६, पृ० ३८२।

गुप्तार सिंह, श्री——

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गुरु प्रसाद, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

गृह निर्माण—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में बाढ़-पीड़ित ग्रामों को——के लिये सहायता। खं० १३६, पृ० २३६।

गृह व्यवस्था—

उत्तर प्रदेश औद्योगिक———विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३३।

गेंदा सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३४, ४३–४४, ६३–६५, ६७–६८, ६९, ७३, १२७–१२९, १६७–१६९, १९९–२०५, २२०–२२६, ३१२–३१५।

विधान सभा के सदस्य श्री नारायणदत्त तिवारी पर अभियोग और उनकी पेशी। खं० १३६, पृ० ३६९–३७१।

श्री नारायणदत्त की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९६, ४०१–४०३।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८९–३९०।

गोमती—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में——की बाढ़ से क्षति। खं० १३६, पृ० ६–८।

गोली—

प्र० वि०—देहली दरवाजे अलीगढ़ में ——चलने की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट करने वालों की गिरफ्तारी खं० १३६, पृ० ३८१।

गोवर्धन तिवारी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"

गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री—

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १३६, पृ० २९९।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय मे विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३९७–४०१, ४०३, ४०८, ४२५–४२६।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी खं० १३६, पृ० ३२।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध मे सूचना। खं० १३६, पृ० ३२।

ग्राम नियोजन—

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश नगर तथा ———पर व्यय। खं० १३६, पृ० २७७–२७८।

ग्राम रक्षा समितियों—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में——— का संगठन और ग्राम रक्षकों को बन्दूक के लाइसेंस। खं० १३६, पृ० ३८६।

ग्राम समितियां—
प्र० वि०—एटा जिले में ——और उनका डाकुओं से मुकाबिला। खं० १३६, पृ० ३८५।

ग्रामीण क्षेत्रों—
प्र० वि०——में पीने के पानी की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० १८८।

ग्रामों—
प्र० वि०—सरकार का——के मुखियों के पद को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३८४।

घ

घनश्याम दास, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

घोड़ा रोशन घास—
प्र० वि०—जौनपुर जिले में "—को नष्ट करने का प्रबंध। खं० १३६, पृ० १८।

च

चन्द्र सिंह रावत, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १५१–१५२।
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४२३–४२४।

चरण सिंह, श्री—
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४१८–४२०, ४२०–४२१, ४२२–४२३।

चाल-
प्र० वि०—मेरठ के सरकारी रोडवेज कारखाने द्वारा——की गई बसें। खं० १३६, पृ० ३०–३१।

चिकित्सालय भवन—
प्र० वि०—नानपारा तहसील थाना खेरी घाट के पास——का निर्माण। खं० १३६, पृ० १९०।

चित्तर सिंह निरंजन, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
प्र० वि०—सुभाषनगर से सम्बद्ध कोंच (जालौन) पुलिस स्टेशन से हिस्ट्री-शीटरों के रजिस्टर नम्बर का गायब होना। खं० १३६, पृ० ३८४।

चिरंजी लाल जाटव, श्री
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

चोरियां—
प्र० वि०—झांसी शहर (म्यूनिसिपल क्षेत्र) में——और उनकी रिपोर्ट। खं० १३६, पृ० ३८४।
प्र० वि०—थाना मेंहदावल जिला बस्ती में ——डकैतियां और हत्यायें। खं० १३६, पृ० ३७३।
प्र० वि०—मऊ थाना (आजमगढ़) में——और डकैतियां। खं० १३६, पृ० ३८८।

छ

छटनी—
प्र० वि०—खाद्य विभाग में कर्मचारियों की——। खं० १३६, पृ० १८५–१८६।

छूट—
प्र० वि०—लखनऊ जिले के बाढ़-पीड़ितों को लगान में——। खं० १३६, पृ० २८।

ज

जंगली गायों व बैलों—
प्र० वि०—झांसी जिले में-फसल को हानि। खं० १३६, पृ० १६।

जगन्नाथ प्रसाद, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"

जगन्नाथ मल्ल, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १५२।

जनाने अस्पताल--

प्र० वि०--सैदपुर में------ -की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०२।

जमींदारी उन्मूलन कोष--

प्र० वि०--बनारस जिले में------में गबन। खं० १३६, पृ० २८।

जमीन--

प्र० वि०--कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में----का वितरण। खं० १३६, पृ० १८-१९।

जमीनों--

प्र० वि०--गांव सभा की------को प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को देने का विचार। खं० १३६, पृ० २६८।

जयपाल सिंह, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ५३-५४, ५६, ५७।

जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ४६, ६२।

जल-व्यवस्था--

प्र० वि०--कनखल की कृष्णनगर कालोनी में-----। खं० १३६, पृ० १७८-१७९।

जुआड़ी--

प्र० वि०--हमीरपुर में गत वर्ष दिवाली के अवसर पर पकड़े गये------। खं० १३६, पृ० ३८३।

जूनियर स्कूलों--

प्र० वि०--गांव सभा की जमीनों को प्राइमरी व----को देने का विचार। खं० १३६, पृ० २६८।

जूनियर हाई स्कूलों--

प्र० वि०--फैजाबाद के प्राइवेट------को सहायता देने का आदेश। खं० १३६, पृ० ३७९।

जूरी प्रथा--

प्र० वि०-----के संबंध में भारत सरकार का आदेश। खं० १३६, पृ० १०२।

जेल--

प्र० वि०--जौनपुर-----में सजायाफ्ता विचाराधीन तथा जेल से भागे हुये कैदी तथा उनमें हरिजनों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७७।

जेल ट्रेनिंग स्कूल--

प्र० वि०--लखनऊ -----के विद्यार्थियों की मुख्य जेलों के अध्ययन के लिये यात्रा और उस पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३८१-३८२।

जोरावर वर्मा, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३४, ५१-५२, ६१, १४८, ३०५-३०७, ३०८-३०९, ३१५-३१६, ३२५-३२६, ३२७, ३२८-३२९, ४२६-४२८।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९७।

सदन के आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना। खं० १३६, पृ० ३२।

झ

झारखंडे राय, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३१६–३१७।

झील—

प्र० वि०—बखिरा (बस्ती) ——से नहर निकालने का कार्य। खं० १३६, पृ० १०७–१०८।

ट

टी० बी० के टीके—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में——। खं० १३६, पृ० १८१–१८२।

टेंडर—

प्र० वि०—कानपुर शहर में ईंधन सप्लाई के——। खं० १३६, पृ० १९०–१९१।

टेस्ट वर्क—

प्र० वि०—देवरिया जिले मे तरया सुजान के——का बन्द होना। खं० १३६, पृ० २४–२५।

प्र० वि——पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें। खं० १३६, पृ० २२–२४।

ट्रांस राप्ती क्षेत्र—

प्र० वि०—जिला गोंडा में——मे विकास कार्य की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० २७५–२७६।

ट्रैक्टरों—

प्र० वि०—जिला मुजफ्फरनगर मे कृषकों को ——के लिये तकावी। खं० १३६, पृ० १७।

ड

डकैतियां—

प्र० वि०—फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज तथा कम्पिल में गत वर्ष ——, कत्ल, राहजनी तथा चोरियां। खं० १३६, पृ० ३८३–३८४।

प्र० वि०—मऊ थाना (आजमगढ़) में चोरियां और ——। खं० १३६, पृ० ३८८।

डकैतियां और हत्यायें—

प्र० वि०—थाना मेंहदावल जिला बस्ती में चोरियां, ——। खं० १३६, पृ० ३७३।

डकैतियों—

प्र० वि०—जौनपुर जिले के ग्राम पांडेपुर तथा समस्त जिले में————की संख्या। खं० १३६, पृ० ३६०–३६१।

डकैतियों व कत्लों—

प्र० वि०—आगरा जिले में ——की दर्ज रिपोर्ट। खं० १३६, पृ० ३७८–३७९।

डकैती—

प्र० वि०—कारीपाकर (सीतापुर) में ——और उस पर कार्यवाही। खं० १३६, पृ० ३८७।

डाकुओं—

प्र० वि०—एटा जिला मे ग्राम समितिय और उनका ——से मुकाबिला। खं० १३६, पृ० ३८५।

डाके—

प्र० वि०—मौजा डीह, जिला रायबरेली में——से एक व्यक्ति की मृत्यु। खं० १३६, पृ० ३७६।

डाके और कत्ल—

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले में प्रत्येक थाने के अन्तर्गत ——। खं० १३६, पृ० ३६४–३६५।

डैक—
प्र० वि०—बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर——बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १०८–१०९।

त

तकावी—
प्र० वि०—जिला मुजफ्फरनगर में कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये——। खं० १३६, पृ० १७।

तराई व भावर—
प्र० वि०—खास स्टेट कोटद्वारा ——से किसानों को हिस्सेदार बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १९।

तराई स्टेट फार्म—
प्र० वि०——के संबंध में पूछताछ। खं० १३६, पृ० ८–९।

तहसील—
प्र० वि०—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की ——में कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।

तहसीलदारों—
प्र० वि०—महोबा एवं चरखारी के ——द्वारा कागजात में सेहत। खं० १३६, पृ० २९–३०।

ताड़ी और नीरा—
प्र० वि०—निर्मद्य क्षेत्रों में——बेचने की सुविधा। खं० १३६, पृ० ११५।

तेज प्रताप सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १९६–१९८, १९९, ३०९–३१०, ३२१–३२२, ३२६, ४३१।

तेजा सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

थ

थाना कर्मचारियों—
प्र० वि०—थाना ईसानगर जिला खीरी का भवन और——के लिये क्वार्टर। खं० १३६, पृ० ३७३–३७४।

थाने—
प्र० वि०—गाजीपुर के बिरनों ——की इमारत नई बनवाने की योजना। खं० १३६, पृ० ३७४।
प्र० वि०—चन्दौसी (मुरादाबाद) में ——के समीप लगभग दो बजे दिन के तीन हत्यायें। खं० १३६, पृ० ३८५–३८६।
प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले के प्रत्येक ——में पुलिस कर्मचारियों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७७।
प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले में प्रत्येक ——के अन्तर्गत डाके और कत्ल। खं० १३६, पृ० ३६४–३६५।

द

दरें—
प्र० वि०—टेस्ट वर्क्स पर दी जाने वाली मजदूरी की——। खं० १३६, पृ० २२–२४।

दल बहादुर सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दाताराम, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दिवाली—
प्र० वि०—हमीरपुर में गत वर्ष ——के अवसर पर पकड़े गये जुआड़ी। खं० १३६, पृ० ३८३।

दीनदयालु शास्त्री, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दुकानें—
प्र० वि०—जिला मुरादाबाद में देशी व विलायती शराब की——। खं० १३६, पृ० १२५।

देवकी नन्दन विभव, श्री—
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० २१३—२१४।

देवदत्त मिश्र, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० २१४—२१७।

देवमूर्तिराम, श्री
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

देशी व विलायती शराब—
प्र० वि०—जिला मुरादाबाद में——की दुकानें। खं० १३६, पृ० १२५।

द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री—
उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ६०—६१।
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४१३—४१५।
देखिये "प्रश्नोत्तर"

ध

धर्मदत्त वैद्य, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर।

धर्म सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश पचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३३१—३३२, ४३४ ४३५—४३६।

धुनाई—
प्र० वि०—मऊ (आजमगढ़) में रंगाई व——का कारखाना। खं० १३६, पृ० २८४।

न

नगर—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश——नया ग्राम नियोजन पर व्यय। खं० १३६, पृ० २७७—२७८।

नगरपालिका—
प्र० वि०——मेरठ में सहायक हाजिरी अफसर के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये सरकारी आदेश। खं० १३६, पृ० ३८२—३८३।
प्र० वि०—हाथरस नगर में पैविलियन के लिये——को ग्रांट। खं० १३६, पृ० ३८१।

नत्थियां—
खं० १३६, पृ० ७४—९५, १७३, २३६—२६०, ४३७—४३८।

नत्थू सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नरैनी-कालिंजर सड़क—
प्र० वि०—बांदा जिले में——पर पुल निर्माण योजना। खं० १३६, पृ० ११०।

नलकूप—
प्र० वि०—गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले——। खं० १३६, पृ० १२३।
प्र० वि०—हाथरस तहसील में बनने वाले शेष——। खं० १३६, पृ० १२२।

नलकूपों—
प्र० वि०—आजमगढ़ तथा गाजीपुर जिलों के लिये——का वितरण। खं० १३६, पृ० १२४—१२५।
प्र० वि०—तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर में——का कार्य। खं० १३६, पृ० ११८।
प्र० वि०—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में——का निर्माण। खं० १३६, पृ० १०३—१०४।

[नलकूपों--]

प्र० वि०--मुजफ्फरनगर जिले में----का निर्माण। खं० १३६, पृ० १११-११२।

नवलकिशोर, श्री--

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १६५४। खं० १३६, पृ० २१०-२१३।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४१२-४१३।

नष्ट--

प्र० वि०--जौनपुर जिले में "घोड़ा रोशन घास" को----करने का प्रबन्ध--। खं० १३६, पृ० १८।

नहर--

प्र० वि०--तहसील सलोन, जिला रायबरेली में----के विस्तार की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०७।

प्र० वि०--बखिरा (बस्ती) झील से निकालने का कार्य। खं० १३६, पृ० १०७-१०८।

प्र० वि०--सुल्तानपुर जिले में---की खुदाई के लिये अधिकृत भूमि। खं० १३६, पृ० १०४-१०५।

नागेश्वर द्विवेदी, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

नाम-निर्देशनों--

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त ----के संबंध में सूचना। खं० १३६, पृ० २८७-२६४।

नारायण दत्त तिवारी, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

----की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १३६, पृ० २६६।

----की गिरफ्तारी से संबद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३६०-४०४, ४०५-४२६।

----की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २६४-२६८।

----द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

नाव-दुर्घटना--

प्र० वि०--गंगा नदी में जवहीं घाट पर ----। खं० १३६, पृ० १८७-१८८।

नियमों तथा आदेशों--

प्र० वि०--भूमि संबंधी समस्त ----के सहित प्रकाशन की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ६।

नियोजन--

प्र० वि०--जिला मेरठ में विकास तथा ----पर व्यय। खं० १३६, पृ० २७८-२७६।

निर्धारण--

प्र० वि०--गन्ने के मूल्य का---। खं० १३६, पृ० २६५-२६६।

निर्मद्य क्षेत्रों--

प्र० वि०----में ताड़ी और नीरा बेचने की सुविधा। खं० १३६, पृ० ११५।

निर्माण--

प्र० वि०--आजमगढ़ जिले में मऊ कासिमाबाद सड़क का ----। खं० १३६, पृ० १२४।

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले के अहार परगने में कच्ची सड़क का श्रमदान द्वारा —। खं० १३६, पृ० २७२–२७३।
प्र० वि०—मधुबन (आजमगढ़) में एलोपैथिक अस्पताल का —। खं० १३६, पृ० ३५६–३६०।
प्र० वि०—मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री के —के लिये विदेशी सलाहकार। खं० १३६, पृ० २६६–२६८।
प्र० वि०—मुजफ्फरनगर जिले में नलकूपों का—। खं० १३६, पृ० १११–११२।
प्र० वि०—रितणी लाल-बर्नाजिया देवी सड़क पर लट्ठों के पुल का—। खं० १३६, पृ० १२२–१२३।

निर्माण कार्य—
प्र० वि०—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में —की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० २७४–२७५।

निर्वाचन—
वित्त समिति सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के—में प्राप्त नाम-निर्देशनों के संबंध में सूचना। खं० १३६, पृ० २८७–२९४।
स्थायी समितियों के —से नाम वापस लेने के समय में वृद्धि की सूचना। खं० १३६, पृ० ४०४–४०५।

निर्वाचन का कार्यक्रम—
कतिपय स्थायी समितियों के—। खं० १३६, पृ० १७२।

नीरा—
प्र० वि०—से गुड़ बनाने की योजना। खं० १३६, पृ० २८६।

नीलाम—
प्र० वि०—जिला नैनीताल की टनकपुर मंडी में प्लाटों का —। खं० १३६, पृ० १५–१६।

नेकराम शर्मा, श्री—
अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा "प्रश्न नहीं उठता" कहने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय। खं० १३६, पृ० १२१।

नेत्रपाल सिंह, श्री—
देखिये 'प्रश्नोत्तर"

नेहरू लियाकत पैक्ट—
प्र० वि०—के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आने वाले तथा यहां से जाने वाले मुसलमानों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७४–३७५।

नौरंगलाल, श्री—
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३९७।

प

पंचवर्षीय योजना—
प्र० वि०—के अधीन लखनऊ जिले की उन्नति के कार्य। खं० १३६, पृ० २७३–२७४।
प्र० वि०—के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में नलकूपों का निर्माण। खं० १३६, पृ० १०३–१०४।
प्र० वि०—के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में निर्माण कार्य की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० २७४–२७५।
प्र० वि०—के अन्तर्गत रुड़की तहसील में कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।
प्र० वि०—द्वितीय —। खं० १३६, पृ० २८६।

पंचायत के सरपंच—
प्र० वि०—देवरिया जिले में दुहेही अदालत —की मुअत्तली। खं० १३६, पृ० १८०–१८१।

पंचायत घरों—

प्र० वि०——के लिये "आवाज" रेडियो। खं० १३६, पृ० १८७।

पंचायत मंत्रियों—

प्र० वि०—बलिया में——को वेतन मिलने में विलम्ब। खं० १३६, पृ० १८०।

पंचायत राज—

प्र० वि०——इन्सपेक्टरों के रिक्त स्थान और उन पर नियुक्तियां। खं० १३६, पृ० ३५९।

उत्तर प्रदेश ——(संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३३–७३, १२७–१७१, १९२–२३५, –२९९, ३००–३३४, ४२६–४३६।

उत्तर प्रदेश ——(संशोधन) विधेयक, १९५४ को १२ मई, १९५४ तक पारित करने के संबंध में प्रस्ताव की सूचना। खं० १३६, पृ० ४०५।

पंचायतों के लेखों—

प्र० वि०—राज्य की————की आडिट व्यवस्था। खं० १३६, पृ० १७९–१८०।

पंडित के ताल—

प्र० वि०—देवरिया जिले के ग्राम बेलपार ——में पानी भर जाने से खेती को हानि। खं० १३६, पृ० १०।

पक्की—

प्र० वि०—चौराहा कासगंज सड़क को —करने की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १२०–१२१।

पक्की सड़क—

प्र० वि०—जिला बदायूं में सहसवान से गिन्नौर तक——की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १८५।

पक्की सड़कें—

प्र० वि०—जिला हमीरपुर में निर्माण की गई——। खं० १३६, पृ० १२२।

पद—

प्र० वि०—सरकार का ग्रामों के मुखियों के——को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३८४।

पद्मनाथ सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १४५–१४६।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४०६–४०८।

परमिट—

प्र० वि०—कानपुर रीजन में मोटर ट्रकों व प्राइवेट लारियों के——। खं० १३६, पृ० ३०।

परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री—

देखिये प्रश्नोत्तर"।

परीक्षाओं—

प्र० वि०—हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट की——में अनुचित तरीकों का प्रयोग। खं० १३६, पृ० २६९–२७०।

पशु–चिकित्सालय—

प्र० वि०—मडियाहूं तहसील में—— की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०।

पश्चिमी क्षेत्र—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले के——में बनने वाले नलकूप। खं० १३६, पृ० १२३।

पहाड़ी क्षेत्रों—

प्र० वि०—मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिलों के——के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें। खं० १३६, पृ० २८०–२८१।

पाकिस्तान—

प्र० वि०—नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद ——से उत्तर प्रदेश में आने वाले तथा यहां से जाने वाले मुसलमानों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७४–३७५।

पानीराम, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

पानी—

प्र० वि०—देवरिया जिलेके ग्राम बेलपार पंडित के ताल में——भर जाने से खेती को हानि। खं० १३६, पृ० १०।

पी० ए० सी०—

प्र० वि०—नैपाल भेजी गयी ——की यूनिटों पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३७८।

पी० डब्ल्यू० डी०—

प्र० वि०—जिला बोर्ड बस्ती को——द्वारा वापस की हुई सड़कें। खं० १३६, पृ० ११०–१११।

पीने के पानी—

प्र० वि०—ग्रामीण क्षेत्रों में——की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० १८८।

पुत्तूलाल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

पुरवा ब्रांच—

प्र० वि०—शारदा नहर, ——, जिला रायबरेली में खांदों के कारण किसानों को हानि। खं० १३६, पृ० ११२।

पुल—

प्र० वि०—जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर——की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ११५।

प्र० वि०—बांदा जिले में नरैनी कालिजर सड़क पर ——निर्माण योजना। खं० १३६, पृ० ११०।

पुलिस—

प्र० वि०—गाजीपुर की जमानिया तहसील में ——द्वारा चलाये गये मुकदमे और उनसे [illegible] खं० १३६, पृ० ३३२

प्र० वि०—गाजीपुर शहर में मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा तथा——के विरुद्ध शिकायत। खं० १३६, पृ० ३३१

प्र० वि०—जिला रायबरेली के थाना सरेनी की——तथा ग्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुर के किसानों में झगड़ा और उसमें गिरफ्तारियां। खं० १३६, पृ० ३३१–३३२।

प्र० वि०—डाकू मान सिंह के गिरोह का झांसी की ———— के घेरे से निकलना। खं० १३६, पृ० ३७५–३७६।

पुलिस कर्मचारियों—

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले के प्रत्येक थाने में ——की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७७।

पुलिस चौकी—

प्र० वि०—मेंहदावल (बस्ती) के कछार में जनहित एवं कृषि रक्षा के लिये ——। खं० १३६, पृ० ३७३।

पुलिस विभाग—

प्र० वि०——में आबकारी विभाग से आगत आई० पी० एस० अफसरों के प्रोबेशन की अवधि। खं० १३६, पृ० ३६८।

पुलिस सब-इन्सपेक्टर—

प्र० वि०—जिला मुरादाबाद में चार वर्षों से अधिक समय वाले ——ब इन्सपेक्टर। खं० १३६, पृ० ३८५।

पुलिस स्टेशन—

प्र० वि०—सुभाषनगर से सम्बद्ध कोंच (जालौन) ——से हिस्ट्रीशीटरों के रजिस्टर नम्बर का गायब होना। खं० १३६, पृ० ३८४।

पुस्तकालय समिति—

——के रिक्त स्थानों की पूर्ति। खं० १३६, पृ० ३१।

पूछताछ--

प्र० वि०--तराई स्टेट फार्म के संबंध में------। खं० १३६, पृ० ८-९।

पूर्ति--

पुस्तकालय समिति के रिक्त स्थानों की ------। खं० १३६, पृ० ३१।

पशन--

प्र० वि०--राजनैतिक पीड़ितों को------। खं० १३६, पृ० २८४।

पैदावार--

प्र० वि०--अन्न की-----में वृद्धि। खं० १३६, पृ० १७।

पैविलियन--

प्र० वि०--हाथरस नगर में -----के लिये नागरपालिका को ग्रांट। खं० १३६, पृ० ३८१।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी--

प्र० वि०--ग्राम असलाई (आजमगढ़) में-----द्वारा आयोजित सभा का भंग किया जाना। खं० १३६, पृ० ३६१-३६४।

प्र० वि०------, जिला गाजीपुर के मंत्री श्री दल श्रृंगार दुबे पर आक्रमण की जांच। खं० १३६, पृ० ३६८-३६९।

प्रतापगढ़-सागीपुर सड़क--

प्र० वि०------ पर व्यय। खं० १३६, पृ० १२३।

प्रतिवेदन--

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का------। खं० १३६, पृ० २९९।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के ------पर विचार। खं० १३६, पृ० २९४-२९८।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के ------पर विचार। खं० १३६, पृ० ३७९-४०४, ४०५-४२६।

श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से संबद्ध विशेषाधिकार समिति के ------पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

प्रबन्ध--

प्र० वि०--जौनपुर जिले में "घोड़ा रोशन घास" को नष्ट करने का----। खं० १३६, पृ० १८।

प्र० वि०--तहसील जसराना, जिला मैनपुरी में सिंचाई का--। खं० १३६, पृ० ११६।

प्रयोग--

प्र० वि०--हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट की परीक्षाओं में अनुचित तरीकों का-----। खं० १३६, पृ० २६९-२७०।

प्रश्न--

श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के------ से संबद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ़तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

'प्रश्न नहीं उठता'--

अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा ------कहने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय। खं० १३६, पृ० १२१-१२२।

प्रश्नोत्तर

इसराहल हक, श्री--

फिरोजाबाद की लाइम फैक्ट्री को कोयले का कोटा। खं० १३६, पृ० २८६।

सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट फिरोजाबाद का हेड क्वार्टर। खं० १३६, पृ० २८५-२८६।

उमाशंकर, श्री--

आजमगढ़ तथा गाजीपुर जिलों के लिये नलकूपों का वितरण। खं० १३६, पृ० १२४-१२५।

कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री—

लखनऊ कलेक्टरी में हरिजन क्लर्कों तथा चपरासियों की भर्ती। खं० १३६, पृ० २१–२२

कमला सिंह, श्री—

मैदपुर में जनाने अस्पताल की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०२।

काशीप्रसाद पांडेय, श्री—

सुलतानपुर जिले में सहकारी नलकूप। खं० १३६, पृ० १०४।

कृष्ण चन्द्र शर्मा श्री—

डाकू मान सिंह के गिरोह का झांसी की पुलिस के घेरे से निकलना। खं० १३६, पृ० ३७५–३७६।

कृष्णशरण आर्य, श्री—

रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसीलों में ओले से हानि। खं० १३६, पृ० २७।

खुशीराम, श्री—

जिला नैनीताल की टनकपुर मंडी में प्लाटों का नीलाम। खं० १३६, पृ० १५–१६।

ख्यालीराम, श्री—

जिला मुरादाबाद में चार वर्षों से अधिक समय वाले पुलिस सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर। खं० १३६, पृ० ३८५।

गंगाधर मैठाणी, श्री—

कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन का वितरण। खं० १३६, पृ० १८–१९।

नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आनेवाले तथा यहां से जाने वाले मुसलमानों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७४–३७५।

गंगाधर शर्मा, श्री—

कारीपाकर (सीतापुर) में डकैती और उस पर कार्यवाही। खं० १३६, पृ० ३८७।

गंगा प्रसाद सिंह, श्री—

जिला बलिया में हरिजनों के लिये मकान तथा पीने के पानी के लिये नलकूप एवं कुओं का निर्माण। खं० १३६, पृ० ३८७–३८८।

बलिया में पंचायत मंत्रियों को वेतन मिलने में विलम्ब। खं० १३६, पृष्ठ १८०।

गज्जूराम, श्री—

जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर पुल की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ११५।

गुप्तार सिंह, श्री—

जिला रायबरेली के थाना नरेनी की पुलिस तथा ग्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुर के किसानों में झगड़ा और उसमें गिरफ्तारियां। खं० १३६, पृ० ३७१–३७२।

गुरु प्रसाद, श्री—

सुल्तानपुर जिले में नहर की खुदाई के लिये अधिकृत भूमि। खं० १३६, पृ० १०४–१०५।

गेंदा सिंह, श्री—

गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिये सम्मेलन। खं० १३६, पृ० २८२–२८३।

गन्ने के मूल्य का निर्धारण। खं० १३६, पृ० २६५–२६६।

टेस्ट वर्क पर दी जाने वाली मजदूरी की दरें। खं० १३६, पृ० २२–२४।

फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज तथा कम्पिल में गत वर्ष डकैतियां, कत्ल, राहजनी तथा चोरियां। खं० १३६, पृ० ३८३–३८४।

बनारस जिले के शिकमी काश्तकारों की बेदखली। खं० १३६, पृ० ५–६।

भूमि संबंधी समस्त नियमों तथा आदेशों के संहित प्रकाशन की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ६।

[प्रश्नोत्तर]

गोवर्द्धन तिवारी, श्री--

राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान में कटौती। खं० १३६, पृ० ३८४।

घनश्याम दास, श्री--

बाराबंकी जिले के भूमिधर किसान। खं० १३६, पृ० २६।

चन्द्र सिंह रावत, श्री--

खाम स्टेट कोटद्वारा तराई व भावर से किसानों को हिस्सेदार बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १६।

चिरंजी लाल जाटव, श्री--

एटा गंजडुंडवाड़ा सड़क का सुधार। खं० १३६, पृ० १८६।

जगन्नाथ प्रसाद, श्री--

थाना ईसानगर जिला खीरी का भवन और थाना कर्मचारियों के लिये क्वार्टर। खं० १३६, पृ० ३७३-३७४।

जोरावर वर्मा, श्री--

पकड़ी नउनियां, जिला गोरखपुर के वन का क्षेत्रफल। खं० १३६, पृ० २८४।

महोबा एवं चरखारी के तहसीलदारों द्वारा कागजात में सेहत। खं० १३६, पृ० २६-३०।

राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन। खं० १३६, पृ० २८४।

विधायक निवासों के फर्राशों तथा लिफ्टमैनों में हरिजनों को न लेना। खं० १३६, पृ० ११३।

झारखंडेराय, श्री--

आजमगढ़ जिले में कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३६१।

खाद्य विभाग में कर्मचारियों की छटनी। खं० १३६, पृ० १८५-१८६।

गांव सभा की जमीनों को प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को देने का विचार। खं० १३६, पृ० २६८।

नेपाल भेजी गई पी० ए० सी० की यूनिटों पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३७८।

बस्ती जिले मे राप्ती के किनारे बने हुये बांध पर व्यय। खं० १३६, पृ० ११६-११७।

भट्टहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट के विरुद्ध शिकायत। खं० १३६, पृ० २८२।

भूदान यज्ञ में दी गई भूमि। खं० १३६, पृ० १०-१२।

विधान भवन को एयर कंडीशन्ड कराने की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०१।

शिक्षा पुनः संगठन योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३७७-३७८।

तेज प्रताप सिंह, श्री--

जिला हमीरपुर में कम्हरिया सागर बांध की मरम्मत। खं० १३६, पृ० १२३।

तेजा सिंह, श्री--

आगरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई के लिये हिन्डन नदी पर बांध की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ११८।

दल बहादुर सिंह, श्री--

तहसील सलोन, जिला रायबरेली में नहर के विस्तार की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०७।

मौजा डीह, जिला रायबरेली में डाके से एक व्यक्ति की मृत्यु। खं० १३६, पृ० ३७६।

लखनऊ और फैजाबाद डिवीजन के सुपरवाइजर कानूनगो। खं० १३६, पृ० १९-२१।

दाताराम, श्री--

तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में नलकूपों का कार्य। खं० १३६ पृ० ११८।

दीन दयालु शास्त्री, श्री--

कानपुर की कृष्णनगर कालोनी में जल-व्यवस्था। खं० १३६, पृ० १७८-१७९।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील में कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।

देवदत्त मिश्र, श्री--

उन्नाव जिले में थानेवार कत्ल और डाके, तथा गुंडों, बदमाशों आदि की सूची। खं० १३६, पृ० ३८८।

देवमूर्ति राम, श्री--

बनारस जिले के कमवार राजा परगने में ओले से क्षति। खं० १३६, पृ० १५।

देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री--

गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले नलकूप। खं० १३६, पृ० १२३।

द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री--

गोरखपुर जिले में वन विभाग की सड़कों पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही। खं० १३६, पृ० २७९-२८०।

गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधी बिल। खं० १३६, पृ० ३८१।

धर्मदत्त वैद्य, श्री--

रामनगर में फूड प्रिजर्वेशन फैक्ट्री की योजना। खं० १३६, पृ० २८५।

धर्म सिंह, श्री--

अन्न की पैदावार में वृद्धि। खं० १३६, पृ० १७।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में नलकूपों का निर्माण। खं० १३६, पृ० १०३-१०४।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में निर्माण कार्य की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० २७४-२७५।

बु[illegible] में शहर बनाने में कच्ची सड़क का अनुदान द्वारा निर्माण। खं० १३६, पृ० २७२-२७३।

बुलन्दशहर जिले के [illegible] थाने के अन्तर्गत डाके और कत्ल। खं० १३६, पृ० ३६४-३६५।

राज्य की पंचायतों के लेखों की आडिट व्यवस्था। खं० १३६, पृ० १७९-१८०।

नन्थू सिंह, श्री--

जिला बरेली में बन्दूक, राइफल और रिवाल्वर के लाइसेन्स। खं० १३६, पृ० ३३६-३३७।

नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री--

१९४७ में हाथरस में सामूहिक जुर्माने की धनराशि और उसका व्यय किया जाना। खं० १३६, पृ० ३८७।

हाथरस तहसील में बनने वाले शेष नल-कूप। खं० १३६, पृ० १२२।

नागेश्वर द्विवेदी, श्री--

जौनपुर जिले में "घोड़ा रोशन घास" को नष्ट करने का प्रबन्ध। खं० १३६, पृ० १८।

जौनपुर जिले में बाढ़-पीड़ित ग्रामों को गृह निर्माण के लिये सहायता। खं० १३६, पृ० २८।

नारायण दत्त तिवारी, श्री--

तराई स्टेट फार्म के संबंध में पूछताछ। खं० १३६, पृ० ८-९।

नेत्रपाल सिंह, श्री--

चौराहा कासगंज सड़क को पक्की करने की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १२०-१२१।

परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री--

लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल के विद्यार्थियों की मुख्य जेलों के अध्ययन के लिये यात्रा और उस पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३८१-३८२।

[प्रश्नोत्तर]

पातीराम, श्री—

निर्मद्य क्षेत्रों में ताड़ी और नीरा बेचने की सुविधा। खं० १३६, पृ० ११५।

पुत्तूलाल, श्री—

आगरा जिले मे डकैतियों व कत्लों की दर्ज रिपोर्ट। खं० १३६, पृ० ३७८—३७९।

उत्तर प्रदेश मे हरिजन उत्थान के लिये १९५३—५४ में सोशल वर्कर्स की नियुक्ति एवं उन पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३८८।

लेबर आफिसर्स तथा कांसिलियेशन आफिसर्स की नियुक्तियां और उनमें हरिजनों का अनुपात। खं० १३६, पृ० ३६५।

फजलुलहक, श्री—

राजकीय इन्टर कालिज, रामपुर मे कक्षा ११वीं मे कामर्स की शिक्षा। खं० १३६, पृ० ३८६।

बद्रीनारायण मिश्र, श्री—

देवरिया जिले के ग्राम बेलपार पंडित के ताल मे पानी भर जाने से खेती को हानि। खं० १३६, पृ० १०।

मथुरा जिले मे अमेरिकनों द्वारा धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाना और कुछ आर्य समाजियों की गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३६५—३६७।

बलदेव सिंह, श्री—

गुप्तचर पुलिस इन्सपेक्टरों और सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के वेतन क्रम में अन्तर। खं० १३६, पृ० ३८२।

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री—

जिला गोंडा में ट्रांस राप्ती क्षेत्र में विकास कार्य की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० २७५—२७६।

बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर डेक बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १०८—१०९।

बलवन्त सिंह, श्री—

मुजफ्फरनगर जिले मे नल-कूपों का निर्माण। खं० १३६, पृ० १११—११२।

मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा सहारनपुर जिलो की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स। खं० १३६, पृ० २९।

बसन्त लाल शर्मा, श्री—

नानपारा तहसील, थाना खेरीघाट के पास चिकित्सालय भवन का निर्माण। खं० १३६, पृ० १९०।

बहराइच जिले मे सरयू नदी से नहर निकालने की योजना। खं० १३६, पृ० १२३—१२४।

बाबूनन्दन, श्री—

जौनपुर जिले के ग्राम पांडेपुर तथा समस्त जिले मे डकैतियों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३६०—३६१।

जौनपुर जिले मे कलेक्शन विभाग के कर्मचारी। खं० १३६, पृ० १३—१४।

जौनपुर जिले में गोमती की बाढ़ से क्षति। खं० १३६, पृ० ६—८।

जौनपुर जेल मे सजायाफ्ता, विचाराधीन तथा जेल से भागे हुए कैदी तथा उनमें हरिजनों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७७।

नीरा से गुड़ बनाने की योजना। खं० १३६ पृ० २८६।

बाबूराम गुप्त, श्री—

एटा जिले में ग्राम समितियां और उनका डाकुओं से मुकाबला। खं० १३६, पृ० ३८५।

बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री—

गंगानदी मे जबहीं घाट पर नाव-दुर्घटना। खं० १३६, पृ० १८७—१८८।

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री—

कानपुर शहर मे ईंधन सप्लाई के टेंडर खं० १३६, पृ० १९०—१९१।

प्रदेशीय मालखानों में प्राहिबिटेड बोर के हथियार तथा उनकी परिभाषा। खं० १३६, पृ० ३८०।

भगवानदीन बाल्मीकि, श्री—

प्रदेश व्यापी मेहतर हड़ताल। खं० १३६, पृ० १७६।

भगवान सहाय, श्री—

मिर्जापुर सीमेन्ट फैक्टरी के निर्माण के लिये विदेशी सलाहकार। खं० १३६, पृ० २६६–२६८।

भोलासिंह यादव, श्री—

गाजीपुर की जमानिया तहसील में पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमे और उनमें सजाएं। खंड १३६, पृ० ३७२।

गाजीपुर शहर में मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायत। खं० १३६, पृ० ३७१।

मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री—

अस्पताल के कार्यकाल में मेडिकल अफसरों को बाहर न जाने का आदेश। खं० १३६, पृ० १८४–१८५।

मदनमोहन उपाध्याय श्री—

भेड़िया बालक रामू के लिये बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में प्रबन्ध। खं० १३६, पृ० १८९–१९०।

मन्नीलाल गुरुदेव, श्री—

जिला हमीरपुर में निर्माण की गई पक्की सड़कें। खंड १३६, पृ० १२२।

सरकार का ग्रामों के मुखियों के पद को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३८४।

हमीरपुर में गत वर्ष दिवाली के अवसर पर पकड़े गये जुआड़ी। खं० १३६, पृ० ३८३।

मलखान सिंह, श्री—

जूरी प्रथा के सम्बन्ध में भारत सरकार का आदेश। खं० १३६, पृ० १०२।

महीलाल, श्री—

आबकारी से आय। खं० १३६, पृ० १०९–११०।

चन्दौसी (मुरादाबाद) में थाने के समीप लगभग दो बजे दिन के तीन हत्याएं। खंड १३६, पृ० ३८५–३८६।

जिला मुरादाबाद में देशी व विलायती शराब की दूकानें। खंड १३६, पृ० १२५।

मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में ओलों से हानि। खं० १३६, पृ० २४।

मुश्ताक अली, श्री—

जिला बदायूं में सहसवान से गिन्नौर तक पक्की सड़क की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० २८५।

यमुनासिंह, श्री—

गाजीपुर कलेक्टरी में विचाराधीन मुकदमे। खं० १३६, पृ० १४–१५।

गाजीपुर के बिरनी थाने की इमारत नई बनवाने की योजना। खं० १३६, पृ० ३७४।

रघुराज सिंह, श्री—

जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में विकास कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री—

उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन पर व्यय। खं० १३६, पृ० २७७–२७८।

जौनपुर जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन और ग्रामों रक्षक को बन्दूक के लाइसेंस। खं० १३६, पृ० ३८६।

जौनपुर जिले में टी० बी० के टीके। खं० १३६, पृ० १८१–१८२।

जौनपुर जिले में रामपुर बाजार-परिचत बाजार सड़क में ली गयी भूमि का मुआविजा। खं० १३६, पृ० ११७।

मड़ियाहू के अन्तर्गत सीतापुर ग्राम में महिला चिकित्सालय की मांग। खं० १३६, पृ० १८२।

मड़ियाहूं तहसील में पशु चिकित्सालय की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०।

[प्रश्नोत्तर]

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री—

बसन्त कन्या इंटर कालेज, कमक्षा, शहर बनारस का स्थानान्तरण। खं० १३८, पृ० ३८७।

शिवराज सिंह यादव, श्री—

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० १८८।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना। खं० १३६, पृ० २८६।

राज्य में रूरल हाउसिंग सम्बन्धी योजना। खं० १३६, पृ० १८६–१८७।

शिवस्वरूप सिंह, श्री—

तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद मे ओलों से हानि। खंड १३६, पृ० २६।

श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री—

बांदा जिले मे नरैनी-कालिंजर सड़क पर पुल निर्माण योजना। खं० १३६, पृ० ११०।

वैद्यों और हकीमों का रजिस्ट्रेशन। खं० १३६, पृ० १८७।

श्री चन्द, श्री—

गन्ना फैक्टरियों के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी से उत्पन्न दुष्परिणाम की जांच के लिए समिति का निर्माण तथा पानी को साफ करने के लिये एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८२।

जिला मुजफ्फरनगर में कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकावी। खं० १३६, पृ० १७।

श्रीनाथराम, श्री—

आजमगढ़ जिले में मऊ-कासिमाबाद सड़क का निर्माण। खं० १३६, पृ० १२४।

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री—

साहित्य की प्रतियों के अंग्रेजी में प्रकाशन पर आपत्ति। खं० १३६, पृ० ११३–११४।

सर्न्यासिह राणा, श्री—

जिला टेहरी-गढ़वाल की नदियो की घाटियों मे सिंचाई के साधनों का अभाव। खं० १३६, पृ० १०६–१०७।

सियाराम चौधरी, श्री—

महालों का कम्पेसेशन रोल। खं० १३६, पृ० २७–२८।

सीताराम शुक्ल, श्री—

हाई स्कूल व इंटरमीडियेट की परीक्षाओ में अनुचित तरीकों का प्रयोग। खं० १३६, पृ० २६९–२७०।

सुल्तान आलम खां, श्री—

नगरपालिका मेरठ में सहायक हाजिरी अफसर के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सरकारी आदेश। खं० १३६, पृ० ३८२–३८३।

हरदयाल सिंह पिपल, श्री—

हाथरस नगर में पैविलियन के लिए नगरपालिका को ग्रांट। खं० १३६, पृ० ३८१।

हरि प्रसाद, श्री—

शारदा नहर के हेडवर्स का हेडक्वार्टर बरेली मे रखने का कारण। खं० १३६, पृ० ११४–११५।

हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री—

पंचवर्षीय योजना के अधीन लखनऊ जिले की उन्नति के कार्य। खं० १३६, पृ० २७३—२७४।

मिलों में गन्ना न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में क्षति। खं० १३६ पृ० २८६–२८७।

लखनऊ जिले के बाढ़-पीड़ितों को लगान में छूट। खं० १३६, पृ० २८।

प्रस्ताव की सूचना—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को १२ मई, १९५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में ——। खं० १३६, पृ० ४०५।

प्राइमरी—
प्र० वि०—गांव सभा की जमीनों को ——व जूनियर स्कूलों को देने का विचार। खं० १३६, पृ० २६८।

प्राइमरी स्कूलों—
प्र० वि०—शिक्षा पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत ——को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३७७—३७८।

प्राइवेट लारियों—
प्र० वि०—कानपुर रीजन में मोटर ट्रकों व—— के परिमिट। खं० १३६, पृ० ३०।

प्राक्कलन समिति—
वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति ——तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाम निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६, पृ० २८७—२६४।

प्राथमिकता—
प्र० वि०—हरिजन अमीनों के रिक्त स्थानों पर हरिजनों को——। खं० १३६, पृ० २७१-२७२।

प्रार्थना—
विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाध्याय की——। खं० १३६, पृ० २६६।
श्री मदन मोहन उपाध्याय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की——। खं० १३६, पृ० १६१

प्रार्थना-पत्र—
प्र० वि०—हरदोई जिले से भूमि संघ व्यवस्था सम्बन्धी——। खं० १३६, पृ० १३।

प्राहिबिटेड बोर—
प्र० वि०—प्रदेशीय मालखानों में—— के हथियार तथा उनकी परिभाषा। खं० १३६, पृ० ३८०।

प्लाटों—
प्र० वि०—जिला नैनीताल की टनकपुर मंडी में——का नीलाम। खं० १३६, पृ० १५—१६।

फ

फ़जलुल हक, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

फर्राश तथा लिफ्टमैनों—
प्र० वि०—विधायक निवासियों के ——में हरिजनों को न लेना। खं० १३६, पृ० ११३।

फसल—
प्र० वि०—झांसी जिले मे जंगली गायों व बैलों से——को हानि। खं० १३६, पृ० १६।

फूड प्रिजर्वेशन फैक्टरी—
प्र० वि०—रामनगर में——की योजना। खं० १३६, पृ० २८५।

ब

बंद—
प्र० वि०—देवरिया जिले में तरया सुजान के टेस्ट वर्क का——होना। खं० १३६, पृ० २४—२५।

बद्री नारायण मिश्र, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बन्दूक के लाइसेंस—
जौनपुर जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन और ग्राम रक्षकों को——। खं० १३६, पृ० ३८६।

बन्दूक, राइफल्स और रिवाल्वर—
प्र० वि०—जिला बरेली में——के लाइसेंस। खं० १३६, पृ० ३७६—३७७।

बलदेव सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बलरामपुर अस्पताल—

प्र० वि०—भेड़िया बालक, रामू के लिये———लखनऊ में प्रबन्ध। ख० १३६, पृ० १८९–१९०।

बलवन्त सिह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पचायत राज (सशोधन) विधेयक, १९५४। ख० १३६, पृ० २३०।

उत्तर प्रदेश पचायत राज (सशोधन) विधेयक, १९५४। ख० १३६, पृ० ४३१–४३३।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय मे विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। ख० १३६, पृ० ४१६—४१७।

बसन्तलाल शर्मा, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बसे—

प्र० वि०—मेरठ के सरकारी रोडवेज कारखाने द्वारा चालू की गई———। खं० १३६, पृ० ३०–३१।

बाध—

प्र० वि०—बस्ती जिले मे राप्ती के किनारे बने हुये———पर व्यय। ख० १३६, पृ० ११६–११७।

बाधो—

प्र० वि०—बस्ती जिले मे ———की मरम्मत की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०५–१०६।

बाढ—

प्र० वि०—जोनपुर जिले मे गोमती की ————से क्षति। खं० १३६, पृ० ६–८।

बाढ पीड़ित ग्रामो—

प्र० वि०—जौनपुर जिले मे ———के ग्रामो को गृह निर्माण के लिये सहायता। ख० १३६, पृ० २८।

बाढ़-पीड़ितो—

प्र० वि०—लखनऊ जिले के ——— को लगान में छूट। ख० १३६, पृ० २८।

बाबूनन्दन, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बाबूराम गुप्त, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

बालेन्दुशाह, महाराजकुमार—

उत्तर प्रदेश पचायत राज (सशोधन) विधेयक, १९५४। खड १३६, पृ० ३६, ४१–४२, ४३, ४७, ५७, ५९–६०, ६३, ६७, ७०, ७३ १३१, १३२, १३५, १५७–१५८ १५८–१६१, १६३, १७०–१७१, १९२, १९३–१९४, १९५, २२०, २२९–२३०, ३१७–३२१, ३३०, ३३१, ४३३–४३४।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १३६, पृ० २९९।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय मे विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। ख० १३६, पृ० ३९२, ४०१, ४०८, ४०९।

बिल—

प्र० वि०—गोरखपुर विश्वविद्यालय सम्बन्धी———। खं० १३६, पृ० ३८१।

बी० सी० जी० के टीके—

प्र० वि०—बस्ती जिले मे———। ख० १३६, पृ० १८२–१८४।

*बेतवा नदी—

प्र० वि०—जिला झासी मे———के नोट घाट पर पुल की आवश्यकता। ख० १३६, पृ० ११५।

बेदखली—
प्र० वि०— बनारस जिले के शिकमी काश्तकारों की——। खं० १३६, पृ० ५–६।

बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

भ

भंग किया जाना—
प्र० वि०—ग्राम असलाई (आजमगढ़) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित सभा का ——। खं० १३६, पृ० ३६१–३६४।

भगवती प्रसाद शुक्ल, (बाराबंकी) श्री—
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खंड १३६, पृ० ५४, १५२, १५३।
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३९४, ४१५–४१६।

भगवान दीन वाल्मीकि, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

भगवान सहाय, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

भर्ती—
प्र० वि०—लखनऊ कलेक्टरी में हरिजन क्लर्कों तथा चपरासियों की——। खं० १३६, पृ० २१–२२।

भार्गो—
प्र० वि०—फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलों के कुछ——को बदलने के लिये सुझाव। खं० १३६, पृ० १२–१३।

भारत सरकार—
प्र० वि०—जूरी प्रथा के सम्बन्ध में ——का आदेश। खं० १३६, पृ० १०२।

भूदान—
प्र० वि०——यज्ञ में दी गई भूमि। खं० १३६, पृ० १०–१२।

भूमि—
प्र० वि०—भूदान यज्ञ में दी गई——। खं० १३६, पृ० १०–१२।
प्र० वि०——संबंधी समस्त नियमों तथा आदेशों के संहित प्रकाशन की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ६।
प्र० वि०—हरदोई जिले से——संघ व्यवस्था संबंधी प्रार्थना-पत्र। खं० १३६, पृ० १३।

भूमिधर—
प्र० वि०—बाराबंकी जिले के——किसान। खं० १३६, पृ० २६।

भेड़िया बालक रामू—
प्र० वि०——के लिये बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में प्रबन्ध। खं० १३६, पृ० १८९–१९०।

भोला सिंह यादव, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर।"

म

मंडी—
प्र० वि०—जिला नैनीताल की टनकपुर ——में प्लाटों का नीलाम। खं० १३६, पृ० १५–१६।

मंदिर और मस्जिद—
प्र० वि०—गाजीपुर शहर में —— का झगड़ा तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायत। खं० १३६, पृ० ३७१।

मऊ-कासिमाबाद सड़क—
आजमगढ़ जिले में——का निर्माण। खं० १३६, पृ० १२४।

मजदूरी—
प्र० वि०——टेस्ट वर्क्स पर दी जाने वाली——की दरें। खं० १३६, पृ० २२–२४।

मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मथुरा प्रसाद पाण्डेय—
देखिये "प्रश्नोत्तर।"

मदन मोहन उपाध्याय, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर।"

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३३,३९,४०,४४,४५,५५,५६, १४२–१४३, १५३–१५४, १५५, १५७, ३११, ३२४–३२५।

कानपुर में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना। खं० १३६, पृ० १२७।

———द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना। खं० १३६, पृ० १९१।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये ———की प्रार्थना। खं० १३६, पृ० २९९।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३९३–३९४, ३९४ ३९५, ४०८, ४११, ४२०।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८९।

मन्नी लाल गुरुदेव, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर।"

मरम्मत—
प्र० वि०—जिला हमीरपुर में कम्हरिया सागर बांध की ——। खं० १३६, पृ० १२३।

मलखान सिंह, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर।"

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ४०।

महालों—
प्र० वि०———का कम्पेंसेशन रोल। खं० १३६, पृ० २७–२८।

महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री—
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४१७, ४१८।

महिला चिकित्सालय—
प्र० वि०—मड़ियाहू के अन्तर्गत सीतापुर ग्राम में———की मांग। खं० १३६, पृ० १८२।

महीलाल, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ४२८–४२९, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६।

माध्यमिक विद्यालयों—
प्र० वि०—राज्य के उच्चतर———के अनुदान में कटौती। खं० १३६, पृ० ३८४।

मालखानों—
प्र० वि०—प्रदशीय———में प्राहिबिटेड बोर के हथियार तथा उनकी परिभाषा। खं० १३६, पृ० ३८०।

मालगुजारी-
प्र० वि०—मुजफ्फरनगर, मेरठ, तथा सहारनपुर जिलों की——तथा कृषि टैक्स। खं० १३६, पृ० २९।

मिलों—
प्र० वि०- ——में गन्ना न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में क्षति। खं० १३६, पृ० २८६–२८७।

मुअत्तली—
प्र० वि०—देवरिया जिले में दुदेहो अदालत पंचायत के सरपंच की——। खं० १३६, पृ० १८०–१८१।

मुआविजा—
प्र० वि०—जौनपुर जिले में रामपुर बाजार-परिचत बाजार सड़क में ली गयी भूमि का——। खं० १३६, पृ० ११७।

मुकदमे—
प्र० वि०—गाजीपुर की जमानिया तहसील में पुलिस द्वारा चलाये गये ——और उनमें सजाएं। खं० १३६, पृ० ३७२।

मुखियों—
प्र० वि०—सरकार का ग्रामों के—— के पद को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३८४।

मुरलीधर कुरील, श्री—
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ५०, ५५।

मुश्ताक अली, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

मुसलमानों—
प्र० वि०—नेहरू-लियाकत पैक्ट के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में आने वाले तथा यहां से जाने वाले——की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७४–३७५।

मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज—
श्री राजनारायण की कथित गैर-कानूनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना। खं० १३६, पृ० १२७।

मुहम्मद तकी हादी, श्री—
श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४२४–४२५।

मूल्य—
प्र० वि०—गन्ने का——निश्चित करने के लिये सम्मेलन। खं० १३६, पृ० २८२–२८३।
प्र० वि०—गन्ने के —— का निर्धारण। खं० १३६, पृ० २६५–२६६।

मृत्यु—
प्र० वि०—मौजा डीह, जिला रायबरेली में डाके से एक व्यक्ति की——। खं० १३६, पृ० ३७६।

मेडिकल अफसरों—
प्र० वि०— अस्पताल के कार्यकाल में ——को बाहर न जाने का आदेश। खं० १३६, पृ० १८४–१८५।

मेहतर—
प्र० वि०—प्रदेश व्यापी——हड़ताल। खं० १३६, पृ० १७९।

मोटर ट्रकों—
प्र० वि०—कानपुर रीजन में—— व प्राइवेट लारियों के परमिट। खं० १३६, पृ० ३०।

मोटर लाइसेंसों—
प्र० वि०—आर० टी० ओ० द्वारा रद्द किये जाने वाले ——की आज्ञाओं के विरुद्ध अपीलें। खं० १३६, पृ० १९।

मोहनलाल गौतम, श्री—
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४२–४३, ४५, ४८–४९, ५५, ५६, ५७, ६६, ६७, ६८, १२९–१३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १४१, १५५, १५६, १५७, १५८, १७१, १९३, १९४–१९५, १९६, १९८, २०५, २१८, २२७, २२९, २३२, २३३, ३०१, ३०२, ३०३, ३०३, ३०४, ३०५, ३०७, ३०८, ३०९, ३१४, ३२२–३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३३।

म्युनिसिपल बोर्ड—

पिहानी (हरदोई) में——द्वारा संचालित स्कूलों को सरकारी सहायता। खं० १३६, पृ० ३७९–३८०।

म्युनिसिपैलिटियां—

प्र० वि०—फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में वाटर वर्क्स योजना तथा पृथक-पृथक् ——बनाने की मांग। खं० १३६, पृ० १८१।

य

यज्ञ—

प्र० वि०—भूदान—में दी गयी भूमि। खं० १३६, पृ० १०–१२।

यमुना सिंह, श्री—

"देखिए प्रश्नोत्तर।"

योजना—

प्र० वि०—द्वितीय पंचवर्षीय—। खं० १३६, पृ० २८६।

प्र० वि०—नीरा से गुड़ बनाने की ——। खं० १३६, पृ० २८६।

प्र० वि०—बांदा जिले में नरैनी-कालिंजर सड़क पर पुल निर्माण—। खं० १३६, पृ० ११०।

प्र० वि०—राज्य में रूरल हाउसिंग सम्बन्धी——। खं० १३६, पृ० १८६–१८७।

प्र० वि०—रामनगर में फूड प्रिजरवेशन फैक्टरी की——। खं० १३६, पृ० २८५।

प्र० वि०—शिक्षा पुनः संगठन——के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३७७–३७८।

र

रंगाई—

प्र० वि०—मऊ (आजमगढ़) में——व बुनाई का कारखाना। खं० १३६, पृ० २८४।

रघुराज सिंह, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रजिस्ट्री—

प्र० वि०—जालौन और इगलास में ——के दफ्तर खोलने का हुक्म। खं० १३६, पृ० ११५–११६।

प्र० वि—होमियोपैथिक डाक्टरों की ——। खं० १३६, पृ० १८२।

रजिस्ट्रेशन—

प्र० वि०—वैद्यों और हकीमों का ——। खं० १३६, पृ० १८७।

रमेश चन्द्र शर्मा, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"

राज कुमार शर्मा, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"

राजनारायण, श्री—

——की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८९–३९०।

——की पुनः गिरफ्तारी के सम्बध में सूचना। खं० १३६, पृ० ३१।

श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा——की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

राजनैतिक पीड़ितों—

प्र० वि०——को पेंशन। खं० १३६, पृ० २८४।

राजाराम किसान, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

प्रतापगढ़ जिले मे रिवाल्वर के लाइसेंस। खं० १३६, पृ० ३८२।

राजाराम शर्मा, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राधामोहन सिंह, श्री —

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ४२६।

राप्ती—

प्र० वि०—बस्ती जिले में————के किनारे बने हुए बांध पर व्यय। खं० १३६, पृ० ११६–११७।

राप्ती नदी—

प्र० वि०—बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच—पर डेक बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १०८–१०९।

राम अधार तिवारी, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रामकुमार शास्त्री, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० २२४।

रामचन्द्र विकल, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रामजी लाल सहायक, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रामदास आर्य श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० २३१—२३२, ३३२—३३३, ४४७।

रामदुलारे मिश्र, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राम नरेश शुक्ल, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ६९—७०, १६४–१६५, १६६, १६७, २०४, २०९।

रामनारायण त्रिपाठी, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४, खं० १३६, पृ० ४१, ४७–४८, २३३, २३४, २३५, ३००, ३०१, ३०२।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ३९५—३९७।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९७।

राम प्रसाद श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

शारदा नहर, पुरवा ब्रांच, जिला रायबरेली में खांदी के कारण किसानों को हानि। खं० १३६, पृ० ११२।

राम प्रसाद देशमुख, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राम प्रसाद नौटियाल, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

राम रतन प्रसाद, श्री

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

रामलखन मिश्र, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ६३, ६५, ७३, १४३–१४४, १५३, ३१७, ३२१।

रामसुन्दर पांडेय, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६ पृ० १४४, १४५, ३...

रामसुन्दर राम, श्री
देखिये, "प्रश्नोत्तर"।

राम सुभग वर्मा, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४, खं० १३६, पृ० ४२, ६०, १४८–१४९, ४३६।

राम हेत सिंह, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रामेश्वर लाल, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

रिक्त स्थान—
प्र० वि०—पंचायत राज इन्स्पेक्टरों के—और उन पर नियुक्तियां। खं० १३६, पृ० ३५९।

प्र० वि०—पुस्तकालय समिति के—की पूर्ति। खं०१३६, पृ० ३१।

रिपोर्ट—
प्र० वि०—आगरा जिले में डकैतियां व कत्लों की दर्ज—खं० १३६, [पृ० ३७८-३७९।

प्र० वि०—झांसी शहर (म्युनिसिपल क्षेत्र) में चोरियां और उनकी—। खं० १३६, पृ० ३८४।

रिवाल्वर—
प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले में—के लाइसेंस। खं० १३६, पृ० ३८२।

रूरल हाउसिंग—
प्र० वि० राज्य में—सम्बन्धी योजना। खं० १३६, पृ० १८६–१८७।

रोडवेज कारखाने—
प्र० वि०—मेरठ के सरकारी—द्वारा चालू की गयी बसें। खं० १३६, पृ० ३०–३१।

रोडवेज की बसों—
प्र० वि०—रायबरेली जिले में—को चलाने का विचार। खं० १३६, पृ० २५।

ल

लकड़ी—
प्र० वि—बहिपुरवा स्टेशन, जिला बांदा पर वन विभाग की—में आग लगना। खं० १३६, पृ० २८१–२८२।

लक्ष्मण राव कदम, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

लक्ष्मी शंकर यादव, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।

लखनऊ फैजाबाद डिवीजन—
प्र० वि०—के सुपरवाइजर कानूनगो खं० १३६, पृ० १९–२१।

लगान—
प्र० वि०—लखनऊ जिले के बाढ़ पीड़ितों को—में छूट खं० १३६, पृ० २८।

लट्ठों के पुल—
प्र० वि०—रिखणी लाल—वनजिया देवी सड़क पर—का निर्माण। खं० १३६, पृ० १२२–१२३।

लाइम फैक्ट्री—
प्र० वि०—फिरोजाबाद की—को कोयले का कोटा। खं० १३६, पृ० २८६।

लाइसेंस—
प्र० वि०—जिला बरेली में बन्दूक राइफल और रिवाल्वर के—खं० १३६, पृ० ३७६—३७७।

प्र० वि०—प्रतापगढ़-जिले में रिवाल्वर के—खं० १३६, पृ० ३८२।

लाउडस्पीकर और पंखों की खराबी खं० १३६, पृ० १२५।

लाक-अप—

प्र० वि०—देवरिया—में कैदियों की जगह। खं० १३६, पृ० ३७६।

लाल बहादुर सिंह, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

लेखपालों—

प्र० वि०—बलिया जिले में हरिजन ——की संख्या। खं० १३६, पृ० ३१।

लेबर आफिसर्स—

प्र० वि०—तथा कांसिलिएशन आफिसर्स की नियुक्तियां और उनमें हरिजनों का अनुपात। खं० १३६, पृ० ३६५।

व

वंश नारायण सिंह, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

वन—

प्र० वि०—पकड़ी नउनियां, जिला गोरखपुर, के——का क्षेत्रफल। खं० १३६, पृ० २८४।

वन विभाग—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले में—— की सड़कों पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही। खं० १३६, पृ० २७९–२८०।

प्र० वि०—बहिसपुरया स्टेशन, जिला बांदा, पर——की लकड़ी में आग लगना। खं० १३६, पृ० २८१–२८२।

प्र० वि०—मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें। खं० १३६, पृ० २८०–२८१।

वर्षा—

प्र० वि०—बस्ती जिले में अनेक गांवों को——से क्षति। खं० १३६, पृ० २९।

वाटर वर्क्स योजना—

प्र०—वि० फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में—— तथा पृथक्-पृथक् म्युनिसिपैलिटियां बनाने की मांग। खं० १३६, पृ० १८१।

विकास—

प्र० वि०—जिला मेरठ में——तथा नियोजन पर व्यय खं० १३६, पृ० २७८–२७९।

विकास कार्य—

प्र० वि०—जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में—— खं० १३६, पृ० २७७।

प्र० वि०—जिला गोंडा में ट्रांस राप्ती क्षेत्र में——की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० २७५–२७६।

विचार—

प्र० वि०—खाम स्टेट कोटद्वार तराई व भावर के किसानों को हिस्सेदार बनाने का——। खं० १३६, पृ० १९।

प्र० वि०—मई, १९५४, में श्रमदान आंदोलन चलाने का——। खं० १३६, पृ० २७०–२७१।

प्र० वि०—रायबरेली जिले में रोडवेज की बसों को चलाने का——। खं० १३६, पृ० २५।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर——। खं० १३६, पृ० ३७९–४०४, ४०५, ४२६।

विचाराधीन मुकद्दमे—

प्र० वि०—गाजीपुर कलेक्टरी में ——। खं० १३६, पृ० १४–१५।

विचारार्थ—

श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर——समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

बितरण—

प्र० वि०—कोटद्वारा (गढ़वाल) खाम स्टेट में जमीन का।——खं० १३६, पृ० १८–१९ ।

वित्त समिति—

—सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना । खं० १३६, पृ० २८७–२९४ ।

विदेशी शराब—

मेरठ में----बेचने के स्थान। खं० १३६, पृ० ११९–१२० ।

विदेशी सलाहकार—

प्र० वि०—मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी के निर्माण के लिये——। खं० १३६, पृ० २६६–२६८ ।

विद्यार्थियों—

प्र० वि०—लखनऊ जेल ट्रेनिंग स्कूल के—— की मुख्य जेलों के अध्ययन के लिये यात्रा और उस पर व्यय । खं० १३६, पृ० ३८१–३८२।

विद्यार्थी आंदोलन—

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले में—के सम्बन्ध में विद्यार्थियों पर अभियोग। खं० १३६, पृ० ३६७–३६८।

विधान-भवन—

प्र० वि०——— को एयर कंडीशन्ड कराने की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०१।

विधान सभा—

प्र० वि०—के सदस्य श्री नारायण दत्त तिवारी पर अभियोग और उनकी पेशी। खं० १३६, पृ० ३६९–३७१।

विधायक निवासों—

प्र० वि०—के फर्राशों तथा लिफ्टमैनों में हरिजनों को न लेना। खं० १३६, पृ० ११३ ।

विधेयक—

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था—१९५४। खं० १३६, पृ० ३३ ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन)———१९५४। खं० १३६, पृ० ३३–७३, १२७–१७१। १९२—२३५, ३००–३३४ २९९, ४२६, ४३६।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन)———१९५४ को १२ मई, १९५४, तक पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना। खं० १३६, पृ० ४०५।

विलीनीकरण—

प्र० वि०——के पश्चात् काशी राज्य के कर्मचारियों का सरकारी नौकरी में लिया जाना। खं० १३६, पृ० २८३–२८४ ।

विशेषाधिकार—

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध——के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन। खं० १३६, पृ० २९९ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध——के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९४-२९८।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये ——के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार। समिति के प्रतिवेदन पर

विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२ ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा—— की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना । खं० १३६, पृ० १६१ ।

विशेषाधिकार का प्रश्न——

——उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाध्याय की प्रार्थना । खं० १३६, पृ० २६६ ।

विशेषाधिकार की अवहेलना——

कानपुर में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में——का प्रश्न उठाने की सूचना । खं० १३६, पृ० १२७ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध ——— के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पृ० ३७६–४०४, ४०५–४०६ ।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में——का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८६–३९०।

विशेषाधिकार समिति——

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में———के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पृ० ३७६, ४०४, ४०५–४२६ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर———का प्रतिवेदन । खं० १३६, पृ० २६६ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर———के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पृ० २६४–२६८ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध ———के प्रतिवेदन पर विचारार्थ समय निर्धारण तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी । खं० १३६, पृ० ३२ ।

विश्वविद्यालय——

प्र० वि०—— गोरखपुर——— सम्बन्धी बिल । खं० १३६, पृ० ३८१ ।

विष्णुदयाल वर्मा, श्री——

देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ । खं० १३६, पृ० ५७–५८, ६५–६६, ६७, १३८–१३६, १४१ ।

वीरसेन, श्री——

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ । खं० १३६, पृ० ३६, ३८ ।

वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री——

देखिए "प्रश्नोत्तर" ।

वीरेन्द्रपति यादव, श्री ——

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पृ० ४०६––४१० ।

वीरेन्द्र शाह, राजा——

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ । खं० १३६, पृ० १४७, १४८, २०८–२१०, २१५, २१६, २२६, २३१, २३२ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार । खं० १३६, पृ० २६७, ४०३–४०४ ।

[वीरेन्द्र शाह, राजा]
श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० २९७, २९८।

वृद्धि—
प्र० वि०—अन्न की पैदावार में—। खं० १३६, पृ० १७।

वेतन—
प्र० वि०—बलिया में पंचायत-मंत्रियों को—मिलने में विलम्ब। खं० १३६, पृ० १८०।

वेतन क्रम—
प्र० वि०—गुप्तचर पुलिस इन्सपेक्टरों और सिविल पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के—— में अन्तर। खं० १३६, पृ० ३८२।

वैद्यों—
प्र० वि०—और हकीमों का रजिस्ट्रेशन। खं० १३६, पृ० १८७।

व्यक्तिगत प्रश्न

दलश्रृंगार दुबे, श्री—
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिला गाजीपुर, के मंत्री——पर आक्रमण की जांच। खं० १३६, पृ० ३६८—३६९।

नारायण दत्त तिवारी, श्री—
विधान सभा के सदस्य——पर अभियोग और उनकी पेशी। खं० १३६, पृ० ३६९—३७१।

मान सिंह—
डाकू——के गिरोह का झांसी की पुलिस के घेरे से निकलना। खं० १३६, पृ० ३७५—३७६।

व्यय—
प्र० वि०—उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन पर——। खं० १३६, पृ० २७७—२७८।

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिए १९५३-५४ में सोशल वर्कर्स की नियुक्ति एवं उन पर—। खं० १३६, पृ० ३८८।

प्र० वि०—१९४७ में हाथरस में सामूहिक जुर्माने की धनराशि और उसका—किया जाना। खं० १३६, पृ० ३८७।

प्र० वि०—जिला मेरठ में विकास तथा नियोजन पर——। खं० १३६, पृ० २७८—२७९।

प्र० वि०—नैपाल भेजी गयी पी० ए०सी० की यूनिटों पर——। खं० १३६, पृ० ३७८।

प्र० वि०—प्रतापगढ़-सागीपुर सड़क पर——। खं० १३६, पृ० १२३।

व्यवस्था—
प्र० वि०—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में निर्माण कार्य की—। खं० १३६, पृ० २७४—२७५।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की——। खं० १३६, पृ० ३८९—३९०।

प्र० वि०—हरदोई जिले से भूमि सं- ——सम्बन्धी प्रार्थना पत्र खं० १३६, पृ० १३।

व्रजभूषण मिश्र, श्री—
देखिए "प्रश्नोत्तर"।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १४९—१५०।

व्रज विहारी मिश्र, श्री—
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ७०—७१, २०५—२०६।

श

शक्कर—

प्र० वि०—मिलों में गन्ना न पहुंचने से———के उत्पादन में क्षति। खं० १३६, पृ० २८६–२८७।

शारदा नहर—

प्र० वि०———के हेड वर्क्स का हेड क्वार्टर बरेली में रखने का कारण। खं० १३६, ११४—११५।

प्र० वि०—पुरवा ब्रान्च जिला रायबरेली में खांदी के कारण किसानों को हानि। खं० १३६, पृ० ११२।

शिकमी—

प्र० वि०—बनारस जिले के———काश्तकारों की बेदखली। खं० १३६ पृ० ५–६।

शिकायत—

प्र० वि०—भट्टहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट के विरुद्ध—। खं० १३६, पृ० २८२।

शिक्षापुनः संगठन योजना—

प्र० वि०———के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों को तोड़ने का विचार। खं० १३६, पृ० ३७७–३७८।

शिव नारायण, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ५२, ६३, १४६–१४७, १४७–१४८, १५८, २३०, २३१, ३११, ४३०—४३१।

लाउडस्पीकर और पंखों की खराबी। खं० १३६, पृ० १२५।

शिवमंगल सिंह कपूर, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

शिवराज सिंह यादव, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन विधेयक १९५४ खं० १३६ पृ० ६१–६२

शिव स्वरूप सिंह, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"

शेखा माइनर—

प्र० वि०—बहादुरपुर और मल्हीपुर के कृषकों द्वारा———खोदने के लिये प्रार्थना। खं० १३६ पृ० ११८–११९।

श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"

श्रमदान—

प्र० वि०—बुलन्दशहर जिले के अहार परगने में कच्ची सड़क का———द्वारा निर्माण। खं० १३६, पृ० २७२–२७३।

प्र० वि०—सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों द्वारा—। खं० १३६, पृ० २७८।

श्रमदान आंदोलन—

प्र० वि०—मई, १९५४, में———चलाने का विचार। खं० १३६, पृ० २७०–२७१।

श्रमदान सप्ताह—

प्र० वि०—में सरकारी कर्मचारियों द्वारा श्रमदान। खं० १३६, पृ० २७८।

श्री चन्द, श्री—

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

संख्या—

प्र० वि०—बलिया जिले में हरिजन लेखपालों की———। खं० १३६, पृ० ३१।

सहित--

प्र० वि०--भूमि सम्बन्धी समस्त नियमों तथा आदेशों के--प्रकाशन की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ६।

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री--

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

सड़क--

प्र० वि०--जौनपुर जिले में रामपुर बाजार--परिचत बाजार में ली गयी भूमि का मुआवजा। खं० १३६, पृ० ११७।

प्र० वि०---बुलन्दशहर जिले के अहार परगने में कच्ची---का श्रमदान द्वारा निर्माण। खं० १३६, पृ० २७२-२७३।

सड़क का सुधार---

प्र० वि०--एटा-गंजडुडवाडा--। खं० १३६, पृ० १८६।

सड़कें--

प्र० वि०--जिला बोर्ड बस्ती को पी० डब्लू० डी० द्वारा वापस की हुयी। खं० १३६, पृ० ११०-१११।

सड़कों--

प्र० वि०--गोरखपुर---जिले में वन विभाग की--पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही। खं० १३६, पृ० २७६-२८०।

सत्यसिंह राणा, श्री--

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

सदन--

--के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६, पृ० ३२।

सब-डिप्टी इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल्स --

प्र० वि०--१६४६ के मध्य में अस्थायी रूप से नियक्त--- की संख्या और उनका स्थायीकरण। खं० १३६, पृ० ३८६।

सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट--

प्र० वि०--फिरोजाबाद का हेड क्वार्टर। खं० १३६, पृ० २८५, २८६।

समय निर्धारण--

श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न से सम्बद्ध विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचारार्थ--तथा श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३२।

समय में वृद्धि--

स्थायी समितियों की निर्वाचन से नाम वापस लेने के---की सूचना। खं० १३६, पृ० ४०४-४०५।

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर--

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था। खं० १३६, पृ० ३८६, ३६०।

सम्मेलन--

प्र० वि०--गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिये-- खं० १३६, पृ० २८२-२८३।

सरकारी कर्मचारियों--

प्र० वि०--श्रमदान सप्ताह में-- द्वारा श्रमदान। खं० १३६, पृ० २७८।

सरकारी नौकरी--

प्र० वि०--विलीनीयकरण के पश्चात् काशी राज्य के कर्मचारियों का--में लिया जाना। खं० १३६, पृ० २८३-२८४।

सरयू नदी—

प्र० वि०—बहराइच जिले में——से नहर निकालने की योजना। खं० १३६, पृ० १७३–१७४।

सहकारी नलकूप—

प्र० वि०—सुल्तानपुर जिले में——खं० १३६, पृ० १०४।

सहायता—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में बाढ़ पीड़ित ग्रामों को गृह निर्माण के लिये—। खं० १३६, पृ० ७८।

साइकिल व रिक्शा—

प्र० वि०—गोरखपुर जिले में वन विभाग की सड़कों पर—चलाने की मनाही। खं० १३६, पृ० २७९–२८०।

सामूहिक जुर्माने—

प्र० वि०—१९४७ में हाथरस में——की धनराशि और उसका व्यय किया जाना। खं० १३६, पृ० ३८७।

सार्वजनिक लेखा समिति—

वित्त समिति——प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाम–निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६, पृ० २८७–२९४।

साहित्य—

प्र० वि०—की प्रतियों के अंग्रेजी में प्रकाशन पर आपत्ति। खं० १३६, पृ० ११३–११४।

सिंचाई—

प्र० वि०—जिला टेहरी गढ़वाल की नदियों की घाटियों में—के साधनों का अभाव। खं० १३६, पृ० १०६–१०७।

प्र० वि०—तहसील जसराना, जिला मैनपुरी, में——का प्रबन्ध। खं० १३६, पृ० ११६।

मियाँ राम चौधरी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० २१३।

सिविल पुलिस—

प्र० वि०—गुप्तचर पुलिस इन्स्पेक्टरों और ————सब-इन्स्पेक्टरों के वेतन-क्रम में अन्तर। खं० १३६, पृ० ३८२।

सीताराम शुक्ल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० २०१, २०६-२०८।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४१०, ४११, ४१२।

सीमेन्ट फ़ैक्टरी—

प्र० वि०— मिर्जापुर——— के निर्माण के लिये विदेशी सलाहकार। खं० १३६, पृ० २६६–२६८।

सुझाव—

प्र० वि०— फैजाबाद तथा आजमगढ़ जिलों में कुछ भागों को बदलने के के लिये ———। खं० १३६, पृ० १२–१३।

सुपरवाइजर कानूनगो—

प्र० वि०— लखनऊ और फ़ैजाबाद डिवीजन के ——— । खं० १३६, पृ० १९–२१।

सुरेश प्रकाश सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १५३, १६१-१६३, १६३––१६४, १६५।

सुल्तान आलम खां, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सुविधा—
प्र० वि०— निर्मद्य क्षेत्रों में ताड़ी और नीरा बेचने की ——। खं० १३६, पृ० ११५।

सूचना—
कानपुर में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की ——। खं० १३६, पृ० १२७।

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियो के निर्वाचन मे प्राप्त नाम-निर्देशनो के सम्बन्ध मे ——। ख० १३६, पृ० २८७–२९४।

श्री राजनारायण की पुनः गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे ——। खं० १३६, पृ० ३१।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में ——। खं० १३६, पृ० ३२।

सोशल वर्कर्स—
प्र० वि०— उत्तर प्रदेश में हरिजन उत्थान के लिये १९५३–५४ में —— की नियुक्ति और उन पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३८८।

स्कूलों—
प्र० वि०— पिहानी (हरदोई) में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित —— को सरकारी सहायता। खं० १३६, पृ० ३७९–३८०।

स्थानान्तरण—
प्र० वि०— बसन्त कन्या इन्टर कालेज, कमक्षा शहर बनारस, का ——। खं० १३६, पृ० ३८७।

स्थानिक प्रश्न

अलीगढ़—
देहली दरवाजे, ——, में गोली चलने की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट करने वालों की गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३८१।

असलाई (आजमगढ़)—
ग्राम —— में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित सभा का भग किया जाना। खं० १३६, पृ० ३६१–३६४।

आगरा—
—— जिले में डकैतियों व कत्लों की दर्ज रिपोर्ट। खं० १३६, पृ० ३७८–३७९।

—— तथा मथुरा जिलो की सिंचाई के लिये हिन्डन नदी पर बांध की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ११८।

आजमगढ़—
—— जिले में कम्यूनिस्टो की गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३६१।

—— जिले में मऊ-कासिमाबाद सड़क का निर्माण। खं० १३६, पृ० १२४।

—— तथा गाजीपुर जिलों के लिये नलकूपों का वितरण। खं० १३६, पृ० १२४–१२५।

फैजाबाद तथा —— जिलों में कुछ भागों को बदलने के लिये सुझाव। खं० १३६, पृ० १२–१३।

इगलास—
जालौन और —— में रजिस्ट्री के दफ्तर खोलने का हुकुम। खं० १३६, पृ० ११५–११६।

इलाहाबाद—
मिर्जापुर तथा —— जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें। खं० १३६, पृ० २८०–२८१।

ईसानगर—

थाना —— जिला खीरी का भवन और थाना कर्मचारियों के लिये क्वार्टर । खं० १३६, पृ० ३७३—३७४।

उन्नाव—

—— जिले में थानेवार कत्ल और डाके, तथा गुंडों, बदमाशों आदि की सूची । खं० १३६, पृ० ३८८।

एटा—

—— गजहुंडवाडा सड़क का सुधार। खं० १३६, पृ० १८६।

—— जिले में ग्राम समितियों और उनका डाकुओं से मुकाबला। खं० १३६, पृ० ३८५।

कनखल—

—— की कृष्णनगर कालोनी में जल-व्यवस्था। खं० १३६, पृ० १७८—१७६।

कस्बार राजा परगने—

बनारस जिले के —— में ओले से क्षति । खं० १३६, पृ० १५।

कानपुर—

—— में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना। खं० १३६, पृ० १२७।

—— शहर में ईंधन सप्लाई करने का टेंडर । खं० १३६, पृ० १६०—१६१।

कानपुर रीजन—

—— में मोटर ट्रकों व प्राइवेट लारियों के परमिट। खं० १३६, पृ० ३० ।

कारीपाकर—

—— सीतापुर में डकैती और उस पर कार्यवाही। खं० १३६, पृ० ३८७।

कृष्ण नगर—

कनखल की —— कालोनी में जल-व्यवस्था । खं० १३६, पृ० १७८—१७६।

कोंच—

सुभाष नगर से सम्बद्ध —— (जालौन) पुलिस स्टेशन के हिस्ट्रीशीटरों के रजिस्टर नम्बर का गायब होना। खं० १३६, पृ० ३८४।

कोटद्वारा (गढ़वाल)—

—— खाम स्टेट में जमीन का वितरण। खं० १३६, पृ० १८—१६।

खीरी—

थाना ईसा नगर जिला —— का भवन और थाना कर्मचारियों के लिये क्वार्टर। खं० १३६, पृ० ३७३—३७४।

गंजडुंडवाड़ा—

एटा —— सड़क का सुधार। खं० १३६, पृ० १८६।

गाजीपुर—

आजमगढ़ तथा —— जिलों के लिये नलकूपों का वितरण । खं० १३६, पृ० १२४—१२५।

—— की जमनिया तहसील में पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमें और उनमें सजाएं। खं० १३६, पृ० ३७२।

—— कलक्टरी में विचाराधीन मुकद्दमे। खं० १३६, पृ० १४—१५।

—— के विरनो थाने की इमारत नई बनाने की योजना। खं० १३६, पृ० ३७४।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिला ——, के मंत्री, श्री दल शृंगार दुबे, पर आक्रमण की जांच। खं० १३६, पृ० ३६८-३६६।

—— शहर में मन्दिर और मस्जिद का झगडा तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायत। खं० १३६, पृ० ३७१।

गिन्नौर—

जिला बदायूं में सहसवान से —— तक पक्की सड़क की आवश्यकता । खं० १३६, पृ० २८५।

[स्थानिक प्रश्न]

गोंडा—

जिला —— की तहसील तरबगंज में विकास कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।

जिला —— में ट्रांस राप्ती क्षेत्र में विकास कार्य की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० २७५–२७६।

गोरखपुर—

—— जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले नलकूप। खं० १३६, पृ० १२३।

—— जिले में वन विभाग की सड़कों पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही। खं० १३६, पृ० २७९–२८०।

पकड़ी भउनियां, जिला ——, के वन का क्षेत्रफल। खं० १३६, पृ० २८४।

——विश्वविद्यालय सम्बन्धी बिल। खं० १३६, पृ० ३८१।

चन्दौसी—

—— (मुरादाबाद) में थाने के समीप लगभग दो बजे दिन के तीन हत्यायें। खं० १३६, पृ० ३८५–३८६।

चरखारी—

महोबा एवं —— के तहसीलदारों द्वारा कागजात में सेहत। खं० १३६, पृ० २९–३०।

छाता—

जिला मथुरा की तहसील —— में गर्की का नाला निकालने का कार्य। खं० १३६, पृ० ११७–११८।

जबहीं घाट—

गंगा नदी में —— पर नाव-दुर्घटना। खं० १३६, पृ० १८७–१८८।

जसराना—

तहसील —— जिला मैनपुरी में सिंचाई का प्रबन्ध। खं० १३६, पृ० ११६।

जालौन—

—— और इगलास में रजिस्ट्री के दफ्तर खोलने का हुक्म। खं० १३६, पृ० ११५–११६।

जौनपुर—

—— जिले के ग्राम पांडेपुर तथा समस्त जिले में डकैतियों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३६०–३६१।

—— जिले में कलेक्शन विभाग के कर्मचारी। खं० १३६, पृ० १३–१४।

—— जिले में गोमती की बाढ़ से क्षति। खं० १३६, पृ० ६–८।

—— जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन और ग्राम रक्षकों को बन्दूक के लाइसेंस। खं० १३६, पृ० ३८६।

—— जिले में "घोडारोशन घास" को नष्ट करने का प्रबन्ध। खं० १३६, पृ० १८।

—— जिले में टी० बी० के टीके। खं० १३६, पृ० १८१–१८२।

—— में बाढ़ पीड़ित ग्रामों को गृह निर्माण के लिये सहायता। खं० १३६, पृ० २८।

—— जेल में सजायाफ्ता, विचाराधीन तथा जेल के भागे हुये कैदी तथा उनमें हरिजनों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७७।

झांसी—

जिला —— में बेतवा नदी के नोट घाट पर पुल की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ११५।

—— जिले में जंगली गायों व बैलों से फसल को हानि। खं० १३६, पृ० १६।

डाकू मान सिंह के गिरोह का ———की पुलिस के घेरे से निकलना। खं० १३६, पृ० ३७५—३७६।

———शहर (म्युनिसिपल क्षेत्र) में चोरियां और उनकी रिपोर्ट। खं० १३६, पृ० ३८४।

टनकपुर—

जिला नैनीताल की ——— मंडी में प्लाटों का नीलाम। खं० १३६, पृ० १५—१६।

टेहरी-गढ़वाल—

जिला——— की नदियों की घाटियों में सिंचाई के साधनों का अभाव। खं० १३६, पृ० १०६—१०७।

तरबगंज—

जिला गोंडा की तहसील——— में विकास कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।

तरया-सुजान—

देवरिया जिले में ——— के टेस्ट वर्क का बंद होना। खं० १३६, पृ० २४—२५।

तहसील ठाकुरद्वारा—

——— जिला मुरादाबाद में ओलों से हानि। खं० १३६, पृ० २६।

तुलसीपुर—

बलरामपुर व ——— के बीच राप्ती नदी पर डैम बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १०८—१०९।

देवरिया—

——— जिले में बुदेही अदालत पंचायत के सरपंच की मुअत्तली। खं० १३६, पृ० १८०—१८१।

——— लाक-अप में कैदियों की जगह। खं० १३६, पृ० ३७६।

नकुड़—

तहसील ——— जिला सहारनपुर में नलकूपों का कार्य। खं० १३६, पृ० ११८।

नानपारा तहसील—

———, थाना मेटघाट के पास चिकित्सालय भवन का निर्माण। खं० १३६, पृ० १९०।

नेपाल—

——— भेजी गयी पी० ए० सी० की यूनिटों पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३७८।

नोटघाट—

जिला झांसी में बेतवा नदी के ——— पर पुल की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ११५।

पकड़ी नउनियां—

———, जिला गोरखपुर के वन का क्षेत्रफल। खं० १३६, पृ० २८४।

परियत-बाजार—

जौनपुर जिले में रामपुर बाजार-——— सड़क में ली गयी भूमि का मुआवजा। खं० १३६, पृ० ११७।

पांडेपुर—

जौनपुर जिले के ग्राम——— तथा समस्त जिले में डकैतियों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३६०—३६१।

पिहानी—

——— (हरदोई) में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों को सरकारी सहायता। खं० १३६, पृ० ३७९-३८०।

प्रतापगढ़—

——— जिले के प्रत्येक थाने में पुलिस कर्मचारियों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३७७।

——— जिले में रिवाल्वर के लाइसेंस। खं० १३६, पृ० ३८२।

——— जिले में विद्यार्थी आन्दोलन के सम्बन्ध में विद्यार्थियों पर अभियोग। खं० १३६, पृ० ३६७—३६८

[स्थानिक प्रश्न]

फर्रुखाबाद—
——— के थाना कायमगंज तथा कम्पिल में गतवर्ष डकैतियां, कत्ल, राहजनी तथा चोरिया। खं० १३६, पृ० ३८३–३८४।

फ़र्रुखाबाद-फतेहगढ़—
——— मे वाटर वर्क्स योजना तथा पृथक पृथक् म्युनिसिपैलिटियां बनाने की मांग । खं० १३६, पृ० १८१।

फीरोजाबाद—
——— की लाइम फैक्ट्री को कोयले का कोटा । खं० १३६, पृ० २८६।
सब–डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, ———, का हेड क्वार्टर । खं० १३६, पृ० २८५–२८६।

फैजाबाद—
——— के प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों को सहायता देने का आदेश। खं० १३६, पृ० ३७६।
——— तथा आजमगढ़ जिलों के कुछ भागों को बदलने के लिये सुझाव। खं० १३६, पृ० १२–१३।

बखिरा—
——— (बस्ती) झील से नहर निकालने का कार्य। खं० १३६, पृ० १०७–१०८।

बदायूं—
जिला ——— में सहसवान से गिन्नौर तक पक्की सड़क की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० २८५।

बनारस—
——— जिले के शिकमी काश्तकारों की बेदखली । खं० १३६, पृ० ५–६।
——— जिले मे जमींदारी उन्मूलन कोष मे गबन। खं० १३६, पृ० २८।
बसन्त कन्या इन्टर कालेज, कमक्षा, शहर ——— का स्थानान्तरण। खं० १३६, पृ० ३८७।

बरेली—
जिला ——— मे बन्दूक, राइफल और रिवाल्वर के लाइसेंस । खं० १३६, पृ० ३७६–३७७।
शारदा नहर के हेडवर्क्स का हेड क्वार्टर ——— मे रखने का कारण। खं० १३६, पृ० ११४–११५।

बलरामपुर—
——— व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर डेक बनाने का विचार । खं० १३६, पृ० १०८–१०६।

बलिया—
जिला ——— मे हरिजनो के लिये मकान तथा पीने के पानी के लिये सहायता एवं कुओं का निर्माण। खं० १३६, पृ० ३८७–३८८।
——— जिले मे हरिजन लेखपालो की संख्या । खं० १३६, पृ० ३१।
——— मे पंचायत-मंत्रियों को वेतन मिलने मे विलम्ब । खं० १३६, पृ० १८०।

बस्ती—
जिला बोर्ड— को पी० डब्लू० डी० द्वारा वापस की हुई सड़के । खं० १३६, पृ० ११०–१११।
——— जिले मे अनेक गांवों को वर्षा से क्षति। खं० १३६, पृ० २६।
——— जिले मे बांधों की मरम्मत की आवश्यकता । खं० १३६, पृ० १०५–१०६।
———, जिले मे बी० सी० जी० के टीके। खं० १३६, पृ० १८२–१८४।
——— जिले मे राप्ती के किनारे बने हुये बांध पर व्यय । खं० १३६, पृ० ११६–११७।
थाना मेंहदावल जिला ——— मे चोरियां, डकैतियां और हत्याएं। खं० १३६, पृ० ३७३।

बहराइच—

—— जिले में सरयू नदी से नहर निकालने की योजना। खं० १३६, पृ० १२३–१२४।

बहादुरीपुर—

—— और सहिजनी के कृषकों द्वारा शेखा माइनर खोदने के लिये प्रार्थना। खं० १३६, पृ० ११८–११९।

बहिलपुरवा स्टेशन—

——, जिला बांदा, पर वन विभाग की लकड़ी में आग लगना। खं० १३६, पृ० २८१–२८२।

बांदा—

—— जिले में नरैनी - कालिंजर सड़क पर पुल निर्माण योजना। खं० १३६, पृ० ११०।

महिलपुरवा स्टेशन, जिला ——, पर वन विभाग की लकड़ी में आग लगना। खं० १३६, पृ० २८१–२८२।

बाराबंकी—

—— जिले के भूमिधर किसान। खं० १३६, पृ० २६।

बिरनो—

गाजीपुर के —— थाने की इमारत नई बनवाने की योजना। खं० १३६, पृ० ३७४।

बिलारी तहसील—

मुरादाबाद जिले की —— में ओलों से हानि। खं० १३६, पृ० २४।

बुलन्दशहर—

—— जिले के अहार परगने में कच्ची सड़क का श्रमदान द्वारा निर्माण। खं० १३६, पृ० २७२–२७३।

—— जिले में प्रत्येक थाने के अन्तर्गत डाके और क़त्ल। खं० १३६, पृ० ३६४–३६५।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत —— जिले में नलकूपों का निर्माण। खं० १३६, पृ० १०३–१०४।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत —— जिले में निर्माण कार्य की व्यवस्था। खंड १३६, पृ० ७३८–७३९।

भट्टहट—

—— कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के विरुद्ध शिकायत। खं० १३६, पृ० २८२।

मऊ—

—— (आज़मगढ़) में रंगाई व धुनाई का कारखाना। खं० १३६, पृ० २८४।

—— थाना (आज़मगढ़) में चोरियां और डकैतियां। खं० १३६, पृ० ३८८।

मड़ियाहू—

—— के अन्तर्गत सीतापुर ग्राम में महिला चिकित्सालय की मांग। खं० १३६, पृ० १८२।

—— तहसील में पशु-चिकित्सालय की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०।

मथुरा—

आगरा तथा —— जिलों की सिंचाई के लिये हिन्डन नदी पर बांध की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ११८।

—— जिले में अमेरिकनों द्वारा धर्म परिवर्तन कराके ईसाई बनाना और कुछ आर्य समाजियों की गिरफ्तारी। खं० १३६, पृ० ३६५–३६७।

मधुवन—

——, आजमगढ़, में एलोपैथिक अस्पताल का निर्माण। खं० १३६, पृ० ३५९–३६०।

महोबा—

—— एवं चरखारी के तहसीलदारों द्वारा कागजात में मेहल। खं० १३६, पृ० २९–३०।

[स्थानिक प्रश्न]

मिर्जापुर—

—— तथा इलाहाबाद जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें। खं० १३६, पृ० २८०–२८१।

—— सीमेंट फैक्टरी के निर्माण के लिये विदेशी सलाहकार। खं० १३६, पृ० २६६–२६८।

मिलक—

रामपुर जिले की शाहाबाद तथा —— तहसीलों में ओले से हानि। खं० १३६, पृ० २७।

मुजफ्फ़रनगर—

जिला——में कृषकों को ट्रैक्टरों के लिये तकावी। खं० १३६, पृ० १७।

—— जिले में नलकूपों का निर्माण। खं० १३६, पृ० १११–११२।

——, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स। खं० १३६, पृ० २६।

मुरादाबाद—

जिला —— में चार वर्षों से अधिक समय वाले पुलिस सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर। खं० १३६, पृ० ३८५।

जिला —— में देशी व विलायती शराब की दुकानें। खं० १३६, पृ० १२५।

मेंहदावल (बस्ती)—

——के कछार में जनहित एवं कृषि रक्षा के लिये पुलिस चौकी। खं० १३६, पृ० ३७३।

मेरठ—

—— के सरकारी रोडवेज कारखाने द्वारा चालू की गई बसें। खं० १३६, पृ० ३०–३१।

जिला —— में विकास तथा नियोजन पर व्यय। खं० १३६, पृ० २७८–२७६।

नगरपालिका—— में सहायक हाजिरी अफसर के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सरकारी आदेश। खं० १३६, पृ० ३८२–३८३।

मुजफ्फ़रनगर, —— तथा सहारनपुर जिलों की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स। खं० १३६, पृ० २६।

—— में विदेशी शराब बेचने के स्थान। खं० १३६, पृ० ११६–१२०।

रामनगर—

—— में फूड प्रिजर्वेशन फैक्टरी की योजना। खं० १३६, पृ० २८५।

रामपुर—

राजकीय इंटर कालिज, ——, में कक्षा ११वीं में कामर्स की शिक्षा। खं० १३६, पृ० ३८६।

रामपुर बाजार—

जौनपुर जिले में —— परिचत बाजार सड़क में ली गयी भूमि का मुआवजा। खं० १३६, पृ० ११७।

रायबरेली—

जिला —— के थाना सरेनी की पुलिस तथा ग्राम बनपुरवा मजरे रंजीतपुर के किसानों में झगड़ा और उसमें गिरफ्तारियां। खं० १३६, पृ० ३७१–३७२।

—— जिले में रोडवेज की बसों को चलाने का विचार। खं० १३६, पृ० २५।

मौजा डीह, जिला——, में डाके से एक व्यक्ति की मृत्यु। खं० १३६, पृ० ३७६।

शारदा नहर, पुरवा ब्रान्च, जिला ——, में खादी के कारण किसानों को हानि। खं० १३६, पृ० ११२।

रुड़की—

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—— तहसील में कार्य। खं० १३६, पृ० २७७।

लखनऊ—

—— कलक्टरी में हरिजन क्लर्कों तथा चपरासियों की भर्ती। खं० १३६, पृ० २१–२२।

—— जिले के बाढ़ पीड़ितों को लगान में छूट। खं० १३६, पृ० २८।

—— जेल ट्रेनिंग स्कूल के विद्यार्थियों की मुख्य जेलों के अध्ययन के लिये यात्रा और उस पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३८१–३८२।

पंचवर्षीय योजना के अधीन —— जिले की उन्नति के कार्य। खं० १३६, पृ० २७३–२७४।

भेड़िया बालक रामू के लिये बलरामपुर अस्पताल, ——, में प्रबन्ध। खं० १३६, पृ० १८६-१९०।

शाहाबाद—

रामपुर जिले की —— तथा मिलक तहसीलों में ओले से हानि। खं० १३६, पृ० २७।

सलोन—

तहसील ——, जिला रायबरेली, में नहर के विस्तार की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०७।

सहसवान—

जिला बदायूं में —— से गिन्नौर तक पक्की सड़क की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० २८५।

सहारनपुर—

मुजफ्फ़रनगर, मेरठ तथा —— जिलों की मालगुजारी तथा कृषि टैक्स। खं० १३६, पृ० २९।

सहिजनी—

बहादुरीपुर और —— के कृषकों द्वारा शेखा माइनर खोदने के लिये प्रार्थना। खं० १३६, पृ० ११८–११९।

सीतापुर—

मड़ियाहूं के अन्तर्गत —— ग्राम में महिला चिकित्सालय की मांग। खं० १३६, पृ० १८२।

सुल्तानपुर—

—— जिले में नहर की खुदाई के लिये अधिकृत भूमि। खं० १३६ पृ० १०४–१०५।

—— जिले में सहकारी नलकूप। खं० १३६, पृ० १०४।

सैदपुर—

—— में जनाने अस्पताल की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० १०७।

हमीरपुर—

जिला —— में कम्हरिया सागर बांध की मरम्मत। खं० १३६, पृ० १२३।

जिला —— में निर्माण की गई पक्की सड़कें। खं० १३६, पृ० १२२।

—— में गत वर्ष दिवाली के अवसर पर पकड़े गये जुआड़ी। खं० १३६, पृ० ३८३।

हरदोई—

—— जिले से भूमि संघ व्यवस्था संबंधी प्रार्थना पत्र। खं० १३६, पृ० १३।

हाथरस—

—— तहसील में बनने वाले शेष नल-कूप। खं० १३६, पृ० १२२।

प्र० वि० —— नगर में पैविलियन के लिये नगरपालिका को ग्रांट। खं० १३६, पृ० ३८१।

१९४७ में —— में सामूहिक जुर्माने की धनराशि और उसका व्यय किया जाना। खं० १३६, पृ० ३८७।

स्थायीकरण—

प्र० वि० —— १९४९ के मध्य में अस्थायी रूप से नियुक्त सब-डिप्टी इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स की संख्या और उनका ——। खं० १३६, पृ० ३८६।

स्थायी समितियों—

कतिपय——— के निर्वाचन का कार्यक्रम। खं० १३६, पृ० १७२।

——— के निर्वाचन के नाम वापस लेने के समय में वृद्धि की सूचना। खं० १३६, पृ० ४०४–४०५।

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न ——— के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना। खं० १३६, पृ० २८७–२९४।

ह

हकीमों—

प्र० वि०— वैद्यों और ——— का रजिस्ट्रेशन। खं० १३६, पृ० १८७।

हड़ताल—

प्र० वि०— प्रदेश व्यापी मेहतर———। खं० १३६, पृ० १७९।

हत्यायें—

प्र० वि०— चन्दौसी (मुरादाबाद) में थाने के समीप लगभग दो बजे दिन के तीन ———। खं० १३६, पृ० ३८५–३८६।

हथियार—

प्र० वि०— प्रदेशीय मालखानों में प्राहिबिटेड बोर के ——— तथा उनकी परिभाषा। खं० १३६, पृ० ३८०।

हरगोविन्द सिंह, श्री—

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १९१।

हरदयाल सिंह पिपल, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

हरिजन—

प्र० वि०— बलिया जिले में ——— लेखपालों की संख्या। खं० १३६, पृ० ३१।

हरिजन अमीनों—

प्र० वि० — ——— के रिक्त स्थानों पर हरिजनों को प्राथमिकता। खं० १३६, पृ० २७१–२७२।

हरिजन उत्थान—

प्र० वि०——उत्तर प्रदेश में——— के लिये १९५३–५४ में सोशल वर्कर्स की नियुक्ति एवं उन पर व्यय। खं० १३६, पृ० ३८८।

हरिजन क्लर्कों तथा चपरासियों—

प्र० वि०—लखनऊ कलक्टरी में ——— की भर्ती। खं० १३६, पृ० २१–२२।

हरिजनों—

प्र० वि०— जिला बलिया में ——— के लिये मकान तथा पीने के पानी के लिये सहायता एवं कुओं का निर्माण। खं० १३६, पृ० ३८७–३८८।

प्र० वि०— लेबर आफिसर्स तथा कंसिलियेशन आफिसर्स की नियुक्तियां और उनमें ——— का अनुपात। खं० १३६, पृ० ३९५।

प्र० वि०—विधायक निवासों के फर्राशों तथा लिफ्टमैनों में ——— को न लेना। खं० १३६, पृ० ११३।

प्र० वि०—हरिजन अमीनों के रिक्त स्थानों पर ——— को प्राथमिकता। खं० १३६, पृ० २७१–२७२।

हरिप्रसाद, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० १४०–१४१।

हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार। खं० १३६, पृ० ४२१।

हरि सिंह, श्री—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४। खं० १३६, पृ० ५२।

हाई स्कूल—

प्र० वि०— —— व इंटरमीडियेट की परीक्षाओं में अनुचित तरीकों का प्रयोग। खं० १३६, पृ० २६९–२७०।

हानि—

प्र० वि०—झांसी जिले में जंगली गायों व बैलों से फसल को ——। खं० १३६, पृ० १६।

प्र० वि०— तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद में ओलों से——। खं० १३६, पृ० २६।

प्र० वि०—मुरादाबाद जिले की बिलारी तहसील में ओलों से ——। खं० १३६, पृ० २४।

प्र० वि०— रामपुर जिले की शाहाबाद तथा मिलक तहसीलों में ओलों से ——। खं० १३६, पृ० २७।

प्र० वि०— शारदा नहर, पुरवा ब्रांच, जिला रायबरेली, में खांदी के कारण किसानों को ——। खं० १३६, पृ० ११२।

हिंडन नदी—

प्र० वि०—आगरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई के लिये —— पर बांध की आवश्यकता। खं० १३६, पृ० ११८।

हिस्ट्रीशीटरों—

प्र० वि०— सुभाषनगर से सम्बद्ध कोंच (जालौन) पुलिस स्टेशन से —— के रजिस्टर नम्बर का गायब होना। खं० १३६, पृ० ३८४।

हिस्सेदार—

प्र० वि०—खाम स्टेट कोटद्वार तराई व भावर से किसानों को —— बनाने का विचार। खं० १३६, पृ० १९।

हेड क्वार्टर—

प्र० वि०— शारदा नहर के हेडवर्क्स का —— बरेली में रखने का कारण। खं० १३६, पृ० ११४–११५।

प्र० वि०—सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, का——। खं० १३६, पृ० २८५–२८६।

हेड वर्क्स—

प्र० वि०— शारदा नहर के —— का हेड क्वार्टर बरेली में रखने का कारण। खं० १३६, पृ० ११४–११५।

होमियोपैथिक डाक्टरों—

प्र० वि०—— —— की रजिस्ट्री। खं० १३६, पृ० १८२।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०४ एल ए—१९५४—८५०